एन एस आई सी
N S I C

70वीं वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025

राष्ट्र सेवा में सात दशक

विजन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
(एमएसएमई) सेक्टर के विकास
को प्रोत्साहन करने वाला एक प्रमुख संगठन बनना

मिशन

विपणन, प्रौदयोगिकी, वित्त और सेवाओं वाली
एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराकर सूक्ष्म, लघु
एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर को बढ़ावा
देना और उसकी सहायता करना

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

Ø-l-	fo"k; lwph	i"B
1.	कॉरपोरेट सूचना	03
2.	निदेशक मंडल	05
3.	अध्यक्ष महोदय का संदेश	10
4.	निदेशकों की रिपोर्ट	14
5.	एकल वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	63
6.	एकल वित्तीय विवरण	82
7.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एकल वित्तीय विवरण	195
8.	समेकित वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	196
9.	समेकित वित्तीय विवरण	203
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरण	321
11.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	327

lhvkbl,u u- ;l74140Mh,y1955 thvkbl002481

vè;{k ,oa çcèk funs'kd	M,- 'kHkk'k 'k[kj vkpk;l (02 मई, 2024 से) Jh foiyo xk;y (01 जुलाई 2023 से 01 मई, 2024 तक)
funs'kd	• सुश्री मर्सी एपाओ, सरकारी नामित निदेशक • डॉ. सिम्मी चौधरी, सरकारी नामित निदेशक • श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (यो. एवं वि.) • श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त) • श्री अशोक आहिरवार, स्वतंत्र निदेशक (21 दिसंबर, 2024 तक) • श्री कालंदी चरण सामल, स्वतंत्र निदेशक (21 दिसंबर, 2024 तक)
dEiuh lfpo	श्रीमती निष्ठा गोयल
Lkafofèkd ys[kkijh{kd	मैसर्स अपरा एण्ड एसोसिएटस एलएलपी, सनदी लेखाकार
'kk[kk ys[kk ijh{kd	

Ø-l-	ys[kkijh{kd dk uke	Ø-l-	ys[kkijh{kd dk uke
1.	मैसर्स तम्बाई अशोक एण्ड एसोसिएट्स, जयपुर	14	मैसर्स वैथयानाथन एण्ड कंपनी, पंडुचेरी
2	मैसर्स ए.के बतरा एण्ड एसोसिएट्स., नई दिल्ली	15	मैसर्स बी के शरीफ एण्ड कंपनी, कोलकाता
3	मैसर्स दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	16	मैसर्स जी एम सी ए एण्ड कंपनी, अहमदाबाद
4	मैसर्स टीवी सुब्रहमणियम एण्ड एसोसिएट्स, कोयम्बटूर	17	मैसर्स सुदेश गोयल एण्ड एसोसिएट्स, चंड़ीगढ़
5	मैसर्स सुखमिंदर सिंह एण्ड कंपनी, लुधियाना	18	मैसर्स अग्रवाल रमेश के, एण्ड कंपनी, जमशेदपुर
6	मैसर्स ए के लेंका एण्ड कंपनी, भुवनेश्वर	19	मैसर्स एम वीनुगोपाल अचर, एण्ड कंपनी, बैंगलुरू
7	मैसर्स संजीव भार्गव एण्ड एसोसिएट्स, कानपुर	20	मैसर्स डी प्रसाद एण्ड एसोसिएट्स, पटना
8	मैसर्स बुसा एण्ड एसोसिएट्स, राजकोट	21	मैसर्स शशि एण्ड कंपनी, आगरा
9	मैसर्स सुदर्शन शर्मा एण्ड कंपनी, देहरादून	22	मैसर्स बी डी जी एण्ड कंपनी, मुम्बई
10	मैसर्स विनायक टंडन एण्ड एसोसिएटस, इलाहाबाद	23	मैसर्स परम एण्ड एसोसिएट्स, नासिक
11	मैसर्स एस लंला एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	24	मैसर्स बी एस मार्ट एण्ड एसोसिएट्स, पुणे
12	मैसर्स आर.एम. कोठारी एण्ड कंपनी, गुवाहाटी	25	मैसर्स ए एस बेदमुथा एण्ड कंपनी, औरांगाबाद
13	मैसर्स एम आर नरायन एण्ड कंपनी, चैन्नई	26	मैसर्स रमेश एण्ड कंपनी, विजयवाड़ा

Ø-l-	y[kkijh{kd dk uke	Ø-l-	y[kkijh{kd dk uke
27	मैसर्स मिश्रा तिवारी एण्ड एसोसिएटस, भोपाल	34	मैसर्स कपसी बंगद एण्ड कंपनी, हैदराबाद
28	मैसर्स पियुष पी जैन एण्ड एसोसिएटस, रायपुर	35	मैसर्स एम ए के एण्ड एसोसिएट्स, इंदौर
29	मैसर्स के एस राव एण्ड कंपनी, हैदराबाद	36	मैसर्स एस एस वाय एण्ड एसोसिएटस, अलीगढ़
30	मैसर्स अश्विनी जिन्दल एण्ड कंपनी, जालंधर	37	मैसर्स पीएस ठाकरे एण्ड कंपनी, नागपुर
31	मैसर्स एच एम पी एस एण्ड एसोसिएटस, मुदरै	38	मैसर्स ए एम एस डी एण्ड एसोसिएट्स, रांची
32	मैसर्स एम के थबेरिया एण्ड एसोसिएट्स, राउरकेला	39	मैसर्स गडगिल एण्ड उपिनबेलागेवी
33	मैसर्स जयन एण्ड कृष्णा कुट्टी, कोच्चि		

lfpoh; y[kkijh{kd	मैसर्स वपन एण्ड एसोसिट्स बी–5/41, विवेकानंद अपार्टमेंट सेक्टर 8, रोहिणी दिल्ली– 110085
e[; cSad l	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक साउथ इंडियन बैंक इंडसइंड बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा एसएमबीसी पंजाब नैशनल बैंक
ith—r dk;kZy;	एनएसआईसी भवन ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110020
dkjikjh oSclkbV	www.nsic.co.in

fun'kd eMy

M,- 'kHkk'k 'k[kj vkpk;] vè{k ,o çcèk fun'kd ¼Mhvkb,u% 06727939½

अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक, डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य को एमएसएमई वित्तपोषण और विकास के विभिन्न पहलुओं में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसमें स्टार्टअप इनोवेशन और इनक्यूबेशन, उद्यमिता विकास, सूक्ष्म–वित्त आदि शामिल हैं। एनएसआईसी में शामिल होने से पहले, डॉ. आचार्य सिडबी में 'मुख्य महाप्रबंधक' थे। सिडबी में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में रहते हुए, उन्होंने सिडबी के भीतर कई महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों का नेतृत्व किया, जिनमें 'विकास और प्रभाव कार्यक्रम कार्यक्षेत्र', 'एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्षेत्र', 'सरकारी कार्यक्रम कार्यक्षेत्र' आदि शामिल थे।

डॉ. आचार्य ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड विश्वविद्यालय में सतत विकास में ब्रिटिश शेवनिंग स्कॉलर रहे हैं। प्रबंधन में पीएचडी, विज्ञान में स्नातकोत्तर (एमएससी), व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एमबीए) और भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट।

डॉ. आचार्य ने सिडबी के एनसीआर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्य किया है, जिसमें एनसीआर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं, और गुजरात राज्य के लिए एमएसएमई ऋण प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। वह 2005 में भारत में एमएसएमई के लिए एक विशेष रेटिंग एजेंसी, एसएमईआरए रेटिंग्स लिमिटेड, की स्थापना करने वाली संस्थापक टीम के सदस्य थे। उन्होंने इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड [आईएसटीएसएल] के सीईओ के रूप में भी काम किया है, जो भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सिडबी और 4 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रवर्तित एक कंपनी है।

उन्होंने 'गरीब राज्य समावेशी विकास कार्यक्रम' [पीएसआईजी] नामक एक गहन वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का नेतृत्व किया था, जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (अब एफसीडीओ)', यूके द्वारा वित्त पोषित किया गया था और इसका उद्देश्य कम आय वाले राज्यों में गरीब और कमजोर लोगों (विशेषकर महिलाओं) को वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से आर्थिक विकास से लाभान्वित करना था। इस परियोजना का उद्देश्य 12 मिलियन गरीब परिवारों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाना और मुख्य रूप से महिला ग्राहकों को उनकी सामाजिक स्थिति और गतिशीलता में सुधार के लिए सहायता प्रदान करना था। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड में कार्य किया है।

डॉ. आचार्य ने सिडबी के प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है, जो विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करता है। सिडबी, नाबार्ड, वाणिज्यिक बैंक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी आदि। उन्हें विश्व बैंक द्वारा जिम्बाब्वे के हरारे में भारत के एसएमई विकास वित्तपोषण की कहानी पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। डॉ. आचार्य ने स्टार्टअप इनोवेशन और इनक्यूबेशन पर ^lhM Vh lifyx% ,u buD;cVj o^ नामक पुस्तक का सह–लेखन किया है। उनके नाम विभिन्न पत्रिकाओं में कई प्रकाशन/लेख प्रकाशित हैं। वे उच्च शिक्षा संस्थानों में नियमित रूप से आमंत्रित वक्ता होते हैं।

डॉ. आचार्य एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) के पदेन अध्यक्ष भी हैं, जो एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

Jh dkfrds; flUgk] fun'kd ¼;kstuk ,oa foi.ku½ ¼Mhvkb,u% 02322056½

श्री कार्तिकेय सिन्हा एक अनुभवी पेशेवर हैं, जिनके पास दूरसंचार, बिक्री एवं विपणन, अवसंरचना विकास, उत्पाद विकास एवं मूल्य निर्धारण, क्रय और ग्राहक अनुभव संवर्धन के क्षेत्रों में 25 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव है। वे कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर प्रदेश से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातक (बी.टेक.) और आईआईटी दिल्ली से ऊर्जा अध्ययन में स्नातकोत्तर (एम.टेक.) हैं। वे यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सैद बिजनेस स्कूल से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एमबीए) भी हैं।

उन्होंने यूपीएससी द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (2000) उत्तीर्ण करने के बाद भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में अपना करियर शुरू किया और प्रतिष्ठित पी एंड टी बीडब्ल्यूएस ग्रुप "क" सेवा में शामिल

हुए। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बीएसएनएल ग्राहकों के लिए उन्नत ओमनी–चौनल संपर्क केंद्रों और एक मोबाइल ऐप के शुभारंभ सहित कई उच्च–प्रभावी पहलों का नेतृत्व किया। बीएसएनएल मुख्यालय में बिक्री एवं विपणन में उनके नेतृत्व में, नवीन मोबाइल टैरिफ रणनीतियों और कुशल चौनल प्रबंधन के परिणामस्वरूप उद्योग में तीव्र प्रतिस्पर्धा के बावजूद राजस्व में वृद्धि हुई।

उनके मार्गदर्शन में, कच्चा माल वितरण योजना में व्यापक परिवर्तन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वितरण नेटवर्क में नई सामग्री और आपूर्तिकर्ताओं को शामिल किया गया है, जिससे एमएसएमई के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल की विस्तृत श्रृंखला की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

उन्होंने एमएसएमई की आवश्यकताओं के अनुरूप 4.0 प्रौद्योगिकियों और अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं सहित उन्नत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों से आवश्यक कौशल और परीक्षण अवसंरचना स्थापित करने में मदद मिली है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत और सहायक बनाया गया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, टीम पहल और राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) जैसी प्रमुख सरकारी पहलों के सफल कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उनके प्रयासों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के समावेशी विकास और विकास पर, सभी हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार और सराहना की गई है।

वह एमएसएमई क्षेत्र और निगम के लिए नीति निर्माण और रणनीतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

Jh xkjo xqykVh] funs'kd ¼foÙk½ ¼Mhvkbu% 10144109½

श्री गौरव गुलाटी एक विशिष्ट पेशेवर पृष्ठभूमि रखते हैं, उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य का दर्जा प्राप्त है, साथ ही वे एक अर्हक लागत लेखाकार (आईसीएआई) और कंपनी सचिव (आईसीएसआई) भी हैं। अपनी प्रभावशाली शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा, श्री गुलाटी के पास व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री भी है।

27 वर्षों से अधिक की व्यापक पेशेवर यात्रा के साथ, श्री गुलाटी ने एनबीसीसी (आई) लिमिटेड, एनटीपीसी, सेल और इंडसइंड बैंक जैसे प्रमुख संगठनों से समृद्ध अनुभव अर्जित किया है, जहां उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उनकी विशेषज्ञता में वित्त और लेखा, अनुबंध प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षा, जोखिम प्रबंधन, बजटीय नियंत्रण, वित्तीय स्वीकृति और सैप कार्यान्वयन सहित विविध क्षेत्र शामिल हैं।

एनएसआईसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने कार्यकारी निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया और क्षेत्रीय व्यापार समूह प्रमुख के रूप में एनबीसीसी (आई) लिमिटेड में रियल एस्टेट वर्टिकल का नेतृत्व किया।

अपने उल्लेखनीय संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक योजना कौशल के साथ, श्री गुलाटी ने अपनी वर्तमान भूमिका में एनएसआईसी के भीतर महत्वपूर्ण सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से योजनाओं के लिए नीतियों और दिशानिर्देशों को तैयार और सुदृढ़ करके कंपनी के एनबीएफसी वर्टिकल को मजबूत करना, अनुपालन कार्य को मजबूत करना, तरलता प्रोफाइल में सुधार करना, एनएसआईसी के लिए धन की कम लागत सुनिश्चित करना और संगठन में आंतरिक नियंत्रण को बढ़ाना।

इसके अलावा, श्री गुलाटी की उपलब्धियाँ उनके पेशेवर कैरियर से भी आगे फैली हुई हैं। वह न केवल उस टीम के प्रमुख सदस्य रहे हैं, जिसने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) द्वारा आयोजित बिजनेस सिमुलेशन प्रतियोगिता, नेशनल मैनेजमेंट गेम्स (एनएमजी) में दो बार जीत हासिल की, बल्कि 2011 में कीव, यूक्रेन में ग्लोबल मैनेजमेंट चैलेंज (जीएमसी) में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया।

श्री गुलाटी की व्यापक वित्तीय प्रखरता, नेतृत्व और रणनीतिक क्षमताएं उन्हें एनएसआईसी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती हैं और उनकी असाधारण उपलब्धियां और समर्पण संगठन की सफलता और वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

श्री गौरव गुलाटी को 09 मई, 2023 से एनएसआईसी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है।

उन्हें एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

---

l[Jh elh ,ikvk] ljdkjh ukfefr fun'kd ¼Mhvkb,u% 09331424½

सुश्री मर्सी एपाओ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) में संयुक्त सचिव हैं। वर्तमान पदभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने पिछले 29 वर्षों से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों में वित्त, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) आदि शामिल हैं। अपनी सेवा के दौरान, उन्होंने विभिन्न विषयों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, वेतन संबंधी मामले, अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) की संवर्ग समीक्षा, मानव संसाधन एवं प्रशासन से संबंधित कार्य संभाले।

वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। एमएसएमई मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में वह लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभारी हैं। इनमें से कुछ योजनाएं राष्ट्रीय एससी/एसटी हब योजना हैं, जो एससी/एसटी उद्यमियों को समर्थन देने के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना उसे अन्य देशों के साथ एसएमई क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने/मोल–भाव करने/ परस्पर चर्चा करने और एमओयू/एफटीए/साझा करने और आदान–प्रदान करने में सक्षम बनाती है। एमएसएमई मंत्रालय क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, जी2जी, बी2बी नेटवर्किंग के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने और संभावित साझेदारी का पता लगाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों में भाग लेता है।

वह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई) का भी कार्यभार संभालती हैं, जो क्रमशः एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) और एक स्वायत्त संगठन है। वह मीडिया विभाग का भी कार्यभार संभालती हैं, जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंत्रालय की योजनाओं/पहलों का व्यापक कवरेज प्रदान करता है। 'एमएसएमई कनेक्ट', जो एक त्रैमासिक समाचार पत्र है, भी सभी उद्यम पंजीकरण धारकों के साथ साझा किया जाता है। वह महिला उद्यमिता विभाग का भी कार्यभार संभालती हैं। उनका जुनून महिलाओं और कमजोर/हाशिए पर पड़े वर्ग के उद्यमियों को लाभकारी रोजगार और सफल उद्यमिता के लिए ज्ञान प्राप्त करते देखना है, जिससे सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

वह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास सहयोग के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी हैं।

M,- flEeh pk/kjh] ljdkjh ukfefr fun'kd ¼Mhvkb,u% 10387019½

डॉ. सिम्मी चौधरी भारतीय आर्थिक सेवा के 1996 बैच की अधिकारी हैं। वर्तमान में, वह एमएसएमई मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार और संयुक्त सचिव के रूप में तैनात हैं और मंत्रालय के वित्त, बजट के साथ–साथ समन्वय और योजना मामलों की प्रभारी अधिकारी हैं। डॉ. सिम्मी चौधरी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अतिरिक्त प्रभार के तौर पर वित्तीय सलाहकार भी नियुक्त किया गया है।

डॉ. चौधरी ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए), दिल्ली से शिक्षा में डॉक्टरेट (पीएचडी) की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में

स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय से शिक्षा में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है।

डॉ. चौधरी के पास अंतर्राष्ट्रीय मामलों, शिक्षा और मानव संसाधन विकास, कौशल विकास, नीति निर्माण, मिशन निर्माण और कार्यान्वयन, दृष्टिकोण और रणनीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक मंच, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष विशेषज्ञता के साथ भारत सरकार में 28 वर्षों का विविध और समृद्ध अनुभव है। उन्होंने 1996 में आईईएस प्रोबेशनर के रूप में वित्त मंत्रालय से अपना करियर शुरू किया और उसके बाद उन्हें अपनी तैनातियों में श्रम और रोजगार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में कार्य करने का अवसर मिला।

डॉ. चौधरी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) सम्मेलनों के अनुसमर्थन, औद्योगिक नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन, सभी के लिए शिक्षा, डिजिटल भुगतान संवर्धन एवं सतत विकास के कार्यान्वयन पर भारत का रुख स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्माण, साक्षर भारत मिशन एवं राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, डिजिटल इंडिया भाषानी के निर्माण एवं कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अपने कार्यकाल में, उन्होंने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत हासिल की गई उपलब्धियों के विश्लेषण और दस्तावेजीकरण, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट 2022 के लिए विजन दस्तावेज तैयार करने, वास्तविक समय निष्पादन स्मार्ट बोर्ड के विकास, शिक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था माप और रोडमैप के लिए डिजिटल सार्वजनिक मंच में योगदान दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार की भूमिका के अलावा, उन्होंने मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा शिकायतों और सूचना के अधिकार पर नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य किया।

डॉ. चौधरी एक रणनीतिक विचारक हैं और उन्होंने भारत के ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अवसर, विजन दस्तावेज, मंत्रालय के लिए रणनीतियाँ और कार्य योजनाएँ, क्षेत्र प्रोफाइल, राज्य प्रोफाइल, फोकस पेपर और अन्य रणनीतिक दस्तावेज जैसे दस्तावेजों को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने व्यापार मुद्दे, कराधान मुद्दे, आर्थिक डाटा, एफएसएसएआई से संबंधित मामले भी देखे हैं।

डॉ. चौधरी ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान यूनेस्को की महासभा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वाइन और व्हिस्की के बारे में ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त कार्य समूहों की सह–अध्यक्षता की।

डॉ. चौधरी ने अर्थमिति, समष्टि आर्थिक नीति और सरकारी आईटी उपकरणों जैसे क्षेत्रों में व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नई और उभरती प्रौद्योगिकियों, नीति विश्लेषण और रणनीतिक योजना में उनकी गहरी रुचि है। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में नियोजन, अनुसंधान और डेटा विश्लेषण, अग्रणी प्रौद्योगिकियां, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, श्रम अर्थशास्त्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, मूल्य श्रृंखलाएं और अंतर्राष्ट्रीय मामले शामिल हैं, और इन क्षेत्रों में उन्हें 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

इसके अलावा, डॉ. चौधरी एक विपुल लेखिका भी हैं, जिनके कई प्रकाशन हैं, जिनमें श्रम और रोजगार, मानव संसाधन विकास, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया पर कॉफी टेबल बुक्स और संग्रहों का संकलन, डिजिटल इंडिया और इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर समर्पित योजना पत्रिका के अंक प्रकाशित करना शामिल है।

डॉ. सिम्मी चौधरी को 8 नवंबर, 2023 से कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

Jh dkyanh pj.k lkey ¼Lora= funs'kd½ Mhvkbu% 09459531

श्री कालंदी चरण सामल ओडिशा के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह उड़िया भाषा के लेखक और उड़िया समाचारपत्रों के स्तंभकार हैं। वह ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित तालचर के रहने वाले हैं। वह स्वदेशी मेलों का आयोजन करते रहे हैं जिनमें ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों से आए छोटे पैमाने के उद्यमियों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है। वे स्व–रोजगार के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञान मेलों के आयोजन का भी हिस्सा रहे हैं और नियमित रूप से स्थानीय किसानों/मजदूरों तथा उद्यमियों को नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए पुस्तक मेल/प्रदर्शनी/प्रशिक्षण आयोजित करते हैं।

श्री कालंदी चरण सामल 21 दिसंबर, 2024 तक एनएसआईसी के बोर्ड में थे।

M,- v'kksd vfgjokj] Lora= funs'kd] Mhvkbu% 09459529

डॉ. अशोक अहिरवार, इतिहास विभाग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विद्यालय, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय), सागर, मध्य प्रदेश में प्रोफेसर हैं। उन्होंने वर्ष 2016–2019 के दौरान इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश से पूरी की है। उन्होंने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर किया और डॉ. राम मनोहर लोहियाज आइडियाज एंड वर्क्सः ए हिस्टॉरिकल अनालीसिज पर डॉक्टरेट शोध पूरा किया। वह देश भर के विभिन्न संस्थानों से डायट, एचआरडीसी, टीएलसी में संसाधन व्यक्ति/विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं।

उन्होंने 1994–98 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से शोध अध्येतावृत्ति प्राप्त की। उन्होंने डॉ. बी.आर. अम्बेडकररू विजन एंड कॉन्ट्रिब्यूशन पर विस्तृत विभिन्न शोध पत्र लिखे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य (2008–11) के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में सलाहकार बोर्ड, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र, इलाहाबाद में सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वह लोकतांत्रिक तरीके से नागरिकता के अधिकारों के संवर्धन के लिए अपनी अकादमिक स्वायत्तता का प्रयोग करने में विश्वास रखते हैं। इसी उपयुक्त उद्देश्य के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति के साथ अपने अकादमिक दायरे को भी बढ़ाया है।

प्रो. अहिरवार 21 दिसंबर, 2024 तक एनएसआईसी के बोर्ड में थे।

v/;{k dk lnsa'k

fç; 'k;j/kkjdk]

एनएसआईसी के निदेशक मंडल की ओर से, मुझे वित्त वर्ष 2024–25 के लिए एनएसआईसी के प्रदर्शन का विवरण प्रस्तुत करते हुए बहुत गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। वर्ष 1955 में स्थापित, एनएसआईसी ने एमएसएमई को सात दशकों की शानदार सेवा प्रदान की है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ, जो संगठन के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं, आपके पास पहले से ही मौजूद हैं। आपकी सहमति से, मैं इन दस्तावेजों को पढ़कर स्वीकार करता हूँ।

उद्योग अवलोकन

भारत ने पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय विकास हासिल किया है। 2000 के बाद से, अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से लगभग चौगुनी हो गई है, और प्रति व्यक्ति आय लगभग तिगुनी हो गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है-2000 में 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 3.4 प्रतिशत हो गई है-जिससे भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस विकास पथ के साथ–साथ अत्यधिक गरीबी में उल्लेखनीय कमी (2011–12 में 16.2 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 2.3 प्रतिशत) और बुनियादी ढाँचे तथा बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। (विश्व बैंक की अंतर्दृष्टि: 23 सितंबर, 2025)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था और समग्र वैश्विक अर्थव्यवस्था, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्यम, अपने छोटे आकार के संचालन के बावजूद, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, नवाचार और सतत विकास के संदर्भ में दूरगामी प्रभाव डालते हैं। वैश्विक स्तर पर, एमएसएमई को प्रमुख रोजगार सृजक माना जाता है, और रोजगार सृजन के मामले में ये अक्सर बड़ी कंपनियों से आगे रहते हैं। महिलाओं और युवाओं सहित विविध कार्यबल को समाहित करने की इस क्षेत्र की क्षमता, बेरोजगारी और गरीबी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

एमएसएमई अक्सर नवाचार के केंद्र में होते हैं, खासकर प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवा जैसे क्षेत्रों में। वे उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देते हैं और बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक लचीलापन और रचनात्मकता प्रदान करते हैं। इससे नए उत्पाद विकास, प्रक्रिया सुधार और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा मिलता है। कई वैश्विक स्टार्टअप और यूनिकॉर्न छोटे उद्यमों के रूप में शुरू हुए, जो एमएसएमई की नवोन्मेषी क्षमता पर जोर देते हैं।

एमएसएमई आर्थिक बदलावों, तकनीकी नवाचारों या पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति भी लचीले होते हैं। कई एमएसएमई टिकाऊ प्रथाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हरित तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं या संसाधन–कुशल प्रक्रियाओं को लागू कर रहे हैं जो अपशिष्ट और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं। स्थिरता की ओर वैश्विक प्रयास ने पर्यावरण–अनुकूल एमएसएमई में वृद्धि देखी है, जिसमें हरित ऊर्जा स्टार्टअप से लेकर स्थायी फैशन कंपनियां शामिल हैं।

प्रदर्शन अवलोकन

एनएसआईसी ने देश भर में लघु उद्यमों के विकास में निरंतर उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। एनएसआईसी अपने कार्यालयों, तकनीकी केंद्रों और प्रशिक्षण एवं इनक्यूबेशन केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। एनएसआईसी ने विपणन, वित्त, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण आदि में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करके बड़ी संख्या में उद्यमियों को सशक्त बनाया है, जिससे एमएसएमई के लिए व्यापार सुगमता सुनिश्चित हुई है। एनएसआईसी नई आईटी प्रणालियों के विकास, नई व्यावसायिक लाइनों की शुरुआत, अपने मानव संसाधन आधार के क्षमता निर्माण हेतु उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम आदि के माध्यम से अपने व्यवसाय को निरंतर सुदृढ़ बना रहा है।

वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी का परिचालन राजस्व 3431.21 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 3273.18 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वर्ष 2024–25 के लिए 196.17 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 170.64 करोड़ रुपये था, जो 14.96% की वृद्धि दर्शाता है।

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निदेशक मंडल ने

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भारत सरकार को पीएटी के 30% के बराबर 43.89 करोड़ रुपये का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

समझौता ज्ञापन रेटिंग

2024–25 के दौरान एनएसआईसी का प्रदर्शन सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ रहा और परिचालन, पीएटी और पीबीटी, प्रस्तावित लाभांश, प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या आदि से उच्चतम राजस्व प्राप्त हुआ। एनएसआईसी को सार्वजनिक उद्यम विभाग से "उत्कृष्ट" एमओयू रेटिंग प्राप्त हुई।

व्यापार प्रदर्शन

एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के माध्यम से सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी ने अपनी कच्चा माल वितरण (आरएमडी) योजना के अंतर्गत, देश भर के एमएसएमई के बीच वितरण हेतु प्रमुख सामग्रियों की खरीद हेतु लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम, तांबा, पॉलिमर, बिटुमेन, वायर रॉड, सीमेंट आदि जैसी आवश्यक सामग्रियों के थोक निर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष के दौरान, आरएमडी पोर्टफोलियो में एक नया उत्पाद एल्युमिना भी शामिल किया गया है।

कच्चे माल की खरीद में एमएसएमई को सहयोग देने के लिए, वित्त वर्ष 2024–2025 में एमएसएमई इकाइयों को कच्चा माल सहायता (आरएमए) योजना के अंतर्गत 8479.91 करोड़ रुपये की ऋण सहायता भी प्रदान की गई है। एनएसआईसी ने एमएसएमई को ऋण (निधि आधारित या गैर–निधि आधारित सीमा) तक पहुँच सुगम बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान , एनएसआईसी ने इस व्यवस्था के तहत बैंकों से 631.18 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत कराए।

सेवाओं का डिजिटलीकरण

एनएसआईसी अपनी सेवाओं के डिजिटलीकरण को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, एनएसआईसी अपने ई–मार्केटिंग पोर्टल एमएसएमई ग्लोबल मार्ट के माध्यम से एमएसएमई को ऑनलाइन मार्केटिंग सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, एनएसआईसी को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ''व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम) पहल'' को क्रियान्वित करने हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। विश्व बैंक समर्थित आरएएमपी कार्यक्रम के तहत यह पहल एमएसई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए) को नए बाजारों तक पहुँचने, अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने और सरकार समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के माध्यम से आय बढ़ाने में सक्षम बनाएगी।

कौशल विकास

एमएसएमई की विविधता और बिखरी संरचना, और एमएसएमई के मौजूदा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अभाव के कारण, एमएसएमई को कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने हेतु केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। एनएसआईसी अपने एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्रों (एनटीएससी) के माध्यम से विभिन्न उद्योग–केंद्रित मांग–आधारित कौशल/उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम स्व–रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए हैं, जो पहली पीढ़ी के उद्यमियों को उद्यम निर्माण हेतु कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं और व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास के माध्यम से एकीकृत सहायता प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम एमएसएमई के मौजूदा कर्मचारियों के कौशल, पुनर्कौशल और उन्नयन के लिए भी हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, एनएसआईसी के तकनीकी केंद्रों से कुल 79,295 प्रशिक्षु (पिछले वर्ष 66765 प्रशिक्षु) उत्तीर्ण हुए, जो अब तक की सर्वोच्च उपलब्धि है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, एनएसआईसी ने प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट में सहायता के लिए 35 रोजगार मेलों का आयोजन किया, जिनमें कुल 278 कंपनियों ने भाग लिया और 7335 प्रशिक्षुओं ने नौकरी के लिए साक्षात्कार दिए और इन मेलों के दौरान 2982 उम्मीदवारों (पिछले वर्ष 2524) का चयन किया गया।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

एनएसआईसी ,भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त विक्रेताओं के चयन हेतु एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा अपने हाथों और औजारों से काम करते हुए पारंपरिक कौशल को सुदृढ़ और पोषित करना है, जिसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करके उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है। इस योजना के अंतर्गत अनुमानित 30 लाख लाभार्थियों को टूलकिट प्रदान किए जाने हैं।

अंतर्राष्ट्रीय निगम

वैश्विक स्तर पर एमएसएमई की पहुँच बढ़ाने के लिए, एनएसआईसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के माध्यम से भारत के एमएसएमई के बीच रणनीतिक तकनीकी और व्यावसायिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। एनएसआईसी ने अपने समकक्ष संगठनों यानी म्यांमार, ताइवान, स्लोवेनिया, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, बेलारूस, थाईलैंड, जिबूती आदि के साथ कई बातचीत का आयोजन किया है। ताइवान, सिंगापुर, बुर्किना फासो, बोत्सवाना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य,

दक्षिण अफ्रीका, स्लोवाक गणराज्य और ताजिकिस्तान आदि जैसे विभिन्न देशों के कई उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने एनएसआईसी का दौरा किया और अपने–अपने देशों में एमएसएमई के विकास के लिए सहयोग के क्षेत्रों की खोज की।

राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच)

एनएसआईसी वर्ष 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की एक पहल, राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) योजना को लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य एससी/एसटी उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश 2012 के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए पेशेवर सहायता प्रदान करना है। एनएसएसएच अर्थात विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) के विभिन्न हस्तक्षेप , कौशल और उद्यमिता विकास के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, सार्वजनिक खरीद में भागीदारी के लिए सुविधा , विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (एसवीडीपी), एससी/एसटी की ओर से विभिन्न वित्तीय संस्थानों को ऋण सुविधा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए आदि में एनएसएसएच कार्यालयों द्वारा भाग लिया गया।

सहायक कंपनी– एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपये की सॉवरेन फंड ऑफ फंड्स योजना को क्रियान्वित करना है। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड एक सॉवरेन फंड ऑफ फंड्स है जो सहायक फंडों में निवेश करता है, जो बदले में एमएसएमई के विकास और उन्नयन के लिए इक्विटी पूंजी प्रदान करते हैं।

कुल 63 सहायक निधियों को एसआरआई फंड (मदर फंड) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और इन सहायक निधियों ने 577 उच्च क्षमता वाले एमएसएमई में 10,979 करोड़ रुपये का निवेश करके उनकी सहायता की है। इसमें से सहायक निधियों ने 31 मार्च 2025 तक एसआरआई फंड से 1,269 करोड़ रुपये निकाले हैं, जबकि शेष 9,710 करोड़ रुपये विकास कोषों द्वारा विभिन्न अन्य स्रोतों से जुटाए गए हैं।

मेरा मानना है कि उद्यमिता और उद्यम सृजन को बढ़ावा देने तथा एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विभिन्न सहायता सेवाएं प्रदान करने और 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए एनएसआईसी पारदर्शिता, नवाचार और कर्मचारी क्षमता निर्माण की रणनीति के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार संगठन है।

एनएसआईसी ने एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार जीता

प्रदर्शनी कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने में योगदान के लिए शुक्रवार 21 जून 2024 को सिडको कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में आयोजित ईईए 2024 के भव्य पुरस्कार समारोह में एनएसआईसी को एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

भारत सरकार की एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में, एनएसआईसी शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों का पालन करती है। आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय रिजर्व बैंक और डीपीई दिशानिर्देशों आदि जैसे व्यापक कॉर्पोरेट प्रशासन ढाँचों और नीतियों का पालन करती है।

हमारी बोर्ड स्तरीय और वरिष्ठ प्रबंधन समितियाँ जोखिम, लेखा परीक्षा, वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी, परिसंपत्ति देयताओं और अन्य संबंधित तथा ईएसजी पहलुओं की सुव्यवस्थित ढंग से निगरानी करती हैं। हमारे पास सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण और प्रकटीकरण है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि शासन एक बार की जिम्मेदारी न हो, बल्कि सुधार और सिद्धांतबद्ध आचरण की एक सतत यात्रा हो।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सीएसआर बजट 3.09 करोड़ रुपये था और पूरी राशि सीएसआर नीति के अनुसार 16 पात्र परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है। ये पहल ''स्वास्थ्य एवं पोषण'', ''शिक्षा'', ''कौशल विकास'' आदि क्षेत्रों में थीं, जिनमें मुख्यतः हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

आभारोक्ति

मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय एवं माननीय राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम , भारत सरकार को उनके संरक्षण, बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव महोदय का भी आभारी हूँ जो सदैव प्रेरणा और परामर्श के स्रोत रहे हैं।

अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई), साथ ही एमएसएमई मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय के एएस एवं डीसी कार्यालय के संयुक्त सचिवों, निदेशकों और अन्य अधिकारियों के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। एनएसआईसी के प्रति उनके विश्वास और समर्थन ने आपकी कंपनी के निरंतर विकास और विस्तार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हम सीएंडएजी, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आरबीआई, डीपीई और

एनएसआईसी से जुड़े अन्य पेशेवरों और एजेंसियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं , जिनके मार्गदर्शन और समर्थन से एमएसएमई को अधिक उत्साह के साथ सेवा देने का हमारा विश्वास बढ़ा है।

सदस्यों को उनके गहन योगदान और विचारशील विचार–विमर्श के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं , जिससे हमारा संगठन काफी मजबूत हुआ है।

मैं निगम के सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण को रेखांकित करना चाहूँगा, जिससे निगम को अपने प्रदर्शन में निरंतर वृद्धि हासिल करने में मदद मिली। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। अब हम सब मिलकर नए क्षितिज तलाशने के लिए तैयार हैं, साथ ही देश भर के एमएसएमई की सेवा में अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए, 2047 तक ''विकसित भारत'' के हमारे सामूहिक स्वप्न को साकार करने की दिशा में अपने एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी, लचीला और सशक्त चालक बनाने के उद्देश्य से।

g/-
(डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 06727939

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 30 सितंबर, 2025

funs'kdksa dh fjiksVZ

fÁ; 'k;j/kkjhx.k]

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की 70वीं बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1½ foÙkh; Áne'kZu

वर्ष 2024–25 हेतु एनएसआईसी का वित्तीय प्रदर्शन उसके पिछले वर्ष के प्रदर्शन के साथ नीचे दी गई तालिका में दिया गया है

¼djksM: i;s esa½

fooj.k	,dy		lefdr	
	foÙkh; o"kZ 2024&2025	foÙkh; o"kZ 2023&2024	foÙkh; o"kZ 2024&2025	foÙkh; o"kZ 2023&2024
प्रचालनों से राजस्व	3431.21	3273.18	3436.02	3277.83
सकल आय	543.57	526.23	548.96	531.29
कर–पूर्व लाभ	196.17	170.64	200.64	174.74
निवल मूल्य	1226.25	1147.17	1235.89	1153.77
उधार	1492.12	1424.95	1492.12	1424.95
लाभांश	43.89	37.97	43.89	37.97
प्रति शेयर आय (रुपयों में)	27.45	23.74	28.02	24.28

i) lefdr vk/kkj ij%&

वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी का परिचालन राजस्व 3436.02 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 3277.83 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वर्ष 2024–25 के लिए 200.64 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ अर्जित किया है, जबकि वर्ष 2023–24 में यह 174.74 करोड़ रुपये था, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 14.82% की वृद्धि दर्ज की गई। कर–पश्चात लाभ पिछले वर्ष के 129.39 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2024–25 के दौरान 15.43% की वृद्धि के साथ 149.36 करोड़ रुपये रहा।

ii) ,dy vk/kkj ij%&

वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी का परिचालन राजस्व 3431.21 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 3273.18 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वर्ष 2024–25 के लिए कर–पूर्व लाभ 196.17 करोड़ रुपये अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 170.64 करोड़ रुपये था। वर्ष 2024–25 के दौरान कर–पश्चात लाभ 146.30 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 126.56 करोड़ रुपये था।

2. ykHkka'k

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 43.89 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 37.97 करोड़ रुपये था। अनुशंसित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

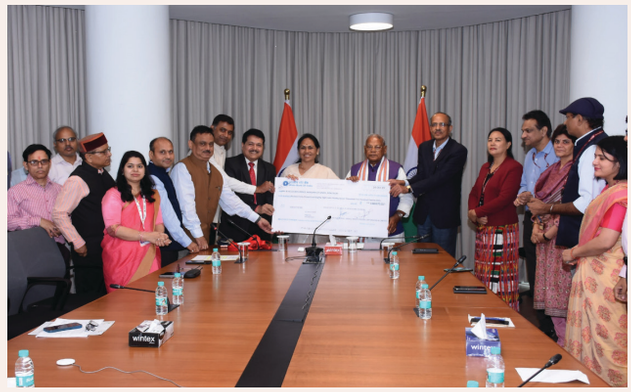

डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एनएसआईसी) ने वर्ष 2024–25 के लिए 43.89 करोड़ रुपये का लाभांश चेक श्री जीतन राम मांझी, माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और सुश्री शोभा करंदलाजे, माननीय एमओ, एमएसएमई मंत्रालय को दिया। इस मौके पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव श्री एससीएल दास और एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और एनएसआईसी के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

3. Hkkjrh; fjtoZ cSad vf/kfu;e] 1934 dh /kkjk 45&vkbZ lh d vUrxZr vkjf{kr fuf/k

वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत 29.26 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि बनाई गई है, इस प्रकार 31 मार्च 2025 तक कुल आरक्षित निधि 138.47 करोड रुपये हो गई है।

4. Áपkyu lEcU/kh dk;Z&fu"iknu

I. dPpk eky forj.k

एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति सुगम बनाने में एनएसआईसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रमुख थोक विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके, एनएसआईसी एमएसएमई को आवश्यक कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण से एमएसएमई को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- अभाव के दौरान भी सामग्री की समय पर और निरंतर उपलब्धता।
- एमएसएमई की आवश्यकताओं के अनुरूप कम मात्रा में सामग्री की उपलब्धता।
- विनिर्माताओं से सीधी आपूर्ति, बिचौलियों का उन्मूलन और लागत में कमी।
- थोक खरीद पर अधिक छूट का लाभ।

एमएसएमई और थोक विनिर्माताओं के बीच की खाई को पाटकर, एनएसआईसी एमएसएमई को आवश्यक कच्चे माल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए, विकास और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है।

वर्ष 2024–25 में, एनएसआईसी ने अखिल भारतीय आधार पर निम्नलिखित निर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एमएसएमई की कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा किया:

Øe l[;k	fuekZrk dk uke	lkexh
1	नेशनल ,एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)	एल्युमीनियम
2	आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील (एएमएनएस)	आयरन एण्ड स्टील
3	श्री सीमेंट लिमिटेड सीमेंट	सीमेंट
4	डी.एम. मेटलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	कस्टमाइज्ड स्टेनलेस स्टील

एनएसआईसी ने एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए पूरे भारत में कस्टमाइज़्ड स्टेनलेस स्टील मटीरियल सप्लाई करने के लिए मुंबई की मेसर्स क्ड मेटलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया।

इसके अतिरिक्त, एनएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों ने पूरे भारत में एमएसएमई को लौह एवं इस्पात सामग्री के वितरण हेतु सेल और आरआईएनएल के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिससे एमएसएमई की पहुँच, समर्थन और विकास में और विस्तार हुआ।

एनएसआईसी ने एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए क्षेत्रीय उत्पादकों/स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं जैसे स्टील सेंटर (लौह एवं इस्पात), बिटारा प्राइवेट लिमिटेड (बिटुमेन), शिवा फेरिक प्राइवेट लिमिटेड (लौह एवं इस्पात), जेएसडब्ल्यू (वायर रॉड्स), अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड (सीमेंट), श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड (लौह एवं इस्पात) आदि के साथ 25 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे आरएमडी पोर्टफोलियो में एक नया उत्पाद एल्युमिना भी जोड़ा गया है।

वर्ष 2024–2025 के दौरान, एनएसआईसी ने अपनी कच्चा माल वितरण (आरएमडी) योजना के अंतर्गत 2865.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2698.62 करोड़ रुपये) मूल्य की 3,64,042 मीट्रिक टन सामग्री की आपूर्ति की।

II. ,dy fcUnq iathdj.k ;kstuk ¼,lihvkj,l½

भारत सरकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की अकेली सबसे बड़ी खरीदार है। लघु–स्तरीय क्षेत्र से खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकारी खरीद कार्यक्रम में भागीदारी के लिए एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को पंजीकृत करने के माध्यम से 1976 में सरकारी खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अलावा, एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एनएसआईसी को लोक खरीद नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम को सूचीबद्ध करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सरकारी लोक खरीद कार्यक्रम में भाग लेते समय, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू को एमएसई द्वारा उत्पादित या प्रदान किए गए उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। एमएसई से 25 प्रतिशत खरीद की वार्षिक आवश्यकता में से, 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए और 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है।

,u,lvkbZlh d, dy fcUnq iathdj.k dh fo'ks"krk,%

(i) एसपीआरएस के तहत पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है।

(ii) एनएसआईसी उचित परिश्रम प्रक्रिया का पालन करने के बाद एसपीआरएस के तहत पंजीकरण जारी करता है।

(iii) स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण के बाद, आवेदक एमएसई द्वारा प्रदान किए गए भंडारों/वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में गुणात्मक और मात्रात्मक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर एसपीआरएस के तहत पंजीकरण जारी किया जा रहा है।

(iv) एसपीआरएस के तहत पंजीकरण हर दो वर्ष के बाद समीक्षा और नवीनीकरण के अधीन वैध है।

वर्ष 2024–25 में एकल बिंदु पंजीकरण योजना स्कीम (एसपीआरएस) से अर्जित राजस्व 8.69 करोड़ रुपए था। वर्ष 2024–25 के दौरान 1729 नई इकाइयाँ जोड़ी गईं और 5554 इकाइयों का नवीनीकरण किया गया।

III. dUlkfVa;h vkj fufonk foi.ku

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के उत्पादों को बढ़ावा देना निगम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बड़े ऑर्डर प्राप्त करने और उन्हें क्रियान्वित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एनएसआईसी ने अपनी कंसोर्टिया एवं निविदा विपणन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कंसोर्टिया बनाया और आवश्यक भंडार/वस्तुओं की आपूर्ति की तथा सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकतानुसार सेवाएँ प्रदान कीं। वर्ष 2024–2025 के दौरान, कंपनी ने 42.52 करोड़ रुपये की निविदाएँ निष्पादित कीं।

IV. ,e,l,eb dk ØfMV lgk;rk

(i) dPps eky dh [kjhn ds fy, ØfMV lgk;rk

क्रेडिट पर कच्चे माल की खरीद में एमएसएमई को समर्थन देने के लिए, एनएसआईसी सबसे प्रतिस्पर्धी दरों पर एमएसएमई को अल्पकालिक ऋण सहायता प्रदान करता है। बैंक गारंटी की सुरक्षा के बदले वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। आवेदक एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ताओं को जारी किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, एनएसआईसी द्वारा 2482 एमएसएमई इकाइयों को कच्चा माल सहायता (आरएमए) के अंतर्गत 8479.91 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 7586 करोड़ रुपये) की ऋण सहायता दी गई।

(ii) fcy fMLdkmfVax ;kstuk

इस योजना में वास्तविक व्यापार लेनदेन यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा प्रतिष्ठित सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और राज्य और केंद्र सरकार को की गई आपूर्ति से उत्पन्न बिलों में छूट शामिल है। विनिर्माण/सेवा गतिविधियों में लगे विभाग/उपक्रम/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां (व्यापारी नहीं)।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, एनएसआईसी द्वारा 18 एमएसएमई इकाइयों को कुल 41.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष – 40.56 करोड़ रुपये) के बिलों में छूट दी गई।

(iii) cSd xBtksM+ ds ek/;e ls _.k lqfo/kk

एमएसएमई इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनएसआईसी ने कई राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन बैंकों के साथ सहयोग करके, एनएसआईसी एमएसएमई को निधि–आधारित और गैर–निधि–आधारित दोनों सीमाओं सहित ऋण सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। एनएसआईसी एमएसएमई को उनके ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक दस्तावेज पूरा करने में सहायता करता है और पूरी प्रक्रिया के दौरान बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी करता है। ये सहायता सेवाएँ एनएसआईसी द्वारा एमएसएमई को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 5 बैंकों (करूर वैश्य बैंक, साउथ इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और केनरा बैंक) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए, बैंक गठजोड़ के तहत कुल 631.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जो 513.97 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन लक्ष्य से अधिक है।

एनएसआईसी की क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत आईसीआईसीआई, करूर वैश्य बैंक, साउथ इंडियन बैंक वगैरह जैसे अलग–अलग बैंकों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए गए।

V. ,u,lvkbZlh rduhdh lsok dsUæ ¼,uVh,lhlh½

देश में एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र (एनटीएससी) की स्थापना प्रशिक्षुओं को लाभकारी रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने हेतु पारंपरिक से लेकर

उच्च–कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने हेतु की गई थी। ये केंद्र एमएसएमई को प्रदान की जाने वाली जॉब वर्क और परीक्षण सेवाओं के लिए उन्नत सामान्य सुविधा सेवाओं से भी सुसज्जित हैं।

एनटीएससी विभिन्न उद्योग–केंद्रित मांग–आधारित कौशल/उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करते हैं। ईएसडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताएँ स्व–रोजगार सृजन और कौशल विकास हैं, जो पहली पीढ़ी के उद्यमियों को उद्यम निर्माण के लिए कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं और व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के माध्यम से एकीकृत सहायता प्रदान करते हैं। कौशल/उद्यमिता विकास पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, प्रशिक्षु छोटे उद्यम शुरू कर सकते हैं और दूसरों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं।

चूँकि एमएसएमई विभिन्न उद्योगों को सेवाएँ प्रदान करते हैं, इसलिए उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का स्थायित्व और विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करें। एनएसआईसी, एनएबीएल/बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त अपनी प्रतिष्ठित परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से, एमएसएमई को गुणवत्ता नियंत्रण एवं आश्वासन, ऊर्जा लेखा परीक्षा आदि के लिए सामग्री और उत्पाद परीक्षण सेवाएँ प्रदान करता है। इस प्रकार, उनके व्यवसाय की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है। एनटीएससी, रसायन, सामग्री, विद्युत, मोटर एवं पंप, धातुकर्म आदि क्षेत्रों में निष्पादन एवं स्वीकृति परीक्षण करने के लिए उन्नत स्वदेशी उपकरणों से सुसज्जित हैं। एनटीएससी, टूल–रूम की विभिन्न मशीनों और सीएनसी, ईडीएम वायर कट, सीएमएम आदि सहित अन्य उच्च तकनीक वाली मशीनों पर जॉब वर्क के लिए एमएसएमई को सामान्य सुविधा सेवाएँ भी प्रदान करते हैं।

देश में जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने और 'रोजगार सृजन'/'बेरोजगारी' के मुद्दों का समाधान करने के लिए, एनएसआईसी अपने इनक्यूबेशन केंद्रो/एलबीआई के माध्यम से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस पहल के माध्यम से, एनएसआईसी ने देश के युवाओं के साथ जुड़ने के अवसर पैदा किए हैं, ताकि अपने इन्क्यूबेशन केंद्रों में संरचित प्रशिक्षण प्रदान करके उनमें उद्यमशीलता कौशल विकसित किया जा सके।

foÙkh; o"kZ 2024&25 dk nkjku miyfC/k;k¡:

(i) प्रशिक्षण (कौशल एवं उद्यमिता): वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, तकनीकी केंद्रों से कुल 79,295 प्रशिक्षु (पिछले वर्ष 66,765 प्रशिक्षु) उत्तीर्ण हुए, जो अब तक की सर्वोच्च उपलब्धि है।

(ii) सामान्य सुविधा सेवाएँ (सीएफएस): वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, तकनीकी केंद्रों पर सीएफएस के अंतर्गत कुल 20,640 एमएसएमई इकाइयों (पिछले वर्ष 15,891) को सेवाएँ प्रदान की गईं।

स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, एमएसएमई के माननीय मंत्री, श्री जीतन राम मांझी, और राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करंदलाजे ने नई दिल्ली के ओखला में एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र (एनटीएससी) में नए ट्रेनिंग बैच लॉन्च किए। इस इवेंट में श्री एससीएल दास, सचिव (एमएसएमई), श्रीमती मर्सी एपाओ, संयुक्त सचिव–एसएमई, डॉ. सिम्मी चौधरी (EA– संयुक्त सचिव), डॉ. एसएस आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी, श्री कार्तिकेय सिन्हा, निदेशक (योजना एवं विपणन), एनएसआईसी, श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त), एनएसआईसी और श्री सरवण कुमार, निदेशक और सीईओ (एनवीसीएफएल) मौजूद थे।

(iii) प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट सहायता: वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, एनएसआईसी ने प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट में सहायता के लिए 35 जॉब फेयर आयोजित किए, जिनमें कुल 278 कंपनियों ने भाग लिया और जॉब इंटरव्यू में उपस्थित 7335 प्रशिक्षुओं में से 2982 उम्मीदवारों (पिछले वर्ष 2524) का चयन मेले के दौरान किया गया।

(iv) एनटीएससी–चेन्नई में टूल रूम का उन्नयन: विनिर्माण उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयों की मशीनिंग और जॉब वर्क की आवश्यकताओं को पूरा करने और डिजाइन इंजीनियरिंग, मॉडल के डिजिटल प्रोटोटाइपिंग की उनकी सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एनटीएससी – चेन्नई में नवीनतम उच्च तकनीक मशीनों के साथ एक आधुनिक टूल रूम स्थापित किया गया है। इस सुविधा का उपयोग मूलभूत मशीन शॉप तकनीशियन ट्रेडों में शॉप फ्लोर ऑपरेटरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा। सुविधा में शामिल हैं (i) डिजाइन–टूल्स, जिग्स, फिक्सचर, डिजाइन, सिमुलेशन के साथ सीएडी/सीएएम, (ii) प्रशिक्षण और कौशल विकास – सीएडी–सीएएम और सीएनसी प्रोग्रामिंग के साथ हाई टेक टूल रूम और (iii) 2डी और 3डी निरीक्षण सुविधा और मशीनिंग और जॉब वर्क।

(v) एनटीएससी द्वारा शुरू किए गए नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम: 2024–25 की अवधि के दौरान, एनटीएससी ने कई नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं, जैसे क्लाउड में स्नोफ्लेक डेटाबेस, जेनरेटिव एआई, डीप–सीक, चौट–जीपीटी 4.0, जेमिनी 2.0, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ईवी टेक्नोलॉजी, 3डी प्रिंटिंग, आईओटी, डेटा एनालिस्ट, पावर बीआई सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर विजन तकनीक, एआई मॉडल डेवलपमेंट, वीएलएसआई डिजाइन और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, आदि।

ओखला (नई दिल्ली), राजकोट (गुजरात) और नीमका (हरियाणा) स्थित एनएसआईसी प्रशिक्षण केंद्र म्यांमार के प्रशिक्षुओं के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

VI. fMftVy lsok lfo/kk ¼,e,l,eb Xykcy ekVZ½

एमएसएमई ग्लोबल मार्ट (www.msmemart.com) एक वैश्विक बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) पोर्टल है जो एमएसएमई को ऑनलाइन मार्केटिंग सहायता प्रदान करता है और देश भर में तथा विदेशों में एक मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करता है। यह दृश्यता, खोज क्षमता में वृद्धि और खरीदारों व आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन अपना व्यवसाय बढ़ाने और प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'मेक इन इंडिया' के विजन को साकार करने में योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

एमएसएमईमार्ट पूरे व्यावसायिक चक्र में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए "मूल्य वर्धित सेवाएं" प्रदान करने पर भी केंद्रित है। एमएसएमई मार्ट पोर्टल की कुछ प्रमुख विशेषताएँ और लाभ हैं; मिनटों में डिजिटल उपस्थिति का निर्माण, 24X7 उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन, सदस्यों का होमपेज, विशेष उत्पाद सूची, अनुबंध पुरस्कार (एओसी) सूचना, एमएसएमई के उत्पादों और सेवाओं/स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट्स के लिए विज्ञापन समाधान, एमएसएमई डिजिटल समाधानों पर विशेष ऑफर आदि।

बी2बी पोर्टल– एमएसएमई ग्लोबल मार्ट अपनी वर्तमान स्थिति में मुख्य रूप से कारीगरों, नैनो और सूक्ष्म उद्यमों को सेवा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य उन्हें ऑनलाइन लाकर और संभावित खरीदारों के लिए उन्हें अधिक दृश्यमान और खोज योग्य बनाकर बाजार तक पहुँच को सुगम बनाना है। एक उत्प्रेरक उपाय के रूप में, भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय राष्ट्रीय एससी/एसटी हब योजना के अंतर्गत एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल की सदस्यता को 80% तक प्रोत्साहित कर रहा है और खरीद एवं विपणन योजना के अंतर्गत सभी सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 25,000 रुपये (लागू करों को छोड़कर) तक 75% वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि बाजार तक उनकी पहुँच का विस्तार करने के लिए डिजिटल वाणिज्य तक उनकी पहुँच को बढ़ावा दिया जा सके।

u;k 0;kolkf;d {k= & vkblhVh lsok fMftVy lsok ¼,uch&vkblhVh ¼Mh,l½

एमएसएमई को प्रौद्योगिकी अपनाने में सुविधा प्रदान करने और उच्च व्यावसायिक दक्षता, व्यावसायिक स्वचालन और अनुपालन प्राप्त करने के लिए, एनएसआईसी ने एमएसएमई को पारदर्शी और किफायती कीमतों पर आईसीटी सक्षम डिजिटल सेवाएँ प्रदान करना शुरू किया है। इसके लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है जो एमएसएमई को अपने व्यवसाय के प्रबंधन के लिए डिजिटल तरीके अपनाने हेतु आवश्यक विभिन्न उत्पादध्सेवाएँ प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत, एनएसआईसी और डीएंडबी ने एमएसएमई को और अधिक डिजिटल समाधान प्रदान करने हेतु अपने समझौता ज्ञापन को 5 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय के विस्तार के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2024–25 के दौरान, बी2बी पोर्टल के अंतर्गत 9524 इकाइयाँ पंजीकृत की गईं और एमएसएमई ग्लोबल मार्ट से कुल 5.02 करोड़ रुपये और (नया व्यावसायिक क्षेत्र–आईसीटी डिजिटल सेवाएँ) से 0.08 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

उल्लेखनीय है कि कुल 30,50,120 इकाइयाँ पंजीकृत की गईं। एमएसएमई ग्लोबल मार्ट के माध्यम से 2,30,029 करोड़ रुपये की निविदा जानकारी प्रसारित की गई, जिससे सार्वजनिक खरीद में सुविधा हुई।

5½ ljdkjh ;kstukvksa dk dk;kZUo;u

कंपनी भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित योजना का कार्यान्वयन कर रही है:

I. jk"Vªh; vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr gc ¼,u,l,l,p½ ;kstuk] एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसकी स्थापना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के तहत दायित्वों को पूरा करने हेतु पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2024–2025 के दौरान, एनएसएसएच के विभिन्न हस्तक्षेप इस प्रकार हैं:

d fo'k"k _.k fyDM ith lfCsMh ;kstuk ¼,llh,ylh,l,l½:

- एमएसएमई मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, एनएसएसएच की विशेष ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस) के अंतर्गत 608 एससी/एसटी एमएसई को 68.25 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।
- कुल 190 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एमएसई को परीक्षण शुल्क, पीबीजी पर बैंक शुल्क, बैंक ऋण पर प्रसंस्करण शुल्क, ईपीसी की सदस्यता शुल्क और शीर्ष 50 एनआईआरएफ रेटेड प्रबंधन संस्थानों में अल्पकालिक प्रशिक्षण की प्रतिपूर्ति के रूप में सब्सिडी प्रदान की गई।

[k- {kerk fuekZ.k:

- पूरे भारत में विभिन्न सरकारी/स्वायत्त संस्थानों के माध्यम से 1256 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कौशल और उद्यमिता विकास के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

x- lkoZtfud [kjhn esa Hkkxhnkjh ds fy, lfo/kk%

- सरकारी खरीद प्रक्रिया में भागीदारी के लिए एससी–एसटी उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कार्यालयों (एनएसएसएचओ) द्वारा कुल 65 ई–टेंडरिंग प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 1846 एससी/एसटी उम्मीदवारों ने भाग लिया।
- एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) के अंतर्गत 575 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को पंजीकरण हेतु सब्सिडी प्रदान की गई है।
- देश भर में स्थापित 15 एनएसएसएच कार्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई। इन एनएसएसएचओ के माध्यम से, 16.19 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी निविदाओं में भागीदारी को सुगम बनाया गया, जिसके अंतर्गत वित्त वर्ष 24–25 के दौरान 2.68 करोड़ रुपये मूल्य के ऑर्डर प्रदान किए गए।

?k- ckt+kj fyadst%

- कुल 112 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (एसवीडीपी) आयोजित किए गए, जिनमें कुल 4538 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों ने भाग लिया।
- एनएसएसएच के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) के नामांकन शुल्क हेतु 1210 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मार्च तक की सब्सिडी प्रदान की गई है।

M- _.k lfo/kk:

- एससी–एसटी उद्यमियों द्वारा 741 इकाइयों के लिए 3.61 करोड़ रुपये मूल्य के ऋण सुविधा प्रस्ताव विभिन्न वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत किए गए और 244 इकाइयों के लिए 1.58 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

p- vkmVjhp dk;ZØe:

- लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए, एनएसएसएच कार्यालयों द्वारा 114 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 4528 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों ने भाग लिया।
- अक्टूबर माह में मोगा, लुधियाना में एक सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें कुल 513 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों ने भाग लिया।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजना के विभिन्न घटकों से कुल 569 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

II. ih,e fo'odekZ ;kstuk

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देने के लिए शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले पारंपरिक कौशल को मजबूत करना और

उनका पोषण करना है, जिसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करके उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है। इस योजना के तहत अनुमानित 30 लाख लाभार्थियों को टूलकि ट प्रदान किए जाने हैं। निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त विक्रेताओं के चयन के लिए एनएसआईसी एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है।

इस योजना के अंतर्गत, सभी 18 ट्रेडों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और सीपीपी/जैम पोर्टल के माध्यम से पीएमवी योजना के अंतर्गत सभी 18 ट्रेडों के लिए चयनित विक्रेताओं को एलओए जारी कर दिए गए हैं।

पीएमवी पोर्टल पर उपलब्ध दिनांक 03.07.2025 के नवीनतम आंकड़ों/रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय डाक द्वारा लाभार्थियों को 3,93,183 टूलकिट वितरित किए गए हैं और 6,78,299 टूलकिट निरीक्षण के लिए राइट्स को प्रस्तुत किए गए हैं।

III. 0;kikj l{kerk ,oa foi.ku ¼Vheh½ igy

एमएसएमई दिवस 2024 के उपलक्ष्य में, माननीय केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने 27 जून, 2024 को व्यापार सक्षमता एवं विपणन (टीम) पहल का शुभारंभ किया। विश्व बैंक समर्थित रैम्प कार्यक्रम के अंतर्गत यह पहल एमएसई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए) को नए बाजारों तक पहुँचने, अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने और सरकार समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के माध्यम से आय बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। इसके लिए एनएसआईसी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है।

एनएसआईसी ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ एक एमओयू किया है। इसका मकसद माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को डिजिटल मार्केटप्लेस तक बेमिसाल एक्सेस देना है। इससे वे अपनी पहुंच बढ़ा सकेंगे, मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ा सकेंगे और टीम पहल के तहत लगातार ग्रोथ कर सकेंगे।

टीम पहल एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका कुल परिव्यय 3 वर्षों (2024–25 से 2026–27) के लिए 277.35 करोड़ रुपये है। टीम पहल के क्रियान्वयन हेतु, एनएसआईसी ने 27 जून, 2024 को ओएनडीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सहयोग हेतु एक रूपरेखा स्थापित करना है, जिसका समग्र उद्देश्य एमएसई को सरकार के खुले ई–कॉमर्स नेटवर्क में एकीकृत करना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को डिजिटल बाजार तक अद्वितीय पहुँच प्रदान करना, जिससे वे अपनी पहुँच का विस्तार कर सकें, अपनी बाजार उपस्थिति बढ़ा सकें और सतत विकास को गति दे सकें। इस योजना के अंतर्गत लक्षित लाभार्थी 5 लाख एमएसई हैं, जिनमें से 50: महिला स्वामित्व वाले एमएसई होंगे।

6½ varjjk"Vªh; lg;kx

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के एमएसएमई के बीच अन्य देशों के उद्यमों के साथ तकनीकी या व्यावसायिक गठबंधन विकसित करने के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में की गई पहल इस प्रकार हैं:

I. le>kSrk Kkiu ij gLrk{kj

- ,e,l,eb Mh,] fel% डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एनएसआईसी) ने 12 दिसंबर 2024 को काहिरा, मिस्र में आयोजित 'तुरत्ना हस्तशिल्प प्रदर्शनी' में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास एजेंसी (एमएसएमईडीए), मिस्र के सीईओ श्री बासेल रहमी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मिस्र के माननीय प्रधानमंत्री श्री मुस्तफा कमाल मदबौली ने किया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एमएसएमई को बढ़ावा देना, इनक्यूबेटरों की क्षमता निर्माण और भारत तथा मिस्र के एमएसएमई के बीच व्यावसायिक संबंध स्थापित करना तथा एमएसएमई क्षेत्र में भारत और मिस्र के बीच वाणिज्यिक एवं तकनीकी सहयोग को बेहतर बनाना है।
- vkbZVhvkjvkbZ] rkbokuZ% एनएसआईसी ने 2 अक्टूबर 2024 को ताइपे में आयोजित तीसरी भारत–ताइवान एसएमई संयुक्त कार्य समूह बैठक में ताइवान के औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (आईटीआरआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन एमएसएमई मंत्रालय के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा के दौरान हुआ। यह समझौता ज्ञापन स्मार्ट प्रौद्योगिकियों में एमएसएमई क्षमता निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें बुद्धि

मान मशीनरी, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, उत्पाद डिजाइन और डिजिटल कारखाना प्रबंधन शामिल हैं।

- fe|V] rkftfdLrku% डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य, सीएमडी (एनएसआईसी) ने 29 अक्टूबर 2024 को ताजिकिस्तान गणराज्य के उद्योग और नवीन प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईएनटी) के मंत्री, महामहिम श्री शेरअली कबीर के साथ दुशांबे, ताजिकिस्तान में एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और आदान–प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के क्षेत्र में भारत और ताजिकिस्तान के बीच आर्थिक और व्यावसायिक सहयोग को बेहतर बनाने और वैश्विक बाजार में भारतीय और ताजिक एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर केंद्रित है।

एनएसआईसी ने एमएसएमई सेक्टर में सहयोग के लिए ताजिकिस्तान के उद्योग और नई टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया

काहिरा, मिस्र में तुरतना हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह के दौरान एनएसआईसी और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एजेंसी (एमएसएमईडीए), मिस्र के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।

II. vUrjkZ"Vªh; çf'k{k.k% E;kekj

एनएसआईसी ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत, एनएसआईसी के तकनीकी सेवा केंद्रों के माध्यम से, म्यांमार के उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए सीएनसी प्रोग्रामिंग एवं संचालन और मेक्ट्रोनिक्स पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सफल समापन के बाद, एनएसआईसी ने क्रमशः 13 फरवरी 2025 और 18 मार्च 2025 को ऑनलाइन समापन सत्र आयोजित किए, जिसके दौरान प्रशिक्षुओं को ई–प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

III. Hkkfrd ch2ch cBd%

Lykokd x.kjkT;% एनएसआईसी ने नई दिल्ली स्थित स्लोवाक गणराज्य के दूतावास के सहयोग से 19 फरवरी 2025 और 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में स्लोवाक व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के साथ भारतीय एमएसएमई की बी2बी बैठकों का आयोजन किया। भारतीय एमएसएमई को व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए साइबर सुरक्षा, प्रकाश इंजीनियरिंग, सौर ऊर्जा, निर्माण आदि जैसे विविध क्षेत्रों के स्लोवाक उद्यमों के साथ नेटवर्क बनाने का अवसर दिया गया।

IV. opkvy ch2ch cBd%

- :fl;k% एनएसआईसी ने अपने समकक्ष संगठन, रूस के आरएसएमबी कॉर्पोरेशन के सहयोग से, 29 मई 2024 को भारतीय उद्यम और ऑटोमोटिव उद्योग के रूसी क्लस्टर के साथ एक वर्चुअल बी2बी बैठक आयोजित की, जिससे उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) हीटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट (पीटीसी) हीटर के विकास हेतु सहयोग के अवसरों का पता लगाने में सुविधा हुई।
- rkboku% एनएसआईसी ने अपने समकक्ष संगठन, ताइवान के औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (आईटीआरआई) के सहयोग से, जुलाई और अगस्त 2024 के महीने में 04 भारतीय उद्यमों और 08 ताइवानी उद्यमों के बीच वर्चुअल बी2बी बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों का प्राथमिक उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र में उन्नत तकनीकों पर विशेष जोर देते हुए, संभावित सहयोग के अवसरों और संयुक्त उद्यम व्यवस्थाओं का पता लगाना था।

V. vUrjkZ"Vªh; çn'kZfu;ksa esa ,e,l,eb dh Hkkxhnkjh

- fo;rue% एनएसआईसी के निदेशक (योजना एवं विपणन) श्री कार्तिकेय सिन्हा ने वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में 8–10 अगस्त 2024 तक आयोजित वियतफूड एंड बेवरेज–प्रोपैक 2024 में भाग लेने के लिए खाद्य क्षेत्र से भारतीय एमएसएमई के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य खाद्य क्षेत्र के भारतीय एमएसएमई को वियतनाम में व्यावसायिक अवसरों से परिचित कराना

था।

- FkkbyaM: निदेशक (वित्त) श्री गौरव गुलाटी ने 20–23 नवंबर 2024 तक बैंकॉक, थाईलैंड में मशीन टूल्स और धातुकर्म प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, मेटलेक्स 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय एमएसएमई के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य भारतीय एमएसएमई को थाईलैंड में व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने और मशीन टूल्स एवं धातुकर्म उद्योग में नई तकनीकों और नवीनतम रुझानों को देखने का अवसर प्रदान करना था।

- teuh: एनएसआईसी ने 31 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक जर्मनी के हनोवर में आयोजित हनोवर मेस्से 2025 में भारतीय एमएसएमई की भागीदारी को सुगम बनाया। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग–ऑटोमेशन, मोशन एंड ड्राइव्स, इंजीनियर्ड पार्ट्स एंड सॉल्यूशंस आदि क्षेत्रों के भारतीय एमएसएमई ने इस मेले में भाग लिया।

VI. vUrjk"Vªh; çfrfuf/keMy dk ,u,lvkblh nkjk

- rkboku: औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (आईटीआरआई) – ताइवान के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने, सुश्री चिन–एन वांग, व्यवसाय निदेशक (आईटीआरआई) के नेतृत्व में, ऑटोमोटिव कंपोनेंट क्षेत्र में भारतीय और ताइवानी एसएमई के बीच संभावित सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए 8 जुलाई 2024 को एनएसआईसी कॉर्पोरेट कार्यालय का दौरा किया।

- flaxkiqj: सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक बोर्ड, एंटरप्राइजेज सिंगापुर (ईएसजी), भारत–उत्तर और बांग्लादेश की क्षेत्रीय निदेशक सुश्री ली यूमिन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएमई क्षेत्र में एनएसआईसी के साथ सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए 12 अगस्त 2024 को एनएसआईसी का दौरा किया।

- cfdqdk Qkl: लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण एवं संवर्धन एजेंसी (एएफपीएसएमई), बुर्किना फासो के एक प्रतिनिधिमंडल ने 21 अगस्त 2024 को एनटीएससी, नई दिल्ली स्थित एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर और उन्नत प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में श्री इस्सा ट्रोरे, महानिदेशक (एसएमई के वित्तपोषण के लिए एजेंसी), श्री माम्बिला बंसे, महानिदेशक (निवेश को बढ़ावा देने के लिए एजेंसी) और श्री करीम औतारा, महानिदेशक (उद्यमिता विकास संगठन) शामिल थे।

  डिजिटल संक्रमण, डाक और इलेक्ट्रॉनिक संचार मंत्री श्रीमती अमिनाता जेरबो सबाने के नेतृत्व में बुर्किना फासो के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने 18 अक्टूबर 2024 को एनटीएससी, नई दिल्ली स्थित एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेशन और उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा किया।

- ckRlokuk: 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित एनएसआईसी के कॉर्पोरेट कार्यालय में गैबोरोन, बोत्सवाना में भारत के उच्चायुक्त श्री भरत कुमार कुथाती और एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य के बीच बैठक हुई। चर्चा एनएसआईसी की गतिविधियों और उन क्षेत्रों पर केंद्रित रही जहाँ एनएसआईसी एमएसएमई के विकास के लिए अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर सकता है।

- ,f'k;kbZ mRikndrk lxBu] rkboku: एशियाई उत्पादकता संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों और नेट–जीरो भविष्य के निर्माण हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर चर्चा करने के लिए 30 सितंबर 2024 को एनएसआईसी का दौरा किया।

- dkaxks ykdrkf=d x.kjkT;: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के दूतावास में प्रभारी सुश्री जोजो बिंती जोसेफिन ने उद्यम निर्माण, कौशल निर्माण, इनक्यूबेशन और उद्यमिता विकास में सहयोग पर चर्चा करने के लिए 9 अक्टूबर 2024 को एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने ओखला में एनएसआईसी के रैपिड इनक्यूबेशन और उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों का भी दौरा किया।

  कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राष्ट्रीय उद्यमिता विकास एजेंसी (एएनएडीईसी) का एक अन्य प्रतिनिधिमंडल, जिसमें इनक्यूबेटर परिनियोजन प्रमुख श्री फुआती न्गिम्बी गेब्रियल और भारत में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के दूतावास की प्रभारी सुश्री जोजो बिंती जोसेफिन शामिल थीं, ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एमएसएमई के विकास के लिए एनएसआईसी के साथ सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा के लिए 21 नवंबर 2024 को एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. एस.एस. आचार्य से मुलाकात की।

- nf{k.k vÝhdk: लघु व्यवसाय विकास उप मंत्री के कार्यालय की प्रमुख सुश्री विसर के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनएसआईसी और दक्षिण अफ्रीका के बीच एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए 29 नवंबर 2024 को एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य से मुलाकात की।

- **Lykokd x.kjkT;:** भारत में स्लोवाक गणराज्य के असाधारण एवं पूर्णाधिकारी राजदूत, महामहिम श्री रॉबर्ट मैक्सियन, स्लोवाक दूतावास, नई दिल्ली की व्यापार आयुक्त, सुश्री सिमोना नोवोसादोवा के साथ, एनएसआईसी का दौरा किया और एनएसआईसी तथा स्लोवाकिया के बीच एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए 22 जनवरी 2025 को एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली के ओखला स्थित एनएसआईसी उन्नत प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया।
- **rkftfdLrku:** ताजिकिस्तान के उद्योग एवं नवीन प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईएनटी) के प्रकाश उद्योग एवं रेशम उत्पादन विभाग के प्रमुख श्री अकमल शारिपोव के नेतृत्व में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने एनएसआईसी और एमआईएनटी, ताजिकिस्तान के बीच एमएसएमई क्षेत्र में संभावित सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 14 फरवरी 2025 को एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने ओखला स्थित एनएसआईसी के आजीविका इनक्यूबेशन केंद्र और उन्नत प्रशिक्षण केंद्र का भी दौरा किया। इसके अतिरिक्त, एनएसआईसी ने प्रतिनिधिमंडल के लिए उद्योग भ्रमण का आयोजन किया।

VII. dk;Øe ,oa f'k[kj lEeyu

- **19ok lhvkbvkbZ Hkkjr&vÝhdk 0;kikj lEeyu:** एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य ने 22 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 19वें सीआईआई भारत–अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के दौरान 'सतत मानव पूंजी विकास के लिए अफ्रीका में रोजगार सृजन' विषय पर सत्र को संबोधित किया। इस सम्मेलन में 47 से अधिक अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें सरकारी और व्यावसायिक क्षेत्रों के लगभग 650 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय उद्योग जगत के 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- **ohlh lfdy fyfeVM ikVuZlfeV 2024:** एनएसआईसी के सीएमडी डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य ने 30 सितंबर 2024 को दुबई में आयोजित 'वीसी सर्किल लिमिटेड पार्टनर्स समिट 2024 – उद्घाटन संस्करण' में मुख्य वक्ता के रूप में श्रोताओं को संबोधित किया। उन्होंने 'भारत के वैकल्पिक परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना और त्वरण' विषय पर विचार–विमर्श किया।

VIII. led{k lxBuksa dk lkFk opZvy cSBdsa

वर्ष के दौरान, एमएसएमई के विकास हेतु सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने हेतु आयरलैंड, पोलैंड, केन्या, मलेशिया, विश्व बैंक आदि सहित विभिन्न देशों के समकक्ष संगठनों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की गईं।

7½ lpuk çkS|ksfxdh

एनएसआईसी एमएसएमई को सहायता प्रदान करने वाला एक प्रमुख संगठन है। एनएसआईसी विभिन्न नई पहलों और प्रगतिशील सुधारों के माध्यम से अपने आईटी बुनियादी ढांचे को नया रूप देने की प्रक्रिया में है। कंपनी न केवल अपने व्यावसायिक संचालन में वृद्धि के लिए, बल्कि पारदर्शिता बनाए रखते हुए सुरक्षित वातावरण में डिजिटल तकनीक की शक्ति का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही है।

एनबीएफसी संचालन के लिए वेब–आधारित कोर वित्तीय सेवा समाधान के विकास हेतु कार्य आदेश प्रदान करना और एनएसआईसी के अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण, एनएसआईसी के लिए पीएम विश्वकर्मा टूलकिट वितरण हेतु आंतरिक डैशबोर्ड का कार्यान्वयन, संबंधित कर्मचारी के वास्तविक समय विवरण देखने के लिए कर्मचारी ऑनबोर्डिंग की सुविधा के साथ संपूर्ण लेखांकन और रिकॉर्ड रखने के लिए एनएसआईसी ईपीएफ ट्रस्ट के लिए नया वेब पोर्टल, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर टीम पोर्टल का शुभारंभ, ई–ऑफिस पैन इंडिया का कार्यान्वयन, क्लाउड पर टैली का केंद्रीकरण, ऑनलाइन प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली का कार्यान्वयन, एनएसआईसी के अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान करने की नीति आदि परिचालन और वित्तीय दक्षता बढ़ाने के लिए कई पहल की गईं।

एनएसआईसी की एक द्विभाषी वेबसाइट है, जिस पर 'भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश' के अनुसार अद्यतन जानकारी उपलब्ध है।

8½ iokZUkj {ks= ¼,ubZvkj½ esa ,u,lvkbZlh dh lsok,a

एनएसआईसी (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की हैं:–

i) एनएसएसएचओ, गुवाहाटी ने विभिन्न सीपीएसई के साथ 13 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जैसे: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)य पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाय ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर्स लिमिटेड (बीसीपीएल) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी); राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी); ग्रिड इंडिया लिमिटेडय नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) इस कार्यक्रम में कुल 502 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों और

उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक प्रायोजन कार्यक्रम के तहत 25 उम्मीदवारों को सजावटी मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया।

ii) एनएसएसएचओ गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर के विभिन्न स्थानों पर 12 विशेष जागरूकता कार्यक्रम और 12 ई–टेंडरिंग प्रशिक्षण आयोजित किए, जिनमें कुल 1021 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों और उम्मीदवारों ने भाग लिया।

iii) एटीआई के अंतर्गत एनएसआईसी–टीआईसी गुवाहाटी ने विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण आयोजित किया, जैसे: ब्यूटीशियन; मोमबत्ती बनाना; कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिक; खाद्य प्रसंस्करण; कोकून ज्वेलरी; फैशन डिजाइनिंग, जिसमें एनएसआईसी–टीआईसी गुवाहाटी और एनएसआईसी इम्फाल, मणिपुर में कुल 709 प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए।

iv) त्रिपुरा सरकार के अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रायोजन के अंतर्गत, त्रिपुरा के विभिन्न जिलों में त्रिपुरा के 130 उत्तीर्ण छात्रों के साथ कंस्ट्रक्शन फिटर; ग्राइंडर; प्लंबर; रिगर और वेल्डर जैसे विभिन्न ट्रेडों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

पूर्वोत्तर के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण सह इन्क्यूबेशन केंद्र (गुवाहाटी) द्वारा 31 मार्च 2025 तक विभिन्न ट्रेडों के अंतर्गत 864 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

9½ ,evk;q çn'kZu

आपकी कंपनी और उसके प्रशासनिक मंत्रालय यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच हर साल एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। एनएसआईसी ने वर्ष 2023–24 के लिए ''उत्कृष्ट'' रेटिंग हासिल की है।

10½ okf"kZd leh{kk lEesyu&2024

वर्ष के दौरान, मुन्नार (केरल) में 26 मई, 2024 से 30 मई, 2024 तक वार्षिक रणनीति बैठक–2024 (एएसएम 2024) का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एमएसएमई सचिव ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया और प्रतिभागियों को संबोधित किया तथा एनएसआईसी के प्रदर्शन की सराहना की। साथ ही, एमएसएमई क्षेत्र के विकास और निरंतर सेवा को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। एनएसआईसी के शीर्ष प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले वर्ष के प्रदर्शन की समीक्षा करने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए विचार–विमर्श किया। एनएसआईसी ने विभिन्न क्षेत्रों (एमएसएमई के लाभार्थ योजनाओं) के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए।

11½ ,u,lvkbZlh us ,e,l,eb mRd"Vrk iqjLdkj thrk

एनएसआईसी को प्रदर्शनी कार्यक्रमों को सुगम बनाने में योगदान के लिए शुक्रवार, 21 जून 2024 को मुंबई के सिडको कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ईईए 2024 के भव्य पुरस्कार

समारोह में एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

12½ ,u,lvkbZlh us varjkZ"Vªh; ;ksx fnol 2024 euk;k

एनएसआईसी ने 21 जून, 2024 को एनएसआईसी के एनटीएससी कॉम्प्लेक्स, ओखला, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। माननीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। माननीय मंत्री ने हमारे दैनिक जीवन में योग के महत्व पर जोर दिया और प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ नियमित रूप से योग का अभ्यास करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।

21 जून, 2024 को एनएसआईसी के एनटीएससी कॉम्प्लेक्स, ओखला, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। एमएसएमई के माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने इस इवेंट का उद्घाटन किया। इस इवेंट में एमएसएमई सचिव श्री एससीएल दास, सचिव (एमएसएमई) डॉ. रजनीश, एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य, एसएमई की संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी एपाओ, एआरआई के संयुक्त सचिव श्री विपुल गोयल और एएफआई के संयुक्त सचिव श्री अतीश कुमार के अलावा एमएसएमई मंत्रालय, एनएसआईसी और मंत्रालय से जुड़े दूसरे संस्थानों के दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे।

13½ ,u,lvkbZlh us jk"Vªh; [ksy fnol euk;k

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, एनएसआईसी ने हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह समारोह मनाया। एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. एस.

फिट इंडिया रन के मौके पर एनएसआईसी ने स्वच्छता फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन किया।

एस. आचार्य ने कर्मचारियों को "फिट इंडिया शपथ" दिलाकर और जीवन में खेलों के महत्व पर जोर देकर एनएसडी समारोह की शुरुआत की। एनएसआईसी के कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। एनएसआईसी के स्पोर्ट्स क्लब द्वारा टेनिस बॉल क्रिकेट, पुरुषों और महिलाओं के लिए 100 मीटर दौड़, लेमन रेस, रस्साकशी, बैडमिंटन आदि खेलों का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ खेलों में भाग लिया और पूरे दिन के कार्यक्रम का आनंद लिया।

14½ çc/ku ppk vkj fo'ys"k.k

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक अलग रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ "अनुलग्नक–ए" के रूप में संलग्न है।

15½ fuos'k

वर्ष 2024–2025 के दौरान, आपकी कंपनी ने एसआरआई फंड में 0.91 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किए गए निवेश का विवरण वर्ष 2024–2025 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के लेखा–टिप्पणियों के नोट 7 में दिया गया है।

16½ lkoZtfud tek

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने संबंधित संकल्प पारित किया है।

17½ deZpkfj;ksa dk çf'k{k.k

एनएसआईसी का मानना है कि प्रशिक्षण कर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे प्रदर्शन और दक्षता में वृद्धि होती है। एनएसआईसी का प्रशिक्षण प्रभाग केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति हेतु एनएसआईसी कर्मचारियों के व्यवहारिक, कार्यात्मक और तकनीकी कौशल में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

आंतरिक प्रशिक्षणों के अलावा, एनएसआईसी के अधिकारियों ने व्यावसायिक विकास के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों/विभागों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

एनएसआईसी ने वित्त वर्ष 2024–25 में अपने कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 8 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें आईएसओ आंतरिक लेखा परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 'सफलता में तेजी' "प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव" पर प्रेरक वार्ता, निवारक सतर्कता के प्रमुख पहलू, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, पीओएसएच अधिनियम 2013 पर जागरूकता सत्र, सीमाओं को तोड़ना' अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए नेतृत्व और विकास आदि सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया।

उपरोक्त के अलावा, पूरे भारत में 48 कर्मचारियों को विभिन्न संस्थानों और विभागों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी प्रतिनियुक्त किया गया। राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी–ईन), फोर्स प्रबंधन विद्यालय, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, लोक सेवा निकायों एवं व्यवसायों के लिए जनरेटिव एआई मास्टरक्लास, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) आदि।

इसके अलावा, एनएसआईसी ने अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को अनुसंधान, विकास एवं परामर्श (आरडीसी) योजना के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग (एओएल) के सहयोग से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा आयोजित व्यक्तिगत उत्कृष्टता हेतु दक्षता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल किया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वरिष्ठ अधिकारियों को एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) द्वारा आयोजित लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए डिजिटल नवाचार और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए डिजिटल काइजन पर विदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल किया गया। इन कार्यक्रमों ने प्रतिभागियों को नवीनतम तकनीकी रुझानों और उन्हें अपने क्षेत्र के लघु एवं मध्यम उद्यमों में कैसे लागू किया जा सकता है, इसकी जानकारी प्राप्त करने

में मदद की।

fofHkUu J.kh e çf'kf{kr dekpkfj;k dh l[;k-

क्र.सं.	वर्ग	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
1	क	388
2	ख	52
3	ग	35
4	घ	1
d y		476

18½ ekuo l lk/ku vkj ic/ku

i. 31 मार्च 2025 को कंपनी की कुल जनशक्ति 562 थी। जनशक्ति का विभाजन निम्न प्रकार था:

प्रबंधकीय	416
सुपरवाइजरी	78
गैर–पर्यवेक्षी	68 (अनुबंध पर 10 ईए सहित)
d y	562

ii. वर्ष 2024–25 के दौरान, विभिन्न एनएसआईसी कर्मचारी यूनियनों के साथ बहुत अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे गए। कोई गेट मीटिंग और हड़ताल नहीं हुई। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और यदि कोई हो तो उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए समय–समय पर यूनियनों के साथ बैठकें की

गईं। इसके परिणामस्वरूप, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए।

टीम भावना को बढ़ावा देने और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए एनएसआईसी और एमएसएमई मंत्रालय के बीच एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया।

iii. एनएसआईसी अपने कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का विस्तार करता है। इनमें गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम, संघबद्ध कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, कर्मचारी भविष्य निधि, परोपकारी निधि योजना, सेवारत कर्मचारियों के बच्चों के लिए एनएसआईसी छात्रवृत्ति योजना, एनएसआईसी पारिवारिक पेंशन योजना, सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु, एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र में मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अपनी पसंद के अनुसार मुफ्त प्रशिक्षण, कंपनी में 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उपहार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति पर उपहार, सेवा के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति आदि शामिल हैं। इसके अलावा, आईडीए कर्मचारियों के लिए एनएसआईसी कर्मचारी अधिवर्षिता पेंशन योजना भी लागू है।

iv. एनएसआईसी ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. vuqlfpr tkfr;k] vuqlfpr tutkfr;k] vU; fiNMk oxk] fodykx 0;fä;k vkj vYila[;dk dk çfrfuf/kRo

निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी आरक्षित श्रेणियों के संबंध में समय–समय पर जारी सरकारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पद–आधारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया जा रहा है, जिसका निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संपर्क अधिकारी द्वारा विधिवत निरीक्षण किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के तहत चयन में अंकों में छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को उचित माध्यम से बाहरी रोजगार के लिए आवेदन करने के अनगिनत अवसर दिए जाते हैं, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अलावा अन्य कर्मचारी बाहरी रोजगार के लिए केवल दो बार आवेदन कर सकते हैं। सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु में छूट सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार दी जाती है।

31 मार्च, 2025 तक निगम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

अनुसूचित जाति	93
अनुसूचित जनजाति	11
अल्पसंख्यक	55
अन्य पिछड़ा वर्ग	105
पीडब्ल्यूडी	21

31.03.2025 तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व 65 था (ग्रुप ए– 48 संख्या, ग्रुप बी– 09 संख्या, ग्रुप सी– 07 संख्या और ग्रुप डी– 01 संख्या जिसमें अनुबंध पर 02 शामिल हैं)।

19½ f'kdk;r fuokj.k r=

एनएसआईसी ने कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्र समाधान हेतु अखिल भारतीय स्तर पर शिकायत निवारण प्रक्रिया निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास एमएसएमई इकाइयों/हितधारकों की शिकायतों के समाधान हेतु एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली भी है। कंपनी ने निर्धारित समय–सीमा के भीतर शिकायतों के समाधान हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। कंपनी के संबंधित प्रभाग में शिकायतों का उचित दस्तावेजीकरण और शिकायत रजिस्टर का अद्यतनीकरण किया जाता है।

20½ ;kSu mRihMu fuokj.k uhfr

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है ताकि यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निवारण किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, आईसीसी एवं एनएसआईसी को यौन उत्पीड़न की पाँच शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटारा किया गया।

21½ dEipkfj;ksa dk fooj.k

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट प्राप्त है। इसलिए, ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

22½ lrdZrk xfrfof/k;k¡

एनएसआईसी ने 16 अगस्त, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह और 28 अक्टूबर, 2024 से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2024 मनाया है, जिसका विषय 'राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति' है।

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, कंपनी द्वारा 2024–25 की अवधि के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जैसे कि कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत नैतिकता एवं शासन, आचरण नियम, संगठन की प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ, साइबर स्वच्छता एवं सुरक्षा और खरीद विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा और संगठन के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा ली गई। जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ/गतिविधियाँ जैसे निबंध लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गईं। 7 नवंबर 2024 को एक जागरूकता एवं पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। इसकी

ईमानदारी के कल्चर को बढ़ावा देने के अपने कमिटमेंट के तहत, एनएसआईसी ने 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2024 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) द्वारा 'सतर्कता नियमावली' का प्रथम संस्करण जारी किया गया और कंपनी के इंट्रानेट पर भी अपलोड किया गया। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों की आसान और त्वरित सतर्कता मंजूरी के लिए और अधिक सुविधाएँ जोड़कर नोविका पोर्टल को उन्नत किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय और सीवीसी द्वारा निर्धारित अनुसार अचल संपत्ति विवरणी इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, सतर्कता प्रभाग ने सीवीसी और अन्य संदर्भों से प्राप्त अपनी सभी जाँचें, अनुशासनात्मक कार्यवाही/कार्रवाई और शिकायतें समय पर पूरी कर ली हैं और साथ ही मंत्रालय के साथ–साथ सीवीसी को अपनी मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक रिपोर्ट सूचना में सभी प्रासंगिक जानकारी समय पर प्रस्तुत कर दी है और अब तक कोई भी अवलोकन/टिप्पणी नहीं की है। सतर्कता गतिविधियों को सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार रोकथाम, पता लगाने और प्रवर्तन को शामिल करते हुए व्यापक रूप से क्रियान्वित किया गया।

23½ d,ikjV lkekftd mÙkjnkf;Ro igy

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को अपने सीएसआर बजट का 60% 'स्वास्थ्य एवं पोषण' विषय पर खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान, सामाजिक विकास के लिए जल स्वच्छता एवं सफाई, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के संवर्धन आदि क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहल की गई हैं। वर्ष 2024–25 के लिए स्वीकृत सीएसआर बजट 3.09 करोड़ रुपये था।

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप है, जैसा कि संशोधित किया गया है; और यह https://www.nsic.co.in/Corporate/CSRPolicy पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न स्वीकृत सीएसआर पहलों का विवरण इस प्रकार है: क) आकांक्षी जिले रांची और रामगढ़, झारखंड और हरिद्वार, उत्तराखंड के दूरदराज के गांवों में महिलाओं और बच्चों एससी/एसटी वर्ग के लिए नेत्र जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन और स्वास्थ्य जांच सह उपचार शिविर ख) नागपुर, महाराष्ट्र में 9 से 20 वर्ष की आयु के बीच की वंचित लड़कियों के लिए गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के टीकाकरण की पहल ग) कैंसर का मुकाबला: महिलाओं और पुरुषों का मौखिक और प्रजनन स्वास्थ्य घ) सूरत जिले गुजरात राज्य के मांडवी में गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स टॉयलेट के निर्माण का प्रस्ताव ङ) शास्त्र सोसाइटी में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की स्थापना च) रांची–जमशेदपुर (झारखंड) के आसपास के गांवों में 3 सरकारी स्कूलों में मिनी साइंस सेंटर की स्थापना छ) कौशल विकास प्रशिक्षण और सिलाई मशीन का वितरण ज) फेक जिले के थिपुजु गांव में सरकारी स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण। नागालैंड झ) बागबाजार, कोलकाता आदि में क्षय रोग का पता लगाने और उपचार के माध्यम से स्थानीय स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना।

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल पर एक अलग रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ "vuyXud&[k" के रूप में संलग्न है।

24½ y[kkijh{kd

i) vkarfjd y[kkijh{kd

एनएसआईसी के पास कंपनी की सभी लेखा इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक घरेलु आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के साथ–साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचीबद्ध सीए फर्मों से चुने गए लेखापरीक्षक हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी गई।

ii) lkafof/kd y[kkijh{kd

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स अपरा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपीए, सनदी लेखाकार कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने अपनी कोई शर्त आपत्ति, प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है, या अदाकरण नहीं किया है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्टें) इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

iii) lfpoky;h y[kkijh{kk

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मैसर्स वापन एण्ड एसोसिएटस व्यवसायी कंपनी के सचिवों को निगम की सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के ÞvuqyXud&xß के रूप में संलग्न है।

सूचित किया जाता है कि सचिवीय लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित उल्लेख किया है:–

कंपनी के बोर्ड में 22 दिसंबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 149(4) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है। इसके अलावा, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत बोर्ड की उप–समिति में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति भी आवश्यक है। हालाँकि, हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है और इस प्रकार अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। इसके अलावा, कंपनी अपने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अनुरोध के लिए निरंतर संपर्क में रही है ताकि अधिनियम की धारा 149(4) और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

iv) fu;a=d vkj egky[kkijh{kd }kjk y[kkijh{kk

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां बोर्ड की रिपोर्ट का भाग है।

25½ okf"kd fooj.kh

अधिनियम की धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दाखिल कर दिया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिटर्न का मसौदा कंपनी की वेबसाइट https://www.nsic.co.in/Corporate/AnnualReturns (अपलोड किया जाना है) पर उपलब्ध है। कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद, 31 मार्च, 2025 तक का वार्षिक रिटर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दाखिल किया जाएगा और उसी वेबलिंक पर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

26½ cksM d ç n'ku dk eY;kdu% आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बोर्ड/निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों से मुक्त है।

27½ vkarfjd foÙkh; fu;a=.k

कंपनी ने कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सहित अपने व्यवसाय के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है। आपकी कंपनी, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और अधिक मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और अन्य संगठनात्मक कार्यों के

स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए यह आश्वासन प्रदान करने हेतु कि वे प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं, सभी कार्यालयों का आंतरिक लेखा–परीक्षण नियमित रूप से सीए फर्मों द्वारा कार्य के विस्तृत दायरे के माध्यम से किया जाता है।

28½ jkt Hkk"kk

कंपनी में हिंदी के प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन तथा राजभाषा विभाग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना वर्ष 2024–25 के दौरान जारी रहा। इसके अलावा, हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विशेष क्रियाकलाप किए गए:

- कंपनी में 14 सितंबर 2024 को ''हिंदी दिवस'' मनाया गया, जिसमें मुख्यालय के विभागाध्यक्षों के साथ–साथ एनसीआर में स्थित उनके जोनल कार्यालयों के प्रमुखों ने भाग लिया। इस दिन माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री और अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के हिन्दी दिवस संदेश पढ़े गए।
- कंपनी में 14 सितंबर, 2024 से 29 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया और कंपनी में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को दिन–प्रति दिन के सरकारी कार्य में हिंदी के इस्तेमाल में वृद्धि करने के लिए उन्हें प्रेरित करना था।
- राजभाषा विभाग, (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2024–25 को निगम के सभी प्रभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया गया कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
- कंपनी के मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न प्रभागों के लिए राजभाषा वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन तैयार किया गया और उसे कार्यान्वित किया गया।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–2) दिल्ली के मार्गदर्शन में आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में कंपनी की ओर से अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया गया।
- 14–15 सितंबर, 2024 को भारतीय मंडपम में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कंपनी की ओर से 05 अधिकारियों को नामित किया गया।
- पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित कुल राशि में से 50 प्रतिशत से अधिक राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की गई।
- संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उप–समिति द्वारा 21 नवम्बर, 2024 को कंपनी के मुख्यालय का राजभाषा निरीक्षण सफलतापूर्वक किया गया तथा राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।
- कंपनी के कुछ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया।
- सितम्बर, 2024 में आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा एनएसआईसी के राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण

29½ lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

आरटीआई अधिनियम 2005 (संशोधित) के प्रावधानों के तहत, भारत का कोई भी नागरिक निर्धारित प्रपत्र में सूचना का अनुरोध कर सकता है, जिसे एनएसआईसी की वेबसाइट

से वेबलिंक अर्थात https://www.nsic.co.in/Corporate/RTI के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है या rtionline.gov.in ऑनलाइन के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, एनएसआईसी को आरटीआई के अंतर्गत 116 आवेदन प्राप्त हुए और पिछले वर्ष के 05 आवेदन लंबित थे, जिनमें से 31 मार्च 2025 तक 110 आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।

30½ Åtkl lj{k.k] çk|kfxdh vo'kk"k.k dk fooj.k

सेवा क्षेत्र में होने के कारण, एनएसआईसी के पास कोई विनिर्माण इकाई नहीं है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई विशिष्ट प्रस्तुतिकरण नहीं है। हालाँकि, भारत सरकार के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप, कार्यालय ने कई पहल कीं, जैसे ऊर्जा–कुशल एलईडी फिक्स्चर लगाना, जिससे बिजली की खपत कम हुई, कर्मचारियों को ऊर्जा–बचत के तरीके अपनाने के लिए जागरूक किया गया, जैसे कि सक्रिय उपयोग में न होने पर लाइट, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करना, एसी जैसे मानक ऊर्जा–कुशल उपकरण, वर्ष के दौरान खरीदे गए सभी नए विद्युत उपकरण ऊर्जा–दक्षता मानकों (बीईई 5–स्टार रेटेड) के अनुरूप हों, कार्यालयों में छत पर सौर ऊर्जा एकीकरण की संभावना तलाशने के लिए सौर ऊर्जा की व्यवहार्यता पर विचार किया गया।

gfjr Mhth lVª :ikrj.k igy: वर्ष के दौरान मौजूदा पारंपरिक डीजल जनरेटर ¼Mhth½ lVª dks jVªkfQVªM ,fe'ku dVªkyh fMokbl ¼vkjbZlhMh½ ;k ih,uth ¼ikbIM upyjy xSl½ rduhd ij vk/kkfjr gfjr Mhth lVª esa cnyus ds fy, 85-00 yk[k #i;s dk ctV çko/kku किया गया। इस पहल का उद्देश्य उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाना और स्वच्छ ईंधन विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देना है। Mhth lVª ds fy, ckrphr çfØ;k çfØ;k/khu gSA

एनएसआईसी स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाकर और ऊर्जा दक्षता में निरंतर सुधार के माध्यम से स्थिरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

31½ lgk;d dEiuh

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे एसआरआई निधि को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त, 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि एनवीसीएफएल की पहली योजना है।

एनवीसीएफएल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 ('विनियम') के तहत 1 सितंबर 2021 से अपनी पहली योजना आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि के लिए श्रेणी–।। वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है। एसआरआई निधि मदर/डॉटर निधियों का एक संयोजन है। भारत सरकार एकमात्र एंकर निवेशक है और चरणबद्ध तरीके से मदर फंड को 10,000 करोड़ की प्रारंभिक बजटीय सहायता प्रदान कर रही है।

31.03.2025 तक, योगदानकर्ताओं (एमएसएमई मंत्रालय और एनएसआईसी) द्वारा एसआरआई फंड के कोष में 1729 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया। कुल 63 सहायक निधियों को एसआरआई फंड (मदर निधि) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और इन सहायक निधियों ने 577 उच्च–संभावित एमएसएमई में 10,979 करोड़ रुपये का निवेश करके उनकी सहायता की है। इसमें से सहायक निधियों ने 31 मार्च, 2025 तक एसआरआई फंड से 1,269 करोड़ रुपये निकाले हैं, जबकि शेष 9,710 करोड़ रुपये विकास निधियों द्वारा अपने स्रोतों से निवेश किए गए हैं।

32½ lgk;d dEiuh ds foÙkh; fooj.k dh eq[; fo'ks"krkvksa lEc/kh fooj.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया है, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अर्थात एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के साथ 70वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष भी रखा जाएगा। अधिनियम की धारा 129 की उप–धारा 3 के अनुसार, फॉर्म एओसी–1 में एनएसआईसी (अर्थात् एनवीसीएफएल) की सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों

की मुख्य विशेषताओं संबंधी एक विवरण ßvuqyXud&?kÞ के रूप में संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 2(6) के अर्थ के भीतर कोई सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनियां नहीं हैं।

33½ lcf/kr i{kksa d lkFk vuqc/kksa ;k 0;oLFkkvksa dk fooj.k

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में परिभाषित संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया है, इसलिए फॉर्म एओसी–2 में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। भारतीय लेखाकंन मानक–24 की आवश्यकता के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन–देन वित्तीय विवरणों के लेखा नोट्स के नोट 35 में दर्शाए गए हैं।

34½ lw{e vkj y?kq m|eksa ¼,e,lbZ½ gsrq lkoZtfud [kjhn uhfr vkn'k] 2012

एनएसआईसी ने एमएसई और एससी/एसटी और महिला नेतृत्व वाले एमएसई से खरीद के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए 2024–25 के दौरान कुल रूपये 36.67 करोड़ की खरीद की है। विवरण इस प्रकार हैं:

Ø-l-	fooj.k	miyfC/k (वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद में से) (प्रतिशत)
i.	एमएसई (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का प्रतिशत	90-64 izfr'kr
ii.	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	0-90 izfr'kr
iii	केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	10-89 izfr'kr
iv	जैम पोर्टल से खरीद का प्रतिशत	100 izfr'kr

इसके अलावा, एनएसआईसी ने सभी संचालित टीआरईडीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और निर्धारित समय के भीतर दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। कार्यालयों को टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई भुगतान प्रक्रिया अपनाने के लिए विक्रेताओं के पंजीकरण में सुविधा प्रदान की जा रही है।

35½ fonsh eqæk

वर्ष 2024–25 के दौरान विदेशी मुद्रा में कुल व्यय 3.71 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2023–24 में 3.55 करोड़ रुपए था।

36½ 0;olk; dh çd`fr esa ifjorZu%

वित्त वर्ष 2025 के दौरान आपकी कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में 'कोई' परिवर्तन नहीं हुआ है।

37½ ,u,lvkbZlh & ,d vkbZ,lvks 9001:2015 çekf.kr dEiuh

एनएसआईसी ने अपने ग्राहकों को उच्च–गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करने और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करके अपने सभी हितधारकों को संतुष्ट करने के लिए अपनी प्रणालियों की निरंतर समीक्षा, परिशोधन और उन्नयन किया है। वर्तमान में, एनएसआईसी के कुल 54 आईएसओ प्रमाणित कार्यालय हैं, अर्थात् 45 शाखा कार्यालय, 8 एनटीएससी और एक कॉर्पोरेट कार्यालय (17 प्रभाग)। आईएसओ प्रमाणपत्र का नवीनीकरण और जारीकरण मेसर्स टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 22 मई, 2024 से 25 मई, 2027 की अवधि के लिए किया गया है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सभी योजनाओं – आरएमडी, आरएमए, एसपीआरएस, बी2बी – के लिए ग्राहक प्रतिक्रिया की ऑनलाइन प्राप्ति के चरण को नया रूप दिया गया है और शुरू किया गया है, जिससे ग्राहकों की ओर से एनएसआईसी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए प्रत्यक्ष डेटा प्राप्त करने में मदद मिलती है। जनवरी से मार्च 2025 तक पूरे भारत में निगरानी–1 लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। स्व–नामांकन आधारित आंतरिक लेखा परीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 29 नए आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। आईएसओ विभाग ने कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान और शमन योजना तैयार करने के लिए भी जागरूक किया है। क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न कार्यात्मक प्रक्रियाओं में योजनावार जोखिम मूल्यांकन और जोखिमों की मात्रात्मक रेटिंग पर विभिन्न सत्रों के दौरान विचार–विमर्श और विश्लेषण किया

गया है।

38½ funs'kd ,oa izeq[k izca/kdh; dkfeZd

वर्ष 2024–25 के दौरान और अद्यतन तिथि तक, कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:–

क) डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य को 2 मई, 2024 से एनएसआईसी के अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख) एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एआरआई) श्री विपुल गोयल को 1 मई, 2024 तक एनएसआईसी के अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

ग) बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक डॉ. अशोक अहिरवार और श्री कालंदी चरण सामल का कार्यकाल 22 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (योजना और विपणन), निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है। निदेशक (वित्त) को कंपनी के सीएफओ के रूप में भी नामित किया गया है।

वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशक मंडल की छः बैठकें आयोजित की गई थी। इसके अलावा, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की बैठक, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बैठक और अन्य उप–समितियों की बैठकें आयोजित की गई थी। बैठकों का विवरण कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

39½ funs'kdksa dk nkf;Ro

संबंधी विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अपेक्षाओं के अनुसरण में निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि:

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय, सारवान विपथनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरणों के साथ–साथ लागू होने वाले लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्त वर्ष 2024–25 के अंत में कंपनी की अद्यतन तथा समीक्षाधीन अवधि में कंपनी के लाभ या हानि की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल करती है;
- वित्तीय विवरण, सतत कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- लागू होने वाले सभी कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की और यह प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं;

40½ d,jikjV l'kklu

कॉरपोरेट सुशासन पर एक अलग रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ ßvuqyXud&MÞ के रूप में संलग्न है।

41½ vkHkkj

निदेशक मंडल एमएसएमई मंत्रालय, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार तथा अन्य सरकारी एवं नियामक एजेंसियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रसन्न है। निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, बैंकरों और कंपनी के सभी हितधारकों के प्रति भी उनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल इस अवसर पर एनएसआईसी के सदस्यों की बहुमूल्य सेवा और समर्पित प्रयासों की भी सराहना करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी एमएसएमई को विभिन्न सहायता सेवाएँ प्रदान करने में अपनी पहचान बनाए रखे।

fun'kd eaMy dh vkj ls

g@&
¼Mk- 'kHkk'k 'k[kj vkpk;½
v/;{k&,o&çc/k funs'kd
Mhvkbu % 06727939

LFkku% ubZ fnYyh
fnukad% 30-09-2025

iqc/ku ppk ,o fo'ys"k.k

i. m|kx lajpuk vkj fodkl

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों की रीढ़ हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देकर, रोजगार सृजन करके और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर, एमएसएमईज जमीनी स्तर पर आर्थिक परिवर्तन को गति प्रदान कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है क्योंकि यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 31.1%, विनिर्माण उत्पादन में 35% और निर्यात में 45% का योगदान देता है। यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और उद्यम के आंकड़ों के अनुसार, यह विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में लगभग 28.1 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। अब तक 6.50 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हो चुके हैं।

भारत सरकार ने एमएसएमई को उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुँच प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से, 1 अप्रैल, 2025 से सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ा दिया है। एमएसएमई वर्गीकरण की बढ़ी हुई सीमा का देश भर के व्यवसायों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अब बड़े व्यवसाय छोटे या मध्यम उद्यमों के लिए आरक्षित लाभों के लिए पात्र हो रहे हैं, और अधिक कंपनियाँ एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार, विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई सरकारी सहायता और योजनाओं के लिए पात्र होंगी।

यह परिवर्तन व्यवसाय विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और पूरे भारत में उद्यमों के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अधिक व्यवसाय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई पहलों से लाभान्वित हो सकें। एमएसएमई केवल आर्थिक इकाइयाँ ही नहीं हैं, बल्कि 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक हैं।

भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने तब से ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल का अनावरण किया है। यह नवोन्मेषी प्लेटफॉर्म इस क्षेत्र की सबसे लगातार चुनौतियों में से एक – विलंबित भुगतान – का समाधान करता है। ओडीआर पोर्टल भुगतान विवादों को सुलझाने के लिए एक त्वरित और लागत प्रभावी तंत्र प्रदान करता है, जो व्यवसायों के सुविधाजनक स्थान से न्याय प्रदान करता है। एमएसएमई के बीच नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई हैकाथॉन 5.0 का भी शुभारंभ किया गया।

भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित श्एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ावा देना और गति प्रदान करना (आरएएमपी), नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है, जिसका परिव्यय 6062 करोड़ रुपये और अवधि 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2022–वित्त वर्ष 2027) है और जिसका लक्ष्य 5,55,000 एमएसएमई हैं। आरएएमपी एक परिणाम–उन्मुख कार्यक्रम है और इसके दो प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं: एमएसएमई कार्यक्रमों के संस्थानों और प्रशासन को सुदृढ़ बनाना और बाजार पहुँच, फर्म क्षमताओं और वित्त तक पहुँच के लिए समर्थन।

एमएसएमई मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया है और 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देना' योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई की उत्पादकत और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ–साथ क्षमता निर्माण करना है। इस योजना के तीन घटक हैं: नए लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों का आधुनिकीकरण, नए और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं का विकास और पर्यटन क्षेत्र का विकास।

पीएम विश्वकर्मा, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर, 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को संपार्श्विक मुक्त ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और बाजार संपर्क सहायता के माध्यम से समग्र और संपूर्ण सहायता प्रदान करना है।

इस योजना में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता प्रदान करना, 5–7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, 500 रुपये प्रतिदिन के वजीफे के साथ, बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई–वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन, 5 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त 'उद्यम विकास ऋण' प्रदान करना शामिल है। 3 लाख रुपये तक, प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए लाभार्थी के खाते में प्रति डिजिटल लेनदेन 1 रुपये की राशि, अधिकतम 100 मासिक लेनदेन तक

जमा की जाएगी और कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जैसे ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी ताकि मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव में सुधार हो सके।

ii. ifjpkyu vkj foÙkh; çn'kZu

एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के मिशन के साथ, एनएसआईसी ने विपणन, ऋण, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं सहित एकीकृत सहायता सेवाएँ प्रदान करके एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। इसका उद्देश्य संसाधनों और अवसरों तक पहुँच को सुगम बनाकर एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ावा देना है। एनएसआईसी कौशल विकास, स्व–रोजगार के अवसर पैदा करने और सरकारी खरीद में भागीदारी को सुगम बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने 196.17 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.96% की वृद्धि है।

कंपनी ने एमएसएमई को विपणन सहायता – कच्चे माल का वितरण (2865.06 करोड़ रुपये), ऋण सहायता (8479.91 करोड़ रुपये), और प्रौद्योगिकी सहायता (79,295 प्रशिक्षु) पर विशेष ध्यान देते हुए एकीकृत सहायता प्रदान करके उनके लिए सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाना जारी रखा।

iii. [kM&okj dk;Z&fu"iknu

एनएसआईसी की गतिविधियों को मोटे तौर पर 'प्रचारात्मक' और 'वाणिज्यिक' में वर्गीकृत किया गया है। 'प्रचारात्मक' गतिविधियों में कौशल प्रदान करना, उद्यम निर्माण और बाजार से जुड़ना आदि गतिविधियाँ शामिल हैं। निगम भारत सरकार के संस्थानों को प्रशिक्षण सहायता', 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति–जनजाति केंद्र', 'उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम', 'पीएम विश्वकर्मा', 'खरीद एवं विपणन सहायता योजना' आदि कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है। निगम एमएसएमई के लाभ के लिए प्रदर्शनियों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) के आयोजन/भागीदारी, क्रेता–विक्रेता सम्मेलन, गहन अभियान और अन्य विपणन सहायता सेवाओं में भी संलग्न है।

'वाणिज्यिक' गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ वे गतिविधियाँ शामिल हैं जिनके माध्यम से कंपनी एमएसएमई की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विपणन (निविदा विपणन और कच्चे माल की सहायता/वितरण सहित)', 'ऋण', 'प्रौद्योगिकी' और 'अन्य सहायता' सेवाएँ प्रदान करती है। कंपनी इन 'एकीकृत' सहायता सेवाओं के लिए वित्तपोषण प्रदान करती है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया) द्वारा जारी किए गए "खंड रिपोर्टिंग" संबंधी भारतीय लेखाकरण मानक–108 के अनुसार अपेक्षित नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के कारोबार खंड में राजस्व, लाभ/(हानि), परिसंपत्तियों और देयताओं संबंधी सूचना दर्शाई गई है

¼yk[k :i;s e½

fooj.k	31 ekpZ 2025 dk lekIr o"kZ dh fy,			31 ekpZ 2024 dk lekIr o"kZ dh fy,		
ikFkfed [kM & dkjckj [kM	lo/kkuRed	okf.kfT;d	tksM+	lo/kkuRed	okf.kfT;d	tksM+
I. [kM jktLo (अनुदान सहित)						
– वर्ष के दौरान स्वीकृत सरकारी अनुदान	8973.87	-	8973.87	13827.28	-	13827.28
– उत्पादों की बिक्री	-	290771.56	290771.56	-	276408.88	276408.88
– सेवाओं की बिक्री	-	14637.36	14637.36	-	13578.73	13578.73
– अन्य	-	38017.84	38017.84	-	37699.95	37699.95
tksM+	**8973.87**	**343426.76**	**352400.63**	**13827.28**	**327687.56**	**341514.84**
II. [kM 0;; ¼vuqnku dh vuqlwph 0;; lfgr½						
–वर्ष के दौरान स्वीकृत सरकारी अनुदान से किया गया व्यय	8973.87	-	8973.87	13827.28	-	13827.28

–अन्य	-	323810.58	323810.58	-	310637.09	310637.09
&d|y	**8973.87**	**323810.58**	**332784.45**	**13827.28**	**310637.09**	**324464.37**
III. ifj.kke						
क. खंड परिणाम	-	14629.92	14629.92	-	12655.77	12655.77
ख. ब्याज से पहले प्रचालन लाभ	-	30360.37	30360.37	-	28529.67	28529.67
ग. अदा किया गया ब्याज	-	10744.19	10744.19	-	11479.20	11479.20
घ. विशिष्ट मदें	-	(0.74)	(0.74)	-	(13.18)	(13.18)
ङ. कर–पूर्व लाभ	-	19616.92	19616.92	-	17063.65	17063.65
च. कर व्यय	-	4987.00	4987.00	-	4407.88	4407.88
छ. कर–पश्चात निवल लाभ	-	14629.92	14629.92	-	12655.77	12655.77
ज. अन्य व्यापक आय		(160.33)	(160.33)	-	71.47	71.47
झ. कुल व्यापक आय {जिसमें लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है}	-	14469.59	14469.59	-	12727.24	12727.24
III. ifjlaifÙk;k¡ vkj n;rk,a						
क. खंड परिसंपत्तियां	5088.60	312261.19	317349.79	4499.00	295658.18	300157.18
ख. अनाबंटित परिसंपत्तियां	-	-	22156.64	-	-	21376.98
x- d|y ifjlaifÙk;k¡	**5088.60**	**312261.19**	**339506.43**	**4499.00**	**295658.18**	**321534.16**
घ. खंड देयताएं	5966.56	171410.95	177377.51	4633.75	166260.41	170894.16
ङ. अनाबंटित देयताएं	-	-	162128.92	-	-	150640.00
p- d|y n;rk,a	**5966.56**	**171410.95**	**339506.43**	**4633.75**	**166260.41**	**321534.16**
IV. vU; lqpuk						
(क) अचल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए इस अवधि के दौरान खर्च की गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	1034.08	685.40	1719.48	503.45	842.02	1345.47
(ख) मूल्यह्रास रु	418.52	980.28	1398.80	342.95	842.91	1185.86
(ग) मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकद व्यय	-	87.78	87.78	-	14.04	14.04

lo/kukRed [kM dk eY;gkl iwathxr vkf{kr jkf'k esa ÁHkkfjr fd;k tkrk gA

iv. lkeF;Z ,oa pqukSfr;k¡

एनएसआईसी भारत सरकार का एक मिनी लघु रत्न निगम है जो भारत में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न है। 70 वर्षों के अनुभव के साथ, इसने एमएसएमई क्षेत्र की कार्यप्रणाली की गहरी समझ विकसित की है और पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, विपणन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी और सूचना सहायता सहित सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करता है। कंपनी देश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए देश के भीतर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग संगठनों/संघों और विदेशों में कई साझेदार संगठनों के साथ जुड़ी हुई है। कंपनी का एमएसएमई क्षेत्र के विकास और संस्थागत क्षमता निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में भी प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। अपने आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों के साथ, निगम जमीनी स्तर पर उद्यम निर्माण और संवर्धन में भी संलग्न है।

बदलते परिदृश्य के साथ, निगम को अपने विस्तार के प्रयासों में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में, निगम का मुख्य व्यवसाय मुख्यतः एक ही उत्पाद से संबंधित है,

जो स्वयं विकास की गति का सामना कर रहा है। निगम इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी पेशकशों में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। हालाँकि, निगम की एकल बिंदु पंजीकरण योजना, के अंतर्गत उद्यम पंजीकरण की स्वीकृति में गिरावट देखी गई है। हालाँकि, निगम कुछ राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है और एसपीआरएस की स्वीकृति धीरे–धीरे कम हो रही है।

v. volj vkj [krj

निगम विभिन्न सेवाओं के साथ इस क्षेत्र की सेवा करता है और इस प्रकार, देश और विदेश में एमएसएमई को एनएसआईसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की अपार संभावनाएँ हैं। एनएसआईसी विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय परामर्श भी प्रदान करता है।

अवसरों के साथ–साथ, कुछ खतरे भी हैं, जैसे कि विपणन, प्रौद्योगिकी सहायता और वित्तपोषण के क्षेत्रों में अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धा, जो कंपनी की मुख्य गतिविधियों के लिए खतरा है। कच्चे माल के वितरण और निगम के मुख्य व्यवसाय क्षेत्र में बड़े खिलाड़ियों के प्रवेश के लिए राज्य सरकारों द्वारा एनएसआईसी की तुलना में राज्य एजेंसियों को प्राथमिकता देना एक चुनौती है।

vi. –f"Vdk.k & vkx dh jkg

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है क्योंकि यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 31.1%, विनिर्माण उत्पादन में 35% और निर्यात में 45% का योगदान देता है। एमएसएमई केवल आर्थिक इकाइयाँ ही नहीं हैं, बल्कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उत्प्रेरक भी हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। एमएसएमई नवाचार और उद्यमिता के लिए एक आधार हैं, जो अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं। ये उद्यम रचनात्मकता और नए उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

एनएसआईसी 'व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम)' पहल की कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऑन–बोर्डिंग, कैटलॉगिंग सहायता, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों में इक्विटी निवेश किया जा रहा है। एनएसआईसी (प्रशासनिक मंत्रालय की ओर से) प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है, जो कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करती है, जिसमें मान्यता, कौशल संवर्धन, उपकरण प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन बोनस और विपणन सहायता शामिल है। एनएसआईसी एमएसएमई को बड़ी निविदाओं में भाग लेने के लिए कंसोर्टिया बनाने में मदद करता है और अनुबंधों को प्राप्त करने और निष्पादित करने में सहायता प्रदान करता है।

एनएसआईसी सदैव एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने और विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त एवं अन्य सेवाओं सहित एकीकृत सहायता सेवाएँ प्रदान करके कंपनी के मिशन को साकार करने का प्रयास करेगा।

vii. tksf[ke ,oa fpark,a

कंपनी जोखिम प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाने के लिए समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर उचित जोखिम न्यूनीकरण उपायों की पहचान, विश्लेषण, आकलन एवं कार्यान्वयन करती है तथा जोखिमों की निगरानी एवं संप्रेषण करती है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने एक व्यापक ढाँचे के साथ अपनी जोखिम प्रबंधन नीति की भी समीक्षा की है। जोखिम प्रबंधन नीति में जोखिम की पहचान से लेकर जोखिमों के न्यूनीकरण तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के व्यावसायिक संचालन को और सुदृढ़ बनाने के लिए स्थायी संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है। संभावित जोखिमों और उन्हें कम करने के तरीकों की समीक्षा एवं चर्चा के लिए वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बोर्ड स्तर पर विभिन्न जोखिम मूल्यांकन समिति (आरएसी) और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की बैठकें आयोजित की गईं।

कंपनी ने मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की भी नियुक्ति की है। सीआरओ जोखिम प्रबंधन समिति के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। सीआरओ जोखिम मूल्यांकन समिति के सदस्यों के साथ विचार–विमर्श के आधार पर प्रमुख जोखिमों और प्रस्तावित शमन योजना का वर्णन करेगा।

व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों से निपटने में कंपनी का दृष्टिकोण, जिसमें जोखिमों को स्वीकार करने, जोखिमों से बचने, जोखिमों के हस्तांतरण और जोखिम सहनशीलता के स्तर पर कंपनी का निर्णय शामिल है।

viii. vkrfjd fu;a=.k çkfy;k vkj mudh i;kIrrk

आपकी कंपनी के पास अपने परिचालनों के आकार, पैमाने और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं ताकि विभिन्न लेन–देनों की सटीक और समय पर रिपोर्टिंग, परिचालन दक्षता और लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए कंपनी का एक अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है। पर्याप्त जाँच और

संतुलन सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न शाखा कार्यालयों की नियमित और विस्तृत आंतरिक लेखा परीक्षा आंतरिक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभागभारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचीबद्ध बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा आंतरिक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा समय–समय पर की जाती है, जैसा कि परिभाषित किया गया है, जो क्षेत्रीय कार्यालयों के आकार और परिचालन के अनुरूप है। लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियों/टिप्पणियों की समीक्षा करती है। वर्ष के दौरान, वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न नीतियाँ भी जारी की गई हैं।

ix. ekuo l lk/ku vkj vk|kfxd lac/k d {k= e egRoi.k fodkl

31 मार्च 2025 तक, कंपनी की कुल मानवशक्ति 562 कर्मचारी थी, जिनमें से 416 प्रबंधकीय स्तर पर थे। एनएसआईसी कर्मचारियों के कार्यात्मक, तकनीकी और व्यवहारिक कौशल पर केंद्रित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एनएसआईसी का प्रशिक्षण प्रभाग योग्यता अंतराल और संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। एनएसआईसी ने वित्त वर्ष 2024–25 में अपने कर्मचारियों के लिए आईएसओ आंतरिक लेखा परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पीओएसएच अधिनियम 2013 आदि सहित कई विषयों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से 8 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

इसके अलावा, एनएसआईसी ने विभिन्न संस्थानों और विभागों द्वारा आयोजित कई बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूरे भारत में 48 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी और प्रबंधन रुझानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी प्रतिनियुक्त किया गया। एनएसआईसी अपने कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करता है, जैसे सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ, कर्मचारी भविष्य निधि, सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में एनएसआईसी पारिवारिक पेंशन योजना आदि। कंपनी के अपने कर्मचारियों के साथ अत्यंत सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं। कंपनी संगठनात्मक विकास के साथ–साथ कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने की विचार धारा को बढ़ावा देती है

x. d,ikjV lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh, lvkj½

निदेशक रिपोर्ट के साथ सीएसआर गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट संलग्न है।

xi. lqjf{kr fooj.k

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं और अनुमानों का वर्णन करने वाले कथन वर्तमान व्यावसायिक परिवेश पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम सरकारी नीतिगत निर्णयों और भविष्य के आर्थिक परिवेश के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी बाद की घटनाओं या विकासों के आधार पर ऐसे कथनों को किसी भी तरह से संशोधित या संशोधित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

g@&
¼Mk- 'kHkk'k 'k[kj vkpk;½
अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06727939

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 सितंबर, 2025

d,ikjV lkekftd mÙkjnkf;Ro ij okf"kZd fjikVZ

1- dqiuh dh lh,lvkj uhfr ij lf{kIr :ijs[kk%

एनएसआईसी ने हमेशा सकारात्मक सामाजिक मूल्य प्रदान करने का प्रयास किया है और इसका उद्देश्य अपने सीएसआर पहलों के माध्यम से समुदाय को वापस देने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। इस संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप सीएसआर निधि का योगदान दिया।

कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की अपनी 'कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता नीति' है। नीति की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

एनएसआईसी के पास सीएसआर की एक आंतरिक समिति भी है जो एनएसआईसी के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त सीएसआर प्रस्तावों का मूल्यांकन और जांच करती है और फिर उन्हें सीएसआर उप–समिति को प्रस्तुत करती है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को सीएसआर बजट का 60% 'स्वास्थ्य और पोषण' विषय पर खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान, विभिन्न सीएसआर पहल की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: क) गुजरात राज्य के सूरत जिले के मांडवी में गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स टॉयलेट के निर्माण का प्रस्ताव ख) कैंसर से मुकाबला: महिलाओं और पुरुषों का मौखिक और प्रजनन स्वास्थ्य ग) रॉबर्ट्सगंज (थाना), सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में ब्यूटी और टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण घ) सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की स्थापना ङ) शास्त्र सोसाइटी में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की स्थापना च) 3 सरकारी स्कूलों में मिनी साइंस सेंटर की स्थापना। रांची–जमशेदपुर (झारखंड) के आसपास के गांवों के स्कूल छ) इंदौर के शेप में कौशल विकास प्रशिक्षण और सिलाई मशीन का वितरण ज) विभिन्न स्थानों पर महिला मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम झ) कोलकाता के बागबाजार में क्षय रोग की पहचान और उपचार के माध्यम से स्थानीय स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाना ञ) महाराष्ट्र के नागपुर में 9 से 20 वर्ष की आयु के वंचित लड़कियों के लिए गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के टीकाकरण की पहल ट) विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और बच्चों के लिए एससी/एसटी वर्ग के लिए नेत्र जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन और स्वास्थ्य जांच और उपचार शिविर ठ) नागालैंड के फेक जिले के थिपुजु गांव के सरकारी स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण ड) बिहार के औरंगाबाद जिले के 4 सरकारी स्कूलों में 1000 एलपीएच की आरओ जल पेयजल सुविधाओं का प्रस्ताव।

वर्ष 2024–25 के लिए स्वीकृत सीएसआर बजट 3.09 करोड़ रुपये था और कंपनी ने वर्ष के दौरान 60.47 लाख रुपये खर्च किए हैं। बोर्ड ने 2.49 करोड़ रुपये (लगभग) की कुछ चालू परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान भी जारी रखा जाएगा।

2- lh,lvkj lfefr dh lajpuk %

31 मार्च, 2025 तक एनएसआईसी की सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है:

Øe l-	fun'kd dk uke	fun'kd in dk inuke@ç—fr	o"kZ d nkjku vk;kftr lh,lvkj lfefr dh cBdksa dh l[;k	o"kZ d nkjku lh,lvkj lfefr dh cBdksa dh l[;k
1	श्री शुभ्रांशु शेखर आचार्य	अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक /अध्यक्ष	5	5
2	श्रीमती मर्सी एपाओ	सरकार द्वारा नामित निदेशक/ सदस्य	5	5
3	श्री कार्तिकेय सिन्हा	निदेशक (योजना एवं विपणन)/ सदस्य	5	4
4	डॉ. अशोक अहिरवार, (21 दिसंबर 2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक/ सदस्य	3	3
5	श्री कालन्दी चरण सामल (21 दिसंबर 2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक/ सदस्य	3	3

3. वेब–लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हों:

सीएसआर समिति की सरंचना कंपनी की वेबसाइट **https://www.nsic.co.in** पर उपलब्ध है ।

कंपनी की सीएसआर पहल सहित कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट **https://www.nsic.co.in/Corporate/CSRPolicy** पर उपलब्ध है।

4. नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश वेब–लिंक के साथ उपलब्ध कराएं, यदि लागू हो: लागू नहीं

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो

Øe l-	foÙkh; o"kZ	fiNyh foÙkh; o"kZ l dVkrh grq miyC/k jkf'k ¼#- esa½	foÙkh; o"kZ dh fy, fu/kkfjr dh tkus okyh jkf'k] ;fn dkbZ gks ¼#- esa½
1	शून्य	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: #- 1]54]27]35]231@&

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: #- 3]08]54]075@&

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: 'kU;

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: 'kU;

(घ) वित्तीय वर्ष (7ए7बी–7सी) के लिए कुल सीएसआर दायित्व: #- 3]08]54]705@&

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्षों के लिए व्यय की गई कुल राशि (रु. में)	अव्ययित राशि (रु. में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची टप् के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि।		
	राशि (रु. में)	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि
60-47-907&	2-49-16-974&	29 vizy] 2025	'kU;		

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए py jgh ifj;kstukvksa पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : #- 15]01]520@& विवरण vuqc/k&d के रूप में संलग्न हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए pkyw ifj;kstukvksa dk vykok vU; पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा : #- 45]46]387@& ब्यौरा vuqc/k&[k में संलग्न है।

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : शून्य

(ड़) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ड़) के लिए कुल व्यय राशि : रु. 60,47,907/–

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

Øe l-	fooj.k	jkf'k ¼#- esa½
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	3]08]54]705@&
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	60]47]907@&
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	'kU;
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	'kU;
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	'kU;

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौराः

Ø-l-	d fiNy foÙkh; o"k	ek=k bl gLrkrfjr fd;k x;k /kkjk 135¼6½ d vrxr vç;qä lh, l vkj [kkrk ¼#- e½	/kkjk 135 dh mi/kkjk ¼6½ d vrxr v0;f;r lh, l vkj [kkr e 'k"k jkf'k ¼#- e½	fjikfVx foÙkh; o"k e [kp dh xbZ jkf'k ¼#- e½	/kkjk 135 dh mi/kkjk ¼5½ d nwljs ijarqd d vuqlkj vuqlph **VII** d vrxr fufn"V fdlh fuf/k e vrfjr jkf'k ;fn dkbZ gkA		ek=k lQy gkus e [kp dju d fy, 'k"k foÙkh; o"k ¼#- e½
					ek=k ¼#- e½	LFkkukrj.k dh frfFk	
1	**2023-24**	**73,75,454/-**	**20,19,243/-**	**53,56,211/-**	'kU;	ykxw ugha	**20,19,243/-**
2	**2022-23**	ykxw ugha					
3	**2021-22**	'kU;	'kU;	-	**6,30,770/-**	25 uoEcj] 2021	'kU;

(ख) पूववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः

Ø-l-	çkt DV vkbMh	ifj;kstuk dk uke	foÙkh; o"k ftle ifj;kstuk 'k: dh xbZ	ifj;kstuk vof/k	ifj;kstuk dh fy, vkofVr dqy jkf'k ¼#- e½	fjikfVx foÙkh; o"k e ifj;kstuk ij 0;; dh xbZ jkf'k ¼#- e½	fjikfVx foÙkh; o"k dh vrr e 0;; dh xbZ lp;h jkf'k ¼#- e½
1.	सृष्टि सोशल एंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी	बिहार (भारत) के झंझारपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मधुबनी जिले के अतरी पंचायत, लौकाही प्रखंड, नंद नगर नारी गौ सदन में गौशाला का निर्माण।	2023-24	18,58,804	3,71,761	3,71,761	जारी
2.	संस्कृति महिला मंडल	मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अत्यंत ग्रामीण क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों में रहने वाली वंचित महिलाओं/लड़कियों को सिलाई–कढ़ाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।	2023-24	19,99,570	14,67,370	14,67,370	जारी
3	शकीना क्रिश्चियन फाउंडेशन (एसएएफ)	(1) नागालैंड (भारत) के शामतोर जिले के शामतोर स्थित जिला अस्पताल में आर.ओ. संयंत्र की स्थापना। (2) नागालैंड (भारत) के शामतोर जिले के वेफर गाँव में सरकारी माध्यमिक विद्यालय के लिए शौचालय का निर्माण। (3) नागालैंड (भारत) के शामतोर जिले के शामतोर कस्बे में पीएचईडी वार्ड और मेडिकल वार्ड में 2 (दो) जल भंडारण टैंकों का निर्माण।	2023-24	10,00,000	2,00,000	10,00,000	पूरा हो गया

4	दक्षिण सुंदरवन जनकल्याण संघ (एसजेएस)	पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र के 06 विभिन्न गाँवों में 06 नलकूप (हैंडपंप) स्थापित करके सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	2023-24	18,33,080	18,33,080	18,33,080	पूरा हो गया
5	सर्वोदय संघ	पूर्व मेदनीपुर जिले (पश्चिम बंगाल) के के.एल. राहा सेवा सदन में नेत्र रोगियों की नेत्र देखभाल और मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए फेको इमल्सीफायर मशीन की खरीद।	2023-24	14,84,000	14,84,000	14,84,000	पूरा हो गया
d|y				**81,75,454**	**53,56,211**	**61,56,211**	

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। (परिसंपत्ति–वार विवरण)

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथिः शून्य

(ख) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशिः शून्य

(ग) उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदिः शून्य

(घ) निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित): शून्य

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं: y|x| ugh

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 60,47,907/– रुपये की राशि खर्च की गई है और शेष 2,49,16,974/– रुपये को अनुमोदित परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है और कंपनी अधिनियम के अनुसार अलग अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार खर्च किया जाएगा।

g@&
¼Mk- 'k|Hkk'k| 'k[kj vkpk;½
अध्यक्ष–एव|–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06727939

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 सितंबर, 2025

vuqyXud ^d^

Ø- la-	ifj;kstuk dk uke	vuqlwph VII la en lwpd	LFkkuh; {ks= ¼gk@ugh½	ifj;kstuk dk LFkku	vkofVr jkf'k ¼#- esa½	foÙk o"kZ 2024&25 dh nkjku [kpZ dh xbZ jkf'k ¼#i;s esa½	vo;f;r jkf'k dk ^vo;f;r lh,lvkj [kkrs^ esa LFkkukarfjr fd;k tk,xk	dk;kZUo;u dk rjhdk çR;{k ¼gk@ugh½	dk;kZUo;u dk rjhdk&dk;kZUo;u ,tsalh dh ek/;e la ¼uke vkj lh,lvkj iathdj.k la[;k½
1	गुजरात राज्य के सूरत जिले के मांडवी स्थित बालिका महाविद्यालय में बालिका शौचालय के निर्माण का प्रस्ताव	मद संख्या (i), स्वच्छता	नहीं	सूरत जिला, गुजरात	25,00,000	शून्य	25,00,000	नहीं	श्री तपिवन ग्राम विकास चौरिटेबल ट्रस्ट सीएसआर 00016800
2	रॉबर्ट्सगंज (उत्तर प्रदेश), सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में सौंदर्य एवं सिलाई व्यापार में प्रशिक्षण	मद संख्या (ii) रोजगार बढाने वाले व्यावसायिक कौशल	हां	सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश	15,78,000	2,99,375	12,78,625	नहीं	क्रिएशन इंडिया सोसाइटी सीएसआर 00013695
3	सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की स्थापना	मद संख्या (i), स्वास्थ्य	हां	दिल्ली	2,64,000	शून्य	2,64,000	नहीं	व्योमिनी सोशल फाउंडेशन सीएसआर00011920
4	शास्त्र सोसाइटी में कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय की स्थापना	मद संख्या (ii) शिक्षा को बढावा देना	नहीं	कुल्लू जिला, हिमाचल प्रदेश	15,09,899	6,03,960	9,05,939	नहीं	स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन, पुनर्वास, सहायता सोसायटी (SHASTRA) सीएसआर 00019128

5	रांची–जमशेदपुर (झारखंड) के आसपास के गांवों में 3 सरकारी स्कूलों में मिनी विज्ञान केंद्र की स्थापना	मद संख्या (ii) शिक्षा को बढावा देना	हां	रांची और जमशेदपुर जिला झारखंड	19,93,950	5,98,185	13,95,765	नहीं	एआरओएच फाउंडेशन सीएसआर 00000044
6	कौशल विकास प्रशिक्षण और सिलाई मशीन का वितरण	मद संख्या (ii) रोजगार बढाने वाले व्यावसायिक कौशल	हां	इंदौर जिला मध्य प्रदेश	22,81,000	शून्य	22,81,000	नहीं	सोसाइटी फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन (SHAPE) सीएसआर00043828
7	बिहार के गया के स्लम क्षेत्र में महिला मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम	मद संख्या (i) स्वास्थ्य	हां	गया जिला बिहार	19,29,560	शून्य	19,29,560	नहीं	वीर इंद्र सोशल ग्रुप सोसाइटी सीएसआर00014229
8	कोलकाता के बागबाजार में क्षय रोग का पता लगाने और उपचार के माध्यम से स्थानीय स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना	मद संख्या (i)–स्वास्थ्य देखभाल	हां	बागबाजा , कोलकाता	7,16,800	शून्य	7,16,800	नहीं	रामकृष्ण मठ सीएसआर00002806
9	नागालैंड के फेक जिले के थिपुजू गांव के सरकारी स्कूल में लड़कियों के छात्रावास का निर्माण	मद संख्या (iii) लड़कियों के लिए छात्रावास की स्थापना	नहीं	फेक जिला, नागालैंड	24,95,562	शून्य	24,95,562	नहीं	शेकिना क्रिश्चियन फाउंडेशन सीएसआर00056085
10	बिहार के औरंगाबाद और रोहतास जिले के 4 सरकारी स्कूलों में 1000 एलपीएच क्षमता के आरओ जल पेयजल सुविधा का प्रस्ताव	मद संख्या (i)–स्वास्थ्य देखभाल	हां	औरंगाबाद और रोहतास जिला, बिहार	24,40,000	शून्य	24,40,000	नहीं	अल–आयशा फाउंडेशन सीएसआर00017366

11	दिल्ली के स्लम क्षेत्र में महिला मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम	मद संख्या (i)–स्वास्थ्य देखभाल	हां	आजादपुर मंडी दिल्ली	3,58,313	शून्य	3,58,313	नहीं	व्योमिनी सोशल फाउंडेशन सीएसआर00011920
12	आगरा जिले के गाँव में नेत्र जाँच शिविर और मोतियाबिंद ऑपरेशन	मद संख्या (i)–स्वास्थ्य देखभाल	हां	आगरा जिला उत्तर प्रदेश।	20,41,200	शून्य	20,41,200	नहीं	ब्लेसिंग फाउंडेशन सीएसआर00019924
13	दिल्ली के 12 सरकारी स्कूलों में आरओ जल संयंत्रों की स्थापना	मद संख्या (i)–स्वास्थ्य देखभाल	हां	दिल्ली	24,25,210	शून्य	24,25,210	नहीं	चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन सीएसआर00001113
14	झारखंड के दुमका जिले के रानीश्वर ब्लॉक में आदिवासी समुदाय को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैंडपंप की खुदाई	मद संख्या (i)–स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	दुमका जिला झारखंड	24,04,000	शून्य	24,04,000	नहीं	पुरबा दुर्गापुर कल्याण सोसायटी सीएसआर00004667
15	दिल्ली और एनसीआर में 6 रक्तदान शिविरों का आयोजन	मद संख्या (i)–स्वास्थ्य देखभाल	हां	दिल्ली	6,09,000	शून्य	6,09,000	नहीं	लव केयर फाउंडेशन सीएसआरO0005476
16	उत्तराखंड के आकांक्षी जिला–हरिद्वार में नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर	मद संख्या (i)–स्वास्थ्य देखभाल	हां	हरिद्वार जिला उत्तराखंड	8,72,000	शून्य	8,72,000	नहीं	उत्थान सेवा समिति सीएसआर00006075
d|y					**2,64,18,494**	**15,01,520**	**2,49,16,974**		

foÙkh; o"kZ dh fy, pkyw ifj;kstukvksa dh vykok vU; ij [kpZ dh xbZ lh,lvkj jkf'k dk fooj.k							
Ø-lq-	ifj;kstuk dh ç—fr	vuqlwph VII lwpuk en lwpd[;k	LFkkuh; {ks=¼gk@ugha½	ifj;kstuk dk LFkku	ifj;kstuk ij 0;; dh xbZ jkf'k ¼#- esa½	dk;kZUo;u dk rjhdk çR;{k ¼gk@ugha½	dk;kZUo;u dk rjhdk & dk;kZUo;u ,tsalh dh ek/;e lwpuk vkj lh,lvkj iathdj.k lwpd[;k½
1	कैंसर से मुकाबला: महिलाओं और पुरुषों का मौखिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य	मद संख्या (i)–स्वास्थ्य देखभाल	हां	गौतम बुद्ध नगर जिला, उतार प्रदेश।	3,05,316	नहीं	विश्व स्वास्थ्य ट्रस्ट सीएसआर00078625
2	महाराष्ट्र के नागपुर में 9 से 20 वर्ष की आयु की वंचित लड़कियों के लिए गर्भाशय ग्रीवा कैंसर टीकाकरण पहल	मद संख्या (i)–स्वास्थ्य देखभाल	हां	नागपुर जिला, egkjk"Vª	22,22,000	नहीं	स्वास्थ्य वृक्षा फाउंडेशन सीएसआर 00065301
3	नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन और झारखंड के आकांक्षी जिले रांची और रामगढ़ के दूरदराज के गांवों में अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच और उपचार शिविर	मद संख्या (i)–स्वास्थ्य देखभाल	हां	रांची और रामगढ़ जिला, झारखंड	11,47,071	नहीं	अभियान सीएसआर 00050674
4	उत्तराखंड के आकांक्षी जिला– हरिद्वार में नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर	मद संख्या (i)–स्वास्थ्य देखभाल	हां	हरिद्वार जिला, उत्तराखंड	8,72,000	नहीं	उत्थान सेवा समाज सीएसआर 00006075
dqy					**45,46,387**		

QkeZ l- ,evkj&3
lfpoh; y[kkijh{kk fjikVZ 31 ekpZ] 2025 dk lekIr foÙkh; o"kZ dh fy,
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM
lhvkbZ,u% ;74140Mh,y1955tghvkvkbZ002481
एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली–110020

हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (इसके बाद इसे ^^dhuh^^ कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

कंपनी की खाता–बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल की गई विवरणियों तथा निगम द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा करने के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई, प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण। हम एतद रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 31 मार्च, 2025 ('लेखापरीक्षा अवधि') को समाप्त वर्ष अवधि हेतु, यहाँ सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधान का अनुपालन किया गया है, और यह भी उल्लेख करते हैं कि इस हेतु कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएँ और अनुपालन–तंत्र विद्यमान है और एतद् निम्नानुसार किए गए रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए और कंपनी द्वारा तैयार किए गए बही–खातों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, पत्रावलियों, फाइल किए गए प्रपत्रों और विवरणियों की जांच की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम, ¼lehf{kr vof/k dh nkjku dhuh ij ykxw ugha½(

iii. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियमों और उपनियमों का लागू सीमा तक अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, एमसीए ने 22 जनवरी, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन से छूट दी और इसलिए यह कंपनी पर लागू नहीं है;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की सीमा तक ¼lehf{kr vof/k dh nkjku dhuh ij ykxw ugha½(

V. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ¼^,lbZchvkbZ vf/kfu;e*½ के अंतर्गत विनिर्धारित निम्नलिखित विनिमय और दिशानिर्देश:–

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) विनियमावली, 2011; ¼tks lehf{kr vof/k dh nkjku dhuh ij ykxw ugha½(

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) नियमावली, 2015 ¼tks lehf{kr vof/k dh nkjku dhuh ij ykxw ugha½(

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं शर्तें प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2018 ¼tks lehf{kr vof/k dh nkjku dhuh ij ykxw ugha½(

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियम 2021: ¼tks lehf{kr vof/k dh nkjku dhuh ij ykxw ugha½(

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021: ¼tks

leh{kk vof/k d nkjku diuh ij ykx ugh½(

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निगम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमावली, 1993, जो कंपनी अधि ानियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार के बारे में है ¼tk leh{kk vof/k d nkjku diuh ij ykx ugh½(

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 ¼tk leh{kk vof/k d nkjku diuh ij ykx ugh½(

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियमावली, 2018 ¼tk leh{kk vof/k d nkjku diuh ij ykx ugh½(

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकय;

(ii) भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010 ("डीपीई दिशानिर्देश"); और

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ¼leh{kk/khu vof/k d nkjku diuh ij ykx ugh½;

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन, अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किया है:

(i) कंपनी के बोर्ड में 22 दिसंबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 149(4) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के तहत अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत बोर्ड की उप–समिति में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति भी आवश्यक है। हालाँकि, प्रबंधन द्व ारा हमें सूचित किया गया है कि कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है और इसलिए अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। इसके अलावा, कंपनी अपने प्रशासनिक मंत्रालय से लगातार संपर्क में है और अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध कर रही है ताकि अधिनियम की धारा 149(4) के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

ge vkx fjikV djr g fd]

1- ckM dh l jpuk

कंपनी ने निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, जिसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना है, सिवाय 22 दिसंबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के, जब स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध न हो। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में सभी परिवर्तन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए थे।

2- ckM dh cBd

बोर्ड की बैठकों, वैधानिक समिति की बैठकों, एजेंडा और विस्तृत नोट्स की समय–सारणी सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले दी गई थी, सिवाय कुछ बोर्ड बैठकों और समिति की बैठकों के जो कम समय के नोटिस पर आयोजित की गईं और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से दर्ज और हस्ताक्षरित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, बोर्ड/समिति की बैठक(ओं) में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए थे और कोई असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किया गया है।

3- ykx dkuuk] fu;ek] fofu;ek vkj fn'kkfun'kk d vuikyu gr ç.kkfy;k vkj çfØ;k,

ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और संबंधित विभाग द्वारा तिमाही अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है, हमारी राय में, कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप, लागू सामान्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और नियंत्रण तंत्र मौजूद हैं।

ge vkx fjikV djr g fd हमारे द्वारा प्राप्त और

विश्वसनीय स्पष्टीकरणों और प्रबंधन अभ्यावेदनों के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई है।

Ñrq okiu vkj ,lkfl,V~l
प्रेटीक्स कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोडः P2015DE045500
पीर रिव्यू सार्टिफिकेट सं. 975/2020

g-@-
iHkkdj dqekj
सदस्य
एफसीएस संख्या 5781
सीओपी संख्याः 10630
आईसीएसआई यूडीआईएनः F005781G000647906

fnukad% 23-06-2025
LFkku% ubZ fnYyh

ukV% ;g fjikVZ gekjs le fnukad dh i= dh lkFk i<h tk,] tks ^vuqyXud^ dk :i esa layXu gS vkSj bl fjikVZ dk ,d vfHkUu vax gSA

lfpoh; y[kkijh{kk fjikVZ dk ^vuqyXud^
31 ekpZ 2025 dks lekIr foÙkh; o"kZ ds fy,

सेवा में,

सदस्यगण,

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

lhvkbZ,u% ;74140Mh,y1955thvkvkb002481

एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली – 110020

le rkjh[k dh gekjh fjikVZ dk bl i= ds lkFk i<k tk,:

(1) सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

(2) हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय–वस्तु की परिशुद्धता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित थीं। सत्यापन परीक्षण आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए कि सचिवीय रिकार्ड में सही तथ्य दर्शाए जाते हैं। हमें विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती हैं।

(3) हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा–बहियों की परिशुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

(4) जहाँ कहीं अपेक्षित था, हमने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं के घटित होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिवेदन प्राप्त किया है।

(5) कार्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन–वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।

(6) फॉर्म एमआर–3 में हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दाखिल की गई पुस्तकों, कागजात, फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में उक्त विनियमों की आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच विभिन्न फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों को दाखिल करने के निष्पादन और समयबद्धता की जांच करने तक सीमित थी, जिन्हें उक्त विनियमों के तहत कंपनी द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों के पास दाखिल किया जाना आवश्यक है। हमने ऐसे फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता और कवरेज को सत्यापित नहीं किया है।

(7) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी संभाव्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही इसकी दक्षता या प्रभावोत्पादकता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन–वर्ग ने निगम का कारोबार किया।

Ñrh okiu vkj ,lkfl,V~l
प्रेटीक्स कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोडः पी2015डीई045500
पीर रिव्यू सार्टिफिकेट सं. 975/2020

g-@&
iHkkdj dqekj
सदस्य
एफसीएस संख्या 5781/सीओपी संख्याः 10630
आईसीएसआई यूडीआईएनः F005781G000647906

fnukad% 23-06-2025
LFkku% ubZ fnYyh

Qke l- ,vkbZ&1
lgk;d dEifu;k@lgk;xh dEifu;k@l;qä m|e dh foÙkh; fooj.k dh e[; fo'ks"krkvk lEc/kh fooj.k

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) की पहली शर्त के अनुसार)

Hkkx ^d* lgk;d dEifu;k

(राशि के साथ प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी, रु. में)

(वित्तीय वर्ष 2024–25)

1	सहायक कंपनी का नाम	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड (एनवीसीएफएल)
2	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	लागू नहीं
3	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
4	शेयर पूंजी%	प्राधिकृत शेयर पूंजी – रु. 10 करोड; भुगतान की गई शेयर पूंजी – रु. 6 करोड़
5	आरक्षित और अधिशेष	रु. 965.02 लाख
6	कुल परिसंपतियां	रु. 1706.80 लाख
7	कुल देनदारियां	रु. 141.78 लाख
8	निवेश	–
9	कारोबार	रु. 820.99 लाख
10	कर के पूर्व लाभ	रु. 559.43 लाख
11	कर के लिए प्रावधान	रु. 141.28 लाख
12	कराधान के बाद लाभ	रु. 418.15 लाख
13	प्रस्तावित लाभांश	रु. 125.45 लाख
14	शेयरधारिता का %	एनवीसीएफएल एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

नोटः निम्नलिखित जानकारी विवरण के अंत में प्रस्तुत की जाएगीः

1. सहायक कंपनियों के नाम जिनका संचालन अभी शुरू होना बाकी हैः लागू नहीं
2. सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गयाः लागू नहीं

g-@&
¼Mk- 'kHkk'k 'kjk vkpk;½
अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06727939

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 सितंबर, 2025

dkikjV l'kklu lqc/kh fjikV

I. ,u,lvkblh dk d,ikjV vfHk'kkklu n'ku

कॉर्पोरेट प्रशासन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की वह प्रणाली है जो किसी कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए लागू की जाती है। कॉर्पोरेट प्रशासन की अच्छी कार्यप्रणाली के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सभी वैधानिक, नियामक और महत्वपूर्ण जानकारी, और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों ('कॉर्पो. रेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश') का कंपनी द्वारा समय–समय पर पालन किया जाता है ताकि ग्राहकों, कर्मचारियों और समग्र समाज जैसे अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी की रिपोर्ट नीचे दी गई है:

II. funsZkd eaMy

d½ lajpuk

एनएसआईसी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।

31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के बोर्ड में पांच निदेशक थे जिनमें एक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, दो कार्यात्मक निदेशक, दो सरकारी नामित निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। स्वतंत्र निदेशकों के तीनों पद रिक्त है। इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय से पत्र की प्रतीक्षा है।

[k½ ckM dh cBdsa

निदेशक मंडल की बैठकें आवधिक अंतराल पर आयोजित की गई। वर्ष 2024–25 के दौरान, कुल छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गईंरू 18 जून, 2024, 6 अगस्त, 2024, 15 अक्टूबर, 2024, 8 नवंबर, 2024, 6 दिसंबर, 2024 और 20 फरवरी, 2025 को कुल छः बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

31 मार्च 2025 तक, बोर्ड के गठन और अन्य कंपनियों में आयो. जित निदेशकों की संख्या और बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

Ø-l-	funs'kd dk uke vkj inuke	MhvkbZ,u	dk;Zdky dh nkjku mifLFkr ckM dh cBdksa dh l[;k	fiNyh okf"kZd vke cBd ¼,th,e½ esa mifLFkfr	ckgjh funs'kdksa dh l[;k
dk;Zdkjh funs'kd					
1.	डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (02.05.2024 से)	06727939	06	हाँ	एनवीसीएफएल, अध्यक्ष
2.	श्री विपुल गोयल संयुक्त सचिव (एआरआई) (सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार) (01.05.2024 तक)	10229523	लागू नहीं	लागू नहीं	–
3.	श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (योजना एवं विपणन)	02322056	06	हाँ	लागू नहीं
4.	श्री गौरव गुलाटी निदेशक (वित्त)	10144109	06	हाँ	एनवीसीएफएल, निदेशक
xSj&dk;Zdkjh funs'kd ¼ljdkj }kjk ukfer½					

5.	श्रीमती मर्सी एपाओ	09331424	06	हाँ	• एनएसआईसी, बोर्ड सदस्य • डीएसआईआईडीसी, बोर्ड सदस्य आईटीपीओ, बोर्ड सदस्य
6.	डॉ. सिम्मी चौधरी	10387019	03	हाँ	शून्य
xj&dk;ldkjh fun'kd ¼Lor= fun'kd½					
7.	डॉ. अशोक अहिरवार (21.12.2024 तक)	09459529	05	हाँ	शून्य
8.	श्री कालांदी चरण सामल (21.12.2024 तक)	09459531	05	हाँ	शून्य

x½ fun'kd ckMZ dh lajpuk esa ifjorZu

वर्ष 2024–25 के दौरान और अब तक, कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:–

क) डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य को एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 2 मई, 2024 से नियुक्त किया गया।

ख) एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एआरआई) श्री विपुल गोयल को 1 मई, 2024 तक एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

ग) बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक डॉ. अशोक कुमार अहिरवार और श्री कालंदी चरण सामल का कार्यकाल 22 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो गया है।

III. ckMZ dh mi&lfefr;k¡

सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार निदेशक मंडल की निम्नलिखित उप–समिति (समितियाँ) गठित की गई थीं, जिसमें (जिनमें) कार्यकारी और गैर–कार्यकारी सदस्य थे। निदेशक मंडल में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल द्वारा इस (इन) उप–समिति (समितियों) का पुनर्गठन किया गया था।

d½ y[kkijh{kk lfefr

i. fopkjkFkZ fo"k;ksa ¼Vhvkvkj½ dk laf{kIr fooj.k

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह कॉर्पोरेट प्रशासन पर आंतरिक दिशानिर्देशों का भी हिस्सा है जो कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण, लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की सूचना और लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण के लिए सिफारिश (यदि आवश्यक हो), प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान के लिए अनुमोदन करना, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों, जोखिम प्रबंधन नीतियों, सीएंडएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों (यदि कोई हो) की समीक्षा करना, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा करना, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना; लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

ii. lajpuk

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। 31 मार्च, 2025 तक, लेखा परीक्षा समिति में तीन सदस्य होंगेरू श्रीमती मर्सी एपाओ, सरकार द्वारा नामित निदेशक, समिति की अध्यक्ष, श्री कार्तिकेय सिन्हा, डॉ. सिम्मी चौधरी, समिति के सदस्य और श्री गौरव गुलाटी, समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य।

iii. cBd dk fooj.k

वर्ष 2024–25 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की कुल पाँच बैठकें 20 मई, 2024, 6 अगस्त, 2024, 8 नवंबर, 2024, 6 दिसंबर, 2024 और 20 फरवरी, 2025 को आयोजित की गईं:

क्र.सं.	सदस्य का नाम	धारित पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	श्रीमती मर्सी एपाओ सरकार द्वारा नामित निदेशक (20.02.2025 से)	अध्यक्ष	01	01

2.	श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (योजना एवं विपणन) (20.02.2025 से)	सदस्य	01	01
3.	श्री अशोक अहरिवार स्वतंत्र निदेशक (21.12.2024 तक)	अध्यक्ष	04	04
4.	श्री कालंदी चरण सामल स्वतंत्र निदेशक (21.12.2024 तक)	सदस्य	04	03
5.	डॉ. सिम्मी चौधरी	सदस्य	05	03
6.	श्री गौरव गुलाटी	विशेष आमंत्रित	05	05

ऑडिट कमेटी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को आमंत्रित करती है। वर्ष 2024–2025 के दौरान वित्त प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख और लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

[k½ukekdu vkj ikfjJfed lfefr

i. fopkjkFkZ fo"k;ksa ¼Vhvksvkj½ dk lf{kIr fooj.k

संदर्भ की शर्तों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण**:** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को बोर्ड द्व ारा अनुमोदित कर दिया गया है और ये कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी आंतरिक दिशानिर्देशों का भी हिस्सा हैं, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। समिति की मुख्य भूमिका कंपनी के कर्मचारियों को प्रदर्शन–आधारित वेतन वितरण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेना है।

ii. lajpuk

एनएसआईसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार था। स्वतंत्र निदेशकों को केवल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, और बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार भी। सरकारी नामित निदेशक कंपनी से बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं लेते हैं।

बोर्ड में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, बोर्ड द्वारा समय–समय पर नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च, 2025 तक, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में तीन सदस्य होंगे**:** नामित निदेशक श्रीमती मर्सी एपाओ, समिति की अध्यक्ष और डॉ. सिम्मी चौधरी एवं श्री गौरव गुलाटी, समिति के सदस्य।

iii. cBd dk fooj.k

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की तीन बैठकें 22 मई, 2024, 18 जून, 2024 और 6 दिसंबर, 2024 को आयोजित की गईं। समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है**:**

क्र.सं.	नाम	धारित पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1	श्री अशोक अहरिवार स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3	3
2	श्री कालंदी चरण सामल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	2
3	श्रीमती मर्सी एपाओ सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	3	3

iv. funs'kdksa dk ikfjJfed

- वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

		v/;{k ,oa çca/k funs'kd		funs'kd ¼foRr½	funs'kd ¼;kstuk ,oa foi.ku½
		श्री विपुल गोयल 01.04.2024 से 01.05.2024 तक (अतिरिक्त प्रभार)	डॉ शुभ्रांशु शेखर आचार्य प्रभावी 02.05.2024 से 31.03.2025	श्री गौरव गुलाटी	श्री कार्तिकेय सिन्हा
क्र.सं.	सकल वेतन	**2024-25**	**2024-25**	**2024-25**	**2024-25**
1	सकल वेतन	-	73,28,784	50,91,669	43,89,637
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4	लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन	-	-	-	-
5	अन्य				
	भविष्य निधि अंशदान	-	6,18,333	3,90,420	3,49,678
	पेंशन योजना में अंशदान	-	5,15,278	3,37,854	2,91,397
	कुल	-	**84,62,395**	**58,19,942**	**50,30,712**

- वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान स्वतंत्र निदेशक को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	स्वतंत्र निदेशक का नाम	राशि (रु.)
1.	डॉ. अशोक अहिरवार	3,80,000/-
2.	श्री कालंदी चरण सामल	3,60,000/-

x½ d,ikjV lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh,lvkj½ lfefr

i. fopkjkFkZ fo"k;k ¼Vhvkvkj½ dk lf{kIr fooj.k%

सीएसआर समिति के विचारार्थ विषयों में आते हैं, सीएसआर नीति तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, जो अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी; उपर्युक्त गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना; बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र व्यय के भीतर परियोजनाओं को अनुमोदित करना और समय–समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना। सीएसआर पर एक अलग प्रतिवेदन इस रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी।

ii. lajpuk

31 मार्च 2025 तक, सीएसआर समिति में तीन सदस्य होंगे: डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य, समिति के अध्यक्ष, सुश्री मर्सी एपाओ और श्री कार्तिकेय सिन्हा, समिति के सदस्य रहेंगे।

iii. cBd dk fooj.k

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति की पाँच बैठकें 06 अगस्त

2024, 08 नवंबर 2024 और 6 दिसंबर 2024, 20 फरवरी 2025 और 27 मार्च 2025 को आयोजित की गईं। समिति की बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

Ø-l-	uke	/kkfjr in	mudh dk;Zdky dh nkjku gbZ lh,lvkj deVh dh ehfVx dh l[;k	lky dh nkjku gbZ lh,lvkj deVh dh ehfVx dh l[;k
1	डॉ शुभ्रांशु शेखर आचार्य अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	05	05
2	श्रीमती मर्सी एपाओ सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	05	05
3	श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (योजना एवं विपणन)	सदस्य	05	04
4	श्री अशोक अहरिवार स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03	03
5	श्री कालंदी चरण सामल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03	03

?k½ fjLd eqUtesaV deVh

i) Vksl v,Q jsQjsal ¼TOR½ dk NksVk fooj.k%

रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मकसद समय–समय पर कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना और उनका रिव्यू करना हैय कंपनी के बिजनेस के नेचर से जुड़े मुख्य रिस्क की पहचान करने, मॉनिटर करने, रिव्यू करने और उन्हें कम करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होना, ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट को हासिल किया जा सके।

रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का इंटीग्रेशन और अलाइनमेंट कॉर्पोरेट और ऑपरेशनल लक्ष्यों के साथ पक्का किया जाएगा, न कि एक अलग काम के तौर पर।

ii) dEikft'ku

31 मार्च 2025 तक, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में ये सदस्य हैं, जैसे कि कमेटी की चेयरपर्सन श्रीमती मर्सी एपाओ, श्री कार्तिकेय सिन्हा, डायरेक्टर (योजना एवं विपणन), श्री गौरव गुलाटी, डायरेक्टर (फाइनेंस), हेड ऑफ वर्क्स/एस्टेट/टेक., हेड ऑफ HRM, हेड ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के सदस्य के तौर पर।

iii) ehfVx dh fMVsYl

फाइनेंशियल ईयर 2024–25 के दौरान, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी की चार मीटिंग्स 18 जून, 2024, 8 नवंबर, 2024, 6 दिसंबर, 2024 और 27 मार्च, 2025 को हुईं। कमिटी की मीटिंग्स की डिटेल्स इस तरह हैंरू

क्र.सं.	निदेशक का नाम	धारित पद	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थित संख्या
1	श्रीमती मर्सी एपाओ सरकारी नामित निदेशक	अध्यक्ष	04	04

2	श्री कालंदी चरण सामल स्वतंत्र निदेशक (21.12.2024 तक)	सदस्य	03	03
3	श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (योजना एवं विपणन)	सदस्य	04	03
4	श्री गौरव गुलाटी निदेशक (वित्त)	सदस्य	04	04
5	आरएमए के विभागाध्यक्ष	सदस्य	04	04
6	निर्माण/एस्टेट के विभागाध्यक्ष	सदस्य	04	04
7	प्रौद्योगिकी के प्रमुख	सदस्य	04	03
8	मानव संसाधन के विभागाध्यक्ष	सदस्य	04	04
9	आईटी के विभागाध्यक्ष	सदस्य	04	04
10	मुख्य जोखिम अधिकारी	विशेष आमंत्रित	04	04
11	मुख्य अनुपालन अधिकारी	विशेष आमंत्रित	04	04

M ifjlifÙk n;rk çcèku lefr dh cBd ¼,,ylhvk½

आरबीआई के मास्टर निदेश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार कार्यात्मक निदेशकों वाली एक एएलसीओ समिति का गठन किया गया है।

i. विचारार्थ विषयों (टीओआर) का संक्षिप्त विवरण : एएलसीओ कार्य के संदर्भ और कार्यक्षेत्र हैं, तरलता जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिमों का प्रबंधन, वित्त पोषण और पूंजी नियोजन, लाभ योजना और विकास प्रक्षेपण और पूर्वानुमान, और 'क्या होगा यदि परिदृश्य' का विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी करना है।

ii. lajpuk

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति में कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सदस्य के रूप में कार्यात्मक निदेशकों के साथ समिति के प्रमुख होते हैं। बैठक के लिए वित्त प्रमुख और प्रौद्योगिकी प्रमुख को आमंत्रित किया जाएगा। वित्त विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख बैठक के स्थायी आमंत्रित/सदस्य होते हैं।

iii. cBd dk fooj.k

वर्ष 2024–2025 के दौरान, चार बैठकें आयोजित की गईं, अर्थात 10 अप्रैल, 2024, 12 जुलाई, 2024, 14 अक्टूबर, 2024 और 15 जनवरी, 2025 को। समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नाम	धारित पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	श्री विपुल गोयल सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) (1 जुलाई, 2023 से 1 मई, 2024 तक)	अध्यक्ष	01	01
2.	डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (02.05.2024 से)	अध्यक्ष	03	03
3.	श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (योजना एवं विपणन)	सदस्य	04	04
4.	श्री गौरव गुलाटी निदेशक (वित्त)	सदस्य	04	04

- वित्त प्रमुख, आईटी विभाग प्रमुख (मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी), मुख्य जोखिम अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में शामिल हुए।

p½ vkbVh j.kuhfr lfefr

i) fopkjkFkZ fo"k;k ¼Vhvkvkj½ dk lf{kIr fooj.k% आईटी रणनीति समिति के विचारार्थ विषयों और भूमिकाएं तथा जिम्मेदारियां हैं; आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया को लागू किया है; यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है जो यह सुनिश्चित करता है कि आईटी व्यवसाय को मूल्य प्रदान करता है; आईटी निवेश सुनिश्चित करना जोखिमों और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और बजट स्वीकार्य हैं; रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धति की निगरानी करना और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च–स्तरीय दिशा प्रदान करना; कंपनी के विकास को बनाए रखने के लिए आईटी निवेशों का उचित संतुलन सुनिश्चित करना और आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के बारे में जागरूक होना।

ii) l:jpuk

एनबीएफसी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे के लिए आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, कंपनी के निदेशक बोर्ड ने आईटी रणनीति समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष कंपनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। आरएमए (कच्चा माल सहायता योजना) के प्रमुख और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख [मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ)] के रूप में, बैठक के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। मुख्य सूचना अधिकारी बैठक के संयोजक होते हैं।

iii) cBd dk fooj.k

निदेशक मंडल की बैठकें 19 जून, 2024, 8 नवंबर, 2024 और 20 फरवरी, 2025 को समय–समय पर आयोजित की गईं। वर्ष 2024–25 के दौरान, कुल तीन बैठकें आयोजित की गईं। आयोजित बैठकों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र.सं.	नाम	धारित पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्याा	बैठकों की उपस्थित संख्या
1.	डॉ. अशोक अहिरवार (स्वतंत्र निदेशक) (21.12.2024 तक)	अध्यक्ष	2	2
2.	डॉ. सिम्मी चौधरी (सरकार द्वारा नामित निदेशक)	अध्यक्ष	1	1
3.	डॉ. सिम्मी चौधरी (सरकार द्वारा नामित निदेशक)	सदस्य	2	1
4.	श्री कार्तिकेय सिन्हा निदेशक (योजना एवं विपणन)	सदस्य	3	3
5.	आरएमए के विभागाध्यक्ष	सदस्य	3	3
6.	आईटी के विभागाध्यक्ष	सदस्य	3	3

* श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त) विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में शामिल हुए।

iv) Lor= fun'kdksa dh iFkd cBd

1 मार्च, 2025 तक, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक डॉ. अशोक कुमार अहिरवार और श्री कालंदी चरण सामल का कार्यकाल 22 दिसंबर, 2024 से समाप्त हो गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 15 अक्टूबर, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

V. lkekU; fudk; dh cBd

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	कार्यक्रम का स्थान	विशेष संकल्प (यदि कोई हो)
2023-24	08/11/2024	अपराह्न 3.00 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	शून्य
2022-23	12/12/2023	अपराह्न 3.00 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	
2021-22	19/12/2022	दोपहर 2.30 बजे	ओबेरॉय होटल, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली– 110 003	

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक नहीं हुई।
वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक आम बैठक दिनांक 30 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी।

VI Lor= fun'kd }kjk ?kks"k.kk

बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

उक्त बैठक में निदेशक बोर्ड ने पुष्टि की कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं, और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश तथा प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

VII vkpkj lfgrk

डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए 'आचार संहिता' जारी की है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है। जैसा कि आचार संहिता में उल्लेख किया गया है और बोर्ड के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में एक घोषणा इस रिपोर्ट के vuqyXud–**I** में संलग्न है।

VIII. lgk;d dai uh

एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अर्थात एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) को 28 अगस्त 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार एसआरआई फंड को समर्थित करने हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। सेल्फ रिलायंट इंडिया (एसआरआई) फंड एनवीसीएफएल की पहली योजना है। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण एनवीसीएफएल की होल्डिंग कंपनी के समक्ष रखे जाते हैं।

IX. dai uh dh foÙkh; fLFkfr dk ÁHkkfor dju oky egRoi.kZ ifjorZu vkj Áfrc)rk,¡

इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण यदि कोई हो के अलावा, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं, जो कंपनी के उस वित्तीय वर्ष के अंत, जिनसे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और जिस तारीख की यह रिपोर्ट है, के बीच हुई हों।

X. ÁdVhdj.k

कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

- प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपीज)

  31 मार्च, 2025 को यथास्थिति कंपनी में "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों" के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति हैं।

Ø-l-	Áe[k Ác/kdh; dkfeZd	inuke	vof/k	
			l	rd
1.	श्री विपुल गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2024	01.05.2024

2.	डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.05.2024	31.03.2025
3.	श्री गौरव गुलाटी	निदेशक (वित्त)	01.04.2024	31.03.2025
4.	श्री कार्तिकेय सिन्हा	निदेशक (योजना एंव विपणन)	01.04.2024	31.03.2025
5.	श्री कालंदी चरण सामल	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024	21.12.2024
6.	डॉ. अशोक अहिरवार	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024	21.12.2024
7.	श्री गौरव गुलाटी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2024	31.03.2025
8.	श्रीमती निष्ठा गोयल	कंपनी सचिव	01.04.2024	31.03.2025

- बंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा किया जाना अपेक्षित विवरण कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में उल्लिखित है।
- सीईओ/सीएफओ प्रमाणन: कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2024–25 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीएमडी/सीएफओ द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्र को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- लागू कानूनों का अनुपालन: बोर्ड समय–समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की स्थिति की समीक्षा करता है।
- एनएसआईसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान, बोर्ड और इसकी समितियों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार छूट प्राप्त है।
- कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुपालन के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाकर एक सतर्कता तंत्र लागू किया है, जिसका उद्देश्य किसी भी कर्मचारी को किसी भी या अप्रत्याशित अभ्यास और कदाचार की किसी भी घटना के बारे में चिंता व्यक्त करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।
- संचार साधन: एनएसआईसी की एक समर्पित वेबसाइट है, अर्थात् www.nsic.co.in, जिसमें कंपनी की योजनाओं और गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी का उल्लेख किया गया है और समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। आधिकारिक वेबसाइट भी विभिन्न घटनाओं को पोस्ट करती है, जिसमें आधिकारिक समाचार रिलीज, दृष्टि, मिशन, नीतियां इत्यादि शामिल हैं, लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एकल लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट आदि शामिल हैं, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

XI. कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन के विवरण

केंद्र सरकारी क्षेत्र उद्यमों के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया है। इस बारे में मैसर्स कुमार वाधवा एण्ड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र "अनुलग्नक–**II**" के रूप में संलग्न है, जिसमें कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

(डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य)
अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06727939

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 सितंबर, 2025

dkjikjV vfHk'kklu ij Mhihb dh fn'kkfunsZ'kksa d rgr vko';d ?kks"k.kk

"बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।"

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10.06.2025

ह./
अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक

अनुबंध–II dh dkikjV l'kklu lac/kh fjikVZ

dkjikjV l'kklu vuqikyu Áek.k&i=

सेवा में,
lnL;x.k
jk"Vªh; y?kq m|kx fuxe fyfeVsM
iathÑr irk% ,u,lvkbZlh Hkou] vk[kyk bMLVªh;y ,LVsV Qst&AAA
ubZ fnYyh&110020

हमने, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित, सीआईएन : U74140DL1955GOI002481 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा प्रबंधकवर्ग द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हमारा मानना है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एनएसआईसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए सभी सक्रिय कदम उठाए हैं।

कारपोरेट सुशासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा है और न ही इन पर राय की कोई अभिव्यक्ति।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में या उस दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिससे प्रबंधकवर्ग ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया है।

ह./–
कृते कुमार वाधवा एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

संजय कुमार
प्रबंधन साझेदार
सदस्यता सं.: 9211
सी.पी. सं.: 7027
यूडीआईएन: F009211F000905601
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 3834/2023

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25.06.2025

Lor= y[kkijh{kdk dh fjikV

l[ok e]

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM d lnL;ksa

Hkkjrh; y[kk ekud ,dy foRrh; fooj.kksa dh y[kk&ijh{kk ij fjikV

jk;

हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ('इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) के साथ उस तिथि तक के एकल तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी और नकदी प्रवाह के विवरण में परिवर्तन, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय के वित्तीय विवरण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 54 शाखा कार्यालय और तकनीकी केंद्र के विवरण शामिल हैं। (जिन्हें इसमें आगे एकल वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त अकेले वित्तीय विवरण, यथा अपेक्षित तरीके से, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2025 को यथास्थिति निगम के कारोबार की, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ एवं हानि अन्य व्यापक आय, (इक्विटी में परिवर्तन) तथा इसके नकदी प्रवाह की यथा संसोधित कंपनी (भारतीय लेखाकंन मानक) नियमावली, 2015 ("भारतीय लेखाकंन मानक") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्धारित भारतीय लेखाकंन मानकों और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखाकंन सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

jk; dk vkèkkj

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अनुसार अकेले वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिपोर्ट के अकेले वित्तीय विवरण भाग की 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ' वर्णित हैं। हम, नैतिकता अपेक्षाओं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से सुसंगत हैं, के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

ekeyksa ij tksj nuk

हम एकल वित्तीय विवरण इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट 35 के पैरा 10 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो कि अतिरिक्त प्रावधान के संबंध में है, जो केएफडब्ल्यू XII की मूल ऋण राशि से अधिक था।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

çeq[k y[kkijh{kk ekey

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक गैर–सूचीबद्ध कंपनी है।

,dy foÙkh; fooj.kksa vkj mu ij y[kkijh{kk fjikV d vykok lpuk

अन्य सूचना के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में, प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष का कथन शामिल की गई सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी, ऊपर पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है, जब यह उपलब्ध हो और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों के या लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी के साथ सारवान रूप से सुसंगत है या अन्यथा सारवान रूप से अयथार्थ विवरण देने के रूप में प्रतीत होती है।

एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर बताई गई अन्य

जानकारी को उपलब्ध होने पर पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की सूचना शासन के प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

,dy foÙkh; fooj.kksa ds fy, çca/ku vkSj 'kklu ds çHkkjh ykxksa dh ftEesnkfj;k¡

ये एकल वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों सहित में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में निगम की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, जो एकल वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल, के चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का इस्तेमाल करने, जब तक निदेशक मंडल या तो निगम के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

यह निदेशक मंडल, निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

,dy foÙkh; fooj.kksa dh y[kkijh{kk ds fy, y[kkijh{kd dh ftEesnkfj;k¡

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे एकल वित्तीय विवरण, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण, और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्चस्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग–अलग या स्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूकें, मिथ्यनिरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।
- ऐसी लेखपरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने की दृष्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित विगोपनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के इस्तेमाल

की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता पर महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, एकल भारतीय लेखाकंन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ये विगोपन हमारी राय संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां निगम के लिए एकचल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।

- विगोपनों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या एकल भारतीय लेखाकंन मानक वित्तीय विवरण किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्त्वपूर्ण कमी, जिसका पता हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथ पत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्कसंगत समझे जाते हैं और जहाँ लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ संसूचित मामलों से हम ऐसे मामले निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा के मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं। जब तक कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक विगोपन से विवर्जित नहीं करते या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यह आशा है कि वे इस संसूचन के सार्वजनिक हित लाभ को तर्कसंगत ढंग से समाप्त कर देंगे।

vU; ekey

हमने निगम के वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए उन 54 शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के अकेले वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं, 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार 3,31,093.26 लाख रू. और उस तारीख को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में यथानिर्धारित 3,36,449.51 लाख रुपए का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसाकि वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचनाओं की लेखापरीक्षा उन स्वतंत्र लेखापरीक्षकों जिनकी नियुक्ति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय, जहाँ तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटनों का संबंध है, यह पूर्णतः उन शाखाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

vU; fof/kd vkj fofu;ked vi{kkvksa ij fjikVZ

1. जैसाकि कम्पनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप – धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण "अनुबंध–क" देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में निगम ने कानून के अधीन अपेक्षित उचित लेखा–बहियांरखी हैं, जैसाकि लेखा–बहियों की जांच करने से हमें पता चला है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए उन शाखाओं और तकनीकी केंद्रों से पर्याप्त उचित

विवरण प्राप्त किए गए हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत कंपनी के लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमारे द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने में, इन्हें उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

(घ) एकल तुलन पत्र, लाभ और हानि का एकल विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इक्विटी में बदलाव का विवरण लेखा–बहियों और प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाता है। जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया।

(ड़) हमारी राय में, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों और उसके तहत जारी प्रासंगिक नियम का अनुपालन करते हैं।

(च) अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463(ई) दिनांक 5 जून 2015, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनात्मक प्रभावीपन के संबंध में अनुबंध "ख" के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(ज) अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463(ई) दिनांक 5 जून 2015, निदेशकों को पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। और

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण ों के अनुसारः

(i)निगम ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33 देखें।

(ii)निगम के पास व्युत्पत्ति संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं थी, जिनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण अनुमानित हानियां थीं।

(iii)कोई ऐसी राशियाँ नहीं थीं, जिन्हें निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

(iv)(क) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं सहित ('मध्यवर्ती संस्थाएँ'), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा किसी भी फंड को अग्रिम तौर पर दिया या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि से, या शेयर प्रीमियम, या किसी अन्य स्रोत, या किसी प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है, कि मध्यवर्ती संस्था; 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ('अंतिम लाभार्थियो') उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा 'अंतिम लाभार्थियों' को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्त पोषक पार्टियां') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी; 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषक पार्टियों द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ('अंतिम लाभार्थियो') उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा 'अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा।

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें उन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदित, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण प्रदान किया गया है।

(v)वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में लागू सीमा से संबंधित लाभांश की घोषणा और भुगतान किया है।

(vi)हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच और अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए तकनीकी केंद्रों सहित 54 शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट पर विचार करना शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जो इसमें ऑडिट ट्रेल रिकॉर्डिंग (लॉग संपादित करें) सुविधा की सुविधा है और यह लेखांकन सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होती है। अपनी प्रक्रियाओं के निष्पादन के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

इसके अतिरिक्त, रिकार्ड संरक्षण हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

3. हमारे द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में मुख्य कार्यालय के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के खातों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा 54 शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों की लेखापरीक्षा के संबंध में तैयार की गई Þvuc/k&xß के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

ए पी आर ए एवं एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. : 011078एन/एन 500064)

ह./
सीए अरूण कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 089657
यूडीआईएन नः 25089657BMMMXY9945

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.06.2025

fnukd 31 ekp] 2025 dk lekIr o"kZ d] fy, jk"Vªh; y?kq m|kx fuxe fyfeVM d] ,dy foÙkh; fooj.kksa ij Lor=a y[kk ijh{kd fjikVZ & vuqc/k ^d*

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियमितता आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैरा 1 में संदर्भित)

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति और उपयोग के अधिकार की संपत्ति के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों का प्रबंधन द्वारा कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रकटित सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौता पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित है) निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी के नाम पर हैं

lifÙk dk fooj.k	ldy ogu eY; ¼:- yk[k e½	uke ij LokfeRo foy[k	D;k çkfèkdkj foy[k èkkjd çekVj] fun'kd ;k fj'rsnkj dsipkjh gS	lifÙk fdl frFk l sèkkfjr gS	diuh d uke ij èkkfjr ugh gksus dk dkj.k
तकनीकी केंद्र हावड़ा में भूमि	1.60	नोट 1 देखें	नहीं	1959-60	नोट 1 देखें
निगम कार्यालय मुंबई में फ्लैट	11.52	नोट 2 देखें	नहीं	1988	नोट 2 देखें

नोट 1: मूल शीर्षक विलेख हमारे सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालाँकि, प्रबंधन के अनुसार, स्वामित्व दस्तावेजों की फोटो कॉपी के आधार पर, स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर है, कब्जा कंपनी के पास है, लेकिन मूल शीर्षक दस्तावेजों का पता नहीं चल पा रहा है। स्थानीय सरकारी प्राधिकरण से स्वामित्व विलेख की भौतिक हार्ड कॉपी प्राप्त करने का मामला प्रक्रियाधीन है।

नोट 2: तिलक नगर, चेंबूर, मुंबई में सोसायटी का पुनर्विकास, जिसमें कंपनी के छह फ्लैट हैं, पूरा हो चुका है और कब्जा कंपनी के पास है, हालांकि, कंपनी के पक्ष में शीर्षक विलेख/दस्तावेजों को निष्पादित किया जाना बाकी है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड़) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च 2025 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जाँचे गए अभिलेखों के अनुसार, वर्ष के दौरान इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, इस सत्यापन का दायरा और प्रक्रिया उचित है। इस सत्यापन के दौरान कोई भी भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

(ख) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है, जो वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर सुरक्षित है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों में दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न या विवरण आमतौर पर कंपनी के खाते की किताबों के अनुरूप होते हैं।

(iii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी

या किसी अन्य पार्टियों को गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान निवेश किया है, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी और अन्य पार्टियों को सुरक्षित ऋण दिए हैं।

(क) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,कंपनी का एक प्रमुख व्यवसाय ऋण देना है (कंपनी आरबीआई नियमों के अनुसार व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी है)। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iii)(क) तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(ख) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी, यदि कोई हो, तथा सभी ऋण और अग्रिमों के अनुदान की शर्तें और नियम, कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और प्राप्तियां आमतौर पर नियमित हैं।

(घ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों की अतिदेय राशियाँ निम्नलिखित हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर कंपनी ने मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए उचित कदम उठाए हैं। हालाँकि, 90 दिनों से अधिक की अतिदेय राशि पर ब्याज को आय और कुल बकाया (मूलधन ब्याज) के साथ सुरक्षा के रूप में ली गई बैंक गारंटी के मूल्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

(रू.लाख में)

ekeyk dh l[;k	ey jkf'k vfrn;	C;kt vfrn;	nMkRed 'kYd vfrn;	dy vfrn;	fVIif.k;k ¼;fn dkbZ½
225	32131.49	334.66	42.13	32508.28	शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

(ड़) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,कंपनी का एक प्रमुख व्यवसाय ऋण देना है (कंपनी आरबीआई नियमों के अनुसार व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी है)। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iii)(ड़) तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(च) कंपनी ने मांग पर चुकाने योग्य या पुनर्भुगतान की शर्तों को निर्दिष्ट किए बिना ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(iii)(च) लागू नहीं होता है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,कंपनी ने वर्ष के दौरान दिए गए ऋण और अग्रिम, प्रदान की गई गारंटी और प्रतिभूतियों और कंपनी द्वारा किए गए निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जनता से जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(v) लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के खंड (डी) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

(vii) वैधानिक बकाया के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसारः

(क) निगम द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और लागू अन्य किसी सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियां उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराई जाती हैं। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त सांविधिक देय राशियों के संबंध में उनके देय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित राशि देय नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,उपरोक्त उप–खंड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया का विवरण जो विवादों के कारण 31 मार्च 2025 तक जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है:

Ø-l-	lfof/k dh ç—fr	n; jkf'k;k dk Lo:i	/kujkf'k ¼yk[k #- e½	vof/k ftlls jkf'k lcf/kr g	ep] tgk fookn yfcr g
1	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	50.89	2015-16 से 2016-17	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), चेन्नई
2	उड़ीसा वैट अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	13.88	2014-15	उच्च न्यायालय, कटक
3	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	9.56	अक्टूबर 2007 से जून 2012	अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद
4	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2.50	2016-17	बिक्री कर विभाग, कानपुर
5	बिक्री कर अधिनियम	अंतर कर, ब्याज और जुर्माना	142.39	2012-13	पीठ–I, महाराष्ट्र बिक्री कर न्यायाधिकरण,
6	बिक्री कर अधिनियम	अंतर कर, ब्याज और जुर्माना	18.92	2013-14	बिक्री कर उप आयुक्त – अपील, मजगांव, मुंबई
7	बिक्री कर अधिनियम	अंतर कर, ब्याज और जुर्माना	46.97	2014-15	बिक्री कर संयुक्त आयुक्त – अपील, मजगांव, मुंबई
8	बिक्री कर अधिनियम	अंतर कर, ब्याज और जुर्माना	82.43	2015-16	बिक्री कर संयुक्त आयुक्त – अपील, मजगांव, मुंबई
9	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर और जुर्माना	1.85	2015-16 से 2016-17	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी), इलाहाबाद
10	जीएसटी, (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017	जीएसटी राज्य उपकर	71.08	2018-19	जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, कटक
11	आयकर अधिनियम	आयकर नियमित मांग	18.39	2016-17	सीआईटी (अपील)–IX, नई दिल्ली
12	जीएसटी अधिनियम 2017	विभेदक कर, ब्याज और जुर्माना (सीजीएसटी और केजीएसटी)	981.33	2019-20	वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील–2), बैंगलोर
13	जीएसटी अधिनियम 2017	जीएटी की मांग	46.28	2018-19	सीईएसटीएटी, इलाहाबाद
14	जीएसटी अधिनियम 2017	जीएटी की मांग	11.21	2018-19	राज्य अपीलीय प्राधिकरण, भुवनेश्वर
15	जीएसटी अधिनियम 2017	जीएटी की मांग	16.70	2018-19	अपीलीय प्राधिकरण, संयुक्त आयुक्त (एसटी), सिकंदराबाद संभाग
16	जीएसटी अधिनियम 2017	जीएटी की मांग	145.89	2018-19	अपीलीय प्राधिकरण, संयुक्त आयुक्त (एसटी), सिकंदराबाद संभाग
17	जीएसटी अधिनियम 2017	जीएटी की मांग	1546.72	2017-18 से 2020-21	अपीलीय आयुक्त – II, दिल्ली
	dy		**3206.99**		

(viii) पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

(ix) (क) कंपनी ने किसी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चला कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधि का उपयोग कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घावधि प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है।

(ड़) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच से पता चलता है कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(x)(क) लागू नहीं होता है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष स्वरूप की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की सूचना नहीं मिली है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xi)(क) और (ख) लागू नहीं होता।

(ख) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष स्वरूप की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र ADT–4 में कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल–ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं होते। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (xii) लागू नहीं होता।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू इंड एएस द्वारा अपेक्षित है।

(xiv) (क) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने के लिए, हमने वर्ष के दौरान कंपनी को जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है, और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3(xv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत है और एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए पंजीकरण संख्या एन. 14–03090 दिनांक 29.12.2005 का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम एक प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के भीतर कोई प्रमुख निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है), और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xvii) हमारी लेखापरीक्षा द्वारा शामिल किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान, और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निगम को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, जीवनकाल के घटने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, साथ ही वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, और साक्ष्यों के हमारे सत्यापन के आधार पर व मान्यताओं का समर्थन करते हुए, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तथा जो यह दर्शाता हो कि निगम तुलन पत्र की तारीख में अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जैसा कि और जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम प्रतिवेदित करते हैं कि यह निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे वर्णित करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है, और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि सभी देनदारियों का निबटान कर दिया जाएगा, जैसा कि और जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं।

(xx) (क) चालू परियोजना के अलावा अधिनियम की धारा 135 की धारा (5) के तहत कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

(ख) अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के तहत किसी चालू परियोजना के तहत खर्च न की गई शेष राशि, धारा 135 की उक्त अधिनियम. उप–धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

ए पी आर ए एवं एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. : 011078एन/एन 500064)

ह./
सीए अरूण कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 089657
यूडीआईएन नः 25089657BMMMXY9945

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.06.2025

31 ekpZ 2025 dks lekIr o"kZ ds fy, jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM ds ,dy foÙkh; fooj.kksa ij Lora= y[kk ijh{kd dh fjiksVZ dk vuqcU/k ^ [k*

¼le fnuksd dh gekjh fjiksVZ ds ^vU; dkuwuh vkj fu;ferrk vko';drk ij fjiksVZ^ vuqHkkx ds rgr ijk 2¼th½ esa lanfHkZr½

dEiuh vf/kfu;e] 2013 ¼^^vf/kfu;e^^½ dh /kkjk 143 dh mi&/kkjk 3 ds [kaM ¼i½ ds rgr vkarfjd foÙkh; fu;a=.k ij fjiksVZ

हमने 31 मार्च, 2025 तक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) के एकल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलाकर लेखापरीक्षा की है।

vkarfjd foÙkh; fu;a=.kksa ds lEcU/k esa Áca/kd&ox dh ftEesnkjh

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित एकल वित्तीय विवरण मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत के सनदी लेखाकार ('आईसीएआई')। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधि ानियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

y[kkijh{kdksa dh ftEesnkjh

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय निगम के आंतारिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्त्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षणों के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

foÙkh; fjiksfVZx ij vkarfjd foÙkh; fu;a=.kksa ls rkRi;Z

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो

(1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो,

(2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण

तैयार करने के लिए आवश्यक लेन–देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को कंपनी के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है, और

(3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

foÙkh; fjikfVax ij vkarfjd foÙkh; fu;a=.kksa dh fufgr lhek,a

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, एकल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो एकल वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

jk;

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो "भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण" पर आधारित थे।

vU; ekeyk

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत अब तक की 54 शाखाओं/कार्यालयों की वित्तीय विवरणों/सूचनाओं से संबंधित है जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त स्वतंत्रलेखा परीक्षकों ने इस तरह की शाखाओं/कार्यालयों के लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर आधारित है। तकनीकी केंद्रों और एनवीसीएफएल सहित की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जो ऐसी शाखाओं/कार्यालयों/कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

ए पी आर ए एवं एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. : 011078एन/एन 500064)

ह./
सीए अरूण कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 089657
यूडीआईएन नः 25089657BMMMXY9945

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025

31 ekpZ 2025 dks lekIr o"kZ ds fy, jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM ds ,dy foÙkh; fooj.kksa ij Lora= y[kk ijh{kd dh fjiksVZ dk ^vuqc/k x^

¼le frfFk dh gekjh fjiksVZ ds ^vU; dkuwuh vkSj fu;ferrk vko';drkvksa ij fjiksVZ^ vuqHkkx ds rgr ijk 3 esa lanfHkZr½

vuqikyu lacaèkh izek.ki=

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित किया जाता है कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/ उप–निर्देशों का पालन किया है।

ए पी आर ए एवं एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. : 011078एन/एन 500064)

ह./
सीए अरूण कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 089657
यूडीआईएन नः 25089657BMMMXY9945

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025

d iuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼5½ d rgr funs'kksa d vuqlkj o"kZ 2024&2025 d fy, jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM dh v,fMV fjikVZ

Ø-l-	fn'kk&funs'k	mÙkj
I	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति–पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और अउद्धृत, दोनों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानक (इंड अकाउंटेंट) के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेगा, और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा।	हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, पीएफ ट्रस्ट द्वारा सेवानिवृत्ति–पश्चात लाभ–भविष्य निधि में किए गए निवेश का कर्मचारी लाभ पर भारतीय लेखा मानक –19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, बीमारी अवकाश और सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते जैसे सेवानिवृत्ति–पश्चात लाभों में कोई निवेश नहीं किया है। हालाँकि, इस खाते पर देयता को कर्मचारी लाभ पर भारतीय लेखा मानक –19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। उपयोग की गई मूल्यांकन पद्धतियाँ उद्योग पद्धति के अनुरूप हैं और निवेश की प्रकृति और सहायक दस्तावेजों के आधार पर भारतीय लेखा मानक और बीमांकिक रिपोर्टों की आवश्यकताओं के अनुपालन में उचित पाई गईं। मूल्यांकन में कोई विचलन या गलत विवरण नहीं पाया गया।
II	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाए।	हाँ, कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन संसाधित करने के लिए अपनी प्रणाली मौजूद है। कंपनी बैलेंस शीट समेकन के लिए टैली (ईआरपी 9) और स्टोव सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। आरएमए सॉफ्टवेयर और समृद्धि सॉफ्टवेयर का उपयोग क्रमशः आरएमए वित्तपोषण और कर्मचारी वेतन के लिए किया जाता है। हालाँकि, आरएमए सॉफ्टवेयर और समृद्धि सॉफ्टवेयर एकीकृत नहीं हैं। लेखापरीक्षित शाखा रिपोर्टों, की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, आईटी सिस्टम के बाहर कोई भी लेखांकन लेनदेन संसाधित/संचालित नहीं किया गया है। तदनुसार, खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
III	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाए।	हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों के आधार पर, केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी, आदि) का लागू लेखा मानकों या संबंधित नियमों व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों के आधार पर, प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा अनुदान की शर्तों व नियमों के अनुसार किया गया है। अनुदान की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार प्राप्त सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, भारत सरकार से अग्रिम के रूप में मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार को देय राशि के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान अनुदानों के लेखांकन या उपयोग में गैर–अनुपालन या विचलन का कोई मामला नहीं देखा गया।

IV	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन	कंपनी द्वारा अपनाई गई आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) की हमारी लेखापरीक्षा और समीक्षा के एक भाग के रूप में, यह पाया गया कि एनएसआईसी ने अपने परिचालनों से संबंधित प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें ऋण जोखिम, परिचालन जोखिम, तरलता जोखिम, बाजार जोखिम और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल हैं। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जो इसके आईसीएएपी के साथ एकीकृत है, नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के तत्वों को समाहित करती है। यह नीति जोखिम पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और शमन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, और वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड–स्तरीय समिति द्वारा समय–समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन नीति नियंत्रण मूल्यांकन, तनाव परीक्षण और पूंजी पर्याप्तता आकलन जैसी प्रथाओं को प्रतिबिंबित करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने महत्वपूर्ण डेटा परिसंपत्तियों, विशेष रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग, ग्राहक डेटा और परिचालन प्रणालियों के क्षेत्रों में, की पहचान का कार्य भी किया है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने ग्राहक डेटाबेस, आपूर्तिकर्ता रिकॉर्ड, एमएसएमई पंजीकरण और ऋण प्रसंस्करण प्रणालियाँ, डिजिटल दस्तावेजीकरण प्लेटफॉर्म और आंतरिक परिचालन डेटा प्रबंधन प्रणालियाँ जैसी प्रमुख डेटा परिसंपत्तियों की पहचान अपने सेवा वितरण मॉडल के अभिन्न अंग के रूप में की है। ये डेटा परिसंपत्तियाँ, कंपनी के तकनीकी बुनियादी ढाँचे में अंतर्निहित होने के कारण, समग्र संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का हिस्सा मानी गई हैं। कंपनी ने जहाँ उपयुक्त हो, संबंधित लागतों को पूंजीकृत किया है और लागू प्दक\ के अनुसार ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया है। अपने परिचालनों के संदर्भ में, वर्तमान व्यवहार डेटा परिसंपत्तियों की पहचान और मूल्यांकन के लिए एक निष्पक्ष और अनुपालन दृष्टिकोण को दर्शाता है।
V	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, तथा सेबी, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सर्ट–इन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है, जहाँ भी लागू हो? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जाए।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और अनुपालन रिकॉर्ड और प्रबंधन अभ्यावेदन की समीक्षा के आधार पर, यह देखा गया कि कंपनी, एक गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन नहीं है। हालाँकि, कंपनी निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), और अन्य नियामक प्राधिकरणों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), सीईआरटी एवं आईएन और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), जहाँ भी लागू हो, द्वारा जारी नियमों और दिशानिर्देशों के अधीन है। आयोजित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नियामक ढाँचों के गैर–अनुपालन का कोई मामला नहीं मिला।

ए पी आर ए एवं एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. : 011078एन/एन 500064)

ह./
सीए अरूण कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 089657
यूडीआईएन नः 25089657BMMMXY9945

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025

31 ekp 2025 dk lekIr o"k dk fy, xj&cfdx foÙkh; dkiuh y[kkijh{kd dh fjikVZ

निदेशक मंडल
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट,
नई दिल्ली.110020

1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अनुसरण में, कंपनी ने पंजीकरण संख्या एन–14.03090 दिनांक 29.12.2005 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, जिससे कंपनी को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने की अनुमति मिली है;

2) निदेशक मंडल ने 9 दिसंबर 1998 को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भविष्य में सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है; जिसकी 17 अप्रैल 2025 को पारित किए गए बोर्ड के प्रस्ताव में पुनः पुष्टि की गई है।

3) कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किए हैं।

4) निगम 31 मार्च 2025 तक अपने प्रमुख व्यवसाय मानदंड (वित्तीय परिसंपत्ति/आय पैटर्न) के संदर्भ में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी रखने का हकदार है।

5) निगम मास्टर निदेश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में निर्धारित आवश्यक निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी अपेक्षा को पूरा कर रहा है।

6) आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सीसी.पीडी.सं. 109/22.10.106/2019–20 दिनांक 13.03.2020 के आधार पर, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 4 के अंतर्गत आने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को वर्ष 2019–20 और उसके बाद के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) का अनुपालन करना आवश्यक है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2019–20 से, इंडएएस–109 के संदर्भ में ईसीएल को वित्तीय लिखतों पर हानि भत्ते के रूप में मान्यता दी गई है।

7) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम द्वारा वित्त वर्ष 2024–25 की सभी तिमाहियों के लिए पूंजीगत निधियों, जोखिम परिसंपत्तिया/जोखिमों और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (डीएनबीएस 03 रिटर्न) का विवरण, संबंधित तिमाहियों के अनंतिम वित्तीय परिणामों के आधार पर, निर्धारित अवधि के भीतर सीआरएआर सहित, आरबीआई के मानदंडों के अनुपालन में दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित सीआरएआर सही ढंग से निकाला गया है और यह आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुरूप है।

ए पी आर ए एवं एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. : 011078एन/एन 500064)

ह./
सीए अरूण कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 089657
यूडीआईएन नः 25089657BMMMXY9945

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025

lkfof/kd y[kkijh{kd çek.ki= ¼,l,lh½

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में रखे गए लेखा–विवरणों और अन्य अभिलेखों की जांच की है। हमें प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं:–

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
2.	पंजीकरण संख्या का प्रमाण पत्र	एन.14.03090
3.	पंजीकृत कार्यालय का पता	एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली–110020
4.	कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	–वही–
5.	कंपनी को आरबीआई द्वारा निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है: (निवेश कंपनी/ऋण कंपनी/एएफसी/एनबीएफसी–एमएफआई/एनबीएफसी–फैक्टर/आईएफसी/आईडीएफ–एनबीएफसी)	ऋण कंपनी
6.	निवल स्वाधिकृत निधि (करोड़ रुपये में) (इसकी गणना अनुबंध में दी गई है)	1325.07
7.	कुल परिसंपत्तियाँ (करोड़ रुपये में)	3395.06
8.	परिसंपत्ति–आय पैटर्न: (आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति 1998–99/1269 दिनांक 8 अप्रैल 1999 के संदर्भ में) (क) कुल परिसंपत्ति में वित्तीय परिसंपत्तियों का % (ख) सकल आय में वित्तीय आय का % (एनबीएफसी–फैक्टर/एनबीएफसी–एमएफआई/एएफसी/ आईएफसी की भी नीचे अलग से रिपोर्ट कर सकते हैं)	86.20% 66.07%
9.	क्या 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के पास कोई सार्वजनिक जमा राशि थी? यदि हाँ, तो राशि करोड़ में	नहीं
10.	क्या कंपनी ने वर्ष के लिए अपने निवल लाभ की कम से कम 20% राशि को आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया है? (आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अनुसार)।	हाँ
11.	क्या कंपनी को कोई एफडीआई मिला है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने एफडीआई के न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों का अनुपालन किया?	नहीं
12.	यदि कंपनी को एनबीएफसी–फैक्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया है; (क) कुल परिसंपत्ति में फैक्टरिंग परिसंपत्ति का % (ख) सकल आय में फैक्टरिंग आय का %	लागू नहीं

13.	निगम को एनबीएफसी–एमएफआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है; निवल परिसंपत्तियों में अर्हक परिसंपत्तियों का प्रतिशत (02 दिसंबर 2011 की अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी. सं. 234सीजीएम(यूएस) 2011 देखें)	लागू नहीं
14.	यदि कंपनी को एएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है; (क) कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में आर्थिक कार्यकलाप में सहायक भौतिक/वास्तविक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए अग्रिमों का % (ख) कुल आय के संदर्भ में इन परिसंपत्तियों से उत्पन्न आय का %	लागू नहीं
15.	यदि कंपनी को एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में बुनियादी ढांचा ऋण का %	लागू नहीं
16.	क्या वर्ष के दौरान कोई अधिग्रहण/नियंत्रण का अधिग्रहण/शेयरधारिता/प्रबंधन में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता हुई ? (विवरण के लिए कृपया इस विषय पर 09 जुलाई 2015 का डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.065/ 03.10. 001/2015–16 देखें)	लागू नहीं

मास्टर निदेश–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, दिनांक 29 सितंबर 2016 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल के लिए एक अलग रिपोर्ट तैयार की गई है।

ए पी आर ए एवं एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. : 011078एन/एन 500064)

ह./
सीए अरूण कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 089657
यूडीआईएन नः 25089657BMMMXY9945

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025

Ø-l-	ith fuf/k &fV;j I	¼#i;s djksM esa½
1	चुकता इक्विटी पूंजी	532.99
2	अधिमानी शेयरों को अनिवार्यतः इक्विटी में परिवर्तित किया जाना	
3	निर्बंध आरक्षित निधियां:	
	सामान्य आरक्षित निधियां	
	शेयर प्रीमियम	
	पूंजीगत आरक्षित निधियां	
	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधियां	
	पूंजी मोचन आरक्षित निधियां	
	पीएंडएल खाते में क्रेडिट शेष	693.26
	अन्य निर्बंध आरक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किया जा सकता है)	
4	विशेष आरक्षित निधियाँ	138.47
	कुल 1 से 4	1364.72
5	घटाएं: (i) संचित हानि शेष	
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय	
	(iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	37.09
	(iv) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	2.56
	Lokfeko fuf/k	**1325.07**
6	निम्नलिखित के शेयरों में निवेश (i) एक ही समूह की कंपनियाँ	
	(ii) सहायक कंपनियाँ	6.00
	(iii) पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियाँ	
	(iv) अन्य एनबीएफसी	
7	निम्नलिखित के संदर्भ में डिबेंचर, बॉन्ड का बही मूल्य, बकाया ऋण और अग्रिम, खरीदे गए और भुनाए गए बिल (एचपी और लीज फाइनेंस सहित) और उनके साथ किए गए जमा	
	(i) एक ही समूह की कंपनियाँ	
	(ii) सहायक कंपनियाँ	
	(iii) विदेश में पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक/संयुक्त उद्यम	
8	कुल 6 और 7	6.00
9	मद 8 में स्वामित्वाधीन निधि के 10% से अधिक राशि	-
10	fuoy Lokf/k—r fuf/k	**1325.07**

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM
[lhvkbZ,u u-% U74140DL1955GOI002481]
31-03-2025 dks ;FkkfLFkfr ,dy ykyu&i=

¼yk[k #i, esa½

fooj.k		ukV lwpdkad	31.03.25 lekIr o"kZ dk fy,		31.03.24 lekIr o"kZ dk fy,	
	ifjlaifÙk;ka					
1	foÙkh; ifjlaifÙk;ka					
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	3	8561.65		10243.06	
(ख)	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	4	1419.01		1072.35	
(ग)	व्यापार प्राप्य	5	8637.07		10994.77	
(घ)	ऋण एवं अग्रिम	6	281041.46		261358.98	
(ङ)	निवेश	7	940.20		1027.21	
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	650.72	301250.11	756.98	285453.35
2	xSj&foÙkh; ifjlaifÙk;ka					
(क)	माल–सूचियां	9	9.55		9.08	
(ख)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	0.00		0.00	
(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	3709.14		3522.35	
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	12	28918.14		28627.81	
(ङ)	चालू पूंजीगत कार्य	12	543.03		482.33	
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	12	35.65		35.65	
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	12	103.58		86.35	
(ज)	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	12	169.57		221.91	
(झ)	बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां	12	0.00		0.00	
(ञ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	13	4750.57	38239.23	4117.41	37102.89
	dqy ifjlaifÙk;ka			**339489.34**		**322556.24**
	देयताएं और इक्विटी					
1	वित्तीय देयताएं					
¼d½	nk;rk,a					
(i)	0;kikj nk;rk,a					
	एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	10118.22		11916.71	
	गैर–एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	68.05		69.61	
(ii)	vU; nk; /kujkf'k;ka					
	एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	0.00		0.00	
	गैर–एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	0.00		0.00	
(ख)	उधार	15	149211.86		142495.42	
(ग)	अन्य वित्तीय देयताएं	16	14071.16	173469.29	13003.29	167485.03
2	xSj&foÙkh; nk;rk,a					
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	10	246.13		708.33	
(ख)	प्रावधान	17	12721.89		11897.10	
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	11	0.00		0.00	
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	18	6888.36	19856.38	6528.61	19134.04
3	bfDoVh					
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	19	53298.80		53298.80	
(ख)	अन्य इक्विटी	20	92881.96!	146180.76	81616.29	134915.09
	dqy nk;rk,a vkSj bfDoVh			**339506.43**		**321534.16**
	ykHkkaa ij vU; fVIif.k;ka	35				

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

blh rkjh[k dks gekjh lyXu fjikVZ dk vuqlkj
, ih vkj , ,.M ,lkfl,V ,y,yih
lunhZ ykS[kdkj
QeZ iathdj.k l-a 011078,u@,u500064

g-
¼lh, v:.k dekj xIrk½
lk>snkj
lnL;rk l-a 089657

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025
यूडीआईएन नः 25089657BIEMAMEMAEXSWAI9945

fun'kd eMy dh fy, vkSj dh vksj ls

g-
xkjo xqIrk
fun'kd ¼foRr½
[Mhvkbu : 10144109]

g-
Mk- 'kSHkk'k 'k[kj vkpk;Z
v/;{k ,oa izc/k fun'kd
[Mhvkbu: 06727939]

g-
ikFk ek>h
ofj"B egkçc/kd ¼foÙk½

g-
fu"Bk xk;y
dEiuh lfpo
lnL;rk l[;k ,22768

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

[lhvkbZu u-% U74140DL1955GOI002481]

31-03-2025 dks lekIr o"kZ ds fy, ykHk ,oa gkfu dk ,dy fooj.k

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	uksV la[;k	31.03.25 lekIr o"kZ ds fy,	31.03.24 lekIr o"kZ ds fy,
I jktLo			
क प्रचालनों से राजस्व			
उत्पादों की बिक्री	21	290771.56	276408.88
सेवाओं की बिक्री	21	8575.65	8114.83
किराये की आय		6061.71	5463.90
ब्याज आय	21	29294.84	32021.02
शुल्क और कमीशन आय	21	4378.19	4829.27
ख्इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 4378.19 लाख रू. (4829.27 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 1143017.44 लाख रू. (1168413.63 लाख रू.) शामिल है,			
अन्य परिचालन आय	21	4038.51	479.66
ifjpkyu ls dqy jktLo		**343120.46**	**327317.56**
ख अन्य आय	22	193.90	278.90
ग लांभाश आय		112.40	91.10
घ अनुदान और सब्सिडियां	23	8973.87	13917.28
dqy jktLo ¼d $ [k $ x $?k½		**352400.63**	**341604.84**
II 0;;			
उत्पादों की खरीद	24	289070.32	275064.83
माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	0.00
कर्मचारी लाभ व्यय	26	14629.43	14115.71
वित्त लागतें	27	10744.19	11479.20
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	980.28	842.91
निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	309.65	288.89
अन्य व्यय	30	16773.65	22278.37
शुल्क और कमीशन व्यय	34	59.82	71.29
dqy 0;;		**332567.34**	**324141.20**
III vkiokfnd enksa] vkj dj ls iwoZ ykHk		**19616.18**	**17463.64**
आपवादिक मदें (टिप्पणी–35 के बिंदु संख्या 4ई(बी) का संदर्भ लें)		-0.74	-13.18
IV dj iwoZ ykHk		**19616.92**	**17476.82**
कर व्यय	31		
वर्तमान कर		5150.00	4450.00
आस्थगित कर		-132.86	-18.25
पूर्ववर्ती वर्ष		-30.14	-23.87
V dqy dj 0;;		**4987.00**	**4407.88**
VI py jg ifpkyuksa ls vof/k ds fy, dj&Ik'pkr ykHk		**14629.22**	**13068.94**
VII बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00

IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	vof/k d fy, ykHk		**14629.92**	**12655.77**
XI	vU; 0;kid vk;			
क	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–निवेश		-178.17	111.07
	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–बीमांकिक सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि		-36.09	-15.56
	उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		53.93	-24.04
	mi tkM ¼d½		**-160.33**	**71.47**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	mi tkM ¼[k½		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**-160.33**	**71.47**
XII	vof/k d fy, dy 0;kid vk; **(XI + XII)** ¼ykHk@¼gkfu½ lfgr½ vkj vof/k d fy, vU; 0;kid vk;½		**14469.56**	**12727.24**
XIII	ifr bfDoVh 'k;j vtu ¼lrr ipkyu d fy,½	32		
	मूल (रु.)		27.45	23.74
	तनुकृत (रु.)		27.45	23.74
XIV	vkdfLed n;rk,	33 (i)	**6468.69**	**4436.53**
XV	ithxr ifrc)rk,	33 (ii)	**1201.37**	**793.19**
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां	35		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)
टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

blh rkjh[k dk gekjh lyXu fjikV d vuqlkj
, ih vkj , ,.M ,lkfl,V ,y,yih
lunh y[kkdkj
Qe ithdj.k l-% 011078,u@,u500064

fun'kd eMy d fy, vkj dh vkj l

g-
xkjo xqykVh
fun'kd ¼foRr½
[Mhvkbu : 10144109]

g-
Mk- 'kHkk'k 'k[kj vkpk;
v/;{k ,o ic/k fun'kd
[Mhvkbu: 06727939]

g-
¼lh, v:.k dekj xIrk½
lk>nkj
lnL;rk l-% 089657

g-
ikFk ek>h
ofj"B egkçc/kd ¼foÙk½

g-
fu"Bk xk;y
dmuh lfpo
lnL;rk l[;k% ,22768

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025
यूडीआईएन नः 25089657बीएमएमएमएक्सवाई9945

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

[lhvkbZu u-% U74140DL1955GOI002481]

31-03-2025 dks lekIr o"kZ dh fy, bfDoVh esa ifjorZuksa dk ,dy fooj.k

d% bfDoVh 'ks;j ifjr

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	vFk 'k"k	iwoZ vof/k dh =fV;ksa dk dkj.k bfDoVh 'ks;j ifjr esa ifjorZu	fjikfVZax vof/k dh vkjaHk esa iquZmfYyf[kr 'k"k	o"kZ dh nkjku bfDoVh 'ks;j ifjr esa ifjorZu	tek 'k"k
2023-24	53298.80	0.00	53298.80	0.00	53298.80
2024-25	53298.80	0.00	53298.80	0.00	53298.80

[k- vU; bfDoVh

fooj.k	vU; bfDoVh								
			vo/kkfjr vtZu						
	ifjr ikjf{kr ifjr ikjf{kr	ifjr ekiu fjtoZ ifjr ekiu fjtoZ	vo/kkfjr vtZu	vU; 0;kid vk; dh ek/;e ls bfDoVh foy[k	vU; 0;kid vk; dh ek/;e ls ifjHkkf"kr ykHk ;kstuk,a	gkfudj.k ikjf{kr	Hkkjr-fj-cSad vf/kfu;e 1934 dh /kkjk 45 vkbZ lh dh vrxZr lkfof/kd Áikjf{kr	mi tkM+	dqy
31 ekpZ 2023 dks ;FkkfLFkfr 'k"k	**4343.95**	**73.09**	**54608.33**	**285.54**	**-518.96**	**4866.65**	**8389.87**	**67631.43**	**72048.47**
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ	0.00	0.00	12655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12655.77	12655.77
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	111.07	-15.56	0.00	0.00	95.51	95.51
dqy 0;kid vk;	**0.00**	**0.00**	**12655.77**	**111.07**	**-15.56**	**0.00**	**0.00**	**12751.28**	**12751.28**
वर्ष के दौरान परिवर्धन, स्थानांतरण/समायोजन	498.03	0.00	-2531.15	0.00	0.00	0.00	2531.15	0.00	498.03
वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश	0.00	0.00	-3314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-3314.49	-3314.49
वर्ष के लिए मुल्यह्रास	-342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-342.96
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	3.91	3.91
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	-27.95	0.00	0.00	0.00	-27.95	-27.95
31 ekpZ 2024 dks ;FkkfLFkfr 'k"k	**4499.02**	**73.09**	**61418.46**	**368.66**	**-530.61**	**4866.65**	**10921.02**	**77044.18**	**81616.29**
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ	0.00	0.00	14629.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14629.92	14629.92
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	-178.17	-36.09	0.00	0.00	-214.26	214.26
dqy 0;kid vk;	**0.00**	**0.00**	**14629.92**	**-178.17**	**-36.09**	**0.00**	**0.00**	**14415.66**	**14415.66**

fooj.k	vU; bfDoVh								
	i=th ikjf{kr i=th ikjf{kr	i=th ekpu fjto i=th ekpu fjto	vo/kkfjr vt+u						d=y
			vo/kkfjr vt+u	vU; 0;kid vk; d= ek/;e ls bfDoVh foy=[k	vU; 0;kid vk; d= ek/;e ls ifjHkkf"kr ykHk ;ktuk,a	gkfudj.k ikjf{kr	Hkk-fj-c&- vf/kfu;e 1934 dh /kkjk 45 vkb'lh d= v=xr lkfof/kd Áikjf{kr	mi tkM+	
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/समायोजन	1008.10	3.22	-2925.98	0.00	0.00	0.00	2925.98	0.00	1011.32
वर्ष 2023–24 के लिए लाभांश	0.00	0.00	-3796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-3796.72	-3796.72
वर्ष के लिए मुल्यह्रास	-418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-418.52
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08	0.00	0.00	9.08	9.08
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00	44.85	44.85
31 मार्च 2025 को यथास्थिति शेष	**5088.60**	**76.31**	**69325.68**	**235.34**	**-557.62**	**4866.65**	**13847.00**	**87717.05**	**92881.96**

नोट: पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गठितध्पुनः समूहित किया गया है।

उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

b=h rkjh[k dk gekjh l=yXu fjikVZ d= vu=lkj
, ih vkj , ,.M ,lkfl,V ,y,yih
lunh y=[kkdkj
Qe i=thdj.k l-a 011078,u@,u500064

fun'kd eaMy d= fy, vkj dh vkj l=

g-
xkjo x=ykVh
fun'kd ¼foRr½
[Mhvkb,u : 10144109]

g-
Mk- 'kHkk'k 'k[kj vkpk;Z
v/;{k ,oa i=c/k fun'kd
[Mhvkb,u: 06727939]

g-
¼lh, v:.k d=ekj x=Irk½
lk>nkj
lnL;rk l-a 089657

g-
ikFk ek>h
ofj"B egkçc/kd ¼foÙk½

g-
fu"Bk xk;y
d=iuh lfpo
lnL;rk l=[;k ,22768

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025
यूडीआईएन नः 25089657बीएमएमएमएक्सवाई9945

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

[lhvkbZu u-% U74140DL1955GOI002481]

31-03-2025 dks lekIr o"kZ ds y[kkvksa ds Hkkx ds :i esa lyXu ,dy udn izokg fooj.k

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31-03-2025 ds vuqlkj	31-03-2024 ds vuqlkj
dj iwoZ fuoy ykHk@gkfu	19,616.92	17,063.65
xSj&udn@xSj&Ápkyu enksa ds fy, lek;kstu%		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	980.29	842.91
अंतर इकाई समायोजन	-	-
परिसंपत्तियों/अमूर्त वस्तुओं की बिक्री/निपटान पर लाभ/हानि	(0.74)	(13.18)
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (टर्मिनल लाभ)	1,882.51	1,502.28
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (विनिमय भिन्नता)	371.18	402.90
अशोध्य ऋण माफ किये गये	18.09	0.14
विदेशी मुद्रा लेनदेन और संक्रमण पर हानि (शुद्ध)/(–)लाभ	-	-
यह अर्जित है लेकिन उधार पर देय नहीं है	7.70	8.05
छूट का प्रभाव (डेबिट)	69.69	13.48
छूट का प्रभाव (क्रेडिट)	(31.30)	(57.02)
लाभांश आय	(112.40)	(91.10)
बैंकों में एफडी/जमा पर ब्याज	(2.64)	(27.91)
अतिरिक्त प्रावधान लिखित–अन्य	(27.02)	(113.98)
विविध क्रेडिट शेष वापस लिखे गए	(72.17)	(120.79)
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया (टर्मिनल लाभ)	(50.82)	(65.33)
अतिरिक्त प्रावधान लिखित वापसी (केएफडब्ल्यू ऋण)	(356.73)	(243.13)
dk;Zdkjh iwath ifjorZu ls iwoZ ifpkyu udn izokg%	**22,292.55**	**19,100.96**
dk;Zdkjh iwath ifjorZu ds fy, lek;kstu%		
वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी		
व्यापार प्राप्य	953.43	5,504.89
अन्य वित्त परिसंपत्तियां	67.87	780.31
माल सूची	(0.46)	2.40
वर्तमान कर परिसंपत्तियां	(1,122.34)	(1,985.86)
ऋण और अग्रिम	(19,655.45)	1,915.64
अन्य गैर वित्त परिसंपत्तियां	(633.16)	2,644.85
orZeku ifjlaifÙk;ksa esa of)@deh		
व्यापार देय	(1,727.88)	(4,469.82)
अन्य वित्त देनदारियाँ	1,067.87	(3,821.52)
प्रावधानों	(1,414.18)	(1,127.22)
अन्य गैर–वित्तीय देनदारियाँ	359.75	1,450.71
dj iwoZ udn Áokg%	**187.99**	**19,995.33**
Hkxrku fd;k x;k dj	(4,459.70)	(1,545.84)
निवल प्रचालन नकद अंतर्वाह/बहिर्वाह d	**(4,271.72)**	**18,449.49**
fuos'k xfrfof/k;ksa ls udn çokg%		

परिसंपत्तियों की बिक्री आय		5.53	25.32
पीपीई और पूंजी डब्ल्यूआईपी में वृद्धि		(708.18)	(847.41)
एसआरआई फंड में निवेश		(91.17)	(5.86)
सावधि जमा में वृद्धि/कमी		0.33	12.17
निवेश से लाभांश		112.40	91.10
बैंक जमा पर ब्याज		2.64	27.91
fuoy fuo'k udn vrokg@cfgokg	[k	**(678.43)**	**(696.78)**
foÙkh; ik"k.k xfrfof/k;k sa udn çokg%			
(+) वृद्धि / (–) उधार में कमी (अल्पकालिक)		6,908.93	(12,818.82)
(+) वृद्धि / (–) उधार में कमी (दीर्घकालिक)		156.53	(272.72)
प्रदत्त लाभांश		(3,796.73)	(3,314.49)
fuoy foÙkik"k.k udn vrokg@cfgokg	x	**3,268.73**	**(16,406.03)**
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह/बहिर्वाह	?k	(4,271.72)	18,449.49
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह/बहिर्वाह	M	(678.43)	(696.78)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह/बहिर्वाह	p	3,268.73	(16,406.03)
fuoy udn vrokg@cfgokg	**(?k+M+p)**	**(1,681.41)**	**1,346.68**
tkM% o"kZ dh 'k#vkr e sa udn vkj udn lerY;		**10,243.06**	**8,896.38**
o"kZ d sa var e sa udn vkj udn lerY;		**8,561.65**	**10,243.06**
ryu i= d sa vuqlkj udn vkj udn lerY; - ukV 3		**8,561.65**	**10,243.06**

कॉर्पोरेट सूचना का विवरण (नोट–1), लेखा नीतियां (नोट–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय लेखाकंन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है।
2. नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) में नकद और अन्य बैंक शेष शामिल हैं।
3. जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः समूहीकृत/व्यवस्थित किए गए हैं।
4. हम एक एनबीएफसी हैं और भुगतान किए गए ब्याज को परिचालन व्यय माना गया है।

blh rkjh[k dk gekjh lyXu fjikVZ d vuqlkj
, ih vkj , ,.M ,lkfl,V ,y,yih
lunh y[kkdkj
Qe i tgdj.k l-% 011078,u@,u500064

fun'kd eMy d fy, vkj dh vkj s

g-
xkjo xyVh
fun'kd ¼foRr½
[Mhvkb,u: 10144109]

g-
Mk- 'kHkk'k 'k[kj vkpk;
v/;{k ,o ic/k fun'kd
[Mhvkb,u: 06727939]

g-
¼lh, v:.k dekj xIrk½
lk>nkj
lnL;rk l-% 089657

g-
ikFk ek>h
ofj"B egkçc/kd ¼foÙk½

g-
fu"Bk xk;y
d iuh lfpo
lnL;rk l[;k% ,22768

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025
यूडीआईएन नः 25089657बीएमएमएमएक्सवाई9945

31 ekpZ 2025 dks lekIr o"kZ ds fy, ,dy foÙkh; fooj.kksa dk vfHkUu vax gksus okyh fVIif.k;ka

fVIi.kh&1% dkjikjksV lqpuk vkSj r;kjh dk vk/kkj

1- dkjikjksV tkudkjh

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (जिसे "एनएसआईसी" या "निगम" कहा जाता है) को वर्ष 1955 में अधिनिगमित किया गया था और इसका पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली में है। एनएसआईसी भारत में स्थित और निगमित है (सीआईएन संख्या यू74140डीएल1955जीओआई002481), कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शासित है और यह भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के साथ प्रमाण पत्र संख्या एन.14.03090 दिनांक 29/12/2005के साथ पंजीकृत एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकारकर्ता गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है तथा यह स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) के अनुसार एनबीएफसी–मध्य परत वर्गीकरण में आता है: आरबीआई द्वारा अधिसूचित एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जिसकी घोषणा आरबीआई/2021:22/112डीओआर.सीआरई. आरईसी.सं.60/03.10.001/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से की गई थी और जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाता है। ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ) के साथ पंजीकृत लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड 335800935क्यूडी3एलजेजीओएलजेड39 है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत भारत सरकार का 9001–2015 प्रमाणित 'मिनी रत्न श्रेणी–1' उद्यम है।

एनएसआईसी अपने विभिन्न कार्यालयों/तकनीकी केंद्रों के माध्यम से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, सहायता करने और उनके संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के साथ सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और अन्य सहायता सेवा के तहत एकीकृत सहायता सेवाएँ प्रदान करता है।

इन एकल वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 22.07.2025 को अनुमोदित किया गया तथा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया ।

2- vuqikyu dk dFku

निगम के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों को और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

निगम के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय (जब तक अन्यथा न बताया जाए) के अंतर्गत सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (जिसे ''इंड एएस'' कहा जाता है), यथासंशोधित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

3- r;kj dju vkSj çLrqrhdj.k ds vk/kkj

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय लिखतों के जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है। भारतीय लेखाकन मानक के तहत उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस बात पर आधारित होता है कि उचित मूल्य माप के इनपुट किस हद तक अवलोकनीय हैं और उचित मूल्य माप के इनपुट का संपूर्ण रूप से कितना महत्व है, जिन्हें निम्नानुसार वर्णित किया गया है:

- स्तर 1 इनपुट सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं जिन पर कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि को पहुंच है;
- स्तर 2 इनपुट , स्तर 1 में सम्मिलित उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकनीय हैं;और
- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्तियों या देनदारियों के मूल्यांकन के लिए अप्रमाणित इनपुट हैं।

निगम नियमित रूप से विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों पर विचार करके यह आकलन करता है कि क्या वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से उसके सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित करने की उचित आशा की जा सकती है। इस तरह के आकलन में उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, साथ ही कंपनी की अपनी परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है। वित्तीय विवरण उन उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं जिन्हें व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों का उचित ज्ञान होता है और जो जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा और विश्लेषण करते

हैं। कई बार, भली–भांति सूचित और परिश्रमी उपयोगकर्ताओं को भी जटिल आर्थिक घटनाओं के बारे में जानकारी समझने के लिए सलाहकार की सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं और सभी मूल्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।।। के खंड ।।। के पैरा 5 के अनुसार निकटतम लाख और दशमलव तक पूर्णांकित किया गया है, जैसा कि अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 1022 (ई), दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 (11–10–2018 से प्रभावी) द्वारा अंतर्विष्ट किया गया है ।

5- egRoiw.kZ y[kkdu fu.kZ; vkSj vuqeku vfuf'prrk dk çeq[k lzksr

टिप्पणी 2 में वर्णित निगम की लेखांकन नीतियों को लागू करने मेंप्रबंधन को ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है (अनुमानों से संबंधित निर्णयों के अलावा) जिनका मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों के बारे में अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो अन्य स्रोतों से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं होती हैं। अनुमान और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उसी अवधि को प्रभावित करता है, या संशोधन की अवधि और भविष्य की अवधि में यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य की दोनों अवधियों को प्रभावित करता है।

6- fuxe dh y[kkdu uhfr;ksa dk ykxw djus esa egRoiw.kZ fu.kZ;

अनुमानों से संबंधित निर्णयों के अलावा (जिन्हें नीचे अलग से प्रस्तुत किया गया है)निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो प्रबंधन ने निगम की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में लिए हैं और जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

(i) fu"iknu nkf;Roksa dh lrr"V dk le; dk fu/kkZj.k djus esa fu.kZ;%

प्रबंधन ने भारतीय लेखाकन मानक 115 में निर्धारित राजस्व की पहचान के लिए विस्तृत मानदंडों पर विचार किया और विशेष रूप से इस पर कि क्या निगम ने किसी समय बिंदु पर या समय के दौरान अपने निष्पादन दायित्वों को पूरा किया है। निगम के वितरण के दायरे की विस्तृत समझ के बाद, प्रबंधन संतुष्ट है कि निष्पादन दायित्वों को पूरा किया गया है और चालू वर्ष मे निम्नलिखित के संबंध में राजस्व की इसी तरह की मान्यता उचित है:

- एकल बिन्दु पंजीकरण योजना में नये पंजीकरण/नवीनीकरण/संशोधन हेतु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर;
- इकाई की सदस्यता के सक्रियण पर डीएसएफ योजना के तहत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) का सदस्यता शुल्क;
- समय के साथ प्रशिक्षण गतिविधियाँ;
- परीक्षण और कार्य पूरा होने पर सामग्री परीक्षण शुल्क, कार्य प्रभार, एनटीएससी में मशीनों पर मशीनिंग सुविधा आदि;
- समय के साथ टीआईसी इकाइयों से रॉयल्टी।

(ii)0;olk; e,My eY;kadu%

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन एसपीपीआई और व्यवसाय मॉडल परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है। निगम व्यवसाय मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करता है जो दर्शाता है कि किसी विशेष व्यवसाय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों को एक साथ कैसे प्रबंधित किया जाता है। निगरानी निगम के निरंतर मूल्यांकन का हिस्सा है कि क्या वह व्यवसाय मॉडल जिसके लिए शेष वित्तीय परिसंपत्तियाँ रखी गई हैं, उचित है और यदि यह उचित नहीं है तो क्या व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव हुआ है और इसलिए उन परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में संभावित बदलाव हुआ है। प्रस्तुत अवधि के दौरान ऐसे किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं थी।

(iii) _.k tksf[ke esa mYy[kuh; of)%

ईसीएल को चरण 1 परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने के ईसीएल के बराबर भत्ते के रूप में मापा जाता है, या चरण 2 या चरण 3 परिसंपत्तियों के लिए आजीवन ईसीएल के रूप में मापा जाता है। एक परिसंपत्ति चरण 2 में तब जाती है जब उसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक पहचान के बाद से काफी बढ़ गया हो। इंड एएस 109 यह परिभाषित नहीं करता है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि क्या है। यह आकलन करने में कि क्या किसी परिसंपत्ति का क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, निगम गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से उचित और समर्थन योग्य अग्रगामी जानकारी को ध्यान में रखता है।

(iv) ;g igpkuus esa fu.kZ; fd D;k vuqc/k esa iêk 'kkfey g%

जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निगम सभी पट्टा व्यवस्थाओं के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और उसके अनुरूप पट्टा दायित्व को मान्यता देता है, जिसमें वह पट्टेदार है, सिवाय अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या

उससे कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (जैसे टैबलेट और व्यक्तिगत कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर की छोटी वस्तुएंऔर टेलीफोन) के पट्टों को छोड़कर।

vuqeku vfuf'prrk dk çeq[k lzkr

भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएं, तथा रिपोर्टिंग अवधि में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोत, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रेणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है, की चर्चा नीचे की गई है।

(i) djk/kku çko/kku%

निगम का वर्तमान कर प्रावधान, भारतीय लेखाकन मानक 12 के परिशिष्ट ग के अनुसार कर की राशि के प्रबंधन के आकलन से संबंधित है।

(ii) fuxe dk fu/kkfjr ykHk nkf;Ro dh ogu jkf'k fu/kkfjr dju dk fy, mi;qDr dh tkus okyh NVr nj%

निगम के निर्धारित लाभ दायित्व का निर्धारण कुछ मान्यताओं पर निर्भर करता है, जिसमें छूट दर का चयन शामिल है। छूट दर सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार के प्रतिफल के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। बॉन्ड को उस संख्या में शामिल करने के लिए मानदंड निर्धारित करते समय महत्वपूर्ण मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है जिससे प्रतिफल वक्र प्राप्त होता है। इन मान्यताओं को अनुमान अनिश्चितता का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है क्योंकि उपयोग की गई मान्यताओं में अपेक्षाकृत छोटे बदलावों का अगले वर्ष के भीतर निगम के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

(iv) mfpr ewY; ekiu vkj ewY;kdu çfØ;k,%

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए निगम की कुछ परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रबंधन उचित मूल्य माप के लिए उचित मूल्यांकन तकनीकों और इनपुट का निर्धारण करता है।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, निगम बाजार–अवलोकन योग्य डाटा का उपयोग करता है, जहाँ तक वह उपलब्ध है। जहाँ स्तर 1 इनपुट उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ निगम मूल्यांकन करने के लिए तीसरे पक्ष के योग्य मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करता है।

fVIi.kh 2 % Hkkfrd y[kkdu uhfr;k

1- udnh izokg fooj.k

परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए की जाती है, जिसमें कर–पूर्व लाभ को निम्नलिखित के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है: (i) गैर–नकद प्रकृति के परिचालन प्राप्य और देय लेनदेन में अवधि के दौरान परिवर्तन; (ii) गैर–नकद मदें जैसे मूल्यह्रास, प्रावधान, आस्थगित कर, अप्राप्त लाभ और हानि; और (iii) अन्य सभी मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव नकदी प्रवाह का निवेष या वित्तपोशण कर रहे हैं।

2- lEifÙk] l;a= rFkk midj.k

वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए रखी गई भूमि और भवन, जिसमें दूसरों को किराये पर देना (निवेश संपत्तियों को छोड़कर) शामिल है, या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, को तुलन–पत्र में उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या अभी तक निर्धारित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियों को लागत पर रखा जाता है, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त हानि को घटा दिया जाता है। इन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, अन्य संपत्ति परिसंपत्तियों के समान ही निर्धारित किया जाता है, तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं।

फ्री होल्ड भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है।

पट्टे पर दी गई भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि के दौरान किया जाता है।

संयंत्र, मशीनरी, फिक्सचर और फिटिंग्स को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है।

31 मार्च, 2001 तक अर्जित पट्टा परिसंपत्तियों में से पट्टा परिसंपत्तियों और जब्त पट्टा परिसंपत्तियों का लेखांकन लागत, संचित शेष मूल्यह्रास, पट्टा टर्मिनल समायोजन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है।

मूल्यह्रास को इस तरह से मान्यता दी जाती है कि परिसंपत्तियों (फ्रीहोल्ड भूमि, पट्टाधारी परिसंपत्तियों और 31 मार्च 2001 तक अधिगृहीत पट्टाधारी परिसंपत्तियों में से जब्त पट्टाधारी परिसंपत्तियों और निर्माणाधीन संपत्तियों को छोड़कर) की लागत या मूल्यांकन को सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके उनके उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों पर पश्चलेखित किया जा सके। 31 मार्च 2001 तक अधिग्रहित पट्टाधारी परिसंपत्तियों में से पट्टाधारी परिसंपत्तियों और जब्त पट्टाधारी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लिखित कम मूल्य विधि का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। निगम ने मूल्यह्रास की विधि को इस तरह से चुना है कि यह परिसंपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न को सबसे करीब से दर्शाती हो।

संपत्तियों को लागत पर रखा जाता है, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त हानि को घटा दिया जाता है। इन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, अन्य संपत्ति परिसंपत्तियों के समान ही निर्धारित किया जाता है, तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं।

फ्री होल्ड भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है।

पट्टे पर दी गई भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि के दौरान किया जाता है।

संयंत्र, मशीनरी, फिक्सचर और फिटिंग्स को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है।

31 मार्च, 2001 तक अर्जित पट्टा परिसंपत्तियों में से पट्टा परिसंपत्तियों और जब्त पट्टा परिसंपत्तियों का लेखांकन लागत, संचित शेष मूल्यह्रास, पट्टा टर्मिनल समायोजन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है।

मूल्यह्रास को इस तरह से मान्यता दी जाती है कि परिसंपत्तियों (फ्रीहोल्ड भूमि, पट्टाधारी परिसंपत्तियों और 31 मार्च 2001 तक अधिगृहीत पट्टाधारी परिसंपत्तियों में से जब्त पट्टाधारी परिसंपत्तियों और निर्माणाधीन संपत्तियों को छोड़कर) की लागत या मूल्यांकन को सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके उनके उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों पर पश्चलेखित किया जा सके। 31 मार्च 2001 तक अधिग्रहित पट्टाधारी परिसंपत्तियों में से पट्टाधारी परिसंपत्तियों और जब्त पट्टाधारी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लिखित कम मूल्य विधि का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। निगम ने मूल्यह्रास की विधि को इस तरह से चुना है कि यह परिसंपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न को सबसे करीब से दर्शाती हो।

Ø- l-	ifjlaifRr dk izdkj	mi;kxh thoudky	nj ¼,l,y,e½	vof'k"V eY;
i.	भवन आरसीसी फ्रेम संरचना	60 वर्ष	1.58%	मूल लागत का 5%
ii.	भवन आरसीसी फ्रेम संरचना के अतिरिक्त	30 वर्ष	3.17%	मूल लागत का 5%
iii.	भवन अस्थायी ढांचे	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
iv.	सड़कें–कापेर्टिड – आर.सी.सी.	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
v	सड़कें– कापेर्टिड – आर.सी.सी. के अलावा	5 वर्ष	19.00%	मूल लागत का 5%
vi.	सड़कें– गैर–कापेर्टिड	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
vii.	संयंत्र और मषीनरी	15 वर्ष	6.33%	मूल लागत का 5%
viii.	फर्नीचर और फिटिंग्स	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
ix.	वाहन – दुपहिया	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
x.	वाहन – चार पहिया	8 वर्ष	11.88%	मूल लागत का 5%
xi.	कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	19.00%	मूल लागत का 5%
xii.	अंत उपयोगकर्ता उपकरण जैसे प्रोसेसिंग यूनिट, कम्प्यूटर, लैपटॉप आदि	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
xiii.	सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष	15.83%	मूल लागत का 5%
xiv.	विद्युत वितरण संयंत्र	35 वर्ष	2.71%	मूल लागत का 5%
xv.	विद्युत संस्थापनाएं और उपकरण	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
xvi.	ग्रिड कनेक्टिड रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टेज (पीवी) प्रणाली	25 वर्ष	3.80%	मूल लागत का 5%
xvii	मोबाइल फोन उपकरण	2 वर्ष	49.50%	₹ 1/-

अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, तथा अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को संदर्षी आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

0.10 लाख रुपये तक की लागत वाले पीपीई का उपयोग के लिए तैयार होने पर खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास किया जाता है, तथा मूल लागत का 5 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य के रूप में रख लिया जाता है, सिवाय मोबाइल फोन उपकरणों के, जहां 1 रुपये अवशिष्ट मूल्य के रूप में रख लिया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टे की अवधि की अल्प अवधि या अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है। यदि पट्टे में अंतर्निहित परिसंपत्ति का स्वामित्व स्थानांतरित किया जाता है या उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत दर्शाती है कि निगम खरीद विकल्प का प्रयोग करने की प्रत्याशा करता है, तो संबंधित उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

3- fcØh d fy, /kkfjr xj&orZeku ifjlifÙk;k

बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों (और निपटान समूहों) को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों और निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है जब बिक्री अत्यधिक संभावित हो और परिसंपत्ति (या निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो। बिक्री के अत्यधिक संभावित होने के लिए, प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए योग्य होने की प्रत्याशा की जानी चाहिए।

4- Ikê

¼d½ fuxe iêkj d :i e

एनएसआईसी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करता है कि अनुबंध पट्टा है या नहीं। निगम सभी पट्टा व्यवस्थाओं के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है, जिसमें वह पट्टेदार है, सिवाय अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (जैसे टैबलेट और व्यक्तिगत कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर की छोटी वस्तुएं और टेलीफोन) के पट्टों को छोड़कर। इन पट्टों के लिए, निगम पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देता है, जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा अवधि से तात्पर्य उस निरस्त न की जा सकने वाली अवधि से है जिसके लिए पट्टेदार को अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार होता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका भुगतान आरंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो निगम अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करता है। इसे तब फिर से मापा जाता है जब सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है, या अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है, या इस बात के आकलन में परिवर्तन होता है कि क्या यह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा।

पट्टा दायित्व को बाद में पट्टा दायित्व पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके (प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके) मापा जाता है, तथा किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटाया जाता है।

निगम पट्टा देयता का पुनर्मापन करता है (तथा संबंधित उपयोग–अधिकार परिसंपत्ति में तदनुरूपी समायोजन

करता है) जब भी:

- पट्टे की अवधि बदल गई है या कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप खरीद विकल्प के प्रयोग के मूल्यांकन में परिवर्तन हुआ है, ऐसी स्थिति में संशोधित छूट दर का उपयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों को छूट देकर पट्टा देयता को पुनः मापा जाता है;
- सूचकांक या दर में परिवर्तन या गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के तहत अपेक्षित भुगतान में परिवर्तन के कारण पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है, ऐसे मामलों में पट्टा देयता को अपरिवर्तित छूट दर का उपयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों को छूट देकर पुनः मापा जाता है (जब तक कि पट्टा भुगतान में परिवर्तन फ्लोटिंग ब्याज दर में परिवर्तन के कारण न हो, ऐसे मामले में संशोधित छूट दर का उपयोग किया जाता है);
- एक पट्टा अनुबंध को संशोधित किया जाता है और पट्टा संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में नहीं गिना जाता है, ऐसी स्थिति में पट्टा देयता को संशोधन की प्रभावी तिथि पर संशोधित छूट दर का उपयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों को छूट देकर संशोधित पट्टे की पट्टा अवधि के आधार पर पुनः मापा जाता है।

निगम ने प्रस्तुत अवधि के दौरान ऐसा कोई समायोजन नहीं किया। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में संबंधित पट्टा देयता का प्रारंभिक माप, आरंभिक दिन पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान, प्राप्त किए गए किसी भी पट्टा प्रोत्साहन और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटाना शामिल है। उन्हें बाद में लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि को घटाकर मापा जाता है।

परिवर्तनीय किराए जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें पट्टा देयता और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के मापन में शामिल नहीं किया जाता है। संबंधित भुगतानों को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वह घटना या स्थिति होती है जो उन भुगतानों के प्रारंभ होने का कारण बनती है और उन्हें लाभ या हानि में "अन्य व्यय" पंक्ति में शामिल किया जाता है (टिप्पणी 30 देखें)।

एक व्यावहारिक उपाय के रूप में, भारतीय लेखाकन मानक 116 पट्टेदार को गैर–पट्टा घटकों को अलग न करने की अनुमति देता है, और इसके बजाय किसी भी पट्टे और उससे जुड़े गैर–पट्टा घटकों को एक ही व्यवस्था के रूप में लेखांकित करने की अनुमति देता है। निगम ने इस व्यावहारिक उपाय का उपयोग नहीं किया है। ऐसे अनुबंधों के लिए जिनमें पट्टा घटक और एक या अधिक अतिरिक्त पट्टा या गैर–पट्टा घटक शामिल हैं, निगम पट्टा घटक के सापेक्ष एकल मूल्य और गैर–पट्टा घटकों के कुल एकल मूल्य के आधार पर प्रत्येक पट्टा घटक को अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करता है।

¼[k½ fuxe iêknkrk d: i e

निगम अपनी कुछ निवेश संपत्तियों के संबंध में पट्टादाता के रूप में पट्टा समझौते करता है।

जिन पट्टों के लिए निगम पट्टादाता है, उन्हें वित्त या प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निगम ने केवल दीर्घकालिक परिचालन पट्टे पर ही हस्ताक्षर किये हैं।

परिचालन पट्टों से प्राप्त किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। प्रचालन पट्टे पर मोल–भाव करने और उसे व्यवस्थित करने में होने वाली आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ दिया जाता है और पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

जब किसी अनुबंध में पट्टा और गैर–पट्टा दोनों घटक शामिल होते हैं, तो निगम अनुबंध के अंतर्गत प्रत्येक घटक को प्रतिफल आवंटित करने के लिए भारतीय लेखाकन मानक 115 लागू करता है।

5- vyx l: vft:r ver ifjlifUk;k

सीमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त संपत्तियाँ जो अलग से अधिग्रहित की जाती हैं, उन्हें संचित

परिशोधन और संचित क्षति हानियों को घटाकर लागत पर वहन किया जाता है। परिशोधन को 1/– रुपए के अवशिष्ट मूल्य के रूप में बनाए रखने के बाद पाँच वर्षों की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालाँकि, जहाँ सॉफ्टवेयर का जीवन पाँच वर्ष से कम है, वहाँ लागत को ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है (टिप्पणी 12 में प्रकटीकरण किया गया है)

Ø- l-	ifjlifRr;k dh idfr	mi;kxh thoudky	nj ¼,l,y,e½	vof'k"V eY;
1.	अमूर्त पीपीई – साफ्टवेयर	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	1/– रुपए
2.	वेबसाइट	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	1/– रुपए

अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन विधि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, तथा अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

सबस्क्रिप्शन के आधार पर खरीदे गए सॉफ्टवेयर, जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक नहीं किया जाना अपेक्षित है, को सबस्क्रिपशन अवधि के दौरान लाभ–हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

6- fodkl k/khu veyr ifjlifUk;k

यह आकलन करने के लिए कि क्या आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति मान्यता के मानदंडों को पूरा करती है, निगम परिसंपत्ति के सृजन को इस प्रकार वर्गीकृत करता है:

(क) अनुसंधान चरण; तथा
(ख) विकास चरण।

यदि निगम अमूर्त परिसंपत्ति बनाने के लिए आंतरिक परियोजना के अनुसंधान चरण को विकास चरण से अलग नहीं कर सकता है, तो वह उस परियोजना पर व्यय को इस प्रकार मानता है मानो वह केवल अनुसंधान चरण में ही किया गया हो।

अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

विकास से उत्पन्न (या किसी आंतरिक परियोजना के विकास चरण से) आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है, जब निम्नलिखित स्थितियाँ प्रदर्षित की गई हों:

- अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि वह उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो सके
- अमूर्त परिसंपत्ति भविश्य में संभावित आर्थिक लाभ कैसे उत्पन्न करेगी

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए आरंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राषि उस तिथि से किए गए व्यय का योग है जब अमूर्त परिसंपत्ति पहली बार उपरोक्त सूचीबद्ध मान्यता मानदंडों को पूरा करती है।

जहां किसी आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है, वहां विकास व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह व्यय किया गया है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिषोधन और संचित हानि हानि घटाकर सूचित किया जाता है, उसी आधार पर जिस आधार पर अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को सूचित किया जाता है।

Ø- l-	ifjlifRr;k dh idfr	mi;kxh thoudky	nj ¼,l,y,e½	vof'k"V eY;
1.	अमूर्त पीपीई – साफ्टवेयर	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	1/– रुपए
2.	वेबसाइट	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	1/– रुपए

7- ljdkjh vuqnku

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न प्राप्त हो जाए कि निगम उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगा और अनुदान प्राप्त हो जाएगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ या हानि के रूप में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें निगम उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देता है, जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदानों का उपयोग किया जाता है।

विशेष रूप से, सरकारी अनुदान, जिसकी प्राथमिक शर्त यह है कि निगम को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों (जिसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं) को खरीदना, निर्माण करना या अन्यथा प्राप्त करना चाहिए, को तुलन–पत्र में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ या हानि में स्थानांतरित किया जाता है।

सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या निगम को बिना किसी भविष्य संबंधी लागत के तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होते हैं, उन्हें उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे प्राप्त होते हैं।

'एसपीआरएस योजना (एनएसएसएच) के अंतर्गत सदस्यता शुल्क', 'एसपीआरएस योजना (एनएसएसएच) के अंतर्गत निरीक्षण शुल्क' (वहां लागू होता है जहां निरीक्षण केवल एनएसआईसी अधिकारियों द्वारा किया जाता है और पैनलबद्ध निरीक्षण एजेंसियों द्वारा नहीं), 'बी2बी योजना (एनएसएसएच) के अंतर्गत सदस्यता शुल्क', 'क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण शुल्क (एनएसएसएच)', 'कार्यालय परिसर का किराया–एनएसएसएचओ' (वहां लागू होता है जहां संपत्ति एनएसआईसी के स्वामित्व में है और जहां बाहरी व्यक्ति को किराया नहीं दिया जाता है) के लिए शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी अनुदान को समूह शीर्ष ''एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, किराया आदि'' के अंतर्गत उपयोग किए गए अनुदान के रूप में लिया जाता है और मान्यता प्राप्त अनुदान आय से घटा दिया जाता है। इसी प्रकार, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना, एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने (आरएएमपी) आदि के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति आदि को समूह शीर्ष ''एटीआई के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क'' रैम्प के तहत प्रशिक्षण शुल्क के अंतर्गत प्रयुक्त अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और मान्यताप्राप्त अनुदान आय में से घटा दिया जाता है।

इसी प्रकार, पीएमएसएस योजना के अंतर्गत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी अनुदान को भी समूह शीर्ष "बी2बी योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि" के अंतर्गत उपयोग किए गए अनुदान के रूप में लिया जाता है तथा इसे मान्यता प्राप्त अनुदान आय से घटा दिया जाता है।

चूंकि निगम पहले से ही वाणिज्यिक आधार पर ऊपर बताई गई सभी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तथापि, एससी/एसटी इकाइयों के मामले में, निगम की वाणिज्यिक फीस एससी/एसटी एमएसई इकाइयों के बदले भारत सरकार द्वारा भुगतान की जा रही है। इसलिए, ऊपर उल्लिखित सभी प्रतिपूर्तियों को भी 'सेवाओं की बिक्री' के अंतर्गत संबंधित शीर्षों के वाणिज्यिक राजस्व के रूप में माना जाता है।

निगम को किसी भी सरकारी प्रचार योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमति दिए गए प्रशासनिक व्यय, यदि कोई हो, तो स्वीकृत दिशा–निर्देशों के अनुसार, खर्च की गई राशि (मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग सहायता, निगम के वाणिज्यिक राजस्व, आदि पर खर्च की गई राशि को छोड़कर) पर, समूह शीर्ष "सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक शुल्क (अनुदान और सब्सिडी)" के तहत उपयोग किए गए अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और मान्यता प्राप्त अनुदान राजस्व से तदनुसार घटाया जाता है। चूंकि, यह निगम का वाणिज्यिक राजस्व है, इसलिए इसे 'सेवाओं की बिक्री' के तहत समूह शीर्ष "सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक शुल्क (अनुदान और सब्सिडी)" के तहत वाणिज्यिक राजस्व के रूप में भी दर्शाया गया है।

एटीआई और एनएसएसएच योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के कारण व्यय किए गए प्रत्यक्ष वास्तविक व्यय, यदि कोई हो, को संबंधित शीर्ष के प्राकृतिक लेखा शीर्ष के अंतर्गत वाणिज्यिक व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

अनुदान की मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्राप्त सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को भारत सरकार से अग्रिम के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे भारत सरकार को देय राशि के रूप में दर्शाया जाता है।

यदि विभिन्न प्रोत्साहन गतिविधियों के अग्रिम खातों के अंतर्गत शुद्ध परिणाम "घाटा" है, तो इसे वित्तीय परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत "अनुदान में घाटे के लिए भारत सरकार से प्राप्य राशि" के रूप में दर्शाया जाता है और यदि "अधिशेष" है, तो इसे वित्तीय देयताओं के शीर्ष के अंतर्गत "अनुदान में अधिशेष के लिए भारत

सरकार को देय राशि" के रूप में दर्शाया जाता है।

8- lifUk] l;= ,o midj.k rFkk vey ifjlifUk;ksa dh {kfr

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, निगम अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि की सीमा (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि को उचित मूल्य में से बिक्री लागत (एफवीएलसीएस) या उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, उसके आधार पर मापा जाता है। जहां, एफवीएलसीएस उपलब्ध नहीं है, तो उपयोग में मूल्य को वसूली योग्य राशि माना जाता है। यदि उपयोग में मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है और ऐसी परिसंपत्ति की हानि नकद–उत्पादक इकाई में की जाएगी। जहां परिसंपत्ति अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है, वहां निगम उस नकदी–उत्पादक इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। जब आवंटन का एक उचित और सुसंगत आधार पहचाना जा सकता है, तो कारपोरेट परिसंपत्तियों को व्यक्तिगत नकद–उत्पादक इकाइयों को भी आवंटित किया जाता है, या अन्यथा उन्हें नकद–उत्पादक इकाइयों के सबसे छोटे समूह को आवंटित किया जाता है, जिसके लिए एक उचित और सुसंगत आवंटन आधार पहचाना जा सकता हो।

उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है।

यदि किसी परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान है, तो परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। क्षति हानि को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है, जब तक कि संबंधित परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं रखा जाता है, जिस स्थिति में क्षति हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना जाता है और इस सीमा तक कि क्षति हानि संबंधित पुनर्मूल्यांकन अधिशेष से अधिक है, अतिरिक्त क्षति हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

जहां एक क्षति हानि बाद में प्रत्यावर्तित कर दी जाती है, परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस तरह कि बढ़ी हुई वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती यदि परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) के लिए पिछले वर्षों में कोई क्षति हानि नहीं पहचानी गई होती। क्षति हानि के प्रत्यावर्तित होने को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है, इस सीमा तक कि यह उस क्षति हानि को समाप्त कर देता है जिसे पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए पहचाना गया है। इस राशि से अधिक की किसी भी वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

9- eky lph

मालसूची को लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर दर्शाया जाता है। लागत में प्रत्यक्ष सामग्री और, जहाँ लागू हो, प्रत्यक्ष श्रम लागत और वे ओवरहेड शामिल हैं जो मालसूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च किए गए हैं। लागत की गणना एफआईएफओ पद्धति का उपयोग करके की जाती है। शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य अनुमानित बिक्री मूल्य को पूरा होने की सभी अनुमानित लागतों को घटा कर दर्शाता है।

मालसूची में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) स्टेशनरी और विविध वस्तुओं का स्टॉक।

(ii) भंडार, उपकरण, मापन उपकरण।

(iii) पारगमन में होने वाली वस्तुएं।

(iv) वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित तैयार माल का स्टॉक।

(v) किराया खरीद (एचपी) और समग्र सावधि ऋण (सीटीएल) के तहत पुनः प्राप्त/जब्त/अभ्यर्पण की गई मशीनों का स्टॉक।

(vi) उपकरण पट्टे के अंतर्गत पुनः कब्जा की गई/

जब्त की गई/अभ्यर्पित की गई मशीनों का स्टॉक, जहां परिसंपत्तियां 01.04.2001 उसके बाद दी गई हों।

(vii) अप्रचलित एवं अनुपयोगी परिसंपत्तियाँ।

10- jktLo ekU;rk

निगम निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों से राजस्व प्राप्त करता है:

- कच्चे माल का वितरण, कच्चे माल की सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल छूट, विपणन के अंतर्गत वित्तीय गतिविधियाँ;
- एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण शुल्क;
- डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) की सदस्यता शुल्क;
- प्रशिक्षण गतिविधियाँ और सामान्य सुविधाएँ;
- तकनीकी इन्क्यूबेशन सेंटर (टीआईसी) इकाइयों से रॉयल्टी आय;
- पट्टे पर देना।

राजस्व को उस मूल्य (अर्थात, लेन–देन मूल्य) के आधार पर मापा जाता है, जिसके लिए निगम को ग्राहक के साथ अनुबंध में हकदार होने की उम्मीद है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि जैसे जीएसटी शामिल नहीं है। निगम राजस्व को तब मान्यता देता है जब वह किसी उत्पाद या सेवा का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करता है।

निगम लेन–देन मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और अपनी परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करता है। ग्राहक द्वारा दिए गए प्रतिफल की प्रकृति, समय और राशि, लेन–देन मूल्य के अनुमान को प्रभावित करते हैं।

ब्याज राजस्व को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिस सीमा तक अनुबंध परिसंपत्ति (या प्राप्य) को ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए लेखांकन में मान्यता दी जाती है। भारतीय लेखाकन मानक 109 के अनुसार प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिकलित ब्याज को लाभ या हानि में मान्यता दी जानी चाहिए।

विपणन, कच्चे माल की सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता और बिल छूट के अंतर्गत वित्तीय गतिविधियाँ

i. ऋण और अग्रिम के संबंध में ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके मान्यता प्रदान की जाती है। निगम की विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं के तहत दंडात्मक ब्याज/विलंबित भुगतान पर ब्याज/अतिरिक्त/सामान्य ब्याज, जहाँ भी वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है, उसे उसकी वसूली के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है। जहाँ इकाई के खाते फ्रोजन हैं, वहाँ इकाई के खाते पर कोई और ब्याज नहीं लगाया जाता है।

ii. जहाँ ऋण और अग्रिम 90 दिन पूर्व बकाया राशि की श्रेणी में आते हैं, वहाँ कोई ब्याज आय नहीं मानी जाती।

iii. जहाँ ऋण और अग्रिम 90 दिन पूर्व बकाया राशि की श्रेणी में आते हैं, वहाँ उपार्जित लेकिन वसूल न किया गया ब्याज, रिपोर्टिंग तिथि पर ब्याज आय से 'अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत (पीआईएस)' के रूप में उलट दिया जाता है और तदनुसार कुल बकाया राशि से घटा दिया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ लागू बैंक गारंटी की आय रिपोर्टिंग तिथि तक प्राप्त नहीं होती।

iv. बैंक गारंटी के विरुद्ध आरएमए/एडब्ल्यूआरटी/बीडी के अंतर्गत अतिदेय अग्रिमों के संबंध में दंडात्मक शुल्क लगाए जाते हैं और उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

v. बैंक गारंटी (बीजी) को भुनाए जाने पर पर, इकाई का खाता बीजी जारी करने वाले बैंक के साथ अपना दावा पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से फ्रीज कर दिया जाता है और कुल बकाया राशि में शामिल अर्जित लेकिन वसूल न किया गया ब्याज, यदि कोई हो, को ब्याज आय से 'अतिरिक्त/सामान्य ब्याज सस्पेंस (पीआईएस)' के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है। वर्ष के अंत में, यदि निगम के नामित बैंक खाते में भुनाई गई बीजी की आय प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी राशि को ''बैंक से प्राप्तियां'' के रूप में माना जाता है। हालाँकि, जहाँ बैंक भुनाई गई बैंक गारंटियों की आय जारी करने में देरी करता है, तो दावा दायर करने की तिथि से निगम के नामित बैंक खाते में

आय प्राप्त होने की तिथि तक विलंबित अवधि के लिए ब्याज, यदि कोई हो, तो इसकी वसूली के वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

vi. प्रसंस्करण शुल्क को अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि पर बीजी के प्रति आरएमए/एडब्ल्यूआरटी/बीडी के तहत समय आनुपातिक आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

vii. आवेदन प्रसंस्करण शुल्क, जहां भी लागू हो, अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि पर आय के रूप में माना जाता है।

viii. किराए पर खरीद किए गए और उपकरण पट्टे पर देने के मामले में पुनः कब्जा की गई/जब्त की गई/अभ्यर्पित की गई मशीनों की बिक्री आय उनके मूल्य से अधिक होने पर पुनः कब्जा/जब्ती/अभ्यर्पण की तिथि पर चूककर्ता किराएदार/पट्टेदार के खाते में समायोजित की जाती है। किराएदार/पट्टेदार से देय राशि से अधिक किसी भी अतिरिक्त राशि को बिक्री आय के उपार्जन के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

dPp eky dk forj.k

राजस्व की गणना उस प्रतिफल के आधार पर की जाती है जिसके लिए निगम को ग्राहक के साथ अनुबंध में हकदार होने की उम्मीद है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्रित की गई राशि जैसे कि जीएसटी शामिल नहीं है। निगम राजस्व को तब मान्यता देता है जब वह किसी उत्पाद का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करता है।

एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क

एकल बिन्दु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क को केवल अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि की तिथि पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, अर्थात नए पंजीकरण/नवीनीकरण/संशोधन के लिए प्रमाण पत्र जारी करना।

डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) का सदस्यता शुल्क

डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) की सदस्यता शुल्क को केवल अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि अर्थात इकाई की सदस्यता के सक्रियण पर ही आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ और सामान्य सुविधाएँ

प्रशिक्षण गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को प्रायोजित प्रशिक्षण को छोड़कर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने तक प्रोद्भव (समय अनुपात) के आधार पर मान्यता दी जाती है। प्रायोजित और अन्य संबद्ध प्रशिक्षण से प्राप्त राजस्व को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है और जब यह निश्चित हो जाता है कि अनुबंध/संविदा/एमओयू के निबंधनों और शर्तों के अनुसार शुल्क वसूल किया जाएगा। सामान्य सुविधाओं (जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सामग्री परीक्षण शुल्क, जॉब वर्क शुल्क, एनटीएससी में मशीनों पर मशीनिंग सुविधा आदि शामिल हैं) से प्राप्त राजस्व को परीक्षण और जॉब वर्क के पूरा होने पर मान्यता दी जाती है।

rduhdh buD;ocku lsVj ¼Vhvkblh½ bdkb;ksa ls j,;YVh vk;

टीआईसी इकाइयों से रॉयल्टी के कारण प्राप्त राजस्व को उपार्जन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। शुल्क/रॉयल्टी को नामांकित प्रशिक्षुओं की संख्या, पाठ्यक्रम शुल्क और पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर मासिक आधार पर मान्यता दी जाती है।

iêk

उपरोक्त बिंदु 4 (ख) का संदर्भ लें।

डिक्री निर्णय

जहां निगम के पक्ष में डिक्री प्रदान की गई है, वहां बकाया राशि की वसूली के समय इकाई के खातों में आवश्यक समायोजन किया जाता है।

11- deZpkjh ykHk

कर्मचारी लाभों में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवांत लाभ शामिल हैं।

d½ vYikof/k deZpkjh ykHk

अल्पावधि कर्मचारी लाभ में वेतन, भत्ते, वार्षिक अवकाश और बीमारी अवकाश, निष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) जैसी कर्मचारी लागतें शामिल होती हैं,

जो उस वर्ष के दौरान अर्जित होती हैं, जिसमें निगम के कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताओं को संबंधित सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की बिना छूट वाली राशि पर मापा जाता है।

ख) रोजगारपश्च लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

fu/kkfjr vi'knku ;kstuk

निर्धारित अंशदान एक रोजगार–पश्च लाभ योजना है, जिसमें निगम विभिन्न संगठनों में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है तथा आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। निगम द्वारा भविष्य निधि, पेंशन निधि, सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और परोपकार निधि (बीएफ) में किए गए अंशदान को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए/देय ऐसे अंशदान को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

भविष्य निधि में अंशदान एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि में किया जाता है और पेंशन निधि में अंशदान ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया जाता है। पीआरएमबी के संबंध में, चिकित्सा कोष लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार बनाया जाता है जिसका उपयोग बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के लिए किया जाता है। परोपकार निधि में अंशदान निधि के नियमों के अनुसार किया जाता है।

fu/kkfjr ykHk ;kstuk

निर्धारित लाभ योजना, निर्धारित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगार–पश्चात लाभ योजना है। निगम द्वारा दी जाने वाली उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों जैसे कि रुग्णता अवकाश और सेवानिवृत्ति पर टीए के प्रति निगम की देयता को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना जाता है। भविष्य निधि में अंशदान एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से संचालित निधि में दिया जाता है।

ऐसी निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत दायित्व का वर्तमान मूल्य, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकित लाभ और हानि शामिल हैं, को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय में। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन तुरंत प्रतिधारित आय में परिलक्षित होता है और इसे लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

12- iwo vof/k d 0;; vkj vk;

निगम के पिछले वर्ष के प्रचालन से प्राप्त राजस्व के 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाएगा।

13- iwo inRr en

आगामी वित्तीय वर्ष(वर्षों) से संबंधित व्यय को केवल पूर्वभुगतान माना जाएगा, जहां भुगतान प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रुपए से अधिक होगा।

14- djk/kku

अवधि के लिए कर व्यय में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर, उस सीमा को छोड़कर जो अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहां कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है।

orZeku dj

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि में रिपोर्ट किए गए शुद्ध लाभ से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की ऐसी मदें शामिल नहीं होती हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य होती हैं और इसमें ऐसी मदें भी शामिल नहीं होती हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होती हैं। वर्तमान कर के लिए निगम की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

प्रावधान उन मामलों के लिए मान्यता प्राप्त है जिनके लिए कर निर्धारण अनिश्चित है लेकिन यह संभावित माना जाता है कि भविष्य में कर प्राधिकारी को धन का बहिर्वाह होगा। प्रावधानों को देय होने वाली अपेक्षित राशि के सर्वोत्तम अनुमान पर मापा जाता है। मूल्यांकन विशेषज्ञ स्वतंत्र कर सलाह पर आधारित है ।

vkLFkfxr dj

आस्थगित कर वह कर है जो वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संगत कर आधारों के बीच अंतर पर देय या वसूल किए जाने की प्रत्याशा है, और इसका लेखांकन देयता पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना न रहे कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे परिसंपत्ति का सम्पूर्ण या आंशिक भाग वसूल किया जा सके।

आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है, जो उस अवधि में लागू होने की प्रत्याशा होती है जब देयता का निपटान हो जाता है या कर कानूनों (अर्थात आयकर अधिनियम, 1961) और उन दरों के आधार पर परिसंपत्ति की वसूली हो जाती है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हो चुकी हैं।

lek;kstu

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है, जब वर्तमान कर देनदारियों के प्रति वर्तमान कर परिसंपत्तियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब वे एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हों और निगम अपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का निपटान शुद्ध आधार पर करना चाहता हो।

15- lgk;d dEifu;ksa esa fuos'k

निगम लागत के आधार पर सहायक कंपनियों में निवेश का लेखा–जोखा रखता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, निगम अपनी वहन राशि की समीक्षा करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई हानि का संकेत है, यदि कोई हो, तो हानि के लिए समायोजित किया जाएगा।

16- foÙkh; fyfkr

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को निगम के तुलन–पत्र में तब मान्यता दी जाती है जब वह लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय उन व्यापार प्राप्तियों के जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे उत्तरदायी लेनदेन लागतों को प्रारंभिक मान्यता पर, उचित रूप से, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे उत्तरदायी लेनदेन लागतों को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है।

foÙkh; ifjlifRr;ka

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर, या तो परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर उनकी संपूर्णता में मापा जाता है।

¼d½ foÙkh; ifjlifÙk;ksa dk oxhZdj.k

वित्तीय परिसंपत्तियां जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना होता है;

- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्नकरती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें बाद में अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर पूरा किया जाता है;
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होता है।

डिफॉल्ट रूप से, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(i) ifj'kkf/kr ykxr vkj çHkkoh C;kt fof/k%

प्रभावी ब्याज विधि वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत की गणना करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज आय आवंटित करने की एक विधि है।

खरीदी गई या उत्पन्न ऋण–बाधित वित्तीय परिसंपत्तियों (अर्थात् ऐसी परिसंपत्तियां जो आरंभिक मान्यता पर ऋण–बाधित हैं) के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों (सभी शुल्कों और भुगतान किए गए या प्राप्त किए गए बिंदुओं सहित जो प्रभावी ब्याज दर, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट का एक अभिन्न अंग है) को छूट देती है, जिसमें अपेक्षित ऋण हानियों को छोड़कर, वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान, या जहां उपयुक्त हो, एक लघु अवधि तक, आरंभिक मान्यता पर ऋण लिखत की सकल अग्रेणीत राशि शामिल है।

वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत वह राशि है जिस पर वित्तीय परिसंपत्ति को प्रारंभिक मान्यता में मापा जाता है, जिसमें मूलधन की चुकौती घटा दी जाती है, साथ ही उस प्रारंभिक राशि और परिपक्वता राशि के बीच किसी भी अंतर को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके संचयी परिशोधन, किसी भी हानि भत्ते के लिए समायोजित किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि किसी भी हानि भत्ते के लिए समायोजित करने से पहले वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है, जिसे बाद में परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है। खरीदी गई या उत्पन्न ऋण–बाधित वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज आय की गणना की जाती है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के जो बाद में ऋण बाधित हो गई हैं (नीचे देखें)। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो बाद में ऋण–क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज आय की पहचान की जाती है। यदि, बाद की रिपोर्टिंग अवधि में, ऋण–बाधित वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम में सुधार होता है, ताकि वित्तीय परिसंपत्ति अब ऋण बाधित न रहे, तो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

ब्याज आय को टिप्पणी 21 के तहत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

(ii) ,QohVhvkslhvkbZ d{k :i esa ukfer bfDoVh fy[kr

प्रारंभिक मान्यता पर, निगम इक्विटी लिखतों में निवेश को एफवीटीओसीआई के अनुसार नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन (लिखत–दर–लिखत आधार पर) कर सकता है। यदि इक्विटी निवेश को ट्रेडिंग के लिए रखा जाता है या यदि यह किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त आकस्मिक प्रतिफल है, तो एफवीटीओसीआई में नामित करने की अनुमति नहीं है।

एफवीटीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागत पर मापा जाता है। इसके बाद, उन्हें अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न लाभ और हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है और निवेश पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। इक्विटी निवेश के निपटान पर संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, इसके बजाय, इसे प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

इक्विटी लिखत में इन निवेशों पर लाभांश को भारतीय

लेखाकन मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व न करें। लाभांश को टिप्पणी 21 के तहत लाभ या हानि में शामिल किया जाता है।

निगम ने इक्विटी उपकरणों में सभी निवेशों को, जो व्यापार के लिए नहीं रखे गए हैं, प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीओसीआई के रूप में नामित किया है
(टिप्पणी 7 देखें)।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को व्यापार के लिए रखा जाता है यदि:

- इसे मुख्यतः निकट भविष्य में बेचने के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया है;
- प्रारंभिक मान्यता के अनुसार यह पहचाने गए वित्तीय लिखतों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है जिसे निगम एक साथ प्रबंधित करता है और इसमें अल्पकालिक लाभ लेने के हाल के वास्तविक पैटर्न का साक्ष्य है;
- यह एक व्युत्पन्न है (ऐसे व्युत्पन्न को छोड़कर जो एक वित्तीय गारंटी अनुबंध या एक निर्दिष्ट और प्रभावी हेजिंग उपकरण है)

(iii) ,QohVhih,y ij foÙkh; ifjlaifÙk;k

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो परिशोधित लागत या एफवीटीपीएल (ऊपर (i) से (ii) देखें) पर मापे जाने के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें एफवीटीपीएल पर मापा जाता है। विशेष रूप से:

- इक्विटी लिखतों में निवेश को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया ज ाता है, जब तक कि निगम एक इक्विटी निवेश को नामित नहीं करता है जो न तो व्यापार के लिए रखा जाता है और न ही प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीओसीआई के रूप में व्यवसाय संयोजन से उत्पन्न आकस्मिक प्रतिफल है (ऊपर (iii) देखें);
- वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत मानदंड या एफवीटीओसीआई मानदंड (ऊपर (i) और (ii) देखें) को पूरा नहीं करती है, उन्हें एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत मानदंड या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करती है, उसे प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया जा सकता है, यदि ऐसा निर्धारण माप या मान्यता असंगति (तथाकथित 'लेखांकन बेमेल') को समाप्त करता है या महत्वपूर्ण रूप से कम करता है जो परिसंपत्तियों या देनदारियों को मापने या विभिन्न आधारों पर उन पर लाभ और हानि को पहचानने से उत्पन्न होगी।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है, तथा किसी भी उचित मूल्य लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

¼[k½ foÙkh; ifjlaifÙk;k dh gkfu

आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई /2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी. सं.109/22.10.106/2019–20 दिनांक 13.03.2020 के आधार पर, इंडएएस–109 के अनुसार ईसीएल को वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय लिखतों में हानि भत्ते के रूप में मान्यता दी गई है। आरबीआई द्वारा जारी इंडएएस और आईआरएसीपी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्राप्य और ऋण और अग्रिम (ब्याज उचिन्त खाते का निवल) के लिए प्रावधान करने के वर्गीकरण और मानदंड भी इसके साथ संलग्न हैं।

निगम वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता को मान्यता देता है, जिन्हें परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई, पट्टा प्राप्तियों, व्यापार प्राप्तियों और अनुबंध परिसंपत्तियों के साथ–साथ वित्तीय गारंटी अनुबंधों पर मापा जाता है। अपेक्षित ऋण हानियों की राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर संबंधित वित्तीय लिखत की प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अद्यतन की जाती है।

निगम सदैव ऋण और अग्रिम, व्यापार प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और पट्टा प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित ऋण घाटे (ईसीएल) की पहचान करता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण घाटे का अनुमान निगम के ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव के आधार पर प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करके लगाया जाता है, जिसे देनदारों, सामान्य आर्थिक स्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि पर स्थितियों की वर्तमान और पूर्वानुमानित दिशा दोनों के आकलन के लिए समायोजित किया जाता है, जिसमें उचित होने पर धन का समय मूल्य भी शामिल है।

अन्य सभी वित्तीय लिखतों के लिए, निगम आजीवन ईसीएल को मान्यता देता है, जब प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।

आजीवन ईसीएल अपेक्षित ऋण घाटे को दर्शाता है जो किसी वित्तीय लिखत के अपेक्षित जीवनकाल में सभी संभावित चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप होगा।

ऊपर उल्लिखित आरबीआई अधिसूचना दिनांक 13.03.2020 के अनुसार, वित्तपोषण योजना के तहत प्राप्तियां तथा ऋण और अग्रिम, जिसमें किराया खरीद, लीजिंग, कच्चा माल सहायता, बिल छूट, सावधि ऋण, समग्र सावधि ऋण, बैंकों से प्राप्तियां आदि के अंतर्गत बकाया राशि के संबंध में प्राप्तियां शामिल हैं, जहां इंड एएस–109 के तहत हानि भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान से कम है, निगम कर के बाद अपने शुद्ध लाभ या हानि से अंतर को एक अलग 'हानि आरक्षित' में विनियोजित करता है। ऐसा हस्तांतरण लाभ के विरुद्ध प्रभार नहीं होगा; इसके बजाय, करों के पश्चात लाभ या हानि के प्रति विनियोजित किया जाएगा।

(i) _.k tkf[ke e mYy[kuh; of)

यह आकलन करने में कि क्या किसी वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, निगम रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय लिखत पर होने वाले चूक के जोखिम की तुलना प्रारंभिक मान्यता की तिथि पर वित्तीय लिखत पर होने वाले चूक के जोखिम से करता है। यह आकलन करने में, निगम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की जानकारी पर विचार करता है जो उचित और समर्थन योग्य है, जिसमें ऐतिहासिक अनुभव और भविष्य–उन्मुख जानकारी शामिल है जो बिना किसी अनावश्यक लागत या प्रयास के उपलब्ध है। विचार की जाने वाली भविष्य–उन्मुख जानकारी में उन उद्योगों की भविष्य की संभावनाएं शामिल हैं जिनमें निगम के देनदार कार्य करते हैं, जो आर्थिक विशेषज्ञ रिपोर्टों, वित्तीय विश्लेषकों, सरकारी निकायों, प्रासंगिक थिंक–टैंक और अन्य समान संगठनों से प्राप्त की जाती हैं, साथ ही निगम के मुख्य संचालन से संबंधित वास्तविक और पूर्वानुमानित आर्थिक जानकारी के विभिन्न बाहरी स्रोतों पर विचार किया जाता है।

विशेष रूप से, यह आकलन करते समय कि क्या प्रारंभिक पहचान के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान में रखा जाता है:

- वित्तीय लिखत के बाह्य (यदि उपलब्ध हो) या आंतरिक मूल्यांकन में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण गिरावट;
- किसी विशेष वित्तीय लिखत के लिए ऋण जोखिम के बाह्य बाजार संकेतकों में महत्वपूर्ण गिरावट, उदाहरण के लिए ऋण प्रसार में महत्वपूर्ण वृद्धि, देनदार के लिए ऋण चूक अदला–बदली मूल्य, या समय की अवधि या वह सीमा जिस तक किसी वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य उसकी परिशोधित लागत से कम रहा है;
- व्यवसाय, वित्तीय या आर्थिक स्थितियों में विद्यमान या पूर्वानुमानित प्रतिकूल परिवर्तन, जिनके कारण देनदार की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है;
- देनदार के परिचालन परिणामों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण गिरावट;
- उसी देनदार के अन्य वित्तीय लिखतों पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि;
- देनदार के विनियामक, आर्थिक या तकनीकी वातावरण में कोई वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप देनदार की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण कमी आती है।

किसी वित्तीय लिखत में ऋण जोखिम निम्न माना जाता है यदि:

- वित्तीय लिखत में चूक का जोखिम कम है;
- देनदार के पास निकट भविष्य में अपने संविदागत नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है;
- दीर्घावधि में आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन, उधारकर्ता की संविदागत नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को कम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो।

निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को कम ऋण जोखिम वाला मानता है, जब परिसंपत्ति की आंतरिक रेटिंग प्रदर्शनकारी होती है। प्रदर्शनकारी परिसंपत्ति का अर्थ है कि प्रतिपक्ष के पास मजबूत वित्तीय स्थिति है या जो वैध बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है या जो लेनदारों के साथ बैक टू बैक व्यवस्था के तहत सुरक्षित है ।

वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए, जिस तिथि पर निगम अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता का पक्षकार बनता है, उसे वित्तीय लिखत की हानि के आकलन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक मान्यता की तिथि माना जाता है। यह आकलन करते समय कि क्या वित्तीय गारंटी अनुबंध की प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, निगम जोखिम में होने वाले परिवर्तनों पर विचार करता है कि निर्दिष्ट देनदार अनुबंध पर चूक करेगा।

निगम नियमित रूप से उन मानदंडों की प्रभावशीलता की निगरानी करता है, जिनका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथा उन्हें उचित रूप से संशोधित करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मानदंड ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि की पहचान करने में सक्षम हैं।

(ii) p|d dh ifjHkk"kk

निगम आंतरिक ऋण जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को चूक की घटना मानता है, क्योंकि ऐतिहासिक अनुभव से पता चलता है कि निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियां आमतौर पर वसूली योग्य नहीं होती हैं:

- जब देनदार द्वारा वित्तीय अनुबंधों का उल्लंघन किया जाता है;
- आंतरिक रूप से विकसित या बाहरी स्रोतों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि देनदार द्वारा निगम सहित अपने लेनदारों को पूर्ण भुगतान करने की संभावना नहीं है (निगम द्वारा धारित किए गए किसी भी संपार्श्विक को ध्यान में रखे बिना)

(iii) _.k&{kfrxLr fo|Ùkh; ifjlai fÙk;k|

वित्तीय परिसंपत्ति तब ऋण–क्षतिग्रस्त होती है जब एक या एक से अधिक घटनाएँ घटित होती हैं जिनका उस वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वित्तीय परिसंपत्ति के ऋण–क्षतिग्रस्त होने के साक्ष्य में निम्नलिखित घटनाओं के बारे में अवलोकन योग्य डाटा शामिल है:

- जारीकर्ता या उधारकर्ता की गंभीर वित्तीय कठिनाई;
- अनुबंध का उल्लंघन, जैसे कि चूक या पिछली देय घटना (उपर्युक्त (ii) देखें);
- उधारकर्ता के ऋणदाता(ओं) द्वारा, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या संविदात्मक कारणों से, उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करना, जिन पर ऋणदाता(ओं) द्वारा अन्यथा विचार नहीं किया जाता;
- यह संभावना बनती जा रही है कि उधारकर्ता दिवालियापन या अन्य वित्तीय पुनर्गठन में प्रवेश करेगा;
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए सक्रिय बाजार का लुप्त होना।

(iv) cVV&[kkrs e| Mkyus tkus lac/kh uhfr

निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब बट्टे खाते में डाल देता है जब ऐसी सूचना मिलती है कि देनदार गंभीर वित्तीय कठिनाई में है और वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। निगम ने चूक वसूली समितियों का गठन किया है जो मामले दर मामले आधार पर ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की समीक्षा करती हैं और उन्हें बट्टे खाते में डालने की सिफारिश करती हैं। बट्टे खाते में डाली गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ अभी भी निगम की वसूली प्रक्रियाओं के तहत प्रवर्तन गतिविधियों के अधीन हो सकती हैं, जहाँ उचित हो, कानूनी सलाह को ध्यान में रखते हुए। की गई किसी भी वसूली को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

(v) ifjdfYir _.k gkfu;ksa dk ekiu vkSj igpku

अपेक्षित ऋण घाटे का मापनचूक की संभावना, चूक के कारण हानि (अर्थात चूक होने पर नुकसान की मात्रा) और चूक के प्रभावके आधार पर गणना किया जाने वाला होता है। चूक की संभावना और चूक के कारण हानि का आकलन ऊपर वर्णित अनुसार अग्रगामी सूचनाओं द्वारा समायोजित ऐतिहासिक डाटा पर आधारित है। जहां तक चूक पर जोखिम की बात है, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, इसे रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि द्वारा दर्शाया जाता है; वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए, जोखिम में गारंटीकृत ऋण की वह राशि शामिल होती है जिसे रिपोर्टिंग तिथि तक निकाला गया है, साथ ही ऐतिहासिक प्रवृत्ति, देनदारों की विशिष्ट भविष्य की वित्तपोषण आवश्यकताओं के बारे में निगम की समझ और अन्य प्रासंगिक अग्रगामी सूचनाओं के आधार पर निर्धारित चूक की तिथि तक उधारकर्ता द्वारा भविष्य में निकाले जाने की अपेक्षित कोई अतिरिक्त गारंटीकृत राशि भी शामिल होती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्याशित ऋण हानि का अनुमान अनुबंध के अनुसार निगम को देय सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों और निगम द्वारा प्राप्त होने की अपेक्षा की जाने वाली सभी नकदी प्रवाहों के बीच अंतर के रूप में लगाया जाता है, जिसे मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी जाती है। पट्टा प्राप्य के लिए, प्रत्याशित ऋण हानियों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नकदी प्रवाह, भारतीय लेखाकन मानक 116 के अनुसार पट्टा प्राप्य को मापने में उपयोग किए जाने वाले नकदी प्रवाह के अनुरूप होते हैं।

वित्तीय गारंटी अनुबंध के लिए, चूंकि निगम को गारंटीकृत लिखत की शर्तों के अनुसार देनदार द्वारा चूक की स्थिति में

ही भुगतान करने की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्याशित हानि भत्ता धारक को होने वाली ऋण हानि की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित भुगतान होता है, जिसमें से निगम द्वारा धारक, देनदार या किसी अन्य पक्ष से प्राप्त होने की अपेक्षा की गई राशि घटा दी जाती है।

यदि निगम ने किसी वित्तीय लिखत के लिए हानि भत्ते को पिछले रिपोर्टिंग अवधि में आजीवन ईसीएल के बराबर राशि पर मापा है, लेकिन वर्तमान रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करता है कि आजीवन ईसीएल की शर्तें अब पूरी नहीं होती हैं, तो निगम वर्तमान रिपोर्टिंग तिथि पर 12 महीने की ईसीएल के बराबर राशि पर हानि भत्ते को मापता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जिनके लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था।

निगम सभी वित्तीय लिखतों के लिए क्षति लाभ या हानि में लाभ या हानि को मान्यता देता है, तथा हानि भत्ता लेखे के माध्यम से उनकी अग्रेणीत राशि में संगत समायोजन करता है, सिवाय वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश के, जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है, जिसके लिए क्षति भत्ता अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है तथा ओसीआई के माध्यम से अन्य रिजर्व में संचित किया जाता है, तथा वित्तीय स्थिति के विवरण में वित्तीय परिसंपत्ति की अग्रेणीत राशि को कम नहीं करता है।

¼x½ foÙkh; ifjlaifÙk;ksa dk foekU; djuk

निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तभी विमान्य करता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य करने पर, परिसंपत्ति की वहन राशि और प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश को विमान्यरद्द करने पर, ओसीआई के माध्यम से अन्य आरक्षित में पहले से संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इसके विपरीत, किसी इक्विटी लिखत में निवेश को विमान्य किए जाने पर जिसे निगम ने एफवीटीओसीआई पर मापने के लिए प्रारंभिक मान्यता पर चुना है, निवेश पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में पहले से संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि उसे प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

foÙkh; nk;rk,a vkj bfDoVh

(i) _.k ;k bfDoVh d:i esa oxhZdj.k

ऋण और इक्विटी लिखतों को संविदात्मक व्यवस्थाओं के सार और वित्तीय दायित्व और इक्विटी उपकरण की परिभाषाओं के अनुसार वित्तीय देनदारियों या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) bfDoVh fy[kr

इक्विटी लिखत कोई भी अनुबंध है जो किसी इकाई की सभी देनदारियों को घटाने के बाद उसकी परिसंपत्तियों में शेष ब्याज को प्रमाणित करता है। निगम द्वारा जारी की गई इक्विटी लिखत को प्रत्यक्ष निर्गम लागतों को घटाकर प्राप्त आय पर मान्यता दी जाती है।

(iii) foÙkh; nk;rk,a

सभी वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति या एफवीटीपीएल का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। हालाँकि, वित्तीय देनदारियाँ जो तब उत्पन्न होती हैं जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति का हस्तांतरण मान्यता समाप्ति के लिए योग्य नहीं होता है या जब निरंतर भागीदारी दृष्टिकोण लागू होता है, और निगम द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध, नीचे निर्धारित विशिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुसार मापा जाता है।

,QohVhih,y ij foÙkh; nunkfj;k

वित्तीय देनदारियों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वित्तीय देयता (i) किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता का आकस्मिक प्रतिफल है, (ii) व्यापार के लिए रखी गई है या (iii) इसे एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया गया है।

वित्तीय देयता को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि:

- इसे मुख्यतः निकट भविष्य में पुनर्खरीद करने के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया है;
- प्रारंभिक मान्यता के अनुसार यह पहचाने गए वित्तीय साधनों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है जिसे निगम एक साथ प्रबंधित करता है और इसमें अल्पकालिक लाभ लेने का एक हालिया वास्तविक पैटर्न है;
- यह एक व्युत्पन्न है, सिवाय उस व्युत्पन्न के जो एक वित्तीय गारंटी अनुबंध या एक निर्दिष्ट और प्रभावी

हेजिंग लिखत है।

किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता के व्यापार या आकस्मिक प्रतिफल के लिए धारित वित्तीय दायित्व के अलावा किसी अन्य वित्तीय दायित्व को प्रारंभिक मान्यता के समय एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया जा सकता है, यदि:

- ऐसा निर्धारण माप या पहचान असंगतता को समाप्त करता है या महत्वपूर्ण रूप से कम करता है जो अन्यथा उत्पन्न हो सकती है;
- वित्तीय दायित्व, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय दायित्वों या दोनों के समूह का हिस्सा होता है, जिसका प्रबंधन किया जाता है और इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन निगम के प्रलेखित जोखिम प्रबंधन या निवेश रणनीति के अनुसार उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है, और समूहीकरण के बारे में जानकारी उस आधार पर आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है;
- यह एक या एक से अधिक एम्बेडेड व्युत्पनन वाले अनुबंध का हिस्सा बनता है, और भारतीय लेखाकन मानक 109 संपूर्ण संयुक्त अनुबंध को एफवीटीपीएल के रूप में नामित करने की अनुमति देता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, उचित मूल्य में परिवर्तन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, इस सीमा तक कि वे निर्दिष्ट हेजिंग संबंध का हिस्सा नहीं हैं। लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ या हानि में वित्तीय देयता पर भुगतान किया गया कोई भी ब्याज शामिल होता है और इसे लाभ या हानि में 'अन्य लाभ और हानि' में शामिल किया जाता है।

तथापि, वित्तीय देनदारियों के लिए जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया गया है, वित्तीय देनदारी के उचित मूल्य में परिवर्तन की राशि जो उस देयता के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों के कारण है, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है, जब तक कि अन्य व्यापक आय में देयता के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों की मान्यता लाभ या हानि में लेखांकन बेमेल उत्पन्न न कर दे या बढ़ा न दे। देयता के उचित मूल्य में परिवर्तन की शेष राशि को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है। वित्तीय देयता के क्रेडिट जोखिम के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन जो अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें बाद में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है; इसके बजाय, उन्हें वित्तीय देयता की मान्यता समाप्त होने पर प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

ckn e ifj'kkf/kr ykxr ij ekih xbZ foÙkh; nunkfj;k

वित्तीय दायित्व जो **(i)** किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता के आकस्मिक प्रतिफल नहीं हैं, **(ii)** व्यापार के लिए रखे गए हैं, या **(iii)** एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट हैं, उन्हें बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्रभावी ब्याज विधि वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत की गणना करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज व्यय आवंटित करने की एक विधि है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय दायित्व की अपेक्षित अवधि या (जहां उपयुक्त हो) कम अवधि के दौरान, वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत पर अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान (जिसमें भुगतान या प्राप्त सभी शुल्क और अंक शामिल हैं जो प्रभावी ब्याज दर, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट का अभिन्न अंग हैं) को सटीक रूप से छूट देती है।

foÙkh; xkjaVh vuqca/k n;rk,a

वित्तीय गारंटी अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके तहत जारीकर्ता को धारक को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए निर्दिष्ट भुगतान करने की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण लिखत की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंध देनदारियों को शुरू में उनके उचित मूल्यों पर मापा जाता है और, यदि उन्हें एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है और वे किसी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो बाद में निम्न में से उच्चतर पर मापा जाता है:

- भारतीय लेखाकन मानक 109 के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि (ऊपर वित्तीय परिसंपत्तियां देखें);
- प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि में से, जहां उपयुक्त हो, ऊपर निर्धारित राजस्व मान्यता नीतियों के अनुसार मान्यता प्राप्त संचयी परिशोधन राशि घटाई जाएगी।

जब निगम मौजूदा ऋणदाता के साथ एक ऋण लिखत को दूसरे में काफी अलग शर्तों के साथ बदलता है, तो इस तरह के आदान–प्रदान को मूल वित्तीय दायित्व के उन्मूलन और एक नए वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। इसी तरह, निगम मौजूदा दायित्व या उसके हिस्से की शर्तों में पर्याप्त संशोधन को मूल वित्तीय दायित्व के उन्मूलन और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में मानता है। यह माना जाता है कि शर्तें काफी अलग हैं यदि नई शर्तों के तहत नकदी प्रवाह का छूट वाला वर्तमान मूल्य, जिसमें प्राप्त किसी भी शुल्क का शुद्ध भुगतान शामिल है

और मूल प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी गई है, मूल वित्तीय दायित्व के शेष नकदी प्रवाह के छूट वाले वर्तमान मूल्य से कम से कम 10 प्रतिशत अलग है। यदि आशोधन पर्याप्त नहीं है, तो निम्न के बीच का अंतरः

(1) आशोधन से पहले देयता की वहन राशि; और

(2) आशोधन के बाद नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य अन्य लाभ और हानि के भीतर आशोधित लाभ या हानि के रूप में लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की जाती है।

17- çko/kku

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब निगम पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो, यह संभव है कि निगम को उस दायित्व का निपटान करना होगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है, जिसमें दायित्व से जुड़े जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है। जहां प्रावधान को वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके मापा जाता है, वहां इसकी वहन राशि उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य है (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है)।

जब किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की अपेक्षा की जाती है, तो प्राप्य को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

यदि आवश्यक हो तो प्रबंधन द्वारा जहां भी उचित समझा जाता है, केन्द्र सरकार/ राज्य सरकारों/सरकारी संस्थाओं/ सरकारी कम्पनियों तथा अन्य केन्द्रीय/ राज्य सरकारी विभागों/ निकायों से प्राप्तियों तथा ऋण एवं अग्रिमों पर प्रावधान किए जाते हैं।

निर्यात और विपणन योजना के अंतर्गत 'प्राप्तियों' के संबंध में प्राप्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जहां तक राशि 'देय' के अंतर्गत दिखाई देती है, तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैक–टू–बैक व्यवस्था के अंतर्गत समान लेनदेन से संबंधित आपूर्तियों के लिए, आपूर्तिकर्ता को देय राशि के विरुद्ध समायोजित प्रसंस्करण शुल्क की सीमा तक।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारतीय लेखाकन मानक (इंडएएस) और आईआरएसी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्राप्य और ऋण एवं अग्रिम (ब्याज उचंत खाते का निवल) के लिए प्रावधान करने के वर्गीकरण और मानदंड इसके साथ संलग्न हैं।

Hkkjoku vuqc/k

भारवान अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है। भारवान अनुबंध तब माना जाता है जब निगम के पास ऐसा अनुबंध होता है जिसके तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत इसके तहत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है।

18- vkdfLed n;rk,a vkj vkdfLed ifjlaifÙk;k

निगमआकस्मिकदेयताऔर/याआकस्मिकपरिसंपत्तिकोमान्यता नहीं देता है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण लेखाओं की टिप्पणी में किया जाता है।

19- fonsh eqæk njksa esa ifjorZu dk çHkko

निगम के वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निगम की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राएं) के अलावा अन्य मुद्राओं में किए गए लेनदेन को लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियाँ और देनदारियाँ उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः परिवर्तित की जाती हैं। पुनः परिवर्तित होने पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है। उचित मूल्य पर रखी गई गैर–मौद्रिक वस्तुएँ जो विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं, उन्हें उस तिथि पर प्रचलित दरों पर परिवर्तित किया जाता है जब उचित मूल्य निर्धारित किया गया था। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी गई गैर–मौद्रिक वस्तुओं का पुनः परिवर्तित नहीं किया जाता है।

y[kkdu uhfr dk vuqyXud %ukV&2& fcUnq l[;k 16 ¼ch½ vkj 17 çkI; vkj _.kksa o vfxeksa dk oxhZdj.k vkj çkoèkku djus dh ekinaM

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी इण्डएएस और आईआरएसीपी विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में प्राप्तियों और ऋणों व अग्रिमों (उचंत खाते के ब्याज को घटाकर) के वर्गीकरण और मानदंड निम्नानुसार है:

1- çfrHkwr çkI; vkj _.k ,oa vfxe

व्यापार से प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम को ''प्रतिभूत'' के रूप में समझा जाएगा (बशर्ते कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)। इसे उस सीमा तक प्रतिभूत समझा जाएगा, जहां तक एनएसआईसी के पास नगद प्रतिभूतियां उपलब्ध हों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बाजार मूल्य/डब्लूडीवी/ऐसी परिसंपत्तियों का वचनबद्ध मूल्य (जो विधिक/जब्त किए गए मामलों से संबंधित हों) और जिनकी वित्त व्यवस्था की गई हो (जो यूनिट/एनएसआईसी के कब्जे के रूप में अभिनिर्धारित हों और उसके पास पड़े हों। यूनिट से प्राप्त अग्रिम, अग्रिम धन जमा (ईएमडी), जब्त की गई मशीनें, प्रतिफल की धनराशि, अग्रिम की किस्त/ किराया, किराएदारों से प्राप्त अग्रिम/मशीनों की खरीद पर अग्रिम, जो अचल संपत्ति का संयुक्त प्रतिभूति इक्विटेबल बंधक से प्राप्त हुई हो, सरकारी विभागों, विधिमान्य बैंक गारंटी (बीजी)/ साख पत्र (एलसी) या किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा से प्राप्त हुई हो, जो संविदा के विधिमान्य करार/ संविदा/ अधिकार/ एनएसआईसी के स्वामित्व की यूनिटों की रकम, जिनमें ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन लेनदेन भी शामिल है, उस सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया, अग्रिम (जिसकी व्यवस्था एनएसआईसी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में हो, जिसके संबंध में एमएसएमई और / या बीजी पर आरएमए के अधीन स्वीकृत सीमा में से भुगतान की गई रकम, एनएसआईसी द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा और तदनुसार आपूर्तिकर्ताओं के क्रेताओं द्व ारा जमा की गई रकम, जिसका प्रावधान एनएसआईसी के पास रखी गई प्रतिभूति में भी किया गया है (जिसमें संविदा के अधिकारों के अधीन प्रतिभूति जमा रकम भी शामिल है), प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता के बराबर या 180 दिन से कम हो, विद्यमान कर्मचारियों को दिया गया कर्मचारी अग्रिम और उस पर उपार्जित ब्याज भी शामिल है, इसमें सहायता की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार यूनिटों से प्राप्त सभी प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आने वाली धनराशियों को 'अप्रतिभूत' माना जाता है।

2- foÙkh; fy[krksa dk oxhZdj.k

इण्डएएस–109 के अनुसार प्राप्य राशि और ऋण एवं अग्रिम से संबंधित वित्तीय लिखत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आईआरएसी विवेक पूर्ण मापदंड के अनुसार वित्तीय स्कीमों के वित्तीय लिखतों का आगे वर्गीकरण में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगी:

(i) 0;kikj ls ÁkIr gksus okyh jkf'k% वित्तीय योजनाओं के अधीन व्यापार से प्राप्त होने वाली राशि में किराया खरीद और पट्टे के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्य राशि शामिल होती है, जबकि गैर वित्तीय योजनाओं में विपणन संबंधी क्रियाकलापों और अन्य (जिनमें बिक्री सेवा संबंधी लेन–देनों के कारण प्राप्त होने वाली राशि भी शामिल है) के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(ii) _.k ,oa vfxe% वित्त–व्यवस्था संबंधी योजनाओं के अधीन ऋण और अग्रिमों में कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल–बट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, बैंक से प्राप्त राशि आदि के अधीन देयताओं संबंधी प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(iii) vU;% गैर–वित्तीय स्कीमों के अधीन इन लिखतों में प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम शामिल है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाला अग्रिम भी शामिल है (जिनमें निगम के साथ किए गए समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिम सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम मुख्य रूप से शामिल हैं), प्रतिभूति जमा, कर्मचारी अग्रिम, उपार्जित ब्याज, जो उस पर देय नहीं है भी शामिल है) और अन्य परिसंपत्तियां भी शामिल हैं।

3- çkIr gksus okyh jkf'k;ksa vkj _.k ,oa vfxeksa dk çko/kku lEc/kh ekinaM%

वित्तीय लिखतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण आईआरएसी मापदंडों पर इण्डएएस–109 के अनुसार हानि भत्तों को स्वीकार करने के संबंध में विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

क) व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम की विभिन्न मदों के लिए Hkkjrh; y[kkdu eud&109 dh lnHkZ esa bZlh,y मानदंड नीचे दर्शाए गए हैं:–

(i) dPpk eky lgk;rk] Fkkd foØrkvksa vkj [kjnjk 0;kikfj;ksa dk lgk;rk] fcy cVVk] cdk;k lsa çkIr gksus okyh jkf'k vkj 0;kikj ,oa vU; lsa çkIr gksus okyh jkf'k dk v/khu _.k vkj vfxe%

Pkj.k	cdk;k ÁkIr jkf'k;ksa vkj _.k ,oa vfxe dk oxhdj.k
चरण–1 (निष्पादन)	इसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है, चूंकि इनकी पहचान पहले कर ली गई थी या ये ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को कम क्रेडिट जोखिम हैं। इनमें अन्य परिसंपत्तियों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां भी हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: क) उस सीमा तक बीजी पर आरएमए, एडब्ल्यूआरटी और बिल बट्टा, जो विधिमान्य बीजी के मूल्य के अंतर्गत आती हो– हानि भत्ता निवल बकाया के 0.40 प्रतिशत की दर से ख) जहाँ निगम को कम जोखिम होने की संभावना हो, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं: ❖ जहाँ प्राप्त होने वाली राशि को नकद/मूर्त प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूत समझा जाता है यथा ईएमडी/अग्रिम किस्त/किराया/यूनिट से प्राप्त अग्रिम, वसूली योग्य संपार्श्विक प्रतिभूति आदि। ❖ प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता, जो उसके बराबर या 180 दिन से कम हो ❖ उस सीमा तक निर्यात और विपणन स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली रकम, जो आपूर्तिकर्ता के साथ ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन उसी लेन–देन के संबंध में आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रकम तक। ऐसे मामलों में, क्योंकि यहाँ ईसीएल नहीं होता है, अतः इसमें हानि भत्ते का प्रावधान नहीं किया गया है।
चरण–2 (निष्पादन के अधीन)	रण–2 के अधीन वे वित्तीय परिसंपत्तियां आती हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है, परंतु जिनमें हानि होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित मामले शामिल होते हैं:– क) lqikf'o|d dqfr vkj,e, vkj fcy fMLdkmfVx% लंबे समय से बंद हो गई हैं या जिन्हें निगम द्वारा भविष्य में चालू रखने की योजना नहीं है, लेकिन जिनके पक्ष में उस सीमा तक वसूली योग्य प्रतिभूति है जो वसूली योग्य प्रतिभूति के ऐसे मूल्य से प्रतिभूत है– निवल बकाया का 100 प्रतिशत की दर से हानिकरण छूट। ख) cdk xkjVh dqfr vkj,e,] ,MCY;qvkjVh vkj fcy fMLdkmfVx: इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआर सीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और निगम के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा, ऐसे मामले जिनमें निगम को भुगतान हेतु बैंक/प्राधिकरण से कोई मनाही/अस्वीकरण प्राप्त नहीं होता है और/या भुगतान एनसीएलटी/किसी न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों आदि द्वारा स्थगित किया/रोका जाता है, – शुद्ध बकाया के 0.40% की दर से क्षतिपूर्ति भत्ता देय है।

	तथापि जहाँ तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई राशि प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

(ii) fdjk;k [kjhn] iVVk] fe;knh _.k] lfeJ fe;knh _.k] vkfn dh v/khu ÁkIr gkuh okyh jkf'k vkj _.k ,oa vfxe %

Pkj.k	cdk;k çkI;ksa vkj _.k ,oa vfxe dk oxhdj.k
चरण–3 (गैर निष्पादन)	चरण–3 की परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होंगी, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को हानि का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसमें वे परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, जो चरण 1 और 2 के अधीन नहीं आती हैं और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं:– ऐसी योजना, जो लंबे समय से बंद पड़ी हों और जिन्हें एनएसआईसी द्वारा भविष्य में चलाने का इरादा नहीं है और जिनके पक्ष में प्राप्त होने वाली कोई प्रतिभूति नहीं है। क) योजनाएँ यथा किराया खरीद (एचपी), पट्टा (ईएलएस), संमिश्र मियादी ऋण (सीटीएल) और मियादी ऋण (टीएल)। ख) ऐसी योजना, जिनमें कोई कपट नहीं है। ग) ऐसी योजना, जहाँ दावा स्वीकार करने के संबंध में बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के साथ विवाद है और अंतिम प्राधिकारी जैसे (सीपीएसई के विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र–एएमआरसीडी है) का निर्णय एनएसआईसी के खिलाफ है। घ) बाह्य पक्षकारों के पास पड़ी राशि/अग्रिम, जिसकी वसूली संदिग्ध है। ङ) एनएसआईसी छोड़ चुके/निगम से त्याग–पत्र देने वाले कर्मचारियों से प्राप्त की जाने वाली राशि और जहाँ बकाया के निपटान के लिए राशि उपलब्ध न हो। च) प्रायोजित प्रशिक्षण से संबंधित बकाया देयताएं, जो 180 दिन से अधिक की हों। छ) ऐसी सभी अप्रतिभूत वसूल योग्य राशि और ऋण एवं अग्रिम ऐसे मामलों में निवल बकाया के 100 प्रतिशत की दर से हानिकरण छूट।

ख) Hkkjrh; fjtoZ cSad }kjk tkjh vkbZvkj,lh foofu;ked ekinaMksa ds vk/kkj ij ekinaMksa dk Áko/kku– यह प्रावधान व्यापार से प्राप्त राशियों, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों से संबंधित है, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:

Ø- l-	;kstuk	fuoy cdk;k dk Áko/kku Áfr'kr
1.	किराया खरीद	100%
2.	पट्टा	
3.	संमिश्र मियादी ऋण	
4.	मियादी ऋण	

fVIi.kh&3% udnh ,oa udnh lerqY;

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
udnh ,oa udnh lerqY;				
हस्तगत नकदी *		0.00		0.00
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट		0.00		0.00
मार्गस्थ प्रेषण		0.00		0.00
cdk;k e'k"k				
चालू खाता	7631.16		9746.05	
अन्य **	930.47	8561.63	496.99	10243.04
हस्तगत स्टाम्प		0.02		0.02
r|yu&i= d vu|kj		**8561.65**		**10243.06**

नोट – ऊपर प्रस्तुत रिपोर्टिंग अवधियों के अंत में नकदी और नकदी समकक्षों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं है।
* इसमें फ्लेक्सी डिपॉजिट शेष शामिल है।

fVIi.kh&4 % udnh vkj udnh lerqY;k d vykok cd 'k"k

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
tek		
सावधि जमा	49.93	50.27
r|yu&i= d vu|kj	**49.93**	**50.27**

नोट – 49.93 लाख रू (50.27 लाख रू) की राशि की सावधि जमा राशि 3 महीने से अधिक के लिए है और 40.52 लाख रू (38.13 लाख रू) की राशि ग्रहणाधिकार चिह्नित है।

fVIi.kh&5% 0;kikj ikI; ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
0;kikj ikI;				
सुरक्षित शोध्य माने गए	8561.55		10752.26	
असुरक्षित शोध्य माने गए	75.52		242.51	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	1720.51		1665.55	
	10357.58		12660.32	
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71		50.71	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	266.99		280.50	
	11426.50		12329.11	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1402.81		1334.34	
r|yu&i= d vu|kj		**10023.24**		**10994.77**
0;kikj ikI;k dk Hkkxkfyd oxhdj.k %				
भारत में		8637.07		10994.77
भारत के बाहर		0.00		0.00
tkM		**10023.24**		**10994.77**

vu|yXud & 5d 0;kikj çkI; ¼vk;|okj lkjk'k½

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
vfookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	1443.00	5547.81

6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	975.84	876.47
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	1649.20	1134.06
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	1164.23	626.37
3 वर्ष से अधिक	4743.02	2769.31
mi tkM+	**9975.29**	**10954.02**
fookfnr 0;kikj ÁkI; 'kq/; eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	12.93	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	35.02	40.76
mi tkM+	**47.95**	**40.76**
fufo'okn 0;kikj çkI; ftlesa ØfMV tkf[ke esa mYys[kuh; of) gqbZ gS		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM+	**0.00**	**0.00**
vfookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudk ØfMV tkf[ke esa egÙoiw.kZ of) gS		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM+	**0.00**	**0.00**
vfookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	58.89	93.18
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	82.24	3.26
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	8.46	10.09
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	9.02	6.22
3 वर्ष से अधिक	810.53	786.44
mi tkM+	**969.14**	**899.19**
fookfnr _.k gkfu—r		
6 egha d cjkcj ls de	5.94	0.00
6 egha ls vf/kd & 1 o"kZ ls de d cjkcj	0.00	0.00
1 o"kZ ls vf/kd & 2 o"kZ ls de d cjkcj	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	745.43	766.35

mi tkM%	**751.37**	**766.35**
	11743.75	12660.32
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71	50.71
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	266.99	280.50
	11426.05	12329.11
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1402.81	1334.34
tkM%	**10023.24**	**10994.77**

0;kikj ikI;k dk HkkSxkfyd oxhZdj.k %

भारत में	10023.24	10994.77
भारत के बाहर	0.00	0.00
tkM%	**10023.24**	**10994.77**

vuqyXud & 5[k 0;kikj ikI;k dk fooj.k ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½ ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
0;kikj çkI; & fdjk;k [kjhn		
सुरक्षित शोध्य माने गए	0.00	0.00
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00	0.00
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00	0.00
ऋण हानिकृत	676.19	704.87
	676.19	704.87
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	221.91	235.42
	454.28	469.45
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	454.28	469.45
mi&tkM%	**0.00**	**0.00**
0;kikj çkI; & iêkdj.k		
सुरक्षित शोध्य माने गए	0.00	0.00
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00	0.00
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00	0.00
ऋण हानिकृत	165.85	165.85
	165.85	165.85
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71	50.71
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	44.40	44.40
	70.74	70.74
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	70.74	70.74
mi&tkM%	**0.00**	**0.00**
0;kikj ÁkI; & foi.ku		
सुरक्षित शोध्य माने गए	9575.63	10507.78
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00	0.00
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00	0.00

ऋण हानिकृत	259.46		259.46	
	9835.09		10767.24	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	9835.09		10767.24	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	259.46		259.46	
mi& tkM+		**9575.63**		**10507.78**
0;kikj ÁkI; & vU;				
सुरक्षित शोध्य माने गए	372.09		244.48	
असुरक्षित शोध्य माने गए	75.52		242.51	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	619.01		535.37	
	1066.62		1022.36	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.68		0.68	
	1065.94		1021.68	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	618.33		534.69	
mi& tkM+		447.61		486.99
tkM+		10023.24		10994.77

vuqyXud & 5x 0;kikj çkI;k dk vk;;okj oxhZdj.k ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
0;kikj çkI; & fdjk;k [kjhn		
vfookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM+	**0.00**	**0.00**
fookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM+	**0.00**	**0.00**
vfookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudh ØfMV tkf[ke eq egÙoiw.kZ of) gS		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00

mi tkM	**0.00**	**0.00**
fookfnr 0;kikj ÁkI;] ftud ØfMV tkf[ke e egÙoi.k of) g		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM	**0.00**	**0.00**
vfookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	340.06	348.91
mi tkM	**340.06**	**348.91**
fookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	336.13	355.96
mi tkM	**336.13**	**355.96**
	676.19	704.87
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	221.91	235.42
	454.28	469.45
घटाएं: वसूली के लिए भेजे गए चैक	0.00	0.00
घटाएं: हानि हानि भत्ता	454.28	469.45
mi tkM	0	0
0;kikj ikI; & iêkdj.k		
vfookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku x,		
6 eghu d cjkcj l de	0.00	0.00
6 eghu l vf/kd & 1 o"k l de d cjkcj	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 o"k l vf/kd & 3 o"k l de d cjkcj	0.00	0.00
3 o"k l vf/kd	0.00	0.00
mi tkM	0.00	0.00
fookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 o"k l vf/kd	0.00	0.00
mi tkM	0.00	0.00

vfookfnr 0;kikj ÁkI;] ftud ØfMV tkf[ke e egÙoi.k of) g		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 o"k l vf/kd	0.00	0.00
mi tkM	0.00	0.00
fookfnr 0;kikj ÁkI;] ftud ØfMV tkf[ke e egÙoi.k of) g		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 o"k l vf/kd	0.00	0.00
mi tkM	0.00	0.00
vfookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 o"k l vf/kd	65.85	65.85
mi tkM	65.85	65.85
fookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 o"k l vf/kd	100.00	100.00
mi tkM	100.00	100.00
	165.85	165.85
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71	50.71
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	44.40	44.40
	70.74	70.74
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	70.74	70.74
mi tkM	0	0
0;kikj ÁkI; & foi.ku		
vfookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	1003.74	5145.85

6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	972.43	834.91
1 o"k l vf/kd & 2 o"k l de d cjkcj	1649.20	1132.13
2 o"k l vf/kd & 3 o"k l de d cjkcj	1163.52	625.58
3 o"k l vf/kd	4738.79	2734.29
mi tkM	**9527.68**	**10472.76**
fookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	12.93	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	35.02	35.02
mi tkM	**47.95**	**35.02**
vfookfnr 0;kikj ÁkI;] ftud ØfMV tkf[ke e egÙoi.k of) g		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 o"k l vf/kd & 2 o"k l de d cjkcj	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM	0.00	0.00
fookfnr 0;kikj ÁkI;] ftud ØfMV tkf[ke e egÙoi.k of) g		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 o"k l vf/kd & 2 o"k l de d cjkcj	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM	0.00	0.00
vfookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 महीने से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 o"k l vf/kd & 3 o"k l de d cjkcj	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	214.70	214.70
mi tkM	**214.70**	**214.70**
fookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00

1 o"k l vf/kd & 2 o"k l de d cjkcj	0.00	0.00	
2 o"k l vf/kd & 2 o"k l de d cjkcj	0.00	0.00	
3 वर्ष से अधिक	44.76	44.76	
mi tkM	44.76	44.76	
	9835.09	**10767.24**	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.00	0.00	
	9835.09	10767.24	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	259.46	259.46	
mi tkM		**9575.63**	**10507.78**
0;kikj ÁkI; & vU;			
vfookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku x,			
6 महीने के बराबर से कम	439.26	401.96	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	3.41	41.56	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	1.93	
2 o"k l vf/kd & 3 o"k l de d cjkcj	0.71	0.79	
3 o"k l vf/kd	4.23	35.02	
mi tkM	**447.61**	**481.26**	
fookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku x,			
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00	5.74	
mi tkM	0.00	5.74	
vfookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudh ØfMV tkf[ke e egÙoi.kk of) g			
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00	
mi tkM	0.00	0.00	
fookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudh ØfMV tkf[ke e egÙoi.kk of) g			
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00	
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00	
1 o"k l vf/kd & 2 o"k l de d cjkcj	0.00	0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00	
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00	
mi tkM	0.00	0.00	

vfookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	58.89	93.18
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	82.24	3.26
1 o"k l: vf/kd & 2 o"k l: de d: cjkcj	8.46	10.09
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	9.02	6.22
3 वर्ष से अधिक	189.92	156.98
mi tkM:	**348.53**	**269.73**
fookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	5.94	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 o"k l: vf/kd & 2 o"k l: de d: cjkcj	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	264.54	265.63
mi tkM:	270.48	265.63
	1066.62	1022.36
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.68	0.68
	1065.94	1021.68
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	618.33	534.69
mi tkM:	**447.61**	**486.99**
tkM:	**10023.24**	**10994.77**

fVIi.kh&6% _.k ,o vfxe ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½ ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
_.k ,o vfxe		
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1137.53	1143.82
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00	0.00
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	278786.39	260681.99
असुरक्षित	14049.65	11889.76
	293973.57	273715.57
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	650.10	568.55
	293323.47	273147.02
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	12282.01	11788.04
r;u&i= d: vuqlkj	**281041.46**	**261358.98**
_.kksa vkj vfxeksa dk HkkSxkfyd oxhdj.k %		
भारत में	281041.46	261358.98
भारत से बाहर	0.00	0.00

d|y	**281041.46**	**261358.98**

ih, l ;| vkj vU; dk _.k vkj vfx|e%		
पीएसयू को	1911.49	1888.88
अन्य को	279129.97	259470.10
d|y	**281041.46**	**261358.98**

vu|yXud & 6d _.kk ,o| vfx|ek dk fooj.k ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½ ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
de|pkfj;k dk _.k vkj vfx|e			
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	6.46		12.75	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ	0.00		0.00	
असुरक्षित	25.12		26.80	
	31.58		39.55	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	31.58		39.55	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.00		0.00	
		31.58		39.55
udn vFkok oLr| :Ik e| ;k bldk eY; dk fy, ÁkIr fd, tkus okyk ol|yh ;kX; vfx|e				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ	0.00		0.00	
असुरक्षित	4822.68		2577.79	
	4822.68		2577.79	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	4822.68		2577.79	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1147.86	3674.82	687.47	1890.32
vU; _.k ,o| vfx|e *				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1131.07		1131.07	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ	278786.39		260681.99	
असुरक्षित	9201.85		9285.17	
	289119.31		271098.23	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	650.10		568.55	
	288469.21		270529.68	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11134.15	277335.06	11100.57	259429.11

lcf/kr i{kdkjk dk _.k vkj vfxe				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ	0.00		0.00	
असुरक्षित	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.00	0.00	0.00	0.00
tkM		**281041.46**		**261358.98**

नोट :– 'अन्य ऋणों और अग्रिमों में वाणिज्यिक गतिविधियों के तहत बकाया राशि शामिल है अर्थात् आरएमए/एडब्ल्यूआरटी, बीडी, सीटीएल और मीयादी ऋण (विवरण के लिए अनुलग्नक 6बी देखें)

vuqyXud & 6[k _.kksa ,oa vfxekas dk fooj.k ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½ ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
Fkkd vkj [knjk 0;kikfj;ksa dk dPpk eky dh lgk;rk @ lgk;rk				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1003.70		1003.70	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	276165.42		258514.32	
असुरक्षित	7506.83		7584.74	
	284675.95		267102.76	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	520.82		449.15	
	284155.13		266653.61	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	9414.75	274740.38	9382.15	257271.46
fcy fMLdkmfVx				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	127.37		127.37	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	2620.97		2167.67	
असुरक्षित	1509.30		1509.30	
	4257.64		3804.34	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	90.75		76.24	
	4166.89		3728.10	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1572.21	2594.68	1570.45	2157.65
l;ä fe;knh _.k				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	

बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	170.28		175.69	
	170.28		175.69	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	34.28		38.91	
	136.00		136.78	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	136.00	0.00	136.78	0.00
fe;knh _.k				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	15.44		15.44	
	15.44		15.44	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	4.25		4.25	
	11.19		11.19	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11.19	0.00	11.19	0.00
tkM		**277335.06**		**259429.11**

fVIi.kh&6x% fuxe d fun'kdk vkj vU; vf/kdkfj;k }kjk n; _.k vkj vfxe ¼de pkfj;k dk _.kk ,o vfxek d vrxr lfgr½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
निदेशकगण	0.00	0.00
कंपनी के अन्य अधिकारी	31.58	39.55
फर्म, जिसमें निदेशक साझेदार हो	0.00	0.00
निजी कंपनी, जिसमें निदेशक सदस्य हो	0.00	0.00
tkM	**31.58**	**39.55**

fVIi.kh&7% fuo'k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
d- lgk;d dmiuh e bfDoVh midj.kk e fuo'k ¼eyy ykxr ij½				
– एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड [एनवीसीएफएल – एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (6,00,000 इक्विटी शेयर / 100/– प्रत्येक)]	600.00		600.00	
घटाएं: क्षति हानि के लिए भत्ता	0.00	600.00	0.00	600.00
[k- ,uohlh,Q,y e vU; fuo'k & ,lvkjvkbZ fuf/k ¼eY;kfdr ykxr ij½				
आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि [1.0255 यूनिट / रु 1 करोड़ प्रति यूनिट] (0.114 यूनिट/रू 1 करोड़ प्रति यूनिट)	102.55		11.38	

घटाएं: हानिकरण क्षति हेतु भत्ता	0.00	102.55	0.00	11.38

x- bfDoVh midj.kksa esa fuo'k mfpr eY; ij ¼vU; 0;kid vk; dh ek/;e l½

इक्विटी प्रलेख	247.65		425.83	
घटाएं: हानिकरण क्षति हेतु भत्ता	10.00	237.65	10.00	415.83
तुलन पत्र के अनुसार		940.20		1027.21

fuo'k ¼mfpr eY; ij vU; 0;kid vk; dh ek/;e l½	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr	31-03-24 dks ;FkkfLFkfr
	237.65	415.83
esll flxj bfM;k fyfeVM dh bfDoVh 'k;j		
(दिनांक 31.03.25 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2/– रुपए के 470230 शेयर, उचित मूल्य 50.54 रू. प्रति शेयर)		
(दिनांक 31.03.24 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2/– रुपए के 470230 शेयर, उचित मूल्य 88.43 रू. प्रति शेयर)		
	10.00	10.00
esll y?kq m|kx mRiknu ikUur lxBu fyfeVM ¼,lvkbihihvk½ dh bfDoVh 'k;j		
(प्रत्येक 10–10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त – 100000 इक्विटी शेयर अनुद्धृत)		
mi tkM+	**247.65**	**425.83**
घटाएं: एसआईपीपीओ के इक्विटी शेयरों हेतु हानिकरण क्षति की छूट	10.00	10.00
r|yu&i= dh vuqlkj	**237.65**	**415.83**

fuo'k dk HkkSxksfyd oxhZdj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr	31-03-24 dks ;FkkfLFkfr
भारत में	940.20	1027.21
भारत से बाहर	0.00	0.00
tkM+	940.20	1027.21

नोट :– ' टिप्पणी–35 की क्रम सं. 4(एक्स)(एफ) देखें।

fVIi.kh&8% vU; foÙkh; ifjlaifÙk;k ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½ ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr		31-03-24 dks ;FkkfLFkfr	
ifrHkwfr tek				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	270.77		275.53	
	270.77		275.53	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	270.77		275.53	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	6.31	264.46	4.64	270.89
mi tkM+		**264.46**		**270.89**
vU; foÙkh; ifjlaifÙk;k				

cdk l ikI;				
ब्याज	268.30		268.30	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	268.30	0.00	268.30	0.00
अन्य	490.30		490.30	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	490.30	0.00	490.30	0.00
सुनमय/लघु अवधि जमाओं पर प्रोदभत परंतु अदेय ब्याज		3.87		3.25
अवधारण राशि प्राप्य		183.60		228.10
देय प्रतिभूति जमा का बट्टाकरण प्रभाव		198.51		235.82
देय अवधारणा राशि का बट्टाकरण प्रभाव		0.28		0.48
एनवीसीएफएल के साथ खाता शेष का आदान–प्रदान		0.00		18.44
mi tkM		**386.26**		**486.09**
ryu&i= d vuqlkj		**650.72**		**756.98**

fVIi.kh & 9 fuo'k ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
भंडार और अतिरिक्त	7.88	7.41
ढीले उपकरण और माप उपकरण	1.67	1.67
mi&tkM	**9.55**	**9.08**
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	0.00	0.00
ryu&i= d vuqlkj	**9.55**	**9.08**

fVIi.kh&10% pkyw dj ¼fuoy½ ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
स्रोत पर काटा गया टीडीएस/टीसीएस	2119.17	1968.43
अग्रिम कर	7234.70	5273.24
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	9600.00	7950.00
ryu&i= d vuqlkj	**-246.13**	**-708.33**

fVIi.kh&11 vkLFkfxr dj n;rk,¡@ifjlifUk;k ¼fuoy½ ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	6393.71	6060.45
घटाएं : आस्थगित कर देयतांए	2684.57	2538.10
ryu i= d vuqlkj	**3709.14**	**3522.35**

टिप्पणी :– टिप्पणी 35 का क्रम संख्या 4(ग) देखें।

jk"Vªh; y?kq m|kx fuxe fyfeVsM

ukV & 12 lqifjÙk] lq;qä vkj midj.k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-2025 dh vuqlkj fuoy ogu jkf'k	31-03-2024 dh vuqlkj fuoy ogu jkf'k
भूमि	47.00	47.29
भवन	22320.07	22784.28
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	239.26	281.55
कार्यालय उपकरण	519.95	415.27
वाहन	17.03	21.26
संयंत्र एवं उपकरण	5774.83	5078.16
dqy lqifjr] lq;qä vkj midj.k	**28918.14**	**28627.81**
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंत्तियां	0.00	0.00
सॉफ्टवेयर और विकासधीन सॉफ्टवेयर	139.23	122.00
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	169.57	221.91
चल रहा पूंजीगत कार्य	543.03	482.33

टिप्पणी :– टिप्पणी 35 का क्रम संख्या 4(एफ) देखें।

fooj.k	ldy Cykd							lfpr eY;gkl						,yVh,		fuoy Cykd	
	01-04-24 dk ;FkkfLFkfr	of)	fcØh	dkjkcckj l;qäktu dh ek/;e ls vfHkxghr	iueY;kdu @ gkfu	vUrj bdkbZ vUrj.k@ vUrj leq lek;ktu @ vU; lek;ktu	31-03-25 rd ykxr	01-04-24 dk ;FkkfLFkfr 01-04-24 dk ;FkkfLFkfr	o"k dh fy, eY;°kl 'kYd	fcØh	iueY;kdu @ gkfu	vUrj bdkbZ vUrj.k@ vUrj leq lek;ktu @ vU; lek;ktu	31-03-25 rd ykxr	31@03@22 dk ;FkkfLFkfr	31@03@24 dk ;FkkfLFkfr	31@03@22 dk ;FkkfLFkfr	31@03@22 dk ;FkkfLFkfr
ewy ifjlifÙk;k Lo;a dh ifjlifÙk;k																	
भवन	23449.33	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23479.05	2986.25	387.07	0.00	0.00	0.00	3373.32	0.00	0.00	20105.73	20463.08
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	653.64	11.92	1.38	0.00	0.00	0.72	663.46	488.23	33.17	0.56	0.00	-0.40	521.24	0.00	0.00	142.22	165.41
भूमि	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.62	4.66	0.19	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	0.00	29.77	29.96
कार्यालय उपकरण	1121.17	85.08	5.59	0.00	0.00	8.54	1192.12	887.98	91.58	4.40	0.00	4.81	970.35	0.00	0.00	221.77	233.19
वाहन	80.02	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	79.57	73.73	2.24	0.43	0.00	0.00	75.54	0.00	0.00	4.03	6.29
संयंत्र एवं उपकरण	2534.55	15.38	0.27	0.00	0.00	-5.96	2555.62	1133.05	76.64	0.27	0.00	-3.43	1212.85	0.00	0.00	1342.77	1401.50
tkM	**27873.33**	**142.10**	**7.69**	**0.00**	**0.00**	**3.30**	**28004.44**	**5573.90**	**590.89**	**5.66**	**0.00**	**0.98**	**6158.15**	**0.00**	**0.00**	**21846.29**	**22299.43**
iêk;ä ifjlifÙk;k																	
संयंत्र एवं उपकरण	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35	12.77	12.77	0.04	0.04
tCr iêk;ä ifjlifÙk;k																	
संयंत्र एवं उपकरण	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	48.80	48.80	0.88	0.88

ljdkjh vuqnkuksa ls izkIr ifjlifÙk;k																	
भूमि	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04	5.71	0.10	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00	0.00	17.23	17.33
भवन	1737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.47	1820.44	531.89	31.79	0.00	0.00	0.00	563.68	0.00	0.00	1256.76	1206.08
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	197.51	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	206.39	137.88	17.77	0.00	0.00	0.00	155.65	0.00	0.00	50.74	59.63
कार्यालय उपकरण	974.06	152.12	9.91	0.00	0.00	0.00	1116.27	886.67	31.60	9.42	0.00	0.00	908.85	0.00	0.00	207.42	87.39
वाहन	10.44	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	5.43	9.99	0.00	4.76	0.00	0.00	5.23	0.00	0.00	0.20	0.45
संयंत्र एवं उपकरण	5716.42	809.43	28.60	0.00	0.00	0.00	6497.25	2889.22	323.97	27.17	0.00	0.00	3186.02	0.00	0.00	3311.23	2827.20
tkM	**8659.44**	**970.43**	**43.52**	**0.00**	**0.00**	**-82.47**	**9668.82**	**4461.36**	**405.23**	**41.35**	**0.00**	**0.00**	**4825.24**	**0.00**	**0.00**	**4843.58**	**4198.08**
rduhdh dkeksa dh lc/kk e ljdkjh vuqnkuksa ls viknkfkr ifjlifÙk;k																	
	1416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1416.24	301.12	157.54	0.00	0.00	0.00	458.66	0.00	0.00	957.58	1115.12
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	180.07	2.01	0.00	0.00	0.00	-1.78	183.86	123.56	13.81	0.00	0.00	-0.19	137.56	0.00	0.00	46.30	56.51
कार्यालय उपकरण	721.59	32.26	1.51	0.00	0.00	-1.52	753.86	626.90	36.35	0.94	0.00	-0.79	663.10	0.00	0.00	90.76	94.69
संयंत्र एवं उपकरण	1428.26	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1799.37	579.72	99.75	0.01	0.00	0.00	679.46	0.00	0.00	1119.91	848.54
	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12	5.60	1.72	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	12.80	14.52
	3766.28	**405.38**	**1.51**	**0.00**	**0.00**	**-3.30**	**4173.45**	**1636.90**	**309.17**	**0.95**	**0.00**	**-0.98**	**1946.10**	**0.00**	**0.00**	**2227.35**	**2129.38**
mi&tkM ers ifjlifÙk;k	**40391.56**	**1517.91**	**52.72**	**0.00**	**0.00**	**-82.47**	**41939.22**	**11702.18**	**1305.29**	**47.96**	**0.00**	**0.00**	**12959.51**	**61.57**	**61.57**	**28918.14**	**28627.81**
	39487.88	724.41	100.33	0.00	0.00	-279.60	40391.56	10705.46	1085.20	88.48	0.00	0.00	11702.18	61.57	61.57	28627.81	28720.85
vers ifjlifÙk;k																	
Lo;a dh ifjlifÙk;k																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	245.29	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	252.07	193.19	14.94	0.00	0.00	0.00	208.13	0.00	0.00	43.94	52.10
ljdkjh vuqnku ls izkIr ifjlifÙk;k																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	123.08	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	162.93	96.57	13.29	0.00	0.00	0.00	109.86	0.00	0.00	53.07	26.51
rduhdh dkeksa dh lc/kk e ljdkjh vuqnkuksa ls viknkfkr ifjlifÙk;k																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	249.50	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	250.36	241.76	2.03	0.00	0.00	0.00	243.79	0.00	0.00	6.57	7.74
mi;ksx dh vf/kdkj okyh ifjlifÙk;k																	
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	290.26	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	301.17	68.35	63.25	0.00	0.00	0.00	131.60	0.00	0.00	169.57	221.91
mi tkM & vers ifjlifÙk;k	**908.13**	**58.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**966.53**	**599.87**	**93.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**693.38**	**0.00**	**0.00**	**273.15**	**308.26**
गत वर्ष	617.02	296.53	5.42	0.00	0.00	0.00	908.13	504.54	100.66	5.33	0.00	0.00	599.87	0.00	0.00	308.26	112.48
py jgk ithxr dk;Z																	
चल रहा पूंजीगत कार्य	280.19	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.56	280.19
गत वर्ष	437.42	71.16	0.00	0.00	0.00	228.39	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.19	437.42

सरकारी अनुदान से अर्जित सीडब्ल्यूआईपी	202.14	23.80	0.00	0.00	0.00	82.47	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.47	202.14
गत वर्ष	0.00	253.75	0.00	0.00	0.00	51.21	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.14	0.00
mi tkM&py jgk i;Zgxr dk;Z	482.33	143.17	0.00	0.00	0.00	82.47	543.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.03	482.33
xr o"k	**437.42**	**324.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**279.60**	**482.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**482.33**	**437.42**
fodkl@vu vers ifjlifRr;k																	
ekfydkuk ifjlifRr;k																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	35.65
गत वर्ष	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	35.65
fcØh d fy, j[kh xbZ d :i esa oxhZr ifjlifRr;k																	
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां (स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां (सरकारी अनुदान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tkM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ldy tkM	**41817.67**	**1719.48**	**52.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43484.43**	**12302.05**	**1398.80**	**47.96**	**0.00**	**0.00**	**13652.89**	**61.57**	**61.57**	**29769.97**	**29454.05**
गत वर्ष	40582.10	1345.45	109.88	0.00	0.00	0.00	41817.67	11213.92	1185.86	97.73	0.00	0.00	12302.05	61.57	61.57	29454.05	29306.61

नोटः– अंतः यूनिट स्थानांतरण/अंतः समूह समायोजन/अन्य समायोजन कॉलम में सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित परिसंपत्तियों के समूह में संपत्ति का पूंजीकरण शामिल है।

vuqyXud & 12d lhMCY;vkbih ¼vuqnku lfgr½ vkj fodkUe[kh ver ifjlifÙk dk le;&fu/kkj.k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
lhMCY;vkbih dk le;&okj oxhdj.k		
py jgh ifj;kstuk,a		
1 वर्ष के बराबर से कम	119.37	71.16
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	71.16	209.03
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	209.03	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM+	**399.56**	**280.19**
ifj;kstuk,a vLFkk;h :i ls fuyfcr		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM+	**0.00**	**0.00**
dqy	**399.56**	**280.19**
o ifj;kstuk,a ftudh i.kirk dh fu/kkfjr frfFk chr pqdh gS ;k eq[; ykxr ls vf/kd gks pqdh gSA		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
dqy	**0.00**	**0.00**
lhMCY;vkbih dk vk;okj oxhdj.k ¼vuqnku ls çkIr½		
py jgh ifj;kstuk,a		
1 वर्ष के बराबर से कम	23.79	202.14
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	119.68	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM+	**143.47**	**202.14**
ifj;kstuk,a vLFkk;h :i ls fuyfcr		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM+	0.00	0.00
dqy	**143.47**	**202.14**
o ifj;kstuk,a ftudh i.kirk dh fu/kkfjr frfFk chr pqdh gS ;k eq[; ykxr ls vf/kd gks pqdh gSA		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
dqy	**0.00**	**0.00**
fodkl d rgr ver ifjlifÙk;ksa dk vk;okj oxhdj.k		
py jgh ifj;kstuk,a		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	12.26
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	12.26	0.00
3 वर्ष से अधिक	23.39	23.39

mi tkM	**35.65**	**35.65**
ifj;kstuk,a vLFkk;h :i ls fuyafcr		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 o"k ls vf/kd	0.00	0.00
mi tkM	0.00	0.00
dqy	**35.65**	**35.65**

o ifj;kstuk,a ftudh i.krk dh fu/kkfjr frfFk chr pqdh g ;k ey ykxr ls vf/kd gks pqdh gA		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 o"k ls vf/kd	0.00	0.00
dqy	**0.00**	**0.00**

fVIi.kh&13 vU; xSj&foÙkh; ifjlaifÙk;ka ¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr		31-03-24 dks ;FkkfLFkfr	
iSrhxr vfxe				
सीपीडब्ल्यूडी और अन्य के पास	159.62		194.65	
जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.00	159.62	0.00	194.65
ठेकेदारों के पास (सरकारी अनुदान की प्रति)	48.48		72.27	
जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.00	48.48	0.00	72.27
vkifrdrkvksa dk vfxe	3096.94		2809.83	
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	0.00	3096.94	0.00	2809.83
उप जोड़		**3305.04**		**3076.75**
कर प्राधिकारियों के पास अन्य जमाएँ		1085.22		603.17
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ #	379.10		467.29	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज सस्पेंस	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	18.79	360.31	29.80	437.49
ryu&i= dk vuqlkj		**4750.57**		**4117.41**

fVIi.kh&14 0;kikj ÁkI; ¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr		31-03-24 dks ;FkkfLFkfr	
0;kikj n;				
एमएसई की बकाया राशियां	10118.22		11916.71	
गैर–एमएसई की बकाया राशियां	68.05	10186.27	69.61	11986.32
vU; n;				
एमएसई की बकाया राशियां	0.00		0.00	
गैर–एमएसई की बकाया राशियां	0.00	0.00	0.00	0.00
संबंधित पक्षकारों को देय		0.00		0.00
ryu&i= dk vuqlkj		**10186.27**		**11986.32**

टिप्पणी: टिप्पणी–34 का क्रम सं. 1 देखें।

* निविदा विपणन के कारण देय व्यापार रु. 10108.92 लाख (रु. 11907.42 लाख) शामिल है

vuqyXud&14d 0;kikj nj ¼vk;oksa lkjk½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr		31-03-24 dks ;FkkfLFkfr	
vfookfnr 0;kikj nj & ,e,lbl dh nj; jkf'k				
1 वर्ष के बराबर से कम	2058.22		3652.39	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	1711.54		2820.44	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	1297.35		2206.90	
3 वर्ष से अधिक	5032.41		3072.15	
mi tkM+		**10099.52**		**11751.88**
fookfnr 0;kikj nj; & ,e,lbl dh nj; jkf'k				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	18.70		164.83	
mi tkM+		**18.70**		**164.83**
dqy		**10118.22**		**11916.71**
vfookfnr 0;kikj nj; & vU; dh nj; jkf'k				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.33		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	45.85		47.74	
mi tkM+		**46.18**		**47.74**
fookfnr 0;kikj nj; & vU; dh nj; jkf'k				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	21.87		21.87	
mi tkM+		**21.87**		**21.87**
dqy		**68.05**		**69.61**
dqy ;kx		**10186.27**		**11986.32**

fVIi.kh&15% m/kkj ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr		31-03-24 dks ;FkkfLFkfr	
ljf{kr m/kkfj;k				
बांड/डिबेंचर		0		0
निम्नलिखित से मियादी ऋण:				
बैंकों से		0		0
अन्यों से:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगी:				
बैंकों से				
कार्यशील पूंजीगत ऋण	116500.00		107500.00	
नकदी क्रेडिट	3376.13		1459.44	
ओवरड्राफ्ट	0		0	
मियादी ऋण	0.00	119876.13	29000.00	137959.44
अन्य पक्षकार		0		0
आस्थगित भुगतान देयताएं		0		0

जमा		0		0
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		0		0
वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता		0		0
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
mi tkM:		**119876.13**		**137959.44**
vljf{kr m/kkj				
बांड/डिबेंचर		0		0
निम्नलिखित से मियादी ऋण				
बैंक		0		0
अन्य पक्षकारों से:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	4335.79		4535.98	
अन्य	0	4335.79	0	4535.98
निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगी:				
बैंकों से				
कार्यशील पूंजीगत ऋण	0		0	
नकदी क्रेडिट	0		0	
ओवरड्राफ्ट	0		0	
मियादी ऋण	24999.94	24999.94	0	0
अन्य पक्षकार		0		0
आस्थगित अदायगी देयताएं		0		0
जमा		0		0
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		0		0
वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता		0		0
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
उप जोड़		29335.73		4535.98
ryu&i= d vu lkj		**149211.86**		**142495.42**
उधारों का भौगोलिक वर्गीकरण:				
भारत में		144876.07		137959.44
भारत से बाहर		4335.79		4535.98
tkM:		**149211.86**		**142495.42**

vuyXud&15d m/kkjk d C;kj ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½ ¼yk[k #i, e½

fooj.k	fuEufyf[kr dk cdk;k jkf'k		vof/k ,o vnk;xh ;kX; fd'rk dh ckjckjrk ¼ekfld=ekfld@ v/k&okf"kd@ okf"kd½	ÁfrHkfr dk Lo:i	D;k fun'kdk vFkok vU;k }kjk xkjVh nh xbZ gS	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr fujrj pdk	
	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr				vof/k	jkf'k
ljf{kr m/kkj							
बांड/डिबेंचर							
निम्नलिखित से मियादी ऋण:							
बैंक							

विजया बैंक	0.00	0.00	अर्धवार्षिक	शून्य	0
अन्यों से:					
भारत सरकार					
राज्य सरकारें					
वित्तीय संस्थान					
विदेशी वित्तीय संस्थान					
अन्य					
अदायगी योग्य ऋण:					
बैंक					
कार्यशील पूंजीगत ऋण					
द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	-	शून्य	0
भारतीय स्टेट बैंक	116500.00	107500.00	बंधक रखकर, लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार	शून्य	0
एचडीएफसी डब्ल्यूसीडीएल	0.00	0.00	बंधक रखकर, लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार	शून्य	0
	116500.00	**107500.00**			
नकद क्रेडिट					
पंजाब नेशनल बैंक	0.00	0.00	-	शून्य	0
बैंक ऑफ बड़ौदा (पहले विजया बैंक)	0.00	0.00	-	शून्य	0
भारतीय स्टेट बैंक	3376.13	1459.44	बंधक रखकर, लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार	शून्य	0
	3376.13	**1459.44**			
ओवरड्राफ्ट					
द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	-	शून्य	0
	0.00	**0.00**			
मियादी ऋण					
इंडस इंड बैंक	0.00	29000.00			
	0.00	**29000.00**			
vU; i{kdkj					
आस्थगित अदायगी देयताएं					
जमा					
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम					
वित्त पट्टे की इकरारों दीर्घ अवधि परिपक्वताएं					
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम:					
भारत सरकार					
राज्य सरकारें					
वित्तीय संस्थान					
विदेशी वित्तीय संस्थान					
अन्य					
mi tkM	**119876.13**	**137959.44**			
vljf{kr m/kkj					
बांड/डिबेंचर					
निम्नलिखित से मियादी ऋण:					
बैंक					
निम्नलिखित से अन्य पक्षकार:					
भारत सरकार					

राज्य सरकारें				
वित्तीय संस्थान				
विदेशी वित्तीय संस्थान				
11वीं लाइन ऑफ क्रेडिट	2093.63	2153.92	अर्धवार्षिक	भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत
12वीं लाइन ऑफ क्रेडिट	1745.34	1852.52	अर्धवार्षिक	भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत
केसा डिपॉजिट ई प्रेसिटी, इटली (पूर्व में आर्टिगियाबेकसा, एसपीए के नाम से विख्यात)	496.82	529.54	अर्धवार्षिक	भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत
	4335.79	**4535.98**		
अन्य				
निम्नलिखित से मांग प्राप्त होने पर ऋणों की पुनः अदायगी:				
बैंक				
चल रहा पूंजीगत ऋण				
नकद क्रेडिट				
ओवरड्राफ्ट				
मियादी ऋण				
साउथ इंडियन बैंक	24999.94	0.00	-	
अन्य पक्षकार				
आस्थगित अदायगी देयताएं				
जमा				
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम				
वित्त पट्टे इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वताएं				
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम:				
भारत सरकार				
राज्य सरकारें				
वित्तीय संस्थान				
विदेशी वित्तीय संस्थान				
अन्य				
mi tkM	**29335.73**	**4535.98**		
tkM	**149211.86**	**142495.42**		

vuqc/k&15[k & fon'kh foÙkh; lLFkkuk lq m/kkjk d{ C;kj

¼yk[k #i, e½

fooj.k	d{,QMCY;{ **XI** ykbu vkQ ØfMV	d{,QMCY;{ **XII** ykbu vkQ ØfMV	bVkfy;u ykbu vkQ ØfMV
कुल संस्वीकृत ऋण (यूरो में)	5112918.81	5036225.03	1053134.47
अदायगी की नियत तारीख	प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12	प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12	प्रत्येक वर्ष 17/7 और 17/1
पहली किश्त	30/06/2002	30/06/2006	17/01/2015
अंतिम किश्त	30/06/2042	30/12/2035	17/07/2035
कुल किश्तें	81	60	42
ब्याज	10.50%	12.50%	0.50%
31.03.25 को बकाया ऋण (यूरो में)	2219006.83	1849853.97	526567.66

पुनः अदायगी अवधि	अर्धवार्षिक	अर्धवार्षिक	अर्धवार्षिक
किश्तों की धनराशि (यूरो में)	63400.19	83851.87	25074.61
30.06.1993 से 31.12.2001 तक ड्यूश मार्क में अदा किया गया कुल ब्याज	592439.19	405995.68	-
30.06.2002 से 31.03.2025 तक यूरो में अदा किया गया कुल ब्याज	637894.28	647694.29	99598.31
हेजिंग	-	-	-

fVIi.kh&16 vU; foÙkh; n;rk,a ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
आरएमए/एडब्ल्यूआरटी क्रेताओं से अग्रिम – इकाइयां	2097.58	1381.92
भुगतान योग्य बट्टा	1890.82	1927.03
रेटिंग/क्रेडिट सूचना एजेंसियों को भुगतान योग्य	0.90	0.89
सुरक्षा जमा देय	2716.47	2529.58
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	770.81	993.40
अवधारण राशि	511.06	621.03
परियोजनाओं के लिए भुगतान योग्य	890.88	1070.01
व्यापार प्राप्यों में शेष क्रेडिट	4.59	4.59
उधारों/सीएसडी पर प्रोदभूत परंतु अदेय ब्याज	7.70	8.05
प्रशिक्षण हेतु देय भुगतान योग्य धनराशि	125.92	77.42
अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी	2002.95	1580.71
व्ययों हेतु चालू देयता	902.63	874.21
अन्य भुगतान योग्य	1332.20	1859.93
प्राप्त प्रतिबद्ध अग्रिम – प्रदर्शनियां	2.17	6.49
अनुदान में अधिशेष के विरुद्ध भारत सरकार को देय राशि (नेट)	799.48	55.15
प्राप्य सुरक्षा जमा का बट्टाकरण प्रभाव	14.74	12.42
सुरक्षा जमा प्राप्य का छुट प्रभाव	0.26	0.46
r;yu&i= dk vuqlkj	**14071.16**	**13003.29**

टिप्पणीः–

इसमें देय सरकारी गारंटी, देय गोदाम हैडलिंग शुल्क, इंडएएस–116 इकाइयों के अनुसार लीज देनदारी, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रदर्शनी/प्रतिनिधिमंडल और अन्य देय आदि शामिल हैं।

fVIi.kh&16d% vuqnkuksa esa vf/k"k d Áfr Hkkjr ljdkj dk Hkqxrku;kX; /kujkf'k;k

¼yk[k #i, e½

	fooj.k	xr o"k esa vxzuhr 'k"k		o"k d nkjku ÁkIr vunku@ C;kt	jkT; ,tsalh dk ifrifr@ okilh@ lek;kstu@ vUrj.k	vf/kxghr vpy ifjlaifÙk;k@ MCY;vkbih	fuoy jktLo 0;;	dy 0;;	ifrifr ;kX; 0;;	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	
		?kkVk	vf/k'k"k							?kkVk	vf/k'k"k
1	विपणन सहायता योजना										
	विपणन सहायता योजना	0.00	278.99	2395.72	-1223.43	1010.29	399.65	1409.94	1409.94	0.00	41.34
	उत्तर पूर्व क्षेत्र में संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए सहायक	0.25	0.00	63.50	0.00	0.00	63.50	63.50	63.50	0.25	0.00
	mi&tkM ¼uV½		**278.74**	**2459.22**	**-1223.43**	**1010.29**	**463.15**	**1473.44**	**1473.44**	**0.00**	**41.09**
2	jk"Vªh; ,l lh&,lVh gc ¼,u,l,l,p½										
	एनएसएसएच – एससीएसपी	147.39	0.00	4298.95	140.98	0.00	4277.25	4277.25	4277.25	0.00	15.29
	एनएसएसएच – टीएसपी	107.38	0.00	4464.01	107.37	0.00	4178.51	4178.51	4178.51	0.00	285.49
	एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (एससीएसपी)	0.00	72.54	25.00	-3.00	0.00	82.26	82.26	82.26	0.00	12.28
	एनएसएसएच – सामान्य	0.00	88.78	1220.26	-78.18	0.00	800.11	800.11	800.11	0.00	430.75
	एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (टीएसपी)	0.00	9.24	475.00	0.00	0.00	220.43	220.43	220.43	0.00	263.81
	mi&tkM	**84.22**	**0.00**	**10483.22**	**167.17**	**0.00**	**9558.56**	**9558.56**	**9558.56**	**0.00**	**1007.62**
3	उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
4	प्रशिक्षण एवं इनक्यूबेशन	0.00	3.54	0.00	-28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.36	0.00
5	खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस)	34.84	0.00	157.57	0.00	0.00	230.37	230.37	230.37	107.64	0.00
6	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना	108.81	0.00	68.71	0.00	0.00	72.13	72.13	72.13	112.23	0.00
7	jsi vkj Vhe	0.00	0.00	56.84	0.00	0.00	61.58	61.58	61.58	4.74	0.00
	tkM		**55.15**	**13225.56**	**-1085.15**	**1010.29**	**10385.79**	**11396.08**	**11396.08**	**250.22**	**1049.70**
							fuoy vf/k'k"k @¼?kkVk½			**799.48**	
							xr o"k vf/k'k"k @¼?kkVk½			**55.15**	

fVIi.kh&17 Áko/kku

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
dsipkjh ykHk gsrq izko/kku				
उपदान हेतु	6008.11		5502.41	
छुट्टी नकदीकरण हेतु	3460.49		3328.81	
अर्ध–वेतन छुट्टी हेतु	615.53		574.92	
सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते हेतु	4.47	10088.60	4.18	9410.32
vU;				
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु	14468.53		13915.43	
घटाएं: व्यापार से प्राप्यों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि के प्रति कोंट्रा के अनुसार समायोजन	14468.53	0.00	13915.43	0.00
कार्पोरेट उत्तर सामाजिक दायित्व के लिए		266.30		73.01
विनिमय भिन्नता के लिए				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	2413.77		2249.66	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	371.18		402.91	
घटाएं: विनिमय भिन्नता हानियों के लिए उपयोग किया गया	102.95		41.69	
घटाएं: पुरांकित राशि	315.01	2366.99	197.11	2413.77
lo/kukRed fØ;kdyki gsrq ¼d½,QMCY;½				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	0.00		0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	41.72		46.02	
घटाएं: उपयोग में लाई गई/पुरांकित राशि	41.72	0.00	46.02	0.00
ryu&i= d vuqlkj		**12721.89**		**11897.10**

टिप्पणी:– कर्मचारी लाभ प्रावधानों के लिए टिप्पणी–35 का क्रम सं. 4(एच) देखें।

vuqyXud&17d ifjo/ku] ifjorZu ,oa ekuksa dh mi;ksxksa dk C;kSjk

2024-25

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	01-04-2024 dk ;FkkfLFkfr vkjaHk 'k"k	o"kZ dk nkjku ifjo/ku	mi;ksx@ myV@ lek;kstu	o"kZ dk nkjku okil yh xbZ jkf'k	31-03-2025 dk ;FkkfLFkfr varr 'k"k
उपदान के लिए	5502.41	963.10	455.57	1.83	6008.11
छुट्टी नकदीकरण के लिए	3328.81	815.03	671.14	12.21	3460.49
अर्धवेतन छुट्टी के लिए	574.92	103.52	26.41	36.50	615.53
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए	4.18	0.87	0.30	0.28	4.47
संदिग्ध ऋणों हेतु	13915.43	580.06	0.00	26.96	14468.53
कार्पोरेट उत्तर सामाजिक दायित्व के लिए	73.01	247.10	53.81	0.00	266.30
विनिमय भिन्नता के लिए	2413.77	371.18	102.95	315.01	2366.99
प्रचार गतिविधि के लिए	0.00	41.72	41.72	0.00	0.00
tkM+	**25812.53**	**3122.58**	**1351.90**	**392.79**	**27190.42**

2023-24

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	01-04-2023 dk ;FkkfLFkfr vkjaHk 'k"k	o"kZ dk nkjku ifjo/ku	mi;ksx@ myV@ lek;kstu	o"kZ dk nkjku okil yh xbZ jkf'k	31-03-2024 dk ;FkkfLFkfr varr 'k"k
उपदान के लिए	5383.82	650.21	522.32	9.30	5502.41
छुट्टी नकदीकरण के लिए	3250.23	748.35	649.24	20.53	3328.81
अर्धवेतन छुट्टी के लिए	524.27	103.18	17.40	35.13	574.92
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए	4.04	0.53	0.04	0.35	4.18
संदिग्ध ऋणों हेतु	13007.63	1017.22	0.00	109.43	13915.43
कार्पोरेट उत्तर सामाजिक दायित्व के लिए	0.00	73.01	0.00	0.00	73.01
विनिमय भिन्नता के लिए	2249.66	402.90	41.69	197.11	2413.77
प्रचार गतिविधि के लिए	0.00	46.02	46.02	0.00	0.00
tkM+	**24419.65**	**3041.42**	**1276.71**	**371.85**	**25812.53**

fVIi.kh & 18 vU; xSj&foRrh; nk;rk,a

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
अग्रिम रूप से प्राप्त आय	1293.07	1647.76
अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी	1055.74	973.02
कर्मचारी अग्रिम पर बट्टाकरण का प्रभाव	1.48	1.95
अन्य भुगतान योग्य – कर	1203.70	658.64
थोक आपूर्ति के लिए देय खाता (आरएमए/एडब्ल्यूआरटी)	3334.37	3247.24
r;yu&i= dk vuqlkj	**6888.36**	**6528.61**

fVIi.kh & 19 'k;j iath

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr
ikf/k—r		
100—100 रुपए के 5,35,00,000 (गत वर्ष 5,35,00,000) इक्विटी शेयर	53500.00	53500.00
tkjh] vfHknRr vkj inRr		
100—100 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 5,32,98,800 (गत वर्ष 5,32,98,800) इक्विटी शेयर	53298.80	53298.80
r|yu i= d vu|lkj	**53298.80**	**53298.80**

vu|yXud&19d cdk;k 'k;jk dh l|[;k dk y[kk feyku

fooj.k	bfDoVh 'k;j ¼l|[;k½	vf/kekuh 'k;j ¼l|[;k½
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	53298800	53298800
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	0	0
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	53298800	53298800

vu|yXud&19[k Hkkjr ljdkj vkj çekVjk }kjk fuxe e 5 ifr'kr l vf/kd fgLlnkjh dk fooj.k

'k;j/kkjd dk uke	31-03-25 d vu|lkj /kkfjr 'k;jk dh l|[;k	31-03-25 d vu|lkj /kkj.k Áfr'kr	31-03-24 d vu|lkj /kkfjr 'k;jk dh l|[;k	31-03-24 d vu|lkj /kkj.k Áfr'kr
प्रमोटर				
भारत सरकार	53298800	100	53298800	100
वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग में परिवर्तन	-	-	-	-

vu|yXud&19x fiNy| 5 o"kk d l|c/k e udn Hkqxrku ÁkIr fd, fcuk l|fonk ¼l|fonkvk½ d vu|lj.k e vkcfVr 'k;jk] ckul 'k;jk vkj okil [kjhn| x, 'k;jk d fooj.k

fooj.k	'k;jk dh d|y l|[;k				
	2024-25	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
bfDoVh 'k;j%					
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त	0	0	0	0	0
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर	0	0	0	0	0
वापस खरीदे गए शेयर	0	0	0	0	0
vf/kekuh 'k;j%					
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त	0	0	0	0	0
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर	0	0	0	0	0
वापस खरीदे गए शेयर	0	0	0	0	0

vuqyXud&19?k Hkkjr ljdkj vkj çekVjksa }kjk fuxe esa 5 ifr'kr ls vf/kd fgLlsnkjh dk fooj.k

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
vinsZk ekxsa		
निदेशकों द्वारा	0	0
अधिकारियों द्वारा	0	0

vuqyXud&19³ 'k;jksa ls lacaf/kr vf/kdkj] ofj;rk vkj ifrc/k

इक्विटी शेयर केवल शेयर पूंजी की वह श्रेणी है, जिनका सममूल्य 100/– रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी रूप से उपस्थित होता है, जोकि एक वोट देने का हकदार है, और मतदान में प्रत्येक शेयर एक वोट का पात्र है।

इक्विटी शेयर का प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य के अनुपात में मतदान अधिकार है। कंपनी की तरलता के मामले में, इक्विटी शेयरों के धारक क्रेडिट की गई धनराशियों को उन इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त धनराशि को पुनः अदा किए जाने के पात्र हैं। समापन आरंभ होने पर सभी अधिशेष परिसंपत्तियां, देयताओं के समायोजन के पश्चात इक्विटी शेयर के धारकों को उनके शेयरधारण के अनुपात में अदा की जाएंगी।

fVIi.kh & 20 vU; bfDoVh dk C;kSjk

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	01-04-2024 dk ;FkkfLFkfr	o"kZ dk nkSjku of)@lapu	o"kZ dk nkSjku dVkSrh		31-03-2025 dk ;FkkfLFkfr
			vUrj.k@ fcØh@ lek;kstu	o"kZ dk fy, eY;gkl	
ikjf{kr iath@vkLFkfxr vk; ¼Hkkjr ljdkj ls ikIr vuqnkuksa ls vf/kxghr ifjlaifÙk;ksa dk eY; n'kkZus okyh vkjf{kr fuf/k½					
तकनीकी केंद्र	252.84	0.00	1.60	20.39	230.85
सरकारी खरीद योजना	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
उपर्युक्त प्रौद्योगकी	2.18	0.00	-0.19	0.00	2.37
आधुनिकीकरण – ताला परियोजना	10.44	0.00	0.00	0.00	10.44
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	16.76	0.00	0.00	0.57	16.19
प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर	49.24	0.00	0.77	3.35	45.12
लघु औज़ार कक्ष केंद्र	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
अल्पसंख्यक कल्याण स्कीम	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
तकनीकी केंद्र का आधुनिकीकरण	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32
विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना	1.26	0.00	0.00	0.02	1.24
उत्पाद डिजाइन केंद्र (प्राइड)	9.51	0.00	0.00	0.32	9.19
प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर (आईटी)	174.52	0.00	0.00	6.58	167.94
लघु उद्योग मार्ट (एलयूएम)	16.83	0.00	0.00	0.51	16.32
केएफडब्ल्यू (पश्चिम जर्मनी) ऋणों पर ब्याज विभेदक निधि	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
बैंकिंग ओवन का प्रौद्योगिकी विकास	12.31	0.00	0.00	2.88	9.43
डीएसटी–एसटीईपी (एस एण्ड टी परियोजना)	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
इंधन सक्षम डीजल इंजन परीक्षण (टीएफईडीई)	56.86	0.00	0.00	1.53	55.33
विपणन विकास केंद्र	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
एस एण्ड टी परियोजना पर ब्याज विभेदक निधि	192.65	0.00	0.00	25.00	167.65
प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन – एलबीआई/एसपायर	3696.89	1010.28	0.00	357.37	4349.80
एनएसएसएच–सामान्य	**4499.02**	**1010.28**	**2.18**	**418.52**	**5088.60**
mi tksM+					
vU; vkjf{kr fuf/k;ksa					
पूंजी प्रतिस्थापन आरक्षित निधि	73.09	3.22	0.00	0.00	76.31
हानिकरण आरक्षित *	4866.65	0.00	0.00	0.00	4866.65
अवधारित आरक्षित	61418.46	14629.92	6722.70	0.00	69325.66

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के जरिए इक्विटी लेख	368.66	-133.32	0.00	0.00	235.34
ओसीआई के जरिए सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि	-530.61	-27.01	0.00	0.00	-557.62
सांविधिक आरक्षित – भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 के धारा 45 आईसी के अंतर्गत **	10921.02	2401.20	0.00	0.00	13322.22
r|yu&i= d| vu|lkj	**81616.29**	**18409.07**	**6724.88**	**418.52**	**92881.96**

* टिप्पणी–35 के बिंदु क्रमांक में 4(एक्स)(ए) देखें।

* टिप्पणी–35 के बिंदु क्रमांक में 4(एक्स)(सी) देखें।

fVIi.kh & 21 Ápkyuk| ls ikIr jktLo

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
Ápkyuk	jktLo	
d mRiknk	dh fcØh	
foi.ku fØ;kdyki		
विपणन	4265.51	6547.74
निर्यात	0.00	0.00
कच्चा माल वितरण	286506.05	269861.14
ykHk o gkfu fooj.k d| vu|lkj	**290771.56**	**276408.88**
[k l|okvk| dh fcØh		
एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) से आय	869.20	886.70
डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) से राजस्व	510.47	581.80
आवेदन प्रक्रिया शुल्क	0.70	2.43
साफ–सफाई एवं अन्य प्रभार	1343.80	1189.28
प्रशिक्षण क्रियाकलापों से राजस्व	2117.71	1951.54
सामान्य सुविधाओं के कारण राजस्व	1336.77	1237.99
परियोजना परामर्शी प्रभार	1687.50	1125.00
प्रशिक्षण–एवं–इंक्यूबेशन केंद्र–एलबीआई/एसपायर (टीआईसी) से आय	46.25	47.29
प्रदर्शिनियों, सेमिनारों, बैठकों, सम्मेलनों और विपणन अभियानों से प्राप्तियां	36.56	109.75
सेवाओं से अन्य प्राप्तियां	14.54	10.75
सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडी)	612.15	972.30
ykHk ,o gkfu fooj.k d| vu|lkj	**8575.65**	**8114.83**
x C;kt vk;		
e|y ykxr ij		
पक्षकारों से:		
सामान्य	29253.05	31927.76
दांडिक ब्याज	0.00	3.97
बैंकों के पास जमा से	7.74	29.90
कमचार्री अग्रिम से	0.09	0.31
अन्य से	2.66	2.05
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर ब्याज का लाभ (नेट)	0.00	0.00
परिशोधित लागत पर		
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छूट का प्रभाव	31.30	57.03
ब्याज आय कर्मचारी/परिशोधित लागत	0.00	0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**29294.84**	**32021.02**

	lpkfyr eky] çnku dh xbZ lokvksa dk eY;	çfØ;k 'kYd	lpkfyr eky] çnku dh xbZ lokvksa dk eY;	çfØ;k 'kYd
?k 'kYd vkj deh'ku vk;				
vftZr ifØ;k 'kYd@lok iHkkj				
आरएमडी / आरएमए / एडब्ल्यूआरटी *	1075785.30	4211.74	1108344.79	4614.99
विविध वस्तु	67232.14	166.45	60068.84	214.28
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**1143017.44**	**4378.19**	**1168413.63**	**4829.27**
3 vU; ipkyu jktLo				
आधिक्य प्रावधान पुरांकित:				
केएफडब्ल्यू	356.73		243.13	
सरकारी गारंटी शूल्क	0.00		0.00	
अन्य से #	27.02	383.75	4.56	247.69
विविध क्रेडिट शेष वापिस लिखा गया		72.17		120.79
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर लाभ (नेट)		0.00		0.00
सहायक कंपनी से व्यय की प्रतिपूर्ति		130.25		111.18
दंडात्मक आरोप अर्जित किए गए		3452.34		0.00
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		**4038.51**		**479.66**

नोट:–

बिक्री में छूट, रियायतें 11021.34 लाख रुपये (10675.38 रुपये) आदि शामिल नहीं हैं।

*आरएमडी/आरएमए/एडब्ल्यूआरटी में बैंक गारंटी (थोक और थोक–भिन्न आपूर्ति), अग्रिम भुगतान और एजेंसी बिक्री/गोदाम संचालन हेतु प्रत्याभूति के लिए प्रसंस्करण शुल्क शामिल है।

**विविध मदों में बिल वित्तपोषण, विपणन और बैंक टाई अप के लिए प्रसंस्करण शुल्क शामिल है

संदिग्ध ऋण लिखित वापसी (नेट) रुपये का प्रावधान शामिल है। 26.96 लाख (शून्य लाख)

संदर्भ –35 की क्रम सं. 4 ओ (2) देखें।

fVIi.kh&22 vU; vk; ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
अन्य आय		
आयकर रिफंड पर ब्याज	0.00	161.71
लाभांश आय	143.08	51.86
okil fy[k x, vfrfjä çko/kku% Vfeuy ykHk	50.82	65.33
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**193.90**	**278.90**

fVIi.kh&23 vuqnku vkj vkfFkd lgk;rk ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
lo/kkukRed fØ;kdykiksa dk fy,	**11396.08**	**16109.93**
घटाएं: पूंजी व्यय (निवल)	1010.28	523.98
घटाएं: एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, प्रशिक्षण, किराया आदि	83.35	101.09
घटाएं: प्रशिक्षण शुल्क – एटीआई	486.06	329.65
घटाएं: सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक शुल्क (अनुदान और सब्सिडी)	612.15	972.30
घटाएं: बी2बी योजना (पीएमएसएस) के तहत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि	230.37	265.63
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**8973.87**	**13917.28**

fVIi.kh&24 mRiknu dh [kjhn

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
foi.ku xfrfof/k		
विपणन	4264.77	6547.12
निर्यात	0.00	0.00
कच्चे माल का वितरण	284805.55	268517.71
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**289070.32**	**275064.83**

नोटः– खरीदारी छूट, रियायत आदि मिलाकर रूपये 12639.16 लाख (11934.32 लाख रूपये) है।

fVIi.kh&25 eky esa ifjorZu

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
r`;kj eky%				
समापन स्टॉक	0.00		0.00	
घटाएं: आरंभिक स्टॉक	0.00		0.00	
स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
py jgk dk;Z%				
समापन स्टॉक	0.00		0.00	
घटाएं: आरंभिक स्टॉक	0.00		0.00	
स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj		**0.00**		**0.00**

fVIi.kh&26 deZpkjh ykHk 0;;

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
वेतन और भत्ते		9195.55		9319.59
fuEufyf[kr dk ifr v'knku%				
भविष्य निधि	809.36		807.87	
अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना	673.94	1483.30	705.87	1513.74
उपदान		983.81		660.39
स्टाफ कल्याण व्यय		204.51		244.22
अन्य लाभ		2553.39		2281.87
fun'kd ¼v/;{k ,oa Ác/k fun'kd lfgr½				
वेतन और भत्ते		162.82		80.05
fuEufyf[kr gkfu v'knku%				
भविष्य निधि	13.58		6.54	
अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना	11.45	25.03	5.56	12.10
minku		6.49		1.09
vU; ykHk		14.53		2.66
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj		**14629.43**		**14115.71**

fVIi.kh & 27 foÙk ykxr

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
m/kkj ij C;kt%				
क्रैडिटैन्स्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू ऋण)	441.89		480.51	
कासा डिपॉजिट ई प्रेसटिट, इटली (पूर्व में आर्टिजिनएनकासा एसपीए के नाम से विख्यात)	2.55		2.83	
बैंक	10282.00		10974.29	
अन्य	0.00	10726.44	0.00	11457.63
m/kkj yu ij vU; ykxr%				
अन्य वित्त प्रभार		17.75		21.15
कर्मचारी अग्रिम/परिशोधित लागत पर ब्याज व्यय		0.00		0.42
ykHk ,o gkfu fooj.k d vuqlkj		**10744.19**		**11479.20**

fVIi.kh & 28 eY;gkl ,o ifj'kk/ku

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
fuEufyf[kr ij eY;gkl%				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		963.31		816.29
पट्टायुक्त परिसंपत्तियां		0.00		0.00
vuqlwph d Áfr vfuqlr lifÙk] l;a= ,o midj.k				
कोंट्रा के अनुसार मूल्यह्रास	418.52		342.95	
घटाएं: कोंट्रा के अनुसार प्रतिस्थापन प्रारक्षित निधियां	418.52	0.00	342.95	0.00
व्ययों का परिशोधन		16.97		26.62
संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण पर हानिकरण क्षति		0.00		0.00
ykHk ,o gkfu fooj.k d vuqlkj		**980.28**		**842.91**

नोटः– पीपीई पर मूल्यह्रास में संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास रू. 63.25 लाख (64.84 लाख) शामिल है

टिप्पणीः टिप्पणी 12 और टिप्पणी–35 का क्रम संख्या 4(ङ) देखें।

fVIi.kh & 29 fuxfer lkekftd ftEenkjh

¼yk[k #i, e½

fooj.k	udn d :i e **31.03.2025**	vHkh vnk fd;k tkuk **31.03.2025**	tkM **31.03.2025**	udn d :i e **31.03.2024**	vHkh vnk fd;k tkuk **31.03.2024**	tkM **31.03.2024**
किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उपर्युक्त के अलावा, अन्य खरीद पर	60.48	249.17	309.65	215.14	73.75	288.89
ykHk ,o gkfu fooj.k d vuqlkj	**60.48**	**249.17**	**309.65**	**215.14**	**73.75**	**288.89**
संबंधित पक्षकार लेन–देन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि			308.65			288.89
किए गए व्यय की राशि			309.65			288.89
वर्ष के अंत में कमी			0.00			0.00

पिछले वर्षों की कुल कमी	0.00	0.00
कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	संदर्भ एन-1	संदर्भ एन-2
संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण	शून्य	शून्य

fVIi.kh & 30 vU; 0;; ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
बिजली, विद्युत एवं जल प्रभार	1155.22	1055.12
मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	83.62	84.33
बीमा	18.22	23.04
यात्रा, सवारी एवं वाहन प्रभार	657.00	551.28
माल, भाड़ा एवं चुंगी व्यय	24.94	35.45
संचार व्यय	102.32	101.35
अदा किया गया किराया	405.58	398.12
कर्मचारी भर्ती व्यय	15.41	0.01
लाइसेंस, दरें एवं कर	262.21	278.69
सुरक्षा एवं अन्य संबद्ध सेवाओं पर व्यय	2167.34	2197.61
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	662.66	620.25
कम्प्यूटर अनुरक्षण प्रभार	39.39	37.51
वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अनुरक्षण प्रभार	31.22	32.48
कंप्यूटर, सर्वर आदि, किराया प्रभार	74.90	72.42
सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	62.91	53.21
आंतरिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	38.74	38.17
कानूनी, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार	393.63	287.27
निदेशकों का बैठक शुल्क	8.73	8.79
निदेशकों का अन्य व्यय	37.21	15.04
प्रशिक्षण व्यय	779.42	582.23
सामान्य सुविधा प्रभार	108.29	105.24
गोदाम प्रचालनों पर प्रभार	380.01	885.96
सूचनात्मक सेवा व्यय	7.89	9.96
कारोबार/बिक्री संवर्धन व्यय	68.80	65.77
मनोरंजन	33.55	31.89
विज्ञापन एवं प्रचार	35.86	34.33
विविध व्यय	40.15	16.01
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलीयोग्य अग्रिम	18.09	0.14
प्रदर्शियों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों पर व्यय	78.89	186.95
क्रेडिट सूचना रिपोर्ट/पीसीआरएस पर व्यय	10.70	10.64
विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) योजना पर व्यय	54.56	819.09
अन्यों पर व्यय – एनएसएसएच	8081.78	12147.37
अंतराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम पर व्यय	72.13	288.94
टीम और रैंप पर खर्च	36.84	0.00
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	580.06	907.80
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छुट का प्रभाव	69.69	13.48
एसपीआरएस पर व्यय	35.33	33.72
सांविधिक देय राशियों के लिए ब्याज/शुल्क/दंड	0.53	0.54
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**16990.76**	**22601.54**

vuqyXud & 30d vU; 0;;k d C;kj

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
fuEu gr lkfof/kd y[kijh{kdk dk Hkxrku%				
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क		47.47		40.28
कर लेखापरीक्षा शुल्क		13.88		10.25
अन्य कराधान मामले		0.00		0.00
कंपनी कानून मामले		0.00		0.00
प्रबंधन सेवाएं		0.00		0.00
अन्य सेवाएं		0.00		0.00
व्ययों की प्रतिपूर्ति		1.56		2.68
tkM		**62.91**		**53.21**
fuEu ij ejEer ,o j[kj[kko [kp%				
भवन		527.80		526.56
मशीनरी		55.38		46.26
अन्य		93.96		112.28
tkM		**677.14**		**685.10**
cê [kkr Mky x, v'kk/; _.k@voyuh; vfxe%				
बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋण		18.09		0.14
बट्टेखाते डाले गए अवसूलनीय अग्रिम		0.00		0.00
पीपीई को बट्टे खाते में डाल दिया गया				
बट्टेखाते डाली गई हानियां	11.71		0.00	
घटाएं: बट्टे डाली गई हानियों के लिए कोंट्रा समायोजन	11.71	0.00	0.00	0.00
tkM		**18.09**		**0.14**
fuEu ij if'k{k.k 0;;%				
आंतरिक		577.75		554.28
प्रायोजित		303.86		372.39
व्यैक्तिक		32.21		0.00
एटीआई		29.39		70.25
क्षमता निर्माण (एनएसएसएच)		0.00		0.05
अन्य		78.67		91.75
tkM		**1021.88**		**1088.72**
fo'k"k foi.ku lgk;rk Ldhe ij 0;;%				
घरेलू प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों में सहभागिता		2.42		704.72
विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी		0.00		0.00
संगठन का घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों का दौरा		2.85		0.00
संगठन का विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/सेमिनारों का दौरा		0.00		0.00
वेंडर विकास कार्यक्रम		13.19		8.38
कार्यशालाओं, सम्मेलनों, जागरूकता अभियानों का आयोजन		17.73		36.10
मेगा इवेंट– एमएसएमई मंत्रालय के उद्योग संघों–संगठनों के साथ साझेदारी में एससी–एसटी कॉन्कलेव/सम्मेलन का आयोजन)		18.37		69.89
tkM		**54.56**		**819.09**

vrjk"Vh; lg;kx ¼vkbZlh½ Ldhe ij 0;; %		
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल का दौरा।	0.00	0.00
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी।	62.78	276.84
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि आयोजित करना।	0.00	12.07
मेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।	0.00	0.00
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि के लिए एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल।	0.00	0.00
tkMs	**72.13**	**288.94**
lkfof/kd nk; jkf'k;ksa ds fy, C;kt@'kYd@naM		
टीडीएस के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज	0.03	0.51
जीएसटी के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज	0.48	0.03
टीडीएस/टीसीएस रिटर्न के विलंबित जमा पर शुल्क	0.02	0.00
जीएसटी रिटर्न के विलंबित जमा के लिए शुल्क	0.00	0.00
धारा 234ए/बी/सी के तहत ब्याज	0.00	0.00
किसी कानून के तहत दंड	0.00	0.00
tkMs	**0.53**	**0.54**
vU;ksa ij 0;; & ,u,l,l,p%		
प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी	6825.32	7228.26
ekt+nk vkj egRokdk{kh ,llh@,lVh m|fe;ksa dh {kerk fuekZ.k& dk'ky fodkl dk;ZØe	0.00	0.00
मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	1027.11	4598.00
मौजूदा और इच्छुक एससी/एसटी उद्यमियों का क्षमता निर्माण– क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए टूलकिट वितरण	0.00	0.00
fofHkUu çfrifr mi&;kstukvksa@gLr{ksiksa ds ek/;e ls çfrLi/kkZedrk c<+kus ds fy, leFkZu	0.00	0.00
बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति	18.45	11.82
निष्पादन बैंक गारंटी के लिए बैंक शुल्क की प्रतिपूर्ति	6.08	1.47
परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	7.17	1.15
निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता/सदस्यता/प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.95	0.86
एससी/एसटी उद्यमियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष 50 एनआईआरएफ रेटेड प्रबंधन संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.00	54.91
सरकार द्वारा प्रवर्तित ई–कॉमर्स पोर्टल में सदस्यता की प्रतिपूर्ति (बी2बी को छोड़कर)	0.00	0.00
योजना के बारे में जागरूकता सृजन और प्रचार–प्रसार	1.99	1.85
एससी/एसटी हब को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता	194.71	249.05
dqy	**8081.78**	**12147.37**

fVIi.kh & 31 dj 0;;

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
pkyw dj gsrq izko/kku				
चालू कर हेतु प्रावधान	5150.00		4450.00	
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	-132.86		-18.25	
संपत्ति कर हेतु प्रावधान	0.00	5017.14	0.00	4431.75
iwoorhZ o"kksZa dh djksa ds fy, Áko/kku				
कर हेतु प्रावधान	-30.14		-23.87	
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	0.00	-30.14	0.00	-23.87
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj		**4987.00**		**4407.88**

fVIi.kh & 32 izfr bfDoVh 'ks;j vtZu

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
x.kd		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर–पश्चात लाभ	14629.92	12655.77
eY; oxZ		
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 100/– रुपए)	53298800	53298800
वर्ष के दौरान आबंटित शेयरों की संख्या	0	0
प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	53298800	53298800
तरलीकृत प्रति शेयर की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	53298800	53298800
प्रति शेयर मूल अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य)	27.45	23.74
प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य)	27.45	23.74

fVIi.kh&33 vkdfLed n;rk,a vkSj ifjHkk"kk,a ¼Áko/kku u dh xbZ lhek rd½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
(i) vkdfLed n;rk,a		
ऋणों के रूप में न माने गए निगम के प्रति दावे	175.75	586.40
विवादित आय कर, ब्याज कर, बिक्री कर, व्यापार की मांग	3206.99	722.90
अन्य राशि, जिसके लिए निगम आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	3085.95	3127.23
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**6468.69**	**4436.53**
(ii) ifjHkk"kk,a%		
पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसका प्रावधान न किया गया हो (अग्रिमों को घटाकर निवल)	1201.37	793.19
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**1201.37**	**793.19**

fVIi.kh&34 'kYd vkj deh'ku 0;;

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
'kYd vkj deh'ku½		
सरकारी गारंटी शुल्क	17.10	18.32
विदेशी मुद्रा लेन–देन और लेन–देन ब्याज भुगतान पर कम	12.35	15.69
बैंक शुल्क और कमीशन	27.32	36.59
अन्य	3.05	0.69
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**59.82**	**71.29**

fVIi.kh & 35 % 31 ekpZ] 2025 dks lekIr o"kZ ds fy, ,dy foRrh; fooj.kksa dh vU; fVIif.k;k¡

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए यथा अपेक्षित निम्नलिखित सूचनाएं, निगम के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात पक्षकारों के स्टेट्स की सीमा तक विनिर्धारित कर ली गई हैं।

¼yk[k #i, esa½

Ø-l-	fooj.k	2024-25	2023-24
1	किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त बची धनराशि:		
	क) मूलधन की धनराशि	10118.22	11916.71
	ख) उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
2	नियुक्त दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई धनराशि के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की धनराशि;	शून्य	शून्य
3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना भुगतान (जो कर दिया गया है, परंतु वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के पश्चात) करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि;	शून्य	शून्य
4	उपार्जित और अप्रदत्त बचे ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
5	उस तारीख तक, जब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य खर्च के रूप में छूट के उद्देश्य के लिए लघु उद्यम को देय ब्याज का वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो, आगामी वर्ष में भी देय बचे और भुगतान योग्य अगले ब्याज की धनराशि।	शून्य	शून्य

निगम, कंसोर्टिया और निविदा विपणन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की ओर से निविदा सहभागिता के जरिए अपने उत्पादों का विपणन करने में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी और एमएसईज के बीच किए गए करार के अनुसार एमएसईज एनएसआईसी के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अवार्ड की गई निविदाएं कार्यान्वित कर रहे हैं और धनराशि केवल संबंधित क्रेता विभागों से भुगतान की प्राप्ति पर ही देय होती है। इन इकाइयों को भुगतानयोग्य धनराशि उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम)/उद्यम पंजीकरण संख्या और आपूर्तिकताओं के निगम (रा.ल.उ.नि.) में पंजीकरण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में ''एमएसएमईज की देय व्यापार भुगतान योग्य बकाया देय राशि'' के रूप में दर्शाई गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार एनएसआईसी को धारा 2(एन) उप–खंड (प) के अंतर्गत एक "आपूर्तिकर्ता" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 31.08.2016 के परिपत्र के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि एनएसआईसी, एमएसईज (आपूर्तिकर्ता इकाइयों) और विभिन्न क्रेताओं को एकसाथ लाने में "सुविधाप्रदाता" के रूप में कार्य करता है। चूंकि एनएसआईसी किसी भी चरण में एनएसआईसी ''सुविधाकरण'' के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी विभागों को एमएसईज द्वारा आपूर्ति किए जा रहे सामान के लिए लाभग्राही "क्रेता" नहीं बनता, इसलिए एनएसआईसी विलंबित भुगतान पर ब्याज के उद्देश्य के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार "क्रेता" के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य सरकारी विभागों के, सामान के लाभग्राही "क्रेता" होने के कारण वे "आपूर्तिकर्ता" द्वारा आपूर्ति किए गए सामान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए भी जिम्मेदार हैं। तद्नुसार, उन इकाइयों को भुगतानयोग्य ब्याज से संबंधित उपबंध एनएसआईसी पर लागू नहीं होते।

एमएसएमई विभाग के अनुसार, ओडिशा सरकार ने अपने परिपत्र क्रमांक एमएसएमई – पीएसएफ – एमआईएससी – 0040 – 2023 / 3594 / एमएसएमई – भुवनेश्वर दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से बताया कि एनएसआईसी की भूमिका 'सुविधाकर्ता' और 'आपूर्तिकर्ता' के रूप में है न कि 'खरीदार' के रूप में और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत विलंबित भुगतान पर ब्याज की प्रयोज्यता के लिए 'एमएसई इकाइयों के साथ सह–आवेदक।

अन्य व्यापार भुगतानयोग्य के संबंध में निगम ने कोई ज्ञापन (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 केअंतर्गत

अधिसूचित प्राधिकारी के साथ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने के लिए यथापेक्षित) प्राप्त नहीं किया है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में अपनी स्थिति का दावा किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप ऐसी इकाइयों को भुगतानयोग्य धनराशि "व्यापार भुगतानयोग्य – गैर–एमएसई की बकाया देय" के रूप में दर्शाई गई है।

2. निगम में बैंकों और अन्य पक्षकारों के शेषों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। वर्ष के अंत में बकाया शेषों के लिए पुष्टि प्राप्त करने के पत्र व्यापार प्राप्तियोग्य, लेनदारों, ठेकेदारों, अग्रिमों, जमा धनराशियों, ऋणियों आदि को इस अनुरोध के साथ भेज दिए गए हैं कि वे विनिर्धारित अवधि के अंदर पुष्टि करें या टिप्पणी भेजें और ऐसा करने में विफल रहने पर पत्र में दर्शाए गए शेष को अभिपुष्ट के रूप में माना जाएगाा। सरकारी/स्थानीय प्राधिकरणों की देय धनराशियों के मामले में और ऐसे मामलों में, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और/या मुकदमा/कानूनी कार्यवाही की जाती है, ग्राहकों की शेष धनराशियाँ आमतौर पर पुष्टि के अधीन नहीं होती। किसी भी पक्षकार से कोई प्रतिकूल संसूचन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, पक्षकारों के साथ लेखाओं के समाधान एक चल रही प्रक्रिया के रूप में किए जाते हैं।

तथापि, कुछ मामलों में पुष्टियां प्रतीक्षित हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जिनका प्रभाव प्रबंधन की राय में महत्त्वपूर्ण नहीं है:

'k"k if"V fooj.k&

foÙkh; o"k 2024&25

¼yk[k #i, e½

Ø- l-	y[k dk Lo:i	dy cdk;k	ihvkbZ, l@ vfrfjDr@ lkekU; C;kt@ tCr iVVk/ kkfjr mpr lxg.k d fy, Hkt x, p d	ihvkbZ, l NkMdj fuoy/ kujkf'k@ vfrfjDr@ lkekU; C;kt@ tCr iVVk/ kkfjr mpr@ lxg.k d fy, Hkt x, p d *	ljdkjh n; jkf'k;k] / kujkf'k] tgk 100 ifr'kr iko/kku fd;k x;k g] ol yh i ek.k i= tkjh fd;k x;k g vkj@;k e dne@ dkuuh dk;okgh d v/khu g	cdk;k 'k"k	ikIr gbZ if"V	if"V ikIr ugh gbZ
d	[k	x	?k	¾x&?k	p	N¾³&p	t	>¾N&t
1	नकदी और बैंक शेष	8611.58	0.00	8611.58	0.00	8611.58	8611.58	0.00
2	प्राप्तियोग्य	11743.75	317.69	11426.05	6994.22	4431.83	413.00	4018.84
3	ऋण एवं अग्रिम	293973.57	650.10	293323.47	1584.60	291738.88	265862.80	25876.08
4	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1415.63	0.00	1415.63	27.70	1387.93	734.43	653.50
5	व्यापार भुगतानयोग्य	10186.27	0.00	10186.27	31.17	10155.10	2590.82	7564.28
6	अन्य वित्तीयदेयताएं	14071.16	0.00	14071.16	3.88	14067.28	4212.35	9854.93
7	अन्य – अन्य गैर–वित्तीयदेयताएं	6888.36	0.00	6888.36	41.58	6846.78	5263.23	1583.55
	जोड़	**346890.32**	**967.79**	**345922.54**	**8683.15**	**337239.39**	**287688.21**	**49551.18**

*/kujkf'k ihvkbZ, l NkMdj fuoy g ijr gkfudj.k NV l igy dk gA

foÙkh; o"k 2023&24

Ø- l-	y[k dk Lo:i	dy cdk;k	ihvkbl@ vfrfjDr@ lkekU; C;kt@ tCr iVVk/ kkfjr mpr lxg.k d fy, Hkt x, p d	ihvkbl NkMdj fuoy / kujkf'k@ vfrfjDr@ lkekU; C;kt@ tCr iVVk/kkfjr mpr@ lxg.k d fy, Hkt x, p d	ljdkjh n; jkf'k] /kujkf'k] tgk 100 ifr'kr iko/kku fd;k x;k g] ol yh iek.ki= tkjh fd;k x;k g vkj@;k edne@ dkuuh dk;kokgh d v/ khu g	cdk;k 'k"k	ikIr gbl if"V	if"V ikIr ugh gbl
d	[k	x	?k	³¾x&?k	p	N¾³&p	t	>¾N&t
1	नकदी और बैंक शेष	10293.33	-	10293.33	-	10293.33	10293.33	-
2	प्राप्तियोग्य	12660.32	331.21	12329.11	6597.24	5731.87	427.13	5304.73
3	ऋण एवं अग्रिम	273715.57	568.54	273147.03	1446.03	271701.00	254857.28	16843.72
4	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1520.22	-	1520.22	758.60	761.62	530.60	231.02
5	व्यापार भुगतानयोग्य	11986.32	-	11986.32	31.17	11955.14	5518.46	6436.68
6	अन्य वित्तीय देयताएं	13003.29	-	13003.29	398.21	12605.08	7124.02	5481.06
7	अन्य – गैर–वित्तीय देयताएं	6528.61	-	6528.61	3907.83	2620.78	1173.02	1447.76
	जोड़	**329707.65**	**899.75**	**328807.91**	**13139.08**	**315668.83**	**279923.86**	**35744.97**

*धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।

3. प्रबंधन की राय में ऋणों और अग्रिमों सहित सभी वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की कम से कम उस धनराशि के बराबर सामान्य व्यवसाय में वसूल किए जाने पर एक मूल्य है, जिस पर मूल्य उनका उल्लेख तुलन–पत्र और लेखांकन नीति 16(बी) के अनुबंध के अनुसार प्रावधान मापदंडों के अनुसार में किया गया है, जहाँ कहीं आवश्यक हो।

4- o/kkfud vko';drkvk d vuqlkj çdVhdj.k bl çdkj gA

d- Hkkjrh; y[kkdu ekud 1 d vuqlkj ÁdVhdj.k% foRrh; fooj.kk dk iLrqrhdj.k

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के संबंध में इंडस्ट्रीज एएस 1 में संशोधन के अनुसार, बेहतर स्पष्टता और प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन नीतियों को आवश्यकतानुसार पुनः तैयार/पूरक किया गया है।

[k- Hkkjrh; y[kkdu ekud 2 d vuqlkj idVhdj.k% eky&lfp;k

क) 31.03.2025 को यथास्थिति माल–सूचियों की कुल रखाव धनराशि 9.55 लाख रुपए (9.08 लाख) है, जैसाकि तुलन–पत्र की टिप्पणी संख्या 9 में दर्शाया गया है। यह इन्वेंटरी स्टोर, स्पेयर पार्ट्स, खुले औजारों और माप उपकरणों से संबंधित है।

ख) माल–सूचियों का उल्लेख लागत या बाज़ार मूल्य से निम्नतर स्तर पर किया गया है और ऐसी कोई माल–सूची नहीं है, जिसकी रखाव लागत का उल्लेख 31 मार्च, 2025 को यथास्थिति उचित मूल्य पर किया गया हो।

x- Hkkjrh; y[kkdu ekud 12 d vuqlkj idVhdj.k& vk;dj

d½ foÙkh; o"k 2024&25	¼yk[k #i, e½			
fooj.k	01-04-2024 dk fuoy 'k"k	ykHk ,oa gkfuy[k e ekU;rk ikIr	vklhvkbZ e ekU;rk ikIr	31-03-2025 dk fuoy 'k"k
vkLFkfxr dj n;rk,a				
स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित	2377.87	200.98	-	2578.85
वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का बट्टाकारण	55.57	(9.66)	-	45.91
निवेशों का उचित मूल्य	104.66	-	(44.85)	59.81
mi&tkM	**2538.10**	**191.32**	**(44.85)**	**2684.57**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3502.51	139.22	-	3641.73
कर्मचारी लाभ	2557.95	184.96	9.08	2751.99
mi&tkM	**6060.46**	**324.18**	**9.08**	**6393.72**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**3522.36**	**132.86**	**53.93**	**3709.15**

[k½ foÙkh; o"k 2024&25 ¼yk[k #i, e½

fooj.k	01-04-2023 dk fuoy 'k"k	ykHk ,oa gkfu y[k e ekU;rk ikIr	vklhvkbZ e ekU;rk ikIr	31-03-2024 dk fuoy 'k"k
आस्थगित कर देयताएं				
स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित	2107.92	269.95	-	2377.87
वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं का बट्टाकरण	44.72	10.85	-	55.57
निवेशों का उचित मूल्य	76.70	-	27.96	104.66
उप–जोड़	**2229.34**	**280.80**	**27.96**	**2538.10**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3274.02	228.49	-	3502.51
कर्मचारी लाभ	2483.47	70.56	3.92	2557.95
उप–जोड़	**5757.49**	**299.05**	**3.92**	**6060.46**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**3528.15**	**18.25**	**(24.04)**	**3522.36**

¼yk[k #i, e½

vk; dj d iko/kku vkj dj&io ykHk d ifr Hkkjrh; lkfof/kd vk; dj dh nj ykx djd ifjdfyr dh xb /kujkf'k d chp lek/kku		
fooj.k	31 ekp 2025	31 ekp 2024
कर–पूर्व लाभ	19616.92	17063.65
किसी घरेलू कंपनी पर लागू कर की दर	25.17%	25.17%
परिकलित कर व्यय	4937.58	4294.92
निम्नलिखित का कर प्रभाव:		
ऐसे व्यय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौतीयोग्य नहीं हैं	991.04	973.52
ऐसी आय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कर योग्य नहीं है	(778.62)	(818.44)
चालू कर प्रावधान	**5150.00**	**4450.00**
पिछली अवधियों से संबंधित आय कर	(30.14)	(23.87)
वर्धित आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति)	(132.86)	(18.25)
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त कर व्यय	**4987.00**	**4407.88**
प्रभावी कर दर	25.42%	25.83%

?k- v?kkf"kr vk; dk çdVhdj.k &

निगम ने खातों की किताबों में ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान किसी भी अप्रलेखित आय का अभ्यर्पण या प्रकटीकरण नहीं किया है।

3- Hkkjrh; y[kkdu ekud 16 d vulkj ÁdVhdj.k& lifÙk] l;a= ,o miLdj rFkk Hkkjrh; y[kkdu ekud 38 & ve rifjlifÙk;k

r;yu i=k e çklfxd ifDr en	lifÙk dh oLr dk fooj.k	ldy ogu eY; ¼#- yk[k e½	fuEu d uke ij /kkfjr ikf/kdkj foy[k	D;k ikf/kdkj foy[k èkkjd çekVj@ un'kd dk çekVj] fun'kd ;k fj'rnkj çekVj@ fun'kd dk depkjh g	fdl frFk l lifRr dk /kkj.k fd;k x;k g	fuxe d uke ij /kkj.k ugh fd, tku dk dkj.k
पीपीई	तकनीकी केंद्र हावड़ा में भूमि	1.60	रेफर नोट 1	नहीं	1959–60	-
पीपीई	शाखा कार्यालय मुंबई में फ्लैट	11.52	रेफर नोट 2	नहीं	1988	-

टिप्पणी–1: यद्यपि स्वामित्व विलेख एनएसआईसी के नाम पर रखे गए हैं, तथापि, स्थानीय सरकार से शीर्षक कार्यों की भौतिक हार्ड कॉपी प्राप्त करने का मामला प्रक्रियाधीन नहीं है।

टिप्पणी–2: तिलक नगर, चेंबूर, मुंबई में सोसायटी का पुनर्विकास, जिसमें कंपनी के छह फ्लैट हैं, पूरा हो चुका है और कब्जा कंपनी के पास है, हालांकि, कंपनी के पक्ष में शीर्षक विलेख/दस्तावेजों को निष्पादित किया जाना बाकी है।

क) एनटीएससी–राजकोट की 3.28 एकड़ जमीन पर कुछ औद्योगिक इकाइयों के साथ–साथ अनधिकृत आवासीय इकाइयों का भी अतिक्रमण है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी भूमि का स्वामित्व निगम के पक्ष में है, और कब्जा निगम के पास है।

ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान, रु. 4.79 लाख (सकल वहन मूल्य रु. 52.73 लाख) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति का निपटान रु. 52.73 लाख की बिक्री आय के साथ किया गया है, और रु. 5.53 लाख के लाभ को दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, रु. 12.15 लाख (सकल वहन मूल्य रु. 109.88 लाख) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति का निपटान रु. 25.33 लाख की बिक्री आय के साथ किया गया है, और रु. 13.18 लाख का नुकसान दर्ज किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

p- cukeh lifRr dk ÁdVhdj.k%

निगम के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। इसलिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (धारा 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए निगम के खिलाफ कोई कार्यवाही आरंभ की गई अथवा लंबित नहीं है। क्योंकि निगम के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

N- m/kkjh ij ÁdVhdj.k

क) निगम ने बैंकों/संस्थानों, या अन्य ऋणदाताओं से लिए गए उधार/ऋण के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) इस प्रकार निगम को बैंक या वित्तीय संस्थान, या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) निगम ने किसी भी अर्हक परिसंपत्ति के लिए कोई राशि उधार नहीं ली है, जिसके ब्याज को भारतीय लेखांकन मानक 23 (इंड–एएस 23), "उधार लागत" के अनुसार पूंजीकृत किया जाना आवश्यक है। इसलिए, वर्ष के दौरान किसी भी ब्याज का पूंजीकृत नहीं किया गया है।

घ) बैंक/वित्तीय संस्थानों या अन्य उधारदाताओं से लिए गए ऋणों के संबंध में सभी प्रभारों को वैधानिक अवधि के भीतर कंपनी के पंजीकरण (आरओसी) के साथ पंजीकृत किए गए हैं।

(ड) ऐसा कोई मामला नहीं है जहां वैधानिक अवधि के बाद भी प्रभारों की संतुष्टि को आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।

t- Hkkjrh; y[kkdu ekud 19 d vuqlkj ÁdVhdj.k & deZpkjh ykHk

क) विभिन्न सुनिश्चित कर्मचारी लाभ स्कीम का सामान्य विवरण निम्नलिखित है:

i. lqfuf'pr vuqnku Ldhe

¼d½ lsokfuofÙk iz'ku ;kstuk@jk"Vªh; iz'ku ç.kkyh%

कर्मचारी समूह सेवानिवृत्ति पेंशन योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है और निदेशकों के लिए पेंशन योजना का प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा किया जाता है। निगम का दायित्व नामांकित कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% का भुगतान करने तक सीमित है।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना में निगम का योगदान रू. 665.78 लाख (रू.665.07 लाख) है और इसे कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में निगम का योगदान रू.3.05 लाख (रू. शून्य लाख) है और इसे कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।

¼[k½ lsokfuofÙk i'pkr fpfdRlk lqfo/kk%

निगम में सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी को 5 लाख रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी के जरिए भर्ती इलाज हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इस संबंध में देयता को बीमांकिक आधार पर मान्यता दी जाती है अर्थात् निगम की वहन क्षमता के आधार पर आईडीए पैटर्न के अधीन कर्मचारियों के 01.01.2007 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में चालू वित्तीय वर्ष के मूल वेतन + महंगाई भत्ते पर 2 प्रतिशत अंशदान और 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में कर–पूर्व लाभ का 1.5 प्रतिशत।

मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.12.2016 के पत्र द्वारा अनुमोदित, डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1.1.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए रू. 255.95 लाख (रू. 222. 37 लाख) और 1.1.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए रू. 126.07 लाख (रू. 126.05 लाख) की चिकित्सा योजनाओं हेतु निधि बनाई गई है। इस निधि का उपयोग वर्ष के दौरान क्रमशः रू. 140.31 लाख (रू. 173.77 लाख) और रू. 168.65 लाख (रू. 126.73 लाख) की बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के लिए किया गया है। 1.1. 2007 से पहले और 1.1.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त

हुए कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजना के लिए 31.03.2025 तक कुल राशि क्रमशः रू. 425.30 लाख (रू. 301.29 लाख) और रू. 419.70 लाख (रू. 451.02 लाख) है।

¼x½ कर्मचारी पेंशन स्कीम के संबंध में इसका विलय क्षेत्रीय भविष्य निधि न्यास जरिए किया गया है।

ii. lfuf'pr ykHk ;kstuk,¡

¼d½ minku%

निगम में एक सुनिश्चित लाभ उपदान योजना है। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष या इससे अधिक की निरंतर सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी और मृत्यु पर, सेवा के पूरे कर लिए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता) उपदान प्राप्त करने का हकदार है।

¼[k½ Nqêh%

निगम, निगम के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करता है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन प्रति वर्ष उपार्जित होती हैं। आईडीए पैटर्न के कर्मचारियों के मामले में सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में अर्जित अवकाश अधिकतम 30 दिनों के लिए भुनाया जा सकता है, और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन (अर्ध वेतन अवकाश सहित, कम्यूटेशन के बिना) के लिए भुनाया जा सकता है।

इस खाते पर देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

¼x½ lsokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk%

सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता गृह नगर में या ऐसे स्थान पर, जहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी का परिवार भारत में रहने का इच्छुक है, में रहने से संबंधित है और इसमें घरेलू सामान भत्ता भी शामिल है।

इस संबंध में देयता को, समूह में बीमांकिक मूल्याकंन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

¼?k½ Hkfo"; fuf/k%

निगम, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत एक पृथक ट्रस्ट को निर्धारित दरों पर भविष्य निधि मद में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है, जो इस निधि को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। ट्रस्टों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर सदस्यों को न्यूनतम प्रतिफल दर सुनिश्चित करनी होती है। हालाँकि, निर्दिष्ट प्रतिफल दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज भुगतान में किसी भी कमी की भरपाई निगम द्वारा की जानी होती है। वर्ष 2024–25 के दौरान, निगम ने ब्याज की कमी के लिए ट्रस्ट को रू. 64.98 लाख (रू.110.45 लाख) की क्षतिपूर्ति की है। निगम का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए, आगे कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, निगम ने परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान के रूप में रू. 822.94 लाख (रू. 814.41 लाख) की राशि का योगदान दिया है और इसे लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी है।

एनएसआईसी ईपीएफ ट्रस्ट को ईपीएफओ से उच्चतर पेंशन योजना के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान के लिए मांग प्राप्त हुई थी, जिसके लिए उन सदस्यों ने उच्चतर वेतन पर पेंशन का विकल्प चुना था, जिसकी नियत तिथि 28.02.2025 और 31.03.2025 थी। चूँकि ट्रस्ट की निधियाँ पूरी तरह से अनुमत प्रतिभूतियों में निवेशित थीं, इसलिए ट्रस्ट ने ट्रस्टियों की सिफारिशों पर एनएसआईसी से रू. 1755 लाख की वापसी योग्य अग्रिम राशि का अनुरोध किया। कर्मचारियों के लाभों की सुरक्षा के लिए, एनएसआईसी ने 31.03.2025 तक बकाया राशि को वसूली योग्य अग्रिम के रूप में वितरित कर दिया। ट्रस्ट ने अपने विशेष जमा योजना खाते से रू. 1400 लाख की निकासी के लिए भी आवेदन किया था, जो 31.03.2025 तक प्रक्रिया में था। हालाँकि, ईपीएफओ द्वारा 13.06.2025 के पत्र द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। ट्रस्ट को देय बकाया राशि से मासिक आधार पर, एक वर्ष के भीतर ट्रस्ट से अग्रिम राशि वसूल की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 से, निगम ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट में किए गए अंशदान को भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 19 – कर्मचारी लाभ की आवश्यकताओं के अनुसार "परिभाषित लाभ योजना" के रूप में मानना शुरू कर दिया है। निगम पर इसका वित्तीय प्रभाव रू. 0.41 लाख है। भविष्य निधि के प्रति निगम का दायित्व कर्मचारी लाभ पर इंड एएस 19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित और प्रदान किया जाता है। योजनागत परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का विवरण निम्नानुसार हैः

'k) ifjHkkf"kr ykHk ¼ifjlifÙk;k½@nk;rk

fooj.k	**31.03.2025** rd	**31.03.2024** rd
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	21608.87	22678.86
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	21638.19	22708.60
शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	29.33	29.73

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, निगम को बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित रू. 29.33 लाख (रू. 29.73 लाख) की शुद्ध

परिसंपत्तियों के लिए योजना से वापसी या योजना में भविष्य में कम अंशदान के रूप में लाभों का कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार, निगम ने परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी है क्योंकि यह भविष्य निधि ट्रस्ट से संबंधित है, न कि निगम से।

¼3½ lok d nkjku fpfdRlk lfo/kk¼

निगम, स्वयं और उसके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए सेवारत कर्मचारियों को भर्ती संबंधी इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यदि इलाज सीजीएचएस दरों के अनुसार है, तो इस बाबत हुआ पूरा व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है और यदि इलाज अस्पताल दरों के अनुसार है तो कर्मचारी को व्यय का 15 प्रतिशत (दवाई और इम्पलांट तथा सुनिश्चित विशेष बीमारी को छोड़कर) वहन करना होता है।

ख) उपर्युक्त मामलों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार विनिर्धारित प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:–

;kstuk n;rk ¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
अवधि के अंत में यथास्थिति दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	6008.11	3460.49	615.53	4.48
	पीवाई	5502.41	3328.81	574.92	4.18

lok ykxr ¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ihokb	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
चालू सेवा लागत	सीवाई	284.52	192.44	43.21	3.82
	पीवाई	264.94	185.91	41.51	3.20
कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	301.56	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
गैर–नैत्यक करारों पर लाभ या हानियाँ	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	586.08	192.44	43.21	3.82
	पीवाई	264.94	185.91	41.51	3.20

fuoy C;kt ykxr ¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
सुनिश्चित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	सीवाई	397.82	240.67	41.57	0.30
	पीवाई	397.33	239.87	38.69	0.30
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	397.82	240.67	41.57	0.30
	पीवाई	397.33	239.87	38.69	0.30

ykHk nkf;Ro e ifjorZu ¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
अवधि आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5502.41	3328.81	574.92	4.18
	पीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04

अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
ब्याज लागत	सीवाई	397.82	240.67	41.57	0.30
	पीवाई	397.33	239.87	38.69	0.30
सेवा लागत	सीवाई	284.52	192.44	43.21	3.82
	पीवाई	264.94	185.91	41.51	3.20
कटौती लाभों/ हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	301.56	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	सीवाई	-514.12	-704.62	-35.12	-3.60
	पीवाई	-559.78	-693.44	-29.48	-2.82
दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	सीवाई	35.90	403.19	-9.05	-0.23
	पीवाई	16.10	346.24	-0.08	-0.54
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	6008.11	3460.49	615.53	4.48
	पीवाई	5502.41	3328.81	574.92	4.18

nkf;Ro ij chekfdd ykHk@gkfu dk vyx&vyx fooj.k ¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vft|r N|ê	#X.krk N|ê	lokfuofÙk ij;k=k HkÙkk
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	159.47	109.06	24.36	0.13
	पीवाई	52.18	35.36	7.92	0.04
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	-123.57	294.13	-33.41	-0.36
	पीवाई	-36.08	310.88	-8.00	-0.58

r|yu&i= vkj l|cf/kr fo'y|"k.k ¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vft|r N|ê	#X.krk N|ê	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	6008.11	3460.49	615.53	4.48
	पीवाई	5502.41	3328.81	574.92	4.18
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
तुलन–पत्र में अनिधिकृत देयता/ प्रावधान	सीवाई	-6008.11	-3460.49	-615.53	-4.48
	पीवाई	-5502.41	-3328.81	-574.92	-4.18

vk; fooj.k e ekU; rkikIr /kujkf'k;k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
कुल सेवा लागत	सीवाई	586.08	192.44	43.21	3.82
	पीवाई	264.94	185.91	41.51	3.20
निवल ब्याज लागत	सीवाई	397.82	240.67	41.57	0.30
	पीवाई	397.33	239.87	38.69	0.30
अवधि में मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	सीवाई	-	403.19	-9.05	-
	पीवाई	-	346.24	-0.08	-
आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	सीवाई	983.90	836.30	75.73	4.12
	पीवाई	662.27	772.02	80.12	3.50

vU; 0;kid vk; ¼vklhvkb½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
आरंभिक निवल संचयी गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	-35.90	-	-	0.23
	पीवाई	-16.10	-	-	0.54
परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
अवधि के लिए गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	-35.90	-	-	0.23
	पीवाई	-16.10	-	-	0.54

fuoy lfuf'pr ykHk nkf;Ro e ifjorZu

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ijc ;k=k HkÙkk
अवधि के आरंभ में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	5502.41	3328.81	574.93	4.18
	पीवाई	5383.82	3250.23	524.27	4.04
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	586.08	192.44	43.21	3.82
	पीवाई	264.94	185.91	41.51	3.20
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	397.82	240.67	41.57	0.30
	पीवाई	397.33	239.87	38.69	0.30
पुनर्मापण	सीवाई	35.90	403.19	-9.05	-0.23
	पीवाई	16.10	346.23	-0.08	-0.54
निधि में भुगतान किया गया अंशदान	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया लाभ	सीवाई	-514.12	-704.62	-35.12	-3.60
	पीवाई	-559.78	-693.44	-29.48	-2.82
अवधि के अंत में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	6008.11	3460.49	615.53	4.48
	पीवाई	5502.41	3328.81	574.92	4.18

orteku vkj xj&orteku e o"k d vr e ihchvk dk f}Hkkt u

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर राशि)	सीवाई	627.07	339.92	52.44	0.42
	पीवाई	505.94	342.73	43.16	0.34
गैर–वर्तमान देयता (एक वर्ष से अधिक राशि)	सीवाई	5381.04	3120.56	563.08	4.05
	पीवाई	4996.48	2986.08	531.76	3.84
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	सीवाई	6008.11	3460.49	615.53	4.48
	पीवाई	5502.41	3328.81	574.92	4.18

vxyh okf"kd fjikfVx vof/k d fy, iR;kf'kr v'knku

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
सेवा लागत	सीवाई	299.15	209.32	48.40	4.23
	पीवाई	275.30	198.76	46.04	4.22
निवल ब्याज लागत	सीवाई	407.35	234.62	41.73	0.30
	पीवाई	397.82	240.67	41.57	0.30
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय	सीवाई	706.50	443.94	90.13	4.54
	पीवाई	673.12	439.44	87.60	4.52

chekfdd eY;kdu d fy, mi;kx fd, x, i/kku vuqeku fuEufyf[kr g%

¼yk[k #i, e½

fooj.k	**2024-25**	**2023-24**
उपयोग की गई पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति
बट्टा दर	6.78%	7.23%
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ की प्रत्याशित दर	0	0
भावी वेतन में वृद्धि	5.50	5.50
मर्त्यता दर	100 प्रतिशत आईएएलएम (2012–14)	100 प्रतिशत आईएएलएम (2012–14)
आयु (आहरण दर) (प्रतिशत)		
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से अधिक	1	1

lfuf'pr ykHk nkf;Ro dh lonu'khyrk

¼yk[k #i, e½

fooj.k	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
cêk nj e ifjorlu dk iHkko				
अवधि के अंत में दायित्व को वर्तमान मूल्य	6008.11	3460.49	615.53	4.48
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	-181.58	-120.80	-26.97	-0.15
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	191.98	128.56	28.95	0.13
oru dh of) e ifjorlu dk iHkko				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6008.11	3460.49	615.53	-
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	193.43	129.54	29.17	-
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	-184.57	-122.79	-27.42	-

lfuf'pr ykHk nkf;Ro dh ifjiDork : ij[kk

¼yk[k #i, e½

fooj.k	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
0 से 1 वर्ष	627.07	339.92	52.44	0.42
1 से 2 वर्ष	666.48	353.65	35.91	0.42
2 से 3 वर्ष	480.21	246.70	30.49	0.32
3 से 4 वर्ष	497.55	252.20	30.41	0.34
4 से 5 वर्ष	351.91	176.70	33.98	0.24
5 से 6 वर्ष	453.49	243.01	37.57	0.31
6 वर्ष से आगे	2931.40	1848.31	394.72	2.42

>- Hkkjrh; y[kkdu ekud&21 d vuqlkj ÁdVhdj.k fon'kh fofue; njk e ifjorlu dk ÁHkko

d½ क्रेडिटांस्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू) ऋण श्रृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु प्रावधान, ऋण करारों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार सृजित किया गया है:

(i) XIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए वर्ष के दौरान 204.32 लाख रुपए (218.83 लाख रुपए) की विनिमय भिन्नता हानियों के लिए प्रावधान सृजित किया गया है। वर्ष के दौरान ऋण के लिए विनिमय भिन्नता हानि 56.14 लाख रुपए (21.72 लाख रुपए) थी और 148.18 लाख रुपए (197.11 लाख रुपए) का प्रावधान पुरांकित किया गया है और इसका उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए किया गया है।

(ii) केएफडब्ल्यू ग्प्वीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु ऋण करार के अनुसार प्रावधान सृजित किया गया है। XIIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष के दौरान सृजित विनिमय भिन्नता के लिए किए गए प्रावधान में से प्रावधान के 80 प्रतिशत का उपयोग विनिमय भिन्नता हानियाँ पूरी करने के लिए किया जाएगा और 80 प्रतिशत में से बाकी बचा शेष, यदि कोई हो, को भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियाँ पूरी करने के लिए रखा जाएगा। शेष 20 प्रतिशत राशि का उपयोग ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार प्रचार प्रयोजनों के लिए किया जाना है।

तद्नुसार, XIIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता के लिए इस वर्ष के दौरान 208.58 लाख रुपए (230.08 लाख रुपए) की कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 80 प्रतिशत अर्थात् 166.87 लाख रुपए (184.07 लाख रुपए) का उपयोग वर्ष के दौरान विनिमय भिन्नता हानि के प्रति किया गया है और शेष 20 प्रतिशत अर्थात् 41.72 लाख रुपए (46.02 लाख रुपए) का उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान, विनिमय भिन्नता हानि रुपए 46.80 लाख (रुपए 19.97 लाख) थी, जिसे 80% प्रावधान अर्थात रुपए 166.87 लाख (रुपए 184.07 लाख) से समायोजित किया गया है और शेष रुपए 120.07 लाख (शून्य) प्रावधानों को वर्ष के दौरान वापस लिख दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, केएफडब्ल्यू XIIवीं घाटे की मूल राशि के अतिरिक्त विनिमय भिन्नता हानियों से अतिरिक्त प्रावधान, जो 31.03.2024 तक रुपए 561.24 लाख है, को शेष 12 वर्षों की ऋण अवधि में व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाएगा। तदनुसार, वर्ष के दौरान रुपए 46.77 लाख की वापसी की मान्यता दी गई है। परिणामस्वरूप, केएफडब्ल्यू XIIवीं ऋण के अंतर्गत विनिमय भिन्नता हानि से 31.03.2025 तक संचयी प्रतिधारित प्रावधान रुपए 2366.99 लाख (रुपए 2413.77 लाख) है।

[k½ fofue; lapkyh vrj

¼yk[k #i, e½

Ø-l-	fooj.k	**2024-25**	**2023-24**
1	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेज़ों पर उत्पन्न को छोड़कर, लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त विनिमय अंतरों की धनराशि।	(12.35)	(15.69)
2	अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त और इक्विटी के एक अलग संघटक में संचित के बीच निवल विनिमय अंतर	-	-
3	अवधि के आरंभ और अंत में इन विनिमय अंतरों की धनराशि का समाधान।	-	-

¥- Hkkjrh; y[kkdu eku&24 d vuqlkj idVhdj.k% lcf/kr i{kdkj idVhdj.k

d½ lcf/kr i{k में किसी कंपनी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत यथापरिभाषित संबंधित पक्षों के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सभी संबंधित पक्ष शामिल होंगे, जिसका अर्थ है (i) एक निदेशक या उसका संबंधी; (ii) एक प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक या उसका संबंधी; (iii) एक फर्म, जिसमें कोई निदेशक, प्रबंधक या उसका संबंधी भागीदार है, (iv) एक निजी कंपनी जिसमें प्रबंधक या निदेशक, सदस; या निदेशक है; (v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक, निदेशक है या अपने संबंधियों के साथ इसकी चुकता शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक को धारित किए हुए है; (vi) कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक के परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए अभ्यस्त है, (vii) कोई भी व्यक्ति जिसके परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का अभ्यस्त है, बशर्ते कि उप–खंड (vi) और (vii) में से कुछ भी पेशेवर क्षमता में दिए गए परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों पर लागू नहीं होगा; (viii) कोई भी कंपनी जो (क) ऐसी कंपनी की कोई धारक, सहायक कंपनी सहयोगी कंपनी है, या (ख) किसी धारक कंपनी की सहायक कंपनी है जिसकी वह भी सहायक कंपनी है, (ix) ऐसा अन्य व्यक्ति जो निर्धारित किया जाएं।

[k½ çe[k çcU/kdh(dkfe[d ¼d,eh½ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार किसी कंपनी के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक शामिल होंगे, अर्थात – (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, (ii) कंपनी सचिव; (iii) पूर्णकालिक निदेशक; (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी, और (v) ऐसा अन्य अधिकारी, जो निदेशकों से एक स्तर से अधिक नीचे नहीं, जो पूर्णकालिक रोजगार में हों, जिसे बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकी; कर्मियों के रूप में नामित किया गया है, और ऐसे अन्य अधिकारी जो निर्धारित किए जा सकते हैं

x½ d,eh d lcU/kh में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विवरणों का विनिर्देशन) नियम, 2014 के नियम 4 के तहत यथापरिभाषित संबंधी शामिल होंगे, किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य से संबंधित है, यदि – (i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं; (ii) वे पति और पत्नी हैं; या (iii) एक व्यक्ति दूसरे से उस तरीके से संबंधित है जो निर्धारित किया जा सकता है।

घ) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण पर भारतीय लेखाकंन मानक–24 के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

i) ,u,lvkbZlh d e[; Ács/ku dkfe[d

e[; Ács/ku dkfe[d	inuke	vof/k	
		dc ls	dc rd
श्री विपुल गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2024	01.05.2024
डॉ. एस.एस. आचार्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	02.05.2024	31.03.2025
श्री कार्तिकेय सिन्हा	निदेशक (पी एंड एम)	01.04.2024	31.03.2025
श्री गौरव गुलाटी	निदेशक (वित्त)	01.04.2024	31.03.2025
श्री कालांदी चरण समल	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024	21.12.2024
श्री अशोक अहिवार	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024	21.12.2024
श्री गौरव गुलाटी	मुख्य वित्त अधिकारी	01.04.2024	31.03.2025
सुश्री निष्ठा गोयल	कंपनी सचिव	01.04.2024	31.03.2025

ii) lgk;d dEiuh – एनएसआईसी की एक सहायक कंपनी – मैसर्स एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) है जिसके लिए निगम ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित कंपनियों की परतों की संख्या की आवश्यकता का अनुपालन किया है।

jk-y-m-fu- d lkFk o"k d nkjku g, yunu

Ø-l-	yunu dh ç—fr	lcf/kr ikVh	
		2024-25	2023-24
1.	jktLo:		
क)	—किराया	34.37	17.07
ख)	—लाभांश	112.40	91.10
ग)	—अन्य	135.44	111.18
2.	0;; :	--	--
3.	cdk;k 'k"k		
क)	—व्यापार प्राप्य	67.38	--
4.	vU;:		
क)	निवेश: आत्मनिर्भर भारत निधिरू एसआरआई निधि) 0.171 इकाइयाँ (0.114 इकाइयाँ) / रू. 1 करोड़ प्रति इकाई)	17.12	11.38
ख)	निवेश: आत्मनिर्भर भारत निधिरू एसआरआई निधि) – एनवीसीएफएल से इकाइयों का स्थानांतरण 0.854 इकाइयाँ (शून्य इकाइयाँ) रू. 1 करोड़ प्रति इकाई)	85.43	-
5.	Lor= fun'kdk d lkFk yu&nu		
क)	बैठक शुल्क	7.40	7.45
ख)	अन्य व्यय	3.56	6.72

Ø-l-	yunu dh ç—fr	iem[k ipkyu dkfeZd	
		2024-25	2023-24
1.	vYidkfyd deZpkjh ykHk		
क)	वेतन और भत्ते	183.58	120.03
ख)	छुट्टी/एलटीसी नकदीकरण	6.53	1.25
ग)	अन्य खर्च	33.67	11.85
घ)	अन्य–पीआरपी	1.70	2.59
ड़)	उधार – ऋण और बकाया ब्याज	--	--
च)	पीपीई/अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री	--	--
2.	ukdjh&i'pkr ykHk		
क)	भविष्य निधि अंशदान	15.33	9.92
ख)	पेंशन योजना में अंशदान	12.90	8.38
ग)	अंतिम लाभ में अंशदान	24.62	9.88
घ)	बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अंतिम लाभ के लिए प्रावधान – बकाया	62.85	61.35
3.	vU; nh?kdkfyd ykHk	--	--
4.	lekfIr ykHk	--	--
5.	'k;j vk/kkfjr Hkqxrku	--	--

Ø-l-	yunu dh ç—fr	çe[k çc/kdh; dfe;k d iluy	
		2024-25	2023-24
	..	--	--

iv½ lcf/kr i{kdkjk d lkFk yunuk dh iep[k 'krs vkj fucU/ku

i. मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक निगम के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।

ii. एनवीसीएफएल के साथ लेन–देन उनके ऐसे समकक्ष शर्तों पर किए जाते हैं, जो कि आमने–सामने के लेनदेन में मौजूदा तौर पर प्रचलित हैं।

v) निगम ने वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार कुल, ऋण एवं अग्रिम पर केएमपी के ऋण का प्रतिशत लागू नहीं है।

vi) शाखा ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों के साथ व्यावसायिक लेन–देन किया है:–

i. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद

क. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

ख. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

ग राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

घ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ड. भारतीय मानक ब्यूरो

च भारतीय गुणवत्ता परिषद

छ बलमेर लॉरी

ज एमटीएनएल

ii. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री

क भारतीय खाद्य निगम

ख जवाहर नवोदय विद्यालय

ग कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड

घ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ड. भारतीय मानक ब्यूरो

च राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

छ सिडबी

ज एनटीपीसी लिमिटेड

झ नाबार्ड

र. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

ट भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र

ठ अरुणाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

ड़ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ढ़ राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान

ण जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

त राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड

सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन
वर्ष के दौरान लेनदेन

¼yk[k #i, e½

fooj.k	2024-25	2023-24
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद	259693.54	242640.40
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री	3928.78	4715.61

¼yk[k #i, e½

cdk;k jkf'k	31.03.2025	31.03.2024
सीपीएसईध्सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अग्रिम/(देय)	2527.77	1840.79
सीपीएसईध्सरकारी उपक्रमों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए प्राप्य/(अग्रिम)	246.48	311.13

V- Hkkjrh; y[kkdu ekud 109 d vuqlkj ÁdVhdj.k & foRrh; foy[k fd, x, iko/kkuk dk idVhdj.k

क) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13. 03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी). सीसी.पीडी. सं. 109/22.10. 106/2019–20 के आधार पर भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ईसीएलस को वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों में हानि संबंधी छूट के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, किराया खरीद, पट्टे, कच्चे

माल की सहायता, बिल पर छूट, सावधि ऋण, समग्र सावधि ऋण, बैंकों आदि के तहत देय राशियों के संबंध में, दिनांक 31.03.2025 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 12417.77 लाख (रु. 12399.36 लाख) के कुल बकाया के मुकाबले 289752.83 लाख (रु. 271828.47 लाख) था।

ग) गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनमें विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत देय राशियों के संबंध में प्राप्य तकनीकी केन्द्रों और एसटीबीपीज में लेनदेनों की बाबत प्राप्य, सेवाओं की बिक्री की बाबत प्राप्तव्य (अर्थात लाइसेंस और हाउसकीपिंग शुल्कों, किराये, प्रशिक्षण शुल्क, ईएमसी, टीआईसी, कार्यक्रमों आदि के लिए प्राप्य), नकद या वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम (मुख्यतः जिनमें निगम के साथ समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिमों सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम शामिल हैं), प्रतिभूति जमा उपार्जित परंतु अदेय ब्याज सहित स्टाफ अग्रिम और एवं अन्य परिसंपत्तियाँ, दिनांक 31.03.2025 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 2050.75 लाख (रु. 1516.06 लाख) के कुल बकाया के मुकाबले 19502.11 लाख (रु. 17958.92 लाख) था।

घ) समग्र आधार पर, वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। वित्तीय / गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिम और तकनीकी केंद्र / एसटीबीपी जिसमें प्राप्य और अग्रिम शामिल हैं, दिनांक 31.03.2025 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 14468.52 लाख (रु. 13915.43 लाख) की राशि में भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार रु. 309254.94 लाख (रु. 289787.39 लाख) के कुल बकाया के सापेक्ष वित्तीय / गैर–वित्तीय आस्तियों के प्राप्य और ऋण और अग्रिम (एनएसआईसी के पास उपलब्ध ब्याज उचंत खाते और नकद संपार्श्विक का शुद्ध) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रावधान मानदंडों के अनुरूप किए गए हैं।

B- Hkkjrh; y[kkdu ekud 37 d vuqlkj ÁdVhdj.k iko/kku] vkdfLed n;rk,¡ vkj vkdfLed ifjlifÙk;k¡

क. लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2024–25 हेतु प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) के मद में रु. 1017.78 लाख (रु. 873.93 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2024–25 से संबंधित वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान रूपए 614.27 लाख के प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान किया है।

ख. अखिल भारतीय स्तर पर एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के लिए, एनएसआईसी एमएसएमई के लिए क्षमता निर्माण योजना सहित कई प्रोत्साहन योजनाएँ भी चला रहा है। ऐसी ही एक योजना कंसोर्टिया के माध्यम से विपणन सहायता है, जिसमें एनएसआईसी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक सुविधाकर्ता / आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत कुछ दावे दायर किए गए हैं, जिनमें आपूर्ति के भुगतान में देरी का आरोप लगाया गया है। इन दावों में एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 2(एन)(आई), 15, 16 और 18 का अनुप्रयोग और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.08.2016 और 14.06.2023 के परिपत्रों के माध्यम से जारी संबंधित स्पष्टीकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), एमएसएमईडी अधिनियम के तहत एक सुविधाकर्ता और आपूर्तिकर्ता के रूप में, उक्त कानून के तहत इसके वर्गीकरण सहित विभिन्न आधारों पर ऐसे दावों की कानूनी स्थिरता को चुनौती देता है।

निगम ने सक्षम न्यायिक और अर्ध–न्यायिक मंचों के समक्ष उक्त दावों की स्थिरता, क्षेत्राधिकार संबंधी वैधता और प्रवर्तनीयता को चुनौती देने के लिए अपने कानूनी और वैधानिक अधिकारों का विधिवत उपयोग किया है। जहाँ तुलनीय मामलों में न्यायिक निर्णय पहले ही जारी किए जा चुके हैं, वहाँ निगम को कानूनी मिसालों द्वारा समर्थित एक तर्कसंगत अपेक्षा है कि तथ्यों और कानूनी मुद्दों की एकरूपता को देखते हुए, वर्तमान में विचाराधीन शेष मामलों पर भी समान निष्कर्ष लागू होंगे।

भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 92 के अनुसरण में, निगम ने विवादों से संबंधित विशिष्ट वित्तीय अनुमानों, प्रतिपक्षकारों की पहचान या अन्य संवेदनशील विवरणों का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि ऐसा खुलासा चल रही कानूनी और सुलह संबंधी कार्यवाहियों में निगम की स्थिति के लिए संभावित रूप से गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने वाला माना जाता है।

M- Hkkjrh; y[kkdu ekud 105 d vuqlkj idVhdj.k & fcØh d fy, j[kh xbZ xj&pkyw ifjlifÙk vkj cn dj fn, x, ipkyu

अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर बिक्री की अत्यधिक संभावना वाली परिसंपत्तियां, ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों'' के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। भारतीय लेखाकंन मानक 105 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, शून्य के निवल रखाव मूल्य (शून्य के सकल रखाव मूल्य) वाली ऐसी परिसपंत्तियां, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के भिन्न ब्लॉकसे परिसंपत्तियों के अलग ब्लॉक नामतः बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियाँ'' में अंतरित कर दी गई थी।

वित्त वर्ष 2024–25 में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत परिसंपत्तियों के अलग–अलग ब्लॉक से किसी भी संपत्ति को परिसंपत्तियों के अलग–अलग ब्लॉक अर्थात् ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान संपत्ति'' में स्थानांतरित नहीं किया जाता है।

<- Hkkjrh; y[kkdu ekud 108 d vuqlkj idVhdj.k & ipkyu [kM

[kM fjikfVx%&

एनएसआईसी के क्रियाकलाप मोटे तौर पर 'संवर्धनात्मक' और 'वाणिज्यिक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। 'संवर्धनात्मक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं जिनके लिए निगम को बजटीय सहायता सरकार और/अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 'संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता' की योजनाएं, 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति हब', 'खरीद और विपणन सहायता योजना' 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना' आदि, जिनके लिए इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमादित दिशा–निर्देशों के अनुसार, जहाँ, का लागू हो, प्रशासनिक व्यय के साथ–साथ निगम के क्रियाकलाप मोटे तौर पर –संवर्धनात्मक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। प्रदर्शनियों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों), क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों, सघन अभियान आयोजित करने/उनमें सहभागिता अन्य विपणन सहायता सेवाओं (विज्ञापन, प्रचार आदि), लघु और मध्यम उद्यमों की रेटिंग के लिए किए जाने वाले खर्च और प्रशिक्षण का व्यय उपरोक्त योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता में से पूरे किए जाते हैं।

अन्य बातों के साथ–साथ, 'वाणिज्यिक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियालाप शामिल हैं, जिनके द्वारा निगम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विपणन (निविदा विपणन और कच्चे माल की सहायता/वितरण/ थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापार को सहायता सहित)', 'ऋण', 'प्रौद्योगिकी' और 'अन्य सहायता' सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इन 'समेकित' सहायता सेवाओं का निधिकरण निगम द्वारा किया जाता है। इनके अलावा, बजटीय सहायता में से पूरे न किए जाने वाले क्रियाकलाप, परंतु जो संवर्धनात्मक स्वरूप के हैं, को वाणिज्यिक क्रियाकलापों के साथ मिला दिया गया है क्योंकि इन क्रियाकलापों के खर्चे निगम द्वारा वहन किए जाते हैं। तदनुसार, निगम के क्रियाकलापों को दो खंडों नामतः "वाणिज्यिक" और "संवर्धनात्मक" में विभाजित किया गया है।

निम्नलिखित सारणी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'खण्ड सूचना' पर भारतीय लेखांकन मानक–108 द्वारा यथापेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार खण्ड के लिए राजस्व, लाभ/(हानि), परिसंपत्ति और देयताओं की सूचना दर्शाई गई है।

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp 2025 dk lekIr o"k d fy,			31 ekp 2024 dk lekIr o"k d fy,		
प्राथमिक खण्ड –कारोबार खण्ड	संवर्धनात्मक	वाणिज्यिक	जोड़	संवर्धनात्मक	वाणिज्यिक	जोड़
I. [k.M jktLo ¼vuqnku lfgr½						
. वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान	8,973.87		8,973.87	13827.28	-	13827.28
–उत्पाद की बिक्री		2,90,771.56	2,90,771.56	-	276408.88	276408.88
–सेवाओं की बिक्री		14,637.36	14,637.36	-	13578.73	13578.73
–अन्य		38,017.84	38,017.84	-	37699.95	37699.95
& tkM	**8,973.87**	**3,43,426.76**	**3,52,400.63**	**13827.28**	**327687.56**	**341514.84**
II. [kM 0;;¼vuqnku d ifr 0;; lfgr½						
–वर्ष के दौरान मान्यता दिए गए सरकारी अनुदान के प्रति किया गया व्यय	8,973.87	-	8,973.87	13827.28	-	13827.28
–अन्य	-	3,23,810.58	3,23,810.58	-	310637.09	310637.09
–जोड़	8,973.87	3,23,810.58	3,32,784.45	13827.28	310637.09	324464.37
III. ifj.kke						
क. खण्ड परिणाम	-	14,629.92	14,629.92	-	12655.77	12655.77
ख. ब्याज से पहले प्रचालन लाभ	-	30,360.37	30,360.37	-	28529.67	28529.67

ग. भुगतान किया गया ब्याज	-	10,744.19	10,744.19	-	11479.20	11479.20
घ. आपवादिक मदें	-	(0.74)	(0.74)	-	(13.18)	(13.18)
ङ. कर–पूर्व लाभ	-	19,616.92	19,616.92	-	17063.65	17063.65
च. कर व्यय	-	4,987.00	4,987.00	-	4407.88	4407.88
छ. करोपरांत निवल लाभ	-	14,629.92	14,629.92	-	12655.77	12655.77
छ. अन्य व्यापक आय	-	(160.33)	(160.33)	-	71.47	71.47
झ. कुल व्यापक आय {जिसमें लाभ/(हानि) और अन्यव्यापक आय शामिल हैं}	-	14,469.59	14,469.59	-	12727.24	12727.24
IV. ifjlifÙk;k vkj n;rk,a						
क. खण्ड परिसंपत्तियाँ	5088.60	312261.19	317349.79	4499.00	295658.18	300157.18
ख. अनावंटित परिसंपत्तियां	-	-	22156.64	-	-	21376.98
x- dy ifjlifÙk;k	**5088.60**	**312261.19**	**339506.43**	**4499.00**	**295658.18**	**321534.16**
घ. खण्ड परिसंपत्तियाँ	5966.56	171410.95	177377.51	4633.75	166260.41	170894.16
ङ. अनावंटित परिसंपत्तियां	-	-	162128.92	-	-	150640.00
p- dy n;rk,a	**5966.56**	**171410.95**	**339506.43**	**4633.75**	**166260.41**	**321534.16**
V. vU; lpuk						
(क) स्थिर परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए अवधि के दौरान लगाई गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	1034.08	685.40	1719.48	503.45	842.02	1345.47
(ख) मूल्यह्रास :	418.52	980.28	1398.80	342.95	842.91	1185.86
(ग) मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकदी व्यय	-	87.78	87.78	-	14.04	14.04

संवर्धनात्मक खण्ड का मूल्यह्रास, पूंजी आरक्षित के प्रति प्रभारित किया गया है।

- प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त राजस्व के बारे में सूचना –– नीचे दिए गए खंड ''ण'' को देखें
- अन्य गतिविधियों के लिए जानकारी

fooj.k	;fuV	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
एनएसआईसी प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित उम्मीदवार	संख्या	79295	66765
एमएसएमई को परीक्षण और अन्य सामान्य सुविधाएं प्रदान की गईं	संख्या	20640	15891
कुल खरीद के % के रूप में जैम से खरीद	%	100	83.12

- निगम के पास कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है, क्योंकि निगम के ऋण प्रचालन देश के अंदर किए जाते हैं।
- किसी एकल ऋणी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निगम के राजस्व में 10 प्रतिशत या इससे अधिक का योगदान नहीं किया है।

.k- Hkkjrh; y[kkdu ekud 115 d vuqlkj idVhdj.k& xkgdk d lkFk fd, x, lfonkvk l ÁkIr jktLo

1) fuxe dk lqkVd&okj jktLo

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
उत्पादों की बिक्री	290711.56	276408.88
सेवाओं की बिक्री	8575.65	8114.83
किराये की आय	6061.71	5463.90
ब्याज आय	29294.84	32021.02
प्रोसेसिंग शुल्क	4378.19	4829.27
अन्य प्रचालन आय	4038.51	479.66
जोड़	**343120.46**	**327317.56**

(सेवाओं की बिक्री में सरकारी योजना यानी पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए सुविधा शुल्क से होने वाली आय शामिल है, जिसकी राशि रुपए 1687.50 लाख (1125.00) है।

2) ih,e fo'odekZ ;kstuk%

- पीएम विश्वकर्मा योजना, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को मजबूत और पोषित करना है, जिसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करके उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।
- एक सुविधा प्रदाता के रूप में एनएसआईसी के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) को निविदा के माध्यम से उपयुक्त विक्रेताओं का चयन करके और पंजीकृत लाभार्थियों को टूलकिट प्रदान करके 18 अलग–अलग पहचाने गए ट्रेडों के तहत इन टूलकिट की आपूर्ति के लिए एक पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का काम सौंपा गया है। उपर्युक्त 18 ट्रेडों के लिए योजना के अंतर्गत।
- इस उद्देश्य के लिए, एनएसआईसी को निम्नलिखित विभिन्न शेड्यूल/मील के पत्थर पर तीन (3) खाइयों में रू. 4500 लाख की सुविधा शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जो कुल परिव्यय का 1% यानी रू. 450000 लाख है:

o ड्राफ्ट आरएफपी के अनुमोदन पर सुविधा शुल्क का 25%,

o टूलकिट विक्रेता के सफल चयन के बाद सुविधा शुल्क का 25%,

और

o टूलकिट विक्रेता के सफल चयन के छह (6) महीने के बाद सुविधा शुल्क का 50%, शेष रखें।

- तदनुसार, निर्धारित लक्ष्य/लक्ष्य प्राप्त करने पर, एनएसआईसी को एमएसएमई मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान रू.1687.50 लाख (रू.1125.00 लाख) प्लस जीएसटी की राशि का सुविधा शुल्क प्राप्त हुआ है।

r- Hkkjrh; y[kkdu ekud 116 d vuqlkj idVhdj.k & iVV%

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार, निगम तुलन पत्र में इन परिसंपत्तियों को भावी अवधियों में इन पट्टों के प्रति भुगतानयोग्य धनराशियों के संबंध में तदनरूपी पट्टा देयता के साथ 'उपयोग करने के अधिकार वाली परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देता है। तथापि, निगम ने, अल्पावधि पट्टों और निम्न मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के संबंध में मान्यता छूट का उपयोग किया है। अल्पावधि पट्टों में परिसमापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं, जहाँ ये पट्टे समाप्त करने के लिए कोई सारवान आर्थिक विप्रोत्साहन न हो। ऐसे करार, पट्टाधारित पोटफोलियों का प्रबंधन करने और निगम की व्यवसाय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सुनम्यता उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय 405.58 लाख रू. (398.12 लाख रु.) है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के प्रति कुल नकदी बहिर्वाह 480.67 लाख रू. (472.67 लाख रु.) है।

d½ iVVk/kkjh d: i e: iVV%

i. मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं और वर्ष के दौरान संचालनों की धारित धनराशियाँ निम्नलिखित हैं: ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
अथशेष	**236.19**	**59.01**
– पट्टा देयताओं में अभिवर्धन	**10.91**	**232.59**
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	**16.79**	**19.14**
– पट्टा दयेताओं का भुगतान	**75.09**	**74.55**
अंत शेष	**188.80**	**236.19**

ii. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशियाँ निम्नलिखित हैं: ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तितयों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन	**63.25**	**64.84**
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	**16.79**	**19.14**

iii अन्य प्रकटीकरण: ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
पट्टों से नकदी बहिर्वाह	75.09	74.55

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां की धारण धनराषि	**169.57**	**221.91**

iv. पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर भुगतान किए जाने वालेबट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं:

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
एक वर्ष से कम	75.83	75.38
एक और दो वर्षों के बीच	58.69	76.69
दो और तीन वर्षों के बीच	11.03	49.73
तीन और चार वर्षों के बीच	4.96	4.96
चार और पांच वर्षों के बीच	5.89	5.89
पांच वर्षों से अधिक	113.55	113.55

[k½ iVVkdkrk d: :i e iVVk

i. ये करार, भारतीय लेखांकन मानक 116 'पटटे' में पारगमन के पश्चात प्रचालनरत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए जाने जारी है।

ii. 6061.71 लाख रू. (5463.90 लाख रू.) की धनराशि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में पट्टा आय के रूप में लेखे में ली गई है।

iii. पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर प्राप्त किए जाने वालेबट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं:

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
एक वर्ष से कम	5211.01	5057.03
एक और दो वर्षों के बीच	2937.30	3482.23
दो और तीन वर्षों के बीच	2112.94	2150.22
तीन और चार वर्षों के बीच	1411.69	1742.33
चार और पांच वर्षों के बीच	214.67	1415.90
पांच वर्षों से अधिक	127.85	212.19

/k. ifjlifRr n;rk Ác/ku & ifjlifRr;k o n;rkvk dh dN enk dk ifjiDork Lo:i

¼yk[k #i, e½

31-03-2025 dk ;FkkfLFkfr	fuoy vfxe	fuo'k	m/kkj		fon'kh enk dh en	
			घरेलू	विदेशी	परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	53250.87	-	6876.13	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	19468.18	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	30743.49	-	137999.94	138.93	-	-
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	173872.52	-	-	23.66	-	-
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	-	-	162.59	-	-
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	-	-	650.36	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	-	-	-	650.36	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	940.20	-	2709.89	-	-

¼yk[k #i, e½

31-03-2024 dk ;FkkfLFkfr	fuoy vfxe	fuo'k	m/kkj		fon'kh enk dh en	
			घरेलू	विदेशी	परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	51177.20	-	63459.44	-	-	.
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	18717.60	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	27251.78	-	74500.00	133.55	-	-
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	162282.54	-	-	22.82	-	-
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	-	-	156.37	-	-

1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	-	-	-	625.48	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	1027.21	-	2972.28	-	-

(ये अग्रिम, किराया खरीद, पट्टाकरण, कच्चा माल सहायता, बिल बट्टाकरण, संयुक्त सावधि ऋण, सावधि ऋण, बैंक आदि से संबंधित है)।

n- foÙkh; foy[kd-

d½ iwath iwath

निगम के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में, निर्गत इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम और निगम के इक्विटीधारकों को प्रदान किए जाने योग्य अन्य सभी इक्विटी आरक्षित राशियाँ शामिल हैं। निगम के पूंजी प्रबंधन के प्राथमिक उद्देश्य, शेयर पूंजी की सुरक्षा और बचाव तथा शेयरधारक संपत्ति को अधिकतम बनाना है।

प्रबंधन, अत्यधिक उत्तोलन शक्ति से बचते हुए एक दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने की दृष्टि से निगम की पूंजीगत आवश्यकताओं का आकलन करता है। निगम, पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यवसाय वातावरण और सेक्टर के अंदर नकदी प्रवाह की स्थिति के आलोक में उपयुक्त विलेखों के जरिए निधियाँ जुटाता है। इसके अलावा, पूंजी पुनः संरचनाकरण के संबंध में, निगम, बोनस शेयरों के निर्गमन, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद आदि के संबंध में अन्य बातों के साथ–साथ ''केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनः संरचनाकरण'' पर निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए। दिशानिर्देशों द्वारा भी मार्गदर्शित होता है। निगम ने बाह्य रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत शर्तों का अनुपालन किया है।

विनियामक पूंजी संबंधी सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए प्रकटीकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंड, पूंजी को निम्नलिखित स्तरों पर बनाए रखने को अनिवार्य बनाते हैं।

निगम ने, रिपोर्टिंग अवधि में पूंजी की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

[k½ foÙkh; tksf[ke izcU/ku

निगम अनेक जोखिमों के प्रति आरक्षित है, जो ऐसे वातावरण में अंतर्निहित हैं, जिसमें वह प्रचालन करता है। निगम, एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है–

d½ ØfMV tksf[ke

(i) निगम, अपने ऋण प्रचालनों के जरिए प्राथमिक रूप से क्रेडिट जोखिम के प्रति आरक्षित है। नकदी और नकदी समतुल्य पर क्रेडिट जोखिम, सीमित है क्योंकि ये अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक सेक्टर बैंकों और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के साथ किए जाते हैं। जहाँ तक निवेशों का संबंध है, निगम का इक्विटी दस्तावेज़ों में बहुत कम निवेश है जो रणनीतिक स्वरूप का है। जिसके भाग का प्रावधान निगम ने पहले ही हानिकरण छूट के प्रति कर दिया है और शेष का उचित मूल्यांकन कर दिया है और उस पर हुए लाभ को लेखा–बहियों में लेखे में ले लिया है।

क्रेडिट जोखिमों के एक प्रभावी तरीके से प्रबंधन के लिए निगम ने एक मूल्यांकन तंत्र स्थापित कर दिया है, जिसमें मूलधन और ब्याज की धनराशि की समय से अदायगी सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिशानिर्देश दिए गए हैं। निगम, जोखिम की उस ध नराशि, जिसे वह अलग–अलग प्रति–पक्षकारों के लिए स्वीकार करने और उनके सकेंद्रण का इच्छुक है, पर सीमाएं निर्धारित करके और बैंकों से लेखे का संव्यवहार प्राप्त करके इन सीमाओं के संबंध में अरक्षितताओं को मॉनीटर करके क्रेडिट जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है।

निगम को, बैंक गारंटी के प्रति कच्चा माल सहायता योजना में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके कच्चे माल के प्रापण के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली क्रेडिट सहायता के हिसाब से क्रेडिट जोखिम होता है।

(ii) egÙiw.kZ vuqeku vkSj fu.kZ;

foÙkh; ifjlaifÙk;ksa dk gkfudj.k

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानिकरण प्रावधान, चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के बारे में अनुमानों पर आधारित है। निगम, समूह के पिछले इतिवृत्त और अन्य बैंकों के साथ खाते के संचालन, मौजूदा बाज़ार दशाओं और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अग्रदर्शी अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाने और हानिकरण के परिकलन में इनपुट का चयन करने में निर्णय का इस्तेमाल करता है।

भारतीय लेखांकन मानकों में पारगमन की तारीख को कोई कंपनी ऐसी तर्कसंगत और समर्थ योग्य सूचना का उपयोग करेगी, जो, उस तारीख, जिसकी वित्तीय दस्तावेज़ों को आरंभतः मान्यता दी गई थी, क्रेडिट जोखिम निर्धारित करने के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो और भारतीय लेखांकन मानकों के पारगमन की तारीख को जोखिम क्रेडिट के साथ इनका मिलान करेगी।

निगम ने भारतीय लेखांकन मानक–109 या भारतीय रिजर्व

बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्चतर प्रावधान के रूप में लेखा–बहियों में हानिकरण हानि (ईसीएल) को मान्यता देने की नीति अपनाई है।

निगम ने सभी ऋणों को तीन चरणों में वर्गीकृत किया है:

चरण 1 – निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति नहीं हुई)

चरण 2 – निम्न निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति हुई)

चरण 3 – गैर–निष्पादनशील (क्षति होने के उद्देश्यपरक साक्ष्य)

ईसीएल का परिकलन, पिछले दस वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

ईसीएल = चूक की संभाव्यता (पीडी) X हानि दी गई चूक (एलजीडी)

चूक की संभाव्यता (पीडी) का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों में कुल ऋण वृद्धि के प्रति पिछले 10 वर्षों में एनपीए के रूप में किया जाता है।

हानि दी गई चूक का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल एनपीए के प्रति पिछले 10 वर्षों के दौरान मूलधन की हानि के रूप में किया जाता है।

निगम, क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई मानता है, जब ऋणी 30 पिछले देय दिन (डीपीडी) पार कर लेता है परंतु 90 डीपीडी के अंदर है।

vif{kr gkfu dh fy, Áko/kku

Lrj	J.kh	J.kh dk foLrkj	iR;kf'kr ØfMV gkfu dh iko/kkudh ekU;rk dk vk/kkj _.k _.k
चरण 1	मानक परिसंपत्तियाँ, उच्चगुणवत्ता परिसंपत्तिया, नगण्य क्रेडिट जोखिम	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है या जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर कम क्रेडिट जोखिम है।	12 महीने का ईसीएल
चरण 2	वर्धित जोखिम परिसंपत्तियाँ या पर्याप्त जोखिम वाली परिसंपत्तियाँ	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन जिसमें हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं है।	आजीवन ईसीएल
चरण 3	हानिकृत परिसंपत्तियाँ	हानिकृत परिसंपत्तियाँ जिनके लिए रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है।	आजीवन ईसीएल

[kh½ ifj'kks/ku tkf[ke

परिशोधन ऐसा जोखिम है कि निगम के व्यवसाय क्रियाकलापों के लिए निधिकरण के उपयुक्त स्रोत संभवतः उपलब्ध न हों। निगम का उद्देश्य, अपनी नकदी की आवश्यताएँ पूरी करने के लिए परिशोधन का इष्टतम स्तर बनाए रखना है। निगम, अपनी परिशोधन स्थिति को निकटता से मॉनीटर करता है और जब कभी आवश्यक हो, अपनी अल्पावधि और दीर्घावधि निधि आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त स्रोत बनाए रखता है।

(i) foÙkik"k.k 0;oLFkk,a

निगम के पास, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई उधार सुविधाएं थीं:

fooj.k	31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr	31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr
vLFkk;h nj – एक वर्ष के अंदर समाप्त होने वाली (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएँ)	शून्य	शून्य

निगम के पास ब्याज की अस्थायी दर पर बैंकों से नकद क्रेडिट सुविधा है, जिसे हर वर्ष नवीकृत किया जाता है।

(ii) foÙkh; n;rkvksa dh ifjiDork :ijs[kk

नीचे दी गई सारणी में, निगम की वित्तीय देयताओं का सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए अपनी संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित सुसंगत परिपक्वता में विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए नकदी प्रवाहों के समय को समझने के लिए संविदात्मक परिपक्वताएँ आवश्यक हैं:–

सारणी में विगोपित धनराशियाँ, उनके रखाव शेषों के बराबर, 12 महीने के अंदर देय संविदात्मक अबट्टाकृत नकदी प्रवाह शेष है, क्योंकि बट्टाकरण का प्रभाव महत्त्वपूर्ण नहीं है:–

¼yk[k #i, e½

fooj.k	foÙkh; n;rkvksa dh lfonkRed ifjiDork,¡			foÙkh; n;rkvksa dh lfonkRed ifjiDork,¡		
	31 ekp] 2025			31 ekp] 2024		
	बैंक उधार	बाज़ार उधार	जोड़	बैंक उधार	बाज़ार उधार	जोड़
1 दिन से 30/31 दिनों तक (एक महीना)	**6876.13**	-	6876.13	**63459.44**	-	**63459.44**
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	-	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	**137999.94**	138.93	138138.37	**74500.00**	**135.21**	**74635.21**
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	-	23.66	23.66	-	**23.02**	**23.02**
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	162.59	162.59	-	**158.23**	**158.23**
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	650.36	650.36	-	**632.92**	**632.92**
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	-	650.36	650.36	-	**632.92**	**632.92**
5 वर्ष से अधिक	-	2709.89	2709.89	-	**2953.68**	**2953.68**

x½ cktkj tkf[ke

बाज़ार जोखिम ऐसा जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं– ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम। बाज़ार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज़ों में, ऋण और उधार शामिल हैं।

(i) fonsh eqnk tkf[ke

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है कि कार्यात्मक मुद्रा के अलावा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

निगम, मुख्यतः अपने विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित उधारों पर विनिमय मुद्रा जोखिम के प्रति आरक्षित है। निगम के विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित उधारों की रखाव धनराशि निम्नलिखित है:–

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr		31 ekp] 2023 dk ;FkkfLFkfr	
	fon'kh enk ¼;jks e½	dk;kRed enk e¼yk[k #i, e½	fon'kh enk ¼;jks e½	dk;kRed enk e¼yk[k #i, e½
केएफडब्ल्यू–XI	2219006.83	2093.63	2345807.21	2153.92
केएफडब्ल्यू–XII	1849853.97	1745.34	2017557.71	1852.52
आईएलसी	526567.66	496.82	576716.88	529.54

fon'kh enk tkf[ke ekuhVfjax vkj ipkyu&

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है।

fon'kh enk laosnu'khyrk fo'y"k.k

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है। इसलिए, कोई संवेदनशीलता विश्लेषण नहीं किया गया।

(ii) udnh izokg vkj mfpr eY; C;kt nj tkf[ke

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि वित्तीय दस्तावेज़ के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति निगम की अरक्षितता, प्राथमिक रूप से अल्पावधि उधारों से संबंधित है। बाज़ार ब्याज दर का अल्पीकरण, बाज़ार स्थितियों, कारणों आदि की उचित समीक्षा द्वारा किया जाता है। निगम के उधार, परिशोधित लागत पर लिए जाते हैं।

¼d½ C;kt nj tkf[ke vjf{krrk

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति निगम की अल्पावधि उधारों की अरक्षितता निम्नलिखित है:

fooj.k	31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr	31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr
परिवर्तनीय दर वाले उधार	3376.13	1459.44
निश्चित दर वाले उधार	141499.94	136500.00
dy m/kkj	**144876.07**	**137959.44**

¼[k½ laosnu'khyrk

चूंकि निगम के अधिकतम अल्पावधि उधार निश्चित लागतों वाले हैं, इसलिए वे भारतीय लेखांकन मानक–107 में यथापरिभाषित ब्याज दर जोखिम की शर्त के अधीन नहीं हैं क्योंकि न तो रखाव धनराशि में और न ही भावी नकदी प्रवाह में, बाज़ार ब्याज दरों में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

(iii) eY; tkf[ke

¼d½ vjf{krrk

इक्विटी प्रतिभूति मूल्य जोखिम, के प्रति निगम की आरक्षितता ओसीआई के जरिए उचित मूल्य के रूप में तुलन–पत्र में वर्गीकृत और निगम द्वारा रखे गए निवेशों से उत्पन्न होता है। हालांकि पोर्टफोलियो का अपवर्तन समूह द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार किया जाता है। तथापि निगम ने पिछले समय में केवल कुछ रणनीतिक निवेश ही किया है, जिसका भाग पूर्णतः हानिकृत किया गया है और पहले ही प्रावधान कर दिए गए हैं और शेष भाग को उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है तथा उसके लाभों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है।

¼[k½ laosnu'khyrk

निगम की इक्विटी में निवेश की बहुत कम धनराशि है और पिछले दो वर्षों में कोई संचलन नहीं हुआ है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, निगम ने इक्विटी में अपने उद्धृत निवेश को पहले ही उचित मूल्य पर मूल्यांकित कर दिया है और उसके लाभ को उचित ढंग से लेखे में ले लिया है और निवेश के शेष भाग के लिए पूर्णतः प्रावधान कर दिया है, इसलिए संवेदनशीलता का प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी दस्तावेज़ पर लाभों/हानियों के परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि/कमी होगी।

¼x½- mfpr eY; ekiu

निगम की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, में से कुछ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। निम्नलिखित सारणियाँ, इन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य पर मापे जाने के तरीके के बारे में सूचना देती हैं (विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों और इनपुटों के बारे में)।

mfpr eY; Øe&ijirijk

mfpr eY; ij eki x, vkj ekU;rk fn, x, foÙkh; foy[k ¼,QohVhvklhvkbl vkj ,QohVhih,y½A

¼yk[k #i, e½

fooj.k	mfpr eY; ij /kujkf'k		mfpr eY;Øe&ijirijk	eY; rduhdi vkj egÙoi.k bui\V
	31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr	31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr		
I. foÙkh; ifjlifÙk;k				
,QohVhvklhvkbl ij foÙkh; fuo'k				
–इक्विटी विलेखों में निवेश	237.65	415.83	स्तर 1	बाजार मूल्य उद्धृत
,QohVhih,y ij foÙkh; fuo'k				
tkM	**237.65**	**415.83**		
II. foÙkh; n;rk,	-	-		
tkM	-	-		

ifj'kkf/kr ykxr ij ekih xbl foÙkh; ifjlifÙk;k vkj n;rk,A

fooj.k	31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr		31 ekp] 2023 dk ;FkkfLFkfr		mfpr eY;Øe&ijirijk	eY; rduhdi vkj egÙoi.k bui\V
	ifj'kkf/kr eY;	mfpr eY;	ifj'kkf/kr eY;	mfpr eY;		
I. foÙkh; ifjlifÙk;k						
कंपनियों को ऋण/ एलएलपी	281009.88	281009.88	261319.43	261319.43	स्तर 3	प्रभावी ब्याज दर
कर्मचारियों को ऋण	31.58	13.58	39.55	39.55	स्तर 2	अनुलाभों के लिए एसबीआई दर पर एनपीवी
tkM	**281041.46**	**281041.46**	**261358.98**	**261358.98**		
II. foÙkh; n;rk,						
उधार	149211.86	149211.86	142495.42	142495.42	स्तर 3	प्रभावी ब्याज दर
tkM	**149211.86**	**149211.86**	**142495.42**	**142495.42**		

भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत उचित मूल्य मापन, उतनी मात्रा पर आधारित स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किए जाते हैं, जिस तक उचित मूल्य के प्रति इनपुट अवलोकन योग्य हैं और पूरी तरह उचित मूल्य मापन के प्रति इनपुटों का महत्त्व है, जिनका नीचे वर्णन किया गया है:

– स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) जिसे निगम, मापन की तिथि को प्राप्त कर सकता है।

– स्तर 2: स्तर–1 में शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, अन्य इनपुट, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

– स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अवलोकन योग्य इनपुट), जिन्हें निगम, मापन की तिथि को प्राप्त कर सकता है।

lHkh foÙkh; ifjlifÙk;k vkj n;rkvk dk j[kko eY; vkj mfpr eY; n'kkus okyh rkfydk

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr		31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr	
	ifj'kkf/kr eY;	mfpr eY;	ifj'kkf/kr eY;	mfpr eY;
I. foÙkh; ifjlifÙk;k				
– नकदी और नकदी समतुल्य	8561.65	8561.65	10243.06	10243.06
– बैंक शेष	49.93	49.93	50.27	50.27
– प्राप्ति योग्य	10023.24	10023.24	10994.77	10994.77
– ऋण एवं अग्रिम	281041.46	281041.46	261358.98	261358.98
– निवेश	940.20	940.20	1027.21	1027.21
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	650.72	650.72	756.98	756.98
tkM+	**301267.20**	**301267.20**	**284431.27**	**284431.27**
II. foÙkh; n;rk,				
& n;;	10186.27	10186.27	11986.32	11986.32
& m/kkj	149211.86	149211.86	142495.42	142495.42

नकदी और नकदी समतुल्य, प्राप्तियोग्य, भुगतानयोग्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देयताओं की रखाव धनराशियाँ, उनके स्वरूप के अल्पावधि होने के कारण उनके उचित मूल्यों के रूप में माना जाता है।

/k- lifÙk vkj nunkfj;k d rgr çR;{k d ifä oLr gr 12 eghus vkj mlls vfèkd d Hkhrj dh tkus okyh olyh@fuiVku dh vif{kr jkf'k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr			31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr		
	12 eghuk d Hkhrj	12 eghus ls vf/kd	tkM+	12 eghuk d Hkhrj	12 eghus ls vf/kd	tkM+
परिसंपत्तियाँ						
1. foÙkh; ifjlifÙk;k						
(क) नकद और नकद समतुल्य	8561.65	0.00	8561.65	10243.06	0.00	10243.06
(ख) नकद और नकद समकक्षों में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष	49.93	0.00	49.93	1.26	49.01	50.27

(ग) व्यापार प्राप्य	3566.61	6456.63	10023.24	7384.13	3610.64	10994.77
(घ) ऋण और अग्रिम	274573.51	6467.95	281041.46	251687.43	9671.55	261358.98
(ङ) निवेश	0.00	940.20	940.20	0.00	1027.21	1027.21
(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	650.72	0.00	650.72	188.18	568.80	756.98
d|y foÙkh; ifjlifUk;k¡ ¼1½	**287402.42**	**13864.78**	**301267.20**	**269504.06**	**14927.21**	**284431.27**
2. x|j&foÙkh; ifjlifUk;k¡						
(क) माल–सूची	9.55	0.00	9.55	9.08	0.00	9.08
(ख) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	0.00	3709.14	3709.14	0.00	3522.35	3522.35
(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.00	28918.14	28918.14	0.00	28627.81	28627.81
(ङ) चालू पूंजीगत कार्य	0.00	543.03	543.03	0.00	482.33	482.33
(च) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	35.65	35.65	0.00	35.65	35.65
(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	103.58	103.58	0.00	86.35	86.35
(ज) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	0.00	169.57	169.57	0.00	221.91	221.91
(झ) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ञ) अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3791.06	959.51	4750.57	2937.42	1179.99	4117.41
कुल गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ (2)	**3800.60**	**34438.63**	**38239.23**	**2946.50**	**34156.39**	**37102.89**
कुल परिसंपत्तियाँ (1+2)	**291203.02**	**48303.41**	**339506.43**	**272450.56**	**49083.60**	**321534.16**
n|;rk,¡						
1. foÙkh; n|;rk,¡						
(क) व्यापार प्राप्य	6091.71	4094.56	10186.27	7424.25	4562.07	11986.32
(ख) उधार	145201.25	4010.61	149211.86	138275.90	4219.52	142495.42
(ग) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) अन्य वित्तीय देयताएँ	5303.66	8767.49	14071.16	5796.07	7207.22	13003.29
d|y foÙkh; n|;rk,¡ ¼1½	**156596.62**	**16872.67**	**173469.29**	**151496.22**	**15988.81**	**167485.03**
2. x|j&foÙkh; n|;rk,¡						
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	246.13	0.00	246.13	708.33	0.00	708.33
(ख) प्रावधान	890.42	11831.46	12721.89	761.85	11135.25	11897.10
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) अन्य गैर–वित्तीय देयताएँ	5559.40	1328.96	6888.36	4500.82	2027.79	6528.61
d|y x|j&foÙkh; n|;rk,¡ ¼2½	**6695.96**	**13160.42**	**19856.38**	**5971.00**	**13163.04**	**19134.04**
d|y n|;rk,¡ ¼1$2½	**163292.58**	**30033.09**	**193325.67**	**157467.22**	**29151.85**	**186619.07**

u- ykHkka'k%

d- iLrkfor ykHkka'k% इस वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश निम्नलिखित हैं:

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
100–100 रुपए के इक्विटी शेयरों पर		
–प्रस्तावित लाभांश की धनराशि (लाख रुपए में)	4388.98	3796.73
–लाभांश दर (प्रतिशत)	30% कर अदायगी के बाद लाभ	30% कर अदायगी के बाद लाभ
–प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (रुपए)	8.23	7.12

निगम द्वारा प्रस्तावित लाभांश, निगम के वित्तीय विवरणों में बताए गए कर के बाद लाभ और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), आरबीआई, सेबी, डीपीई, आदि द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/परिपत्रों पर आधारित हैं। इसके अलावा, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय (डीआईपीएएम), भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार, उनके ओएम संख्या 5/2/2016–नीति दिनांक 18/11/2024 के अनुसार, एनबीएफसी जैसे वित्तीय क्षेत्र के सीपीएसई पीएटी के 30% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान कर सकते हैं।

निगम के निदेशक मंडल ने, वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में 4388.98 लाख रू. (8.23 रू. प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, यदि अनुमोदन कर दिया जाता है तो इस लाभांश के परिणामस्वरूप 4388.98 लाख रू. का नकद बहिर्वाह होगा।

इसके अलावा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित कारपोरेट लाभांश लेखांकन मानक (ए.एस.)–10 दिनांक, 30 मार्च, 2016 के कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 में संशोधनों के जरिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित तुलन पत्र की तारीख के पश्चात उत्पन्न आकस्मिकताएँ और घटनाएँ के अनुसार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात आगामी वर्ष में लेखे में लिया जाएगा।

निगम ने वित्त वर्ष 2024–25 में रु. 3796.73 लाख के लाभांश का भुगतान किया है जो वित्त वर्ष 2023–24 में प्रस्तावित किया गया था।

[k- lgk;d dEiuh l; ykHkk'k

वर्ष 2024–25 के दौरान, निगम को अपनी सहायक कंपनी मेसर्स एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) से वर्ष 2023–24 के लिए लाभांश के रूप में रु.112.40 लाख प्राप्त हुए।

i- gMrky iHkkfor dEifu;ksa d lkFk lEcèk

gMrky iHkkfor dEiuh dk uke	gMrky iHkkfor dEiuh d lkFk ynu dh ç–fr	cdk;k 'k"k ¼#- yk[k e½		gMrky ÁHkkfor dEiuh d lkFk lEcèk] ;fn dkbZ gks
		31.03.2025	31.03.2024	
	çfrHkfr;ksa esa fuos'k			
	– हड़ताल प्रभावित कंपनी के शेयरों में निवेश	-	-	-
-	प्राप्य	-	-	-
-	देय	-	-	-
-	हड़ताल प्रभावित कंपनी के साथ अटके हुए शेयर	-	-	-
-	अन्य बकाया शेष (विनिर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-

Q- fØIVk ;k vkHkklh eæk ij çdVhdj.k

निगम ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

c çekVl dh gkfYMx ij çdVhdj.k

निगम को भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास वर्ष की शुरुआत और अंत में निगम में 100 प्रतिशत इक्विटी हैं। इस प्रकार वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की इक्विटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

Hk- Hkkjrh; fjtoZ cSad d ekinMk d vuqlkj izdV fd, tkus d fy, vko';d vfrfjDr lpuk

d½ gkfudj.k vkjf{kr

दिनांक 13.03.2020 की भा.रि.बैं. की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी.पी. डी. संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर, इसलिए वित्तीय वर्ष 2019–20 से भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार ईसीएलस, को वित्तीय विलेखों पर हानि छूट के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, जहाँ भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूट, आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानकों (मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण से निम्नतर है, निगम ने यह अंतर अपने निवल करोपरांत लाभ से चालू वर्ष से संबंधित ßgkfudj.k vkjf{krÞ में और 01.04.2019 को यथास्थिति मौजूद धारित अर्जनों में से विनियोजित किया है। पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित में से किसी आहरण की अनुमति नहीं है।

चूंकि 31.03.2025 तक इंड एएस–109 के संदर्भ में क्षति भत्ता की राशि 12417.77 लाख रुपए (12399.36 लाख रुपए) है, जो आईआरएसीपी मानदंडों के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में 15887.68 लाख रुपए (15010.93 लाख रुपए) से कम है, इसलिए आईआरएसीपी मानदंड और इंड एएस–109 के तहत 3469.91 लाख (2611.57 लाख रुपए) की राशि के प्रावधान में अंतर को 31.03.2025 तक हानि आरक्षित के रूप में लेखांकित किया जाना है।

हालाँकि, 31.03.2025 को जिस हानि आरक्षित निधि का हिसाब लगाया जाना चाहिए, वह 31.03.2024 को पहले से ही विनियोजित हानि आरक्षित राशि से कम है, जो कि 4866.65 लाख रू. (4866.65 लाख रू.) है, इसलिए, पहले से ही विनियोजित हानि आरक्षित को उलटा नहीं किया गया है। 1396.74 लाख रू. (2255.08 लाख रू.) की सीमा तक निकासी की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, 31.03.2025 तक हानि आरक्षित को 4866.65 लाख रू.(4866.65 लाख रू.) पर बनाए रखा गया है।

ख. आईआरएसीपी के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूटों के बीच की गई तुलना:

foRrh; o"kZ 2024&25 ¼yk[k #i, e½

Hkk-fj-cSad d ekinMk d vuqlkj ifjlaifRr oxhZdj.k	Hkk-y-ek- 109 d vuqlkj ifjlaifRr oxhZdj.k	Hkk-y-ek- d vuqlkj ldy j[kko /kujkf'k	Hkk-y-ek- 109 d vrxZr ;Fkk vif{kr gkfu NV iko/kku	fuoy j[kko /kujkf'k	vkbZvkj, lhih d vuqlkj vif{kr iko/kku	Hkk-y-ek-&109 d iko/kku vkj vkbZvkj ,lhih ekinMk d chp vrj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
fu"iknu ifjlaifRr;k						
मानक	चरण 1	278448.85	1113.79	277335.06	983.38	130.41
	चरण 2					
उप जोड़		278448.85	1113.79	277335.06	983.38	130.41
xSj&fu"iknu ifjlaifRr;k ¼,uih,½						
उप मानक	चरण 3	**1131.07**	**1131.07**	**0**	**2518.56**	-1387.49
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3				1156.20	-1156.20

1 से 3 वर्ष तक	चरण 3				491.09	-491.09
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	9500.70	9500.70	0	10066.24	-565.54
संदिग्ध का उप जोड़		**9500.70**	**9500.70**	**0**	**11713.53**	**-2212.83**
हानि	चरण 3	**672.21**	**672.21**	**0**	**672.21**	**0**
एनपीए का उपजोड़		**11303.98**	**11303.98**	**0**	**14904.30**	**-3600.32**
अन्य मदें जैसे गारंटियाँ, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती।	चरण 1					
	चरण 2					
	चरण 3					
उप जोड़		-	-	-	-	-
जोड़	pj.k 1	278448.85	1113.79	277335.06	983.38	130.41
	pj.k 2	0	0	0	0	0
	pj.k 3	**11303.98**	**11303.98**	**0**	**14904.30**	**-3600.32**
	tkM+	**289752.83**	**12417.77**	**277335.06**	**15887.68**	**-3469.91**

foRrh; o"kZ 2023&24 ¼yk[k #i, e½

Hkk-fj-cSad ekinaMksa dh vuqlkj ifjlaifRr oxhZdj.k	Hkk-y-ek- 109 dh vuqlkj ifjlfiRr oxhZdj.k	Hkk-y-ek- dh vuqlkj ldy j[kko /kujkf'k	Hkk-y-ek- 109 dh vrxZr ;Fkk vif{kr gkfu NV ikos/kku	fuoy j[kko /kujkf'k	vkbZvkj, lhih dh vuqlkj vif{kr ikos/kku	Hkk-y-ek-&109 dh ikos/kku vkj vkbZvkj ,lhih ekinaMksa dh chp varj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
fu"iknu ifjlaifRr;k¡						
मानक	चरण 1	260470.98	1041.87	259429.11	926.18	115.69
	चरण 2					
उप जोड़		**260470.98**	**1041.87**	**259429.11**	**926.18**	**115.69**
xSj&fu"iknu ifjlaifRr;k¡ ¼,uih,½						

उप मानक	चरण 3	**1131.07**	**1131.07**	**0**	**2513.71**	**-1382.64**
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3				715.24	-715.24
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3				63.84	-63.84
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	9538.26	9538.26	0	10103.80	-565.54
lfnX/k dk mi tkM		**9538.26**	**9538.26**	**0**	**10882.88**	**-1344.62**
हानि	चरण 3	**688.16**	**688.16**	**0**	**688.16**	**0**
एनपीए का उपजोड़		**11357.49**	**11357.49**	**0.00**	**14084.75**	**-2727.26**
अन्य मदें जैसे गारंटियाँ, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती।	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप जोड़		-	-	-	-	-
tkM	pj.k 1	260470.98	1041.87	259429.11	926.18	115.69
	pj.k 2	0	0	0	0	0
	pj.k 3	11357.49	11357.49	0.00	14084.75	-2727.26
	tkM	**271828.47**	**12399.36**	**259429.11**	**15010.93**	**-2611.57**

x- Hkkjrh; fjtoZ cSad vf/kfu;e] 1934 dh /kkjk 45&vkbZlh dh vrxZr vkjf{kr fuf/k

निगम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईसी के तहत आवश्यकतानुसार आरक्षित निधि का सृजन कर रहा है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले शुद्ध लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत राशि स्थानांतरित करना आवश्यक है, तथा जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य को छोड़कर, आरक्षित निधि से कोई समायोजन करने की अनुमति नहीं है, और आगे इस तरह के किसी भी समायोजन को ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिनो के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिवेदित करना भी आवश्यक है।

इस वर्ष के दौरान धारा 45आईसी के अंतर्गत 2925.98 लाख रू. (2531.15 लाख रू.) की धनराशि की अन्य आरक्षित निधि सृजित की गई है, इस प्रकार 31.03.2025 को यथास्थिति कुल आरक्षित निधि 13847.00 लाख रू. (10921.02 लाख रू.) की हो गई है।

?k- jk"Vªh; y?kq m|ke fuos'k d`r m/kkjk d`r fy, ØsfMV jsVx ,tsfl;ksa }kjk nh xbZ jsfVx

निगम की बैंक सुविधाओं को केयर द्वारा "एए+" रेटिंग दी गई है जिसे वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्च स्तर की प्रतिभूति माना जाता है। उपरोक्त के अलावा, वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, निगम को क्रिसिल और एसीयूआईटीई के साथ वाणिज्यिक पेपर के लिए भी "ए1+" रेटिंग दी गई है, जिसे 'सुरक्षा की बहुत मजबूत डिग्री' माना जाता है।

3- "kkfLr;k&

I. आरबीआई द्वारा लगाई गई – शून्य

II. किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा लगाई गई रू 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, निगम द्वारा रू. शून्य (रू. शून्य लाख) की राशि की शास्ति को अदा किया गया है।

p- iwathxr i;kIrrk

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k			31 ekp] 2024 dk lekIr o"k			% ifjorZu
	ehVj	Hkkt d	%	ehVj	Hkkt d	%	
i) पूंजी से जोखिम भारित अनुपात (सीआरएआर)	133620.40	326157.94	40.97	122840.40	303904.40	40.42	0.55
ii) सीआरएआर – टियर I पूंजी	132506.61	326157.94	40.63	121798.53	303904.40	40.08	0.55
iii) सीआरएआर – टियर II पूंजी	1113.79	326157.94	0.34	1041.87	303904.40	0.34	0
iv) नगदी प्रवाह व्याप्ति अनुपात	8611.58	3866.40	223.73	10293.33	20074.43	51.28	172.45
v) टियर II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की धनराशि	-	-	शून्य	-	-	शून्य	-
vi) चिरस्थायी ऋण विलेखों के निर्गम द्वारा जुटाई गई धनराशि	-	-	शून्य	-	-	शून्य	-

d½ fuo'k% एनएसआईसी के पास भारत के बाहर कोई निवेश नहीं है। हालाँकि, निगम ने सहायक कंपनी मैसर्स एनवीसीएफल में 100 प्रतिशत अर्थात रु. 600 लाख और अन्य भारतीय कंपनियों में रु. 237.65 लाख का निवेश किया है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 से अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनवीसीएफएल द्वारा वर्तमान में धारित इकाइयों को समेकित करके आत्मनिर्भर भारत कोष (एसआरआई कोष) में अपने प्रत्यक्ष योगदान को बढ़ा दिया है। यह पुनर्आवंटन रु. 85.43 लाख की मूल अधिग्रहण लागत पर किया गया है और यह सेबी के दिशानिर्देशों पर आधारित एक नियामक अनुपालन उपाय का हिस्सा है।

एनएसआईसी ने 2024–25 के दौरान आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष में 0.057 इकाइयों के लिए रु. 5.74 लाख का योगदान दिया। 31.03.2025 तक कुल निवेश रु. 102.55 लाख (1.0255 इकाइयाँ) था, जिसमें एनवीसीएफएल से एसआरआई कोष की 0.85 इकाइयों का पुनर्आवंटन शामिल है, जो रु. 85.43 लाख है।

[k½ fuo'kksa dk vyx&vyx fooj.k

¼yk[k #i, e½

	fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
1	fuo'kksa dk eY;		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
¼d½	भारत में		
	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर	247.65	425.83
¼[k½	भारत से बाहर		
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
¼d½	भारत में	10.00	10.00

¼[k½	भारत से बाहर		
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
¼d½	भारत में	237.65	415.83
¼[k½	भारत से बाहर		
(2)	fuo'kk d ifr j[k x, iko/kkuk dk lpyu		
(i)	अथ शेष	10.00	10.00
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का पुरांकन/बट्टे खाते डालना	0.00	0.00
(iv)	अंत शेष	10.00	10.00
(3)	उद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि	237.65	415.83
	उद्धृत निवेशों का बाज़ार मूल्य	237.65	415.83
(4)	vu)'r fuo'kk dh lex /kujkf'k	712.55	621.38
(5)	fuo'kk d eY; e ?kVko d fy, lex iko/kku	10.00	10.00

x½ fuo'kk dk eY;kdu ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
i) निवेशों का सकल मूल्य	1128.38	926.14
ii) हानिकरण हानि के लिए छूट	10.00	10.00
iii) उचित मूल्य में परिवर्तन (निवल)	178.18	111.07
iv) निवेशों का उचित मूल्य	940.20	1027.21
fuo'k d mfpr eY; ifjoru e lpyu ¼fuoy½		
अथ शेष	415.83	304.76
जोड़ें: मूल्य में वृद्धि	-	111.07
घटाएं: मूल्य में कमी	178.18	-
अंत शेष	237.65	415.83

N- 0;qRifÙk;k ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
व्युत्पन्न विलेखों/उत्पादों की अरक्षितता	शून्य	शून्य

t- ifrHkkfrdj.k

d½ ifjlifÙk;k d ifrHkkfrdj.k d fy, ik;kftr ,lihoh d C;kj ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
प्रायोजित एसपीवी	शून्य	शून्य

[k½ ifjlifÙk iufuekZ.k dh fy, ifrHkfrdj.k@iufuekZ.k gsrq cph xbZ foÙkh; ifjlifÙk;ksa dk C;kSjk

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ] 2025 dks lekIr o"kZ	31 ekpZ] 2024 dks lekIr o"kZ
बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य

x½ fd, x, leuqn’ku ywuu dk C;kSjk

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ] 2025 dks lekIr o"kZ	31 ekpZ] 2024 dks lekIr o"kZ
किए गए समनुदेशन लेनदेन	शून्य	शून्य

?k½ [kjhnh xbZ@cph xbZ xSj&fu"iknu'khy foÙkh; ifjlifÙk;ksa dk C;kSjk

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ] 2025 dks lekIr o"kZ	31 ekpZ] 2024 dks lekIr o"kZ
खरीदी गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य
बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
1) बेचे गए खातों की संख्या		
2) समग्र बकाया		
3) प्राप्त किया गया समग्र प्रतिफल		
4) निवल अंकित मूल्य पर लाभ/हानि		

M½ ,uch,Qlh,l dh fy, Ldy vk/kkfjr fofu;eu dh rgr çdVhdj.k vko';drk,¡

आरबीआई अधिसूचना सं. आरबीआई/2022–23/26 डीओआर.एसीसी.आरईसी. संख्या 20/21.04.018/2022–23 दिनांक 19 अप्रैल, 2022, एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित नियमों के तहत प्रकटीकरण इस प्रकार है:

,Dlikstj

I. ith ckstkj {ks= esa ,Dlikstj ¼ldy½

¼yk[k #i, esa½

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनके कॉर्पस का निवेश अनन्य रूप से कॉरपोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	247.65	425.83

II. _.k vkSj vfxze dk {ks=h; ,Dlikstj

¼yk[k #i, esa½

lDVj	pkyw o"kZ			fiNys o"kZ		
	chth dk f[kykQ ljf{kr	lkekU;@vlqjf{kr dk fo#) ljf{kr	dqy	fo#) ljf{kr chth	lkekU;@vlqjf{kr dk fo#) ljf{kr	dqy
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	321.81	-	321.81	323.01	-	323.01
उद्योग						
खाद्य एवं खाद्य उत्पाद	4079.36	-	4079.36	3283.60	-	3283.60
कपड़ा	1834.62	207.06	2041.68	2493.46	207.06	2700.52
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	613.64	-	613.64	781.85	-	781.85

कागज एवं कागज उत्पाद	1016.68	-	1016.68	1124.66	-	1124.66
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	**144.67**	**-**	**144.67**	**144.23**	**-**	**144.23**
रबर एवं रबर उत्पाद	1938.25	43.68	1981.93	2356.28	43.68	2399.96
रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	3252.30	43.68	3295.98	2898.77	43.68	2942.45
गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	1560.06	-	1560.06	6445.35	-	6445.35
धातु उत्पाद	58841.94	451.54	59293.48	67208.55	522.04	67730.59
निर्माण	121454.72	142.95	121597.67	110716.05	142.95	110859.00
इलेक्ट्रिक मशीनें और उपकरण	33975.16	126.87	34102.03	25881.90	126.87	26008.76
परिवहन उपकरण/ऑटोमोबाइल	4812.40	31.23	4843.63	2429.43	31.23	2460.66
मुद्रण उद्योग	642.70	-	642.70	607.11	-	607.11
प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पाद	5291.62	173.87	5465.49	3948.98	173.86	4122.85
अन्य	30678.89	8710.83	39389.72	23350.22	8933.73	32283.95
m|kx dk d|y	**270137.01**	**9931.71**	**280068.72**	**253670.45**	**10225.11**	**263895.55**
l|ok,|	7195.90	-	7195.90	**6688.54**	**-**	**6688.54**
0;fäxr _.k	-	31.58	31.58	**-**	**39.55**	**39.55**
vU;	1131.67	215.49	1347.16	**-**	**-**	**-**
r|yu i= d| vu|kj	**278786.39**	**10178.78**	**288965.17**	**260681.99**	**10264.66**	**270946.64**

>- ykHk ,oa gkfu y|[k e| 0;; 'kh"kZ d| vrxZr n'kkZ, x, iko/kku vkj vkdfLedrkvksa dk vyx&vyx fooj.k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"kZ d| fy,	31 ekp] 2024 dk lekIr o"kZ d| fy,
क. निवेशों पर उचित मूल्य परिवर्तनों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ख. एनपीएज/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	580.06	907.80
ग. ऋणों की एनपीवी में घटाव के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
घ. निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ङ. मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
च. आय कर के प्रति किया गया प्रावधान	5150.00	4450.00
छ. अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (आस्थगित कर देयताएं)	(132.86)	(18.25)

¥- vfxeksa vkj xj&fu"iknu'khy ifjlifÙk;ksa ¼,uih,½ dk ldsUnz.k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"kZ d| fy,	31 ekp] 2024 dk lekIr o"kZ d| fy,
I. अग्रिमों का संकेंद्रण		
बीस बड़े ऋणियों को कुल अग्रिम	11906.76	11871.18
बीस बड़े ऋणियों को अग्रिम का प्रतिशत	4.11	4.37
II. एनपीए का संकेंद्रण		
शीर्ष चार एनपीएज के प्रति कुल अरक्षितता	924.41	924.41

¥- lDVj&okj ,uih, ¼ldy½ ¼yk[k #i, e½

Ø-l-	fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
1	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	शून्य	शून्य
2	एमएसएमई	11303.99	11357.49
3	कॉरपोरेट ऋणी	शून्य	शून्य
4	सेवाएँ	शून्य	शून्य
5	अप्रतिभूति व्यक्तिगत ऋण	शून्य	शून्य
6	ऑटो ऋण	शून्य	शून्य
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	शून्य	शून्य

V- ,uih,t dk lpyu ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
1) निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीएज (%)	-	-
2) ldy ,uih,t@lfnX/k _.kk dk lpyu		
(क) अथ शेष	11357.49	10970.10
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	490.30
(ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता	53.50	102.91
(घ) अंत शेष	11303.99	11357.49
3) fuoy ,uih,t@lfnX/k _.kk dk lpyu		
(क) अथ शेष	-	-
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
(ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता	-	-
(घ) अंत शेष	-	-
4) ,uih,@lfnX/k _.kk dh fy, iko/kku esa lpyu		
(क) अथ शेष	11357.49	10970.10
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	-	490.30
(ग) घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण	-	-
(घ) घटाएं: पुरांकित प्रावधान	53.50	102.91
(ङ) अंत शेष	11303.99	11357.49

M- vU; lpuk ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
i) सकल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियाँ		
संबंधित पक्षकार	-	-
संबंधित पक्षकारों के अलावा	11303.99	11357.49
ii)निवल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियाँ		
संबंधित पक्षकार	-	-
संबंधित पक्षकारों के अलावा	-	-

<- f'kdk;r

I. xkgd ,oa fuos'kd f'kdk;rksa

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
क. वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	5
ख. वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	17	15
ग. वर्ष के निवारण की गई शिकायतों की संख्या	16	15
3.1 एनबीएफसी द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या (क्रम संख्या 3 के अनुसार शिकायतों की संख्या में से)	शून्य	4
घ. वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	10	शून्य

लंबित शिकायत 9 अप्रैल, 2025 को बंद कर दी गई।

II. ,uch,Qlh dk xkgdksa ls çkIr f'kdk;rksa dk 'kh"kZ ikp vk/kkj

f'kdk;rksa dk vk/kkj ¼vFkkZr f'kdk;rksa dk dkj.k½	o"kZ ds "kq: esa yfcr f'kdk;rksa dh la[;k	o"kZ ds nkjku ikIr f'kdk;rksa dh la[;k	fiNys o"kksZa esa ikIr f'kdk;rksa dh la[;k esa of)@deh dh ifr'krrk	o"kZ ds vUr esa yfcr f'kdk;rksa dh la[;k	dkye 5 esa ls ,slh f'kdk;rksa dh la[;k tks 30 fnu ls vf/kd le; ls yfcr gSa
1	2	3	4	5	6
31 ekp] 2025 dk lekIr o"kZ					
ग्राउंड–1(एनएसएसएच)	-	4	0%	-	-
ग्राउंड – 2 एसपीआरएस	-	3	0% बढ़ोतरी	-	-
ग्राउंड – 3 (आरएमए सिबिल स्कोर)	-	3	200% बढ़ोतरी	1*	-
ग्राउंड – 4(आरएमडी)	-	1	100% बढ़ोतरी	-	-
ग्राउंड – 5 i एमएसएमई मार्ट ii.एमएसएमई डाटाबैंक iii. निविदा iv. प्रशिक्षण v. मानव संसाधन vi. हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जनशक्ति	-	प्रत्येक श्रेणी में 1	i. 0% ii. नई श्रेणी iii. नई श्रेणी iv. 0% v. 0% vi. 50% घटाना	-	-
कुल	-	17		1*	-

31 ekp] 2024 dk lekIr o"k					
ग्राउंड–1 एससीएसटी हब	-	4	90.32% की कमी	-	-
ग्राउंड–2 एसपीआरएस	-	3	78.57% की कमी	-	-
ग्राउंड–3 आउटसौर्स मैनपावर	-	2	33.33% की कमी	-	-
ग्राउंड–4 एमएसएमईमार्ट	-	1	83.33% की कमी	-	-
ग्राउंड– 5 **i.** पीबीजी **ii.** उपहार **iii.** कर्मचारी की शिकायत **iv.** शुल्क वापसी **v.** सिबिल स्कोर	-	प्रत्येक श्रेणी में 1	सभी नई श्रेणियाँ	-	-
कुल	-	15		-	-

* लंबित शिकायत 9 अप्रैल 2025 को बंद कर दी गई

iii 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान उचित व्यवहार संहिता के तहत उधारकर्ताओं से निगम को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ण) किसी जमा स्वीकार न करने वाली गैर–वित्तीय कंपनी (यथासंशेधित, दिनांक 01 सिंतबर, 2016 के मास्टर निर्देश डीएनबीआर. पीडी.008/03.10.119/2016–17 के अंतर्गत जारी किए गए, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 18 के अनुसार यथा अपेक्षित) के तुलन–पत्र की अनुसूची

देयताएँ पक्ष

1) उन पर उपार्जित ब्याज सहित गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए परंतु भुगतान न किए गए ऋण और अग्रिम:

fooj.k		31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr		31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr	
		cdk;k /kujkf'k	vfrn; /kujkf'k	cdk;k /kujkf'k	vfrn; /kujkf'k
(क)	डिबेंचर	-	-	-	-
(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-	-	-
(ग)	सावधि ऋण	4335.79	-	4535.98	-
(घ)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार	-	-	-	-
(ङ)	वाणिज्यिक पेपर	-	-	-	-
(च)	सार्वजनिक जमा	-	-	-	-
(छ)	अन्य ऋण				
	बैंक ओवरड्राफ्ट, नकद क्रेडिट एवं कार्यशील पूंजी मांग ऋण	144876.07	-	137959.44	-

2½ Åij 1¼p½ ¼mu ij mikft[kr C;kt lfgr cdk;k ijr¡ Hkqxrku u dh xbZ lko/kfud tek jkf'k;k¡ dk vyx&vyx fooj.k%

&ykxw ugh&

ifjlaifRr i{k

3½ ikfIr;kaX; fcyksa lfgr ¿uhp ¼4½ esa “kkfey fd, x, dk vykoÀ _.kksa vkj vfxesa dk vyx&vyx fooj.k

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	cdk;k /kujkf'k	
	31 ekpZ] 2025 dks ;FkkfLFkfr	31 ekpZ] 2024 dks ;FkkfLFkfr
(क) प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	-	-
(ख) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए (प्रावधान के पश्चात निवल)	277335.06	259429.11
(ग) अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	-	-

4½ ,,Qlh fØ;kdykiksa dh ifr fxuh tkus okyh fdjk;k vkj cV~kd&i= dh _.kksa ij iêh ij nh xbZ ifjlaifÙk;ksa vkj LVkd dk vyx&vyx fooj.k

&ykxw ugh&

5½ fuos'kksa dk vyx&vyx fooj.k ¼?kVko dk NkaMdj fuoy½%

विवरण		बकाया धनराशि	
		31 मार्च, 2025 को यथास्थिति	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति
चालू निवेश			
1	m)r		
(i)	शेयर	शून्य	शून्य
(क)	इक्विटी		
(ख)	वरीयता		
(ii)	डिबेंचर और बांड		
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें		
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
(v)	अन्य		
2	vu)r		
(i)	शेयर		
(क)	इक्विटी	शून्य	शून्य
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य

(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	शून्य	शून्य
nh?kkof/k fuo'k			
1	m)'r		
(i)	शेयरः		
(क)	इक्विटी (उचित मूल्य)	237.65	415.83
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	शून्य	शून्य
2	vu)'r		
(i)	शेयरः		
(क)	इक्विटी (हानिकरण के पश्चात निवल)	600.00	600.00
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	102.55	11.38

6½ Åij ¼3½ vkj ¼4½ e fn, x, vu|kj foÙkikf"kr ifj|ifÙk;k dk _.kh leg&okj oxhdj.k

¼yk[k #i, e½

J.kh		31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr			31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr		
		ifrHkr ¼iko/kku d i'pkr fuoy½	cd@ljdkjh xkjfV;k }kjk doj fd;k x;k ¼iko/kku d i'pkr fuoy½	vifrHkr ¼iko/kku d i'pkr fuoy½	ifrHkr ¼iko/kku d i'pkr fuoy½	cd@ljdkjh xkjfV;k } kjk doj fd;k x;k ¼iko/kku d i'pkr fuoy½	vifrHkr ¼iko/kku d i'pkr fuoy½
1	l|cf/kr i{kdkj						
(क)	आर्थिक सहायता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	उसी समूह में कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	l|cf/kr i{kdkjk d vykok	शून्य	277335.06	शून्य	शून्य	259429.11	शून्य

7. शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरणः

¼yk[k #i, e½

J.kh		31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr		31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr	
		mfpr eY;	vfdr eY;	mfpr eY;	vfdr eY;
1	संबंधित पक्षकार				
(क)	आर्थिक सहायता	600.00	600.00	600.00	600.00
(ख)	उसी समूह में कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	102.55	102.55	11.38	11.38
2	संबंधित पक्षकारों के अलावा	237.65	237.65	415.83	415.83

5 वर्ष के दौरान, निगम ने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)/नवाचार पर रु. 457.02 लाख (रू. 321.60) का व्यय किया है।

6. 31.03.2025 (पिछले वर्ष शून्य) तक कोई बिल नहीं किया गया (व्यापार देय और व्यापार प्राप्य) नहीं है।

7. आरबीआई के दिनांक 18 अगस्त, 2023 के परिपत्र DoR-MCS-REC-28/01-01-001/2023–24 के अनुसार, यदि उध ारकर्ताओं द्वारा ऋण अनुबंध के मूल नियमों और शर्तों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे "दंडात्मक शुल्क" माना जाएगा और "दंडात्मक ब्याज" के रूप में नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया है कि "दंडात्मक शुल्क" का कोई पूंजीकरण नहीं होगा, अर्थात 01.04.2024 के बाद ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

   तदनुसार, "विलंबित भुगतान पर ब्याज" को पूंजीकरण सहित "दंडात्मक ब्याज" के रूप में वसूलने की नीति दिनांक 01.04.2024 से समाप्त कर दी गई है। 01.04.2024 से "दंडात्मक शुल्क" की अवधारणा शुरू की गई और आरबीआई के उपरोक्त परिपत्र के अनुरूप ऋण अनुबंध की भौतिक शर्तों और नियमों का पालन न करने पर उधारकर्ताओं पर रू. 3452.34 लाख (शून्य) का दंडात्मक शुल्क लगाया गया है।

8. सभी धनराशियां लाख रुपयों में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

9. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

10. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्गठित किया गया है।

****

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

[lhvkbZ,u u-% U74140DL1955GOI002481]

31-03-2025 dks lekIr o"kZ dh fy, ykHk ,oa gkfu ¼okf.kT;½ dk ,dy fooj.k

¼yk[k #i, esa½

fooj.k		ukV lwpuk	31.03.25 lekIr o"kZ dh fy,	31.03.24 lekIr o"kZ dh fy,
I	jktLo			
क	प्रचालनों से राजस्व			
	उत्पादों की बिक्री	21	290771.56	276408.88
	सेवाओं की बिक्री	21	8575.65	8114.83
	किराये की आय		6061.71	5463.90
	ब्याज आय	21	29294.84	32021.02
	शुल्क और कमीशन आय	21	4378.19	4829.27
	[इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 4378.19 लाख रू. (4829.27 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 1143017.44 लाख रू. (1168413.63 लाख रू.)] शामिल है।			
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध लाभ		0.00	0.00
	परिशोधित लागत श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय साधनों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध लाभ		0.00	0.00
	अन्य परिचालन आय	21	4038.51	479.66
	Ápkyu ls dqy jktLo		**343120.46**	**327317.56**
ख	अन्य आय	22	193.90	278.90
ग	लांभाश आय		112.40	91.10
घ	अनुदान और सब्सिडियां	23	0.00	0.00
	dqy jktLo ¼d $ [k $ x½		**343426.76**	**327687.56**
II	0;;			
	उत्पादों की खरीद	24	289070.32	275064.83
	माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	14249.01	13757.32
	वित्त लागतें	27	10744.19	11479.20
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	980.28	842.91
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	309.65	288.89
	अन्य व्यय	30	8397.31	9132.65
	शुल्क और कमीशन व्यय	34	59.82	71.29
	dqy 0;;		**323810.58**	**310637.09**
III	आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ		**19616.18**	**17050.47**
	असाधारण मदें (टिप्पणी–35 की बिंदु संख्या 4एफबी) देखें)		-0.74	-13.18
IV	dj iwoZ ykHk		**19616.92**	**17063.65**
	dj 0;;	31		
	वर्तमान कर		5150.00	4450.00
	आस्थगित कर		-132.86	-18.25
	पूर्ववर्ती वर्ष		-30.14	-23.87
V	dqy dj 0;;		**4987.00**	**4407.88**
VI	py jgs izpkyuksa ls vof/k dh fy, dj&Ik'pkr ykHk		**14629.92**	**12655.77**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00

X	vof/k dk ykHk		**14629.92**	**12655.77**
XI	vU; 0;kid vk;			
क	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-178.17	111.07
	ऐसी मदें, जो लाभ या हानि–सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		-36.09	-15.56
	उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		53.93	-24.04
	mi&tkM ¼d½		**-160.33**	**71.47**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	mi&tkM ¼[k½		**0.00**	**0.00**
	vU; 0;kid vk; ¼d $ [k½		**-160.33**	**71.47**
XII	vof/k d fy, d y foLr`r vk; (X+XI) ¼ykHk@gkfu lfgr½ vkj vof/k d fy, vU; 0;kid vk;		**14469.59**	**12727.24**
XIII	ifr bfDoVh 'k;j vt u ¼lrr ipkyuk l½	**32**		
	मूल (रु.)		27.45	23.74
	न्यूनीकृत (रु.)		27.45	23.74
XIV	vkdfLed ifrc)rk,a	**33 (i)**	**6468.69**	**4436.53**
XV	ithxr ifrc)rk,a	**33 (ii)**	**1201.37**	**789.84**
	y[kkvk ij vU; fVIif.k;k	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

blh rkjh[k dk gekjh lyXu fjikVZ d vuqlkj
, ih vkj , ,.M ,lkfl,V ,y,yih
lunh y[kkdkj
Qe ithdj.k l-a 011078,u@,u500064

g-
¼lh, v:.k dekj xIrk½
lk>nkj
lnL;rk l-a 089657
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025
यूडीआईएन नः 25089657बीएमएमएमएक्सवाई9945

fun'kd eMy d fy, vkj dh vkj l

g-
xkjo xyVh
fun'kd ¼foRr½
[Mhvkb,u: 10144109]

g-
Mk- 'kHkk'k 'k[kj vkpk;
v/;{k ,o ic/k fun'kd
[Mhvkb,u: 06727939]

g-
ikFk ek>h
ofj"B egkçc/kd ¼foÙk½

g-
fu"Bk xk;y
dmiuh lfpo
lnL;rk l[;k ,22768

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

[lhvkbZ,u u-% U74140DL1955GOI002481]

31-03-2025 dks lekIr o"kZ dh fy, ykHk ,oa gkfu ¼la'kks/kukRed½ dk ,dy fooj.k

¼yk[k #i, esa½

fooj.k		ukV la[;k	**31.03.25** lekIr o"kZ dh fy,	**31.03.24** lekIr o"kZ dh fy,
I	jktLo			
क	प्रचालनों से राजस्व			
	उत्पादों की बिक्री	**21**	0.00	0.00
	सेवाओं की बिक्री	**21**	0.00	0.00
	किराये की आय		0.00	
	ब्याज आय	**21**	0.00	0.00
	शुल्क और कमीशन आय	**21**	0.00	0.00
	अन्य परिचालन आय	**21**	0.00	0.00
	Ápkyu ls dqy jktLo		**0.00**	**0.00**
ख	अन्य आय	**22**	0.00	0.00
ग	लांभाश आय		0.00	0.00
घ	अनुदान और सब्सिडियां	**23**	8973.87	13827.28
	dqy jktLo ¼d $ [k $ x $?k½		**8973.87**	**13827.28**
II	0;;			
	उत्पादों की खरीद	**24**	0.00	0.00
	माल–सूचियों में परिवर्तन	**25**	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	**26**	380.42	358.39
	वित्त लागतें	**27**	0.00	0.00
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**28**	0.00	0.00
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	**29**	0.00	0.00
	अन्य व्यय	**30**	8593.45	13468.89
	शुल्क और कमीशन व्यय	**34**	0.00	0.00
	dqy 0;;		**8973.87**	**13827.28**
III	आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ		**0.00**	**0.00**
	असाधारण मदें		0.00	0.00
IV	dj iwoZ ykHk		**0.00**	**0.00**
	dj 0;;	**31**		
	वर्तमान कर		0.00	0.00
	आस्थगित कर		0.00	0.00
	पूर्ववर्ती वर्ष		0.00	0.00
V	dqy dj 0;;		**0.00**	**0.00**
VI	py jgs ipkyuksa ls vof/k dh fy, dj&Ik'pkr ykHk		**0.00**	**0.00**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	vof/k dk ykHk		0.00	0.00
XI	vU; 0;kid vk;			
क	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.00	0.00
	ऐसी मदें, जो लाभ या हानि–सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		0.00	0.00

	उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.00	0.00
	mi&tkM% ¼d½		**0.00**	**0.00**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	mi&tkM% ¼[k½		**0.00**	**0.00**
	vU; 0;kid vk; ¼d $ [k½		**0.00**	**0.00**
XII	vof/k d fy, d y foLr r vk; **(X + XI)** ¼ykHk@gkfu lfgr½ vkj vof/k d fy, vU; 0;kid vk;		**0.00**	**0.00**
XIII	ifr bfDoVh 'k;j vt u ¼lrr ipkyuk l½	**32**		
	मूल (रु.)		0.00	0.00
	न्यूनीकृत (रु.)		0.00	0.00
XIV	vkdfLed ifrc) rk,a	**33 (i)**	0.00	0.00
XV	iathxr ifrc) rk,a	**33 (ii)**	0.00	3.35
	y[kkvk ij vU; fVIif.k;k	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

blh rkjh[k dk gekjh lyXu fjikV dk vuqlkj
, ih vkj , ,.M ,lkfl,V ,y,yih
lunh y[kkdkj
Qe ithdj.k l-a 011078,u@,u500064

g-
¼lh, v:.k dekj xIrk½
lk>nkj
lnL;rk l-a 089657
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025
यूडीआईएन नः 25089657बीएमएमएमएक्सवाई9945

fun'kd eMy d fy, vkj dh vkj l

g-
xkjo xykVh
fun'kd ¼foRr½
[Mhvkb,u: 10144109]

g-
ikFk ek>h
ofj"B egkçc/kd ¼foÙk½

g-
Mk- 'kHkk'k 'k[kj vkpk;
v/;{k ,o ic/k fun'kd
[Mhvkb,u: 06727939]

g-
fu"Bk xk;y
diuh lfpo
lnL;rk l[;k ,22768

31 ekp] 2025 dk lekIr o"kZ d fy, jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM d foÙkh; fooj.kksa ij dsiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼6½¼[k½ d v/khu Hkkjr d fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनकी दिनांक 22 जुलाई, 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए बताया गया है कि ऐसा कर दिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकंन रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, तथा मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी का कारण बनती हो अथवा इसका पूरक बनती हो।

Hkkjr d fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd d fy, vkj dh vkj ls

g-@&
¼Mk- iou dqekj dkUMk½
vk, lMh
¼m|ksx vkj dkikjsV ekeys½
ubZ fnYyh

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad% 26 flrEcj] 2025

Lor= y[kkijh{kdk dh fjikV

l[ok e]

jk"Vªh; y?kq m|kx fuxe fyfeVM dk lnL;k

Hkkjrh; y[kk ekud lefdr foRrh; fooj.kksa dh y[kk&ijh{kk ij fjikV

हमने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (इसके बाद ''होल्डिंग कंपनी'' के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ ''समूह'' के रूप में जाना जाता है) के समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है।), जिसमें दिनांक 31 मार्च 2025 को समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण शामिल है और नोट्स सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश सहित वित्तीय विवरण शामिल हैं। (जिन्हें इसमें आगे समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और सहायक कंपनी की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार के आधार पर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण दिए गए हैं कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा आवश्यक तरीके से आवश्यक जानकारी और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (''आईएनडी एएस'') के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करें। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत, 31 मार्च 2025 तक समूह के मामलों की समेकित स्थिति, इसके समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), में समेकित परिवर्तन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी और समेकित नकदी प्रवाह।

jk; dk vkèkkj

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (''एसएएस'') के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ–साथ अधिनियम के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं। इसके तहत बनाए गए नियमों और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य ऑडिटरों द्वारा नीचे अन्य मामले अनुभाग में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

ekeyksa ij tksj nuk

हम समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के नोट 35 के पैरा 4–I की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो कि अतिरिक्त प्रावध ाान के संबंध में है, जो कि केएफडब्ल्यू XII की मूल ऋण राशि से अधिक था।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

çeq[k y[kkijh{kk ekey

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय और सहायक कंपनी के अलग–अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक (आईएसए) वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित भारतीय लेखा मानक (आईएसए) वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक गैर–सूचीबद्ध कंपनी है।

lefdr foÙkh; fooj.kksa vkj mu ij y[kkijh{kk fjikV dk vykok lpuk

अन्य सूचना के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में, प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष का कथन शामिल की गई सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। भारतीय लेखाकंन मानक समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी, ऊपर पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है, जब यह उपलब्ध हो और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना भारतीय लेखाकंन मानक समेकित वित्तीय विवरणों के या लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी के साथ सारवान रूप से सुसंगत है या अन्यथा सारवान रूप से अयथार्थ विवरण देने के रूप में प्रतीत होती है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो, तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी अधिकारियों को सूचित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

lefdr Hkkjrh; y[kkdu ekud foÙkh; fooj.kksa d fy, çc/ku vkj 'kklu d ifr mRrjnk;h 0;fDr;ksa dh ftEenkfj;k

ये समेकित वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों सहित में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में निगम की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, जो समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इन वित्तीय विवरणों का उपयोग होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भारतीय लेखाकंन मानक समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल, के चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का इस्तेमाल करने, जब तक निदेशक मंडल या तो निगम के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

निदेशक मंडल समूह में शामिल कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

lefdr Hkkjrh; y[kkdu ekud foÙkh; fooj.kksa dh y[kkijh{kk d fy, y[kkijh{kdksa dh ftEenkfj;k

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे भारतीय लेखाकंन मानक समेकित वित्तीय विवरण, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण, और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्चस्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग–अलग या स्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूकें, मिथ्यनिरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।

- ऐसी लेखपरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने की दृष्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।

- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित विगोपनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के इस्तेमाल की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता पर महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ये विगोपन हमारी राय संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां निगम के लिए एकचल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।

- विगोपनों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण, किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के ऑडिट के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका ऑडिट अन्य ऑडिटरों द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य ऑडिटर उनके द्वारा किए गए ऑडिट के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी ऑडिट राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्त्वपूर्ण कमी, जिसका पता हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथपत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्कसंगत समझे जाते हैं और जहाँ लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ संसूचित मामलों से हम ऐसे मामले निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा के मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं। जब तक कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक विगोपन से विवर्जित नहीं करते या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यह आशा है कि वे इस संसूचन के सार्वजनिक हित लाभ को तर्कसंगत ढंग से समाप्त कर देंगे।

vU; ekey

समेकित वित्तीय विवरणों में इसकी सहायक कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2025 को 1706.80 लाख की कुल संपत्ति (समेकन समायोजन से पहले), 820.99 लाख का कुल राजस्व (समेकन समायोजन से पहले), कुल शुद्ध दर्शाते हैं। उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पहले) रू. 418.15 लाख, कुल व्यापक आय रू. 418.09 लाख और शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह (समेकन समायोजन से पहले) रू. 78.01 लाख, जिनका इसके स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया गया है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह सहायक कंपनी के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं पर आधारित है जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में बताया गया है।

2. मने निगम के वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए उन 54 शाखा कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के अकेले वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं, 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार 3,31,093.26 लाख रू. और उस तारीख को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में यथानिर्धारित 3,36,449.51 लाख रुपए का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसाकि वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचनाओं की लेखापरीक्षा उन स्वतंत्र लेखापरीक्षकों जिनकी नियुक्ति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की

गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय, जहाँ तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटनों का संबंध है, यह पूर्णतः उन शाखाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों और उनकी रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

vU; fof/kd vkj fofu;ked vi{kkvksa ij fjikVZ

1. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर और सहायक कंपनी के अलग–अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर अन्य ऑडिटरों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और मांगे हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त भारतीय लेखाकंन मानक समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया गया है, जहाँ तक उन लेखा बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का भारतीय लेखाकंन मानक समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उद्देश्य के लिए तैयार किए गए लेखा बहियों की प्रासंगिक प्रलेखों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त भारतीय लेखाकंन मानक समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों और उसके तहत जारी प्रासंगिक नियम का अनुपालन करते हैं।

(ड़) अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463(ई) दिनांक 5 जून 2015, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(च) समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया अनुबंध "क" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463(ई) दिनांक 5 जून 2015, निदेशकों को पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। और

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

(i) निगम ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33 देखें।

(ii) निगम के पास व्युत्पत्ति संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं थी, जिनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण अनुमानित हानियां थीं।

(iii) कोई ऐसी राशियाँ नहीं थीं, जिन्हें निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

(iv) (क) संबंधित प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं सहित ('मध्यवर्ती संस्थाएँ'), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा किसी भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम तौर पर दिया या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि से, या शेयर प्रीमियम, या किसी अन्य स्रोत, या किसी प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है, कि मध्यवर्ती संस्था; 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ('अंतिम लाभार्थियो') उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा 'अंतिम लाभार्थियों' को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा;

(ख) समूह कंपनियों के संबंधित प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन दिया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्था (पोषक पार्टियां') शामिल है, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थियो') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी, और

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें उन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ

भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदित, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण प्रदान किया गया है।

(v) वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में लागू सीमा से संबंधित लाभांश की घोषणा और भुगतान किया है।

(vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच और अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए तकनीकी केंद्रों सहित 54 शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट पर विचार करना शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जो इसमें ऑडिट ट्रेल रिकॉर्डिंग (लॉग संपादित करें) सुविधा की सुविधा है और यह लेखांकन सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होती है। अपनी प्रक्रियाओं के निष्पादन के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

इसके अतिरिक्त, रिकार्ड संरक्षण हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

2. कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश''/''सीएआरओ'') के पैराग्राफ 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। अधिनियम, ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों के संबंधित ऑडिटर द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर, जिस पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करें: समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की CARO रिपोर्ट में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियाँ, योग्यताएँ या प्रतिकूल टिप्पणियाँ हैं:

Ø-l-	bdkbZ dk uke	çfr lEc/kh	lh,vkjvkbZ fjikVZ dh [kM l[;k tks ;kX; gS ;k çfrdwy gS
1	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	i(ग), iii(घ) & vii(ख)
2	एनएसआईसी वेंचर केपिटल फंड लिमिटेड	सहायक	-

, ih vkj , ,oa ,lkfl,V~l ,y,yih
lunh y[kkdkj
¼Qe~l iathdj.k l- % 011078,u@,u 500064½

lh, v:.k dqekj xqIRkk
lk>snkj
lnL;rk l- 089657
;Mhvkbu% 25089657ch,e,e,Dl tM4270

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad% 22-07-2025

31 ekpZ 2025 dks lekIr o"kZ ds fy, lefdr foÙkh; fooj.k ij leg ds lnL;ksa dks Lorarr y[kk ijh{kd dh fjikVZ esa lnfHkkr vuqPNsn *

¼gekjh le fnukad dh fjikVZ ds 'vU; dkuwuh vkj fofu;ked vko';drkvksa ij fjikVZ' vuqHkkx ds varxZr ijk 1¼,Q½ esa lnfHkkr½

dEiuh vf/kfu;e] 2013 ¼^^vf/kfu;e^^½ dh /kkjk 143 dh mi&/kkjk 3 ds [kaM ¼i½ ds rgr vkarfjd foÙkh; fu;a=.k ij fjikVZ

geus jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM ¼bldh ckn ^^gkfYMx dEiuh^^ ds :i esa lnfHkkr½ vkj bldh lgk;d dEiuh ,u,lvkbZlh oSpj dSfiVy QaM fyfeVsM ¼gkfYMx dEiuh vkj bldh lgk;d dEiuh dks ,d lkFk ^^gkfYMx dEiuh^^ ds :i esa tkuk tkrk gS½ dh foÙkh; fjikfVZx ij vkarfjd foÙkh; fu;a=.k dk vadsfMV fd;k gSA leg ß½ 31 मार्च 2025 तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संयोजन में।

vkarfjd foÙkh; fu;a=.kksa ds lEc/k esa Áe/kkud&ox dh ftEesnkjh

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्व ारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत के सनदी लेखाकार ('आईसीएआई')। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

y[kkijh{kdksa dh ftEesnkjh

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय निगम के आंतारिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्त्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षणों के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

foÙkh; fjikfVZx ij vkarfjd foÙkh; fu;a=.kksa ls rkRi;Z

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं:

(1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो,

(2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक लेन–देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को कंपनी के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है, और

(3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में

उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

foÙkh; fjkfVx ij vkrfjd foÙkh; fu;a=.kksa dh fufgr lhek,a

प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

jk;

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, समूह ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो ष्भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडोंष पर आधारित थे।

vU; ekeys

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट तकनीकी केंद्रों और सहायक कंपनी सहित 54 शाखा कार्यालयों के वित्तीय विवरणों से संबंधित है, जिनका ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, ऐसी शाखाओं/सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

, ih vkj , ,oa ,lkfl,V~l ,y,yih
lunh ys[kkdkj
¼Qe~l iathdj.k l-a % 011078,u@,u 500064½

lh, v:.k dqekj xqIRkk
lk>snkj
lnL;rk l-a 089657
;Mhvkbu u% 25089657ch,e,e,Dlt~M4270

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad% 22-07-2025

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

[lhvkbZu u-% U74140DL1955GOI002481]

31-03-2025 dks ;FkkfLFkfr lefdr r|yu&i=

¼yk[k #i, esa½

fooj.k		uksV la[;k	31.03.25 lekIr o"kZ dk fy,		31.03.24 lekIr o"kZ dk fy,	
	ifjlaifÙk;k					
1	foÙkh; ifjlaifÙk;k					
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	3	8680.32		10283.72	
(ख)	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	4	1419.01		1072.35	
(ग)	व्यापार प्राप्य	5	9955.86		10994.77	
(घ)	ऋण एवं अग्रिम	6	281041.46		261358.98	
(ड़)	निवेश	7	340.20		484.12	
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	817.93	302254.78	897.27	285091.21
2	गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां					
(क)	माल–सूचियां	9	9.55		9.08	
(ख)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	0.00		0.00	
(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	3715.81		3531.21	
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	12	28936.41		28650.21	
(ड़)	चालू पूंजीगत कार्य	12	543.03		482.33	
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	12	35.65		35.65	
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	12	103.79		86.47	
(ज)	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	12	169.57		221.91	
(झ)	बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां	12	0.00		0.00	
(ञ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	13	4755.19	38269.00	4122.77	37139.63
	dqy ifjlaifÙk;k			**340523.78**		**322230.84**
	देयताएं और इक्विटी					
1	वित्तीय देयताएं					
¼d½	nk;rk,a					
(i)	0;kikj nk;rk,a					
	एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	10118.22		11916.71	
	गैर–एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	68.05		69.61	
(ii)	vU; nk;/kkjf'k;k					
	एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	0.00		0.00	
	गैर–एमएसईज की बकाया देय धनराशियां	14	0.00		0.00	
(ख)	उधार	15	149211.86		142495.42	
(ग)	अन्य वित्तीय देयताएं	16	14088.22	173486.35	13038.56	167520.30
2	xSj&foÙkh; nk;rk,a					
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	10	241.24		699.16	
(ख)	प्रावधान	17	12733.86		11903.56	
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	11	0.00		0.00	
(घ)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	18	6916.55	19891.65	6533.40	19136.12
3	bfDoVh					
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	19	53298.80		53298.80	
(ख)	अन्य इक्विटी	20	93846.98	147145.78	82275.62	135574.42
	कुल देयताएं और इक्विटी			**340523.78**		**322230.84**
	y[kkvksa ij vU; fVIif.k;k	35				

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

blh rkjh[k dks gekjh lyXu fjikVZ dh vuqlkj
, ih vkj , ,.M ,lkfl,V ,y,yih
lunhc y[kkdkj
QeZ iathdj.k l-% 011078,u@,u500064

g-
¼lh, v:.k dekj xIrk½
साझेदार
सदस्यता सं.: 089657

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025
यूडीआईएन न: 25089657BEMAMEAXSWAI9945

fun'kd eMy dh vksj ls

ह.
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएन : 10144109]

ह.
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 06727939]

ह.
पार्थ माझी
वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: A22768

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

[lhvkbZu u-% U74140DL1955GOI002481]

31-03-2025 dks lekIr o"kZ dh fy, ykHk ,oa gkfu dk lefdr fooj.k

¼yk[k #i, esa½

	fooj.k	ukV lwph [;k	**31.03.25** lekIr o"kZ dh fy,	**31.03.24** lekIr o"kZ dh fy,
I	jktLo			
क	प्रचालनों से राजस्व			
	उत्पादों की बिक्री	**21**	290771.56	276408.88
	सेवाओं की बिक्री	**21**	9139.36	8685.00
	ब्याज आय		6027.35	5446.83
	शुल्क और कमीशन आय	**21**	29373.49	32044.85
	[इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 4378.19 लाख रू. (4829.27 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 1143017.44 लाख रू. (1168413.63 लाख रू.) शामिल है]	**21**	4378.19	4829.27
	vU; ifjpkyu vk;	**21**	3912.24	368.48
	ifpkyu ls dqy jktLo		**343602.19**	**327783.31**
ख	अन्य आय	**22**	363.96	410.93
ग	लांभाश आय		0.00	0.00
घ	अनुदान और सब्सिडियां	**23**	8973.87	13827.28
	dqy jktLo ¼d $ [k $ x½		**352940.02**	**342021.52**
II	0;;			
	उत्पादों की खरीद	**24**	289070.32	275064.83
	माल–सूचियों में परिवर्तन	**25**	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	**26**	14693.53	14184.66
	वित्त लागतें	**27**	10744.19	11479.20
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**28**	984.59	845.32
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	**29**	309.65	288.89
	अन्य व्यय	**30**	17014.73	22626.90
	शुल्क और कमीशन व्यय	**34**	59.82	71.29
	dqy 0;;		**332876.83**	**324561.09**
III	vkiokfnd enksa] vkj dj ls io ykHk		**20063.19**	**17460.43**
	vkiokfnd en (टिप्पणी–35 के बिंदु संख्या 4ई(बी) का संदर्भ लें)		-0.74	-13.18
IV	dj io ykHk		**20063.93**	**17473.61**
	dj 0;;	**31**		
	वर्तमान कर		5289.00	4574.00
	आस्थगित कर		-130.65	-15.83
	पूर्ववर्ती वर्ष		-30.08	-23.92
V	dqy dj 0;;		**5128.27**	**4534.25**
VI	py jgs ifpkyuksa ls vof/k dh fy, dj&Ik'pkr ykHk		**14935.66**	**12939.36**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	vof/k dh fy, ykHk		**14935.66**	**12939.36**

XI	vU; 0;kid vk;			
क	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–निवेश		-178.17	111.07
	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–बीमांकिक सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि		-36.16	-15.58
	उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		53.95	-24.04
	mi tkM½ ¼d½		**-160.38**	**71.46**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	mi tkM½ ¼[k½		**0.00**	**0.00**
	vU; 0;kid vk; ¼d $ [k½		**-160.38**	**71.46**
XII	अवधि के लिए कुल व्यापक आय **(XI + XII)** (लाभ/(हानि) सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)		**14775.28**	**13010.82**
XIII	ifr bfDoVh 'k;j vt'u ¼lrr ipkyuk d fy,½	**32**		
	मूल (रु.)		28.02	24.28
	तनुकृत (रु.)		28.02	24.28
XIV	vkdfLed n;rk,a	**33 (i)**	**6468.69**	**4436.53**
XV	izfrxr ifrc)rk,a	**33 (ii)**	**1201.37**	**793.19**
	y[kkvksa ij vU; fVIif.k;k	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)
टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

blh rkjh[k dk gekjh lyXu fjikVZ d vuqlkj
, ih vkj , ,.M ,lkfl,V ,y,yih
lunh y[kkdkj
Qe izfrdj.k l-a 011078,u@,u500064

fun'kd eMy d fy, vkj dh vkj s

ह.
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10144109,

ह.
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06727939

g.
¼lh, v:.k dekj xIrk½
साझेदार
सदस्यता सं.: 089657
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025
यूडीआईएन नः 25089657बीएमएमएमएक्सवाई9945

ह.
पार्थ माझी
वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः ए22768

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

[lhvkbZu u-% U74140DL1955GOI002481]

31-03-2025 dks lekIr o"kZ dh fy, bfDoVh esa ifjorZuksa dk lefdr fooj.k

d% bfDoVh 'ks;j iSVuZ

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	vFk 'k"k	izo`Ùk vof/k dh =fV;ksa dh dkj.k bfDoVh 'ks;j iSVuZ esa ifjorZu	fjikfVZax vof/k dh vkjaHk esa iqu%mfYyf[kr 'k"k	o"kZ dh nwljh bfDoVh 'ks;j iSVuZ esa ifjorZu	tek 'k"k
2023-24	53298.80	0.00	53298.80	0.00	53298.80
2024-25	53298.80	0.00	53298.80	0.00	53298.80

[k- vU; bfDoVh

fooj.k	vU; bfDoVh								
	iSVuZ ikjf{kr	iSVuZ ekpu fjtoZ	vo/kkfjr vtZu						dqy
			vo/kkfjr vtZu	vU; O;kid vk; dk ek/;e ls bfDoVh foy[k	vU; O;kid vk; dk ek/;e ls ifjHkkf"kr ykHk ;qDr,sa	gkfudj.k ikjf{kr	Hkk-fj-c- vf/kfu;e 1934 dh /kkjk 45 vkbZ lh dk vuqikyu lkfofo/kd Áikjf{kr	mi tkM	
31 मार्च 2023 को यथास्थिति शेष	**4343.95**	**73.09**	**54984.08**	**285.54**	**-518.96**	**4866.65**	**8389.87**	**68007.18**	**72424.22**
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ	**0.00**	**0.00**	**12939.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	12939.36	12939.36
अन्य व्यापक आय	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111.07**	**-15.56**	**0.00**	**0.00**	95.51	95.51
dqy O;kid vk;	**0.00**	**0.00**	**12939.36**	**111.07**	**-15.56**	**0.00**	**0.00**	**13034.87**	**13034.87**
वर्ष के दौरान परिवर्धन, स्थानांतरण/समायोजन	**498.03**	**0.00**	**-2531.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2531.15**	0.00	498.03
वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश	**0.00**	**0.00**	**-3314.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-3314.49	-3314.49
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	**-342.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	-342.96
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.90**	**0.00**	**0.00**	3.90	3.90
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-27.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-27.95	-27.95
31 मार्च 2024 को यथास्थिति शेष	**4499.02**	**73.09**	**62077.80**	**368.66**	**-530.62**	**4866.65**	**10921.02**	**77703.51**	**82275.62**
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अवधि के लिए लाभ	0.00	0.00	14935.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14935.66	14935.66
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	-178.17	-36.16	0.00	0.00	-214.33	214.33
d|y 0;kid vk;	**0.00**	**0.00**	**14935.66**	**-178.17**	**-36.16**	**0.00**	**0.00**	**14721.33**	**14721.33**

fooj.k	vU; bfDoVh								
	i|rh ikjf{kr i|rh ikjf{kr	i|rh ekpu fjto i|rh ekpu fjto	vo/kkfjr vt|u						d|y
			vo/kkfjr vt|u	vU; 0;kid vk; d| ek/;e l| bfDoVh foy|[k	vU; 0;kid vk; d| ek/;e l| ifjHkkf"kr ykHk ;kt|uk,|	gkfudj.k ikjf{kr	Hkk-fj-c\- vf/kfu;e 1934 dh /kkjk 45 vkb|lh d| v|rx|r lkfof/kd Ákjf{kr	mi tkM+	
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/समायोजन	1008.10	3.22	-2925.98	0.00	0.00	0.00	2925.98	0.00	1011.32
वर्ष 2023–24 के लिए लाभांश	0.00	0.00	-3796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-3796.72	-3796.72
वर्ष के लिए मुल्यह्रास	-418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-418.52
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	9.10	9.10
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर	0.00	0.00	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00	44.85	44.85
31 मार्च 2025 को यथास्थिति शेष	**5088.60**	**76.31**	**70290.76**	**235.34**	**-557.68**	**4866.65**	**13847.00**	**88682.07**	**93846.98**

नोटः पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गठित/पुनः समूहित किया गया है।
टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

blh rkjh[k dk gekjh l|yXu fjik\V d| vu|lkj
, ih vkj , ,.M ,lkfl,V ,y,yih
lunh y|[kkdkj
Qe| i|thdj.k l|-% 011078,u@,u500064

fun|'kd eMy d| fy, vkj dh vkj l|

ह.
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10144109,

ह.
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06727939

ह.
पार्थ माझी
वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः ए22768

g-
¼lh, v:.k d|ekj x|Irk½
lk>nkj
lnL;rk l|-% 089657

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025
यूडीआईएन नः 25089657बीएमएमएमएक्सवाइ4270

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

[lhvkbZu u-% U74140DL1955GOI002481]

31-03-2025 dk lekIr o"kZ dk y[kkvksa dk Hkkx d :i esa lyXu lefdr udn izokg fooj.k

¼yk[k #i, esa½

fooj.k		31-03-2025 dk vuqlkj		31-03-2024 dk vuqlkj
dj ls iwoZ fuoy ykHk@gkfu		20,063.95		17,473.61
xSj&udn@xSj&Ápkyu enksa dk fy, lek;kstu%				
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		984.59		845.32
vujbdkbZ lek;kstu		-		-
ifjlaifÙk;ksa@vesfr oLrqvksa dh fcØh@fuiVku ij ykHk@gkfu		(0.74)		(13.18)
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (टर्मिनल लाभ)		1,882.51		1,502.28
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (विनिमय भिन्नता)		371.18		402.90
अशोध्य ऋण माफ किये गये		18.09		0.14
विदेशी मुद्रा लेनदेन और संक्रमण पर हानि (शुद्ध)/(–)लाभ		-		-
यह अर्जित है लेकिन उधार पर देय नहीं है		7.70		8.05
छूट का प्रभाव (डेबिट)		69.69		13.48
छूट का प्रभाव (क्रेडिट)		(31.30)		(57.02)
लाभांश आय		-		-
बैंकों में एफडी/जमा पर ब्याज		(2.64)		(27.91)
अतिरिक्त प्रावधान लिखित–अन्य		(27.02)		(113.98)
विविध क्रेडिट शेष वापस लिखे गए		(72.17)		(120.79)
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया (टर्मिनल लाभ)		(50.82)		(65.33)
अतिरिक्त प्रावधान लिखित वापसी (केएफडब्ल्यू ऋण)		(356.73)		(243.13)
dk;Zdyki ifjorZu ls izokfgr udn izokg%		**22,856.28**		**19,604.43**
dk;Zdyki ifjorZu dk fy, lek;kstu%				
वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी				
व्यापार प्राप्य		953.43		5,504.89
अन्य वित्त परिसंपत्तियां		42.21		1,242.67
माल सूची		(0.46)		2.40
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		(1,122.34)		(1,985.86)
ऋण और अग्रिम		(19,655.45)		1,915.79
अन्य गैर वित्त परिसंपत्तियां		(632.42)		2,643.64
orZeku ifjlaifÙk;ksa esa of)@deh		-		
O;kikj nsunkj;		(1,727.88)		(4,469.82)
vU; foÙkh nunkfj;ksa		1,139.18		(3,821.52)
çko/kkuksa		(1,408.74)		(1,122.65)
vU; xSj&foÙkh; nunkfj;ksa		359.75		1,080.17
dj lsa iwoZ udn Áokg%		**803.55**		**20,594.13**
Hkkxrku fd;k x;k dj		(4,594.50)		(1,621.97)
fuoy Ápkyu udn vrokg@cfgokg	d	**(3,790.96)**		**18,972.16**
fuos'k xfrfof/k;ksa ls udn çokg%				
परिसंपत्तियों की बिक्री आय		5.27		25.32
पीपीई और पूंजी डब्ल्यूआईपी में वृद्धि		(708.18)		(868.88)
एसआरआई फंड में निवेश		(34.26)		(34.41)
सावधि जमा में वृद्धि/कमी		(346.67)		(681.51)
निवेश से लाभांश		112.40		-
बैंक जमा पर ब्याज		2.64		27.91

fuoy fuo'k udn vrokg@cfgokg	[k	**(968.78)**		**(1,531.58)**
foÙkh; ik"k.k xfrfof/k;k sa l udn çokg%				
(+) वृद्धि / (–) उधार में कमी (अल्पकालिक)		6,908.93		(12,818.82)
(+) वृद्धि / (–) उधार में कमी (दीर्घकालिक)		156.53		(272.72)
प्रदत्त लाभांश		(3,909.13)		(3,314.49)
fuoy foÙkik"k.k udn vrokg@cfgokg	x	**3,156.33**		**(16,406.03)**
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह/बहिर्वाह	?k	(3,790.96)		18,972.16
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह/बहिर्वाह	M	(968.78)		(1,531.58)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह/बहिर्वाह	p	3,156.33		(16,406.03)
fuoy udn vrokg@cfgokg	**(?k+M+p)**	**(1,603.40)**		**1,034.55**
tkM% o"k dh 'k#vkr esa udn vkj udn lery;		**10,283.72**		**9,249.17**
o"k d vr esa udn vkj udn lery;		**8,680.32**		**10,283.72**
ryu i= d vuqlkj udn vkj udn lery; - ukV 3		**8,680.32**		**10,283.72**

कॉर्पोरेट सूचना का विवरण (नोट–1), लेखा नीतियां (नोट–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय लेखाकंन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है।
2. नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) में नकद और अन्य बैंक शेष शामिल हैं।
3. जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः समूहीकृत/व्यवस्थित किए गए हैं।
4. हम एक एनबीएफसी हैं और भुगतान किए गए ब्याज को परिचालन व्यय माना गया है।

blh rkjh[k dk gekjh lyXu fjikVZ d vuqlkj
, ih vkj , ,.M ,lkfl,V ,y,yih
lunh y[kkdkj
Qe ithdj.k l-% 011078,u@,u500064

g
¼lh, v:.k dekj xIrk½
साझेदार
सदस्यता सं.: 089657

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025
यूडीआईएन नः 25089657बीएमएमएमएक्सवाई4270

fun'kd eMy d fy, vkj dh vkj s

ह.
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10144109,

ह.
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06727939

ह.
पार्थ माझी
वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः ए22768

31 ekpZ 2025 dks lekIr o"kZ ds fy, lefdr foÙkh; fooj.kksa dk vfHkUu vx gksus okyh fVIif.k;ka

fVIi.kh&1% dkjikjksV lpuk vkSj r;kjh dk vk/kkj

1- dkjikjksV tkudkjh

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (जिसे "एनएसआईसी" या "निगम" कहा जाता है) को वर्ष 1955 में अधिनिगमित किया गया था। एनएसआईसी भारत में अधिवासित और निगमित है (सीआईएन संख्या यू74140डीएल1955जीओआई002481), कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शासित है और यह भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के साथ प्रमाण पत्र संख्या एन.14.03090 दिनांक 29/12/2005के साथ पंजीकृत एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकारकर्ता गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है तथा यह स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) के अनुसार एनबीएफसी–मध्य परत वर्गीकरण में आता है: आरबीआई द्वारा अधिसूचित एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जिसकी घोषणा आरबीआई/2021:22/112डीओआर.सीआरई. आरईसी.सं.60/03.10.001/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से की गई थी और जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाता है। ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ) के साथ पंजीकृत लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड 335800935क्यूडी3एलजेजीओएलजेड39 है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत भारत सरकार का9001–2015 प्रमाणित 'मिनी रत्न श्रेणी–1' उद्यम है।

एनएसआईसी अपने विभिन्न कार्यालयों/तकनीकी केंद्रों के माध्यम से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, सहायता करने और उनके संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के साथ सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और अन्य सहायता सेवा के तहत एकीकृत सहायता सेवाएँ प्रदान करता है।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ('एनवीसीएफएल' या 'सहायक कंपनी' के रूप में संदर्भित), भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त 2020 को शामिल किया गया था। कंपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ('एनएसआईसी'), भारत सरकार का एक उद्यम है, और पंजीकरण संख्या प्छध्प्2ध21–22ध के तहत ैम्ठप् (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी–प् वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है। 0924 दिनांक 01ध09ध2021. इस योजना में भारत सरकार, एनएसआईसी और एनवीसीएफएल इसके योगदानकर्ता हैं और इसे एक अलग 'व्यक्ति संघ' के रूप में माना जाता है। योजना का उद्देश्य एमएसएमई को इक्विटी, अर्ध–इक्विटी और ऋण के माध्यम से विकास पूंजी के रूप में समर्थन के प्रावधान के लिए डिफॉल्टर फंडों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करना है।

इन एकल वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 22 जुलाई, 2025 को अनुमोदित किया गया तथा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया ।

2- vuqikyu dk dFku

निगम के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों को और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

निगम के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय (जब तक अन्यथा न बताया जाए) के अंतर्गत सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (जिसे ''इंड एएस'' कहा जाता है), यथासंशोधित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

3- r;kj dju vkSj çLrqrhdj.k dk vk/kkj ij leqdu dk fl)kar

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय लिखतों के जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है। भारतीय लेखाकन मानक के तहत उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस बात पर आधारित होता है कि उचित मूल्य माप के इनपुट किस हद तक अवलोकनीय हैं और उचित मूल्य माप के इनपुट का संपूर्ण रूप से कितना महत्व है, जिन्हें निम्नानुसार वर्णित किया गया है:

- स्तर 1 इनपुट सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं जिन पर कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि को पहुंच है;
- स्तर 2 इनपुट , स्तर 1 में सम्मिलित उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकनीय हैं;और
- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्तियों या देनदारियों के मूल्यांकन के लिए अप्रमाणित इनपुट हैं।

निगम नियमित रूप से विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों पर

विचार करके यह आकलन करता है कि क्या वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से उसके सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित करने की उचित आशा की जा सकती है। इस तरह के आकलन में उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, साथ ही कंपनी की अपनी परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है। वित्तीय विवरण उन उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं जिन्हें व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों का उचित ज्ञान होता है और जो जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा और विश्लेषण करते हैं। कई बार, भली–भांति सूचित और परिश्रमी उपयोगकर्ताओं को भी जटिल आर्थिक घटनाओं के बारे में जानकारी समझने के लिए सलाहकार की सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है।

हालाँकि, एनवीसीएफएल को मास्टर डायरेक्शन के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण से छूट दी गई है – आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट, जैसा कि समय–समय पर अद्यतन किया जाता है, एनवीसीएफएल ने डिवीजन ष्ष् का पालन किया है। 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ष्। डिवीजन ष्ष् कंपनियों (भारतीय लेखा मानक नियम), 2015 में परिभाषित एनबीएफसी पर लागू होता है जिसमें उद्यम पूंजी निधि कंपनियां और एनवीसीएफएल की स्थापना की गई थी। एआईएफ की स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक उद्यम पूंजी निधि कंपनी के रूप में।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं और सभी मूल्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।।। के खंड ।।। के पैरा 5 के अनुसार निकटतम लाख और दशमलव तक पूर्णांकित किया गया है, जैसा कि अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1022 (ई), दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 (11–10–2018 से प्रभावी) द्वारा अंतर्विष्ट किया गया है ।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में एनएसआईसी और इसकी सहायक कंपनी – एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

समेकन के सिद्धांत

इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में, सहायक कंपनियों में निवेश का हिसाब भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 110, समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

अप्राप्त लाभ या हानि के साथ–साथ सभी महत्वपूर्ण अंतर–समूह शेषध्लेनदेन को समाप्त करने के बाद, संपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की समान वस्तुओं के बुक वैल्यू को एक साथ जोड़कर सहायक कंपनियों को लाइन–दर–लाइन आधार पर समेकित किया गया है, सिवाय इसके कि कहां लागत वसूल नहीं की जा सकती.

जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में लेनदेन और अन्य घटनाओं जैसी समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं और जहां तक संभव हो, मूल कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किए गए हैं। लेखांकन नीतियों में अंतर का अलग से खुलासा किया गया है (यदि कोई हो)।

4. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

टिप्पणी 2 में वर्णित निगम की लेखांकन नीतियों को लागू करने मेंप्रबंधन को ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है (अनुमानों से संबंधित निर्णयों के अलावा) जिनका मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों के बारे में अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो अन्य स्रोतों से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं होती हैं। अनुमान और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उसी अवधि को प्रभावित करता है, या संशोधन की अवधि और भविष्य की अवधि में यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य की दोनों अवधियों को प्रभावित करता है।

निगम की लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय

अनुमानों से संबंधित निर्णयों के अलावा (जिन्हें नीचे अलग से प्रस्तुत किया गया है)निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो प्रबंधन ने निगम की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में लिए हैं और जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

(i) निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि के समय का निर्धारण करने में निर्णय:

प्रबंधन ने भारतीय लेखाकन मानक 115 में निर्धारित राजस्व की पहचान के लिए विस्तृत मानदंडों पर विचार किया और विशेष रूप से इस पर कि क्या निगम ने किसी समय बिंदु पर या समय के दौरान अपने निष्पादन दायित्वों को पूरा किया है। निगम के वितरण के दायरे की विस्तृत समझ के बाद, प्रबंधन संतुष्ट है कि निष्पादन दायित्वों को पूरा किया गया है और चालू वर्ष मे निम्नलिखित के संबंध में राजस्व की इसी तरह की मान्यता उचित है:

- एकल बिन्दु पंजीकरण योजना में नये पंजीकरण/नवीनीकरण/संशोधन हेतु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर;
- इकाई की सदस्यता के सक्रियण पर डीएसएफ योजना के तहत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) का सदस्यता शुल्क;
- समय के साथ प्रशिक्षण गतिविधियाँ;

- परीक्षण और कार्य पूरा होने पर सामग्री परीक्षण शुल्क, कार्य प्रभार, एनटीएससी में मशीनों पर मशीनिंग सुविधा आदि;
- समय के साथ टीआईसी इकाइयों से रॉयल्टी।
- फंड द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति (एसआरआई फंड एनवीसीएफएल)

¼ii½ 0;olk; e,My eY;kdu%

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन एसपीपीआई और व्यवसाय मॉडल परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है। निगम व्यवसाय मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करता है जो दर्शाता है कि किसी विशेष व्यवसाय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों को एक साथ कैसे प्रबंधित किया जाता है। निगरानी निगम के निरंतर मूल्यांकन का हिस्सा है कि क्या वह व्यवसाय मॉडल जिसके लिए शेष वित्तीय परिसंपत्तियाँ रखी गई हैं, उचित है और यदि यह उचित नहीं है तो क्या व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव हुआ है और इसलिए उन परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में संभावित बदलाव हुआ है। प्रस्तुत अवधि के दौरान ऐसे किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं थी।

¼iii½ _.k tksf[ke esa mYy[kuh; of)%

ईसीएल को चरण 1 परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने के ईसीएल के बराबर भत्ते के रूप में मापा जाता है, या चरण 2 या चरण 3 परिसंपत्तियों के लिए आजीवन ईसीएल के रूप में मापा जाता है। एक परिसंपत्ति चरण 2 में तब जाती है जब उसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक पहचान के बाद से काफी बढ़ गया हो। इंड एएस 109 यह परिभाषित नहीं करता है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि क्या है। यह आकलन करने में कि क्या किसी परिसंपत्ति का क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, निगम गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से उचित और समर्थन योग्य अग्रगामी जानकारी को ध्यान में रखता है।

¼iv½ ;g igpkuus esa fu.kZ; fd D;k vuqca/k esa iêk 'kkfey g%

जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निगम सभी पट्टा व्यवस्थाओं के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और उसके अनुरूप पट्टा दायित्व को मान्यता देता है, जिसमें वह पट्टेदार है, सिवाय अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (जैसे टैबलेट और व्यक्तिगत कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर की छोटी वस्तुएंऔर टेलीफोन) के पट्टों को छोड़कर।

vuqeku vfuf'prrk dk çeq[k lzksr

भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएं, तथा रिपोर्टिंग अवधि में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोत, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रेणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है, की चर्चा नीचे की गई है।

¼i½ djk/kku çko/kku%

निगम का वर्तमान कर प्रावधान, भारतीय लेखाकन मानक 12 के परिशिष्ट ग के अनुसार कर की राशि के प्रबंधन के आकलन से संबंधित है।

¼ii½ fuxe dh fu/kkfjr ykHk nkf;Ro dh ogu jkf'k fu/kkfjr dju dh fy, mi;qDr dh tkus okyh NV nj%

निगम के निर्धारित लाभ दायित्व का निर्धारण कुछ मान्यताओं पर निर्भर करता है, जिसमें छूट दर का चयन शामिल है। छूट दर सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार के प्रतिफल के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। बॉन्ड को उस संख्या में शामिल करने के लिए मानदंड निर्धारित करते समय महत्वपूर्ण मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है जिससे प्रतिफल वक्र प्राप्त होता है। इन मान्यताओं को अनुमान अनिश्चितता का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है क्योंकि उपयोग की गई मान्यताओं में अपेक्षाकृत छोटे बदलावों का अगले वर्ष के भीतर निगम के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

¼iii½ mfpr eY; ekiu vkj eY;kdu çfØ;k,%

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए निगम की कुछ परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रबंधन उचित मूल्य माप के लिए उचित मूल्यांकन तकनीकों और इनपुट का निर्धारण करता है।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, निगम बाजार–अवलोकन योग्य डाटा का उपयोग करता है, जहाँ तक वह उपलब्ध है। जहाँ स्तर 1 इनपुट उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ निगम मूल्यांकन करने के लिए तीसरे पक्ष के योग्य मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करता है।

ट्रेडिंग के लिए रखे गए निजी इक्विटी निवेशों और गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन विशेष रूप से एक या अधिक अप्रमाणित इनपुट में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होता है, जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर यथोचित रूप से संभव माना जाता है। इन परिसंपत्तियों की वहन राशियों और अप्रमाणित इनपुट में परिवर्तनों के प्रति उन राशियों की संवेदनशीलता के बारे में आगे की जानकारी टिप्पणी 7 में दी गई है।

fVIi.kh 2 % Hkkfrd y[kkdu uhfr;k

1- udnh izokg fooj.k

परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का

उपयोग करते हुए की जाती है, जिसमें कर–पूर्व लाभ को निम्नलिखित के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है: (i) गैर–नकद प्रकृति के परिचालन प्राप्य और देय लेनदेन में अवधि के दौरान परिवर्तन; (ii) गैर–नकद मदें जैसे मूल्यह्रास, प्रावधान, आस्थगित कर, अप्राप्त लाभ और हानि; और (iii) अन्य सभी मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव नकदी प्रवाह का निवेश या वित्तपोषण कर रहे हैं।

2- lEifÙk] la;= rFkk midj.k

वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए रखी गई भूमि और भवन, जिसमें दूसरों को किराये पर देना (निवेश संपत्तियों को छोड़कर) शामिल है, या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, को तुलन–पत्र में उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या अभी तक निर्धारित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियों को लागत पर रखा जाता है, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त हानि को घटा दिया जाता है। इन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, अन्य संपत्ति परिसंपत्तियों के समान ही निर्धारित किया जाता है, तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं।

फ्री होल्ड भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है।

पट्टे पर दी गई भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि के दौरान किया जाता है।

संयंत्र, मशीनरी, फिक्सचर और फिटिंग्स को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है।

31 मार्च, 2001 तक अर्जित पट्टा परिसंपत्तियों में से पट्टा परिसंपत्तियों और जब्त पट्टा परिसंपत्तियों का लेखांकन लागत, संचित शेष मूल्यह्रास, पट्टा टर्मिनल समायोजन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है।

मूल्यह्रास को इस तरह से मान्यता दी जाती है कि परिसंपत्तियों (फ्रीहोल्ड भूमि, पट्टाधारी परिसंपत्तियों और 31 मार्च 2001 तक अधिगृहीत पट्टाधारी परिसंपत्तियों में से जब्त पट्टाधारी परिसंपत्तियों और निर्माणाधीन संपत्तियों को छोड़कर) की लागत या मूल्यांकन को सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके उनके उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों पर पश्चलेखित किया जा सके। 31 मार्च 2001 तक अधिग्रहित पट्टाधारी परिसंपत्तियों में से पट्टाधारी परिसंपत्तियों और जब्त पट्टाधारी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लिखित कम मूल्य विधि का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। निगम ने मूल्यह्रास की विधि को इस तरह से चुना है कि यह परिसंपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न को सबसे करीब से दर्शाती हो।

Øe la-	ifjlaifRr dk izdkj	mi;ksxh thoudky	nj ¼,l,y,e½	vof'k"V eY;
i.	भवन आरसीसी फ्रेम संरचना	60 वर्ष	1.58%	मूल लागत का 5%
ii.	भवन आरसीसी फ्रेम संरचना के अतिरिक्त	30 वर्ष	3.17%	मूल लागत का 5%
iii.	भवन अस्थायी ढांचे	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
iv.	सड़कें–कापेर्टिड – आर.सी.सी.	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
v	सड़कें– कापेर्टिड – आर.सी.सी. के अलावा	5 वर्ष	19.00%	मूल लागत का 5%
vi.	सड़कें– गैर–कापेर्टिड	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
vii.	संयंत्र और मषीनरी	15 वर्ष	6.33%	मूल लागत का 5%
viii.	फर्नीचर और फिटिंग्स	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
ix.	वाहन – दुपहिया	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
x.	वाहन – चार पहिया	8 वर्ष	11.88%	मूल लागत का 5%
xi.	कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	19.00%	मूल लागत का 5%
xii.	अंत उपयोगकर्ता उपकरण जैसे प्रोसेसिंग यूनिट, कम्प्यूटर, लैपटॉप आदि	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
xiii.	सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष	15.83%	मूल लागत का 5%
xiv.	विद्युत वितरण संयंत्र	35 वर्ष	2.71%	मूल लागत का 5%
xv.	विद्युत संस्थापनाएं और उपकरण	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
xvi.	ग्रिड कनेक्टिड रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टेज (पीवी) प्रणाली	25 वर्ष	3.80%	मूल लागत का 5%
xvii	मोबाइल फोन उपकरण	2 वर्ष	49.50%	₹ 1/-

अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, तथा अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को संदर्शी आधार पर ध्यान में रखा जाता है। 0.10 लाख रुपये तक की लागत वाले पीपीई का उपयोग के लिए तैयार होने पर खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास किया जाता है, तथा मूल लागत का 5 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य के रूप में रख

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टे की अवधि की अल्प अवधि या अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है। यदि पट्टे में अंतर्निहित परिसंपत्ति का स्वामित्व स्थानांतरित किया जाता है या उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत दर्शाती है कि निगम खरीद विकल्प का प्रयोग करने की प्रत्याशा करता है, तो संबंधित उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है। ा लिया जाता है, सिवाय मोबाइल फोन उपकरणों के, जहां 1 रुपये अवशिष्ट मूल्य के रूप में रख लिया जाता है।

3- fcØh d fy, /kkfjr xj&oreku ifjifUk;k

बिक्री के लिए धारितपरिसंपत्तियों (और निपटान समूहों) को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों और निपटान समूहों को बिक्री के लिए ध ारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है जब बिक्री अत्यधिक संभावित हो और परिसंपत्ति (या निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो। बिक्री के अत्यधिक संभावित होने के लिए, प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए योग्य होने की प्रत्याशा की जानी चाहिए।

4- Ikê

¼d½ fuxe iênkj d :i e

एनएसआईसी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करता है कि अनुबंध पट्टा है या नहीं। निगम सभी पट्टा व्यवस्थाओं के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है, जिसमें वह पट्टेदार है, सिवाय अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (जैसे टैबलेट और व्यक्तिगत कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर की छोटी वस्तुएं और टेलीफोन) के पट्टों को छोड़कर। इन पट्टों के लिए, निगम पट्टे की अवधि के दौरान सीध ी रेखा के आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देता है, जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा अवधि से तात्पर्य उस निरस्त न की जा सकने वाली अवधि से है जिसके लिए पट्टेदार को अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार होता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका भुगतान आरंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो निगम अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करता है। इसे तब फिर से मापा जाता है जब सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है, या अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है, या इस बात के आकलन में परिवर्तन होता है कि क्या यह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा।

पट्टा दायित्व को बाद में पट्टा दायित्व पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके (प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके) मापा जाता है, तथा किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटाया जाता है।

निगम पट्टा देयता का पुनर्मापन करता है (तथा संबंधित उपयोग–अधि ाकार परिसंपत्ति में तदनुरूपी समायोजन करता है) जब भी:

पट्टे की अवधि बदल गई है या कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप खरीद विकल्प के प्रयोग के मूल्यांकन में परिवर्तन हुआ है, ऐसी स्थिति में संशोधित छूट दर का उपयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों को छूट देकर पट्टा देयता को पुनः मापा जाता है;

सूचकांक या दर में परिवर्तन या गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के तहत अपेक्षित भुगतान में परिवर्तन के कारण पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है, ऐसे मामलों में पट्टा देयता को अपरिवर्तित छूट दर का उपयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों को छूट देकर पुनः मापा जाता है (जब तक कि पट्टा भुगतान में परिवर्तन फ्लोटिंग ब्याज दर में परिवर्तन के कारण न हो, ऐसे मामले में संशोधित छूट दर का उपयोग किया जाता है);

एक पट्टा अनुबंध को संशोधित किया जाता है और पट्टा संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में नहीं गिना जाता है, ऐसी स्थिति में पट्टा देयता को संशोधन की प्रभावी तिथि पर संशोधित छूट दर का उपयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों को छूट देकर संशोधित पट्टे की पट्टा अवधि के आधार पर पुनः मापा जाता है।

निगम ने प्रस्तुत अवधि के दौरान ऐसा कोई समायोजन नहीं किया। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में संबंधित पट्टा देयता का प्रारंभिक माप, आरंभिक दिन पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान, प्राप्त किए गए किसी भी पट्टा प्रोत्साहन और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटाना शामिल है। उन्हें बाद में लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि को घटाकर मापा जाता है।

परिवर्तनीय किराए जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें पट्टा देयता और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के मापन में शामिल नहीं किया जाता है। संबंधित भुगतानों को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वह घटना या स्थिति होती है जो उन भुगतानों के प्रारंभ होने का कारण बनती है और उन्हें लाभ या हानि में ''अन्य व्यय'' पंक्ति में शामिल किया जाता है (टिप्पणी 30 देखें)।

एक व्यावहारिक उपाय के रूप में, भारतीय लेखाकन मानक 116 पट्टेदार को गैर–पट्टा घटकों को अलग न करने की अनुमति देता है, और इसके बजाय किसी भी पट्टे और उससे जुड़े गैर–पट्टा घटकों को एक ही व्यवस्था के रूप में लेखांकित करने की अनुमति देता है। निगम ने इस व्यावहारिक उपाय का उपयोग नहीं किया है। ऐसे अनुबंधों के लिए जिनमें पट्टा घटक और एक या अधिक अतिरिक्त पट्टा या गैर–पट्टा घटक शामिल हैं, निगम पट्टा घटक के सापेक्ष एकल मूल्य और गैर–पट्टा घटकों के कुल एकल मूल्य के आधार पर प्रत्येक पट्टा घटक को अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करता है।

¼[k½ fuxe iêknkrk d: i e

निगम अपनी कुछ निवेश संपत्तियों के संबंध में पट्टादाता के रूप में पट्टा समझौते करता है।

जिन पट्टों के लिए निगम पट्टादाता है, उन्हें वित्त याप्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निगम ने केवल दीर्घकालिकप्रचिालन पट्टे पर ही हस्ताक्षर किये हैं।

परिचालन पट्टों से प्राप्त किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। प्रचालन पट्टे पर मोल–भाव करने और उसे व्यवस्थित करने में होने वाली आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ दिया जाता है और पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है

जब किसी अनुबंध में पट्टा और गैर–पट्टा दोनों घटक शामिल होते हैं, तो निगम अनुबंध के अंतर्गत प्रत्येक घटक को प्रतिफल आवंटित करने के लिए भारतीय लेखाकन मानक 115 लागू करता है। ।

vyx l: vft:r ver: ifjlifUk;k

सीमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त संपत्तियाँ जो अलग से अधिग्रहित की जाती हैं, उन्हें संचित परिशोधन और संचित क्षति हानियों को घटाकर लागत पर वहन किया जाता है। परिशोधन को 1/– रुपए के अवशिष्ट मूल्य के रूप में बनाए रखने के बाद पाँच वर्षों की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालाँकि, जहाँ सॉफ्टवेयर का जीवन पाँच वर्ष से कम है, वहाँ लागत को ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है (टिप्पणी 12 में प्रकटीकरण किया गया है)

अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन विधि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, तथा अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

क्रम सं.	परिसंपत्तियों की प्रकृति	उपयोगी जीवनकाल	दर (एसएलएम)	अवशिष्ट मूल्य
1.	अमूर्त पीपीई – साफ्टवेयर	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	1/– रुपए
2.	वेबसाइट	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	1/– रुपए

सबस्क्रिप्शन के आधार पर खरीदे गए सॉफ्टवेयर, जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक नहीं किया जाना अपेक्षित है, को सबस्क्रिपशन अवधि के दौरान लाभ–हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

6- fodkl k/khu ver: ifjlifUk;k

यह आकलन करने के लिए कि क्या आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति मान्यता के मानदंडों को पूरा करती है, निगम परिसंपत्ति के सृजन को इस प्रकार वर्गीकृत करता है:

¼d½ vuqla/kku pj.k(rFkk

¼[k½ fodkl pj.kA

यदि निगम अमूर्त परिसंपत्ति बनाने के लिए आंतरिक परियोजना के अनुसंधान चरण को विकास चरण से अलग नहीं कर सकता है, तो वह उस परियोजना पर व्यय को इस प्रकार मानता है मानो वह केवल अनुसंधान चरण में ही किया गया हो।

अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

विकास से उत्पन्न (या किसी आंतरिक परियोजना के विकास चरण से) आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है, जब निम्नलिखित स्थितियाँ प्रदर्शित की गई हों:

- अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि वह उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो सके
- अमूर्त परिसंपत्ति भविष्य में संभावित आर्थिक लाभ कैसे उत्पन्न करेगी

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए आरंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि उस तिथि से किए गए व्यय का योग है जब अमूर्त परिसंपत्ति पहली बार उपरोक्त सूचीबद्ध मान्यता मानदंडों

को पूरा करती है। जहां किसी आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है, वहां विकास व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह व्यय किया गया है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि हानि घटाकर सूचित किया जाता है, उसी आधार पर जिस आधार पर अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को सूचित किया जाता है।

क्रम सं.	परिसंपत्तियों की प्रकृति	उपयोगी जीवनकाल	दर (एसएलएम)	अवशिष्ट मूल्य
1.	अमूर्त पीपीई – साफ्टवेयर	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	1/– रुपए
2.	वेबसाइट	5 वर्ष	20.00 प्रतिशत	1/– रुपए

7- ljdkjh vuqnku

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न प्राप्त हो जाए कि निगम उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगा और अनुदान प्राप्त हो जाएगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ या हानि के रूप में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें निगम उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देता है, जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदानों का उपयोग किया जाता है।

विशेष रूप से, सरकारी अनुदान, जिसकी प्राथमिक शर्त यह है कि निगम को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों (जिसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं) को खरीदना, निर्माण करना या अन्यथा प्राप्त करना चाहिए, को तुलन–पत्र में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ या हानि में स्थानांतरित किया जाता है।

सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या निगम को बिना किसी भविष्य संबंधी लागत के तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होते हैं, उन्हें उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे प्राप्त होते हैं।

'एसपीआरएस योजना (एनएसएसएच) के अंतर्गत सदस्यता शुल्क', 'एसपीआरएस योजना (एनएसएसएच) के अंतर्गत निरीक्षण शुल्क' (वहां लागू होता है जहां निरीक्षण केवल एनएसआईसी अधिकारियों द्वारा किया जाता है और पैनलबद्ध निरीक्षण एजेंसियों द्वारा नहीं), 'बी2बी योजना (एनएसएसएच) के अंतर्गत सदस्यता शुल्क', 'क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण शुल्क (एनएसएसएच)', 'कार्यालय परिसर का किराया–एनएसएसएचओ' (वहां लागू होता है जहां संपत्ति एनएसआईसी के स्वामित्व में है और जहां बाहरी व्यक्ति को किराया नहीं दिया जाता है) के लिए शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी अनुदान को समूह शीर्ष ''एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, किराया आदि'' के अंतर्गत उपयोग किए गए अनुदान के रूप में लिया जाता है और मान्यता प्राप्त अनुदान आय से घटा दिया जाता है। इसी प्रकार, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना आदि के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति आदि को समूह शीर्ष ''एटीआई के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क'' के अंतर्गत प्रयुक्त अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और मान्यताप्राप्त अनुदान आय में से घटा दिया जाता है।

इसी प्रकार, पीएमएसएस योजना के अंतर्गत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी अनुदान को भी समूह शीर्ष "बी2बी योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि" के अंतर्गत उपयोग किए गए अनुदान के रूप में लिया जाता है तथा इसे मान्यता प्राप्त अनुदान आय से घटा दिया जाता है।

चूंकि निगम पहले से ही वाणिज्यिक आधार पर ऊपर बताई गई सभी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तथापि, एससी/एसटी इकाइयों के मामले में, निगम की वाणिज्यिक फीस एससी/एसटी एमएसई इकाइयों के बदले भारत सरकार द्वारा भुगतान की जा रही है। इसलिए, ऊपर उल्लिखित सभी प्रतिपूर्तियों को भी 'सेवाओं की बिक्री' के अंतर्गत संबंधित शीर्षों के वाणिज्यिक राजस्व के रूप में माना जाता है।

निगम को किसी भी सरकारी प्रचार योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमति दिए गए प्रशासनिक व्यय, यदि कोई हो, तो स्वीकृत दिशा–निर्देशों के अनुसार, खर्च की गई राशि (मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग सहायता, निगम के वाणिज्यिक राजस्व, आदि पर खर्च की गई राशि को छोड़कर) पर, समूह शीर्ष "सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक शुल्क (अनुदान और सब्सिडी)" के तहत उपयोग किए गए अनुदान के रूप में प्रभारित किया जाता है और मान्यता प्राप्त अनुदान राजस्व से तदनुसार घटाया जाता है। चूंकि, यह निगम का वाणिज्यिक राजस्व है, इसलिए इसे 'सेवाओं की बिक्री' के तहत समूह शीर्ष "सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक शुल्क (अनुदान और सब्सिडी)" के तहत वाणिज्यिक राजस्व के रूप में भी दर्शाया गया है।

एटीआई, आरएएमपी, टीईएम और एनएसएसएच योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के कारण व्यय किए गए प्रत्यक्ष वास्तविक व्यय,

यदि कोई हो, को संबंधित शीर्ष के प्राकृतिक लेखा शीर्ष के अंतर्गत वाणिज्यिक व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

अनुदान की मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्राप्त सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को भारत सरकार से अग्रिम के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे भारत सरकार को देय राशि के रूप में दर्शाया जाता है।

यदि विभिन्न प्रोत्साहन गतिविधियों के अग्रिम खातों के अंतर्गत शुद्ध परिणाम "घाटा" है, तो इसे वित्तीय परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत "अनुदान में घाटे के लिए भारत सरकार से प्राप्य राशि" के रूप में दर्शाया जाता है और यदि "अधिशेष" है, तो इसे वित्तीय देयताओं के शीर्ष के अंतर्गत "अनुदान में अधिशेष के लिए भारत सरकार को देय राशि" के रूप में दर्शाया जाता है।

8- lifUk] l;= ,oa midj.k rFkk vey ifjlifUk;ksa dh {kfr

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, निगम अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि की सीमा (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि को उचित मूल्य में से बिक्री लागत (एफवीएलसीएस) या उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, उसके आधार पर मापा जाता है। जहां, एफवीएलसीएस उपलब्ध नहीं है, तो उपयोग में मूल्य को वसूली योग्य राशि माना जाता है। यदि उपयोग में मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है और ऐसी परिसंपत्ति की हानि नकद–उत्पादक इकाई में की जाएगी। जहां परिसंपत्ति अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है, वहां निगम उस नकदी–उत्पादक इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। जब आवंटन का एक उचित और सुसंगत आधार पहचाना जा सकता है, तो कारपोरेट परिसंपत्तियों को व्यक्तिगत नकद–उत्पादक इकाइयों को भी आवंटित किया जाता है, या अन्यथा उन्हें नकद–उत्पादक इकाइयों के सबसे छोटे समूह को आवंटित किया जाता है, जिसके लिए एक उचित और सुसंगत आवंटन आधार पहचाना जा सकता हो।

उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है।

यदि किसी परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान है, तो परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। क्षति हानि को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है, जब तक कि संबंधित परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं रखा जाता है, जिस स्थिति में क्षति हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना जाता है और इस सीमा तक कि क्षति हानि संबंधित पुनर्मूल्यांकन अधिशेष से अधिक है, अतिरिक्त क्षति हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

जहां एक क्षति हानि बाद में प्रत्यावर्तित कर दी जाती है, परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस तरह कि बढ़ी हुई वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती यदि परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) के लिए पिछले वर्षों में कोई क्षति हानि नहीं पहचानी गई होती। क्षति हानि के प्रत्यावर्तित होने को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है, इस सीमा तक कि यह उस क्षति हानि को समाप्त कर देता है जिसे पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए पहचाना गया है। इस राशि से अधिक की किसी भी वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

9- eky lwph

मालसूची को लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर दर्शाया जाता है। लागत में प्रत्यक्ष सामग्री और, जहाँ लागू हो, प्रत्यक्ष श्रम लागत और वे ओवरहेड शामिल हैं जो मालसूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च किए गए हैं। लागत की गणना एफआईएफओ पद्धति का उपयोग करके की जाती है। शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य अनुमानित बिक्री मूल्य को पूरा होने की सभी अनुमानित लागतों को घटा कर दर्शाता है।

मालसूची में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) स्टेशनरी और विविध वस्तुओं का स्टॉक।

(ii) भंडार, उपकरण, मापन उपकरण।

(iii) पारगमन में होने वाली वस्तुएं।

(iv) वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित तैयार माल का स्टॉक।

(v) किराया खरीद (एचपी) और समग्र सावधि ऋण (सीटीएल) के तहत पुनः प्राप्त/जब्त/अभ्यर्पण की गई मशीनों का स्टॉक।

(i) उपकरण पट्टे के अंतर्गत पुनः कब्जा की गई/जब्त की गई/अभ्यर्पित की गई मशीनों का स्टॉक, जहां परिसंपत्तियां 01.04.2001 को या उसके बाद दी गई हों।

(ii) अप्रचलित एवं अनुपयोगी परिसंपत्तियाँ।

10- jktLo ekU;rk

निगम निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों से राजस्व प्राप्त करता है:

- कच्चे माल का वितरण, कच्चे माल की सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल छूट, विपणन के अंतर्गत वित्तीय गतिविधियाँ;
- एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण शुल्क;
- डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) की सदस्यता शुल्क;
- प्रबंधन शुल्क (एनवीसीएफएल)
- निधि द्वारा प्रतिपूर्ति व्यय (एसआरआई फण्ड एनवीसीएफएल)
- प्रशिक्षण गतिविधियाँ और सामान्य सुविधाएँ;
- तकनीकी इन्क्यूबेशन सेंटर (टीआईसी) इकाइयों से रॉयल्टी आय;
- पट्टे पर देना।

राजस्व को उस मूल्य (अर्थात, लेन–देन मूल्य) के आधार पर मापा जाता है, जिसके लिए निगम को ग्राहक के साथ अनुबंध में हकदार होने की उम्मीद है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि जैसे जीएसटी शामिल नहीं है। निगम राजस्व को तब मान्यता देता है जब वह किसी उत्पाद या सेवा का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करता है।

निगम लेन–देन मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और अपनी परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करता है। ग्राहक द्वारा दिए गए प्रतिफल की प्रकृति, समय और राशि, लेन–देन मूल्य के अनुमान को प्रभावित करते हैं। ब्याज राजस्व को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिस सीमा तक अनुबंध परिसंपत्ति (या प्राप्य) को ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए लेखांकन में मान्यता दी जाती है। भारतीय लेखाकन मानक 109 के अनुसार प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिकलित ब्याज को लाभ या हानि में मान्यता दी जानी चाहिए।

विपणन, कच्चे माल की सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता और बिल छूट के अंतर्गत वित्तीय गतिविधियाँ

i ऋण और अग्रिम के संबंध में ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके मान्यता प्रदान की जाती है। निगम की विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं के तहत दंडात्मक ब्याज/विलंबित भुगतान पर ब्याज/अतिरिक्त/सामान्य ब्याज, जहाँ भी वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है, उसे उसकी वसूली के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है। जहाँ इकाई के खाते फ्रोजन हैं, वहाँ इकाई के खाते पर कोई और ब्याज नहीं लगाया जाता है।

ii जहाँ ऋण और अग्रिम 90 दिन पूर्व बकाया राशि की श्रेणी में आते हैं, वहाँ कोई ब्याज आय नहीं मानी जाती।

iii जहाँ ऋण और अग्रिम 90 दिन पूर्व बकाया राशि की श्रेणी में आते हैं, वहाँ उपार्जित लेकिन वसूल न किया गया ब्याज, रिपोर्टिंग तिथि पर ब्याज आय से 'अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत (पीआईएस)' के रूप में उलट दिया जाता है और तदनुसार कुल बकाया राशि से घटा दिया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ लागू बैंक गारंटी की आय रिपोर्टिंग तिथि तक प्राप्त नहीं होती।

iv बैंक गारंटी के विरुद्ध आरएमए/एडब्ल्यूआरटी/बीडी के अंतर्गत अतिदेय अग्रिमों के संबंध में दंडात्मक शुल्क लगाए जाते हैं और उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

v बैंक गारंटी (बीजी) को भुनाए जाने पर पर, इकाई का खाता बीजी जारी करने वाले बैंक के साथ अपना दावा पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से फ्रीज कर दिया जाता है और कुल बकाया राशि में शामिल अर्जित लेकिन वसूल न किया गया ब्याज, यदि कोई हो, को ब्याज आय से 'अतिरिक्त/सामान्य ब्याज सस्पेंस (पीआईएस)' के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है। वर्ष के अंत में, यदि निगम के नामित बैंक खाते में भुनाई गई बीजी की आय प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी राशि को ''बैंक से प्राप्तियां'' के रूप में माना जाता है। हालाँकि, जहाँ बैंक भुनाई गई बैंक गारंटियों की आय जारी करने में देरी करता है, तो दावा दायर करने की तिथि से निगम के नामित बैंक खाते में आय प्राप्त होने की तिथि तक विलंबित अवधि के लिए ब्याज, यदि कोई हो, तो इसकी वसूली के वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

vi ब्याज आय (एनवीसीएफएल)

सावधि जमा पर ब्याज आय मूल बकाया और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में समय के आधार पर अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्ति को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि से छूट देती है।

vii प्रसंस्करण शुल्क को अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि पर बीजी के प्रति आरएमए/एडब्ल्यूआरटी/बीडी के तहत समय आनुपातिक आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

viii आवेदन प्रसंस्करण शुल्क, जहां भी लागू हो, अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि पर आय के रूप में माना जाता है।

ix किराए पर खरीद किए गए और उपकरण पट्टे पर देने के मामले में पुनः कब्जा की गई/जब्त की गई/अभ्यर्पित की गई मशीनों की बिक्री आय उनके मूल्य से अधिक होने पर पुनः कब्जा/जब्ती/अभ्यर्पण की तिथि पर चूककर्ता किराएदार/पट्टेदार के खाते में समायोजित की जाती है। किराएदार/पट्टेदार से देय राशि से अधिक किसी भी अतिरिक्त राशि को बिक्री आय के उपार्जन के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

dPp eky dk forj.k

राजस्व की गणना उस प्रतिफल के आधार पर की जाती है जिसके लिए निगम को ग्राहक के साथ अनुबंध में हकदार होने की उम्मीद है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्रित की गई राशि जैसे कि जीएसटी शामिल नहीं है। निगम राजस्व को तब मान्यता देता है जब वह किसी उत्पाद का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करता है।

एकल बिंदु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क

एकल बिन्दु पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क को केवल अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि की तिथि पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, अर्थात नए पंजीकरण/नवीनीकरण/संशोधन के लिए प्रमाण पत्र जारी करना।

डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) का सदस्यता शुल्क

डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) के अंतर्गत बी2बी पोर्टल (एमएसएमई मार्ट) की सदस्यता शुल्क को केवल अंतर्निहित निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि अर्थात इकाई की सदस्यता के सक्रियण पर ही आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

çc/ku 'kq;Yd ¼,uohlh,Q,y½

भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों और फंड के योगदानकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित योगदान समझौते के अनुसार, एनवीसीएफएल द्वारा एक निवेश प्रबंधन शुल्क ('प्रबंधन शुल्क') प्राप्य है। योगदान समझौते में निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में एनवीसीएफएल द्वारा प्राप्य प्रबंधन शुल्क, वास्तव में निधि के निपटान में रखे गए कोष का।

QM }kjk 0;; dh çfrifr ¼,lvkjvkbZ QM ,uohlh,Q,y½

एसआरआई फंड की ओर से कंपनी द्वारा खर्च की गई किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति फंड द्वारा फंड दस्तावेजों के अनुसार की जाती है तथा उसे खातों की पुस्तकों में जमा/समायोजित किया जाता है।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ और सामान्य सुविधाएँ

प्रशिक्षण गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को प्रायोजित प्रशिक्षण को छोड़कर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने तक प्रोद्भव (समय अनुपात) के आधार पर मान्यता दी जाती है। प्रायोजित और अन्य संबद्ध प्रशिक्षण से प्राप्त राजस्व को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है और जब यह निश्चित हो जाता है कि अनुबंध/संविदा/एमओयू के निबंधनों और शर्तों के अनुसार शुल्क वसूल किया जाएगा। सामान्य सुविधाओं (जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सामग्री परीक्षण शुल्क, जॉब वर्क शुल्क, एनटीएससी में मशीनों पर मशीनिंग सुविधा आदि शामिल हैं) से प्राप्त राजस्व को परीक्षण और जॉब वर्क के पूरा होने पर मान्यता दी जाती है।

rduhdh buD;cs'ku lsVj ¼Vhvkblh½ bdkbZ;ksa ls j,;YVh vk;

टीआईसी इकाइयों से रॉयल्टी के कारण प्राप्त राजस्व को उपार्जन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। शुल्क/रॉयल्टी को नामांकित प्रशिक्षुओं की संख्या, पाठ्यक्रम शुल्क और पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर मासिक आधार पर मान्यता दी जाती है।

iêk

उपरोक्त बिंदु 4 (ख) का संदर्भ लें।

fMØh fu.k;

जहां निगम के पक्ष में डिक्री प्रदान की गई है, वहां बकाया राशि की वसूली के समय इकाई के खातों में आवश्यक समायोजन किया जाता है।

11- deZpkjh ykHk

कर्मचारी लाभों में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवांत लाभ शामिल हैं।

¼d½vYikof/k deZpkjh ykHk

अल्पावधि कर्मचारी लाभ में वेतन, भत्ते, वार्षिक अवकाश और बीमारी अवकाश, निष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) जैसी कर्मचारी लागतें शामिल होती हैं, जो उस वर्ष के दौरान अर्जित होती हैं, जिसमें निगम के कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताओं को संबंधित सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की बिना छूट वाली राशि पर मापा जाता है।

[k½ jkT xkj&i'p ykHk vkj vU; nh?kZdkfyd deZpkjh ykHk

fu/kkZfjr vf'knku ;kstuk

निर्धारित अंशदान एक रोजगार–पश्च लाभ योजना है, जिसमें निगम विभिन्न संगठनों में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है तथा आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। निगम द्वारा भविष्य निधि,

पेंशन निधि, सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और परोपकार निधि (बीएफ) में किए गए अंशदान को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए/देय ऐसे अंशदान को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

भविष्य निधि में एनएसआईसी अंशदान एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि में किया जाता है और पेंशन निधि में अंशदान ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया जाता है। पीआरएमबी के संबंध में, चिकित्सा कोष लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार बनाया जाता है जिसका उपयोग बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के लिए किया जाता है। परोपकार निधि में अंशदान निधि के नियमों के अनुसार किया जाता है।

भविष्य निधि में एनवीसीएफएल अंशदान ईपीएफओ को दिया जाता है और पेंशन में अंशदान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को दिया जाता है और इसे परिभाषित अंशदान माना जाता है।

fu/kkfjr ykHk ;kstuk

एक परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगार–पश्चात लाभ योजना है। निगम द्वारा भविष्य निधि (केवल एनएसआईसी), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों, जैसे बीमारी अवकाश और सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता, के प्रति निगम की देयता को परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत माना जाता है। भविष्य निधि में अंशदान एक अलग ट्रस्ट (केवल एनएसआईसी) के माध्यम से संचालित निधि में जमा किया जाता है।

ऐसी निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत दायित्व का वर्तमान मूल्य, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकित लाभ और हानि शामिल हैं, को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय में। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन तुरंत प्रतिधारित आय में परिलक्षित होता है और इसे लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

12- iwoZ vof/k dh ;s vkj vk;

निगम के पिछले वर्ष के प्रचालन से प्राप्त राजस्व के 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाएगा।

13- iwoZ inRr en

आगामी वित्तीय वर्ष(वर्षों) से संबंधित व्यय को केवल पूर्व भुगतान माना जाएगा, जहां भुगतान प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रुपए से अधिक होगा।

14- djk/kku

अवधि के लिए कर व्यय में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर, उस सीमा को छोड़कर जो अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहां कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि में रिपोर्ट किए गए शुद्ध लाभ से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की ऐसी मदें शामिल नहीं होती हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य होती हैं और इसमें ऐसी मदें भी शामिल नहीं होती हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होती हैं। वर्तमान कर के लिए निगम की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

प्रावधान उन मामलों के लिए मान्यता प्राप्त है जिनके लिए कर निर्धारण अनिश्चित है लेकिन यह संभावित माना जाता है कि भविष्य में कर प्राधिकारी को धन का बहिर्वाह होगा। प्रावधानों को देय होने वाली अपेक्षित राशि के सर्वोत्तम अनुमान पर मापा जाता है। मूल्यांकन विशेषज्ञ स्वतंत्र कर सलाह पर आधारित है ।

vkLFkfxr dj

आस्थगित कर वह कर है जो वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संगत कर आधारों के बीच अंतर पर देय या वसूल किए जाने की प्रत्याशा है, और इसका लेखांकन देयता पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना न रहे कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे परिसंपत्ति का सम्पूर्ण या आंशिक भाग वसूल किया जा सके।

आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है, जो उस अवधि में लागू होने की प्रत्याशा होती है जब देयता का निपटान हो जाता है या कर कानूनों (अर्थात आयकर अधिनियम, 1961) और उन दरों के आधार पर परिसंपत्ति की वसूली हो जाती है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हो चुकी हैं।

lek;kstu

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है, जब वर्तमान कर देनदारियों के प्रति वर्तमान कर

परिसंपत्तियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब वे एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हों और निगम अपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का निपटान शुद्ध आधार पर करना चाहता हो।

15- foÙkh; fy[kr

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को निगम के तुलन–पत्र में तब मान्यता दी जाती है जब वह लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय उन व्यापार प्राप्तियों के जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे उत्तरदायी लेनदेन लागतों को प्रारंभिक मान्यता पर, उचित रूप से, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे उत्तरदायी लेनदेन लागतों को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है।

foÙkh; ifjlaifRr;k

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर, या तो परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर उनकी संपूर्णता में मापा जाता है।

¼d½ foÙkh; ifjlaifÙk;ksa dk oxhZdj.k

वित्तीय परिसंपत्तियां जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना होता है;
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें बाद में अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर पूरा किया जाता है;
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होता है।

डिफॉल्ट रूप से, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

¼ii½ ifj'kq)rk ykxr vkSj çHkkoh C;kt fof/k

प्रभावी ब्याज विधि वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत की गणना करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज आय आवंटित करने की एक विधि है।

खरीदी गई या उत्पन्न ऋण–बाधित वित्तीय परिसंपत्तियों (अर्थात् ऐसी परिसंपत्तियां जो आरंभिक मान्यता पर ऋण–बाधित हैं) के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों (सभी शुल्कों और भुगतान किए गए या प्राप्त किए गए बिंदुओं सहित जो प्रभावी ब्याज दर, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट का एक अभिन्न अंग है) को छूट देती है, जिसमें अपेक्षित ऋण हानियों को छोड़कर, वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान, या जहां उपयुक्त हो, एक लघु अवधि तक, आरंभिक मान्यता पर ऋण लिखत की सकल अग्रेणीत राशि शामिल है।

वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत वह राशि है जिस पर वित्तीय परिसंपत्ति को प्रारंभिक मान्यता में मापा जाता है, जिसमें मूलधन की चुकौती घटा दी जाती है, साथ ही उस प्रारंभिक राशि और परिपक्वता राशि के बीच किसी भी अंतर को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके संचयी परिशोधन, किसी भी हानि भत्ते के लिए समायोजित किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि किसी भी हानि भत्ते के लिए समायोजित करने से पहले वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है, जिसे बाद में परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है। खरीदी गई या उत्पन्न ऋण–बाधित वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज आय की गणना की जाती है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के जो बाद में ऋण बाधित हो गई हैं (नीचे देखें)। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो बाद में ऋण–क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज आय की पहचान की जाती है। यदि, बाद की रिपोर्टिंग अवधि में, ऋण–बाधित वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम में सुधार होता है, ताकि वित्तीय परिसंपत्ति अब ऋण बाधित न रहे, तो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

ब्याज आय को टिप्पणी 21 के तहत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

¼iii½ ,QohVhvkslhvkbZ dh :i esa ekfer bfDoVh fy[kr

प्रारंभिक मान्यता पर, निगम इक्विटी लिखतों में निवेश को

एफवीटीओसीआई के अनुसार नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन (लिखत–दर–लिखत आधार पर) कर सकता है। यदि इक्विटी निवेश को ट्रेडिंग के लिए रखा जाता है या यदि यह किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त आकस्मिक प्रतिफल है, तो एफवीटीओसीआई में नामित करने की अनुमति नहीं है।

एफवीटीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागत पर मापा जाता है। इसके बाद, उन्हें अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न लाभ और हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है और निवेश पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। इक्विटी निवेश के निपटान पर संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, इसके बजाय, इसे प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

इक्विटी लिखत में इन निवेशों पर लाभांश को भारतीय लेखाकन मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व न करें। लाभांश को टिप्पणी 21 के तहत लाभ या हानि में शामिल किया जाता है।

निगम ने इक्विटी उपकरणों में सभी निवेशों को, जो व्यापार के लिए नहीं रखे गए हैं, प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीओसीआई के रूप में नामित किया है (टिप्पणी 7 देखें)।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को व्यापार के लिए रखा जाता है यदि:

- इसे मुख्यतः निकट भविष्य में बेचने के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया है;
- प्रारंभिक मान्यता के अनुसार यह पहचाने गए वित्तीय लिखतों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है जिसे निगम एक साथ प्रबंधित करता है और इसमें अल्पकालिक लाभ लेने के हाल के वास्तविक पैटर्न का साक्ष्य है;
- यह एक व्युत्पन्न है (ऐसे व्युत्पन्न को छोड़कर जो एक वित्तीय गारंटी अनुबंध या एक निर्दिष्ट और प्रभावी हेजिंग उपकरण है)

¼iii½ ,QohVhih,y ij foÙkh; ifjlaifÙk;k

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो परिशोधित लागत या एफवीटीपीएल (ऊपर (i) से (ii) देखें) पर मापे जाने के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें एफवीटीपीएल पर मापा जाता है। विशेष रूप से:

- इक्विटी लिखतों में निवेश को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि निगम एक इक्विटी निवेश को नामित नहीं करता है जो न तो व्यापार के लिए रखा जाता है और न ही प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीओसीआई के रूप में व्यवसाय संयोजन से उत्पन्न आकस्मिक प्रतिफल है (ऊपर (iii) देखें);
- वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत मानदंड या एफवीटीओसीआई मानदंड (ऊपर (i) और (ii) देखें) को पूरा नहीं करती है, उन्हें एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत मानदंड या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करती है, उसे प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया जा सकता है, यदि ऐसा निर्धारण माप या मान्यता असंगति (तथाकथित 'लेखांकन बेमेल') को समाप्त करता है या महत्वपूर्ण रूप से कम करता है जो परिसंपत्तियों या देनदारियों को मापने या विभिन्न आधारों पर उन पर लाभ और हानि को पहचानने से उत्पन्न होगी। निगम ने किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है, तथा किसी भी उचित मूल्य लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

¼[k½ foÙkh; ifjlaifÙk;ksa dh gkfu

आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019–20 दिनांक 13.03.2020 के आधार पर, इंडएएस–109 के अनुसार ईसीएल को वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय लिखतों में हानि भत्ते के रूप में मान्यता दी गई है। आरबीआई द्वारा जारी इंडएएस और आईआरएसीपी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्राप्य और ऋण और अग्रिम (ब्याज उचिन्त खाते का निवल) के लिए प्रावधान करने के वर्गीकरण और मानदंड भी इसके साथ संलग्न हैं।

निगम वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता को मान्यता देता है, जिन्हें परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई, पट्टा प्राप्तियों, व्यापार प्राप्तियों और अनुबंध परिसंपत्तियों के साथ–साथ वित्तीय गारंटी अनुबंधों पर मापा जाता है। अपेक्षित ऋण हानियों की राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर संबंधित वित्तीय लिखत की प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अद्यतन की जाती है।

निगम सदैव ऋण और अग्रिम, व्यापार प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और पट्टा प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित ऋण घाटे (ईसीएल) की पहचान करता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण घाटे का अनुमान निगम के ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव के आधार पर प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करके लगाया जाता है, जिसे देनदारों, सामान्य आर्थिक स्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि पर स्थितियों की वर्तमान और पूर्वानुमानित दिशा दोनों के आकलन के लिए समायोजित किया जाता है, जिसमें उचित होने पर धन का समय मूल्य भी शामिल है।

अन्य सभी वित्तीय लिखतों के लिए, निगम आजीवन ईसीएल को मान्यता देता है, जब प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।

आजीवन ईसीएल अपेक्षित ऋण घाटे को दर्शाता है जो किसी वित्तीय लिखत के अपेक्षित जीवनकाल में सभी संभावित चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप होगा।

ऊपर उल्लिखित आरबीआई अधिसूचना दिनांक 13.03.2020 के अनुसार, वित्तपोषण योजना के तहत प्राप्तियां तथा ऋण और अग्रिम, जिसमें किराया खरीद, लीजिंग, कच्चा माल सहायता, बिल छूट, सावधि ऋण, समग्र सावधि ऋण, बैंकों से प्राप्तियां आदि के अंतर्गत बकाया राशि के संबंध में प्राप्तियां शामिल हैं, जहां इंड एएस–109 के तहत हानि भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान से कम है, निगम कर के बाद अपने शुद्ध लाभ या हानि से अंतर को एक अलग 'हानि आरक्षित' में विनियोजित करता है। ऐसा हस्तांतरण लाभ के विरुद्ध प्रभार नहीं होगा; इसके बजाय, करों के पश्चात लाभ या हानि के प्रति विनियोजित किया जाएगा।

¼i½ _.k tkf[ke e mYy[kuh; of)

यह आकलन करने में कि क्या किसी वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, निगम रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय लिखत पर होने वाले चूक के जोखिम की तुलना प्रारंभिक मान्यता की तिथि पर वित्तीय लिखत पर होने वाले चूक के जोखिम से करता है। यह आकलन करने में, निगम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की जानकारी पर विचार करता है जो उचित और समर्थन योग्य है, जिसमें ऐतिहासिक अनुभव और भविष्य–उन्मुख जानकारी शामिल है जो बिना किसी अनावश्यक लागत या प्रयास के उपलब्ध है। विचार की जाने वाली भविष्य–उन्मुख जानकारी में उन उद्योगों की भविष्य की संभावनाएं शामिल हैं जिनमें निगम के देनदार कार्य करते हैं, जो आर्थिक विशेषज्ञ रिपोर्टों, वित्तीय विश्लेषकों, सरकारी निकायों, प्रासंगिक थिंक–टैंक और अन्य समान संगठनों से प्राप्त की जाती हैं, साथ ही निगम के मुख्य संचालन से संबंधित वास्तविक और पूर्वानुमानित आर्थिक जानकारी के विभिन्न बाहरी स्रोतों पर विचार किया जाता है।

विशेष रूप से, यह आकलन करते समय कि क्या प्रारंभिक पहचान के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान में रखा जाता है:

- वित्तीय लिखत के बाह्य (यदि उपलब्ध हो) या आंतरिक मूल्यांकन में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण गिरावट;
- किसी विशेष वित्तीय लिखत के लिए ऋण जोखिम के बाह्य बाजार संकेतकों में महत्वपूर्ण गिरावट, उदाहरण के लिए ऋण प्रसार में महत्वपूर्ण वृद्धि, देनदार के लिए ऋण चूक अदला–बदली मूल्य, या समय की अवधि या वह सीमा जिस तक किसी वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य उसकी परिशोधित लागत से कम रहा है;
- व्यवसाय, वित्तीय या आर्थिक स्थितियों में विद्यमान या पूर्वानुमानित प्रतिकूल परिवर्तन, जिनके कारण देनदार की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है;
- देनदार के परिचालन परिणामों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण गिरावट;
- उसी देनदार के अन्य वित्तीय लिखतों पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि;
- देनदार के विनियामक, आर्थिक या तकनीकी वातावरण में कोई वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप देनदार की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण कमी आती है।

किसी वित्तीय लिखत में ऋण जोखिम निम्न माना जाता है यदि:

- वित्तीय लिखत में चूक का जोखिम कम है;
- देनदार के पास निकट भविष्य में अपने संविदागत नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है;
- दीर्घावधि में आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन, उधारकर्ता की संविदागत नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को कम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो।

निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को कम ऋण जोखिम वाला मानता है, जब परिसंपत्ति की आंतरिक रेटिंग प्रदर्शनकारी होती है। प्रदर्शनकारी परिसंपत्ति का अर्थ है कि प्रतिपक्ष के पास मजबूत वित्तीय स्थिति है या जो वैध बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है या जो लेनदारों के साथ बैक टू बैक व्यवस्था के तहत सुरक्षित है ।

वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए, जिस तिथि पर निगम अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता का पक्षकार बनता है, उसे वित्तीय लिखत की हानि के आकलन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक मान्यता की तिथि माना जाता है। यह आकलन करते समय कि क्या वित्तीय गारंटी अनुबंध की प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, निगम जोखिम में होने वाले परिवर्तनों पर विचार करता है कि निर्दिष्ट देनदार अनुबंध पर चूक करेगा।

निगम नियमित रूप से उन मानदंडों की प्रभावशीलता की निगरानी करता है, जिनका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथा उन्हें उचित रूप से संशोधित करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मानदंड ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि की पहचान करने में सक्षम हैं।

¼ii½ pd dh ifjHkk"kk

निगम आंतरिक ऋण जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को चूक की घटना मानता है, क्योंकि ऐतिहासिक अनुभव से पता चलता है कि निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियां आमतौर पर वसूली योग्य नहीं होती हैं:

- जब देनदार द्वारा वित्तीय अनुबंधों का उल्लंघन किया जाता है;
- आंतरिक रूप से विकसित या बाहरी स्रोतों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि देनदार द्वारा निगम सहित अपने लेनदारों को पूर्ण भुगतान करने की संभावना नहीं है (निगम द्वारा धारित किए गए किसी भी संपार्श्विक को ध्यान में रखे बिना)

¼iii½ _.k&{kfrxLr fo'kh; ifjlaifÙk;k¡

एक वित्तीय परिसंपत्ति तब क्रेडिट–क्षीण होती है जब एक या अधिक घटनाएं घटित होती हैं जिनका उस वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव

पड़ता है। इस साक्ष्य में कि एक वित्तीय परिसंपत्ति क्रेडिट–क्षीण है, निम्नलिखित घटनाओं के बारे में अवलोकन योग्य डेटा शामिल हैरू

- जारीकर्ता या उधारकर्ता की गंभीर वित्तीय कठिनाई;
- अनुबंध का उल्लंघन, जैसे कि चूक या पिछली देय घटना (उपर्युक्त (पप) देखें);
- उधारकर्ता के ऋणदाता(ओं) द्वारा, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या संविदात्मक कारणों से, उध ारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करना, जिन पर ऋणदाता(ओं) द्वारा अन्यथा विचार नहीं किया जाता;
- यह संभावना बनती जा रही है कि उधारकर्ता दिवालियापन या अन्य वित्तीय पुनर्गठन में प्रवेश करेगा;
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए सक्रिय बाजार का लुप्त होना।

¼iv½ cVV&[kkrs e Mkyr tkus lacaèkh uhfr

निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब बट्टे खाते में डाल देता है जब ऐसी सूचना मिलती है कि देनदार गंभीर वित्तीय कठिनाई में है और वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। निगम ने चूक वसूली समितियों का गठन किया है जो मामले दर मामले आधार पर ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की समीक्षा करती हैं और उन्हें बट्टे खाते में डालने की सिफारिश करती हैं। बट्टे खाते में डाली गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ अभी भी निगम की वसूली प्रक्रियाओं के तहत प्रवर्तन गतिविधियों के अधीन हो सकती हैं, जहाँ उचित हो, कानूनी सलाह को ध्यान में रखते हुए। की गई किसी भी वसूली को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

¼v½ izR;kf'kr _.k gkfu;ksa dk ekiu vkSj igpku

अपेक्षित ऋण घाटे का मापनचूक की संभावना, चूक के कारण हानि (अर्थात चूक होने पर नुकसान की मात्रा) और चूक के प्रभावके आधार पर गणना किया जाने वाला होता है। चूक की संभावना और चूक के कारण हानि का आकलन ऊपर वर्णित अनुसार अग्रगामी सूचनाओं द्वारा समायोजित ऐतिहासिक डाटा पर आधारित है। जहां तक चूक पर जोखिम की बात है, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, इसे रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि द्वारा दर्शाया जाता है; वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए, जोखिम में गारंटीकृत ऋण की वह राशि शामिल होती है जिसे रिपोर्टिंग तिथि तक निकाला गया है, साथ ही ऐतिहासिक प्रवृत्ति, देनदारों की विशिष्ट भविष्य की वित्तपोषण आवश्यकताओं के बारे में निगम की समझ और अन्य प्रासंगिक अग्रगामी सूचनाओं के आधार पर निर्धारित चूक की तिथि तक उधारकर्ता द्वारा भविष्य में निकाले जाने की अपेक्षित कोई अतिरिक्त गारंटीकृत राशि भी शामिल होती है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्याशित ऋण हानि का अनुमान अनुबंध के अनुसार निगम को देय सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों और निगम द्वारा प्राप्त होने की अपेक्षा की जाने वाली सभी नकदी प्रवाहों के बीच अंतर के रूप में लगाया जाता है, जिसे मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी जाती है। पट्टा प्राप्य के लिए, प्रत्याशित ऋण हानियों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नकदी प्रवाह, भारतीय लेखाकन मानक 116 के अनुसार पट्टा प्राप्य को मापने में उपयोग किए जाने वाले नकदी प्रवाह के अनुरूप होते हैं।

वित्तीय गारंटी अनुबंध के लिए, चूंकि निगम को गारंटीकृत लिखत की शर्तों के अनुसार देनदार द्वारा चूक की स्थिति में ही भुगतान करने की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्याशित हानि भत्ता धारक को होने वाली ऋण हानि की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित भुगतान होता है, जिसमें से निगम द्वारा धारक, देनदार या किसी अन्य पक्ष से प्राप्त होने की अपेक्षा की गई राशि घटा दी जाती है।

यदि निगम ने किसी वित्तीय लिखत के लिए हानि भत्ते को पिछले रिपोर्टिंग अवधि में आजीवन ईसीएल के बराबर राशि पर मापा है, लेकिन वर्तमान रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करता है कि आजीवन ईसीएल की शर्तें अब पूरी नहीं होती हैं, तो निगम वर्तमान रिपोर्टिंग तिथि पर 12 महीने की ईसीएल के बराबर राशि पर हानि भत्ते को मापता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जिनके लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था।

एक वित्तीय परिसंपत्ति तब क्रेडिट–क्षीण होती है जब एक या अधिक घटनाएं घटित होती हैं जिनका उस वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस साक्ष्य में कि एक वित्तीय परिसंपत्ति क्रेडिट–क्षीण है, निम्नलिखित घटनाओं के बारे में अवलोकन योग्य डेटा शामिल हैः

एफवीटीओसीआई में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश को छोड़कर, निगम सभी वित्तीय साधनों के लाभ या हानि में हानि भत्ता खाते के माध्यम से उनकी अग्रणीत राशि के अनुरूप समायोजन के साथ हानि लाभ या हानि को पहचानता है, जिसके लिए हानि भत्ता अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है और ओसीआई के माध्यम से अन्य रिजर्व में जमा होता है और वित्तीय स्थिति के विवरण में वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को कम नहीं करता है।

¼x½ foÙkh; ifjlaifÙk;ksa dk foekU; djuk

निगम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तभी विमान्य करता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य करने पर, परिसंपत्ति की वहन राशि और प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश को विमान्यरद्द करने पर, ओसीआई के माध्यम से अन्य आरक्षित में पहले से संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इसके विपरीत, किसी इक्विटी लिखत में निवेश को विमान्य किए जाने पर जिसे निगम ने एफवीटीओसीआई पर मापने के लिए प्रारंभिक मान्यता पर चुना है, निवेश पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में पहले से संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि

में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि उसे प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

वित्तीय देयताएं और इक्विटी

(i) ऋण या इक्विटी के रूप में वर्गीकरण

ऋण और इक्विटी लिखतों को संविदात्मक व्यवस्थाओं के सार और वित्तीय दायित्व और इक्विटी उपकरण की परिभाषाओं के अनुसार वित्तीय देनदारियों या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) इक्विटी लिखत

इक्विटी लिखत कोई भी अनुबंध है जो किसी इकाई की सभी देनदारियों को घटाने के बाद उसकी परिसंपत्तियों में शेष ब्याज को प्रमाणित करता है। निगम द्वारा जारी की गई इक्विटी लिखत को प्रत्यक्ष निर्गम लागतों को घटाकर प्राप्त आय पर मान्यता दी जाती है।

(iii) वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति या एफवीटीपीएल का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। हालाँकि, वित्तीय देनदारियाँ जो तब उत्पन्न होती हैं जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति का हस्तांतरण मान्यता समाप्ति के लिए योग्य नहीं होता है या जब निरंतर भागीदारी दृष्टिकोण लागू होता है, और निगम द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध, नीचे निर्धारित विशिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुसार मापा जाता है।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय देनदारियां

वित्तीय देनदारियों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वित्तीय देयता (प) किसी व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता का आकस्मिक प्रतिफल है, (पप) व्यापार के लिए रखी गई है या (पपप) इसे एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया गया है।

वित्तीय देयता को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि:

- इसे मुख्यतः निकट भविष्य में पुनर्खरीद करने के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया है;
- प्रारंभिक मान्यता के अनुसार यह पहचाने गए वित्तीय साधनों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है जिसे निगम एक साथ प्रबंधित करता है और इसमें अल्पकालिक लाभ लेने का एक हालिया वास्तविक पैटर्न है;
- यह एक व्युत्पन्न है, सिवाय उस व्युत्पन्न के जो एक वित्तीय गारंटी अनुबंध या एक निर्दिष्ट और प्रभावी हेजिंग लिखत है।

FVTPL में फाइनेंशियल लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पर मापा जाता है, फेयर वैल्यू में बदलाव से होने वाले किसी भी फायदे या नुकसान को प्रॉफिट या लॉस में तब तक माना जाता है जब तक वे किसी तय हेजिंग रिलेशनशिप का हिस्सा न हों। प्रॉफिट या लॉस में माना गया नेट गेन या लॉस, फाइनेंशियल लायबिलिटी पर दिया गया कोई भी इंटरेस्ट शामिल करता है और इसे प्रॉफिट या लॉस में श्दूसरे फायदे और नुकसानश में शामिल किया जाता है।

हालांकि, श्टज्ज्स् के तौर पर तय फाइनेंशियल लायबिलिटीज के लिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में बदलाव की वह रकम जो उस लायबिलिटी के क्रेडिट रिस्क में बदलाव की वजह से होती है, उसे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में माना जाता है, जब तक कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लायबिलिटी के क्रेडिट रिस्क में बदलाव के असर की पहचान से प्रॉफिट या लॉस में अकाउंटिंग मिसमैच न हो या वह बढ़ न जाए। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में बदलाव की बची हुई रकम को प्रॉफिट या लॉस में माना जाता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी के क्रेडिट रिस्क की वजह से फेयर वैल्यू में होने वाले बदलाव, जिन्हें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में माना जाता है, उन्हें बाद में प्रॉफिट या लॉस में रीक्लासिफाई नहीं किया जाताय इसके बजाय, फाइनेंशियल लायबिलिटी की डीरिकॉग्निशन पर उन्हें रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

फाइनेंशियल लायबिलिटीज को बाद में अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पर मापा जाता है

फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो (i) किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायरर के कंटिंजेंट कंसीडरेशन नहीं हैं, (ii) ट्रेडिंग के लिए रखी गई हैं, या (iii) श्टज्ज्स् के तौर पर डेजिग्नेटेड नहीं हैं, उन्हें बाद में इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड का इस्तेमाल करके अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पर मापा जाता है।

इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड एक फाइनेंशियल लायबिलिटी की अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने और संबंधित पीरियड में इंटरेस्ट खर्च को एलोकेट करने का एक तरीका है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वह रेट है जो फाइनेंशियल लायबिलिटी की एक्सपेक्टेड लाइफ तक, या (जहां सही हो) कम पीरियड तक, अनुमानित फ्यूचर कैश पेमेंट (जिसमें सभी फीस और पेमेंट या रिसीव किए गए पॉइंट्स शामिल हैं जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और दूसरे प्रीमियम या डिस्काउंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं) को फाइनेंशियल लायबिलिटी की अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पर ठीक से डिस्काउंट करता है।

फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज

एक फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इश्यूअर को होल्डर को उस नुकसान की भरपाई के लिए स्पेसिफाइड पेमेंट करने की जरूरत होती है जो उसे तब होता है जब कोई स्पेसिफाइड डेटर डेट इंस्ट्रूमेंट की शर्तों के अनुसार ड्यू पेमेंट करने में फेल हो जाता है। फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज को शुरू में उनकी फेयर वैल्यू पर मापा जाता है और, अगर उन्हें श्टज्ज्स् के तौर पर नहीं बताया गया है और वे किसी एसेट के ट्रांसफर से नहीं बनती हैं, तो बाद में इनमें से जो भी ज्यादा हो, उस पर

मापा जाता है:

भारतीय लेखाकंन मानक 109 (ऊपर फाइनेंशियल एसेट देखें) के अनुसार तय लॉस अलाउंस की रकमय

शुरू में पहचानी गई रकम में से, जहाँ सही हो, ऊपर बताई गई रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी के अनुसार पहचाने गए क्यूमुलेटिव अमॉर्टाइजेशन को घटाया जाता है।

फाइनेंशियल लायबिलिटीज की डीरिकग्निशन

कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल लायबिलिटीज को डीरिकग्निशन तभी करता है, और सिर्फ तभी, जब कॉर्पोरेशन की ऑब्लिगेशन्स खत्म हो जाती हैं, कैंसल हो जाती हैं या एक्सपायर हो जाती हैं। डीरिकग्निशन की गई फाइनेंशियल लायबिलिटी के कैरिंग अमाउंट और चुकाए गए और देने लायक कंसीडरेशन के बीच के अंतर को प्रॉफिट या लॉस में पहचाना जाता है।

जब निगम मौजूदा ऋणदाता के साथ एक ऋण लिखत को दूसरे में काफी अलग शर्तों के साथ बदलता है, तो इस तरह के आदान–प्रदान को मूल वित्तीय दायित्व के उन्मूलन और एक नए वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। इसी तरह, निगम मौजूदा दायित्व या उसके हिस्से की शर्तों में पर्याप्त संशोधन को मूल वित्तीय दायित्व के उन्मूलन और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में मानता है। यह माना जाता है कि शर्तें काफी अलग हैं यदि नई शर्तों के तहत नकदी प्रवाह का छूट वाला वर्तमान मूल्य, जिसमें प्राप्त किसी भी शुल्क का शुद्ध भुगतान शामिल है और मूल प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी गई है, मूल वित्तीय दायित्व के शेष नकदी प्रवाह के छूट वाले वर्तमान मूल्य से कम से कम 10 प्रतिशत अलग है। यदि आशोधन पर्याप्त नहीं है, तो निम्न के बीच का अंतर:

(1) आशोधन से पहले देयता की वहन राशि; और

(2) आशोधन के बाद नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य अन्य लाभ और हानि के भीतर आशोधित लाभ या हानि के रूप में लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की जाती है।

16- çko/kku

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब निगम पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो, यह संभव है कि निगम को उस दायित्व का निपटान करना होगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है, जिसमें दायित्व से जुड़े जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है। जहां प्रावधान को वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके मापा जाता है, वहां इसकी वहन राशि उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य है (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है)।

जब किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की अपेक्षा की जाती है, तो प्राप्य को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

यदि आवश्यक हो तो प्रबंधन द्वारा जहां भी उचित समझा जाता है, केन्द्र सरकार/ राज्य सरकारों/सरकारी संस्थाओं/सरकारी कम्पनियों तथा अन्य केन्द्रीय/ राज्य सरकारी विभागों/ निकायों से प्राप्तियों तथा ऋण एवं अग्रिमों पर प्रावधान किए जाते हैं।

निर्यात और विपणन योजना के अंतर्गत 'प्राप्तियों' के संबंध में प्राप्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जहां तक राशि 'देय' के अंतर्गत दिखाई देती है, तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैक–टू–बैक व्यवस्था के अंतर्गत समान लेनदेन से संबंधित आपूर्तियों के लिए, आपूर्तिकर्ता को देय राशि के विरुद्ध समायोजित प्रसंस्करण शुल्क की सीमा तक।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारतीय लेखाकन मानक (इंडएएस) और आईआरएसी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्राप्य और ऋण एवं अग्रिम (ब्याज उचंत खाते का निवल) के लिए प्रावधान करने के वर्गीकरण और मानदंड इसके साथ संलग्न हैं।

dfBu vuc/k

कठिन अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है। कठिन अनुबंध तब माना जाता है जब निगम के पास ऐसा अनुबंध होता है जिसके तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत इसके तहत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है।

17- vkdfLed n;rk,a vkj vkdfLed ifjlaifÙk;k

निगम आकस्मिक देयता और/या आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं देता है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण लेखाओं कीटिप्पणी में किया जाता है।

18- fonsh eqæk njksa esa ifjorZu dk çHkko

निगम के वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निगम की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राएं) के अलावा अन्य मुद्राओं में किए गए लेनदेन को लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियाँ और देनदारियाँ उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः परिवर्तित की जाती हैं। पुनः परिवर्तित होने पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है। उचित मूल्य पर रखी गई गैर–मौद्रिक वस्तुएँ जो विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं, उन्हें उस तिथि पर प्रचलित दरों पर परिवर्तित किया जाता है जब उचित मूल्य निर्धारित किया गया था। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी गई गैर–मौद्रिक वस्तुओं का पुनः परिवर्तित नहीं किया जाता है।

y[kkdu uhfr dk vuqyXud% ukV&2& fcnq l[;k- 15¼ch½ vkj 16 çkI; vkj _.kk o vfxek dk oxhdj.k vkj çkoèkku djus ds ekinM

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी इण्डएएस और आईआरएसीपी विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में प्राप्तियों और ऋणों व अग्रिमों (उचंत खाते के ब्याज को घटाकर) के वर्गीकरण और मानदंड निम्नानुसार है:

1- çfrHkwr çkI; vkj _.k ,oa vfxe

व्यापार से प्राप्य रकम और ऋण एवं अग्रिम को ''çfrHkwr'' के रूप में समझा जाएगा (बशर्ते कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)। इसे उस सीमा तक प्रतिभूत समझा जाएगा, जहां तक एनएसआईसी के पास नगद प्रतिभूतियां उपलब्ध हों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बाजार मूल्य/डब्लूडीवी/ऐसी परिसंपत्तियों का वचनबद्ध मूल्य (जो विधिक/जब्त किए गए मामलों से संबंधित हों) और जिनकी वित्त व्यवस्था की गई हो (जो यूनिट/एनएसआईसी के कब्जे के रूप में अभिनिर्धारित हों और उसके पास पड़े हों। यूनिट से प्राप्त अग्रिम, अग्रिम धन जमा (ईएमडी), जब्त की गई मशीनें, प्रतिफल की धनराशि, अग्रिम की किस्त/ किराया, किराएदारों से प्राप्त अग्रिम/मशीनों की खरीद पर अग्रिम, जो अचल संपत्ति का संयुक्त प्रतिभूति इक्विटेबल बंधक से प्राप्त हुई हो, सरकारी विभागों, विधिमान्य बैंक गारंटी (बीजी)/ साख पत्र (एलसी) या किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा से प्राप्त हुई हो, जो संविदा के विधिमान्य करार/ संविदा/ अधिकार/ एनएसआईसी के स्वामित्व की यूनिटों की रकम, जिनमें ''बैक टू बैक'' व्यवस्था के अधीन लेनदेन भी शामिल है, उस सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया, अग्रिम (जिसकी व्यवस्था एनएसआईसी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में हो, जिसके संबंध में एमएसएमई और / या बीजी पर आरएमए के अधीन स्वीकृत सीमा में से भुगतान की गई रकम, एनएसआईसी द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा और तदनुसार आपूर्तिकर्ताओं के क्रेताओं द्वारा जमा की गई रकम, जिसका प्रावधान एनएसआईसी के पास रखी गई प्रतिभूति में भी किया गया है (जिसमें संविदा के अधिकारों के अधीन प्रतिभूति जमा रकम भी शामिल है), प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता के बराबर या 180 दिन से कम हो, विद्यमान कर्मचारियों को दिया गया कर्मचारी अग्रिम और उस पर उपार्जित ब्याज भी शामिल है, इसमें सहायता की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार यूनिटों से प्राप्त सभी प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आने वाली धनराशियों को 'अप्रतिभूत' माना जाता है।

2- foÙkh; fy[krk dk oxhdj.k

इण्डएएस–109 के अनुसार प्राप्य राशि और ऋण एवं अग्रिम से संबंधित वित्तीय लिखत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आईआरएसी विवेक पूर्ण मापदंड के अनुसार वित्तीय स्कीमों के वित्तीय लिखतों का आगे वर्गीकरण में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगी:

(i) व्यापार से प्राप्त होने वाली राशि: वित्तीय योजनाओं के अधीन व्यापार से प्राप्त होने वाली राशि में किराया खरीद और पट्टे के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्य राशि शामिल होती है, जबकि गैर वित्तीय योजनाओं में विपणन संबंधी क्रियाकलापों और अन्य (जिनमें बिक्री सेवा संबंधी लेन–देनों के कारण प्राप्त होने वाली राशि भी शामिल है) के अधीन देयताओं के संबंध में प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(ii) ऋण एवं अग्रिम: वित्त–व्यवस्था संबंधी योजनाओं के अधीन ऋण और अग्रिमों में कच्चा माल सहायता, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सहायता, बिल–बट्टा, मियादी ऋण, संमिश्र मियादी ऋण, बैंक से प्राप्त राशि आदि के अधीन देयताओं संबंधी प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(iii) अन्य: गैर–वित्तीय स्कीमों के अधीन इन लिखतों में प्राप्त होने वाली रकम और ऋण एवं अग्रिम शामिल है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाला अग्रिम भी शामिल है (जिनमें निगम के साथ किए गए समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिम सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम मुख्य रूप से शामिल हैं), प्रतिभूति जमा, कर्मचारी अग्रिम, उपार्जित ब्याज, जो उस पर देय नहीं है भी शामिल है) और अन्य परिसंपत्तियां भी शामिल हैं।

3- çkIr gkuh okyh jkf'k;k vkj _.k ,oa vfxeksa ds çko/kku lacaèkh ekinM%

वित्तीय लिखतों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण आईआरएसी मापदंडों पर इण्डएएस–109 के अनुसार हानि भत्तों को स्वीकार करने के संबंध में विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

क) इण्डएएस–109 के अनुसार प्रावधानों से ईसीएल संबंधित मापदंड व्यापार से प्राप्त राशि, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों के लिए नीचे दर्शायी गई है:–

(i) dPpk eky lgk;rk] Fkkd foØrkvksa vkj [kjnjk 0;kikfj;ksa dk lgk;rk] fcy cVVk] cdk;k çkIr gkus okyh jkf'k vkj 0;kikj ,oa vU; lsa çkIr gkus okyh jkf'k dk v/khu _.k vkj vfxe%

Pkj.k	cdk;k ÁkIr jkf'k;ksa vkj _.k ,oa vfxe dk oxhdj.k
चरण–1 (निष्पादन)	इसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है, चूंकि इनकी पहचान पहले कर ली गई थी या ये ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को कम क्रेडिट जोखिम हैं। इनमें अन्य परिसंपत्तियों के साथ–साथ ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां भी हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: क) उस सीमा तक बीजी पर आरएमए, एडब्ल्यूआरटी और बिल बट्टा, जो विधिमान्य बीजी के मूल्य के अंतर्गत आती हो– हानि भत्ता निवल बकाया के 0.40 प्रतिशत की दर से ख) जहाँ निगम को कम जोखिम होने की संभावना हो, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं: * जहाँ प्राप्त होने वाली राशि को नकद/मूर्त प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूत समझा जाता है यथा ईएमडी/अग्रिम किस्त/किराया/यूनिट से प्राप्त अग्रिम, वसूली योग्य संपार्श्विक प्रतिभूति आदि। * प्रायोजित प्रशिक्षण की बकाया देयता, जो उसके बराबर या 180 दिन से कम हो * उस सीमा तक निर्यात और विपणन स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली रकम, जो आपूर्तिकर्ता के साथ "बैक टू बैक" व्यवस्था के अधीन उसी लेन–देन के संबंध में आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रकम तक। ऐसे मामलों में, क्योंकि यहाँ ईसीएल नहीं होता है, अतः इसमें हानि भत्ते का प्रावधान नहीं किया गया है।
चरण–2 (निष्पादन के अधीन)	चरण–2 के अधीन वे वित्तीय परिसंपत्तियां आती हैं, जिनमें आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है, परंतु जिनमें हानि होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित मामले शामिल होते हैं:– d½ lkf'od d çfr vkj,e, vkj fcy fMLdkmfVx% लंबे समय से बंद हो गई हैं या जिन्हें निगम द्वारा भविष्य में चालू रखने की योजना नहीं है, लेकिन जिनके पक्ष में उस सीमा तक वसूली योग्य प्रतिभूति है जो वसूली योग्य प्रतिभूति के ऐसे मूल्य से प्रतिभूत है– निवल बकाया का 100 प्रतिशत की दर से हानिकरणछूट। [k½ cd xkjVh d çfr vkj,e,] ,MCY;vkjVh vkj fcy fMLdkmfVx% इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआर सीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और निगम के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा, ऐसे मामले जिनमें निगम को भुगतान हेतु बैंक/प्राधिकरण से कोई मनाही/अस्वीकरण प्राप्त नहीं होता है और/या भुगतान एनसीएलटी/किसी न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों आदि द्वारा स्थगित किया/रोका जाता है, – शुद्ध बकाया के 0.40% की दर से क्षतिपूर्ति भत्ता देय है। तथापि जहाँ तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई राशि प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

(ii) fdjk;k [kjhn] iVVk] fe;knh _.k] lfeJ fe;knh _.k] vkfn d v/khu ÁkIr gkuu okyh jkf'k vkj _.k ,o vfxe %

Pkj.k	cdk;k çkI;k vkj _.k ,o vfxe dk oxhdj.k
चरण–3 (गैर निष्पादन)	चरण–3 की परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होंगी, जिनके संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को हानि का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसमें वे परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, जो चरण 1 और 2 के अधीन नहीं आती हैं और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं:– क) ऐसी योजना, जो लंबे समय से बंद पड़ी हों और जिन्हें एनएसआईसी द्वारा भविष्य में चलाने का इरादा नहीं है और जिनके पक्ष में प्राप्त होने वाली कोई प्रतिभूति नहीं है। ख) योजनाएँ यथा किराया खरीद (एचपी), पट्टा (ईएलएस), संमिश्र मियादी ऋण (सीटीएल) और मियादी ऋण (टीएल)। ग) ऐसी योजना, जिनमें कोई कपट नहीं है। घ) ऐसी योजना, जहाँ दावा स्वीकार करने के संबंध में बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के साथ विवाद है और अंतिम प्राधिकारी जैसे (सीपीएसई के विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र–एएमआरसीडी है) का निर्णय एनएसआईसी के खिलाफ है। ङ) बाह्य पक्षकारों के पास पड़ी राशि/अग्रिम, जिसकी वसूली संदिग्ध है। च) एनएसआईसी छोड़ चुके/निगम से त्याग–पत्र देने वाले कर्मचारियों से प्राप्त की जाने वाली राशि और जहाँ बकाया के निपटान के लिए राशि उपलब्ध न हो। छ) प्रायोजित प्रशिक्षण से संबंधित बकाया देयताएं, जो 180 दिन से अधिक की हों। ज) ऐसी सभी अप्रतिभूत वसूल योग्य राशि और ऋण एवं अग्रिम ऐसे मामलों में निवल बकाया के 100 प्रतिशत की दर से हानिकरण छूट।

[k½ Hkkjrh; fjtoZ cSad }kjk tkjh vkbZvkj,lhih foofu;ekoyh d vk/kkj ij ekinaMkksa dk Áko/kku& यह प्रावधान व्यापार से प्राप्त राशियों, ऋण एवं अग्रिम की विभिन्न मदों से संबंधित है, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:

(i) fdjk;k [kjhn] iVVk] fe;knh _.k vkj lfeJ fe;knh _.k d v/khu ÁkI; jkf'k;k :–

क्र.सं.	योजना	निवल बकाये का प्रावधान प्रतिशत
1.	किराया खरीद	100%
2.	पट्टा	
3.	संमिश्र मियादी ऋण	
4.	मियादी ऋण	

(ii) dPpk eky lgk;rk] Fkkd foØrkvksa vkj [kjnjk 0;kikfj;ksa dk lgk;rk vkj fcy cVVk d v/khu ÁkI; jkf'k

Ø-l-	cdk;k ÁkI; jkf'k;k vkj _.k ,o vfxe dk oxhdj.k	fuoy cdk;k dk Áko/kku Áfr'kr
1	मानक परिसंपत्तियां–270 दिनों तक	0.40%
2	घटिया परिसंपत्तियां (जिनका एनपीए एक वर्ष से कम हो)	10%
3	संदिग्ध परिसंपत्तियां	
	संदिग्ध परिसंपत्तियों का प्रतिभूत अंश:	
	एक वर्ष से संदिग्ध (अर्थात् दो वर्ष से एनपीए)	20%
	एक वर्ष से 3 वर्ष तक संदिग्ध (अर्थात् 2 से 4 वर्ष से एनपीए)	30%
	तीन वर्ष से अधिक अवधि से संदिग्ध (अर्थात् 4 वर्ष से अधिक अवधि से एनपीए)	50%
	प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा प्रतिभूत नहीं की गई जिनके संबंध में निगम के पास विधिमान्य उपाय हों।	100%
4	हानि वाली परिसंपत्तियाँ, यदि बट्टे, खाते में न डाली गई हों	100%

(iii) cdk lq çkI; jkf'k;k%

इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें निगम द्वारा बैंक गारंटी मांगी गई है, लेकिन उनके दावे आस्थगित हैं या किसी आधार पर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और ऐसे मामले निगम द्वारा एएमआरसीडी, बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के उच्च प्राधिकारियों, अन्य प्राधिकारियों आदि के सामने उठाए जाएंगे, ताकि उनके हस्तक्षेप से इन मुद्दों का समाधान हो सके और एनएसआईसी के पक्ष में अंतिम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त हो। इसके अलावा, ऐसे मामले जिनमें निगम को भुगतान हेतु बैंक/ प्राधिकरण से कोई मनाही/ अस्वीकरण प्राप्त नहीं होता है और/या भुगतान एनसीएलटी/किसी न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों आदि द्वारा स्थगित किया/रोका जाता है, – शुद्ध बकाया के / 0.40: की दर से क्षतिपूर्ति भत्ता देय है।

तथापि जहाँ तुलन–पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उपर्युक्त मामलों में कोई राशि प्राप्त होती है, किसी हानि संबंधी छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है।

x½ vU; ÁkI;ksa vkj _.kksa ,o vfxesa d lqlaxr e Áko/kku lqlaxr ekinaM %

(i) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी संस्थाओं/सरकारी कंपनियों और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारी विभागों/ निकायों से प्राप्य राशियों और ऋण एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधान, यदि अपेक्षित हों, किए जाते हैं, जहाँ प्रबंधक वर्ग द्वारा ऐसा करना उचित समझा जाता है।

(ii) ऐसी प्राप्य राशियों, ऋण एवं अग्रिम के संबंध में वर्गीकरण और प्रावधान को नीचे दर्शाया गया है:

Ø-l-	cdk;k ÁkI; jkf'k;k vkj _.k ,o vfxe dk oxhdj.k
i	निम्नलिखित सभी प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम 'सुरक्षित' माने जाते हैं (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो): क) सरकारी विभागों/संस्थानों/उपक्रमों से देय प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम ख) सभी प्राप्य राशियाँ, ऋण और अग्रिम, जिनके प्रति निगम के पास मूर्त वसूलीयोग्य प्रतिभूति है ग) एमएसएमईज से पहले ही प्राप्त कर लिए गए अग्रिम की सीमा तक थोक आपूर्तिकर्ताओं (जिनका निगम के साथ समझौता ज्ञापन है) को दिए गए अग्रिम और/या बैंक गारंटी के प्रति आरएमए के अंतर्गत मंजूर की गई सीमा में से भुगतान की गई धनराशि घ) निगम द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा राशियां और तदनुरूपी आपूर्तियों के क्रेता भी निगम को प्रतिभूति उपलब्ध कराते हैं (संविदात्मक अधिकारों के अंतर्गत प्रतिभूति जमा राशियों सहित)। ङ) संविदात्मक वैध करार/संविदा के अंतर्गत निगम द्वारा भुगतान की गई सभी प्राप्य राशियाँ और ऋण एवं अग्रिम/ प्रतिभूति जमा च) निगम में कार्यरत कर्मचारियों से

ii	"हानिकृत" के रूप में माने गए प्राप्तव्य और ऋण एवं अग्रिम (जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो) जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं: (क) बाह्य पक्षकारों के पास धनराशि/अग्रिम और वसूली के लिए संदिग्ध। (ख) निगम की सेवा छोड़ देने वाले/त्यागपत्र दे देने वाले कर्मचारियों से प्राप्तियोग्य धनराशि और जब बकाया राशि को प्रतितुलित करने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध हो।	100%

fVIi.kh&3% udnh ,oa udnh lerqY;

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr		31-03-24 dks ;FkkfLFkfr	
udnh ,oa udnh lerqY;				
हस्तगत नकदी *		0.00		0.00
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट		0.01		0.00
मार्गस्थ प्रेषण		0.00		0.00
cdks esa 'k"k				
चालू खाता	7749.82		9786.71	
अन्य **	930.47	8680.29	496.99	10283.70
हस्तगत स्टाम्प		0.02		0.02
rqyu&i= dk vuqlkj		**8680.32**		**10283.72**

टिप्पणीः– उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के संदर्भ में प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

** इसमें फ्लेक्सी डिपॉजिट शेष शामिल है।

fVIi.kh&4 % udnh vkj udnh lerqY;ksa dk vykok cd 'k"k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr	31-03-24 dks ;FkkfLFkfr
tek		
सावधि जमा	1419.01	1072.35
rqyu&i= dk vuqlkj	**1419.01**	**1072.35**

नोट – 49.93 लाख रू (50.27 लाख रू) की राशि की सावधि जमा राशि 3 महीने से अधिक के लिए है और 40.52 लाख रू (38.13 लाख रू) की राशि ग्रहणाधिकार चिह्नित है।

रू. 1369.08 लाख (रू. 1022.08 लाख) की सावधि जमा राशि 3 महीने से अधिक के लिए है।

fVIi.kh&5% 0;kikj ikI; ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr	31-03-24 dks ;FkkfLFkfr
0;kikj ikI;		
सुरक्षित शोध्य माने गए	9880.34	10752.26
असुरक्षित शोध्य माने गए	75.52	242.51
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00	0.00
ऋण हानिकृत	1720.51	1665.55
	11676.37	12660.32
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71	50.71
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	266.99	280.50
	11358.67	12329.11
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1402.81	1334.34
rqyu&i= dk vuqlkj	**9955.86**	**10994.77**
0;kikj ikI;ksa dk Hkkxkfyd oxhdj.k %		
भारत में	9955.86	10994.77
भारत के बाहर	0.00	0.00
tksM+	**9955.86**	**10994.77**

vuqyXud & 5d 0;kikj çkI; ¼vk;okj lkjk'k½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
vfookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	1375.62	5547.81
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	975.84	876.47
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	1649.20	1134.06
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	1164.23	626.37
3 वर्ष से अधिक	4743.02	2769.31
mi tkM	**9907.91**	**10954.02**
fookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	12.93	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	35.02	40.76
mi tkM	**47.95**	**40.76**
fufookn 0;kikj çkI; ftlesa ØfMV tkf[ke esa mYys[kuh; of) gSa g		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM	**0.00**	**0.00**
vfookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudh ØfMV tkf[ke esa egÙoiw.kZ of) g		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM	**0.00**	**0.00**
vfookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	58.89	93.18
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	82.24	3.26
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	8.46	10.09
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	9.02	6.22
3 वर्ष से अधिक	810.53	786.44
mi tkM	**969.14**	**899.19**
fookfnr _.k gkfu—r		
6 eghus dh cjkcj ls de	5.94	0.00
6 eghus ls vf/kd & 1 o"kZ ls de dh cjkcj	0.00	0.00
1 o"kZ ls vf/kd & 2 o"kZ ls de dh cjkcj	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	745.43	766.35

mi tkM%	**751.37**	**766.35**
	11676.37	12660.32
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71	50.71
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	266.99	280.50
	11358.67	12329.11
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1402.81	1334.34
tkM%	**9955.86**	**10994.77**
0;kikj ikI;k dk Hkkxkfyd oxhdj.k %		
भारत में	9955.86	10994.77
भारत के बाहर	0.00	0.00
tkM%	**9955.86**	**10994.77**

vuqyXud & 5[k 0;kikj ikI;k dk fooj.k ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½ ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
0;kikj çkI; & fdjk;k [kjhn		
सुरक्षित शोध्य माने गए	0.00	0.00
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00	0.00
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00	0.00
ऋण हानिकृत	676.19	704.87
	676.19	704.87
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	221.91	235.42
	454.28	469.45
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	454.28	469.45
mi&tkM%	**0.00**	**0.00**
0;kikj çkI; & iêkdj.k		
सुरक्षित शोध्य माने गए	0.00	0.00
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00	0.00
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00	0.00
ऋण हानिकृत	165.85	165.85
	165.85	165.85
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71	50.71
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	44.40	44.40
	70.74	70.74
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	70.74	70.74
mi&tkM%	**0.00**	**0.00**
0;kikj ÁkI; & foi.ku		
सुरक्षित शोध्य माने गए	9575.63	10507.78
असुरक्षित शोध्य माने गए	0.00	0.00
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00	0.00
ऋण हानिकृत	259.46	259.46
	9835.09	10767.24
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.00	0.00
	9835.09	10767.24

घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	259.46		259.46	
mi&tkM%		**9575.63**		**10507.78**
0;kikj ÁkI; & vU;				
सुरक्षित शोध्य माने गए	304.71		244.48	
असुरक्षित शोध्य माने गए	75.52		242.51	
व्यापार प्राप्य, जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि है	0.00		0.00	
ऋण हानिकृत	619.01		535.37	
	999.24		1022.36	
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.68		0.68	
	998.56		1021.68	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	618.33		534.69	
mi&tkM%		**380.23**		**486.99**
tkM%		**9955.86**		**10994.77**

vuqyXud & 5x 0;kikj çkI;ksa dk vk;qokj oxhZdj.k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr	31-03-24 dks ;FkkfLFkfr
0;kikj çkI; & fdjk;k [kjhn		
vfookfnr 0;kikj ÁkI; 'kks/; eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM%	0.00	0.00
fookfnr 0;kikj ÁkI; 'kks/; eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM%	0.00	0.00
vfookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudh ØfMV tkf[ke esa egRoi.kZ of) gSA		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM%	0.00	0.00
fookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudh ØfMV tkf[ke esa egRoi.kZ of) gSA		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00

1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM%	0.00	0.00
vfookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	340.06	348.91
3 वर्ष से अधिक	340.06	348.91
mi tkM%		
fookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	336.13	355.96
mi tkM%	336.13	355.96
	676.19	704.87
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	221.91	235.42
	454.28	469.45
घटाएं: वसूली के लिए भेजे गए चैक	0.00	0.00
घटाएं: हानि हानि भत्ता	454.28	469.45
mi tkM%	**0**	**0**
0;kikj ikI; & iêkdj.k		
vfookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku% x,		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM%	0.00	0.00
fookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku% x,		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 o"k l% vf/kd	0.00	0.00
mi tkM%	0.00	0.00
vfookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudh ØfMV tkf[ke e% egÙoi.k of) g		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00

1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM%	0.00	0.00
fookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudh ØfMV tkf[ke esa egÙoi.kZ of) gS		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM%	0.00	0.00
vfookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	65.85	65.85
mi tkM%	65.85	65.85
fookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	100.00	100.00
mi tkM%	100.00	100.00
	165.85	165.85
घटाएं: जब्त पट्टा उचंत	50.71	50.71
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	44.40	44.40
	70.74	70.74
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	70.74	70.74
mi tkM%	**0**	**0**
0;kikj ÁkI; & foi.ku		
vfookfnr 0;kikj ÁkI; 'kq/n eku% x,		
6 महीने के बराबर से कम	1003.74	5145.85
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	972.43	834.91
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	1649.20	1132.13
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	1163.52	625.58
3 वर्ष से अधिक	4738.79	2734.29
mi tkM%	9527.68	10472.76
fookfnr 0;kikj ÁkI; 'kq/n eku% x,		
6 महीने के बराबर से कम	12.93	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00

1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	35.02	35.02
mi tkM%	47.95	35.02
vfookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudh ØfMV tkf[ke esa egÙoi.kZ of) gS		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM%	0.00	0.00
fookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudh ØfMV tkf[ke esa egÙoi.kZ of) gS		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM%	0.00	0.00
vfookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 महीने से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	214.70	214.70
mi tkM%	214.70	214.70
fookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	44.76	44.76
mi tkM%	44.76	44.76
	9835.09	10767.24
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.00	0.00
	9835.09	10767.24
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	259.46	259.46
mi tkM%	**9575.63**	**10507.78**
0;kikj ÁkI; & vU;		
vfookfnr 0;kikj ÁkI; 'kq/n eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	371.88	401.96
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	3.41	41.56

1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	1.93
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.71	0.79
3 वर्ष से अधिक	4.23	35.02
mi tkM%	380.23	481.26
fookfnr 0;kikj ÁkI; 'kk/; eku x,		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	5.74
mi tkM%	0.00	5.74
vfookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudh ØfMV tkf[ke esa egÙoi.kZ of) gS		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM%	0.00	0.00
fookfnr 0;kikj ÁkI;] ftudh ØfMV tkf[ke esa egÙoi.kZ of) gS		
6 महीने के बराबर से कम	0.00	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM%	0.00	0.00
vfookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	58.89	93.18
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	82.24	3.26
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	8.46	10.09
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	9.02	6.22
3 वर्ष से अधिक	189.92	156.98
mi tkM%	348.53	269.73
fookfnr _.k gkfu—r		
6 महीने के बराबर से कम	5.94	0.00
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	264.54	265.63
mi tkM%	270.48	265.63
	999.24	1022.36
घटाएं: दांडिक ब्याज उचंत	0.68	0.68

	998.56	1021.68	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	618.33	534.69	
mi tkM		**380.23**	**486.99**
tkM		**9955.86**	**10994.77**

fVIi.kh&6% _.k ,o vfxe ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
_.k ,o vfxe		
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1137.53	1143.82
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00	0.00
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	278786.39	260681.99
असुरक्षित	14049.65	11889.76
	293973.57	273715.57
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	650.10	568.55
	293323.47	273147.02
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	12282.01	11788.04
r;yu&i= d vuqlkj	**281041.46**	**261358.98**
_.kksa vkj vfxeksa dk HkkSxkfyd oxhZdj.k %		
भारत में	281041.46	261358.98
भारत से बाहर	0.00	0.00
dqy	**281041.46**	**261358.98**
ih,l;w vkj vU; dk _.k vkj vfxe%		
पीएसयू को	1911.49	1888.88
अन्य को	279129.97	259470.10
dqy	**281041.46**	**261358.98**

vuqYxud & 6d _.kksa ,o vfxeksa dk fooj.k ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
depkfj;ksa dk _.k vkj vfxe		
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	6.46	12.75
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00	0.00
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ	0.00	0.00
असुरक्षित	25.12	26.80
	31.58	39.55
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00	0.00
	31.58	39.55
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00	0.00
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.00	0.00
	31.58	39.55

udn vFkok oLrq :Ik esa ;k bldk eY; dk fy, ÁkIr fd, tkus okyk ofyyh ;ksX; vfxe

मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
vlqjf{kr	4822.68		2577.79	
	4822.68		2577.79	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	4822.68		2577.79	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1147.86	3674.82	687.47	1890.32
vU; _.k ,oa vfxe *				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1131.07		1131.07	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	278786.39		260681.99	
vlqjf{kr	9201.85		9285.17	
	289119.31		271098.23	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	650.10		568.55	
	288469.21		270529.68	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11134.15	277335.06	11100.57	259429.11
lqcf/kr i{kdkjksa dk _.k vkSj vfxe				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गऐ	0.00		0.00	
vlqjf{kr	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	0.00	0.00	0.00	0.00
tkM+		**281041.46**		**261358.98**

नोट :– 'अन्य ऋणों और अग्रिमों में वाणिज्यिक गतिविधियों के तहत बकाया राशि शामिल है अर्थात् आरएमए/एडब्ल्यूआरटी, बीडी, सीटीएल और मीयादी ऋण (विवरण के लिए अनुलग्नक 6बी देखें)

vuqyXud & 6[k _.kksa ,oa vfxeksa dk fooj.k ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½ ¼ykk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr	31-03-24 dks ;FkkfLFkfr
Fkkd vkj [knjh 0;kikfj;ksa dks dPps eky dh lgk;rk @ lgk;rk		
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	1003.70	1003.70
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00	0.00
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	276165.42	258514.32
असुरक्षित	7506.83	7584.74
	284675.95	267102.76
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	520.82	449.15
	284155.13	266653.61

घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	9414.75	274740.38	9382.15	257271.46
fcy fMLdkmfVx				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	127.37		127.37	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	2620.97		2167.67	
असुरक्षित	1509.30		1509.30	
	4257.64		3804.34	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	90.75		76.24	
	4166.89		3728.10	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	1572.21	2594.68	1570.45	2157.65
l;ä fe;knh _.k				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	170.28		175.69	
	170.28		175.69	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	34.28		38.91	
	136.00		136.78	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	136.00	0.00	136.78	0.00
fe;knh _.k				
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00		0.00	
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00		0.00	
असुरक्षित	15.44		15.44	
	15.44		15.44	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	4.25		4.25	
	11.19		11.19	
घटाएं: संग्रहण हेतु भेजे गए चेक	0.00		0.00	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	11.19	0.00	11.19	0.00
tkM%		**277335.06**		**259429.11**

fVi.kh&6x% fuxe d fun'kdksa vkj vU; vf/kdkfj;ksa }kjk n; _.k vkj vfxe ¼de pkfj;ksa dk _.kksa ,oa vfxeksa d vrxZr lfgr½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr	31-03-24 dks ;FkkfLFkfr
निदेशकगण	0.00	0.00
कंपनी के अन्य अधिकारी	31.58	39.55
फर्म, जिसमें निदेशक साझेदार हो	0.00	0.00
निजी कंपनी, जिसमें निदेशक सदस्य हो	0.00	0.00
tkM%	**31.58**	**39.55**

fVIi.kh&7% fuo'k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
d- lgk;d d.iuh e bfDoVh midj.kk e fuo'k ¼eyy ykxr ij½				
आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड रू 1.0255 यूनिट / 1 करोड़ रुपये प्रति यूनिट (0.683 यूनिट / 1 करोड़ रुपये प्रति यूनिट)	102.55		68.29	
घटाएं: क्षति हानि के लिए भत्ता	0.00	102.55	0.00	68.29
[k- bfDoVh midj.kk e fuo'k mfpr eY; ij ¼vU; 0;kid vk; d ek/;e l½				
इक्विटी प्रलेख	247.65		425.83	
घटाएं: हानिकरण क्षति हेतु भत्ता	10.00	237.65	10.00	415.83
तुलन पत्र के अनुसार		**340.20**		**484.12**

fuo'k ¼mfpr eY; ij vU; 0;kid vk; d ek/;e l½	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
e.ll fl.xj bfM;k fyfeVM d bfDoVh 'k;j (दिनांक 31.03.25 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2/– रुपए के 470230 शेयर, उचित मूल्य 50.54 रू. प्रति शेयर) (दिनांक 31.03.24 को उप–विभाजन के पश्चात पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2/– रुपए के 470230 शेयर, उचित मूल्य 88.43 रू. प्रति शेयर)	237.65	415.83
e.ll y?k m|kx mRiknu ikUur l.xBu fyfeVM ¼,lvkbihihvk½ d bfDoVh 'k;j (प्रत्येक 10–10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त – 100000 इक्विटी शेयर अनुद्धृत)	10.00	10.00
mi tkM	**247.65**	**425.83**
घटाएं: एसआईपीपीओ के इक्विटी शेयरों हेतु हानिकरण क्षति की छूट	10.00	10.00
r.yu&i= d vu.lkj	**237.65**	**415.83**

fuo'k dk Hkkxkfyd oxhdj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
भारत में	340.20	484.12
भारत से बाहर	0.00	0.00
tkM	**340.20**	**484.12**

नोट :– ' टिप्पणी–35 की क्रम सं. 4(वाय)(जी) देखें।

fVIi.kh&8% vU; foÙkh; ifjlifÙk;k ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
ifrHkfr tek		
मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00	0.00
अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	0.00	0.00
बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए	0.00	0.00
असुरक्षित	270.77	275.53
	270.77	275.53

घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज उचंत	0.00		0.00	
	270.77		275.53	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	6.31	264.46	4.64	270.89
mi tkM+		**264.46**		**270.89**
vU; foÙkh; ifjlaifÙk;k				
बैंकों से प्राप्य				
ब्याज	268.30		268.30	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	268.30	0.00	268.30	0.00
अन्य	490.30		490.30	
घटाएं: हानिकरण क्षति छूट	490.30	0.00	490.30	0.00
सुनमय/लघु अवधि जमाओं पर प्रोदभत परंतु अदेय ब्याज		13.65		13.42
अवधारण राशि प्राप्य		183.60		228.10
देय प्रतिभूति जमा का बट्टाकरण प्रभाव		198.51		235.82
देय अवधारणा राशि का बट्टाकरण प्रभाव		0.28		0.48
एसआरआई फंड से प्राप्य		157.43		148.56
mi tkM+		**553.47**		**626.38**
ryu&i= d vuqlkj		**817.93**		**897.27**

fVIi.kh & 9 fuos'k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
भंडार और अतिरिक्त	7.88	7.41
ढीले उपकरण और माप उपकरण	1.67	1.67
mi&tkM+	**9.55**	**9.08**
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	0.00	0.00
ryu&i= d vuqlkj	**9.55**	**9.08**

fVIi.kh&10% pkyw dj ¼fuoy½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
स्रोत पर काटा गया टीडीएस/टीसीएस	2187.16	2031.37
अग्रिम कर	7310.60	5343.47
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	9739.00	8074.00
ryu&i= d vuqlkj	**-241.24**	**-699.16**

fVIi.kh&11 vkLFkfxr dj n;rk,a@ifjlaifÙk;k ¼fuoy½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	6400.38	6069.39
घटाएं : आस्थगित कर देयताएं	2684.57	2538.18
ryu i= d vuqlkj	**3715.81**	**3531.21**

टिप्पणी :– टिप्पणी 35 का क्रम संख्या 4(ग) देखें।

jk"Vªh; y?kq m|kx fuxe fyfeVsM

ukV & 12 lafifÙk] la;a= vkj midj.k

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31-03-2025 dk vuqlkj fuoy ogu jkf'k	31-03-2024 dk vuqlkj fuoy ogu jkf'k
भूमि	47.00	47.29
भवन	22320.07	22784.28
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	248.01	291.25
कार्यालय उपकरण	530.05	428.55
वाहन	17.03	21.26
संयंत्र एवं उपकरण	5774.25	5077.58
dqy lafifRr] la;a= vkj midj.k	**28936.41**	**28650.21**
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंत्तियां	0.00	0.00
सॉफ्टवेयर और विकासधीन सॉफ्टवेयर	-139.44	122.12
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	-169.57	221.91
चल रहा पूंजीगत कार्य	543.03	482.33

टिप्पणी :– टिप्पणी 35 का क्रम संख्या 4(एफ) देखें।

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	ldy Cykd							lfpr eY;gzkl					,yVh,		fuoy Cykd	
	01-04-24 dk ;FkkfLFkfr	of)	fcØh	dkjckj la;kstu dk ek/;e la vfixgzhr	iueY;kdu @ gzkfu	vrj bdkbZ vrj.k@ vrj leg lek;kstu @ vU; lek;kstu	31-03-25 rd ykxr	01@04@24 dk ;FkkfLFkfr	o"kZ dk fy, eY;°kl 'kYd	fcØh	iueY;kdu @ gzkfu	vrj bdkbZ vrj.k@ vrj leg lek;kstu @ vU; lek;kstu	31@03@25 dk ;FkkfLFkfr	31@03@25 dk ;FkkfLFkfr	31@03@24 dk ;FkkfLFkfr	31@03@25 dk ;FkkfLFkfr	31@03@24 dk ;FkkfLFkfr
erk ifjlafifÙk;k																	
Lo;a dh ifjlafifÙk;k																	
भवन	23449.33	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23479.05	2986.25	387.07	0.00	0.00	0.00	3373.32	0.00	0.00	20105.73	20463.08
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	663.59	11.92	1.38	0.00	0.00	0.72	673.41	488.48	34.12	0.56	0.00	-0.40	522.44	0.00	0.00	150.97	175.11
भूमि	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.62	4.66	0.19	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	0.00	29.77	29.96
कार्यालय उपकरण	1136.86	85.20	5.59	0.00	0.00	8.54	1207.93	890.97	94.88	4.40	0.00	4.81	976.64	0.00	0.00	231.29	245.89

वाहन	80.02	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	79.57	73.73	2.24	0.43	0.00	0.00	75.54	0.00	0.00	4.03	6.29
संयंत्र एवं उपकरण	2534.55	15.38	0.27	0.00	0.00	-5.96	2555.62	1133.05	76.64	0.27	0.00	-3.43	1212.85	0.00	0.00	1342.77	1401.50
tkM	**27898.97**	**142.22**	**7.69**	**0.00**	**0.00**	**3.30**	**28030.20**	**5577.14**	**595.14**	**5.66**	**0.00**	**0.98**	**6165.64**	**0.00**	**0.00**	**21864.56**	**22321.83**
iêk;ä ifjlifÙk;k																	
संयंत्र एवं उपकरण	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35	12.77	12.77	0.04	0.04
tCr iêk;ä ifjlifÙk;k																	
संयंत्र एवं उपकरण	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	48.80	48.80	0.88	0.88
ljdkjh vuqnku l`f ikn~Hkr ifjlifÙk;k																	
भूमि	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04	5.71	0.10	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00	0.00	17.23	17.33
भवन	1737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.47	1820.44	531.89	31.79	0.00	0.00	0.00	563.68	0.00	0.00	1256.76	1206.08
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	197.51	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	206.39	137.88	17.77	0.00	0.00	0.00	155.65	0.00	0.00	50.74	59.63
कार्यालय उपकरण	974.64	152.12	9.91	0.00	0.00	0.00	1116.85	886.67	31.60	9.42	0.00	0.00	908.85	0.00	0.00	208.00	87.97
वाहन	10.44	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	5.43	9.99	0.00	4.76	0.00	0.00	5.23	0.00	0.00	0.20	0.45
संयंत्र एवं उपकरण	5715.84	809.43	28.60	0.00	0.00	0.00	6496.67	2889.22	323.97	27.17	0.00	0.00	3186.02	0.00	0.00	3310.65	2826.62
tkM	**8659.44**	**970.43**	**43.52**	**0.00**	**0.00**	**-82.47**	**9668.82**	**4461.36**	**405.23**	**41.35**	**0.00**	**0.00**	**4825.24**	**0.00**	**0.00**	**4843.58**	**4198.08**
rduhdh dkj.kksa ds lc/k esa ljdkjh vuqnku l`f viknHkr ifjlifÙk;k																	
भवन	1416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1416.24	301.12	157.54	0.00	0.00	0.00	458.66	0.00	0.00	957.58	1115.12
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	180.07	2.01	0.00	0.00	0.00	-1.78	183.86	123.56	13.81	0.00	0.00	-0.19	137.56	0.00	0.00	46.30	56.51
कार्यालय उपकरण	721.59	32.26	1.51	0.00	0.00	-1.52	753.86	626.90	36.35	0.94	0.00	-0.79	663.10	0.00	0.00	90.76	94.69
संयंत्र एवं उपकरण	1428.26	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1799.37	579.72	99.75	0.01	0.00	0.00	679.46	0.00	0.00	1119.91	848.54
वाहन	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12	5.60	1.72	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	12.80	14.52

tkM	**3766.28**	**405.38**	**1.51**	**0.00**	**0.00**	**-3.30**	**4173.45**	**1636.90**	**309.17**	**0.95**	**0.00**	**-0.98**	**1946.10**	**0.00**	**0.00**	**2227.35**	**2129.38**
mi&tkM er ifjlifÙk;k	**40417.20**	**1518.03**	**52.72**	**0.00**	**0.00**	**-82.47**	**41964.98**	**11705.42**	**1309.54**	**47.96**	**0.00**	**0.00**	**12967.00**	**61.57**	**61.57**	**28936.41**	**28650.21**
गत वर्ष	39492.17	745.76	100.33	0.00	0.00	-279.60	40417.20	10706.30	1087.60	88.48	0.00	0.00	11705.42	61.57	61.57	28650.21	28724.30
ver| ifjlifÙk;k																	
Lo;a dh ifjlifÙk;k																	
dI;Vj lk¶Vo;j	245.42	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	252.35	193.20	15.00	0.00	0.00	0.00	208.20	0.00	0.00	44.15	52.22
ljdkjh vunku l| ikIr ifjlifÙk;k																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	123.08	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	162.93	96.57	13.29	0.00	0.00	0.00	109.86	0.00	0.00	53.07	26.51
rduhdh dkj.k ls lc/A es ljdkjh vunkuksa l| vkIr ifjlifÙk;k																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	249.50	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	241.76	2.03	0.00	0.00	0.00	243.79	0.00	0.00	-242.93	-241.76
mi;ksx dh vf/kdkj okyh ifjlifÙk;k																	
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां																	
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	290.26	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91	68.35	63.25	0.00	0.00	0.00	131.60	0.00	0.00	-120.69	-68.35
mi tkM & ver| ifjlifÙk;k	**908.26**	**58.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**427.05**	**599.88**	**93.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**693.45**	**0.00**	**0.00**	**-266.40**	**-231.38**
गत वर्ष	617.02	296.66	5.42	0.00	0.00	0.00	908.26	504.54	100.67	5.33	0.00	0.00	599.88	0.00	0.00	-231.38	112.48
py jgk i|thxr dk;Z																	
चल रहा पूंजीगत कार्य	280.19	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.37	0.00
गत वर्ष	437.42	71.16	0.00	0.00	0.00	228.39	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.19	437.42
सरकारी अनुदान से अर्जित सीडब्ल्यूआईपी			0.00	0.00	0.00	82.47	-58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.67	0.00
	202.14	23.80															
गत वर्ष	0.00	253.35	0.00	0.00	0.00	51.21	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.14	0.00
mi tkM&py jgk i|thxr dk;Z	**482.33**	**143.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82.47**	**60.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60.70**	**0.00**

गत वर्ष	437.42	324.51	0.00	0.00	0.00	279.60	482.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.42
fodkl/khu vers ifjlifRr;k																	
ekfydkuk ifjlifRr;k																	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गत वर्ष	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	35.65
fcØh dh fy, j[kh xbZ dh :i esa oxhZr ifjlifRr;k																	
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां (स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां (सरकारी अनुदान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tkM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ldy tkM	**41843-44**	**1719.75**	**52.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42452.73**	**12305.30**	**1403.11**	**47.96**	**0.00**	**0.00**	**13660.45**	**61.57**	**61.57**	**28730.71**	**28418.83**
गत वर्ष	40586.39	1366.93	109.88	0.00	0.00	0.00	41843.44	11214.76	1188.27	97.73	0.00	0.00	12305.30	61.57	61.57	28418.83	29310.06

नोटः– अंतः यूनिट स्थानांतरण/अंतः समूह समायोजन/अन्य समायोजन कॉलम में सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित परिसंपत्तियों के समूह में संपत्ति का पूंजीकरण शामिल है।

vuqyXud & 12d lhMCY;vkbih ¼vuqnku lfgr½ vkj fodlkUe[kh ver ifjlifÙk dk le;&fu/kkj.k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
lhMCY;vkbih dk le;&okj oxhdj.k		
py jgh ifj;kstuk,a		
1 वर्ष के बराबर से कम	119.37	71.16
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	71.16	209.03
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	209.03	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM+	**399.56**	**280.19**
ifj;kstuk,a vLFkk;h :i ls fuyfcr		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM+	**0.00**	**0.00**
dqy	**399.56**	**280.19**
o ifj;kstuk,a ftudh i.krk dh fu/kkfjr frfFk chr pdh gS ;k eq ykxr ls vf/kd gks pdh gSA		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
dqy	**0.00**	**0.00**
lhMCY;vkbih dk vk;okj oxhdj.k ¼vuqnku ls çkIr½		
py jgh ifj;kstuk,a		
1 वर्ष के बराबर से कम	23.79	202.14
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	119.68	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM+	**143.47**	**202.14**
ifj;kstuk,a vLFkk;h :i ls fuyfcr		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
mi tkM+	**0.00**	**0.00**
dqy	**143.47**	**202.14**
o ifj;kstuk,a ftudh i.krk dh fu/kkfjr frfFk chr pdh gS ;k eq ykxr ls vf/kd gks pdh gSA		

1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
d|y	**0.00**	**0.00**

fodkl d rgr ver ifjlifUk;k dk vk;|okj oxhdj.k		
py jgh ifj;kstuk,|		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	12.26
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	12.26	0.00
3 वर्ष से अधिक	23.39	23.39
mi tkM	**35.65**	**35.65**

ifj;kstuk,| vLFkk;h :i ls fuyfcr		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 o"k ls vf/kd	0.00	0.00
mi tkM	**0.00**	**0.00**
d|y	**35.65**	**35.65**

o ifj;kstuk,| ftudh i.krk dh fu/kkfjr frfFk chr pdh g ;k ey ykxr ls vf/kd gk pdh gA		
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00	0.00
3 o"k ls vf/kd	0.00	0.00
d|y	**0.00**	**0.00**

fVIi.kh&13 vU; xj&foUkh; ifjlifUk;k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
ithxr vfxe				
सीपीडब्ल्यूडी और अन्य के पास	159.62		194.65	
जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.00	159.62	0.00	194.65
ठेकेदारों के पास (सरकारी अनुदान की प्रति)	48.48		72.27	
जोड़ें: पूंजी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.00	48.48	0.00	72.27
vkifrdrkvk dk vfxe	3096.94		2809.83	
घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	0.00	3096.94	0.00	2809.83
उप जोड़		**3305.04**		**3076.75**
कर प्राधिकारियों के पास अन्य जमाएँ		1089.80		608.49
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ #	379.14		467.33	
घटाएं: अतिरिक्त/सामान्य ब्याज सस्पेंस	0.00		0.00	

घटाएं: हानिकरण क्षति भत्ता	18.79	360.35	29.80	437.53
r|yu&i= d| vu|lkj		**4755.19**		**4122.77**

नोटः–रु इसमें सरकारी अनुदान के बदले बाहरी पार्टियों को दिया गया अग्रिम भुगतान, प्रीपेड खर्च, बाहरी पार्टियों को दिया गया अग्रिम भुगतान, अदालत में जमा की गई राशि और अग्रिम भुगतान की गई दरें और कर शामिल हैं।

fVIi.kh&14 0;kikj ÁkI; ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 d| ;FkkfLFkfr	31-03-24 d| ;FkkfLFkfr	
0;kikj n|;				
एमएसई की बकाया राशियां	10118.22		11916.71	
गैर–एमएसई की बकाया राशियां	68.05	10186.27	69.61	11986.32
vU; n|;				
एमएसई की बकाया राशियां	0.00		0.00	
गैर–एमएसई की बकाया राशियां	0.00	0.00	0.00	0.00
संबंधित पक्षकारों को देय		0.00		0.00
r|yu&i= d| vu|lkj		**10186.27**		**11986.32**

टिप्पणीः टिप्पणी–35 का क्रम सं. 1 देखें।

' निविदा विपणन के कारण देय व्यापार रू. 10108.92 लाख (रू. 11907.42 लाख) शामिल है

vu|yXud&14d 0;kikj n|; ¼vk;|okj lkjk'k½ ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 d| ;FkkfLFkfr	31-03-24 d| ;FkkfLFkfr	
vfookfnr 0;kikj n|; & ,e,lb| dh n|; jkf'k				
1 वर्ष के बराबर से कम	2058.22		3652.39	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	1711.54		2820.44	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	1297.35		2206.90	
3 वर्ष से अधिक	5032.41		3072.15	
mi tkM+		**10099.52**		**11751.88**
fookfnr 0;kikj n|; & ,e,lb| dh n|; jkf'k				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	18.70		164.83	
mi tkM+		**18.70**		**164.83**
d|y		**10118.22**		**11916.71**
vfookfnr 0;kikj n|; & vU; dh n|; jkf'k				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.33		0.00	
1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	45.85		47.74	
mi tkM+		**46.18**		**47.74**
fookfnr 0;kikj n|; & vU; dh n|; jkf'k				
1 वर्ष के बराबर से कम	0.00		0.00	

1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
2 वर्ष से अधिक – 3 वर्ष से कम के बराबर	0.00		0.00	
3 वर्ष से अधिक	21.87		21.87	
mi tkM%		**21.87**		**21.87**
d|y		**68.05**		**69.61**
d|y ;kx		**10186.27**		**11986.32**

fVIi.kh&15% m/kkj ¼ifj'kkf/kr ykxr ij½ ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
l|jf{kr m/kkfj;k				
बांड/डिबेंचर		0		0
निम्नलिखित से मियादी ऋण:				
बैंकों से		0		0
अन्यों से:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगी:				
बैंकों से				
कार्यशील पूंजीगत ऋण	116500.00		107500.00	
नकदी क्रेडिट	3376.13		1459.44	
ओवरड्राफ्ट	0		0	
मियादी ऋण	0.00	119876.13	29000.00	137959.44
अन्य पक्षकार		0		0
आस्थगित भुगतान देयताएं		0		0
जमा		0		0
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		0		0
वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता		0		0
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम:				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
mi tkM%		**119876.13**		**137959.44**
v l|jf{kr m/kkj				
बांड/डिबेंचर		0		0
निम्नलिखित से मियादी ऋण				
बैंक		0		0
अन्य पक्षकारों से:				

भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	4335.79		4535.98	
अन्य	0	4335.79	0	4535.98
निम्नलिखित से मांग पर ऋणों की पुनःअदायगीः				
बैंकों से				
कार्यशील पूंजीगत ऋण	0		0	
नकदी क्रेडिट	0		0	
ओवरड्राफ्ट	0		0	
मियादी ऋण	24999.94	24999.94	0	0
अन्य पक्षकार		0		0
आस्थगित अदायगी देयताएं		0		0
जमा		0		0
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		0		0
वित्तीय पट्टा इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वता		0		0
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः				
भारत सरकार	0		0	
राज्य सरकारें	0		0	
वित्तीय संस्थान	0		0	
विदेशी वित्तीय संस्थान	0		0	
अन्य	0	0	0	0
उप जोड़		**29335.73**		**4535.98**
r|yu&i= d| vu|lkj		**149211.86**		**142495.42**
उधारों का भौगोलिक वर्गीकरणः				
भारत में		144876.07		137959.44
भारत से बाहर		4335.79		4535.98
tkM|		**149211.86**		**142495.42**

टिप्पणी –35 की क्रम सं. 4(जी) देखें।

vuqyXud&15d m/kkjk dk C;kj

¼yk[k #i, e½

fooj.k	fuEufyf[kr dk cdk;k jkf'k		vof/k ,o vnk;xh ;kX; fd'rk dh ckjckjrk ¼ekfld@=ekfld@ v/k&okf"kd@ okf"kd½	ÁfrHkfr dk Lo:i	D;k fun'kdk vFkok vU;k } kjk xkjVh nh xbZ gS	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr fujrj pdk	
	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr				vof/k	jkf'k
lqjf{kr m/kkj							
बांड/डिबेंचर							
निम्नलिखित से मियादी ऋण:							
बैंक							
विजया बैंक	0.00	0.00	अर्धवार्षिक		शून्य	0	
अन्यों से:							
भारत सरकार							
राज्य सरकारें							
वित्तीय संस्थान							
विदेशी वित्तीय संस्थान							
अन्य							
अदायगी योग्य ऋण:							
बैंक							
कार्यशील पूंजीगत ऋण							
द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00		-	शून्य	0	
भारतीय स्टेट बैंक	116500.00	107500.00		बंधक रखकर, लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
एचडीएफसी डब्ल्यूसीडीएल	0.00	0.00		बंधक रखकर, लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	
	116500.00	**107500.00**			शून्य		
नकद क्रेडिट					शून्य		
पंजाब नेशनल बैंक	0.00	0.00		-	शून्य	0	
बंक ऑफ बड़ौदा (पहले विजया बैंक)	0.00	0.00		-	शून्य	0	
भारतीय स्टेट बैंक	3376.13	1459.44		बंधक रखकर, लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार	शून्य	0	

	3376.13	**1459.44**				
ओवरड्राफ्ट						
द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	-	शून्य	0	
	0.00	**0.00**				
मियादी ऋण						
इंडस इंड बैंक	0.00	29000.00	कंपनी के ऋणों और अग्रिमों सहित लेखा बही ऋणों पर समरूप प्रभार			
	0.00	**29000.00**				
अन्य पक्षकार						
आस्थगित अदायगी देयताएं						
जमा						
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम						
वित्त पट्टे की इकरारों दीर्घ अवधि परिपक्वताएं						
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिमः						
भारत सरकार						
राज्य सरकारें						
वित्तीय संस्थान						
विदेशी वित्तीय संस्थान						
अन्य						
mi tkM%	**119876.13**	**137959.44**				
vlqjf{kr m/kkj						
बांड/डिबेंचर						
निम्नलिखित से मियादी ऋणः						
बैंक						
निम्नलिखित से अन्य पक्षकारः						
भारत सरकार						
राज्य सरकारें						
वित्तीय संस्थान						
विदेशी वित्तीय संस्थान						
11वीं लाइन ऑफ क्रेडिट	2093.63	2153.92	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत	

12वीं लाइन ऑफ क्रेडिट	1745.34	1852.52	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत
केसा डिपॉजिट ई प्रेसिटी, इटली (पूर्व में आर्टिगियाबेकसा, एसपीए के नाम से विख्यात)	496.82	529.54	अर्धवार्षिक		भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत
	4335.79	**4535.98**			
अन्य					
निम्नलिखित से मांग प्राप्त होने पर ऋणों की पुनः अदायगी:					
बैंक					
चल रहा पूंजीगत ऋण					
नकद क्रेडिट					
ओवरड्राफ्ट					
मियादी ऋण					
साउथ इंडियन बैंक	24999.94	0.00		-	
अन्य पक्षकार					
आस्थगित अदायगी देयताएं					
जमा					
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम					
वित्त पट्टे इकरारों की दीर्घ अवधि परिपक्वताएं					
निम्नलिखित से अन्य ऋण और अग्रिम:					
भारत सरकार					
राज्य सरकारें					
वित्तीय संस्थान					
विदेशी वित्तीय संस्थान					
अन्य					
mi tkM:	**29335.73**	**4535.98**			
tkM:	**149211.86**	**142495.42**			

vuqc/k&15[k & fonsh'kh foÙkh; lLFkkuksa lsa m/kkjksa dk C;kSjk

¼yk[k #i, e½

fooj.k	d,QMCY; XI ykbu vkQ ØfMV	d,QMCY; XII ykbu vkQ ØfMV	bVkfy;u ykbu vkQ ØfMV
कुल संस्वीकृत ऋण (यूरो में)	5112918.81	5036225.03	1053134.47
अदायगी की नियत तारीख	प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12	प्रत्येक वर्ष 30/6 और 31/12	प्रत्येक वर्ष 17/7 और 17/1
पहली किश्त	30/06/2002	30/06/2006	17/01/2015
अंतिम किश्त	30/06/2042	30/12/2035	17/07/2035
कुल किश्तें	81	60	42
ब्याज	10.50%	12.50%	0.50%
31.03.25 को बकाया ऋण (यूरो में)	2219006.83	1849853.97	526567.66
पुनः अदायगी अवधि	अर्धवार्षिक	अर्धवार्षिक	अर्धवार्षिक
किश्तों की धनराशि (यूरो में)	63400.19	83851.87	25074.61
30.06.1993 से 31.12.2001 तक ड्यूश मार्क में अदा किया गया कुल ब्याज	592439.19	405995.68	-
30.06.2002 से 31.03.2024 तक यूरो में अदा किया गया कुल ब्याज	637894.28	647694.29	99598.31
हेजिंग	-	-	-

fVIi.kh&16 vU; foÙkh; nsunkfj'kkf/kr ykxr ij½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr	31-03-24 dks ;FkkfLFkfr
आरएमए/एडब्ल्यूआरटी क्रेताओं से अग्रिम – इकाइयां	2097.58	1381.92
भुगतान योग्य बट्टा	1890.82	1927.03
रेटिंग/क्रेडिट सूचना एजेंसियों को भुगतान योग्य	0.90	0.89
सुरक्षा जमा देय	2700.80	2531.60
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	770.81	993.40
अवधारण राशि	511.06	621.03
परियोजनाओं के लिए भुगतान योग्य	890.88	1070.01
व्यापार प्राप्यों में शेष क्रेडिट	4.59	4.59
उधारों/सीएसडी पर प्रोदभूत परंतु अदेय ब्याज	7.70	8.05
प्रशिक्षण हेतु देय भुगतान योग्य धनराशि	125.92	77.42
अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी	2032.04	1610.80
व्ययों हेतु चालू देयता	906.27	877.37
अन्य भुगतान योग्य	1332.20	1859.93
प्राप्त प्रतिबद्ध अग्रिम – प्रदर्शनियां	2.17	6.49
अनुदान में अधिशेष के विरुद्ध भारत सरकार को देय राशि (नेट)	799.48	55.15
सुरक्षा जमा प्राप्य का छुट प्रभाव	14.74	12.42
प्रतिधारण जमा प्राप्य का छुट प्रभाव	0.26	0.46
ryu&i= dk vuqlkj	**14088.22**	**13038.56**

टिप्पणी:–

इसमें देय सरकारी गारंटी, देय गोदाम हैडलिंग शुल्क, इंडएएस–116 इकाइयों के अनुसार लीज देनदारी, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रदर्शनी/प्रतिनिधिमंडल और अन्य देय आदि शामिल हैं।

fVIi.kh&16d% vuqnkuksa esa vf/k'k"k dh Áfr Hkkjr ljdkj dks Hkqxrku;kX; /kujkf'k;k

¼yk[k #i, esa½

fooj.k	xr o"k esa vxzuhr 'k"k		o"k dk nkjku ÁkIr vuqnku@ C;kt	jkT; ,tsalh dk ifrifr@ okilh@ lek;kstu@ vkrj.k	vf/kxghr vpy ifjlaifÙk;k@ MCY;vkbZih	fuoy jktLo 0;;	dqy 0;;	ifrifr ;kX; 0;;	31-03-24 dks ;FkkfLFkfr	
	?kkVk	vf/k'k"k							?kkVk	vf/k'k"k
विपणन सहायता योजना										
विपणन सहायता योजना	0.00	278.99	2395.72	-1223.43	1010.29	399.65	1409.94	1409.94	0.00	41.34
उत्तर पूर्व क्षेत्र में संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए सहायक	0.25	0.00	63.50	0.00	0.00	63.50	63.50	63.50	0.25	0.00
mi&tkM+		**278.74**	**2459.22**	**-1223.43**	**1010.29**	**463.15**	**1473.44**	**1473.44**	**0.00**	**41.09**
jk"Vªh; ,lh&,lVh gc ¼,u,l,l,p½										
एनएसएसएच – एससीएसपी	147.39	0.00	4298.95	140.98	0.00	4277.25	4277.25	4277.25	0.00	15.29
एनएसएसएच – टीएसपी	107.38	0.00	4464.01	107.37	0.00	4178.51	4178.51	4178.51	0.00	285.49
एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (एससीएसपी)	0.00	72.54	25.00	-3.00	0.00	82.26	82.26	82.26	0.00	12.28
एनएसएसएच – सामान्य	0.00	88.78	1220.26	-78.18	0.00	800.11	800.11	800.11	0.00	430.75
एनएसएसएच – पूर्वोत्तर क्षेत्र (टीएसपी)	0.00	9.24	475.00	0.00	0.00	220.43	220.43	220.43	0.00	263.81
mi&tkM+	**84.22**	**0.00**	**10483.22**	**167.17**	**0.00**	**9558.56**	**9558.56**	**9558.56**	**0.00**	**1007.62**
उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
प्रशिक्षण एवं इनक्यूबेशन	0.00	3.54	0.00	-28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.36	0.00
खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस)	34.84	0.00	157.57	0.00	0.00	230.37	230.37	230.37	107.64	0.00
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना	108.81	0.00	68.71	0.00	0.00	72.13	72.13	72.13	112.23	0.00
jii vkj Vhe			56.84	0.00	0.00	61.58	61.58	61.58	4.74	0.00
tkM+		**55.15**	**13225.56**	**-1085.15**	**1010.29**	**10385.79**	**11396.08**	**11396.08**	**250.22**	**1049.70**

fuoy vf/k'k"k @¼?kkVk½	**799.48**
xr o"k vf/k'k"k @¼?kkVk½	**55.15**

fVIi.kh&17 Áko/kku

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
depkjh ykHk gsrq iko/kku				
उपदान हेतु	6011.62		5504.29	
छुट्टी नकदीकरण हेतु	3466.92		3332.32	
अर्ध–वेतन छुट्टी हेतु	617.54		575.99	
सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते हेतु	4.49	10100.57	4.18	9416.78
vU;				
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु	14468.53		13915.43	
घटाएं: व्यापार से प्राप्यों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि के प्रति कोंट्रा के अनुसार समायोजन	14468.53	0.00	13915.43	0.00
कार्पोरेट उत्तर सामाजिक दायित्व के लिए		266.30		73.01
विनिमय भिन्नता के लिए				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	2413.77		2249.66	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	371.18		402.91	
घटाएं: विनिमय भिन्नता हानियों के लिए उपयोग किया गया	102.95		41.69	
घटाएं: पुरांकित राशि	315.01	2366.99	197.11	2413.77
lo/kukRed fØ;kdyki gsrq ¼dsoy,QMCY;½				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	0.00		0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	41.72		46.02	
घटाएं: उपयोग में लाई गई/पुरांकित राशि	41.72	0.00	46.02	0.00
rqyu&i= dk vuqlkj		**12733.86**		**11903.56**

टिप्पणी:– कर्मचारी लाभ प्रावधानों के लिए टिप्पणी–35 का क्रम सं. 4(आई) देखें।

vuqyXud&17d ifjo/kku] iR;korZu ,oa iko/kkuksa dk mi;ksxksa dk C;kjk

2024-25

¼yk[k #i, e½

fooj.k	01-04-2024 dk ;FkkfLFkfr ykHk 'k"k	o"kZ dk nkjku ifjo/kZu	mi;ksx@ myV@ lek;kstu	o"kZ dk nkjku okil yh xbZ jkf'k	31-03-2025 dk ;FkkfLFkfr vr 'k"k
उपदान के लिए	5504.29	964.73	455.57	1.83	6011.62
छुट्टी नकदीकरण के लिए	3332.32	817.95	671.14	12.21	3466.92
अर्धवेतन छुट्टी के लिए	575.99	104.46	26.41	36.50	617.54
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए	4.18	0.89	0.30	0.28	4.49
संदिग्ध ऋणों हेतु	13915.43	580.06	0.00	26.96	14468.53
कार्पोरेट उत्तर सामाजिक दायित्व के लिए	73.01	247.10	53.81	0.00	266.30
विनिमय भिन्नता के लिए	2413.77	371.18	102.95	315.01	2366.99
प्रचार गतिविधि के लिए	0.00	41.72	41.72	0.00	0.00
tkM+	**25818.99**	**3128.09**	**1351.90**	**392.79**	**27202.39**

¼yk[k #i, e½

fooj.k	01-04-2023 dk ;FkkfLFkfr vkjaHk 'k"k	o"k d nkjku ifjo/ku	mi;kx@ myV@ lek;kstu	o"k d nkjku okil yh xbl jkf'k	31-03-2024 dk ;FkkfLFkfr v'k"k
उपदान के लिए	5384.35	652.09	522.85	9.30	5504.29
छुट्टी नकदीकरण के लिए	3251.29	751.86	650.30	20.53	3332.32
अर्धवेतन छुट्टी के लिए	524.55	104.25	17.68	35.13	575.99
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ते के लिए	4.04	0.53	0.04	0.35	4.18
संदिग्ध ऋणों हेतु	13007.63	1017.22	0.00	109.43	13915.43
कार्पोरेट उत्तर सामाजिक दायित्व के लिए	2249.66	73.00	0.00	0.00	73.01
विनिमय भिन्नता के लिए	0.00	402.90	41.69	197.11	2413.77
प्रचार गतिविधि के लिए	0.00	46.02	46.02	0.00	0.00
tkM	**24421.52**	**3047.87**	**1278.58**	**371.85**	**25818.99**

fVIi.kh & 18 vU; xj&foRrh; n;rk,a

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
अग्रिम रूप से प्राप्त आय	1293.07	1647.76
अन्य भुगतान योग्य – कर्मचारी	1055.74	973.02
कर्मचारी अग्रिम पर बट्टाकरण का प्रभाव	1.48	1.95
अन्य भुगतान योग्य – कर	1231.89	663.43
थोक आपूर्ति के लिए देय खाता (आरएमए/एडब्ल्यूआरटी)	3334.37	3247.24
r;yu&i= d vuqlkj	**6916.55**	**6533.40**

fVIi.kh & 19 'k;j iwath

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
ikf/k—r		
100–100 रुपए के 5,35,00,000 (गत वर्ष 5,35,00,000) इक्विटी शेयर	53500.00	53500.00
tkjh] vfHknRr vkj inRr		
100–100 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 5,32,98,800 (गत वर्ष 5,32,98,800) इक्विटी शेयर	53298.80	53298.80
r;yu i= d vuqlkj	**53298.80**	**53298.80**

vuqyXud&19d cdk;k 'k;jksa dh l[;k dk y[kk feyku

fooj.k	bfDoVh 'k;j ¼l[;k½	vf/kekuh 'k;j ¼l[;k½
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	53298800	53298800
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	0	0
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	53298800	53298800

vuqyXud&19[k Hkkjr ljdkj vkj çekVjksa }kjk fuxe esa 5 izfr'kr ls vf/kd fgLlsnkjh dk fooj.k

'ks;j/kkjd dk uke	31-03-25 dh vuqlkj /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k	31-03-25 dh vuqlkj /kkj.k Áfr'kr	31-03-24 dh vuqlkj /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k	31-03-24 dh vuqlkj /kkj.k Áfr'kr
प्रमोटर				
भारत सरकार	53298800	100	53298800	100
वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग में परिवर्तन	-	-	-	-

vuqyXud&19x fiNys 5 o"kksZa ds lkekU; esa udn Hkqxrku ÁkIr fd, fcuk lfonk ¼lfonkvksa½ dh vuqlwph esa vkcafVr 'ks;jksa] ckul 'ks;jksa vkj okil [kjhns x, 'ks;jksa dk fooj.k

fooj.k	'ks;jksa dh dqy la[;k				
	2024-25	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
bfDoVh 'ks;j%					
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त	0	0	0	0	0
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर	0	0	0	0	0
वापस खरीदे गए शेयर	0	0	0	0	0
vf/kekuh 'ks;j%					
नकद भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा(संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त	0	0	0	0	0
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त शेयर	0	0	0	0	0
वापस खरीदे गए शेयर	0	0	0	0	0

vuqyXud&19?k% vinÙk ekxksa dk fooj.k

fooj.k	31-03-25 dks ;FkkfLFkfr	31-03-24 dks ;FkkfLFkfr
vinÙk ekax		
निदेशकों द्वारा	0	0
अधिकारियों द्वारा	0	0

vuqyXud&19³ 'ks;jksa ls lacaf/kr vf/kdkj] ofj;rk vkj ifrc/k

इक्विटी शेयर केवल शेयर पूंजी की वह श्रेणी है, जिनका सममूल्य 100/– रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी रूप से उपस्थित होता है, जोकि एक वोट देने का हकदार है, और मतदान में प्रत्येक शेयर एक वोट का पात्र है।
इक्विटी शेयर का प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य के अनुपात में मतदान अधिकार है। कंपनी की तरलता के मामले में, इक्विटी शेयरों के धारक क्रेडिट की गई धनराशियों को उन इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त धनराशि को पुनः अदा किए जाने के पात्र हैं। समापन आरंभ होने पर सभी अधिशेष परिसंपत्तियां, देयताओं के समायोजन के पश्चात इक्विटी शेयर के धारकों को उनके शेयरधारण के अनुपात में अदा की जाएंगी।

fVIi.kh & 20 vU; bfDoVh d C;kj

¼yk[k #i, e½

fooj.k	01-04-2024 dk ;FkkfLFkfr	o"k d nkjku of)@l tu	o"k d nkjku dVkrh vrj.k@ fcØh@ lek;kstu	o"k d fy, eY;gkl	31-03-2025 dk ;FkkfLFkfr
ikjf{kr iath@vkLFkfxr vk; ¼Hkkjr ljdkj l ikIr vunkuk l vf/kxghr ifjlifUk;k d eY; n'kkus okyh vkjf{kr fuf/k½					
tकनीकी केंद्र	252.84	0.00	1.60	20.39	230.85
सरकारी खरीद योजना	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
उपर्युक्त प्रौद्योगकी	2.18	0.00	-0.19	0.00	2.37
आधुनिकीकरण – ताला परियोजना	10.44	0.00	0.00	0.00	10.44
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	16.76	0.00	0.00	0.57	16.19
प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर	49.24	0.00	0.77	3.35	45.12
लघु औज़ार कक्ष केंद्र	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
अल्पसंख्यक कल्याण स्कीम	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
तकनीकी केंद्र का आधुनिकीकरण	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32
विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना	1.26	0.00	0.00	0.02	1.24
उत्पाद डिजाइन केंद्र (प्राइड)	9.51	0.00	0.00	0.32	9.19
लघु उद्योग मार्ट (एलयूएम)	174.52	0.00	0.00	6.58	167.94
केएफडब्ल्यू (पश्चिम जर्मनी) ऋणों पर ब्याज विभेदक निधि	16.83	0.00	0.00	0.51	16.32
बैंकिंग ओवन का प्रौद्योगिकी विकास	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
डीएसटी–एसटीईपी (एस एण्ड टी परियोजना)	12.31	0.00	0.00	2.88	9.43
इंधन सक्षम डीजल इंजन परीक्षण (टीएफईडीई)	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
विपणन विकास केंद्र	56.86	0.00	0.00	1.53	55.33
एस एण्ड टी परियोजना पर ब्याज विभेदक निधि	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
प्रशिक्षण एवं इंक्यूबेशन – एलबीआई/एसपायर	192.65	0.00	0.00	25.00	167.65
संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए सहायता	3696.89	1010.28	0.00	357.37	4349.80
mi tkM	**4499.02**	**1010.28**	**2.18**	**418.52**	**5088.60**
vU; vkjf{kr fuf/k;k					
पूंजी प्रतिस्थापन आरक्षित निधि	73.09	3.22	0.00	0.00	76.31
हानिकरण आरक्षित *	4866.65	0.00	0.00	0.00	4866.65
अवधारित आरक्षित	62077.80	14935.66	6722.70	0.00	70290.76
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के जरिए इक्विटी लेख	368.66	-133.32	0.00	0.00	235.34
ओसीआई के जरिए सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि	-530.62	-27.06	0.00	0.00	-557.68
सांविधिक आरक्षित – भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 के धारा 45 आईसी के अंतर्गत **	10921.02	2925.98	0.00	0.00	13847.00
ryu&i= d vuqlkj	**82275.62**	**18714.76**	**6724.88**	**418.52**	**93846.98**

* टिप्पणी–35 के बिंदु क्रमांक में 4(वाय)(ए) देखें।

* टिप्पणी–35 के बिंदु क्रमांक में 4(वाय)(सी) देखें।

fVIi.kh & 21 Ápkyuk l: ikIr jktLo

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
Ápkyuk l: jktLo		
d mRiknk dh fcØh		
foi.ku fØ;kdyki		
विपणन	4265.51	6547.74
निर्यात	0.00	0.00
कच्चा माल वितरण	286506.05	269861.14
ykHk o gkfu fooj.k d: vu|kj	**290771.56**	**276408.88**
[k l|okvk dh fcØh		
एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) से आय	869.20	886.70
डिजिटल सेवा सुविधा (डीएसएफ) से राजस्व	510.47	581.80
आवेदन प्रक्रिया शुल्क	0.70	2.43
साफ–सफाई एवं अन्य प्रभार	1339.21	1189.28
प्रशिक्षण क्रियाकलापों से राजस्व	2117.71	1951.54
सामान्य सुविधाओं के कारण राजस्व	1336.77	1237.99
परियोजना परामर्शी प्रभार	1687.50	1125.00
प्रशिक्षण–एवं–इंक्यूबेशन केंद्र–एलबीआई/एसपायर (टीआईसी) से आय	46.25	47.29
प्रदर्शिनियों, सेमिनारों, बैठकों, सम्मेलनों और विपणन अभियानों से प्राप्तियां	36.56	109.75
सेवाओं से अन्य प्राप्तियां	14.54	10.75
सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक प्रभार (अनुदान और सब्सिडी)	612.15	972.30
,l vkjvkbZ QM l: ic/kd 'kYd	568.30	570.17
ykHk ,o gkfu fooj.k d: vu|kj	**9139.36**	**8685.00**
x C;kt vk;		
मूल लागत पर		
i{kdkjk l%		
सामान्य	29253.05	31927.76
दांडिक ब्याज	0.00	3.97
बैंकों के पास जमा से	86.39	53.73
कमचार्री अग्रिम से	0.09	0.31
अन्य से	2.66	2.05
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर ब्याज का लाभ (नेट)	0.00	0.00
ifj'kkf/kr ykxr ij		
foÙkh; ifjlifÙk;k ij NV dk çHkko	31.30 t	57.03
C;kt vk; dePkjh@ifj'kkf/kr ykxr	0.00	0.00
ykHk ,o gkfu fooj.k d: vu|kj	**29373.49**	**32044.85**
?k 'kYd vkj deh'ku vk;		

vftZr ifØ;k 'kYd@l|ok iHkkj	l|pkfyr eky] çnku dh xbZ l|okvk dk eY;	çfØ;k 'kYd	l|pkfyr eky] çnku dh xbZ l|okvk dk eY;	çfØ;k 'kYd

आरएमडी / आरएमए / एडब्ल्यूआरटी *	1075785.30	4211.74	1108344.79	4614.99
विविध वस्तु	67232.14	166.45	60068.84	214.28
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**1143017.44**	**4378.19**	**1168413.63**	**4829.27**
3 vU; ipkyu jktLo				
आधिक्य प्रावधान पुरांकितः	356.73		243.13	
केएफडब्ल्यू	0.00		0.00	
सरकारी गारंटी शूल्क	31.00	387.73	4.56	247.69
अन्य से #		72.17		120.79
विविध क्रेडिट शेष वापिस लिखा गया		0.00		0.00
विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर लाभ (नेट)		0.00		0.00
सहायक कंपनी से व्यय की प्रतिपूर्ति		3452.34		0.00
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj		**3912.24**		**368.48**

नोटः–

बिक्री में छूट, रियायतें 11021.34 लाख रुपये (10675.36 रुपये) आदि शामिल नहीं हैं।

*आरएमडी/आरएमए/एडब्ल्यूआरटी में बैंक गारंटी (थोक और थोक–भिन्न आपूर्ति), अग्रिम भुगतान और एजेंसी बिक्री/गोदाम संचालन हेतु प्रत्याभूति के लिए प्रसंस्करण शुल्क शामिल है।

** विविध मदों में बिल वित्तपोषण, विपणन और बैंक टाई अप के लिए प्रसंस्करण शुल्क शामिल हैं

संदिग्ध ऋण लिखित वापसी (नेट) रुपये का प्रावधान शामिल है। 26.96 लाख (शून्य लाख)

संदर्भ –35 की क्रम सं. 4 (पी) देखें।

fVIi.kh&22 vU; vk;

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
अन्य आय		
आयकर रिफंड पर ब्याज	0.00	161.71
लाभाशं आय	143.08	51.86
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गयाः अंतिम लाभ	50.82	65.33
एसआरआई फंड की ओर से किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति	170.06	132.03
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**363.96**	**410.93**

fVIi.kh&23 vuqnku vkj vkfFkd lgk;rk

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
lo/kukRed fØ;kdykiksa dk fy,	**11396.08**	**16019.93**
घटाएंः पूंजी व्यय (निवल)	1010.28	523.98
घटाएंः एनएसएसएच के अंतर्गत सदस्यता/निरीक्षण शुल्क, प्रशिक्षण, किराया आदि	83.35	101.09
घटाएंः प्रशिक्षण शुल्क – एटीआई	486.06	329.65
घटाएंः सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक शुल्क (अनुदान और सब्सिडी)	612.15	972.30
घटाएंः बी2बी योजना (पीएमएसएस) के तहत सदस्यता शुल्क, विज्ञापन आदि	230.37	265.63
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**8973.87**	**13827.28**

fVIi.kh&24 mRiknu dh [kjhn

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
foi.ku xfrfof/k		
विपणन	4264.77	6547.12
निर्यात	0.00	0.00
कच्चे माल का वितरण	284805.55	268517.71
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**289070.32**	**275064.83**

नोटः– खरीदारी छूट, रियायत आदि मिलाकर रूपये 12639.16 लाख (11934.32 लाख रूपये) है।

fVIi.kh&25 bUosVjh esa ifjorZu

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
rS;kj eky%				
समापन स्टॉक	0.00		0.00	
घटाएं: आरंभिक स्टॉक	0.00		0.00	
स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
py jgk dk;Z%				
समापन स्टॉक	0.00		0.00	
घटाएं: आरंभिक स्टॉक	0.00		0.00	
स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj		**0.00**		**0.00**

fVIi.kh&26 deZpkjh ykHk 0;;

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
वेतन और भत्ते		9195.55		9319.59
fuEufyf[kr dk ifr vk'knku%				
भविष्य निधि	809.36		807.87	
अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना	673.94	1483.30	705.87	1513.74
उपदान		983.81		660.39
स्टाफ कल्याण व्यय		204.51		244.22
अन्य लाभ		2553.39		2281.87
funs'kd ¼v/;{k ,oa Ácaf/kr funs'kd lfgr½				
वेतन और भत्ते		204.70		119.64
fuEufyf[kr gsrq vk'knku%				
भविष्य निधि	16.97		9.69	
अधिवर्षिता योजना/पेंशन योजना	14.55	31.52	8.47	18.16
ekuku		8.06		2.42
vU; ykHk		28.69		24.63
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj		**14693.53**		**14184.66**

fVIi.kh & 27 foÙk ykxr

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
m/kkj ij C;kt%				
क्रैडिटैन्स्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू ऋण)	441.89		480.51	
कासा डिपॉजिट ई प्रेसटिट, इटली (पूर्व में आर्टिजिनएनकासा एसपीए के नाम से विख्यात)	2.55		2.83	
बैंक	10282.00		10974.29	
अन्य	0.00	10726.44	0.00	11457.63
m/kkj yu ij vU; ykxr%				
अन्य वित्त प्रभार		17.75		21.15
कर्मचारी अग्रिम/परिशोधित लागत पर ब्याज व्यय		0.00		0.42
ykHk ,o gkfu fooj.k d vuqlkj		**10744.19**		**11479.20**

fVIi.kh & 28 eY;gkl ,o ifj'kk/ku

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
fuEufyf[kr ij eY;gkl%				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		967.56		818.70
पट्टायुक्त परिसंपत्तियां		0.00		0.00
vuqkuk d Áfr vft r lifÙk] l;= ,o midj.k				
कोंट्रा के अनुसार मूल्यह्रास	418.52		342.95	
घटाएं: कोंट्रा के अनुसार प्रतिस्थापन प्रारक्षित निधियां	418.52	0.00	342.95	0.00
व्ययों का परिशोधन		17.03		26.62
संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण पर हानिकरण क्षति		0.00		0.00
ykHk ,o gkfu fooj.k d vuqlkj		**984.59**		**845.32**

नोटः– पीपीई पर मूल्यह्रास में संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास रू. 63.25 लाख (64.84 लाख) शामिल है टिप्पणी 12 और टिप्पणी–35 का क्रम संख्या 4(ङ) देखें।

fVIi.kh & 29 fuxfer lkekftd ftEenkjh

¼yk[k #i, e½

fooj.k	udn d :i e **31.03.2025**	vHkh vnk fd;k tkuk **31.03.2025**	tkM **31.03.2025**	udn d :i e **31.03.2024**	vHkh vnk fd;k tkuk **31.03.2024**	tkM **31.03.2024**
किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उपर्युक्त के अलावा, अन्य खरीद पर	60.48	249.17	309.65	215.14	73.75	288.89
ykHk ,o gkfu fooj.k d vuqlkj	**60.48**	**249.17**	**309.65**	**215.14**	**73.75**	**288.89**
संबंधित पक्षकार लेन–देन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि			0.00			288.89
किए गए व्यय की राशि			309.65			288.89
वर्ष के अंत में कमी			0.00			0.00

पिछले वर्षों की कुल कमी	0.00	0.00
कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	संदर्भ एन-1	संदर्भ एन-2
संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण	शून्य	शून्य

टिप्पणी:

1) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति में स्वच्छता, स्वास्थ्य, व्यावसायिक कौशल में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जैसे वंचित लड़कियों के लिए टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और उपचार शिविर, रक्तदान शिविर और लड़कियों के लिए छात्रावासों की स्थापना, आरओ संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से जनता को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना शामिल है।

2) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति में स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष में योगदान, 06 ट्यूबवेल की स्थापना, आरओ संयंत्र की स्थापना, जल भंडारण टैंकों का निर्माण, गौशाला आदि के माध्यम से जनता को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना शामिल है।

fVIi.kh & 30 vU; O;;

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr	31-03-24 dk ;FkkfLFkfr
बिजली, विद्युत एवं जल प्रभार	1155.38	1055.12
मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	85.87	85.43
बीमा	18.22	23.04
यात्रा, सवारी एवं वाहन प्रभार	657.09	551.83
माल, भाड़ा एवं चुंगी व्यय	24.94	35.45
संचार व्यय	102.63	101.51
अदा किया गया किराया	405.58	398.12
कर्मचारी भर्ती व्यय	15.41	4.22
लाइसेंस, दरें एवं कर	262.21	278.69
सुरक्षा एवं अन्य संबद्ध सेवाओं पर व्यय	2170.24	2197.96
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	685.11	662.67
कम्प्यूटर अनुरक्षण प्रभार	39.39	37.51
वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अनुरक्षण प्रभार	31.22	32.48
कंप्यूटर, सर्वर आदि, किराया प्रभार	74.90	72.42
सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	63.99	54.66
आंतरिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	38.74	38.17
कानूनी, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार	396.41	289.80
निदेशकों का बैठक शुल्क	8.73	8.79
निदेशकों का अन्य व्यय	44.20	23.13
प्रशिक्षण व्यय	1021.72	779.42
सामान्य सुविधा प्रभार	108.29	105.24
गोदाम प्रचालनों पर प्रभार	380.01	885.96
सूचनात्मक सेवा व्यय	7.89	9.96
कारोबार/बिक्री संवर्धन व्यय	71.54	65.77
मनोरंजन	33.55	32.81
विज्ञापन एवं प्रचार	35.86	34.33
विविध व्यय	40.60	17.30
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अवसूलीयोग्य अग्रिम	18.09	0.14
प्रदर्शियों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों पर व्यय	79.96	186.95
क्रेडिट सूचना रिपोर्ट/पीसीआरएस पर व्यय	10.70	10.64
विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस) योजना पर व्यय	54.56	819.09

अन्यों पर व्यय – एनएसएसएच	7193.64	4501.12
अंतराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम पर व्यय	0.00	0.00
टीम और रैंप पर खर्च	36.84	0.00
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	580.06	907.80
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छुट का प्रभाव	69.69	13.48
एसपीआरएस पर खर्च	35.33	33.72
o/kkfud cdk;k d fy, C;kt@'kYd@t ekuk	3.22	5.67
ykHk ,o gkfu fooj.k d vu lkj	**18507.25**	**14481.20**

vu yXud & 30d vU; 0;;k d C;kj

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk ;FkkfLFkfr		31-03-24 dk ;FkkfLFkfr	
fuEu gr lkfof/kd y[kkijh{kdk dk Hkxrku%				
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क		48.22		41.54
कर लेखापरीक्षा शुल्क		13.88		10.25
अन्य कराधान मामले		0.00		0.00
कंपनी कानून मामले		0.00		0.00
प्रबंधन सेवाएं		0.00		0.00
अन्य सेवाएं		0.33		0.00
व्ययों की प्रतिपूर्ति		1.56		2.68
tkM		**63.99**		**54.47**
fuEu ij ejEer ,o j[kj[kko [kp%				
भवन		527.80		526.56
मशीनरी		55.38		46.26
अन्य		96.93		114.66
tkM		**680.11**		**687.48**
cê [kkr Mky x, v'kk/; _.k@voluh; vfxe%				
बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋण		18.09		0.14
बट्टेखाते डाले गए अवसूलनीय अग्रिम		0.00		0.00
पीपीई को बट्टे खाते में डाल दिया गया				
बट्टेखाते डाली गई हानियां	11.71		0.00	
घटाएं: बट्टे डाली गई हानियों के लिए कोंट्रा समायोजन	11.71	0.00	0.00	0.00
tkM		**18.09**		**0.14**
fuEu ij if'k{k.k 0;;%				
आंतरिक		577.75		554.28
प्रायोजित		303.86		372.39
व्यैक्तिक		32.21		0.00
एटीआई		29.39		70.25
क्षमता निर्माण (एनएसएसएच)		0.00		0.05
अन्य		76.87		91.75
tkM		**1021.88**		**1088.72**
fo'k"k foi.ku lgk;rk Ldhe ij 0;;%				
घरेलू प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों में सहभागिता		2.42		704.72
विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी		0.00		0.00

संगठन का घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों का दौरा	2.85	0.00
संगठन का विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/सेमिनारों का दौरा	0.00	0.00
वेंडर विकास कार्यक्रम	13.19	8.38
कार्यशालाओं, सम्मेलनों, जागरूकता अभियानों का आयोजन	17.73	36.10
मेगा इवेंट– एमएसएमई मंत्रालय के उद्योग संघों–संगठनों के साथ साझेदारी में एससी–एसटी कॉन्कलेव/सम्मेलन का आयोजन)	18.37	69.89
tkM%	**54.26**	**819.09**
vUrjk"Vªh; lg;kx ¼vkbZlhª Ldhe ij 0;; %		
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल का दौरा।	0.00	0.00
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी।	62.78	276.87
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि आयोजित करना।	0.00	0.00
मेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।	0.00	0.00
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि के लिए एमएसएमई प्रतिनिधिमंडल।	9.35	0.00
tkM%	**72.13**	**288.94**
lkfof/kd n;; jkf'k;ksa ds fy, C;kt@'kYd@naM		
टीडीएस के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज	0.21	3.03
जीएसटी के विलंबित जमा पर के लिए भुगतान किया गया ब्याज	0.48	0.03
टीडीएस/टीसीएस रिटर्न के विलंबित जमा पर शुल्क	0.02	0.00
जीएसटी रिटर्न के विलंबित जमा के लिए शुल्क	0.00	0.00
धारा 234ए/बी/सी के तहत ब्याज	0.00	0.00
किसी कानून के तहत दंड	0.00	0.00
tkM%	**0.71**	**3.06**
vU;ksa ij 0;; & ,u,l,l,p%		
प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी	6825.32	7228.26
ekStwnk vkj egRokdk{kh ,llh@,lVh m|fe;ksa dh {kerk fuekZ.k& dk'ky fodkl dk;ZØe	0.00	0.00
मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	1027.11	4598.00
मौजूदा और इच्छुक एससी/एसटी उद्यमियों का क्षमता निर्माण– क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए टूलकिट वितरण	0.00	0.00
fofHkUu çfrifr mi&;kstukvksa@gLr{kksa ds ek/;e ls çfrLi/kkZedrk c<+kus ds fy, leFkZu	0.00	0.00
बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति	18.45	11.82
निष्पादन बैंक गारंटी के लिए बैंक शुल्क की प्रतिपूर्ति	6.08	1.47
परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	7.17	1.15
निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता/सदस्यता/प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.95	0.86
एससी/एसटी उद्यमियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष 50 एनआईआरएफ रेटेड प्रबंधन संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.00	54.91
सरकार द्वारा प्रवर्तित ई–कॉमर्स पोर्टल में सदस्यता की प्रतिपूर्ति (बी2बी को छोड़कर)	0.00	0.00
योजना के बारे में जागरूकता सृजन और प्रचार–प्रसार	1.99	1.85
एससी/एसटी हब को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता	194.71	249.05
dy	**8081.78**	**12147.37**

fVIi.kh & 31 dj 0;;

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk lekIr o"k dk fy,		31-03-24 dk lekIr o"k dk fy,	
pkyw dj gsrq izko/kku				
चालू कर हेतु प्रावधान	5289.00		4574.00	
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	-130.65		-15.83	
संपत्ति कर हेतु प्रावधान	0.00	5158.35	0.00	4558.17
iwoorhZ o"kZ dk djksa dk fy, Áko/kku				
कर हेतु प्रावधान	-30.08		-23.92	
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	0.00	-30.08	0.00	-23.92
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj		**5128.27**		**4534.25**

fVIi.kh & 32 izfr bfDoVh 'ks;j vtZu

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk lekIr o"k dk fy,	31-03-24 dk lekIr o"k dk fy,
x.kd		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर–पश्चात लाभ	14935.66	12939.36
ewY; oxZ		
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 100/– रुपए)	53298800	53298800
वर्ष के दौरान आबंटित शेयरों की संख्या	0	0
प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	53298800	53298800
तरलीकृत प्रति शेयर की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का भारित औसत	53298800	53298800
प्रति शेयर मूल अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य)	28.02	24.28
प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन (रुपए प्रति शेयर) (100/– रुपए प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य)	28.02	24.28

fVIi.kh&33 vkdfLed n;rk,a vkSj ifrc)rk,a ¼Áko/kku u dh xbZ lhek rd½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk lekIr o"k dk fy,	31-03-24 dk lekIr o"k dk fy,
(i) vkdfLed n;rk,a		
ऋणों के रूप में न माने गए निगम के प्रति दावे	175.75	586.40
विवादित आय कर, ब्याज कर, बिक्री कर, व्यापार की मांग	3206.99	722.90
अन्य राशि, जिसके लिए निगम आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	3085.95	3127.23
ykHk ,oa gkfu fooj.k dk vuqlkj	**6468.69**	**4436.53**
(ii) ifrc)rk,a%		
पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसका प्रावधान न किया गया हो (अग्रिमों को घटाकर निवल)	1201.37	793.19
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	**1201.37**	**793.19**

fVIi.kh&34 'kYd vkj deh'ku 0;;

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31-03-25 dk lekIr o"k d fy,	31-03-24 dk lekIr o"k d fy,
'kYd vkj deh'ku%		
सरकारी गारंटी शुल्क	17.10	18.32
विदेशी मुद्रा लेन–देन और अनुवाद ब्याज पर हानि	12.35	15.69
बैंक शुल्क और कमीशन	27.32	36.59
अन्य	3.05	0.69
ykHk ,o gkfu fooj.k d vuqlkj	**59.82**	**71.29**

fVIi.kh&35% 31 ekp] 2025 dk lekIr o"k d fy, lefdr foRrh; fooj.kk dh vU; fVIif.k;k

इन समेकित वित्तीय विवरणों में, रा.ल.उ.नि. और इसकी सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (जिन्हें मिलाकर समूह कहा गया है) के वित्तीय विवरण शामिल है।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (''एनवीसीएफएल'' या ''कंपनी''), भारत में अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त 2020 को निगमित की गई थी। एनवीसीएफएल, भारत सरकार का एक उद्यम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (''एनएसआईसी'') की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और इसका पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020 (भारत) में स्थित है। 1 सितंबर 2021 से, एनवीसीएफएल को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 ('विनियम') के तहत सेल्फ रिलाएंट इंडिया (एसआरआई) फंड ('योजना' या 'निधि') नामक इसकी पहली योजना के लिए श्रेणी प् वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत किया गया और पंजीकरण संख्या आईएन/एआईएफ2/21–22/0924 प्राप्त हुई है। इस योजना में भारत सरकार, एनएसआईसी और कंपनी इसके योगदानकर्ता हैं, और इसे एक अलग 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन' (व्यक्तियों का संघ) के रूप में माना गया है। इस योजना का उद्देश्य इक्विटी, अर्ध–इक्विटी और ऋण के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में सहायता के प्रावधान के लिए संतति/अनुषंगी निधियों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करना है।

1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए यथा अपेक्षित निम्नलिखित सूचनाएं, समूह के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात पक्षकारों के स्टेट्स की सीमा तक विनिर्धारित कर ली गई हैं।

प्रदान की गई निविदाओं को निष्पादित कर रहे हैं और संबंधित खरीदार विभागों से भुगतान प्राप्त होने पर ही राशि एमएसई को देय होती है। उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम)/उद्यम पंजीकरण संख्या और आपूर्तिकर्ताओं के निगम (एनएसआईसी) के साथ पंजीकरण के आधार पर, ऐसी इकाइयों को देय राशि को वित्तीय विवरणों में 'एमएसई के व्यापार देय–बकाया बकाया' के रूप में दिखाया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार एनएसआईसी को धारा 2(एन) उप–खंड (प) के अंतर्गत एक "आपूर्तिकर्ता" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 31.08.2016 के परिपत्र के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि एनएसआईसी, एमएसईज (आपूर्तिकर्ता इकाइयों) और विभिन्न क्रेताओं को एकसाथ लाने में "सुविधाप्रदाता" के रूप में कार्य करता है। चूंकि एनएसआईसी किसी भी चरण में एनएसआईसी ''सुविधाकरण'' के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी विभागों को एमएसईज द्वारा आपूर्ति किए जा रहे सामान के लिए लाभग्राही "क्रेता" नहीं बनता, इसलिए एनएसआईसी विलंबित भुगतान पर ब्याज के उद्देश्य के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार "क्रेता" के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र

Ø-l-	fooj.k	2024-25	20232-24
1	किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त बची धनराशि:		
	क) मूलधन की धनराशि	10118.22	11916.71
	ख) उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
2	नियुक्त दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई धनराशि के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की धनराशि;	शून्य	शून्य
3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना भुगतान (जो कर दिया गया है, परंतु वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के पश्चात) करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि;	शून्य	शून्य
4	उपार्जित और अप्रदत्त बचे ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
5	उस तारीख तक, जब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य खर्च के रूप में छूट के उद्देश्य के लिए लघु उद्यम को देय ब्याज का वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो, आगामी वर्ष में भी देय बचे और भुगतान योग्य अगले ब्याज की धनराशि।	शून्य	शून्य

के उपक्रमों या अन्य सरकारी विभागों के, सामान के लाभग्राही "क्रेता" होने के कारण वे "आपूर्तिकर्ता" द्वारा आपूर्ति किए गए सामान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 के अनुसार विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए भी जिम्मेदार हैं। तद्नुसार, उन इकाइयों को भुगतानयोग्य ब्याज से संबंधित उपबंध एनएसआईसी पर लागू नहीं होते।,

एमएसएमई विभाग के अनुसार, ओडिशा सरकार ने अपने परिपत्र क्रमांक एमएसएमई पीएसएफ एमआईएससी 0040–2023/3594/एमएसएमई–भुवनेश्वर दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से बताया कि एनएसआईसी की भूमिका 'सुविधाकर्ता' और 'आपूर्तिकर्ता' के रूप में है न कि 'खरीदार' के रूप में और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत विलंबित भुगतान पर ब्याज की प्रयोज्यता के लिए 'एमएसई इकाइयों के साथ सह–आवेदक।

अन्य व्यापार भुगतानयोग्य के संबंध में निगम ने कोई ज्ञापन (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी के साथ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने के लिए यथापेक्षित) प्राप्त नहीं किया है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में अपनी स्थिति का दावा किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप ऐसी इकाइयों को भुगतानयोग्य धनराशि "व्यापार भुगतानयोग्य – गैर–एमएसई की बकाया देय" के रूप में दर्शाई गई है।

2. निगम में बैंकों और अन्य पक्षकारों के शेषों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। वर्ष के अंत में बकाया शेषों के लिए पुष्टि प्राप्त करने के पत्र व्यापार प्राप्तियोग्य, लेनदारों, ठेकेदारों, अग्रिमों, जमा धनराशियों, ऋणियों आदि को इस अनुरोध के साथ भेज दिए गए हैं कि वे विनिर्धारित अवधि के अंदर पुष्टि करें या टिप्पणी भेजें और ऐसा करने में विफल रहने पर पत्र में दर्शाए गए शेष को अभिपुष्ट के रूप में माना जाएगाा। सरकारी/स्थानीय प्राधिकरण ों की देय धनराशियों के मामले में और ऐसे मामलों में, जहाँ 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और/या मुकदमा/कानूनी कार्यवाही की जाती है, ग्राहकों की शेष धनराशियाँ आमतौर पर पुष्टि के अधीन नहीं होती। किसी भी पक्षकार से कोई प्रतिकूल संसूचन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, पक्षकारों के साथ लेखाओं के समाधान एक चल रही प्रक्रिया के रूप में किए जाते हैं।

तथापि, कुछ मामलों में पुष्टियां प्रतीक्षित हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जिनका प्रभाव प्रबंधन की राय में महत्त्वपूर्ण नहीं है:

शेष पुष्टि विवरण–

वित्तीय वर्ष 2024–25

¼yk[k #i, e½

Ø- l-	y[k dk Lo:i	dy cdk;k	ihvkbZ, l@ vfrfjDr@ lekU; C;kt@tCr iVVk/kkfjr mpr lxg.k d fy, Hkt x, pd	ihvkbZ, l NkMdj fuoy /kujkf'k@ vfrfjDr@ lekU; C;kt@ tCr iVVk /kkfjr mpr@ lxg.k d fy, Hkt x, pd *	ljdkjh n; jkf'k] /kujkf'k] ifr'kr iko /kku fd;k x;k g] olyh i:ek. ki= tkjh fd;k x;k g vkj@;k edne@ dkuuh dk;okgh d v/khu g	cdk;k 'k"k	ikIr gbZ if"V	if"V ikIr ugh gbZ
क	ख	ग	घ	ङ=ग–घ	च	छ=ङ–च	ज	झ=छ–ज
1	नकदी और बैंक शेष	10099.33	0.00	10099.33	0.00	10099.33	10099.33	0.00
2	प्राप्तियोग्य	11676.37	317.69	11358.68	6994.22	4364.46	345.62	4018.84
3	ऋण एवं अग्रिम	293973.57	650.10	293323.47	1584.60	291738.88	265862.80	25876.08
4	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1582.84	0.00	1582.84	27.70	1555.14	901.64	653.50
5	व्यापार भुगतानयोग्य	10186.27	0.00	10186.27	31.17	10155.10	2590.82	7564.28
6	अन्य वित्तीय देयताएं	14088.22	0.00	14088.22	3.88	14084.34	4229.41	9854.93
7	अन्य – अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	6916.55	0.00	6916.55	41.58	6874.97	5291.42	1583.55
	जोड़	348523.16	967.79	347555.37	8683.15	338872.22	289321.04	49551.18

'धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 ¼yk[k #i, e½

Ø- l-	y[k dk Lo: i	dy cdk;k	ihvkb, l@ vfrjDr@ lekU; C;kt@tCr iVVk/kkfjr mpr lxg.k d fy, Hkkt x, pd	ihvkb, l NkMdj fuoy /kujkf'k@ vfrjDr@ lekU; C;kt@ tCr iVVk /kkfjr mpr@ lxg.k d fy, Hkkt x, pd	ljdkjh n; jkf'k;k] /kujkf'k] tgk 100 ifr'kr iko/kku fd;k x;k g] olyh iek.ki= tkjh fd;k x;k g vkj@;k edne@ dkuuh dk;kogh dv/khu g	cdk;k 'k"k	ikIr gb if"V	if"V ikIr ugh gb
क	ख	ग	घ	ङ=ग–घ	च	छ=ङ–च	ज	झ=छ–ज
1	नकदी औरबैंक शेष	11356.07	-	11356.07	-	11356.07	11356.07	-
2	प्राप्तियोग्य	12660.32	331.21	12329.11	6597.24	5731.87	427.13	5304.73
3	ऋण एवं अग्रिम	273715.57	568.54	273147.03	1446.03	271701.00	254857.28	16843.72
4	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1678.95	-	1678.95	758.60	920.35	689.33	231.02
5	व्यापार भुगतान योग्य	11986.32	-	11986.32	31.17	11955.14	5518.46	6436.68
6	अन्य वित्तीय देयताएं	13038.56	-	13038.56	398.21	12640.35	7159.30	5481.06
7	अन्य – अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	6528.61	-	6528.61	3907.83	2620.78	1173.02	1447.76
	जोड़	330964.39	899.75	330064.64	13139.08	316925.56	281180.59	35744.97

'धनराशि पीआईएस छोड़कर निवल है परंतु हानिकरण छूट से पहले का है।

3. प्रबंधन की राय में ऋणों और अग्रिमों सहित सभी वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की कम से कम उस धनराशि के बराबर सामान्य व्यवसाय में वसूल किए जाने पर एक मूल्य है, जिस पर मूल्य उनका उल्लेख तुलन–पत्र और लेखांकन नीति ग्ग्ण् (क) (अपप) के अनुबंध के अनुसार प्रावधान मापदंडों के अनुसार में किया गया है, जहाँ कहीं आवश्यक हो।

4- o/kkfud vko';drkvk d vuqlkj çdVhdj.k bl çdkj gA

d- Hkkjrh; y[kkdu ekud 1 d vuqlkj ÁdVhdj.k% foRrh; fooj.kk dk iLrqrhdj.k

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के संबंध में इंडस्ट्रीज एएस 1 में संशोधन के अनुसार, बेहतर स्पष्टता और प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन नीतियों को आवश्यकतानुसार पुनः तैयार/पूरक किया गया है।

ख. भारतीय लेखांकन मानक 2 के अनुसार प्रकटीकरणः

माल–सूचियाँ

क) 31.03.2025 को यथास्थिति माल–सूचियों की कुल रखाव धनराशि 9.55 लाख रुपए (9.08 लाख) है, जैसाकि तुलन–पत्र की टिप्पणी संख्या 9 में दर्शाया गया है।

ख) माल–सूचियों का उल्लेख लागत या बाज़ार मूल्य से निम्नतर स्तर पर किया गया है और ऐसी कोई माल–सूची नहीं है, जिसकी रखाव लागत का उल्लेख 31 मार्च, 2025 कोयथास्थिति उचित मूल्य पर किया गया हो।

ग. भारतीय लेखा मानक 12 के अनुसार प्रकटीकरण – आयकर

d½ foÙkh; o"kZ 2024&25

¼yk[k #i, e½

fooj.k	01-04-2024 dk fuoy 'k"k	ykHk ,oa gkfu y[kk e ekU;rk ikIr	vkSlhvkbZ e ekU;rk ikIr	31-03-2025 dk fuoy 'k"k
आस्थगित कर देयताएं				
स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित	2377.95	200.75	-	2578.70
वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का बट्टाकरण	55.57	(9.66)	-	45.91
निवेशों का उचित मूल्य	104.66	-	(44.85)	59.81
उप–जोड़	2538.18	191.09	(44.85)	2684.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3502.51	139.22	-	3641.73
कर्मचारी लाभ	2559.87	186.04	9.10	2755.01
अन्य	7.02	(3.52)	-	3.50
उप–जोड़	6069.40	321.74	9.10	6400.24
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3531.22	130.65	53.95	3715.82

ख) वित्तीय वर्ष 2023–24

¼yk[k #i, e½

fooj.k	01-04-2023 dk uoy 'k"k	ykHk ,o gkfu y[k e ekU;rk ikIr	vkSlhvkbZ e ekU;rk ikIr	31-03-2024 dk fuoy 'k"k
आस्थगित कर देयताएं				
स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास पर समय के अंतर से संबंधित	2107.94	270.01	-	2377.95
वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं का बट्टाकरण	44.72	10.85	-	55.57
निवेशों का उचित मूल्य	76.70	-	27.96	104.66
उप–जोड़	2229.36	280.86	27.96	2538.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
प्राप्तियोग्य और अग्रिमों के लिए प्रावध ान	3274.02	228.49	-	3502.51
कर्मचारी लाभ	2484.24	71.71	3.92	2559.87
अन्य	10.53	(3.51)	-	7.02
उप–जोड़	5768.79	296.69	3.92	6069.40
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3539.43	15.83	(24.04)	3531.22

¼yk[k #i, e½

vk; dj dh iko/kku vkj dj&io ykHk dh ifr Hkkjrh; lkfof/kd vk; dj dh nj ykxw djd ifjdfyr dh xbZ /kujkf'k d chp lek/kku

fooj.k	31 ekpZ 2025	31 ekpZ 2024
कर–पूर्व लाभ	20063.93	17473.61
किसी घरेलू कंपनी पर लागू कर की दर	25.17%	25.17%
परिकलित कर व्यय	5050.09	4398.11
निम्नलिखित का कर प्रभाव:		
ऐसे व्यय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौतीयोग्य नहीं हैं	993.89	975.58
ऐसी आय, जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कर योग्य नहीं है	(754.98)	(799.69)
चालू कर प्रावधान	5289.00	4574.00
पिछली अवधियों से संबंधित आय कर	(30.08)	(23.92)
वर्धित आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति)	(130.65)	(15.83)
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त कर व्यय	5128.27	4534.25
प्रभावी कर दर	25.56%	25.95%

?k- v?kkf"kr vk; dk çdVhdj.k &

निगम ने खातों की किताबों में ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान किसी भी अप्रलेखित आय का अभ्यर्पण या प्रकटीकरण नहीं किया है।

³- Hkkjrh; y[kkdu ekud 16 d vuqlkj ÁdVhdj.k& lqifÙk] l;a= ,oa miLdj rFkk Hkkjrh; y[kkdu ekud 38 & ve`rifjlqifÙk;k

r;yu i=k e çklfxd ifDr en	lqifÙk dh oLrq dk fooj.k	ldy ogu eY; ¼#- yk[k e½	fuEu d uke ij /kkfjr ikf/kdkj foy[k	D;k ikf/kdkj foy[k èkkjd çekVj@ fun'kd dk çekVj] fun'kd ;k fj'rnkj # çekVj@fun'kd dk dsipkjh g	fdl frfFk l lqifRr dk /kkj.k fd;k x;k g	fuxe** d uke ij /kkj.k ugh fd, tku dk dkj.k
पीपीई	तकनीकी केंद्र हावड़ा में भूमि	1.60	रेफर नोट 1	नहीं	1959–60	
पीपीई	शाखा कार्यालय मुंबई में फ्लैट	11.52	रेफर नोट 2	नहीं	1988	

टिप्पणी–1: यद्यपि स्वामित्व विलेख एनएसआईसी के नाम पर रखे गए हैं, तथापि, स्थानीय सरकार से शीर्षक कार्यों की भौतिक हार्ड कॉपी प्राप्त करने का मामला प्रक्रियाधीन नहीं है।

टिप्पणी–2: तिलक नगर, चेंबूर, मुंबई में सोसायटी का पुनर्विकास, जिसमें कंपनी के छह फ्लैट हैं, पूरा हो चुका है और कब्जा कंपनी के पास है, हालांकि, कंपनी के पक्ष में शीर्षक विलेख/दस्तावेजों को निष्पादित किया जाना बाकी है।

क) एनटीएससी–राजकोट की 3.28 एकड़ जमीन पर कुछ औद्योगिक इकाइयों के साथ–साथ अनधिकृत आवासीय इकाइयों का भी अतिक्रमण है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी भूमि का स्वामित्व निगम के पक्ष में है, और कब्जा निगम के पास है।

ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान, रु. 4.79 लाख (सकल वहन मूल्य रु. 52.73 लाख) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति का निपटान रु. 5.53 लाख की बिक्री आय के साथ किया गया है, और रु. 0.74 लाख के लाभ को दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, रु. 12.15 लाख (सकल वहन मूल्य रु. 109.88 लाख) के शुद्ध वहन मूल्य वाली संपत्ति का निपटान रु. 25.33 लाख की बिक्री आय के साथ किया गया है, और रु. 13.18 लाख का नुकसान दर्ज किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

p- cukeh lqifRr dk ÁdVhdj.k%

निगम के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। इसलिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (धारा 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए निगम के खिलाफ कोई कार्यवाही आरंभ की गई अथवा लंबित नहीं है। क्योंकि निगम के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

N- m/kkjh ij ÁdVhdj.k

क) निगम ने बैंकों/संस्थानों, या अन्य ऋणदाताओं से लिए गए उधार/ऋण के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) इस प्रकार निगम को बैंक या वित्तीय संस्थान, या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) निगम ने किसी भी अर्हक परिसंपत्ति के लिए कोई राशि उधार नहीं ली है, जिसके ब्याज को भारतीय लेखांकन मानक 23 (इंड–एएस 23), "उधार लागत" के अनुसार पूंजीकृत किया जाना आवश्यक है। इसलिए, वर्ष के दौरान किसी भी ब्याज का पूंजीकृत नहीं किया गया है।

घ) बैंक/वित्तीय संस्थानों या अन्य उधारदाताओं से लिए गए ऋणों के संबंध में सभी प्रभारों को वैधानिक अवधि के भीतर कंपनी के पंजीकरण (आरओसी) के साथ पंजीकृत किए गए हैं।

(ङ) निम्नलिखित प्रभारों की संतुष्टि को वैधानिक अवधि से परे के बाद भी आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है:

ज. भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण – कर्मचारी लाभ

क) विभिन्न सुनिश्चित कर्मचारी लाभ स्कीम का सामान्य विवरण निम्नलिखित है:

i. सुनिश्चित अंशदान स्कीम

(क) सेवानिवृत्ति पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:

कर्मचारी समूह सेवानिवृत्ति पेंशन योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है और निदेशकों के लिए पेंशन योजना का प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा किया जाता है। निगम का दायित्व नामांकित कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10: का भुगतान करने तक सीमित है।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना में निगम का योगदान रू. 665.78 लाख (रू.665.07 लाख) है और इसे कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में निगम का योगदान रू.3.05 लाख (रू. शून्य लाख) है और इसे कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।

(ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा:

निगम में सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी को 5 लाख रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी के जरिए भर्ती इलाज हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इस संबंध में देयता को बीमांकिक आधार पर मान्यता दी जाती है अर्थात् निगम की वहन क्षमता के आधार पर आईडीए पैटर्न के अधीन कर्मचारियों के 01.01.2007 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में चालू वित्तीय वर्ष के मूल वेतन + महंगाई भत्ते पर 2 प्रतिशत अंशदान और 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में कर–पूर्व लाभ का 1.5 प्रतिशत।

मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.12.2016 के पत्र द्वारा अनुमोदित, डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1.1.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए रू. 255.95 लाख (रू. 222.37 लाख) और 1.1.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए रू. 126.07 लाख (रू. 126.05 लाख) की चिकित्सा योजनाओं हेतु निधि बनाई गई है। इस निधि का उपयोग वर्ष के दौरान क्रमशः रू. 140.31 लाख (रू. 173.77 लाख) और रू. 168.65 लाख (रू. 126.73 लाख) की बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के लिए किया गया है। 1.1.2007 से पहले और 1.1.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजना के लिए 31.03.2025 तक कुल राशि क्रमशः रू. 425.30 लाख (रू. 301.29 लाख) और रू. 419.70 लाख (रू. 451.02 लाख) है।

(ग) एनवीसीएफएल क्षेत्रीय भविष्य निधि ट्रस्ट को भविष्य निधि के लिए पूर्व–निर्धारित अंशदान राशि का भुगतान करता है।

(घ) कर्मचारी पेंशन स्कीम के संबंध में इसका विलय क्षेत्रीय भविष्य निधि न्यास जरिए किया गया है।

ii. सुनिश्चित लाभ योजनाएँ

(क) उपदान:

निगम में एक सुनिश्चित लाभ उपदान योजना है। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष या इससे अधिक की निरंतर सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी और मृत्यु पर, सेवा के पूरे कर लिए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से (15/26 ग अंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता) उपदान प्राप्त करने का हकदार है।

(ख) छुट्टी:

निगम, निगम के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करता है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन प्रति वर्ष उपार्जित होती हैं। आईडीए पैटर्न के कर्मचारियों के मामले में सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में अर्जित अवकाश अधिकतम 30 दिनों के लिए भुनाया जा सकता है, और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन (अर्ध वेतन अवकाश सहित, कम्यूटेशन के बिना) के लिए भुनाया जा सकता है।

इस खाते पर देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(ग) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता:

सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता गृह नगर में या ऐसे स्थान पर, जहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी का परिवार भारत में रहने का इच्छुक है, में रहने से संबंधित है और इसमें घरेलू सामान भत्ता भी शामिल है।

इस संबंध में देयता को, समूह में बीमांकिक मूल्याकंन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(घ) भविष्य निधि:

निगम, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत एक पृथक ट्रस्ट को निर्धारित दरों पर भविष्य निधि मद में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है, जो इस निधि को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। ट्रस्टों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर सदस्यों को न्यूनतम प्रतिफल दर सुनिश्चित करनी होती है। हालाँकि, निर्दिष्ट प्रतिफल दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज भुगतान में किसी भी कमी की भरपाई निगम द्वारा की जानी होती है। वर्ष 2024–25 के दौरान, निगम ने ब्याज की कमी के लिए ट्रस्ट को रू. 64.98 लाख (रू.110.45 लाख) की क्षतिपूर्ति की है। निगम का अनुमान है कि निकट

भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए, आगे कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, निगम ने परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान के रूप में रू. 822.94 लाख (रू. 814.41 लाख) की राशि का योगदान दिया है और इसे लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी है।

एनएसआईसी ईपीएफ ट्रस्ट को ईपीएफओ से उच्चतर पेंशन योजना के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान के लिए मांग प्राप्त हुई थी, जिसके लिए उन सदस्यों ने उच्चतर वेतन पर पेंशन का विकल्प चुना था, जिसकी नियत तिथि 28.02.2025 और 31.03.2025 थी। चूँकि ट्रस्ट की निधियाँ पूरी तरह से अनुमत प्रतिभूतियों में निवेशित थीं, इसलिए ट्रस्ट ने ट्रस्टियों की सिफारिशों पर एनएसआईसी से रू. 1755 लाख की वापसी योग्य अग्रिम राशि का अनुरोध किया। कर्मचारियों के लाभों की सुरक्षा के लिए, एनएसआईसी ने 31.03.2025 तक बकाया राशि को वसूली योग्य अग्रिम के रूप में वितरित कर दिया। ट्रस्ट ने अपने विशेष जमा योजना खाते से रू. 1400 लाख की निकासी के लिए भी आवेदन किया था, जो 31.03.2025 तक प्रक्रिया में था। हालाँकि, ईपीएफओ द्वारा 13.06.2025 के पत्र द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। ट्रस्ट को देय बकाया राशि से मासिक आधार पर, एक वर्ष के भीतर ट्रस्ट से अग्रिम राशि वसूल की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 से, निगम ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट में किए गए अंशदान को भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 19 – कर्मचारी लाभ की आवश्यकताओं के अनुसार 'परिभाषित लाभ योजना' के रूप में मानना शुरू कर दिया है। निगम पर इसका वित्तीय प्रभाव रू. 0.41 लाख है। भविष्य निधि के प्रति निगम का दायित्व कर्मचारी लाभ पर इंड एएस 19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित और प्रदान किया जाता है। योजनागत परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्तियाँ)/देयता

¼yk[k #i, e½

fooj.k	**31.03.2025** तक	**31.03.2024** तक
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	21608.87	22678.86
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	21638.19	22708.60
शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	29.33	29.73

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, निगम को बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित रू. 29.33 लाख (रू. 29.73 लाख) की शुद्ध परिसंपत्तियों के लिए योजना से वापसी या योजना में भविष्य में कम अंशदान के रूप में लाभों का कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार, निगम ने परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी है क्योंकि यह भविष्य निधि ट्रस्ट से संबंधित है, न कि निगम से।

(ङ) सेवा के दौरान चिकित्सा सुविधा:

निगम, स्वयं और उसके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए सेवारत कर्मचारियों को भर्ती संबंधी इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यदि इलाज सीजीएचएस दरों के अनुसार है, तो इस बाबत हुआ पूरा व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है और यदि इलाज अस्पताल दरों के अनुसार है तो कर्मचारी को व्यय का 15 प्रतिशत (दवाई और इम्पलांट तथा सुनिश्चित विशेष बीमारी को छोड़कर) वहन करना होता है।

[k½ mi;qä ekeyk dh lhc/k e chekfdd eY;kdu dh vuqlkj fofu/kkfjr ÁdVhdj.k uhph fn;k x;k g:–

¼yk[k #i, e½

योजना देयता

fooj.k	lhokbZ@ ihokbZ	minku	vftZr Nqêh	#X.krk Nqêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
अवधि के अंत में यथास्थिति दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	6011.62	3466.93	617.54	4.49
	पीवाई	5504.29	3332.32	575ण्99	4.18

सेवा लागत

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vft;r Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij;k=k HkÙkk
चालू सेवा लागत	सीवाई	285.95	195.06	44.03	3.83
	पीवाई	266.23	188.33	42.24	3.20
कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	301.56	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
गैर–नैत्यक करारों पर लाभ या हानियाँ	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	587.51	195.06	44.03	3.83
	पीवाई	266.23	188.33	42.24	3.20

निवल ब्याज लागत

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vft;r Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij;k=k HkÙkk
सुनिश्चित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	सीवाई	397.96	240.92	41.65	0.30
	पीवाई	397.37	239.95	38.71	0.30
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	397.96	240.92	41.65	0.30
	पीवाई	397.37	239.95	38.71	0.30

लाभ दायित्व में परिवर्तन

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vft;r Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij;k=k HkÙkk
अवधि आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	5504.29	3332.33	575.99	4.18
	पीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
ब्याज लागत	सीवाई	397.96	240.92	41.65	0.30
	पीवाई	397.37	239.95	38.71	0.30
सेवा लागत	सीवाई	285.95	195.06	44.03	3.83
	पीवाई	266.23	188.33	42.24	3.20
पुनः मार्पण	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-0.05	-	-
कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	301.56	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	सीवाई	-514.12	-704.62	-35.12	-3.60
	पीवाई	-559.78	-693.44	-29.48	-2.82
दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	35.97	403.23	-9.00	-0.22
	पीवाई	16.12	346.24	-0.04	-0.54
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	6011.62	3466.93	617.54	4.49
	पीवाई	5504.29	3332.32	575.99	4.18

nkf;Ro ij chekfdd ykHk@gkfu dk vyx&vyx fooj.k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokbl@ ihokbl	minku	vftlr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	.	.	.	.
	पीवाई	.	.	.	.
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	159.50	109.11	24.38	0.13
	पीवाई	52.19	35.37	7.92	0.04
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	-123.53	294.12	-33.38	-0.35
	पीवाई	-36.07	310.82	-7.97	-0.58

r|yu&i= vkj lcf/kr fo'y"k.k

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokbl@ ihokbl	minku	vftlr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	6011.62	3466.93	617.54	4.49
	पीवाई	5504.29	3332.32	575.99	4.18
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
तुलन–पत्र में अनिधिकृत देयता/प्रावधान	सीवाई	-6011.62	-3466.93	-617.54	-4.49
	पीवाई	-5504.29	-3332.32	-575.99	-4.18

आय विवरण में मान्यताप्राप्त धनराशियाँ

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokbl@ ihokbl	minku	vftlr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
कुल सेवा लागत	सीवाई	587.51	195.06	44.03	3.83
	पीवाई	266.23	188.33	42.24	3.20
निवल ब्याज लागत	सीवाई	397.96	240.92	41.65	0.30
	पीवाई	397.37	239.95	38.71	0.30
अवधि में मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	सीवाई	-	403.23	-9.00	-
	पीवाई	-	346.19	-0.04	-
आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	सीवाई	985.47	839.22	76.67	4.13
	पीवाई	663.60	774.47	80.91	3.50

vU; 0;kid vk; ¼vklhvkb½

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokbl@ ihokbl	minku	vftlr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij;k=k HkÙkk
आरंभिक निवल संचयी गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	.	.	.	.
	पीवाई	.	.	.	.
पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	-35.97	-	-	0.22
	पीवाई	-16.12	-	-	0.54
परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
अवधि के लिए गैर–मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	सीवाई	-35.97	-	-	0.22
	पीवाई	-16.12	-	-	0.54

fuoy lfuf'pr ykHk nkf;Ro e ifjor u

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vft r Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
अवधि के आरंभ में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	5504.29	3332.33	576.00	4.18
	पीवाई	5384.35	3251.29	524.55	4.04
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	587.51	195.06	44.03	3.83
	पीवाई	266.23	188.33	42.24	3.20
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	397.96	240.92	41.65	0.30
	पीवाई	397.37	239.95	38.71	0.30
पुनर्मापण	सीवाई	35.97	403.23	-9.00	-0.22
	पीवाई	16.10	346.18	-0.04	-0.54
निधि में भुगतान किया गया अंशदान	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया लाभ	सीवाई	-514.12	-704.62	-35.12	-3.60
	पीवाई	-559.78	-693.44	-29.48	-2.82
अवधि के अंत में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	6011.62	3466.93	617.54	4.49
	पीवाई	5504.29	3332.32	575.99	4.18

or eku vkj xj&or eku e o"k d v r e ihchvk dk f}Hkkt u

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vft r Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर राशि)	सीवाई	630.58	346.36	54.45	0.42
	पीवाई	505.96	342.91	43.31	0.34
गैर–वर्तमान देयता (एक वर्ष से अधिक राशि)	सीवाई	5381.04	3120.56	563.08	4.06
	पीवाई	4998.34	2989.42	532.68	3.84
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	सीवाई	6011.62	3466.93	617.54	4.49
	पीवाई	5504.29	3332.32	575.99	4.18

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित अंशदान

¼yk[k #i, e½

fooj.k	lhokb@ ihokb	minku	vft r Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
सेवा लागत	सीवाई	300.75	215.06	50.20	4.23
	पीवाई	276.75	201.40	46.83	4.22
निवल ब्याज लागत	सीवाई	407.58	235.04	41.86	0.30
	पीवाई	397.96	240.92	41.65	0.30
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय	सीवाई	708.33	45.01	92.06	4.54
	पीवाई	674.71	442.33	88.47	4.52

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए उपयोग किए गए प्रधान अनुमान निम्नलिखित हैं:

¼yk[k #i, e½

fooj.k	2024&25	2023&24
उपयोग की गई पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति
बट्टा दर	6.78%	7.23%
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ की प्रत्याशित दर	0	0
भावी वेतन में वृद्धि	5.50	5.50
मर्त्यता दर	100 प्रतिशत आईएएलएम (2012–14)	100 प्रतिशत आईएएलएम(2012–14)
आयु (आहरण दर) (प्रतिशत)		
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से अधिक	1	1

सुनिश्चित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता

¼yk[k #i, e½

fooj.k	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व को वर्तमान मूल्य	6011.62	3466.93	617.54	4.49
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	-181.60	-120.84	-26.98	-0.15
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	192.00	128.60	28.97	0.13
वेतन की वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6011.62	3466.93	617.54	-
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	193.45	129.58	29.18	-
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	-184.59	-122.83	-27.43	-

lfuf'pr ykHk nkf;Ro dh ifjiDork :ijkk

¼yk[k #i, e½

fooj.k	minku	vftr Nêh	#X.krk Nêh	lokfuofÙk ij ;k=k HkÙkk
0 से 1 वर्ष	630.58	346.36	54.45	0.42
1 से 2 वर्ष	666.48	353.65	35.91	0.42
2 से 3 वर्ष	480.21	246.70	30.49	0.32
3 से 4 वर्ष	497.55	252.20	30.41	0.34
4 से 5 वर्ष	351.91	176.70	33.98	0.24
5 से 6 वर्ष	453.49	243.01	37.57	0.31
6 वर्ष से आगे	2931.40	1848.31	394.72	2.42

ग) एनवीसीएफएल के संबंध में, वर्तमान में कंपनी में केवल एक कर्मचारी है, परिभाषित लाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की लागत और ऐसे दायित्वों का वर्तमान मूल्य स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो वास्तविक से भिन्न हो सकती हैं। प्रबंधन का मानना है कि छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और कर्मचारी–हरण दर के निर्धारण में बीमांकिक द्वारा प्रयुक्त धारणाएँ उचित हैं।

´- Hkkjrh; ykdu ekud&21 dk vuqlkj ÁdVhdj.k% fon'kh fofue; njk e ifjorku dk ÁHkko

क) क्रेडिटांस्टाल्ट पश्चिम जर्मनी (केएफडब्ल्यू) ऋण श्रृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु प्रावधान, ऋण करारों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार सृजित किया गया है:

(i) XIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता हानियां पूरी करने के लिए वर्ष के दौरान 204.32 लाख रुपए (218.83 लाख रुपए) की विनिमय भिन्नता हानियों के लिए प्रावधान सृजित किया गया है। वर्ष के दौरान ऋण के लिए विनिमय भिन्नता हानि 56.14 लाख रुपए (21.72 लाख रुपए) थी और 148.18 लाख रुपए (197.11 लाख रुपए) का प्रावधान पुरांकित किया गया है और इसका उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए किया गया है।

(ii) केएफडब्ल्यू XIIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत ऋणों के लिए विनिमय भिन्नता हानियों हेतु ऋण करार के अनुसार प्रावधान सृजित किया गया है। XIIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष के दौरान सृजित विनिमय भिन्नता के लिए किए गए प्रावधान में से प्रावधान के 80 प्रतिशत का उपयोग विनिमय भिन्नता हानियाँ पूरी करने के लिए किया जाएगा और 80 प्रतिशत में से बाकी बचा शेष, यदि कोई हो, को भविष्य में विनिमय भिन्नता हानियाँ पूरी करने के लिए रखा जाएगा। शेष 20 प्रतिशत राशि का उपयोग ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार प्रचार प्रयोजनों के लिए किया जाना है।

तद्नुसार, XIIवीं ऋण श्रृंखला के अंतर्गत विनिमय भिन्नता के लिए इस वर्ष के दौरान 208.58 लाख रुपए (230.08 लाख रुपए) की कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 80 प्रतिशत अर्थात् 166.87 लाख रुपए (184.07 लाख रुपए) का उपयोग वर्ष के दौरान विनिमय भिन्नता हानि के प्रति किया गया है और शेष 20 प्रतिशत अर्थात् 41.72 लाख रुपए (46.02 लाख रुपए) का उपयोग ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान, विनिमय भिन्नता हानि रुपए 46.80 लाख (रुपए 19.97 लाख) थी, जिसे 80% प्रावधान अर्थात रुपए 166.87 लाख (रुपए 184.07 लाख) से समायोजित किया गया है और शेष रुपए 120.07 लाख (शून्य) प्रावधानों को वर्ष के दौरान वापस लिख दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, केएफडब्ल्यू ग्प् घाटे की मूल राशि के अतिरिक्त विनिमय भिन्नता हानियों से अतिरिक्त प्रावधान, जो 31.03.2024 तक रुपए 561.24 लाख है, को शेष 12 वर्षों की ऋण अवधि में व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाएगा। तदनुसार, वर्ष के दौरान रुपए 46.77 लाख की वापसी की मान्यता दी गई है। परिणामस्वरूप, केएफडब्ल्यू ग्प् ऋण के अंतर्गत विनिमय भिन्नता हानि से 31.03.2025 तक संचयी प्रतिधारित प्रावधान रुपए 2366.99 लाख (रुपए 2413.77 लाख) है।

[k½ fofue; lhc/kh vkrj ¼yk[k #i, e½

Ø-l-	fooj.k	2024-25	2023-24
1	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेज़ों पर उत्पन्न को छोड़कर, लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त विनिमय अंतरों की धनराशि।	(12.35)	(15.69)
2	अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त और इक्विटी के एक अलग संघटक में संचित के बीच निवल विनिमय अंतर	.	.
3	अवधि के आरंभ और अंत में इन विनिमय अंतरों की धनराशि का समाधान।	.	.

ट. भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुसार प्रकटीकरण: संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

d½ lhcf/kr i{k में किसी कंपनी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत यथापरिभाषित संबंधित पक्षों के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सभी संबंधित पक्ष शामिल होंगे, जिसका अर्थ है (i) एक निदेशक या उसका संबंधी; (ii) एक प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक या उसका संबंधी; (iii) एक फर्म, जिसमें कोई निदेशक, प्रबंधक या उसका संबंधी भागीदार है, (iv) एक निजी कंपनी जिसमें प्रबंधक या निदेशक, सदस्या निदेशक है; (v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक, निदेशक है या अपने संबंधियों के साथ इसकी चुकता शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक को धारित किए हुए है; (vi) कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक के परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए अभ्यस्त है, (vii) कोई भी व्यक्ति जिसके परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का अभ्यस्त है, बशर्ते कि उप–खंड (vi) और (vii) में से कुछ भी पेशेवर क्षमता में दिए गए परामर्श, निर्देशों या अनुदेशों पर लागू नहीं होगा; (viii) कोई भी कंपनी जो (क) ऐसी कंपनी की कोई धारक, सहायक कंपनी सहयोगी कंपनी है, या (ख) किसी धारक कंपनी की सहायक कंपनी है जिसकी वह भी सहायक कंपनी है, (ix) ऐसा अन्य व्यक्ति जो निर्धारित किया जाएं।

[k½ çeq[k çc/kdh(dkfeZd ¼dk;Zikyd½ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार किसी कंपनी के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकी; कार्मिक शामिल होंगे, अर्थात – (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी

या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, (ii) कंपनी सचिव; (iii) पूर्णकालिक निदेशक; (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी, और (v) ऐसा अन्य अधिकारी, जो निदेशकों से एक स्तर से अधिक नीचे नहीं, जो पूर्णकालिक रोजगार में हों, जिसे बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकी; कर्मियों के रूप में नामित किया गया है, और ऐसे अन्य अधिकारी जो निर्धारित किए जा सकते हैं

ग) केएमपी के संबंधी में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विवरणों का विनिर्देशन) नियम, 2014 के नियम 4 के तहत यथापरिभाषित संबंधी शामिल होंगे, किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य से संबंधित है, यदि – (i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं; (ii) वे पति और पत्नी हैं; या (iii) एक व्यक्ति दूसरे से उस तरीके से संबंधित है जो निर्धारित किया जा सकता है।

घ) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण पर भारतीय लेखाकंन मानक–24 के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

,u,l vkbZlh dh e[; Ádkfed

e[; Ádkfed	inuke	vof/k	
		dc lq	dc rd
श्री विपुल गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2024	01.05.2024
डॉ. एस.एस. आचार्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	02.05.2024	31.03.2025
श्री कार्तिकेय सिन्हा	निदेशक (पीएंडएम)	01.04.2024	31.03.2025
श्री गौरव गुलाटी	निदेशक (वित्त)	01.04.2024	31.03.2025
श्री कालंदी चरण समल	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024	21.12.2024
श्री अशोक अहिवार	स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024	21.12.2024
श्री गौरव गुलाटी	मुख्य वित्त अधिकारी	01.04.2024	31.03.2025
सुश्री निष्ठा गोयल	कंपनी सचिव	01.04.2024	31.03.2025
श्री विपुल गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2024	01.05.2024
डॉ. एस.एस. आचार्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	02.05.2024	31.03.2025

M½ lgk;d dai uh – एनएसआईसी की एक सहायक कंपनी – मैसर्स एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) है जिसके लिए निगम ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित कंपनियों की परतों की संख्या की आवश्यकता का अनुपालन किया है।

p½ lcf/kr i{k – आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई फंड)

jk-y-m-fu- dh lkFk o"k dh nkjkju g, ywunu (लाख रुपए में)

Ø-l-	ywunu dh ç–fr	lcf/kr ikVhZ	
		2024-25	**2023-24**
1.	राजस्व:		
क)	–प्रंबधन शुल्क	670.59	672.80
ख)	–अन्य	199.67	152.14
2.	व्ययरू		
क)	–अन्य व्यय	--	--
3.	बकाया शेष	--	--
क)	–अन्य वित्तीय संपत्तियां	157.43	148.56
4.	अन्यरू		
क)	निवेश:	102.55	68.29
5.	स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेन–देन		
क)	बैठक शुल्क	7.40	7.45
ख)	अन्य व्यय	3.56	6.72

Ø-l-	ylunu dh ç—fr	iem[k ic/kdh; dkfe;d	
		2024-25	**2023-24**
1.	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
क)	वेतन और भत्ते	225.46	159.62
ख)	छुट्टी/एलटीसी नकदीकरण	6.53	1.25
ग)	अन्य खर्च	41.17	20.23
घ)	अन्य–पीआरपी	12.01	2.59
ड़)	उधार – ऋण और बकाया ब्याज	--	--
च)	पीपीई/अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री	--	--
2.	नौकरी–पश्चात लाभ		
क)	भविष्य निधि अंशदान	18.71	13.07
ख)	पेंशन योजना में अंशदान	16.00	11.29
ग)	अंतिम लाभ में अंशदान	30.06	14.47
घ)	बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अंतिम लाभ के लिए प्रावधान – बकाया	74.82	67.81
3-	vU; nh?kZdkfyd ykHk	--	--
4-	lekfIr ykHk	--	--
5-	'k;j vk/kkfjr Hkqxrku	--	--
Ø-l-	ylunu dh ç—fr	çe[k çc/kdh; dfe;ksa dk iqu%	
		2024-25	2023-24
	..	--	--

ii) संबंधित पक्षकारों के साथ लेनेदनों की प्रमुख शर्तें और निबंधन

क) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक निगम के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।

ख) एनवीसीएफएल के साथ लेन–देन उनके ऐसे समकक्ष शर्तों पर किए जाते हैं, जो कि आमने–सामने के लेनदेन में मौजूदा तौर पर प्रचलित हैं।

iii) निगम ने वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार कुल, ऋण एवं अग्रिम पर केएमपी के ऋण का प्रतिशत लागू नहीं है।

iv) शाखा ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों के साथ व्यावसायिक लेन–देन किया हैरू–

i. oLrqvksa vkSj lsokvksa dh [kjhn

क. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
ख. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
ग राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
घ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ड. भारतीय मानक ब्यूरो
च भारतीय गुणवत्ता परिषद
छ बामर लॉरी
ज एमटीएनएल

ii. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री

क भारतीय खाद्य निगम
ख जवाहर नवोदय विद्यालय
ग कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड
घ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ड. भारतीय मानक ब्यूरो
च राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
छ सिडबी
ज एनटीपीसी लिमिटेड
झ नाबार्ड
र. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी
ट भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र
ठ अरुणाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
ड़ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ढ़ राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान
ण जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद
त राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड

सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन वर्ष के दौरान लेनदेन

¼yk[k #i, e½

fooj.k	2024-25	2023-24
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद	259693.54	242640.40
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री	3928.78	4715.61

¼yk[k #i, e½

cdk;k jkf'k	**31.03.2025**	**31.03.2024**
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अग्रिम/(देय)	2527.77	1840.79
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए प्राप्य/(अग्रिम)	246.48	311.13

V- Hkkjrh; y[kk ekud 27 d vuqlkj çdVhdj.k & iFkd foÙkh; fooj.k

i) 'k) ifjlifÙk;ksa esa fgLlk] vFkkr dy ifjlifÙk;ksa esa lk dy n;rkvksa dk ?kVkdj ¼yk[k #i, e½

lLFkk dk uke	31 ekpZ 2025 rd		31 ekpZ 2024 rd	
	lefdr 'k) ifjlifRr;ksa d ifr'kr d :i e	jkf'k	lefdr 'k) ifjlifRr;ksa d ifr'kr d :i e	jkf'k
मूल कंपनी				
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	99.34	146180.76	99.51	134915.09
सहायक कंपनी – भारतीय				
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल)	1.06	1565.02	0.93	1259.33
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-0.41	-600.00	-0.44	-600.00
कुल	100	147145.78	100	135574.42

ii) ykHk vkj gkfu esa fgLlk ¼yk[k #i, e½

lLFkk dk uke	31 ekpZ 2025 dk lekIr o"kZ d fy,		31 ekpZ 2024 dk lekIr o"kZ d fy,	
	lefdr 'k) ykHk d ifr'kr d :i e	jkf'k	lefdr 'k) ykHk d ifr'kr d :i e	jkf'k
मूल कंपनी				
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	97.95	14629.92	97.81	12655.77
सहायक कंपनी – भारतीय				
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल)	2.80	418.15	2.90	374.69
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-0.75	-112.41	-0.70	-91.10
कुल	100	14935.66	100	12939.36

iii) vU; 0;kid vk; e fgLlk ¼yk[k #i, e½

lLFkk dk uke	31 ekp 2025 dk lekIr o"k d fy,		31 ekp 2024 dk lekIr o"k d fy,	
	lefdr vU; 0;kid vk; d ifr'kr d :i e	jkf'k	lefdr vU; 0;kid vk; d ifr'kr d :i e	jkf'k
ijV				
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	99.96	-160.33	100.01	71.47
lgk;d diuh & Hkkjrh;				
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल)	0.04	-0.06	-0.01	-0.01
lek;kstu ;k mUeyu çHkko	0.00	0.00	0.00	0.00
dy	100	-160.39	100	71.46

iv) कुल व्यापक आय में हिस्सा

lLFkk dk uke	31 ekp 2025 dk lekIr o"k d fy,		31 ekp 2024 dk lekIr o"k d fy,	
	lefdr dy 0;kid vk; d ifr'kr d :i e	jkf'k	lefdr dy 0;kid vk; d ifr'kr d :i e	jkf'k
ijV				
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	97.33	14469.59	97.82	12727.24
lgk;d diuh & Hkkjrh;				
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल)	2.83	418.09	2.11	274.68
lek;kstu ;k mUeyu çHkko	-0.76	-112.41	0.07	8.90
dy	100	14775.27	100	13010.82

y- Hkkjrh; y[kkdu ekud 109 d vuqlkj ÁdVhdj.k & foRrh; foy[k fd, x, iko/kkuk dk idVhdj.k

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13. 03.2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी). सीसी.पीडी. सं. 109/22.10. 106/2019–20 के आधार पर भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ईसीएलस को वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय विलेखों में हानि संबंधी छूट के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, किराया खरीद, पट्टे, कच्चे माल की सहायता, बिल पर छूट, सावधि ऋण, समग्र सावधि ऋण, बैंकों आदि के तहत देय राशियों के संबंध में, दिनांक 31.03.2025 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 12417.77 लाख (रु. 12399.36 लाख) के कुल बकाया के मुकाबले 289752.83 लाख (रु. 271828.47 लाख) था।

ग) गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनमें विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत देय राशियों के संबंध में प्राप्य तकनीकी केन्द्रों और एसटीबीपीज में लेनदेनों की बाबत प्राप्य, सेवाओं की बिक्री की बाबत प्राप्तव्य (अर्थात लाइसेंस और हाउसकीपिंग शुल्कों, किराये, प्रशिक्षण शुल्क, ईएमसी, टीआईसी, कार्यक्रमों आदि के लिए प्राप्य), नकद या वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम (मुख्यतः जिनमें निगम के साथ समझौता ज्ञापन वाले थोक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिमों सहित बाह्य पक्षकारों को भुगतान किए गए अग्रिम शामिल हैं), प्रतिभूति जमा उपार्जित परंतु अदेय ब्याज सहित स्टाफ अग्रिम और एवं अन्य परिसंपत्तियाँ, दिनांक 31.03.2025 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 2050.75 लाख (रु. 1516.06 लाख)

के कुल बकाया के मुकाबले 19502.11 लाख (रु. 17958.92 लाख) था।

घ) समग्र आधार पर, वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। वित्तीय/ गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिम और तकनीकी केंद्र/एसटीबीपी जिसमें प्राप्य और अग्रिम शामिल हैं, दिनांक 31.03.2025 को अनर्जक हानि के लिए संचयी प्रावधान रु. 14468.52 लाख (रु. 13915.43 लाख) की राशि में भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार रु. 309254.94 लाख (रु. 289787.39 लाख) के कुल बकाया के सापेक्ष वित्तीय/ गैर–वित्तीय आस्तियों के प्राप्य और ऋण और अग्रिम (एनएसआईसी के पास उपलब्ध ब्याज उचंत खाते और नकद संपार्श्विक का शुद्ध) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रावधान मानदंडों के अनुरूप किए गए हैं।

ड. Hkkjrh; y[kkdu ekud 37 d vuqlkj ÁdVhdj.k iko/kku] vkdfLed n;rk,¡ vkj vkdfLed ifjlaifÙk;k¡

क. लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2024–25 के लिए कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के लिए रु. 1028.09 लाख (रु. 892.10 लाख) का प्रावधान किया गया है।

एनएसआईसी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान रु. 614.27 लाख का कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान किया है।

एनवीसीएफएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान रु. 3.99 लाख का कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान किया है।

ख. अखिल भारतीय स्तर पर एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के लिए, एनएसआईसी एमएसएमई के लिए क्षमता निर्माण योजना सहित कई प्रोत्साहन योजनाएँ भी चला रहा है। ऐसी ही एक योजना कंसोर्टिया के माध्यम से विपणन सहायता है, जिसमें एनएसआईसी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक सुविधाकर्ता/आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत कुछ दावे दायर किए गए हैं, जिनमें आपूर्ति के भुगतान में देरी का आरोप लगाया गया है। इन दावों में एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 2(एन)(आई), 15, 16 और 18 का अनुप्रयोग और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.08.2016 और 14.06.2023 के परिपत्रों के माध्यम से जारी संबंधित स्पष्टीकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), एमएसएमईडी अधिनियम के तहत एक सुविधाकर्ता और आपूर्तिकर्ता के रूप में, उक्त कानून के तहत इसके वर्गीकरण सहित विभिन्न आधारों पर ऐसे दावों की कानूनी स्थिरता को चुनौती देता है।

निगम ने सक्षम न्यायिक और अर्ध–न्यायिक मंचों के समक्ष उक्त दावों की स्थिरता, क्षेत्राधिकार संबंधी वैधता और प्रवर्तनीयता को चुनौती देने के लिए अपने कानूनी और वैधानिक अधिकारों का विधिवत उपयोग किया है। जहाँ तुलनीय मामलों में न्यायिक निर्णय पहले ही जारी किए जा चुके हैं, वहाँ निगम को कानूनी मिसालों द्वारा समर्थित एक तर्कसंगत अपेक्षा है कि तथ्यों और कानूनी मुद्दों की एकरूपता को देखते हुए, वर्तमान में विचाराधीन शेष मामलों पर भी समान निष्कर्ष लागू होंगे।

भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 92 के अनुसरण में, निगम ने विवादों से संबंधित विशिष्ट वित्तीय अनुमानों, प्रतिपक्षकारों की पहचान या अन्य संवेदनशील विवरणों का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि ऐसा खुलासा चल रही कानूनी और सुलह संबंधी कार्यवाहियों में निगम की स्थिति के लिए संभावित रूप से गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने वाला माना जाता है।

<- Hkkjrh; y[kkdu ekud 105 d vuqlkj iDVdhdj.k & fcØh d fy, j[kh xbZ xj&pkyw ifjlaifÙk vkj cn dj fn, x, ipkyu

अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर बिक्री की अत्यधिक संभावना वाली परिसंपत्तियां, ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों'' के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। भारतीय लेखाकंन मानक 105 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, शून्य के निवल रखाव मूल्य (शून्य के सकल रखाव मूल्य) वाली ऐसी परिसपंत्तियां, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के भिन्न ब्लॉकसे परिसंपत्तियों के अलग ब्लॉक नामतः बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियाँ'' में अंतरित कर दी गई थी।

वित्त वर्ष 2024–25 में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत परिसंपत्तियों के अलग–अलग ब्लॉक से किसी भी संपत्ति को परिसंपत्तियों के अलग–अलग ब्लॉक अर्थात् ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान संपत्ति'' में स्थानांतरित नहीं किया जाता है।

.k- Hkkjrh; y[kkdu ekud 108 d vuqlkj iDVdhdj.k & ipkyu [kM

d½ [kM fjikfVx%

एनएसआईसी के क्रियाकलाप मोटे तौर पर 'संवर्धनात्मक' और 'वाणिज्यिक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।' संवर्धनात्मक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं जिनके लिए निगम को बजटीय सहायता सरकार और/अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 'संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु सहायता' की योजनाएं, 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति हब', ',खरीद और विपणन सहायता योजना' 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना' आदि, जिनके लिए इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमादित दिशा–निर्देशों के अनुसार, जहाँ, का लागू हो, प्रशासनिक

व्यय के साथ–साथ निगम के क्रियाकलाप मोटे तौर पर –संवर्धनात्मक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। प्रदर्शनियों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों), क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों, सघन अभियान आयोजित करने/उनमें सहभागिता अन्य विपणन सहायता सेवाओं (विज्ञापन, प्रचार आदि), लघु और मध्यम उद्यमों की रेटिंग के लिए किए जाने वाले खर्च और प्रशिक्षण का व्यय उपरोक्त योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता में से पूरे किए जाते हैं।

अन्य बातों के साथ–साथ, 'वाणिज्यिक' क्रियाकलापों में ऐसे क्रियालाप शामिल हैं, जिनके द्वारा निगम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विपणन (निविदा विपणन और कच्चे माल की सहायता/ वितरण/ थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापार को सहायता सहित)', 'ऋण', 'प्रौद्योगिकी' और 'अन्य सहायता' सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इन 'समेकित' सहायता सेवाओं का निधिकरण निगम द्वारा किया जाता है। इनके अलावा, बजटीय सहायता में से पूरे न किए जाने वाले क्रियाकलाप, परंतु जो संवर्धनात्मक स्वरूप के हैं, को वाणिज्यिक क्रियाकलापों के साथ मिला दिया गया है क्योंकि इन क्रियाकलापों के खर्चे निगम द्वारा वहन किए जाते हैं। तद्नुसार, निगम के क्रियाकलापों को दो खंडों नामतः "वाणिज्यिक" और "संवर्धनात्मक" में विभाजित किया गया है।

निम्नलिखित सारणी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'खण्ड सूचना' पर भारतीय लेखांकन मानक–108 द्वारा यथापेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार खण्ड के लिए राजस्व, लाभ/(हानि), परिसंपत्ति और देयताओं की सूचना दर्शाई गई है।

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp 2025 dk lekIr o"k d fy,			31 ekp 2024 dk lekIr o"k d fy,		
ikFkfed [k.M &dkjckj [k.M	lo /kukRed	okf.kfT;d	tkM	lo/kukRed	okf.kfT;d	tkM
I. [k.M jktLo ¼vunku lfgr½						
.वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान	8973.87	.	8973.87	13827.28	.	13827.28
–उत्पाद की बिक्री	.	290771.56	290771.56	.	276408.88	276408.88
–सेवाओं की बिक्री	.	15166.71	15166.71	.	14131.83	14131.83
–अन्य	.	38027.88	38027.88	.	37653.53	37653.53
&tkM II. [kM 0;; ¼vunku d ifr 0;; lfgr½	8973-87	343966-15	352940-02	13827-28	328194-24	342021-52
–वर्ष के दौरान मान्यता दिए गए सरकारी अनुदान के प्रति किया गया व्यय	8973.87	.	8973.87	13827.28	.	13827.28
–अन्य	.	323902.96	323902.96	.	310733.81	310733.81
&tkM	8973-87	323902-96	332876-83	13827-28	310733-81	324561-09
III. ifj.kke						
क. खण्ड परिणाम	.	14935.66	14935.66	.	12939.36	12939.36
ख. ब्याज से पहले प्रचालन लाभ	.	30807.38	30807.38	.	28939.63	28939.63
ग. भुगतान किया गया ब्याज	.	10744.19	10744.19	.	11479.20	11479.20
घ. आपवादिक मदें	.	(0.74)	(0.74)	.	(13.18)	(13.18)
ङ. कर–पूर्व लाभ	.	20063.93	20063.93	.	17473.61	17473-T61
च. कर व्यय	.	5128.27	5128.27	.	4534.25	4534.25
छ. करोपरांत निवल लाभ	.	14935.66	14935.66	.	12939.36	12939.36
छ. अन्य व्यापक आय	.	(160.39)	(160.39)	.	71.46	71.46
झ. कुल व्यापक आय {जिसमें लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल हैं}	.	14775.27	14775.27	.	13010.82	13010.82
IV. ifjlifÙk;k vkj n;rk,						
क. खण्ड परिसंपत्तियाँ	5088.60	313278.54	318367.14	4499.00	296954.87	301453.87
ख. अनावंटित परिसंपत्तियां	.	.	22156.64	.	.	20776.98
x- dy ifjlifÙk;k	5088-60	313278-54	340523-78	4499-00	296954-87	322230-85
घ. खण्ड परिसंपत्तियाँ	5966.56	172428.30	178394.86	4633.75	167557.10	172190.85
ङ. अनावंटित परिसंपत्तियां	.	.	162128.92	.	.	150040.00
p- dy n;rk,	5966-56	172428-30	340523-78	4633-75	167557-10	322230-85
V- vU; lpuk						
(क) स्थिर परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए अवधि के दौरान लगाई गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	1034.08	685.67	1719.75	503.45	863.50	1366.95
(ख) मूल्यह्रास रु	418.52	984.59	1403.11	342.95	845.32	1188.27
(ग) मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकदी व्यय	.	87.78	87.78	.	14.04	14.04

lo/kukRed [k.M dk eY;gkl] iuth vkjf{kr d ifr iHkkfjr fd;k x;k gA

- i:e[k mRiknk vkj lokvk l: ikIr jktLo d ckj e lpuk && uhp fn, x, [kM ^^ih** dk n[k
- vU; xfrfof/k;k d fy, tkudkjh

¼yk[k #i, e½

fooj.k	bdkbZ	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
एनएसआईसी प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित उम्मीदवार	संख्या	79295	66765
एमएसएमई को परीक्षण और अन्य सामान्य सुविधाएं प्रदान की गईं	संख्या	20640	15891
कुल खरीद के % के रूप में GeM से खरीद	:	100	83.12

- निगम के पास कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है, क्योंकि निगम के ऋण प्रचालन देश के अंदर किए जाते हैं।
- किसी एकल ऋणी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निगम के राजस्व में 10 प्रतिशत या इससे अधिक का योगदान नहीं किया है।

r- Hkkjrh; ys[kkdu ekud 115 d vuqlkj izdVhdj.k& xkgdk d lkFk fd, x, lfonkvk l: ÁkIr jktLo

1½ fuxe dk l:?kVd&okj jktLo

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
उत्पादों की बिक्री	290771.56	276408.88
सेवाओं की बिक्री	9139.36	8685.00
किराये की आय	6027.35	5446.83
ब्याज आय	29373.49	32044.85
प्रोसेसिंग शुल्क	4378.19	4829.27
अन्य प्रचालन आय	3912.24	368.48
tkM:	**343602.19**	**327783.31**

(सेवाओं की बिक्री में सरकारी योजना यानी पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए सुविधा शुल्क से होने वाली आय शामिल है, जिसकी राशि रुपए 1687.50 लाख (1125.00) है।

2½ ih,e fo'odekZ ;kstuk%

- पीएम विश्वकर्मा योजना, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को मजबूत और पोषित करना है, जिसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करके उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।
- एक सुविधा प्रदाता के रूप में एनएसआईसी के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) को निविदा के माध्यम से उपयुक्त विक्रेताओं का चयन करके और पंजीकृत लाभार्थियों को टूलकिट प्रदान करके 18 अलग–अलग पहचाने गए ट्रेडों के तहत इन टूलकिट की आपूर्ति के लिए एक पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का काम सौंपा गया है। उपर्युक्त 18 ट्रेडों के लिए योजना के अंतर्गत।
- इस उद्देश्य के लिए, एनएसआईसी को निम्नलिखित विभिन्न शेड्यूलध मील के पत्थर पर तीन (3) खाइयों में रू. 4500 लाख की सुविधा शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जो कुल परिव्यय का 1% यानी रू. 450000 लाख है:
  - ड्राफ्ट आरएफपी के अनुमोदन पर सुविधा शुल्क का 25%,
  - टूलकिट विक्रेता के सफल चयन के बाद सुविधा शुल्क का 25% और
  - टूलकिट विक्रेता के सफल चयन के छह (6) महीने के बाद सुविधा शुल्क का 50% शेष रखें।
- तदनुसार, निर्धारित लक्ष्य/लक्ष्य प्राप्त करने पर, एनएसआईसी को एमएसएमई मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान रू.1687.50 लाख (रू.1125.00 लाख) प्लस जीएसटी की

राशि का सुविधा शुल्क प्राप्त हुआ है।

त. भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार प्रकटीकरण – पट्टे:

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार, निगम तुलन पत्र में इन परिसंपत्तियों को भावी अवधियों में इन पट्टों के प्रति भुगतानयोग्य धनराशियों के संबंध में तदनरूपी पट्टा देयता के साथ 'उपयोग करने के अधिकार वाली परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देता है। तथापि, निगम ने, अल्पावधि पट्टों और निम्न मूल्य वाली अंतनिर्हित परिसंपत्तियों के पट्टों के संबंध में मान्यता छूट का उपयोग किया है। अल्पावधि पट्टों में परिसमापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं, जहाँ ये पट्टे समाप्त करने के लिए कोई सारवान आर्थिक विप्रोत्साहन न हो। ऐसे करार, पट्टाधारित पोटफोलियों का प्रबंधन करने और निगम की व्यवसाय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सुनम्यता उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय 405.58 लाख रू. (398.12 लाख रु.) है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के प्रति कुल नकदी बहिर्वाह 480.67 लाख रू. (472.67 लाख रु.) है।

d½ iVVk/kkjh d: i e iVV%

(I) ekU;rk ikIr iVVk n;rkvk vkj o"k d nkjku lpkyuk dh /kkfjr /kujkf'k;k fuEufyf[kr g%

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
अथशेष	236.19	59.01
– पट्टा देयताओं में अभिवर्धन	10.91	232.59
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	16.79	19.14
– पट्टा दयेताओं का भुगतान	75.09	74.55
अंत शेष	188.80	236.19

(II) ykHk vkj gkfu fooj.k e ekU;rk ikIr /kujkf'k;k fuEufyf[kr g% ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तितयों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन	63.25	64.84
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	16.79	19.14

(III) vU; idVhdj.k% ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
पट्टों से नकदी बहिर्वाह	75.09	74.55

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां की धारण धनराशि	169.57	221.91

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर भुगतान किए जाने वाले बट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं:

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
एक वर्ष से कम	75.83	75.38
एक और दो वर्षों के बीच	58.69	76.69
दो और तीन वर्षों के बीच	11.03	49.73
तीन और चार वर्षों के बीच	4.96	4.96
चार और पांच वर्षों के बीच	5.89	5.89
पांच वर्षों से अधिक	113.55	113.55

[k½ iVVkndrk d: :i e iVV%

i. ये करार, भारतीय लेखांकन मानक 116 'पटटे' में पारगमन के पश्चात प्रचालनरत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए जाने जारी है।

ii. 6061.71 लाख रू. (5463.90 लाख रू.) की ध नराशि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में पट्टा आय के रूप में लेखे में ली गई है।

iii. पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम के लिए और बाकी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर प्राप्त किए जाने वालेबट्टाकृत पट्टा भुगतान निम्नलिखित हैं:

¼yk[k #i, e½

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	5211.01	5057.03
एक और दो वर्षों के बीच	2937.30	3482.23
दो और तीन वर्षों के बीच	2112.94	2150.22
तीन और चार वर्षों के बीच	1411.69	1742.33
चार और पांच वर्षों के बीच	214.67	1415.90
पांच वर्षों से अधिक	127.85	212.19

n- ifjlaifRr nz;rk Ác/ku & ifjlaifRr;ksa o nz;rkvksa dh dqN enksa dk ifjiDork Lo:i ¼yk[k #i, e½

31-03-2025 dk ;FkkfLFkfr	fuoy vfxe	fuo'k	m/kkj		fon'kh enk dh en	
			?kjyw	fon'kh	ifjlaifÙk;k	nz;rk,a
30/31 दिनों तक	53250.87	-	6876.13	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	19468.18	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	30743.49	-	137999.94	138.93	-	-
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	173872.52	-	-	23.66	-	-
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	-	-	162.59	-	-
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	-	-	650.36	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	-	-	-	650.36	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	340.20	-	2709.89	-	-

¼yk[k #i, e½

31-03-2024 dk ;FkkfLFkfr	fuoy vfxe	fuo'k	m/kkj		fon'kh enk dh en	
			?kjyw	fon'kh	ifjlaifÙk;k	nz;rk,a
30/31 दिनों तक	51177.20	.	63459.44	.	.	.
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	18717.60	.	.	.	.	.
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	27251.78	.	74500.00	133.55	.	.
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	162282.54	.	.	22.82	.	.
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	.	.	.	156.37	.	.
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	.	.	.	625.48	.	.
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	.	.	.	625.48	.	.
5 वर्ष से अधिक	.	484.12	.	2972.28	.	.

(ये अग्रिम, किराया खरीद, पट्टाकरण, कच्चा माल सहायता, बिल बट्टाकरण, संयुक्त सावधि ऋण, सावधि ऋण, बैंक आदि से संबंधित है)।

/k- foÙkh; foy[k

d½ iwath izca/ku

निगम के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में, निर्गत इक्विटी पूंजी, शेयर प्रीमियम और निगम के इक्विटीधारकों

को प्रदान किए जाने योग्य अन्य सभी इक्विटी आरक्षित राशियाँ शामिल हैं। निगम के पूंजी प्रबंधन के प्राथमिक उद्देश्य, शेयर पूंजी की सुरक्षा और बचाव तथा शेयरधारक संपत्ति को अधिकतम बनाना है।

प्रबंधन, अत्यधिक उत्तोलन शक्ति से बचते हुए एक दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने की दृष्टि से निगम की पूंजीगत आवश्यकताओं का आकलन करता है। निगम, पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यवसाय वातावरण और सेक्टर के अंदर नकदी प्रवाह की स्थिति के आलोक में उपयुक्त विलेखों के जरिए निधियाँ जुटाता है। इसके अलावा, पूंजी पुनः संरचनाकरण के संबंध में, निगम, बोनस शेयरों के निर्गमन, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद आदि के संबंध में अन्य बातों के साथ–साथ ''केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनः संरचनाकरण'' पर निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए। दिशानिर्देशों द्वारा भी मार्गदर्शित होता है। निगम ने बाह्य रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत शर्तों का अनुपालन किया है।

विनियामक पूंजी संबंधी सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए प्रकटीकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंड, पूंजी को निम्नलिखित स्तरों पर बनाए रखने को अनिवार्य बनाते हैं।

निगम ने, रिपोर्टिंग अवधि में पूंजी की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

[k½ foÙkh; tksf[ke izca/ku

निगम अनेक जोखिमों के प्रति आरक्षित है, जो ऐसे वातावरण में अंतर्निहित हैं, जिसमें वह प्रचालन करता है। निगम, एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है–

d½ØfMV tksf[ke

(i) निगम, अपने ऋण प्रचालनों के जरिए प्राथमिक रूप से क्रेडिट जोखिम के प्रति आरक्षित है। नकदी और नकदी समतुल्य पर क्रेडिट जोखिम, सीमित है क्योंकि ये अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक सेक्टर बैंकों और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के साथ किए जाते हैं। जहाँ तक निवेशों का संबंध है, निगम का इक्विटी दस्तावेज़ों में बहुत कम निवेश है जो रणनीतिक स्वरूप का है। जिसके भाग का प्रावधान निगम ने पहले ही हानिकरण छूट के प्रति कर दिया है और शेष का उचित मूल्यांकन कर दिया है और उस पर हुए लाभ को लेखा–बहियों में लेखे में ले लिया है।

क्रेडिट जोखिमों के एक प्रभावी तरीके से प्रबंधन के लिए निगम ने एक मूल्यांकन तंत्र स्थापित कर दिया है, जिसमें मूलधन और ब्याज की धनराशि की समय से अदायगी सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिशानिर्देश दिए गए हैं। निगम, जोखिम की उस धनराशि, जिसे वह अलग–अलग प्रति–पक्षकारों के लिए स्वीकार करने और उनके सकेंद्रण का इच्छुक है, पर सीमाएं निर्धारित करके और बैंकों से लेखे का संव्यवहार प्राप्त करके इन सीमाओं के संबंध में अरक्षितताओं को मॉनीटर करके क्रेडिट जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है।

निगम को, बैंक गारंटी के प्रति कच्चा माल सहायता योजना में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके कच्चे माल के प्रापण के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली क्रेडिट सहायता के हिसाब से क्रेडिट जोखिम होता है।

(ii) egÙi.k vuqeku vkj fu.k; foÙkh; ifjlaifÙk;ksa dk gkfudj.k%

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानिकरण प्रावधान, चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के बारे में अनुमानों पर आधारित है। निगम, समूह के पिछले इतिवृत्त और अन्य बैंकों के साथ खाते के संचालन, मौजूदा बाज़ार दशाओं और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अग्रदर्शी अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाने और हानिकरण के परिकलन में इनपुट का चयन करने में निर्णय का इस्तेमाल करता है।

भारतीय लेखांकन मानकों में पारगमन की तारीख को कोई कंपनी ऐसी तर्कसंगत और समर्थ योग्य सूचना का उपयोग करेगी, जो, उस तारीख, जिसकी वित्तीय दस्तावेज़ों को आरंभतः मान्यता दी गई थी, क्रेडिट जोखिम निर्धारित करने के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो और भारतीय लेखांकन मानकों के पारगमन की तारीख को जोखिम क्रेडिट के साथ इनका मिलान करेगी।

निगम ने भारतीय लेखांकन मानक–109 या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्चतर प्रावधान के रूप में लेखा–बहियों में हानिकरण हानि (ईसीएल) को मान्यता देने की नीति अपनाई है।

fuxe u lHkh _.kksa dk rhu pj.kksa esa oxhZr fd;k g%

चरण 1– निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति नहीं हुई)

चरण 2– निम्न निष्पादनशील (अपनी आरंभिक मान्यता से बहुत अधिक क्षति हुई)

चरण 3– गैर–निष्पादनशील (क्षति होने के उद्देश्यपरक साक्ष्य)

ईसीएल का परिकलन, पिछले दस वर्ष के आंकड़ों के

आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

ईसीएल = चूक की संभाव्यता (पीडी) हानि दी गई चूक (एलजीडी)

चूक की संभाव्यता (पीडी) का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों में कुल ऋण वृद्धि के प्रति पिछले 10 वर्षों में एनपीए के रूप में किया जाता है।

हानि दी गई चूक का परिकलन, प्रतिशत के रूप में पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल एनपीए के प्रति पिछले 10 वर्षों के दौरान मूलधन की हानि के रूप में किया जाता है।

निगम, क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई मानता है, जब ऋणी 30 पिछले देय दिन (डीपीडी) पार कर लेता है परंतु 90 डीपीडी के अंदर है।

vif{kr gkfu d; fy, Áko/kku

Lrj	J;.kh	J;.kh dk foLrkj	iR;kf'kr ØfMV gkfu d; ikso/kku dh ekU;rk dk vk/kkj _.k
			_.k
चरण 1	मानक परिसंपत्तियाँ, उच्च गुणवत्ता परिसंपत्तिया, नगण्य क्रेडिट जोखिम	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है या जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर कम क्रेडिट जोखिम है।	12 महीने का ईसीएल
चरण 2	वर्धित जोखिम परिसंपत्तियाँ या पर्याप्त जोखिम वाली परिसंपत्तियाँ	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन जिसमें हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं है।	आजीवन ईसीएल
चरण 3	हानिकृत परिसंपत्तियाँ	हानिकृत परिसंपत्तियाँ जिनके लिए रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है।	आजीवन ईसीएल

[k½ ifj'kks/ku tksf[ke

परिशोधन ऐसा जोखिम है कि निगम के व्यवसाय क्रियाकलापों के लिए निधिकरण के उपयुक्त स्रोत संभवतः उपलब्ध न हों। निगम का उद्देश्य, अपनी नकदी की आवश्यताएँ पूरी करने के लिए परिशोधन का इष्टतम स्तर बनाए रखना है। निगम, अपनी परिशोधन स्थिति को निकटता से मॉनीटर करता है और जब कभी आवश्यक हो, अपनी अल्पावधि और दीर्घावधि निधि आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त स्रोत बनाए रखता है।

1- foÙkh; ik"k.k 0;oLFkk,¡

निगम के पास, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई उधार सुविधाएं थीं:

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekpZ] 2025 dks ;FkkfLFkfr	31 ekpZ] 2024 dks ;FkkfLFkfr
अस्थायी दर – एक वर्ष के अंदर समाप्त होने वाली (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएँ)	शून्य	शून्य

निगम के पास ब्याज की अस्थायी दर पर बैंकों से नकद क्रेडिट सुविधा है, जिसे हर वर्ष नवीकृत किया जाता है।

(i) foÙkh; n;rkvksa dh ifjiDork :ij[kk

नीचे दी गई सारणी में, निगम की वित्तीय देयताओं का सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए अपनी संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित सुसंगत परिपक्वता में विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए नकदी प्रवाहों के समय को समझने के लिए संविदात्मक परिपक्वताएँ आवश्यक हैं:–

सारणी में विगोपित धनराशियाँ, उनके रखाव शेषों के बराबर, 12 महीने के अंदर देय संविदात्मक अबट्टाकृत नकदी प्रवाह शेष है, क्योंकि बट्टाकरण का प्रभाव महत्त्वपूर्ण नहीं है:–

fooj.k	foÙkh; n;rkvksa dh lfonkRed ifjiDork,¡			foÙkh; n;rkvksa dh lfonkRed ifjiDork,¡		
	31 ekp] 2025			31 ekp] 2024		
	cd m/kkj	ckt kj m/kkj	tkM+	cd m/kkj	ckt kj m/kkj	tkM+
1 दिन से 30/31 दिनों तक (एक महीना)	6876.13	-	6876.13	63459.44	-	63459.44
1 महीने से अधिक 2 महीने तक	-	-	-	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	137999.94	138.93	138138.37	74500.00	135.21	74635.21
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	-	23.66	23.66	-	23.02	23.02
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	-	162.59	162.59	-	158.23	158.23
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	-	650.36	650.36	-	632.92	632.92
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	-	650.36	650.36	-	632.92	632.92
5 वर्ष से अधिक	-	2709.89	2709.89	-	2953.68	2953.68

x½ ckt kj tkf[ke

बाज़ार जोखिम ऐसा जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं– ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम। बाज़ार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज़ों में, ऋण और उधार शामिल हैं।

(i) fon'kh enk tkf[ke

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है कि कार्यात्मक मुद्रा के अलावा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित किसी वित्तीय दस्तावेज़ के भावी नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में, विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

निगम, मुख्यतः अपने विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित उधारों पर विनिमय मुद्रा जोखिम के प्रति आरक्षित है। निगम के विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित उधारों की रखाव धनराशि निम्नलिखित है:–

fooj.k	31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr		31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr	
	fon'kh enk ¼;wjks e½	dk;kRed enk e¡ ¼yk[k #i, e½	fon'kh enk ¼;wjks e½	dk;kRed enk e¡ ¼yk[k #i, e½
केएफडब्ल्यू–XI	2219006.83	2093.63	2345807.21	2153.92
केएफडब्ल्यू–XII	1849853.97	1745.34	2017557.71	1852.52
आईएलसी	526567.66	496.82	576716.88	529.54

fon'kh enk tkf[ke ekuhVfjax vkj ic/ku&

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है।

fon'kh e.kk laonu'khyrk fo'y"k.k

निगम द्वारा किए गए ऋण करार में, विनिमय उतार–चढ़ाव के जोखिम का ध्यान रखा जाता है और विनिमय उतार–चढ़ाव हानि, यदि कोई है, कूपन भुगतान में राहत द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा, यह विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण भावी हानियों को भी सुरक्षित करता है। इसलिए, कोई संवेदनशीलता विश्लेषण नहीं किया गया।

(ii) udnh izokg vkj mfpr eY; C;kt nj tksf[ke

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि वित्तीय दस्तावेज़ के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति निगम की अरक्षितता, प्राथमिक रूप से अल्पावधि उधारों से संबंधित है। बाज़ार ब्याज दर का अल्पीकरण, बाज़ार स्थितियों, कारणों आदि की उचित समीक्षा द्वारा किया जाता है। निगम के उधार, परिशोधित लागत पर लिए जाते हैं।

(क) ब्याज दर जोखिम अरक्षितता

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति निगम की अल्पावधि उधारों की अरक्षितता निम्नलिखित है:

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekpZ 2025 dk ;FkkfLFkfr	31 ekpZ 2024 dk ;FkkfLFkfr
परिवर्तनीय दर वाले उधार	3376.13	1459.44
निश्चित दर वाले उधार	141499.94	136500.00
dqy m/kkj	**144876.07**	**137959.44**

¼[k½ laonu'khyrk

चूंकि निगम के अधिकतम अल्पावधि उधार निश्चित लागतों वाले हैं, इसलिए वे भारतीय लेखांकन मानक–107 में यथापरिभाषित ब्याज दर जोखिम की शर्त के अधीन नहीं हैं क्योंकि न तो रखाव धनराशि में और न ही भावी नकदी प्रवाह में, बाज़ार ब्याज दरों में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

(iii) eY; tksf[ke

¼d½ vf{krrk

इक्विटी प्रतिभूति मूल्य जोखिम, के प्रति निगम की आरक्षितता ओसीआई के जरिए उचित मूल्य के रूप में तुलन–पत्र में वर्गीकृत और निगम द्वारा रखे गए निवेशों से उत्पन्न होता है। हालांकि पोर्टफोलियो का अपवर्तन समूह द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार किया जाता है। तथापि निगम ने पिछले समय में केवल कुछ रणनीतिक निवेश ही किया है, जिसका भाग पूर्णतः हानिकृत किया गया है और पहले ही प्रावधान कर दिए गए हैं और शेष भाग को उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है तथा उसके लाभों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है।

¼[k½ laonu'khyrk

निगम की इक्विटी में निवेश की बहुत कम धनराशि है और पिछले दो वर्षों में कोई संचलन नहीं हुआ है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, निगम ने इक्विटी में अपने उद्धृत निवेश को पहले ही उचित मूल्य पर मूल्यांकित कर दिया है और उसके लाभ को उचित ढंग से लेखे में ले लिया है और निवेश के शेष भाग के लिए पूर्णतः प्रावधान कर दिया है, इसलिए संवेदनशीलता का प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी दस्तावेज़ पर लाभों/हानियों के परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि/कमी होगी।

(x) mfpr eY; ekiu

निगम की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, में से कुछ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। निम्नलिखित सारणियाँ, इन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य पर मापे जाने के तरीके के बारे में सूचना देती हैं (विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों और इनपुटों के बारे में)।

mfpr eY; Øe&ijkijk

mfpr eY; ij ekih x, vkj ekU;rk fn, x, foÙkh; foy[k ¼,QohVhvklhvkbl vkj ,QohVhih,y½A

¼yk[k #i, e½

fooj.k	mfpr eY; ij /kujkf'k		mfpr eY;Øe&ijkijk	eY; rduhdh vkj egÙoi.k buiV
	31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr	31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr		
I. foÙkh; ifjlifÙk;k				
,QohVhvklhvkbl ij foÙkh; fuo'k				
&bfDoVh foy[kk e fuo'k	237.65	415.83	स्तर 1	उद्धृत बाजार मूल्य
एफवीटीपीएल पर वित्तीय निवेश				
tkM	**237.65**	**415.83**		
II. foÙkh; n;rk,	-	-		
tkM	.	.		

ifj'kkf/kr ykxr ij ekih xbl foÙkh; ifjlifÙk;k vkj n;rk,A

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr		31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr		mfpr eY; Øe&ijkijk	eY; rduhdh vkj egÙoi.k buiV
	ifj'kkf/kr eY;	mfpr eY;	ifj'kkf/kr eY;	mfpr eY;		
I. foÙkh; ifjlifÙk;k						
कंपनियों को ऋण/ एलएलपी	281009.88	281009.88	261319.43	261319.43	स्तर 3	प्रभावी ब्याज दर
कर्मचारियों को ऋण	31.58	13.58	39.55	39.55	स्तर 2	अनुलाभों के लिए एसबीआई दर पर एनपीवी
tkM	**281041.46**	**281041.46**	**261358.98**	**261358.98**		
II. foÙkh; n;rk,						
उधार	149211.86	149211.86	142495.42	142495.42	स्तर 3	प्रभावी ब्याज दर
tkM	149211.86	**149211.86**	**142495.42**	**142495.42**		

भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत उचित मूल्य मापन, उतनी मात्रा पर आधारित स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किए जाते हैं, जिस तक उचित मूल्य के प्रति इनपुट अवलोकन योग्य हैं और पूरी तरह उचित मूल्य मापन के प्रति इनपुटों का महत्त्व है, जिनका नीचे वर्णन किया गया है:

- स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) जिसे निगम, मापन की तिथि को प्राप्त कर सकता है।
- स्तर 2: स्तर–1 में शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, अन्य इनपुट, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।
- स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अवलोकन योग्य इनपुट), जिन्हें निगम, मापन की तिथि को प्राप्त कर सकता है।

lHkh foÙkh; ifjlaifÙk;ksa vkj nkf;rkvksa dk j[kko eY; vkj mfpr eY; n'kkus okyh rkfydk

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr		31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr	
	ifj'kkf/kr eY;	mfpr eY;	ifj'kkf/kr eY;	mfpr eY;
I. foÙkh; ifjlaifÙk;k¡				
– नकदी और नकदी समतुल्य	8680.32	8680.32	10283.73	10283.73
– बैंक शेष	1419.01	1419.01	1072.35	1072.35
– प्राप्ति योग्य	9955.86	9955.86	10994.77	10994.77
– ऋण एवं अग्रिम	281041.46	281041.46	261358.98	261358.98
– निवेश	340.20	340.20	484.12	484.12
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	817.93	817.93	897.27	897.27
tkM+	**302254.78**	**302254.78**	**285091.22**	**285091.22**
II. foÙkh; nkf;rk,a				
– देय	10186.27	10186.27	11986.32	11986.32
– उधार	149211.86	149211.86	142495.42	142495.42
– अन्य वित्तीय देयताएँ	14088.22	14088.22	13038.56	13038.56
tkM+	**173486.35**	**173486.35**	**167520.30**	**167520.30**

नकदी और नकदी समतुल्य, प्राप्तियोग्य, भुगतानयोग्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देयताओं की रखाव धनराशियाँ, उनके स्वरूप के अल्पावधि होने के कारण उनके उचित मूल्यों के रूप में माना जाता है।

टी. संपत्ति और देनदारियों के तहत प्रत्येक पंक्ति वस्तु हेतु 12 महीने और उससे अधिक के भीतर की जाने वाली वसूली/निपटान की अपेक्षित राशि:

fooj.k	31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr			31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr		
	12 eghuk dk Hkhrj	12 eghus ls vf/kd	tkM+	12 eghuk dk Hkhrj	12 eghus ls vf/kd	tkM+
ifjlaifÙk;k¡						
1. foÙkh; ifjlaifÙk;k¡						
(क) नकद और नकद समतुल्य	8680.32	0.00	8680.32	10283.73	0.00	10283.73
(ख) नकद और नकद समकक्षों में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष	1419.01	0.00	1419.01	676.26	396.09	1072.35
(ग) व्यापार प्राप्य	3499.23	6456.63	9955.86	7384.13	3610.64	10994.77
(घ) ऋण और अग्रिम	274573.51	6467.95	281041.46	251687.43	9671.55	261358.98
(ङ) निवेश	0.00	340.20	340.20	0.00	484.12	484.12
(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	817.92	0.00	817.92	328.46	568.81	897.27

d|y foÙkh; ifjlifÙk;k¡ ¼1½	**288990.00**	**13264.78**	**302254.78**	**270360.01**	**14731.21**	**285091.22**
1. x|j&foÙkh; ifjlifÙk;k¡						
(क) माल–सूची	9.55	0.00	9.55	9.08	0.00	9.08
(ख) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	0.00	3715.81	3715.81	0.00	3531.21	3531.21
(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.00	28936.41	28936.41	0.00	28650.21	28650.21
(ङ) चालू पूंजीगत कार्य	0.00	543.03	543.03	0.00	482.33	482.33
(च) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	35.65	35.65	0.00	35.65	35.65
(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	103.79	103.79	0.00	86.47	86.47
(ज) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	0.00	169.57	169.57	0.00	221.91	221.91
(झ) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ञ) अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3795.68	959.51	4755.19	2937.42	1185.35	4122.77
d|y x|j&foÙkh; ifjlifÙk;k¡ ¼2½	**3805.23**	**34463.77**	**38269.00**	**2946.50**	**34193.13**	**37139.63**
d|y ifjlifÙk;k¡ ¼1$2½	**292795.23**	**47728.56**	**340523.78**	**273306.51**	**48924.34**	**322230.85**
देयताएँ						
1- foÙkh; n|;rk,¡						
(क) व्यापार प्राप्य	6091.71	4094.56	10186.27	7424.25	4562.07	11986.32
(ख) उधार	145201.25	4010.61	149211.86	138275.90	4219.52	142495.42
(ग) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) अन्य वित्तीय देयताएँ	5320.72	8767.49	14088.22	5831.34	7207.22	13038.56
d|y foÙkh; n|;rk,¡ ¼1½	**156613.68**	**16872.67**	**173486.35**	**151496.22**	**15988.81**	**167520.30**
2- x|j&foÙkh; n|;rk,¡						
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	241.24	0.00	241.24	699.16	0.00	699.16
(ख) प्रावधान	902.40	11831.46	12733.86	768.31	11135.25	11903.56
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) अन्य गैर–वित्तीय देयताएँ	5587.60	1328.96	6916.55	4505.61	2027.79	6533.40
d|y x|j&foÙkh; n|;rk,¡ ¼2½	**6731.23**	**13160.42**	**19891.65**	**5973.08**	**13163.04**	**19136.12**
d|y n|;rk,¡ ¼1$2½	**163334.91**	**30033.09**	**193378.00**	**157467.22**	**29151.85**	**186656.42**

;- iLrkfor ykHkka'k% इस वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश निम्नलिखित हैं:

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k		31 ekp] 2024 dk lekIr o"k	
100–100 रुपए के इक्विटी शेयरों पर	,u,lvkbZlh	,uohlh,Q,y %	,u,lvkbZlh	,uohlh,Q,y %
–प्रस्तावित लाभांश की धनराशि (लाख रुपए में)	4388.98	125.45	3796.73	112.40
–लाभांश दर (प्रतिशत)	30: कर अदायगी के बाद लाभ		30: कर अदायगी के बाद लाभ	
–प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (रुपए)	8.23	20.91	7.12	18.73

,u,lvkbZlh dk jf'k nz;@Hkqxrku dh xbZ gSA

निगम द्वारा प्रस्तावित लाभांश, निगम के वित्तीय विवरणों में बताए गए कर के बाद लाभ और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), आरबीआई, सेबी, डीपीई, आदि द्वारा जारी दिशा–निर्देशोंध्परिपत्रों पर आध ाारित हैं। इसके अलावा, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय (डीआईपीएएम), भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार, उनके ओएम संख्या 5/2/2016–नीति दिनांक 18/11/2024 के अनुसार, एनबीएफसी जैसे वित्तीय क्षेत्र के सीपीएसई पीएटी के 30: का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान कर सकते हैं।

निगम के निदेशक मंडल ने, वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में 4388.98 लाख रू. (8.23 रू. प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, यदि अनुमोदन कर दिया जाता है तो इस लाभांश के परिणामस्वरूप 4388.98 लाख रू. का नकद बहिर्वाह होगा।

इसके अलावा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित कारपोरेट लाभांश लेखांकन मानक (ए.एस.)–10 दिनांक, 30 मार्च, 2016 के कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 में संशोधनों के जरिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित तुलन पत्र की तारीख के पश्चात उत्पन्न आकस्मिकताएँ और घटनाएँ के अनुसार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात आगामी वर्ष में लेखे में लिया जाएगा।

निगम ने वित्त वर्ष 2024–25 में रु. 3796.73 लाख के लाभांश का भुगतान किया है जो वित्त वर्ष 2023–24 में प्रस्तावित किया गया था।

Q- gMrky iHkkfor difu;ksa dh lkFk lcèkk

gMrky iHkkfor diuh dk uke	gMrky iHkkfor diuh dh lkFk ynunu dh çfr—fr	cdk;k 'k"k ¼#- yk[k esa½		gMrky ÁHkkfor diuh dh lkFk lcèkk] ;fn dkbZ gks
		31-03-2025	31-03-2024	
	çfrHkfr;ksa esa fuo'k			
	& gMrky ÁHkkfor diuh dh 'k;jksa esa fuo'k	-	-	-
-	ÁkI;	-	-	-
-	nz;ksa	-	-	-
-	gMrky ÁHkkfor diuh dh lkFk vVdyksa, 'k;j	-	-	-
-	vU; cdk;k 'k"k ¼fofufn"V fd;k tk,½	-	-	-

1- क्रिप्टो या आभासी मुद्रा पर प्रकटीकरण

निगम ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

2- प्रमोटर्स की होल्डिंग पर प्रकटीकरण

निगम को भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास वर्ष की शुरुआत और अंत में निगम में 100 प्रतिशत इक्विटी हैं। इस प्रकार वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की इक्विटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

3- भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अंतर्गत प्रकट किए जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सूचना

क) हानिकरण आरक्षित

दिनांक 13.03.2020 की भा.रि.बैं. की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी.पी.डी. संख्या 109/22.10.106/2019–20 के आधार पर, इसलिए वित्तीय वर्ष 2019–20 से भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार ईसीएलस, को वित्तीय विलेखों पर हानि छूट के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, जहाँ भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूट, आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानकों (मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानीकरण से निम्नतर है, निगम ने यह अंतर अपने निवल करोपरांत लाभ से चालू वर्ष से संबंधित "हानिकरण आरक्षित" में और 01.04.2019 को यथास्थिति मौजूद धारित अर्जनों में से विनियोजित किया है। पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित में से किसी आहरण की अनुमति नहीं है।

चूंकि 31.03.2025 तक इंड एएस–109 के संदर्भ में क्षति भत्ता की राशि 12417.77 लाख रुपए (12399.36 लाख रुपए) है, जो आईआरएसीपी मानदंडों के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में 15887.68 लाख रुपए (15010.93 लाख रुपए) से कम है, इसलिए आईआरएसीपी मानदंड और इंड एएस–109 के तहत 3469.91 लाख (2611.57 लाख रुपए) की राशि के प्रावधान में अंतर को 31.03.2025 तक हानि आरक्षित के रूप में लेखांकित किया जाना है।

हालाँकि, 31.03.2025 को जिस हानि आरक्षित निधि का हिसाब लगाया जाना चाहिए, वह 31.03.2024 को पहले से ही विनियोजित हानि आरक्षित राशि से कम है, जो कि 4866.65 लाख रू. (4866.65 लाख रू.) है, इसलिए, पहले से ही विनियोजित हानि आरक्षित को उलटा नहीं किया गया है। 1396.74 लाख रू. (2255.08 लाख रू.) की सीमा तक निकासी की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, 31.03.2025 तक हानि आरक्षित को 4866.65 लाख रू.(4866.65 लाख रू.) पर बनाए रखा गया है।

ख.आईआरएसीपी के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक–109 के अंतर्गत हानिकरण छूटों के बीच की गई तुलनाः

foRrh; o"kZ 2024&25

¼yk[k #i, e½

Hkk-fj-cSad dh ekinMk dh vuqlkj ifjlaifRr oxhZdj.k	Hkk-y-ek- 109 dh vuqlkj ifjlaifRr oxhZdj.k	Hkk-y-ek- dh vuqlkj ldy j[kko/kujkf'k	Hkk-y-ek- 109 dh vrxZr ;Fkk vif{kr gkfu NV iko/kku	fuoy j[kko/kujkf'k	vkbZvkj,lhih dh vuqlkj vif{kr iko/kku	Hkk-y-ek-&109 dh iko/kku vkj vkbZvkj,lhih ekinMk dh chp vrj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
निष्पादन परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	278448.85	1113.79	277335.06	983.38	130.41
	चरण 2					
उप जोड़		278448.85	1113.79	277335.06	983.38	130.41
गैर–निष्पादन परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
उप मानक	चरण 3	1131.07	1131.07	0	2518.56	-1387.49

संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3				1156.20	-1156.20
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3				491.09	-491.09
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	9500.70	9500.70	0	10066.24	-565.54
संदिग्ध का उप जोड़		9500.70	9500.70	0	11713.53	-2212.83
हानि	चरण 3	672.21	672.21	0	672.21	0
एनपीए का उपजोड़		11303.98	11303.98	0	14904.30	-3600.32
अन्य मदें जैसे गारंटियाँ, ऋण प्रतिबद्ध ताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती।	चरण 1					
	चरण 2					
	चरण 3					
उप जोड़		.	.	.	.	.
जोड़	चरण 1	278448.85	1113.79	277335.06	983.38	130.41
	चरण 2	0	0	0	0	0
	चरण 3	11303.98	11303.98	0	14904.30	3600.32
	जोड़	289752.83	12417.77	277335.06	15887.68	3469.91

foRrh; o"k 2023&24

Hkk-fj-cSad dh ekinMk dh vuqlkj ifjlifRr oxhdj.k	Hkk-y-ek- 109 dh vuqlkj ifjlfiRr oxhdj.k	Hkk-y-ek- dh vuqlkj ldy j[kko /kujkf'k	Hkk-y-ek- 109 dh vrxZr ;Fkk vif{kr gkfu NV iko/kku	fuoy j[kko /kujkf’k	vkbZvkj, lhih dh vuqlkj vif{kr iko/kku	Hkk-y-ek-&109 dh iko/kku vkj vkbZvkj ,lhih ekinMk dh chp vrj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
निष्पादन परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	260470.98	1041.87	259429.11	926.18	115.69
	चरण 2					
उप जोड़		260470.98	1041.87	259429.11	926.18	115.69
गैर–निष्पादन परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
उप मानक	चरण 3	1131.07	1131.07	-	2513.71	-1382.64
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3				715.24	-715.24
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3				63.84	-63.84
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	9538.26	9538.26	0	10103.80	-565.54
संदिग्ध का उप जोड़		9538.26	9538.26	0	10882.88	-1344.62
हानि	चरण 3	688.16	688.16	0	688.16	0
एनपीए का उपजोड़		11357.49	11357.49	0.00	14084.75	-2727.26

अन्य मदें जैसे गारंटियाँ, ऋण प्रतिबद्धताएं जो भारतीय लेखाकंन मानक–109 के दायरे में है। परंतु चालू आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मापदंडों के अंतर्गत कवर नहीं होती।	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप जोड़		-	-	-	-	-
जोड़	चरण 1	260470.98	1041.87	259429.11	926.18	115.69
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	11357.49	11357.49	0.00	14084.75	-2727.26
	जोड़	271828.47	12399.36	259429.11	15010.93	-2611.57

x- Hkkjrh; fjtoZ cSad vf/kfu;e] 1934 dh /kkjk 45&vkbZlh dk vuqikyu vkjf{kr fuf/k

निगम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईसी के तहत आवश्यकतानुसार आरक्षित निधि का सृजन कर रहा है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले शुद्ध लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत राशि स्थानांतरित करना आवश्यक है, तथा जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य को छोड़कर, आरक्षित निधि से कोई समायोजन करने की अनुमति नहीं है, और आगे इस तरह के किसी भी समायोजन को ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिनो के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिवेदित करना भी आवश्यक है।

इस वर्ष के दौरान धारा 45आईसी के अंतर्गत 2925.98 लाख रू. (2531.15 लाख रू.) की धनराशि की अन्य आरक्षित निधि सृजित की गई है, इस प्रकार 31.03.2025 को यथास्थिति कुल आरक्षित निधि 13847.00 लाख रू. (10921.02 लाख रू.) की हो गई है।

इसके अलावा, सहायक कंपनी यानी एनवीसीएफएल को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण से छूट दी गई है, मास्टर निर्देश – आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट, समय–समय पर अद्यतन के रूप में, सहायक कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III का पालन किया है। डिवीजन प्प् एनबीएफसी पर लागू होता है जैसा कि कंपनियों (भारतीय लेखा मानक नियम), 2015 में परिभाषित किया गया है जिसमें उद्यम पूंजी निधि कंपनियां शामिल हैं और सहायक कंपनी को एआईएफ स्थापित करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक उद्यम पूंजी निधि कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के दौरान सेबी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में था।

?k- jk"Vªh; y?kq m|ke fuxe dh m/kkjksa dh fy, ØsfMV jsfVax ,tsfl;ksa }kjk nh xbZ jsfVax

निगम की बैंक सुविधाओं को केयर द्वारा "एए+" रेटिंग दी गई है जिसे वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्च स्तर की प्रतिभूति माना जाता है। उपरोक्त के अलावा, वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, निगम को क्रिसिल और एसीयूआईटीई के साथ वाणिज्यिक पेपर के लिए भी ''ए1'' रेटिंग दी गई है, जिसे 'सुरक्षा की बहुत मजबूत डिग्री' माना जाता है।

3- 'kkfLr;ksa&

आरबीआई द्वारा लगाई गई – शून्य

II. किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा लगाई गई 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, निगम द्वारा रू. शून्य (रू. शून्य लाख) की राशि की शास्ति को अदा किया गया है।

p- iwathxr i;kIrrk

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k			31 ekp] 2024 dk lekIr o"k			% ifjorZru
	ehVj	Hkkt d	%	ehVj	Hkkt d	%	
i) पूंजी से जोखिम भारित अनुपात (सीआरएआर)	133620.40	326157.94	40.97	122840.40	303904.40	40.42	0.55
ii) सीआरएआर – टियर I पूंजी	132506.61	326157.94	40.63	121798.53	303904.40	40.08	0.55
iii) सीआरएआर – टियर II पूंजी	1113.79	326157.94	0.34	1041.87	303904.40	0.34	0
iv) नगदी प्रवाह व्याप्ति अनुपात	8611.58	3866.40	223.73	10293.33	20074.43	51.28	172.45
v) टियर II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की धनराशि	.	.	शून्य	.	.	शून्य	
vi) चिरस्थायी ऋण विलेखों के निर्गम द्वारा जुटाई गई धनराशि	.	.	शून्य	.	.	शून्य	

नोटः वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को दी गई विशिष्ट विनियामक छूट के कारण सहायक कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एनबीएफसी विनियमों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

क) निवेश: एनएसआईसी के पास भारत के बाहर कोई निवेश नहीं है। हालाँकि, निगम ने सहायक कंपनी मैसर्स एनवीसीएफल में 100 प्रतिशत अर्थात रु. 600 लाख और अन्य भारतीय कंपनियों में रु. 237.65 लाख का निवेश किया है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, एसबीआई के साथ सावधि जमा पर रु. 78.66 लाख (रु. 31.59 लाख) का ब्याज प्राप्त हुआ, जिसमें से रु. शून्य लाख (रु. 9.66 लाख) एसआरआई फंड से संबंधित है।

एसआरआई फंड की लेखा पुस्तकों का लेखा–जोखा इसकी शुरुआत से ही, अर्थात वित्त वर्ष 2021–22 से, एक अलग लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 से अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनवीसीएफएल द्वारा वर्तमान में धारित इकाइयों को समेकित करके आत्मनिर्भर भारत कोष (एसआरआई कोष) में अपने प्रत्यक्ष योगदान को बढ़ा दिया है। यह पुनर्आवंटन रु. 85.43 लाख की मूल अधिग्रहण लागत पर किया गया है और यह सेबी के दिशानिर्देशों पर आधारित एक नियामक अनुपालन उपाय का हिस्सा है।

एनएसआईसी ने 2024–25 के दौरान आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष में 0.057 इकाइयों के लिए रु. 5.74 लाख का योगदान दिया। 31.03.2025 तक कुल निवेश रु. 102. 55 लाख (1.0255 इकाइयाँ) था, जिसमें एनवीसीएफएल से एसआरआई कोष की 0.85 इकाइयों का पुनर्आवंटन शामिल है, जो रु. 85.43 लाख है।

क) निवेशों का अलग–अलग विवरण ¼yk[k #i, e½

fooj.k		31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
1	निवेशों का मूल्य		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
(क)	भारत में		

	ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर	247.65	425.83
(ख)	भारत से बाहर		
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क)	भारत में	10.00	10.00
(ख)	भारत से बाहर		
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
(क)	भारत में	237.65	415.83
(ख)	भारत से बाहर		
(2)	निवेशों के प्रति रखे गए प्रावधानों का संचलन		
(i)	अथ शेष	10.00	10.00
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का पुरांकन/बट्टे खाते डालना	0.00	0.00
(iv)	अंत शेष	10.00	10.00
(3)	उद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि	237.65	415.83
	उद्धृत निवेशों का बाज़ार मूल्य	237.65	415.83
(4)	अनुद्धृत निवेशों की समग्र धनराशि	112.55	78.29
(5)	निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए समग्र प्रावधान	10.00	10.00

[k½ fuo'k dk eY;kdu ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
i) निवेशों का सकल मूल्य	528.38	314.76
ii) हानिकरण हानि के लिए छूट	10.00	10.00
iii) उचित मूल्य में परिवर्तन (निवल)	(178.18)	111.07
iv) निवेशों का उचित मूल्य	340.20	415.83
निवेश के उचित मूल्य परिवर्तन में संचलन (निवल)		
अथ शेष	415.83	304.76
जोड़ें: मूल्य में वृद्धि	-	111.07
घटाएं: मूल्य में कमी	178.18	-
अंत शेष	237.65	415.83

ज. व्युत्पत्तियाँ ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
व्युत्पन्न विलेखों/उत्पादों की अरक्षितता	शून्य	शून्य

झ. प्रतिभूतिकरण ¼yk[k #i, e½

क) परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए प्रायोजित एसपीवी के ब्यौरे

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
प्रायोजित एसपीवी	शून्य	शून्य

ख) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण हेतु बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य

ग) किए गए समनुदेशन लेनदेन के ब्यौरे ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
किए गए समनुदेशन लेनदेन	शून्य	शून्य

घ) खरीदी गई/बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियों के ब्यौरे ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
खरीदी गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य
बेची गई गैर–निष्पादनशील वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
i) बेचे गए खातों की संख्या		
ii) समग्र बकाया		
iii) प्राप्त किया गया समग्र प्रतिफल		
iv) निवल अंकित मूल्य पर लाभ/हानि		

ड़) एनबीएफसीएस के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

आरबीआई अधिसूचना सं. आरबीआई/2022–23/26 डीओआर.एसीसी.आरईसी. संख्या 20/21.04.018/2022–23 दिनांक 19 अप्रैल, 2022, एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित नियमों के तहत प्रकटीकरण इस प्रकार है:

,Dlikt j

1. पूंजी बाजार क्षेत्र में एक्सपोजर (सकल)

ङ) रियल एस्टेट/पूंजी बाज़ार सेक्टर के प्रति अरक्षितता

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनके कॉर्पस का निवेश अनन्य रूप से कॉरपोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	247.65	425.83

ऋण और अग्रिमों का क्षेत्रीय एक्सपोजर ¼yk[k #i, e½

lDVj	pkyw o"kZ			fiNyk o"kZ		
	chth dk f[kykQ ljf{kr	lkekf'kod@ vlqjf{kr dk fo#) ljf{kr	dqy	fo#) ljf{kr chth	lkekf'kod@ vlqjf{kr dk fo#) ljf{kr	dqy
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	321.81	-	321.81	323.01	-	323.01
उद्योग						
खाद्य एवं खाद्य उत्पाद	4079.36	-	4079.36	3283.60	-	3283.60
कपड़ा	1834.62	207.06	2041.68	2493.46	207.06	2700.52
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	613.64	-	613.64	781.85	-	781.85
कागज एवं कागज उत्पाद	1016.68	-	1016.68	1124.66	-	1124.66
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	144.67	-	144.67	144.23	-	144.23
रबर एवं रबर उत्पाद	1938.25	43.68	1981.93	2356.28	43.68	2399.96
रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	3252.30	43.68	3295.98	2898.77	43.68	2942.45
गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	1560.06	-	1560.06	6445.35	-	6445.35
धातु उत्पाद	58841.94	451.54	59293.48	67208.55	522.04	67730.59
निर्माण	121454.72	142.95	121597.67	110716.05	142.95	110859.00
इलेक्ट्रिक मशीनें और उपकरण	33975.16	126.87	34102.03	25881.90	126.87	26008.76
परिवहन उपकरण/ऑटोमोबाइल	4812.40	31.23	4843.63	2429.43	31.23	2460.66
मुद्रण उद्योग	642.70	-	642.70	607.11	-	607.11
प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पाद	5291.62	173.87	5465.49	3948.98	173.86	4122.85
अन्य	30678.89	8710.83	39389.72	23350.22	8933.73	32283.95
उद्योग का कुल	270137.01	9931.71	280068.72	253670.45	10225.11	263895.55
सेवाएं	7195.90	-	7195.90	6688.54	-	6688.54
व्यक्तिगत ऋण	-	31.58	31.58	-	39.55	39.55
अन्य	1131.67	215.49	1347.16	-	-	-
तुलन पत्र के अनुसार	278786.39	10178.78	288965.17	260681.99	10264.66	270946.64

झ. लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताओं का अलग–अलग विवरण

¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"kZ dk fy,	31 ekp] 2024 dk lekIr o"kZ dk fy,
क. निवेशों पर उचित मूल्य परिवर्तनों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ख. एनपीएज/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	580.06	907.80
ग. ऋणों की एनपीवी में घटाव के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
घ. निवेशों के मूल्य में घटाव के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ङ. मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
च. आय कर के प्रति किया गया प्रावधान	5289.00	4574.00
छ. अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (आस्थगित कर देयताएं)	(130.65)	(15.83)

ञ. अग्रिमों और गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"kZ dk fy,	31 ekp] 2024 dk lekIr o"kZ dk fy,
I. अग्रिमों का संकेंद्रण		
बीस बड़े ऋणियों को कुल अग्रिम	11906.76	11871.18
बीस बड़े ऋणियों को अग्रिम का प्रतिशत	4.11	4.37
II. एनपीए का संकेंद्रण		
शीर्ष चार एनपीएज के प्रति कुल अरक्षितता	924.41	924.41

V- lDVj&okj ,uih, ¼lldy½ ¼yk[k #i, e½

Ø-l-	fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
1	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	शून्य	शून्य
2	एमएसएमई	11303.99	11357.49
3	कॉरपोरेट ऋणी	शून्य	शून्य
4	सेवाएँ	शून्य	शून्य
5	अप्रतिभूति व्यक्तिगत ऋण	शून्य	शून्य
6	ऑटो ऋण	शून्य	शून्य
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	शून्य	शून्य

B- ,uih,t dk lpyu ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
1) निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीएज ;:द्ध	.	.
2) सकल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन		
(क) अथ शेष	11357.49	10970.10
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	490.30
(ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता	53.51	102.91
(घ) अंत शेष	11303.98	11357.49
3) निवल एनपीएज/संदिग्ध ऋणों का संचलन		
(क) अथ शेष	-	-
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
(ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी/बट्टा खाता	-	-
(घ) अंत शेष	-	-
4) एनपीए/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में संचलन		
(क) अथ शेष	11357.49	10970.10
(ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	-	490.30
(ग) घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण	-	-
(घ) घटाएं: पुरांकित प्रावधान	53.51	102.91
(ङ) अंत शेष	11303.98	11357.49

M- vU; lpuk ¼yk[k #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2025 dk lekIr o"k	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k
i) सकल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियाँ		
. संबंधित पक्षकार	.	.
. संबंधित पक्षकारों के अलावा	11303.98	11357.49
ii) निवल गैर–निष्पादनशील परिसंपत्तियाँ		
. संबंधित पक्षकार	.	.
. संबंधित पक्षकारों के अलावा	.	.

<- xkgd ,oa fuos'kd f'kdk;rsa ¼yk[k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ] 2025 dks lekIr o"kZ	31 ekpZ] 2024 dks lekIr o"kZ
1. वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	15
2. वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	17	15
3. वर्ष के निवारण की गई शिकायतों की संख्या	16	15
3.1 एनबीएफसी द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या (क्रम संख्या 3 के अनुसार शिकायतों की संख्या में से)	शून्य	4
4. वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	17	15

* लंबित शिकायत 9 अप्रैल, 2025 को बंद कर दी गई थी।

¼yk[k #i, esa½

लंबित ए एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

f'kdk;rksa dk vk/kkj ¼vFkkr f'kdk;rksa dk dkj.k½	o"kZ ds 'kq: esa yafcr f'kdk;rksa dh la[;k	o"kZ ds nkSjku izkIr f'kdk;rksa dh la[;k	fiNys o"kksZa esa izkIr f'kdk;rksa dh la[;k esa of)@deh dh izfr'krrk	o"kZ ds var esa yafcr f'kdk;rksa dh la[;k	dkye 5 esa ls ,slh f'kdk;rksa dh la[;k tks 30 fnu ls vf/kd le; ls yafcr gSa
1	2	3	4	5	6
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष					
ग्राउंड–1 (एनएसएसएच)	.	4	0%	.	.
ग्राउंड – 2 एसपीआरएस	.	3	0% बढ़ोतरी	.	.
ग्राउंड – 3 (आरएमए सिबिल स्कोर)	.	3	200% बढ़ोतरी	1'	.
ग्राउंड – 4 (आरएमडी)	.	1	100% बढ़ोतरी	.	.
ग्राउंड – 5 i. एमएसएमई मार्ट ii. एमएसएमई डाटाबैंक iii. निविदा iv. प्रशिक्षण v. मानव संसाधन vi. हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जनशक्ति	.	प्रत्येक श्रेणी में 1	i. 0% ii. नई श्रेणी iii. नई श्रेणी iv. 0% v. 0% vi. 50% घटाना	.	.
कुल	.	17	1%	.	.

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष					
ग्राउंड–1 एससीएसटी हब	.	4	90.32% की कमी	.	.
ग्राउंड – 2 एसपीआरएस	.	3	78.57% की कमी	.	.
ग्राउंड – 3 आरएमडी	.	2	33.33% की कमी	.	.
ग्राउंड – 4 एमएसएमईमार्ट	.	1	83.33% की कमी	.	.
ग्राउंड– 5 **i.** पीबीजी **ii.** उपदान **iii.** कर्मचारी की शिकायत **iv.** शुल्क वापसी **v.** सिबिल स्कोर	.	प्रत्येक श्रेणी में 1	सभी नई श्रेणियाँ	.	.
d|y	.	15		.	.

* लंबित शिकायत 9 अप्रैल 2025 को बंद कर दी गई थी

iii 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान उचित व्यवहार संहिता के तहत उधारकर्ताओं से निगम को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पी) किसी जमा स्वीकार न करने वाली गैर–वित्तीय कंपनी (यथासंशेधित, दिनांक 01 सिंतबर, 2016 के मास्टर निर्देश डीएनबीआर. पीडी. 008/03.10.119/2016–17 के अंतर्गत जारी किए गए, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 18 के अनुसार यथा अपेक्षित) के तुलन–पत्र की अनुसूची

n|; rk,| i{k

1-- mu ij mikfr|r C;kt lfgr x|j&c|fd|x fo|Ùkh; d|iuh }kjk fy, x, ij|r| Hk|xrku u fd, x, _.k vk|j vfx|e%

¼yk[k #i, e½

fooj.k		31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr		31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr	
		cdk;k /kujkf'k	vfrn; /kujkf'k	cdk;k /kujkf'k	vfrn; /kujkf'k
(क)	डिबेंचर	.	.	.	.
(ख)	आस्थगित क्रेडिट	.	.	.	.
(ग)	सावधि ऋण	4335.79	-	4535.98	.
(घ)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार	-	-	-	.
(ङ)	वाणिज्यिक पेपर	-	-	-	.
(च)	सार्वजनिक जमा	-	-	-	.
(छ)	अन्य ऋण				
	बैंक ओवरड्राफ्ट, नकद क्रेडिट एवं कार्यशील पूंजी मांग ऋण	144876.07	-	137959.44	.

2. ऊपर 1(च) (उन पर उपार्जित ब्याज सहित बकाया परंतु भुगतान न की गई सार्वजनिक जमा राशियाँ) का अलग–अलग विवरण:

–लागू नहीं–

ifjlifRr i{k

3. प्राप्तियोग्य बिलों सहित {नीचे (4) में शामिल किए गए के अलावा} ऋणों और अग्रिमों का अलग–अलग विवरण

¼yk[k #i, e½

fooj.k	cdk;k /kujkf'k	
	31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr	31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr
(क) प्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	.	.
(ख) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए (प्रावधान के पश्चात निवल)	277335.06	259429.11
(ग) अप्रतिभूत (प्रावधान के पश्चात निवल)	.	.

4. एएफसी क्रियाकलापों के प्रति गिने जाने वाले किराये और बंधक–पत्र के ऋणों पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और स्टॉक का अलग–अलग विवरण

–लागू नहीं–

5. निवेशों का अलग–अलग विवरण (घटाव को छोड़कर निवल):

¼yk[k #i, e½

fooj.k		cdk;k /kujkf'k	
		31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr	31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr
चालू निवेश			
1	उद्धृत		
(i)	शेयर	शून्य	शून्य
(क)	इक्विटी		
(ख)	वरीयता		
(ii)	डिबेंचर और बांड		
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें		
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
(v)	अन्य		
2	अनुद्धृत		
(i)	शेयर		
(क)	इक्विटी	शून्य	शून्य
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	शून्य	शून्य
दीर्घावधि निवेश			
1	उद्धृत		
(i)	शेयर		

(क)	इक्विटी (उचित मूल्य)	237.65	415.83
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	शून्य	शून्य
2	अनुद्धृत		
(i)	शेयर:		
(क)	इक्विटी (हानिकरण के पश्चात निवल)	शून्य	शून्य
(ख)	वरीयता	शून्य	शून्य
(ii)	डिबेंचर और बांड	शून्य	शून्य
(iii)	म्युचुअल फंड की यूनिटें	शून्य	शून्य
(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
(v)	अन्य	102.55	11.38

6. ऊपर (3) और (4) में दिए गए अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

¼yk[k #i, e½

J.kh		31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr			31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr		
		ifrHkwr ¼iko/kku d i'pkr fuoy½	cid@ljdkjh xkjfV;k }kjk doj fd;k x;k ¼iko/kku d i'pkr fuoy½	vifrHkwr ¼iko/kku d i'pkr fuoy½	ifrHkwr ¼iko/kku d i'pkr fuoy½	cid@ljdkjh xkjfV;k }kjk doj fd;k x;k ¼iko/kku d i'pkr fuoy½	vifrHkwr ¼iko/kku d i'pkr fuoy½
1	संबंधित पक्षकार						
(क)	आर्थिक सहायता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	उसी समूह में कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	संबंधित पक्षकारों के अलावा	शून्य	277335.06	शून्य	शून्य	259429.11	शून्य

7- 'k;jk vkj ifrHkfr;k¡ ¼m)'r vkj vu)'r nkuk½ e¡ lHkh fuo'kk ¼pkyw vkj nh?kkof/k½ dk fuo'kd leg&okj oxhdj.k%

¼yk[k #i, e½

J.kh		31 ekp] 2025 dk ;FkkfLFkfr		31 ekp] 2024 dk ;FkkfLFkfr	
		mfpr eY;	vfdr eY;	mfpr eY;	vfdr eY;
1	संबंधित पक्षकार				
(क)	आर्थिक सहायता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	उसी समूह में कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	102.55	102.55	68.29	68.29
2	संबंधित पक्षकारों के अलावा	237.65	237.65	415.83	415.83

5 समय–समय पर अद्यतन किए गए मास्टर निर्देश – आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट के तहत, सहायक कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक में गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण से छूट दी गई है। कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड III का पालन किया है, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम), 2015 में परिभाषित एनबीएफसी पर लागू होते हैं, जिसमें उद्यम पूंजी निधि कंपनियां भी शामिल हैं।

6 वर्ष के दौरान समूह ने अनुसंधान और विकास पर रू. 457.02 लाख (और 321.60 लाख) का व्यय किया है। (आर एंड डी)/नवाचार।

7. 31.03.2025 (पिछले वर्ष शून्य) तक कोई बिल नहीं किया गया (व्यापार देय और व्यापार प्राप्य) नहीं है।

8. आरबीआई के दिनांक 18 अगस्त, 2023 के परिपत्र DoR-MCS-REC-28/01-01-001/2023–24 के अनुसार, यदि उधारकर्ताओं द्वारा ऋण अनुबंध के मूल नियमों और शर्तों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे ''दंडात्मक शुल्क'' माना जाएगा और ष्दंडात्मक ब्याजष् के रूप में नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया है कि ''दंडात्मक शुल्क'' का कोई पूंजीकरण नहीं होगा, अर्थात 01.04.2024 के बाद ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

तदनुसार, ''विलंबित भुगतान पर ब्याज'' को पूंजीकरण सहित ''दंडात्मक ब्याज'' के रूप में वसूलने की नीति दिनांक 14.04.2024 से समाप्त कर दी गई है। 01.04.2024 से "दंडात्मक शुल्क" की अवधारणा शुरू की गई और आरबीआई के उपरोक्त परिपत्र के अनुरूप ऋण अनुबंध की भौतिक शर्तों और नियमों का पालन न करने पर उधारकर्ताओं पर रू. 3452.34 लाख (शून्य) का दंडात्मक शुल्क लगाया गया है।

9. सभी धनराशियां लाख रुपयों में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

10. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

11. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्गठित किया गया है।

****

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

[lhvkbZu u-% U74140DL1955GOI002481]

31-03-2025 dks lekIr o"kZ dh fy, ykHk ,oa gkfu ¼okf.kT;½ dk lefdr fooj.k

¼yk[k #i, esa½

	fooj.k	ukV lq[;k	**31.03.25** lekIr o"kZ dh fy,	**31.03.24** lekIr o"kZ dh fy,
I	jktLo			
क	प्रचालनों से राजस्व			
	उत्पादों की बिक्री	**21**	290771.56	276408.88
	सेवाओं की बिक्री	**21**	9139.36	8685.00
	किराये की आय		6027.35	5446.83
	ब्याज आय	**21**	29373.49	32044.85
	शुल्क और कमीशन आय	**21**	4378.19	4829.27
	[इसमें संचालित माल और प्रदान की गई सेवा के लिए 4378.19 लाख रू. (4829.27 लाख रू.) के मूल्य के अर्जित प्रोसेसिंग शुल्क सेवा प्रभार 1143017.44 लाख रू. (1168413.63 लाख रू.) शामिल है।			
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध लाभ		0.00	0.00
	परिशोधित लागत श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय साधनों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध लाभ		0.00	0.00
	अन्य परिचालन आय	**21**	3912.24	368.48
	Ápkyu ls dqy jktLo		**343602.19**	**327783.31**
ख	अन्य आय	**22**	363.96	410.93
ग	लांभाश आय		0.00	0.00
घ	अनुदान और सब्सिडियां	**23**	0.00	0.00
	dqy jktLo ¼d $ [k $ x½		**343966.15**	**328194.24**
II	0;;			
	उत्पादों की खरीद	**24**	289070.32	275064.83
	माल–सूचियों में परिवर्तन	**25**	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	**26**	14313.11	13826.27
	वित्त लागतें	**27**	10744.19	11479.20
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**28**	984.59	845.32
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	**29**	309.65	288.89
	अन्य व्यय	**30**	8421.28	9158.01
	शुल्क और कमीशन व्यय	**34**	59.82	71.29
	dqy 0;;		**323902.96**	**310733.81**
III	आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ		**20063.19**	**17460.43**
	असाधारण मदें (टिप्पणी–35 की बिंदु संख्या 4एफबी) देखें)		-0.74	-13.18
IV	dj iwo ykHk		**20063.93**	**17473.61**
	dj 0;;			
	वर्तमान कर	**31**	5289.00	4574.00
	आस्थगित कर		-130.65	-15.83
	पूर्ववर्ती वर्ष		-30.08	-23.92
V	dqy dj 0;;		**5128.27**	**4534.25**
VI	py jg ipkyu ls vof/k dh fy, dj&Ik'pkr ykHk		**14935.66**	**12939.36**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00

VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	vof/k dk ykHk		**14935.66**	**12939.36**
XI	vU; 0;kid vk;			
क	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-178.17	111.07
	ऐसी मदें, जो लाभ या हानि–सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		-36.16	-15.58
	उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		53.95	-24.04
	mi&tkM: ¼d½		**-160.38**	**71.46**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	mi&tkM: ¼[k½		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**-160.38**	**71.46**
XII	अवधि के लिए कुल विस्तृत आय (X + XI) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय		**14775.28**	**13010.82**
XIII	ifr bfDoVh 'k;j vtZu ¼lrr ipkyuk½	**32**		
	मूल (रु.)		0.10	3.25
	न्यूनीकृत (रु.)		0.10	3.25
XIV	vkdfLed ifrc)rk,a	**33 (i)**	**6468.69**	**4436.53**
XV	ikfjxr ifrc)rk,a	**33 (ii)**	**1201.37**	**789.84**
	y[kkvksa ij vU; fVIif.k;k	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणी: उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

blh rkjh[k dk gekjh lyXu fjikVZ dk vuqlkj
, ih vkj , ,.M ,lkfl,V ,y,yih
lunh y[kkdkj
Qe iathdj.k l-% 011078,u@,u500064

g-
¼lh, v:.k dekj xIrk½
साझेदार
सदस्यता सं.: 089657
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025
यूडीआईएन नः 25089657बीएमएमएमएक्सजेड4270

fun'kd eMy d fy, vkj dh vkj l

ह.
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएनः 10144109]

ह.
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06727939

ह.
पार्थ माझी
वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः ए22768

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM

[lhvkbZu u-% U74140DL1955GOI002481]

31-03-2025 dks lekIr o"kZ dh fy, ykHk ,oa gkfu ¼la/kksfkRed½ dk lefdr fooj.k

¼yk[k #i, esa½

	fooj.k	ukV lwph	31.03.25 lekIr o"kZ dh fy,	31.03.24 lekIr o"kZ dh fy,
I	jktLo			
क	प्रचालनों से राजस्व			
	उत्पादों की बिक्री	21	0.00	0.00
	सेवाओं की बिक्री	21	0.00	0.00
	किराये की आय		0.00	
	ब्याज आय	21	0.00	0.00
	शुल्क और कमीशन आय	21	0.00	0.00
	अन्य परिचालन आय	21	0.00	0.00
	Ápkyu ls dqy jktLo		**0.00**	**0.00**
ख	अन्य आय	22	0.00	0.00
ग	लांभाश आय			
घ	अनुदान और सब्सिडियां	23	8973.87	13827.28
	dqy jktLo ¼d $ [k $ x½		**8973.87**	**13827.28**
II	0;;			
	उत्पादों की खरीद	24	0.00	0.00
	माल–सूचियों में परिवर्तन	25	0.00	0.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	380.42	358.39
	वित्त लागतें	27	0	0.00
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	0.00	0.00
	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	29	0.00	0.00
	अन्य व्यय	30	8593.45	13468.89
	शुल्क और कमीशन व्यय	34	0.00	0.00
	dqy 0;;		**8973.87**	**13827.28**
III	आपवादिक मदों, और कर से पूर्व लाभ		**0.00**	**0.00**
	असाधारण मदें (टिप्पणी–35 की बिंदु संख्या 4एफबी) देखें)		0.00	0.00
IV	dj iwo ykHk		**0.00**	**0.00**
	dj 0;;	31		
	वर्तमान कर		0.00	0.00
	आस्थगित कर		0.00	0.00
	पूर्ववर्ती वर्ष		0.00	0.00
V	dqy dj 0;;		**0.00**	**0.00**
VI	py jgs ipkyu ls vof/k dh fy, dj&Ik'pkr ykHk		**0.00**	**0.00**
VII	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ		0.00	0.00
VIII	बंद हो गए प्रचालनों से कर व्यय		0.00	0.00
IX	बंद हो गए प्रचालनों से लाभ (कर–पश्चात)		0.00	0.00
X	vof/k dk ykHk		**0.00**	**0.00**
XI	vU; 0;kid vk;		**0.00**	**0.00**
क	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.00	0.00

	ऐसी मदें, जो लाभ या हानि–सुनिश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.00	0.00
	mi&tkM% ¼d½		**0.00**	**0.00**
ख	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		0.00	0.00
	mi&tkM% ¼[k½		**0.00**	**0.00**
	अन्य व्यापक आय (क + ख)		**0.00**	**0.00**
XII	अवधि के लिए कुल विस्तृत आय (X + XI) (लाभ/हानि सहित) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय		**0.00**	**0.00**
XIII	ifr bfDoVh 'k;j vt tu ¼lrr ipkyuk½	**32**		
	मूल (रु.)		0.00	0.00
	न्यूनीकृत (रु.)		0.00	0.00
XIV	vkdfLed ifrc)rk,a	**33 (i)**	0.00	0.00
XV	ifrxr ifrc)rk,a	**33 (ii)**	0.00	3.35
	y[kkvksa ij vU; fVIif.k;k	**35**		

कॉरपोरेट सूचना विवरण (टिप्पणी–1), लेखांकन नीतियां (टिप्पणी–2)

टिप्पणीः उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां 1 से 35 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इक्विटी स्टेटमेंट में परिवर्तन तुलन पत्र का अभिन्न अंग है और लाभ एवं हानि लेखों का विवरण के पश्चात रखा गया है

blh rkjh[k dks gekjh lyXu fjikVZ dk vuqlkj
, ih vkj , ,.M ,lkfl,V ,y,yih
lunh y[kkdkj
Qe: i;thdj.k l-a 011078,u@,u500064

fun'kd eMy d fy, vkj dh vkj l

ह.
गौरव गुलाटी
निदेशक (वित्त)
[डीआईएनः 10144109]

ह.
डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ख्डीआईएनरू 06727939

g.
¼lh, v:.k dekj xqIrk½
साझेदार
सदस्यता सं.: 089657
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2025
यूडीआईएन नः 25089657बीएमएमएक्सजेड4270

ह.
पार्थ माझी
वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः ए22768

diuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼6½¼[k½ lgifBr /kkjk 129¼4½ d vrxr jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM d 31 ekpZ 2025 dks lekIr o"kZ d lefdr foÙkh; fooj.kksa ij Hkkjr d fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;ksa d mÙkj

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) सहपठित धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) सहपठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा उनके द्वारा 22 जुलाई 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) सहपठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (कंपनी) और एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सहायक कंपनी) के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य–पत्रों तक पहुंच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

d- lefdr udnh çokg fooj.k ij fVIif.k;k

d-1 fuoZ'k xfrfof/k;ksa l udnh çokg% ¼&½ 968-78 yk[k :-
foÙkh; xfrfof/k;ksa l udnh çokg: 3]156-33 yk[k :-

भारतीय लेखा मानक 110 (समेकित वित्तीय विवरण) का खंड बी86 समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए समेकन प्रक्रियाएँ प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, मूल कंपनी की परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की समान मदों को उसकी सहायक कंपनियों के साथ संयोजित करने, प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की भरपाई करने और समूह की संस्थाओं के बीच लेनदेन से संबंधित अंतर–समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए, जिनमें उसकी सहायक कंपनी, अर्थात् एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) के वित्तीय विवरण शामिल थे। हालाँकि, यह पाया गया कि एनएसआईसी ने एनवीसीएफएल से प्राप्त 112.40 लाख रू. के लाभांश की भरपाईध्समाप्ति नहीं की। इसके परिणामस्वरूप निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को 112.40 लाख रू. प्रति नकदी कम और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को 112.40 लाख रू. प्रति नकदी कम दर्शाया गया।

[k- çdVhdj.k ij fVIif.k;k

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी, कंपनी) की एक सहायक कंपनी, का गठन (28 अगस्त 2020) भारत सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के विकास और संवर्धन हेतु आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई)[1] फंड के नाम से एक एमएसएमई फंड स्थापित करने के निर्णय के अनुसरण में किया गया था। एसआरआई फंड के लिए योजना दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान किया गया था कि एसपीवी (एनवीसीएफएल) मूल फंड को श्रेणी ग्प् या प्प् वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत करने के लिए सेबी में आवेदन करेगा। हालाँकि, एसआरआई फंड को पंजीकृत करने के बजाय, एनवीसीएफएल ने खुद को सेबी के साथ श्रेणी–प्प् वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत (01 सितंबर 2021) करवाया और इस प्रकार पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड की एक योजना के रूप में एसआरआई फंड को लॉन्च किया। वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में एनवीसीएफएल के पंजीकरण को बाद में एमएसएमई मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा एसआरआई फंड के दिशानिर्देशों में संशोधन के माध्यम से (मई 2024) अनुमोदित किया गया।

एनवीसीएफएल को (25 सितंबर 2024) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) से एसआरआई फंड और एनवीसीएफएल के लिए अलग–अलग वित्तीय विवरण तैयार करने की उनकी लेखा पद्धति और एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरणों में एसआरआई फंड के लेन–देन के समेकन पर राय मांगने के लिए कहा गया था। कंपनी ने आईसीएआई से (28 मई 2025) राय मांगी है, जिसकी प्रतीक्षा है। हालाँकि, एनवीसीएफएल ने वित्तीय

विवरणों के नोट्स में और एनएसआईसी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में इन तथ्यों का खुलासा नहीं किया।

इसके अलावा, आईसीएआई की राय आने तक, एनवीसीएफएल की होल्डिंग कंपनी होने के नाते एनएसआईसी को अपने समेकित वित्तीय विवरणों में एसआरआई फंड से संबंधित सभी प्रमुख खुलासे करने चाहिए थे, जिसमें एसआरआई फंड की कुल अनुमानित राशि (10,006 करोड़ रू.), एसआरआई फंड के लिए योगदानकर्ताओं[2] द्वारा किया गया योगदान 1,728.56 करोड़ रू. और एसआरआई फंड द्वारा किए गए निवेश, जिसमें सभी सहायक फंड शामिल हैं, रिपोर्टिंग तिथि तक 10,979 करोड़ रू. (एसआरआई फंड द्वारा किए गए निवेशः 1,269 करोड़ रू. और सहायक फंड द्वारा किए गए निवेशरू 9,710 करोड रू.) शामिल हैं।

उपरोक्त जानकारी को एनएसआईसी के समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट करना आवश्यक है।

Hkkjr dh fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd
d fy, vkj dh vkj l

g-@
Mk- iou dqekj dkMk
vk,lMh
¼m|kx ,oa dkikjsV ekeys½
ubZ fnYyh

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad% 26-09-2025

[1]यह एक फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) है, जिसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को ग्रोथ कैपिटल पाने में हो रही भारी कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है। इस फंड का एंकर इन्वेस्टर भारत सरकार है।

[2]भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय, एंकर इन्वेस्टर (1,727.53 करोड़ रुपये) और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्पॉन्सर (1.03 करोड़ रुपये)

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM] ubZ fnYyh

dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼6½¼[k½ lgifBr /kkjk 129¼4½ ds vUrxZr jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM ds 31 ekpZ 2025 dks lekIr o"kZ ds lefdr foÙkh; fooj.kksa ij Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;ksa ds mÙkj

vuqfre fVIif.k;k¡ ¼ihlh½	çca/ku dk mÙkj
dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼6½¼[k½ lgifBr /kkjk 129¼4½ ds vUrxZr jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM ds 31 ekpZ 2025 dks lekIr o"kZ ds lefdr foÙkh; fooj.kksa ij Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;k¡ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) सहपठित धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) सहपठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा उनके द्वारा 22 जुलाई 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया बताया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) सहपठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (कंपनी) और एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सहायक कंपनी) के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य–पत्रों तक पहुंच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।	कोई टिप्पणी नहीं

d- lefdr udnh çokg fooj.k ij fVIif.k;k d-1 fuo'k xfrfof/k;k ls udnh çokg ¼&½ 968-78 yk[k :- foÙkh; xfrfof/k;k ls udnh çokg: 3]156-33 yk[k :- भारतीय लेखा मानक 110 (समेकित वित्तीय विवरण) का खंड बी86 समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए समेकन प्रक्रियाएँ प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, मूल कंपनी की परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की समान मदों को उसकी सहायक कंपनियों के साथ संयोजित करने, प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की भरपाई करने और समूह की संस्थाओं के बीच लेनदेन से संबंधित अंतर–समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए, जिनमें उसकी सहायक कंपनी, अर्थात् छैप्ड वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) के वित्तीय विवरण शामिल थे। हालाँकि, यह पाया गया कि एनएसआईसी ने एनवीसीएफएल से प्राप्त 112.40 लाख रू. के लाभांश की भरपाईध्समाप्ति नहीं की। इसके परिण ाामस्वरूप निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को 112.40 लाख रू. प्रति नकदी कम और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को 112.40 लाख रू. प्रति नकदी कम दर्शाया गया।	समेकित नकदी प्रवाह विवरण में एनवीसीएफएल से प्राप्त 112.40 लाख रू. के लाभांश की गैर–प्रतिपूर्ति/हटाए जाने के संबंध में विसंगति का उल्लेख करने वाली टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है और इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि निगम के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देते समय हुई चूक के कारण यह अनजाने में हुआ है। इसके अतिरिक्त, इसके लिए खेद व्यक्त किया जाता है और भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अधिक सावधानी बरती जाएगी। यह भी उल्लेख करना उचित है कि उपरोक्त का एनएसआईसी के समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है और 31.03.2025 तक निगम के परिणामों/लाभप्रदता के साथ–साथ उसकी वर्तमान स्थिति पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
[k- çdVhdj.k ij fVIif.k;k एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी, कंपनी) की एक सहायक कंपनी, का गठन (28 अगस्त 2020) भारत सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के विकास और संवर्धन हेतु आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के नाम से एक एमएसएमई फंड स्थापित करने के निर्णय के अनुसरण में किया गया था। एसआरआई फंड के लिए योजना दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान किया गया था कि एसपीवी (एनवीसीएफएल) मूल फंड को श्रेणी I या II वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत करने के लिए सेबी में आवेदन करेगा। हालाँकि, एसआरआई फंड को पंजीकृत करने के बजाय, एनवीसीएफएल ने खुद को सेबी के साथ श्रेणी–प्प् वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत (01 सितंबर 2021) करवाया और इस प्रकार पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड की एक योजना के रूप में एसआरआई फंड को लॉन्च किया। वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में एनवीसीएफएल के पंजीकरण को बाद में एमएसएमई मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा एसआरआई फंड के दिशानिर्देशों में संशोधन के माध्यम से (मई 2024) अनुमोदित किया गया।	जारी की गई टिप्पणी वित्त वर्ष 2024–25 के लिए एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों से संबंधित है। इस संबंध में, निम्नलिखित प्रस्तुत हैरू एसआरआई फंड के वित्तीय विवरणों का एनवीसीएफएल में विलय न होने संबंधी टिप्पणी इन संस्थाओं पर लागू कानूनी और नियामक ढांचे के अनुरूप नहीं है। 1- iFkd dkuuh vkj fu;ked <kpk: एनवीसीएफएल, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है जो सेबी (एआईएफ) विनियम, 2012 के अंतर्गत श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत है और आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष के प्रायोजक के रूप में कार्य करती है। हालांकि, एसआरआई कोष व्यक्तियों का एक संघ है। इसे सेबी की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी स्वतंत्र लेखा बहियाँ और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण बनाए रखना आवश्यक है। यह कोष एनवीसीएफएल की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी नहीं है और इसलिए समेकन के दायरे से बाहर है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 2(1)(डी) में स्पष्ट रूप से ष्इकाईष् की परिभाषा कंपनी के रूप में दी गई है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(20) में परिभाषित किया गया है। चूँकि एसआरआई कोष एक एओपी के रूप में गठित किया गया है, न कि एक कंपनी के रूप में, इसलिए यह भारतीय लेखा मानक के प्रयोजनार्थ 'इकाई' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तदनुसार, इसके खातों को एनवीसीएफएल के साथ समेकित या विलय करने की आवश्यकता नहीं है।

एनवीसीएफएल को (25 सितंबर 2024) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) से एसआरआई फंड और एनवीसीएफएल के लिए अलग–अलग वित्तीय विवरण तैयार करने की उनकी लेखा पद्धति और एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरणों में एसआरआई फंड के लेन–देन के समेकन पर राय मांगने के लिए कहा गया था। कंपनी ने आईसीएआई से (28 मई 2025) राय मांगी है, जिसकी प्रतीक्षा है। हालाँकि, एनवीसीएफएल ने वित्तीय विवरणों के नोट्स में और एनएसआईसी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में इन तथ्यों का खुलासा नहीं किया। इसके अलावा, आईसीएआई की राय आने तक, एनवीसीएफएल की होल्डिंग कंपनी होने के नाते एनएसआईसी को अपने समेकित वित्तीय विवरणों में एसआरआई फंड से संबंधित सभी प्रमुख खुलासे करने चाहिए थे, जिसमें एसआरआई फंड की कुल अनुमानित राशि (10,006 करोड़ रू.), एसआरआई फंड के लिए योगदानकर्ताओं द्वारा किया गया योगदान 1,728.56 करोड़ रू. और एसआरआई फंड द्वारा किए गए निवेश, जिसमें सभी सहायक फंड शामिल हैं, रिपोर्टिंग तिथि तक 10,979 करोड़ रू. (एसआरआई फंड द्वारा किए गए निवेशः 1,269 करोड़ रू. और सहायक फंड द्वारा किए गए निवेशरू 9,710 करोड रू.) शामिल हैं।	2- v,fMV Vªy vkj Lor= [kkrk % भारत सरकार से प्राप्त सभी निकासी सीधे एसआरआई फंड के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा की जाती हैं, और इसकी पुस्तकों का स्वतंत्र रूप से रखरखाव और ऑडिट किया जाता है। एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरण केवल उसके अपने संचालन, जैसे प्रबंधन शुल्क आय, को सही ढंग से दर्शाते हैं, जबकि फंड के वित्तीय विवरण अलग से तैयार और रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पृथक्करण पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, सह–मिश्रण को रोकता है, और वैधानिक और नियामकीय मंशा के अनुरूप है। 3- vkbZlhvkbZ dh jk; : 25.09.2024 के प्रबंधन पत्र में ऑडिट की पूर्व टिप्पणी के अनुपालन में, एनवीसीएफएल ने 28.05.2025 के पत्र के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) से औपचारिक राय मांगी है। यह मामला वर्तमान में आईसीएआई द्वारा विचाराधीन है, जो लेखांकन मामलों पर आधिकारिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अधिकृत वैधानिक निकाय है। आईसीएआई के जवाब के लंबित रहने तक, एनवीसीएफएल ने कानून के पूर्ण अनुपालन में दोनों संस्थाओं के लिए अलग–अलग खाते बनाए रखना जारी रखा है। 4- ,uohlhQ,y dh foÙkh; fooj.kksa esa çdVhdj.k: एसआरआई फंड और एनवीसीएफएल के खातों के अलग–अलग रखरखाव की स्थिति का उल्लेख एनवीसीएफएल के लेखा नोट्स में पहले ही किया जा चुका है। यदि आईसीएआई की अंतिम राय में कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताएँ सुझाई जाती हैं, तो उन्हें सद्भावनापूर्वक भविष्य में विधिवत रूप से लागू किया जाएगा। एनवीसीएफएल द्वारा अपनाई गई वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति कंपनी अधिनियम, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और सेबी (एआईएफ) विनियम, 2012 के अनुरूप है। चूँकि एसआरआई फंड एक एओपी है और नियम 2(1)(डी) के अर्थ में एक 'इकाई'नहीं है, इसलिए इसके खातों का एनवीसीएफएल में विलय आवश्यक नहीं है। पर्याप्त प्रकटीकरण पहले ही किया जा चुका है, और आईसीएआई की राय प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड से संबंधित सभी प्रमुख विवरण, जिसमें सेबी–पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के तहत एक अलग योजना के रूप में इसका कानूनी वर्गीकरण, शासन और परिचालन ढांचा, भारत सरकार के धन का योगदान और उपयोग, प्रासंगिक वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, एसआरआई फंड की कुल परिकल्पित राशि (10,006 करोड़ रू.), एसआरआई फंड के कोष में योगदानकर्ताओं द्वारा किया गया योगदान 1153 करोड़ रू. और एसआरआई फंड सहित सभी सहायक फंड द्वारा 31/03/2024 तक 7649 करोड़ रू. का निवेश शामिल है, का पहले ही वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) की निदेशक रिपोर्ट में विधिवत खुलासा किया जा चुका है और इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निदेशक रिपोर्ट में खुलासा किया जाएगा।

	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में ऐसे खुलासे उचित रूप से किए जाते हैं, जो बोर्ड को कंपनी की संरचना, संचालन और नियामक अनुपालनों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करता है। कानूनी स्वरूप, सेबी एआईएफ विनियमों के अंतर्गत नियामक स्थिति और भारत सरकार के साथ परिचालन व्यवस्था से संबंधित मामले पूरी तरह से इस वैधानिक रिपोर्ट के दायरे में आते हैं और इन्हें प्राथमिक वित्तीय विवरणों में दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जो लेखांकन मानकों द्वारा शासित होते हैं और वित्तीय तत्वों की पहचान और मापन पर केंद्रित होते हैं। इस प्रकार निदेशकों की रिपोर्ट में किए गए खुलासे पूर्ण पारदर्शिता और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करते हैं, साथ ही लागू कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ढाँचों के दायरे और उद्देश्य के अनुरूप भी होते हैं। यह दृष्टिकोण सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के अंतर्गत विनियामक और शासन संबंधी अपेक्षाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है और लागू कॉर्पोरेट कानूनों और लेखा ढाँचों के अंतर्गत परिकल्पित, परिमाणात्मक वित्तीय रिपोर्टिंग से वर्णनात्मक वैधानिक प्रकटीकरणों को उचित रूप से पृथक करके वित्तीय विवरण की वस्तुनिष्ठ अखंडता को संरक्षित करता है यह पुष्टि की जाती है कि वित्त वर्ष 2024–25 की निदेशक रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रकटीकरण किया गया है: – 31.03.2025 तक, योगदानकर्ताओं (एमएसएमई मंत्रालय और एनएसआईसी) द्वारा एसआरआई फंड के कोष में 1,729 करोड़ रू. का योगदान दिया गया। कुल 63 सहायक फंडों को एसआरआई फंड (मातृ निधि) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और इन सहायक फंडों ने 577 उच्च–संभावित एमएसएमई में 10,979 करोड़ रू. का निवेश करके उनकी सहायता की है। इसमें से, सहायक निधियों ने 31 मार्च 2025 तक श्री निधि से 1,269 करोड़ रू. निकाले हैं, जबकि शेष 9,710 करोड़ रू. का निवेश विकास निधियों द्वारा अपने स्रोतों से किया गया है। इन एमएसएमई की उपस्थिति भारत के निम्न–आय वाले राज्यों और आकांक्षी जिलों सहित पूरे भारत में है। उन्होंने लगभग 1,20,000 से अधिक नौकरियों के सृजन में मदद की है, जिनमें से लगभग 26% महिलाओं को रोजगार प्रदान करती हैं। 5- ,uohlh,Q,y dh gkfYMx diuh] ,u,lvkblh d; lefdr foÙkh; fooj.kksa e; çdVhdj.k एनवीसीएफएल द्वारा वर्ष 2024–25 के लिए अपनी निदेशक रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरणों के आधार पर, प्रासंगिक सीमा तक सभी विवरण पृष्ठ संख्या 32 और 33 पर भी प्रकट किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एनएसआईसी के समेकित वित्तीय विवरणों की निदेशकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 31 में इसका खुलासा किया जाएगा और इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एनएसआईसी के समेकित वित्तीय विवरणों की निदेशकों की रिपोर्ट में भी इसका खुलासा किया जाएगा।

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM
¼Hkkjr ljdkj dk m|e½
,u,lvkbZlh Hkou] vks[kyk baMfLVªt ,LVsV
ubZ fnYyh & 110 020
njHkk"k u- 011-26926275] osclkbV www.nsic.co.in,
lhvkbZ,u l- U74140DL1955GOI1002481

सं. एसआईसीः एसईसीः 70वाँ एजीएम/2025 दिनांकः 23 सितंबर, 2025

lpuk

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) की (70वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार 30 सितंबर, 2025 को शाम 4.00 बजे एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली–110020 (पंजीकृत कार्यालय) में निम्नलिखित व्यवसायों के संचालन हेतु आयोजित की जाएगीरू

lk/kkj.k dk;Z

मद सं. 1ः 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटेड स्टैंडलोन और समेकित वित्तीय विवरण और निदेशक मंडल की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

मद सं. 2ः 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांष घोषित करना।

मद सं. 3ः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेषक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्ति कंपनी के सावंधिक और षाखा लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करना और साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (सषोधनों) सहित या उनके बिना पारित करनाः

ÞldYi fd;k tkrk g fd वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए कंपनी के सांविधिक एवं शाखा लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, जैसा बोर्ड द्वारा उचित समझा जाए, निश्चित और निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदषेक मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

ह./–
(निष्ठा गोयल)
कंपनी सचिव

दिनांक : 23 सितंबर, 2025
स्थान : नई दिल्ली

fVIi.kh%

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य, अपने बदले बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवष्यक नहीं है।
2. यदि कोई सदस्य इस बैठक के कारोबार की किसी मद (मदों) के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहें, तो उनसे अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की तारीख को पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को अपने प्रदत्त भेजें, ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध करवाई जा सके
   कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रखा जाने वाला सांविधिक रजिस्टर कंपनी की वार्षिक आम बैठक के स्थान और समय पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

jk"Vªh; y?kq m|ksx fuxe fyfeVsM
(Hkkjr ljdkj dk miØe)
,u,lvkbZlh Hkou vkSkyk bLVhZ;y ,LVsV ubZ fnYyh&110020
osclkbV : www.nsic.co.in

Ø-l-	,u,lvkbZlh dk;kZy;	irk	Qksu@QDl@	bZ esy vkbMh
1.	iath—r dk;kZy;	एनएसआईसी भवन ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट नई दिल्ली–110020	011-26926275, 26926370	info@nsic.co.in
2.	tkuy dk;kZy; fnYyh	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, केम्पस, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट नई दिल्ली–110020	011 - 40584930 फैक्स - 011-26382350	zodelhi@nsic.co.in
3.	fnYyh ¼'kk[kk dk;kZy;½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनटीएससी कैम्पस गोविन्द पुरी स्टेशन के पास ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली–110020	011-26382568-69/ 41002319 फैक्स -011-26382568/ 41002319-20	delhinsic@nsic.co.in
4.	xqMxkao	गुड़गांव राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड प्लाट नं. 69, आई.डी.सी. सेक्टर–16,एम.जी. रोड गुरूग्राम–122001 (हरियाणा)	0124-2308913	bogur@nsic.co.in
5.	Qjhnkckn	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 107, निशान हट, एनएच–5,रेलवे रोड, फरीदाबाद–121001	0129 - 2985910/ 2985912/2985911 फैक्स - 0129-4311293	bofaridabad@nsic.co.in
6.	ukjk;.kk	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, सीबी–326, द्वितीय तल, रिंग रोड,नारायणा, नई दिल्ली–110028	011-64611484/ 25775787 फैक्स - 64611484	bonaraina@nsic.co.in
7.	uksMk	नोएडा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ।।।–बी/118सैक्टर–18,शोपिंग काम्पलैक्स,नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश)	0120-4595000 to 4595045 ,2511798 फैक्स - 0120- 4556450, 4556453	bonoida@nsic.co.in
8.	ngjknu	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 3 एवं 4 फ्लोर मेय फेयर बिजनेस पार्क नियर होटल ग्लोरी सरहानपुर रोड़ माजरा, देहरादून – 248001	0135-2520501 फैक्स - 2520501	bodehradun@nsic.co.in
9.	vkxjk	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 307/टी–6, तीसरी मंजिल,मारूित प्लाजा,(संजय टाकीज के पीछे) संजय पैलेस, आगरा–282002	0562-2527862, 2525567 फैक्स - 0562-2524842	boagra@nsic.co.in
10.	dkuiqj	कानपुर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 112/1, बेनाझाबर रोड़, कानपुर 208002	0512-2535049, 2556379 फैक्स - 0512-2543217	bokan@nsic.co.in
11.	ubuh	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, उद्योग नगर, नैनी, इलाहाबाद–211009 (उत्तर प्रदेश)	0532-2697218/ 2697050, 2695847 फैक्स - 0532-2697218	boallahabad@nsic.co.in
12.	xkj[kiqj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा, डीआईसी कैम्पस, गोरखनाथ, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गोरखपुर–273015 (उत्तर प्रदेश)	7524043999	rishishukla@nsic.co.in

13.	okjk.klh	वाराणसी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा, मानसरोवर कॉम्पलेक्स, सी–30/35–बी, द्वितीय तल मालदहिया, वाराणसी–221001 (उत्तर प्रदेश)	542-2370223 फैक्स - 0542-2370223	bovaranasi@nsic.co.in
14.	vyhx<	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तकनीकी सेवा केन्द्र, ए–1 इंडस्ट्रीयल एस्टेट अलीगढ़, उत्तर प्रदेश–202001	9810038916	soaligarh@nsic.co.in
15.	fHkokMh	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, प्लाट नं. 69 प्रथम तल, आईडीसी सेक्टर, 16 एमजी रोड़, गुरूग्राम –122001	0124-2308913	bogur@nsic.co.in
16.	y[kuÅ	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा कार्यालय 503, पांचवा तल श्रीराम टावर, 13 अशोक मार्ग लखनऊ–223001	0522-2288803	yasiralvi@nsic.co.in
17.	y[kuÅ	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप जोनल कार्यालय 503, पांचवा तल श्रीराम टावर, 13 अशोक मार्ग लखनऊ–223001	0522-2288803	yasiralvi@nsic.co.in
18.	tkuy dk;kZy; ¼yf/k;kuk½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड गुरू गोबिंद सिंह टावर,नियर ढोलेवाल चौक,जी टी रोड़ लुधियाना	0161-2541946, 2530940,2546523 फैक्स - 0161-2531946	zoludhiana@nsic.co.in
19.	yf/k;kuk ¼'kk[kk dk;kZy;½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड गुरू गोबिंद सिंह टावर,नियर ढोलेवाल चौक,जी टी रोड़ लुधियाना 141003 (पंजाब)	0161-2541946/ 2530940/2546523 फैक्स - 0161-2531946	boludh@nsic.co.in
20.	pMhx<	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बीएसएनएल एडमिन बिल्डिंग सेक्टर 34–ए, पिसीडिली सिनेमा के सामने, चंडीगढ़–160022	0172-2610537, 2971759	bochd@nsic.co.in
21.	tkya/kj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, द्वितीय तल, एससीओ पुडा कॉम्प्लेक्स लाडो वाली रोड, जलांधर–144004 (पंजाब)	0181-2292242, 2295533, 6570257 फैक्स - 0181-2299242	bojal@nsic.co.in
22.	tEew	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा 182 ए गांधी नगर जम्मू–180004	8684000594	akpallav@nsic.co.in
23.	tkuy dk;kZy; cSaxyq:	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नं. 25 फर्स्ट मैन रोड केएसएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, 6वां ब्लॉक राजाजीनगर, बेंगलुरू–560010	080-23109059/ 23307791/ 23147858 फैक्स - 080-23300070	zobengaluru@nsic.co.in
24	cSaxyq: ¼chvk½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नं. 25 फर्स्ट मैन रोड केएसएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, 6वां ब्लॉक राजाजीनगर, बेंगलुरू–560010	080-23109059/ 23307791/ 23147858	boban@nsic.co.in
25	cSyxkao	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, प्लाट नं. 60 अनुजय बिल्डिंग ,5वां क्रास, सुभाष चन्द्रा नगर,फाउन्ड्री कलस्टर बिल्डिंग,नियर उत्सव होटल,बेलगांव–590006	0831-2449922	belgaum@nsic.co.in

26.	ihfu;k	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, सी–424, पीनिया इंडस्ट्रीयल एस्टेट,फर्स्ट स्टेज, पीनिया पुलिस स्टेशन के पीछे, बेंगलुरू–560058	080-28374676/ 28394576/ 28372977 फैक्स - 080-28374676	bopeenya@nsic.co.in
27.	dkphu	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एस–67 जीसीडीए कमर्शियल काम्पलेक्स,मरीन ड्राइव इरनाकुलम,कोच्ची– 682031	0484-2381850/ 2368149/2986107/ 2351440	bococh@nsic.co.in
28.	f=pj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (अयानथोले पोस्ट आफिस के सामने) अयानथोले,त्रिचुर – 680003	9895571743	zohyderabad@nsic.co.in
29.	tkuy dk;kZy; gnjkckn	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 201 203 श्री दत्तासाई काम्पलेक्स, आरटीसी क्रोस रोड़, हैदराबाद–500020	040-27622515 / 27615761 फैक्स - 040-27617777	zohyderabad@nsic.co.in
30.	gnjkckn ¼chvk½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 203 श्री दत्तासाई काम्पलेक्स, आरटीसी क्रोस रोड़, हैदराबाद–500020	040-27615764 / 27615761/ 27622097 फैक्स - 040-27617777	bohyd@nsic.co.in
31.	ckykuxj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 6–3–144 एण्ड 144/1, तृतीय तल, जहांनारा करीम कॉम्पलेक्स, बाला नगर हैदराबाद–500037, (आन्ध्र प्रदेश)	040-23324769	bobalanagar@nsic.co.in
32.	fot;okMk	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, डोर नं. 59ए–8/8–6बी/1, तृतीय तल मेन रोड़ गुरू नानक कॉलोनी, विजयवाड़ा– 520008	0866-2541055 फैक्स - 0866-2545055	bovijayawada@nsic.co.in
33.	fo'kk[kkiVue	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, डी. नं. 32–6–1/13/49 फ्लैट नं 107 फस्ट फ्लोर एमबीआर लैंडमार्क, शिला नगर, विशाखापट्नम–530012	0891 - 2758554	visakhapatnam@nsic.co.in
34.	tkuy dk;kZy; pUub	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनएसआईसी – सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी बिजनेस पार्क, गिंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एकादुथूगल चैन्नई –600032 (तमिलनाडु)	044-28291943/ 28294541 फैक्स:044-28291943, 28295791	zochennai@nsic.co.in
35.	dkfPp	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय एस–67 जीसीडीए कर्मशियल कॉम्पलेक्स मरीन ड्राइव शनमुघम रोड़ कोच्चि–682031	0484-2381850/2368149	bococh@nsic.co.in
36.	pUub ¼chvk½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय मॉडयूल नं 205, एनएसआईसी – सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी बिजनेस पार्क बिल्डिंग, गिंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट एकादुथूगल चैन्नई –600032	044-28293347/ 28294541 फैक्स -044-28295791/ 28293347	bochen@nsic.co.in
37.	vEckVj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड शाखा कार्यालय 309 एसआईडीसीओ–एआईएमए टावर्स, फर्स्ट मेन रोड़, अम्बाटूर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, चैन्नई ‘–600058	044-26243984, 28291292 फैक्स - 044-26246826	boambattur@nsic.co.in

38.	iqMpqjh	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड शाखा कार्यालय एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इंडस्ट्रीयल एस्टेट, थट्टानचावड पुडुचेरी–605009	0413-2248970, 2248940 फैक्स - 0413-2248970	bopon@nsic.co.in
39.	dks;Ecrqj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड शाखा कार्यालय 1055/10 गौथाम सेंटर,अविनाशी रोड़, कोयम्बतूर–641018	0422-2244618, 2247757 फैक्स - 0422-2247764	bocomb@nsic.co.in
40.	enqjqbZ	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 74, एडीआर टॉवर प्रथम तल, चावडी, कलवासी थेणी मेन रोड़,मदुरै – 625016	0452-2609992/ 2609993/4984191 फैक्स - 0452 - 2380323	bomadu@nsic.co.in
41.	tksuy dks;ksy; dksydkrk	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, प्लॉट नं. 7/7 एवं 7/8 ब्लॉक सीपी ए सेक्टर ट सॉल्ट लेक कोलकाता– 700091	033-29861353 फैक्स - 033-22487359	zokolkata@nsic.co.in
42.	dksydkrk ¼chvk½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 20–बी, अब्दुल हमीद स्ट्रीट सातवां तल, सांतवा तल कोलकाता– 700069	033-22137084/ 22488288 फैक्स - 033-22487359	bocal@nsic.co.in
43.	¼lkYV ysd½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड शाखा कार्यालय प्लाट नं– 7/7 एण्ड 7/8, ब्लॉक–सीपी, सेक्टर–V कोलकाता–700091	033 - 23671471 / 23670155 / 23672416	bosaltlake@nsic.co.in
44.	iVuk	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय फ्लैट नं 403, चतुर्थ तल श्याम किशोरे होम, राजस्थान रेस्टोरेंट के पीछे डाक बंगला चौराह पटना–800001	0612-2354222/ 3212403 फैक्स - 0612-2354222	bopatna@nsic.co.in
45.	dksydkrk ,y,uvkj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड लीगल एण्ड रिकवरी सेल कमरा नं– 2/1 द्वितीय तल, हुडको टावर, न्यू मार्केट, 15 एन, नेली सेनगुप्ता सरनी, लिंडसवे स्ट्रीट कोलकाता– 700087	033-22522232	lrcellkol@nsic.co.in
46	fl yhxqM+h	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, प्रथम तल एसआईडीए ऑफिस बिल्डिंग सिलीगुढ़ी इंडस्ट्रीयल पार्क प्लॉट नं. 33 द्वितीय माइल सिवोक रोड़ सिलीगुढ़ी –734001 पश्चिम बंगाल	0612-2354222/ 3212403 फैक्स - 0612-2354222	bopatna@nsic.co.in
47.	tksuy dks;ksy; Hkqou'oj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, प्रथम तल, डीआईसी कैम्पस रसुलगढ़ इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर– 751010	0674-2548875/ 6510189	zobhubaneswar@ nsic.co.in
48.	Hkqou'oj ¼'kk[kk dks;ksy;½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, मॉडयूल नं 204 , द्वितीय तल, एनएसआईसी आईएमडीसी, धनपद भवन, आईडीसीओ प्लॉट नं 6, ब्लॉक डी ए मंचेश्वर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर– 751010	0674-2548875, 2549780	bobhubaneswar@ nsic.co.in
49.	jkmjdsyk	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, प्लाट नं. जेजेजे–16, सिविल टाउनशिप राउरकेला–769004	661-2665059 फैक्स - 0661-2664559	rourkela@nsic.co.in

50.	te'knirj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, फ्लैट नं. ए2/1, द्वितीय तल,निरोड अपार्टमेंट, एल–रोड़,पी.ओ. एण्ड पी.एस. बिस्तुपुर जमशेदपुर–831001	0657 - 2320068	bojms@nsic.co.in
51.	jkph	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उद्योग भवन, औद्योगिक क्षेत्र, कोकर रांची–834001	0651-2543921	nsshoranchi@nsic.co.in
52.	ckdkjk	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा, प्लॉट नं. 7018 खाता नं. 566, नियर वैभव होटल, बाय पास रोड़, चौस बोकारो 827012	827012-9431923065	bojam@nsic.co.in
53	vkb,eMhlh Hkou'oj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, आईडीसीओ प्लॉट नं. 6 ब्लॉक डी, मंचेश्वर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर–751010	0674-2548875	imdcbbsr@nsic.co.in
54.	tkuy dk;kZy; xokgkVh	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बाय लेन नं. 3 इंडस्ट्रीयल स्टेट,बामुनीमैडम, गुवाहाटी–781021	0361-2960635	zoguwahati@nsic.co.in
55.	xokgkVh ¼chvkbZ½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बाय लेन नं. 3 इंडस्ट्रीयल स्टेट,बामुनीमैडम, गुवाहाटी–781021	0361-2960631 फैक्स - 9437685426	bogwh@nsic.co.in
56.	bEQky	उप शाखा उरीपोक अकोम लीकाई, इम्फाल (मनीपुर)	9411630450	libetombidevi@nsic.co.in
57.	nhekiqj ¼chvkbZ½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ऑवरस बिल्डिंग द्वितीय तल नं. 411 डी.सी. कोर्ट जक्शन, दीमापुर – 797112	9905082471	vinodjaiswal@nsic.co.in
58.	vxjryk	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा आईटीआई रोड़, नियर युबा संघास्था कल्ब, टुवर्डस शिक्षा निकेतन स्कूल रोड़, इंदरानगर, अगरतला, त्रिपुरा – 799006	9411630450	rksaxena@nsic.co.in
59.	tkuy dk;kZy; eEcbZ	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 505 पांचवा तल, मित्तल कर्मशियल बिल्डिंग, विंग–बी, गांव मरोल, कार्यालय एम.वी. रोड़, अंधेरी (ई) मुम्बई–400059	022-28500377	zomumbai@nsic.co.in
60.	eEcbZ ¼chvkbZ½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, पी–104, एमआईडीसी खरैना,टीटीसी इंड. एरिया, कोपरखरानै, नवी मुम्बई–400710	022-23740268	bomum@nsic.co.in
61.	vaèkjh eEcbZ	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 5सी2, पांचवा तल ए–विंग गंडेचा आनक्लेव खैराने रोड़, साकीनाका अंधेरी (ई), मुम्बई – 400072	022-2850 9915 / 16 फैक्स - 022-28509917	boandheri@nsic.co.in
62.	ukxiqj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, न्यू सचिवालय बिल्डिंग प्रथम तल, पूर्व विंग, वीसीए स्टेडियम के सामने नियर उरसुला स्कूल सिविल लाइनस नागपुर–40001	0712-2543254, 2552023 फैक्स - 0712-2543255	bonagpur@nsic.co.in

63.	i.k	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,211/212, द्वितीय तल,टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पुणे–सतारा रोड,नियर साईबाबा मंदिर,पुणे–411037	020-24273800/ 24274800/48620207 फैक्स - 020-24440546	bopune@nsic.co.in
64.	lh,p,p lHkkthuxj ¼chvks½	प्रथम तल, मॉडयल हाउस, मेस बंगला महावीर चौक के सामने सीएचएच संभाजीनगर – 431005	0240 - 2954395 फैक्स - 0240-2563799	boaurangabad@nsic.co.in
65.	ukfld	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, गाला नं. 13 तृतीय तल,उद्योग भवन,एमआईडीसी सतपुर,नासिक 422007	0253-2365059 फैक्स - 253-2365061	bonasik@nsic.co.in
66.	xkok	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, श्रीजी कॉम्पलेक्स चतुर्थ तल, नियर मनोशांति होटल, डॉ. दादा वैदया रोड़, पणजी–403001	0832-2220540	bogoa@nsic.co.in
67	tkuy dk;kZy; jk;iqj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 204, द्वितीय तल ब्लाक, ए क्रिस्टिल अक्रडे नियर लोधीपारा चौक, शंकर नगर, रायपुर – 492007	9897089899	zoraipur@nsic.co.in
68.	jk;iqj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 204, द्वितीय तल ब्लाक, ए क्रिस्टिल अक्रडे नियर लोधीपारा चौक, शंकर नगर, रायपुर – 492007	0771-4035388, 4006070	boraipur@nsic.co.in
69	Hkkiky	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 110, मालवीय नगर प्रथम तल, भोपाल–462003	0755- 4295152/ 2992944 फैक्स - 0755-2553183	bobpl@nsic.co.in
70.	bankj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 10, पोलोग्राउंड इंडस्ट्रीयल एस्टेट,इंदौर – 452015	0731-2424408/ 2424409/2422248 फैक्स 0731- 2421566	boindore@nsic.co.in
71.	tkuy dk;kZy; vgenkckn	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 202, 203 समृद्धि बिल्डिंग,गुजरात हाईकोर्ट के सामने, अहमदाबाद–380014	079-27543228/27544893/ 27544254 फैक्स - 079-27540159	zoahmedabad@nsic.co.in
72	vgenkckn ¼chvks½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 202, 203 समृद्धि बिल्डिंग, साकार–III के पास, इनकम टेक्स सर्किल, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014	079-27543228/ 27544893/27544254 फैक्स - 079-27540159	boamd@nsic.co.in
73.	t;iqj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनएफ/0/2 नेहरू प्लेस, टोंक रोड,जयपुर –302015	0141-2740191/ 2742991/2742372/ 2744899 फैक्स - 0141-2741277, 2740334	bojai@nsic.co.in
74.	ohdvkbZ, t;iqj	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,513, अलंकार प्लाजा, सेंट्रल स्पाइन,सेक्टर–02 विद्याधर नगर जयपुर– 302039	0141-2231594, 2231573 फैक्स - 0141-2231572	bovkijaipur@nsic.co.in

75	dkVk	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,उप शाखा एसएसआई एसोसिएशन पुरुसारथ भवन, आईपीआईए, रोड़ नं. 5 कोटा–324005	744-2426104	sokota@nsic.co.in
76	oMkn jk	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,उप शाखा (जिंक प्रोडेक्ट) सी/ओ सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, नियर रानोली फलाईओवर, ब्रिज काराचाइया, वड़ौदरा– 391350	0265-2241430	intikafalam@nsic.co.in
77.	l jr ¼,l chvk½	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 306, तृतीय तल, राजहंस बिल्डिंग जे.के. टावर के सामने रिंग रोड़	9823595686	swapnilnigam@nsic.co.in
,u,lvkbZlh rduhdh lsok dUæ ¼uVh,l lh½ ,oa VfuZx lsVj ¼Vhlh,l½				
78.	vyhx< ¼,uVh,l lh½	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, अलीगढ़–202001	0571-2403552, 2400364	ntsecalig@nsic.co.in
79.	pUub ¼,uVh,l lh½	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, सेक्टर बी – 24, गुंइडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट एक्काथुगंल पीओ चैन्नई–600032	044-22252335/6/7 फैक्स - 044-22254500	ntscche@nsic.co.in
80.	MhMhxy ¼,uVh,l lh½	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, शेड 27, 29 एवं 30 सीडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, डींडीगुल – तमिलनाडु – 624003	0451- 2911165	ntscche@nsic.co.in
81.	gkoMk ¼,uVh,l lh½	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, जापानी गेट बालटिकुरी हावड़ा– 711113	033-26530304/ 26532962/ 26534280 फैक्स - 033-26531314	ntschow@nsic.co.in
82.	gSnjkckn ¼,uVh,l lh½	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, कमलानगर ईसीआईएल, हैदराबाद 500062	040-27121422, 27126646, 27134025, 27124597 फैक्स - 040-27122303	ntschy@nsic.co.in
83.	uhedk¼,uVh,l lh½	एनएसआईसी तकनीकी सेवा मगध यूनिर्वसिटी कैम्पस नियर पीजी हिन्दी विभाग बोधगया बिहार–824234	0129-2401101	ntscneemka@nsic.co.in
84.	ck/kx;k ¼,uVh,l lh½	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, टीगांव रोड, नीमका, फरीदाबाद–121004	0631-2200161	ntscbodhgaya@nsic.co.in
85.	vk[kyk ¼,uVh,l lh½	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, ओखला औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली–110020	011-26826801, 26826847, 26826846 फैक्स - 011-26826783	ntscok@nsic.co.in
86.	jkt dkV ¼,uVh,l lh½	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, भाव नगर रोड, अजी औद्योगिक क्षेत्र, राजकोट – 360003	0281-2387396/97/98 फैक्स - 0281-2387729	ntscraj@nsic.co.in
87.	jkt ijk ¼,uVh,l lh½	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, डी–82/83, फोकल प्वाइंट, राजपुरा– 140401	01762-232669 फैक्स - 01762-232669	ntsec.rjp@nsic.co.in

88.	nofj;k ¼Vh lh½	प्लॉट नं. 18, सोंडा मोजा, नियर मंडी समिति, देवरिया–274001	05568-651120	ticdeoria@nsic.co.in
89.	dk'khi;j ¼,ychvkb½	एनएसआईसी ट्रेनिंग कम इंक्यूबेशन सेंटर बी–5 इंडस्ट्रीयल एरिया, बाजपुर रोड़ काशीपुर, डिस्ट्रिक्ट–उद्यम सिंह नगर–244713	5947-262453	Punitkumar@nsic.co.in
90.	eMh ¼Vh lh½	#210/12, रामनगर (पुलघराट)जिला मंडी–मंडी 175001 (एचपी)	01905-226471	lokeshbhatia@nsic.co.in
91.	uuh ¼,ychvkb½	एलबीआई–नैनी, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, उद्योग नगर, नैनी इलाहाबाद	0532-2697218, 2697050	bonaini@nsic.co.in
92.	uoknk ¼,ychvkb½	प्लॉट नं. 1619, गुरूदेव नगर नियर सरकारी आईटीआई, गोनावा रोड़ नवादा, बिहार–805130	06324-8539038073	lbinawada@nsic.co.in
93	jkmjd;yk ¼,ychvkb½	एनएसआईसी – लिवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर सेक्टर – 15 राउरकेला, ओडिशा – 769003	0661-2913931	lbirourkela@nsic.co.in
jk"Vh; vu;lfpr tkfr/vu;lfpr tutkfr gc dk;kZy; ¼,u,l,l,pvk½				
94	l;jr ¼,u,l,l,p½	नेशनल एससीएसटी हब शाखा कार्यालय 306, तृतीय तल राजहंस बिल्डिंग जेके टॉवर रिंग रोड़ के सामने, सूरत – 395002	0261-2345733, 4029735	nsshosurat@nsic.co.in
95.	vkxjk ¼,u,l,l,p½	यूनिट नं. 202, दुसरा तल सेक्टर–12 ए, पदम बिजनेस पार्क आवास विकास सिकन्दरा योजना आगरा–282007	0562-2603131	nsshoagra@nsic.co.in
96.	Hkou;'oj ¼,u,l,l,p½	नेशनल एससीएसटी हब शाखा कार्यालय 304 बी, धर्मपदा भवन, तृतीय तल आईडीसीओ प्लॉट नं. 6, तीसरा तल ब्लॉक–डी मनचेश्वर औद्योगिक क्षेत्र, भुवनेश्वर–751010	0674-0674-2580630	nsshobhub@nsic.co.in
97.	jkph ¼,u,l,l,p½	नेशनल एससीएसटी हब (एनएसएसएचओ) उद्वयोग भवन इंडस्ट्रीयल एस्टेटे कोकर रांची–834001, झारखंड	0674-0674-2580630	nsshoranchi@nsic.co.in
98.	cxy;: ¼,u,l,l,p½	नं. 6 एवं 7, इस्कोस बिल्डिंग, वेस्ट ऑफ चार्ड रोड, राजाजी नगर औद्योगिक टॉउन बंगलुरू – 560044	080-23147791 / 29777790	nsshoban@nsic.co.in
99.	pUub; ¼,u,l,l,p½	एमएसएमई– डीआई, कैम्पस नं. 65ध्1 जी.एस.टी रोड, गिन्डी, चैन्नई तमिलनाडु–600032	044-48631200	nsshochen@nsic.co.in
100.	xokgkVh ¼,u,l,l,p½	औद्योगिक क्षेत्र, बाईलेन नं. 3,बमुनी मेडम गुवाहाटी–781021	0361-2558947	nsshogwh@nsic.co.in
101.	gnjkckn ¼,u,l,l,p½	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स, कमलानगर हैदराबाद – 500062	040-29559801	nsshohyd@nsic.co.in

102.	dkydkrk ¼,u,l,l,p½	प्लॉट नं.7/7 एवं 7/8, ब्लॉक सीपी, सॉल्ट लेक, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)–700091	033-23672001, 29861253	nsshokol@nsic.co.in
103.	y[kuÅ ¼,u,l,l,p½	503, श्रीराम टॉवर, 5 वां तल 13 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001	0522-2288589, 2288803	nssholucknow@nsic.co.in
104.	yf/k;kuk ¼,u,l,l,p½	पहला तल, फ्रंटियर टॉवर, जीटी रोड मिल्लरगंज (फायर ब्रिगेड ऑफिस के पास) लुधियाना –141003	0161-4100939	nssholudh@nsic.co.in
105.	eEcbZ ¼,u,l,l,p½	ऑफिस नं. 505, पांचवा तल, बी विंग मित्तल कर्मशियल बिल्डिंग, गांव मरोल, एम.वी. रोड़, मरोलनका, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई–400059	022-49710065 / 23728902	nsshomum@nsic.co.in
106.	cks/k x;k ¼,u,l,l,p½	मगध यूनिर्वसिटी कैम्पस, बोधगया जिला गया जी बिहार पिन कोड–824234	022-49710065 / 23728902	nsshomum@nsic.co.in
107.	i.k ¼,u,l,l,p½	213, दुसरा तल, पुणे–सतारारोड, नियर साई बाबा मंदिर, स्वारगेट पुणे–411037	020-48620209	nsshopune@nsic.co.in
108.	fl/kqnqx ¼,u,l,l,p½	राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कार्यालय, प्लॉट नंबर–16, नवानगर विकास प्राधिकरण सिंधुदुर्गनगरी के पास , ओआरओएस जिला, लैंडमार्क बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र, –416812	9673511536	nsshosindhudurg@nsic.co.in
109.	gSnjkckn ¼,echih½	मॉड्यूल नंबर 207, कमलानगर, ईसीआईएल पोस्ट, हैदराबाद–500062	040-27141422, 27125802	emdbphyd@nsic.co.in
110.	,lVhchih pSUub ¼,echih½	बी–24, गिंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एक्कादुथंगल, चेन्नई––600032	044-22250444, 22250445 फैक्स - 044-22250343	stpchennai@nsic.co.in
111.	,u,lvkbZlh fctuy ikdZ	एनएसआईसी बिजनेस पार्क, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली––110020	011-26926275	zebanaz@nsic.co.in
112.	LVVft d fctuy ;fuV ¼,lch;½ ubZ fnYyh	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली	9891800789	opsingh@nsic.co.in

मूल्य

सेवा श्रेष्ठता

प्रतिबद्धता, काम और सदभाव

सत्यनिष्ठा,

पारदर्शिता और जवाबदेही

हितधारकों की संतुष्टि

एन एस आई सी
N S I C

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली -110 020
दूरभाष : 011-26926275, वेबसाइट : www.nsic.co.in